मजमूआज़ाब्ता फ़ौजदारी यानी ऐक्ट १० सन् १८८२ ई० ॥

१५ सितम्बर सन् १८८९ई० तककी तरमीमोंके साथ

जो

लेजिसलेटिफ़ डिपार्टमेण्ट से मय उन बयानात के जिनसे वह तन्सीख़ात व तरमीमात जो उस तारीख़ तक कीगई हैं और वह इज़लाअ मुन्दर्जै फ़ेहरिस्त जिनमें मजमूआ मज़कूर नाफ़िज़ुलअमल है--ज़ाहिर होंगे

वही मजमूआ सन् १८९० ई० में गवर्न्मेण्ट ने ज़बान उर्दू में मुश्तहर किया

अब वास्ते आम फ़ायदे के तर्जुमा होकर

लखनऊ

मुंशी नवलकिशोर (सी,आई,ई) के छापेखाने में छपा
जूलाई सन् १८९१ ई० ॥

गलतनामा फेहरिस्त ऐक्टनम्बर १० सन् १८८२ई०

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१०	११	मुचालिका	मुचलिका	३०	१०	तर्जुमा	तर्जुमा
१४	१०	गौरमनकूला	गैर मनकूला	३२	८	इसबात	असबात
२५	१६	दाल	वाव	३६	२	अदालतो	अदालत
२५	२४	ओर	और	३८	१०	रजिस्टार	रजिस्टरार
२६	२०	ना	न	४२	२२	बअानत	बअअानत
२८	२	असेसरान	असेसरों				

गलतनामा ऐक्टनम्बर १० सन् १८८२ई०

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१	२०	नोज	०	१३	१८	मुताबिक	या मुताबिक
२	१५	सन् १८८३	सन् १८८४	१५	१८	मजिस्ट्रेटोंका	मजिस्ट्रेटों
२	२०	,, १८८२	,, १८८४	१६	३०	य	०
२	२०	काह्ह	गाह्ह	१७	२०	तौजीह	तौजीअ
२	२१	देखो	देखो	१९	२	आवसआफी	एवसआफिशि
२	२८	इस्पेपडल	इस्पेशयल			शियर	यो
३	६	मन्दरास	मदरास	२३	१३	बाद	बाज
५	१९	हिन्दसे	हिन्दुसे	२६	४	जबकि	जिनको
५	२५	मन्दरास	मदरास	२८	२२	अहद	अमद
६	२	४८	०	२९	२	चौकादार	चौकीदार
८	१२	०	त्र	२९	२३	अहद	अमद
८	१९	०	व	२९	२७	सन् १८८७	सन् १८९८
९	३	जुर्म	जुर्म	३३	४	कीजायगी	नकीजायगी
११	३१	०	की	३५	२१	मुतअल्लिक	मुतअल्लिक है
१२	२६	गवर्नमेण्ट	गवर्नमेण्ट	५७	६	वह	यह
१२	२९	मजकूह	मजकूर	५७	२६	उसको	उसके

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
६१	१६	मुकर्रर	मुकर्रर	१२०	२२	केबाबत	की बाबत
६१	१८	गरदा	गरदां	१२६	२२	केलिये	के लिये
६२	३	मतलूबाकी	मतलूबाके	१२८	१८	हुआया	हुआया कि
६२	१६	शख्सको	शख्सको	१३०	२०	नाविता	नाबिता
६३	६	वसिलसिला	बसिलसिला	१३०	३०	जुर्म परसुबूत	परसबूतजुर्म
६४	२०	कराने	करने	१३६	२	तजवीज़	तजवीज़
६६	६	बरस से	बरस	१४४	६	दफा	दफात
६७	८	की	किसी	१५०	११	गवाहो के	गवाहों के
६८	३	पाच	या पाच	१५०	२५	करे	करें
६८	२१	घरका	घरकाय	१५८	३०	मुतबव्वा	मुतनब्बा
७३	२८	,,	,,	१५६	३०	मुतअल्लिक	मुतअल्लिके
७४	१६	जग	जब	१६०	२६	मर्त्तबा	मुरत्तिबा
७६	२६	दुस्तहक़ाक़ हो	दुस्तहक़ाक़	१६०	२०	,,	,,
८२	१६	अफ़सरके	अफ़सर की	१७०	२६	मन्सबों	मन्सबों
८६	२	पुलिसके	पुलिस	१८८	४	मुआफ़ी की	मुआफीके
८६	१०	है	हो	१८६	१३	जुर्म	हुक्म
८६	२६	महकूमहै	महकूमहैं	१८८	२१	आय	आये
८७	१८	है	है और	१८६	२८	मजिस्टिट	मजिस्ट्रेट
८८	१०	करसक्ता	करासक्ता	१६५	१८	प्रेजीडसी	प्रेज़ीडसी
६१	२२	का कुम	का हुक्म	१६७	१८	कोजाय	लीजाय
६३	४	साय	साथ	१६८	११	अजसरेनौ	अजसरनौ
६३	२२	सन्दरास	मदरास	१६६	२२	,,	,,
६४	६	मुतबह	मुश्तबह	२०३	१०	किसहुक्म	किसी हुक्म
६४	३०	मातके	मातकी	२०३	१२	मुन्दैजेनल	मुन्दर्जजेल
६५	२२	किसी	किस	२०६	२८	१८०६	१८८६
६६	११	जररके	ज़ररकी	२०६	२६	१८०६	१८८६
६६	२६	मुकर्रर	मुकर्ररह	२०७	३०	१०८	२०८
६६	६	का अख्तियार	अख्तियार	२१०	२८	आरै	और
१००	३	वा	व	२११	६	उमको	उसको
११०	१३	जायेगी	जायेंगी	२१३	३१	सन	सन्
१११	१०	मुआहिदा	मुआहिदा	२१५	८	अदखाल	इदखाल
१११	१०	आज़ालह	अज़ालह	२२४	४	इस	उस
११३	१५	अताहुयेहै	अताहुयेहैं	२२४	६	उसीतरह	इसी तरह
१२१	१०	नहाती	नहोती	२२८	१२	लगा जाय	लगायाजाय
१२६	१८	नाकिसफद	नाकिसफर्द	२२६	२०	अहजार	दहजार

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२२९	२४	नहो	नहेा)				नेकी पादाश्में
२२९	२५	रिआया	रिआयाय				मुकर्रर हुई है
२३२	३१	(ब)	(बे)	३२४	१०	उसकेद	उस कैद
२३३	१६	रअय्यन	रअय्यत	३२५	११	सिलह	सुलह
२३६	२६	१८८४ की	१८८४ई० की	३२६	८	कददोसाला	कैद दोसाला
२३८	१०	बिनापर	बिनाय पर	३२७	८	कि में	कि मैं
२३८	३०	दूसरे	सरसरी	३३०	०	बाहालत	बहालत
२३८	३०	ओहदे	ओहदेदार	३३३	१०	सिक्क	सिक्का
२३९	२१	उस	इस	३३३	१६	बग्लेजाना	बाहरलेजाना
२४०	२८	उससे	इससे	३३९	१३	तालनक	तौलने के
२४६	२६	दौसौ	दोसौ	३४०	१६	ऐजन्	मौत
२५०	३०	को	की	३५२	१२	ममजिस्ट्रेट	मजिस्ट्रेट
५५०	३०	जबाकि	जब कि	३५८	२	किस्मको	किस्मकी
२५५	२	हतबारखताहेा	हतबा न रख	३६०	४	नहा है	नहीं है
			ता हेा	३६०	६	अजदवाज	इजदवाज
२५५	२	मजकूर का	मजकूर को	३६५	२१	शारये	शारेअ
२५६	२०	कुल्लियतन्	कुलियतन्	३६७	१०	हफ्तसाल	हफ्तसाला
२६५	२३	नवीसन्दै	नवींशिंदे	३७०	२	क़ाबल	काबिल
२७३	१४	आखतयार	अख्तियार	३७०	१२	मजिस्टेट	मजिस्ट्रेट
२८०	२४	अलिफा	अलिफ	३७०	१८	सहसाला	सेहसाला
२८२	६	पैरवोम	पैरवीमें	३७३	१३	के लिये	के
२८५	२०	वज़ाकरे	वज़ाकरें	३७३	१६	कितनोहो	कितनीही
२९२	१०	अआनतका	अआनतकी	३७५	६	समुद्री	समुंदरी
२९४	६	मकसूद	मकसूदह	३७५	१२	किस्सको	क़िस्मको
२९५	४	उसकेकि	उसके कि	३७५	१०	हफ्तसला	हफ्तसाला
२९५	१०	उसअदालत	उसी अदालत	३७६	२२	१३९	४३९
३०२	१४	खलसी	खलासी	,,	,,	:	,,
३०३	२	असूदगी	आसूदगी	३७७	८	नामा नामा	नामा
३०३	१०	कानुन	कानून के	३७७	१०	०	४५०
३०७	६	अम्र	उज्र	३७८	४	मदाखिल	मदाखिलत
३०८	२	जाखुद	जो खुद	३७९	१३	चहार	कैद चहार
		उसका	उसकी	३७९	२२	वखाना	बखाना
३१३	१५	सम्मन	ऐजन्	३८१	३	काबल	काबिल
३१८	१४	ऐज़न्	वही सज़ा जो	३८१	३	कैद	कैद
			कूं ठीगवाहीदे	३८१	१६	करनेको	करने का

(आशाम)	क़ानून २ सन् १८८३ ई०—दफ़ा ४,
(अपरब्रह्मा)	क़ानून ७ सन् १८८६ ई०—दफ़ा २—और ज़मीमा, और क़ानून १४ सन् १८८७ ई० दफ़ा ४,
(लोवरब्रह्मा)	ऐक्ट ३ सन् १८८९ ई०—दफ़ा ५—(कब और कहां वसअतपिज़ीरहुआ)
(इज़लाअ़ सरहद्दीपंजाब)	क़ानून ४ सन् १८८७ ई० दफ़ात ७ व ९ व ३७ (२) व ४६,
जुज्वन्मंसूख और (मद्रास)....तरमीम हुआ	ऐक्ट ५ सन् १८८९ ई०—दफ़ा ४,

मजमूआ जाबिता फौजदारी मुसद्दिरै सन् १८८२ ई०,

फेहरिस्त मजामीन ऐक्टहाजा

हिस्सा अव्वल ॥

तमहीद ॥

बाब—१ ॥

तमहीद

दफ़ात

१ मुख्तसिर नाम और शुरूअनफाज,
वसअत मुकामी,

२ एहकाम कवानीन की मंसूखी,
इश्तहारात वगैरह ऐक्टहाय मंसूख शुदहकीरूसे ॥

३ मजमूआ जाबितै फौजदारी और दीगर एहकाम कवानीन मंसूख शुदह का हवाला कियाजाना,
साबिक़ ऐक्टोंकी इबारतें

४ जिम्न तारीफ़ी,
अल्फाज मुतअल्लिक अफआल ॥
अलफाजके वही मानेहोंगे जो मजमूये ताजीरातहिंदमें हैं,

५ तजवीज जुर्मों की मजमूये ताजीरातहिंदके मुताबिक,
जरायम मुतअल्लिक़े किसी और कानूनकी तजवीज ॥

हिस्सा दोम ॥

फौजदारी अदालतों और सरिश्तोंका तकर्रुर और उनके अख्तियारात ॥

बाब—२ ॥

फौजदारीअदालतों और सरिश्तोंका तकर्रुर ॥

(अलिफ)--फौजदारी अदालतों के अक्साम--

दफ़ात तमहीद

६ फ़ौजदारी अदालतों के अक्साम ॥

(बे) क़िस्मतहाय अरज़ी ॥

७ सिशनकी क़िस्में ॥

इज़लाअ ॥

क़िस्मतों और ज़िलोंकी तब्दीलीका अख़्तियार ॥

मौजूदह क़िस्मतों और ज़िलोंका बरक़रार रहना जबतक कि तब्दीली न हो ॥

बलदेहाय प्रेज़ीडंसी इज़लाअ तसव्वर कियेजायँगे ॥

८ इज़लाअको हिससज़िलापर तक़सीमकरनेकाअख़्तियार ॥

मौजूदह हिसस ज़िला बरक़रार रहेंगे, ॥

(जीम) अदालतें और सारिश्ते वाक़ै बेरूं बलादप्रेज़ीडंसी ॥

९ अदालत सिशन ॥

१० ज़िलाका मजिस्ट्रेट ॥

११ ज़िलाके मजिस्ट्रेट के ओहदे में ओहदेदारों का बतौर चन्द रोजह क़ायम होना ॥

१२ मातहतके मजिस्ट्रेट,

उनके अख़्तियारातकी हुदूदअरज़ी,

१३ हिस्सा ज़िलाका एहतमाम मजिस्ट्रेट के सिपुर्द करने का अख़्तियार ॥

मजिस्ट्रेटज़िलाको अख़्तियारातका तफ़वीज़होना ॥

१४ स्पेशल मजिस्ट्रेट,

१५ मजिस्ट्रेटोंके ब्यंच,

ख़ास हिदायतों के न होनेकी सूरत में वह अख़्तियारात जो बज़रिये ब्यंचअमलमें आसकेंगे,

१६ ब्यंचोंकी हिदायत के लिये क़वाअद मुरत्तिब करने का अख़्तियार,

१७ मजिस्ट्रेटों और ब्यंचोंका ज़िलाके मजिस्ट्रेटके मातहतहोना,

दफ़ात नमहीद

हिस्साजिलाके मजिस्ट्रेटके मातहतहोना,
असिस्टंट सिशनजजका सिशनजजके ताबेहोना,
(दाल) अदालतहाय साहबान मजिस्ट्रेट प्रेजीडंसी,
१८ मजिस्ट्रेटान प्रेजीडंसीका तकर्रुर,
१९ उनके इलाक़े अख्तियारकी हुदूद अरज़ी,
२० बम्बईकी कोर्ट आफपेटी सिशन,
२१ चीफ मजिस्ट्रेट,
(हे) जस्टिस आफदीपीस,
२२ जस्टिस आफदीपीस मुफस्सिलके लिये,
२३ जस्टिस आफदीपीस बलाद प्रेजीडंसीके लिये,
२४ बिल्फेलके जस्टिस आफदीपीस,
२५ अक्स आफेशिव यानी ओहदों के एतबारसे जस्टिस आफ दीपीस,
(वाव) मुअत्तली और मौकूफी,
२६ साहबान जज व साहबान मजिस्ट्रेटकी मुअत्तली व मौकूफी,
२७ जस्टिस आफदीपीसकी मुअत्तली व मौकूफी,

बाब--३ ॥

अदालतोंके अख्तियारात

(अलिफ) तसरीह जरायम जो हरअदालत वाहिदकी समाअतके लायकहैं,
२८ जरायम मुसर्रहा मजमूआ ताजीरातहिंद
२९ जरायम जो किसीऔर कानूनमें मुसर्रहहैं,
३० वहजरायम जो लायक सजाय मौतके नहींहैं,
(बे) बाबत एहकाम सज़ा जो मुख्तलिफ दरजोंकी अदालतोंसे सादिरहोसक्तेहैं,

तमहीद

दफ़ात

३१ वह एहकाम सजा जो हाईकोर्ट और साहबान सिशनजज
सादिर करसक्ते हैं ॥

३२ वह एहकामसजा जो साहबानमजिस्ट्रेट सादिरकरसक्तेहैं ॥

३३ दरसूरत अदमअदाय जुर्माना के मजिस्ट्रेटोंको हुक्मसजाय
क़ैद सादिर करने का अख्तियार ॥

शर्त्त मुतअल्लिक़ बाजसूरतों के ॥

३४ बाज मजिस्ट्रेट जिला के अख्तियारात आला ॥

३५ हुक्म सजा उनसूरतों में कि जब एकही तजवीजमें चंद
जरायम साबित कियेजायँ,

सजाका दरजाइंतिहा,

(जीम) अख्तियारात मामूली और जायद ॥

३६ मजिस्ट्रेटों के अख्तियारात मामूली ॥

३७ अख्तियारात मजीद जो मजिस्ट्रेटोंको बख्शे जासक्तेहैं ॥

३८ मजिस्ट्रेट जिला के अख्तियार अताशुदहका ताबे
हकूमत होना ॥

(दाल) बाबत अता व बहाली व मंसूखी अख्तियारातके ॥

३९ अख्तियारात के बख्शने का तरीका ॥

४० उन ओहदेदारोंके अख्तियारात का नाफिजरहना जिनकी
तब्दीली हुईहो ॥

४१ अख्तियारात का मंसूख होना ॥

हिस्सा सोम ॥

एहकाम आम ॥

बाब—४ ॥

बाबत अआनत और इत्तिलाअरसानी बहुजूर साहबान मजिस्ट्रेट व
पुलीस और अशखास जो गिरफ्तारी करें ॥

दफ़ात तमहीद

४२ कब आमह को चाहिये कि मजिस्ट्रेटों और पुलीस की अआनत करैं ॥

४३ अहलकार पुलीस के सिवाय किसी और शख्सको मदद करना जो तामीलवारंट करता हो ॥

४४ आमहको चाहिये कि बाजजुर्मोंकी इत्तिलाअ पहुंचायें ॥

४५ गावों के मुखियाओं और मालिकान अराजी वगैरह पर वाजिब है कि बाज मुआमिलात में रिपोर्ट करैं ॥

बाब--५ ॥

बाबत गिरफ्तारी और फरार और गिरफ्तारी मुकर्रर ॥

(अलिफ) अमूमन् बाबत गिरफ्तारी ॥

४६ गिरफ्तार क्योंकर कियाजायगा, कोशिश गिरफ्तारी में तअर्रुज़ करना ॥

४७ उसजगहकी तलाशी जहां वहशख्स जिसको गिरफ्तारकरना मंजूर है दाखिल हुआहो ॥

४८ जाबिता काररवाई जबकि अन्दर दखल न मिलसके, जनाना खानाको तोड़कर उसके अन्दर जाना ॥

४९ रिहाई के लिये दरवाजों और खिड़कियों के तोड़डालने का अख्तियार ॥

५० गैरजरूरी तंगी न कीजायगी ॥

५१ अशखास गिरफ्तार शुदहकी तलाशी लेनी ॥

५२ औरतोंकी तलाशी लेनेका तरीका ॥

५३ लड़ाईके हथियार लेलेनेका अख्तियार ॥

(बे) बाबत गिरफ्तारी बिलावारंट ॥

५४ कब बिलावारंट पुलीस गिरफ्तार करसक्ता है ॥

५५ आवारहगरदों और उनलोगों की गिरफ्तारी जो आदतन् रहजन् वगैरह हों ॥

दफ़ात नमहाद

८६ जाबिता काररवाई उसमजिस्ट्रेटके लिये जिसके रूबरू श-ख़्स गिरफ्तार शुदह लाया जाय ॥

(जीम) इश्तहार और कुर्की ॥

८७ इश्तहार मुतअल्लिक शख़्स मफ़रूर के ॥
८८ शख़्स मफ़रूरकी जायदादकी कुर्की ॥
८९ जायदाद कुर्क़ शुदहका वापिसकरदेना ॥

(दाल) दीगरक़वाअद मुतअल्लिकै हुक्मनामजात ॥

९० इजराय वारंट सम्मनके एवज या अलावह सम्मनके ॥
९१ हाजिरीके लिये मुचलिका लेनेका अख्तियार ॥
९२ गिरफ्तारी हाजिरीके मुचलिका के खिलाफ़ करनेपर ॥
९३ इसबाबके एहकाम अमूमन् सम्मन और वारंट गिरफ्तारी कीनिस्बत तअल्लुकपिजीरहोंगे

बाब—७ ॥

बाबत हुक्म नामजात वास्ते जबरन् हाजिर कराने दस्तावेजात और दीगर जायदाद मन्कूलाके और वास्ते इनकशाफ़हाल उन अशखासके जो बतौर बेजा मुकीद कियेगयेहो ॥

(अलिफ)--सम्मनवास्ते हाजिर करने किसीशैके ॥

९४ वास्ते पेशकरने दस्तावेज या दीगर शैके ॥
९५ जाबिता दरखसूस खतूत और टेलीग्रामके ॥

(बे)—वारंट तलाशी ॥

९६ कब वारंट तलाशी सादिर कियाजासकाहै ॥
९७ वारंटके रोकनेका अख्तियार ॥
९८ तलाशी उसमकानकी जिसमें मालमसरूका या दस्तावेजात जालीवगैरहके रहनेका शुभहहो ॥
९९ कार्रवाई उन अशियाकी निस्बत जो इलाका अख्तियारके बाहर तलाशमें पाईजायें ॥

दफ़ात तमहीद

(जीम)--इनकशाफहाल उन अशखासका जो बतौर बेजा मुक़ीद कियेगयेहों ॥

१०० तलाश उनअशखासकी जोबतौर बेजा मुक़ीदकियेगयेहों ॥

(दाल)--अहकाम आमबाबत तलाशी ॥

१०१ वारंट तलाशी की निस्बत हिदायत वगैरह ॥

१०२ उनलोगों को जो बंदमुकाम के मुहतामिमहों चाहिये कि तलाशी लेनेदें ॥

१०३ तलाशी गवाहों के रूबरूकी जायेगी ॥

उसमुकामका रहनेवाला जिसकी तलाशी लीजाय हाजिर होसक्ताहै ॥

(हे)--मुतफ़र्रिकात ॥

१०४ दस्तावेज वगैरहजो पेशहो उसकेज़ब्तकरनेकाअख्तियार॥

१०५ मजिस्ट्रेट अपने रूबरू तलाशीलिये जानेके लिये हिदायत करसक्ताहै ॥

हिस्साचहारुम ॥

इन्सदाद जरायम ॥

बाब--८ ॥

बाबत जमानत हिफ्ज अमन और नेकचलनी ॥

(अलिफ)जमानत हिफ्जअमन बाद सुबूत जुर्म ॥

१०६ ज़मानत हिफ्ज़अमन बाद सुबूत जुर्मके ॥

(बे)--जमानत हिफ्जअमन बमुकद्दमात दीगर व जमानत नेकचलनी ॥

१०७ जमानत हिफ्जअमन और और सूरतों में ॥

१०८ जाबिता कारखाई उस मजिस्ट्रेटका जो तहतदफा १०७ कारगुजार होनेका अख्तियार नहीं रखताहै ॥

१०९ जमानत नेकचलनी की आवारह गरदों और उन शख्सोंसे जिनपर शुभहहो ॥

दफ़ात तमहीद

बाब—९ ॥

मजमा हाय खिलाफ़ क़ानून ॥

१२७ मजिस्ट्रेट या अहल्कार पुलिस के हुक्म के मुताबिक़ मजमाका मुंतशिर होना ॥

१२८ दीवानीकूवतका इस्तैमालमें लाना मुंतशिरकरनेके लिये॥

१२९ कूवत फौजी का इस्तैमाल में लाना ॥

१३० उसअफ्सर सिपाहका लाज़िमाखिदमत जिसको मजिस्ट्रेट मजमा के मुंतशिर करदेने के लिये कहे ॥

१३१ कमीशन याफ्ता फौजी अफ्सरों का अख्तियार दरबारह मुंतशिर करने मजमा के ॥

१३२ मुमानिअत इरजाअ नालिश बइल्लत उनअफआलके जो हस्ब बाब हाज़ा वकूअमें आयें ॥

बाब—१० ॥

उमूर बाअस तकलीफ़ खलायक ॥

१३३ हुक्म बिलूशर्तवास्ते दफाकरने उमूर बाअसतकलीफके॥

१३४ हुक्मका जारी या मुश्तहर करना ॥

१३५ उस शख्सको उसहुक्म की तामील करनाचाहिये जोउस के नाम सादिर हो—या वह वजह दिखाये या जूरी की इस्तदुआ करे ॥

१३६ अदम तामीलहुक्म मज़कूर का नतीजा ॥

१३७ ज़ाबिता जब वह हाजिरहोकर वजह जाहिर करे ॥

१३८ ज़ाबिता जब वहजूरी के लिये इस्तदुआकरे ॥

१३९ ज़ाबिता जब कि जूरीमजिस्ट्रेटके हुक्मको माकूलसमझे॥

१४० ज़ाबिता जब कि हुक्म नातिककरादियाजाय ॥

उदूल हुक्मी के नतायज ॥

१४१ ज़ाबिता जब कि जूरी न मुकर्रर कीजाय या जूरी अपनी राय जाहिर न करे ॥

बाब–११ ॥

ऋहक़ाम चन्दरोजह बमुकद्दमात जरूरी उमूर बाअ़स तकलीफ़ खलायक ॥

बाब–१२ ॥

तनाज़अ़त बाबत जायदाद ग़ैरमन्कूला ॥

बाब–१३ ॥

पुलिसका अमल इन्सदादी ॥

दफ़ात तमहीद

हिस्सा पंजुम ॥

पुलिसको इत्तिलाअ पहुंचाने और पुलिसके अख्तियारात तफ्तीशका बयान ॥

बाब—१४ ॥

दफ़ात नमहीद

१७० मुकद्दमा मजिस्ट्रेटके पासभेजा जायेगा जबसुबूतकाफीहो॥

१७१ मुस्तगीसों और गवाहोंको अहल्कार पुलिसके साथजाने का हुक्म नहीं होगा ॥

मुस्तगीसों और गवाहोंपर तशद्दुद नहीं कियाजायेगा ॥

नाफ़रमान मुस्तगीस या गवाहको हिरासतमें करके भेज दिया जासक्ताहै ॥

१७२ तफ्तीशकी कार्रवाइयोंका रोजनामचा ॥

१७३ अफ्सर पुलिसकी रिपोर्ट ॥

१७४ पुलिस खुदकुशी वगैरहकी तहकीक़ात और रिपोर्ट करेगा॥

१७५ लोगोंको तलबकरने का अख्तियार ॥

१७६ वजह मर्गकी तहकीक़ात बज़रिये मजिस्ट्रेटके ॥

जमीन खोदकर लाशनिकालनेका अख्तियार ॥

कारर्वाई हाय मुतअल्लिके नालिशात ॥

बाब—१५ ॥

अख्तियारात अदालत हाय फौजदारी दरबारेह

तहकीकात व तजवीज ॥

(अलिफ)--मुकाम तहकीकात या तजवीज ॥

१७७ तहकीकात और तजवीज़ का मामूली मुकाम ॥

१७८ मुख्तलिफ किस्मतहाय सिशनमें तजवीज मुकद्दमातके लिये हुक्मकरनेका अख्तियार ॥

१७९ मुल्जिमकी तजवीज उसजिलामें होसक्तीहै जहां फेल या नतीजा वकूअमें आयाहो ॥

१८० मुकाम तजवीज जबफेल इसवजहसे जुर्म है कि वह और जुर्म से तअल्लुक़ रखता है ॥

१८१ ठगहोना या डाकुओं की किसी जमाअत का शरीक होना याहिरासत से मफरूर होना वगैरह ॥

दफ़ात नमर्होट

तसर्रुफ मुज़रिमाना और खयानत मुजरिमाना ॥
चोरी करना ॥

१८२ तहकीकात या तजवीज़का मुक़ाम जब कि मौक़ा जुर्म ग़ैर-मुतहक्क़िक हो या सिर्फ़ एकज़िला में न हो ॥
या जब जुर्म अलुल्इत्तिसालहोताजाय या चंदअफआल पर मुश्तमिल हो ॥

१८३ जुर्म जब सफर में सरज़दहो ॥

१८४ जरायम बरखिलाफ़ हुक्म ऐक्ट हाय मुतअल्लिक़ै रेलवे और टेलीग्राफ और डाकखाना और इस्लहके ॥

१८५ शुभाहोनेकी सूरतमें हाईकोर्ट ठहरादेगी कि किसजिलामें तहकीकात या तजवीज होनीचाहिये ॥

१८६ सम्मन या वारंट जारी करनेका अख्तियार बइल्लत उस जुर्मके जो इलाका अख्तियारके बाहर वकूअमें आयाहो ॥
गिरफ्तार होनेपर मजिस्ट्रेटका जाबिता काररवाई ॥

१८७ जाबिता जब कि वारंटअजतरफ मजिस्ट्रेट मातहत के जारीहो ॥

१८८ रिआयाय बृटानियाकी माखूजी उनजुर्मोंकी बाबत जो बृटिशइंडियाके बाहर सरजदहों ॥
पोलीटिकल एजंट तसदीक करेगा कि इल्जाम लायक तहकीकात है ॥

१८९ यह हिदायत करने का अख्तियार कि नक़लें गवाहों की इजहारात या दस्तावेजात की वजह सबूतमें मक़बूलहों ॥

१९० "पोलीटिकल एजण्ट,, की तारीफ ॥
(बे)–शरायत जो वास्ते शुरूकरने काररवाईके जरूरहैं ॥

१९१ जुर्मों की समाअत मजिस्ट्रेट के रूबरू ॥

१९२ इन्तकाल मुक़द्दमात मजिस्ट्रेटोंके ज़रियेसे ॥

१९३ समाअत जरायम अदालतहाय सिशनमें ॥

दफ़ात | तमहीद

मुक़द्दमात जिनकीतजवीज़ बज़रिये एडीशनलसिशनजज और जायंट सिशनजजके होगी ॥
बज़रिये असिस्टएट सिशनजजके ॥
१९४ समाअत मुकद्दमा हाईकोर्ट के रूबरू ॥
१९५ नालिश बइल्लत तौहीन अख्तियार जायज मुलाज़िमान सरकारी के ॥
नालिश बइल्लत बाज जरायम नकीज इन्साफ़ आमके ॥
नालिश बइल्लत बाजजरायम मुतअल्लिकउन दस्तावेजात के जो सबूत में दीजायें ॥
किस्म मंज़ूरी की जिसकी जरूरत है ॥
१९६ नालिशबइल्लतउनजरायमकेजोसल्तनतसे मुतअल्लिकहों॥
१९७ जजों और सरकारी मुलाज़िमोंपर नालिशें ॥
गवर्नमेंटका अख्तियार दरखस्तनालिशके ॥
१९८ नालिश बइल्लत नुक्ज मुआहिदै और अजाला हैसियत उर्फी और जरायम मुतअल्लिक अजदवाजके ॥
१९९ नालिश बइल्लत जिनाया फुसला लेजाने किसी औरत-मनकूहाके ॥

बाब--१६ ॥

बाबत इस्तगासा बहुज़ूर मजिस्ट्रेट ॥

२०० मुस्तगीसका इजहार ॥
२०१ जाबिता काररवाई माजिस्ट्रेटका जो समाअतमुकद्दमा का-अख्तियार न रखताहो ॥
२०२ इजराय हुक्मनामा काइल्तवा ॥
२०३ इस्तगासाका डिस्मिसहोना ॥

बाब--१७ ॥

बाबतशुरू काररवाई रूबरूय मजिस्ट्रेट ॥

२०४ इजराय हुक्मनामा ॥

दफ़ात तमहीद

२०५ मजिस्ट्रेट मुल्ज़िम को असालतन् हाज़िर होनेसे मुआफ़ रखसक्ताहै ॥

बाब--१८ ॥

बाबत तहक़ीक़ात मुतअल्लिकेउनमुक़द्दमानके जो अदालतहायसिशन याहाईकोर्ट कीतजवीजके लायक़है ॥

२०६ तजवीज के लिये सिपुर्द करनेका अख्तियार ॥

२०७ ज़ाबिता उनतहक़ीक़ातमें जोक़ब्ल सिपुर्दगीकेहों ॥

२०८ लेनासबूत का जोपेशकियाजाय ॥

हुक्मनामा वास्ते पेश करने सबूत मजीद के ॥

२०९ कबशख्स मुल्ज़िमकी रिहाई होगी ॥

२१० कबफ़र्द करारदाद जुर्म तैयार होगी ॥

फ़र्द मुल्ज़िमको समझाईजायगी और नक़्ल मुल्ज़िमको दी जायगी ॥

२११ सफ़ाई के गवाहों की फ़ेहरिस्ततजवीज के वक्त ॥

फ़ेहरिस्त मज़ीद ॥

२१२ मजिस्ट्रेटकाअख्तियार दरबारहलेने इज़हार वैसेगवाहोंके॥

२१३ हुक्म सिपुर्दगी ॥

२१४ वहशख्स जिसपर प्रेज़ीडंसी शहरोंकेबाहर रअय्यत बृटानिया अहलयूरुपके शामिलइल्ज़ाम लगायाजाय ॥

२१५ सिपुर्दगी तहत दफ़ा २१३ या २१४का मुस्तर्दहोना ॥

२१६ सफ़ाईके गवाहोंको तलबकरना जब कि मुल्ज़िम सिपुर्द कियाजाय ॥

गैरज़रूरी गवाहके तलबकरनेसे इन्कारकरना इल्ला जब कि रुपया अमानतकरदियाजाय ॥

२१७ मुस्तग़ीसों और गवाहोंके मुचलिके ॥

हिरासतमेंरखना जबकि हाज़िरहोने यामुचलिकादेने से इन्कारकियाजाय ॥

दफ़ात तमहीद

२१८ सिपुर्दगीकी इत्तिला कब दीजायगी ॥
फर्दकरारदाद जुर्मवगैरह हाईकोर्ट या अदालत सिशनमें भेजदियाजायगा ॥
अंगरेजी तर्जुमा हाईकोर्टमें भेजदियाजायगा ॥
२१९ गवाहान मजीदके तलबकरनेका अख्तियार ॥
२२० दौरान तजवीजमें मुल्ज़िमको हिरासतमें रखना ॥

बाब--१९॥

बाबत फर्दकरार व जुर्मके नमूना हाय फर्दकरारदादजुर्म,

२२१ फर्द क़रारदाद जुर्ममें जुर्म लिखाजायगा ॥
जुर्मका खास नामबयान काफीहोगा ॥
जबजुर्मकाकोई खासनामनहोतो क्योंकरबयानहोगा ॥
फर्द करारदाद जुर्मसे कनायतनक्या मफहूमहोगा ॥
फर्द करारदाद जुर्म किसजबानमें होगी ॥
कबसजायाबी साबिककी तसरीह कीजायगी ॥
२२२ तफ्सील बाबत वक्त और मौक़ा और शख्सके ॥
२२३ कबइर्त्तिकाब जुर्मके तौरका बयानकरना जरूर है ॥
२२४ फर्दकरारदाद जुर्मके अल्फाजके मानी उसकानूनके मानों के मुवाफिक समझेजायँगे जिसकी रूसे वह जुर्म लायक सजाहो ॥
२२५ गल्तियोंका असर ॥
२२६ जाबिता सिपुर्दहोनेपर बिदून फर्द क़रारदाद जुर्मके या बजरिये नाक़िस फर्दक़रारदाद जुर्मके ॥
२२७ फर्द करारदाद जुर्मको अदालत तब्दीलकरसक्तीहै ॥
२२८ कबबाद तब्दीलके तजवीज फौरन अमलमें आसक्ती है ॥
२२९ कब तजवीज जदीदका हुक्मदियाजासक्ताहै या तजवीज मुल्तवी रहसक्तीहै ॥
२३० मुकद्दमा का मुल्तवीरहना अगर तब्दीलशुदह फर्द करार-

दफ़ात तमहीद

दाद जुर्ममें उसजुर्मकी बाबत नालिशकरनेके लिये पेश्तर मंजूरी दरकार हो ॥

२३१ गवाहों को फिर तलब करना जब कि फर्द करारदाद जुर्म तब्दील कीजाय ॥

२३२ संगीन गलती की तासीर ॥

चन्द इल्जामातका शमूल ॥

२३३ अलाहिदा२ फर्दकरारदाद जुर्महरजुर्म जुदागानाकीबाबत॥

२३४ जब तीन जुर्म एकहीकिस्म के एकसाल के अन्दर वकूअमें आयें तो उनकाइल्जाम एक शामिल आयदकियाजायगा ॥

२३५ १—एकसे जियादह जुर्मों की बाबत तजवीज ॥

२--वह जुर्म जो दोतारीफों के अंदर आये ॥

३--वह अफआल जो एक जुर्महों मगर उनका मजमूआ दूसरा जुर्महो ॥

२३६ जब कि मुश्तबह हो कि कौनसा जुर्म सरजद हुआहै ॥

२३७ जब कि किसी शख्स पर एक जुर्मका इल्जाम लगायाजाय तो उसको दूसरे जुर्मका मुजरिम ठहराया जासक्ता है ॥

२३८ जबकि वह जुर्म जो साबित हुआ है उस जुर्ममें शामिल हो जिसका इल्जाम लगाया गयाहै ॥

२३९ किन किन शख्सोंपर बिलइश्तराक इल्जाम लगाया जासक्ता है ॥

२४० चंद इल्जामोंमेंसे एक इल्जामपर मुजरिम ठहरनेपर बाकी इल्जामों से दस्तबरदार होना ॥

बाब--२० ॥

तजवीज मुकद्दमातकाबिल इजरायसम्मन मारफ़त मजिस्ट्रेटान ॥

२४१ मुकद्दमात काबिल इजराय सम्मनमें जाबिता ॥

२४२ इल्जामका मजमून बयानकर दिया जायगा ॥

२४३ इल्जामके सही होनेके अकबाल पर सुबूतजुर्म ॥

बाब--२१ ॥

तजवीज़ मुकद्दमात काबिल इजराय वारंट बहुजूर मजिस्ट्रेट ॥

बाब--२२ ॥

बाबत तजवीज सरसरी ॥

दफ़ात तमहीद

२६१ उनमजिस्ट्रेटोंके बेंचको अख्तियार अताकरना जिनको कमतर अख्तियार बख्शा गयाहै ॥

२६२ मुकद्दमात लायक इजराय सम्मनमें और मुकद्दमात लायकइजराय वारंटमें जाब्ता जो मुतअल्लिक होसकेगा॥

कैदकी हद ॥

२६३ रिकार्ड उन मुकद्दमातमें जिनका अपील न हो ॥

२६४ रिकार्ड उन मुकद्दमातमें जो लायक अपीलहों ॥

२६५ रिकार्ड और तजवीज किस जबान में लिखीजायेगी ॥

क्लार्कके मामूरकरनेकेबेंचको अख्तियारदियाजासक्ताहै ॥

बाब--२३ ॥

बाबत तजवीज मुकद्दमात बहुजूर हाईकोर्ट और अदालत सिशन ॥

(अलिफ)–इब्तिदाई ॥

२६६ हाईकोर्ट की तारीफ ॥

२६७ हाईकोर्टके रूबरू तजवीजात बजरिये जूरी के होंगी ॥

२६८ अदालत सिशनकेरूबरू तजवीजात बजरियेजूरी या बशिरकत असेसरोंकेहोंगी ॥

२६९ लोकल गवर्नमेण्ट हुक्मकरसक्ती है कि अदालत सिशन के रूबरू तजवीजात बजरिये जूरीके हों ॥

२७० हरमुकद्दमा में नालिशकी कारखाई मारफत किसी पैरोकार सरकारी के होगी ॥

(बे) आगाज कारखाई ॥

२७१ शुरूअ तजवीज ॥

जवाब मुशअर मुजरमियत ॥

२७२ जवाब देने से इन्कार करना या तजवीज किये जाने का दावाकरना ॥

एकहीजूरी याएकही जमाअत असेसरानकेजरियेसे चन्द मुल्जिमोंकीतजवीज यकेबाद दीगरे अमलमेंआसक्तीहै॥

दफात तमहीद

२७३ फर्द करारदाद जुर्म में इल्जाम गैरकाबिल सुबूतका मुंदर्ज होना ॥

इन्दराज की तासीर ॥

(जीम)—बाबत इन्तिखाबजूरी ॥

२७४ अहालीजूरीकी तादाद ॥

२७५ जूरी वास्ते तजवीज उन अशखास के अदालत सिशनके रूबरू जो अहल यूरुप या अहल अमरीका न हों ॥

२७६ अहालीजूरी बजरिये कुरआ अन्दाजी के मुंतखिब किये जायेंगे ॥

मौजूदह तरीकेका बरकरार रहना ॥

जो अशखास तलब न कियेजायें वह कब मुस्तहकहोंगे ॥

खास अहालीजूरीके रूबरू तजवीजात ॥

२७७ अहालीजूरीके नाम पुकारेजायेंगे ॥

अहालीजूरीकी निस्बत एतराज ॥

एतराज बिला पेशकरने वजूहके ॥

२७८ एतराजकी वजूहात ॥

२७९ एतराजका फैसला ॥

उस अहलजूरीकी जगहपर जिसकी निस्बत एतराजाकिया जाय औरशख्सका मामूरहोना ॥

२८० अहालीजूरीका मीरमजालिस ॥

२८१ अहालीजूरीको हलफदेना ॥

२८२ जाबिता जबकि अहलजूरी हाजिरी मौकूफकरे वगैरह ॥

२८३ कैदीकी बीमारीकी सूरतमें जूरीको रुख्सतकरदेना ॥

(दाल)—इन्तिखाब असेसरान ॥

२८४ असेसरान क्योंकर मुन्तखिब कियेजायेंगे ॥

२८५ जाबिता जबकि असेसर हाजिर न होसके ॥

२८६ शुरू पैरवी इस्तगासा ॥

दफात नमर्हीद

गवाहोंका इजहार ॥

२८७ मजिस्ट्रेट के रूबरू इजहार शख्स मुल्जिम का वजह सुबूत होगा ॥

२८८ तहकीकात इब्तिदाईमें जोशहादत गुजरे वहमकबूलहोगी॥

२८९ जाबिता बाद इजहार गवाहान जानिबमुस्तगीसके ॥

२९० जवाब ॥

२९१ मुल्जिम का इस्तेहकाक दरखसूस इजहार और तलबी गवाहों के ॥

२९२ पैरोकार नालिश का हक़ जवाब ॥

२९३ अहालीजूरी या असेसरों का मुआयनाकरना ॥

२९४ अहलजूरी या असेसर का इजहार लियाजाना ॥

२९५ जूरी या असेसरों का उस इजलासमें हाजिर होना जिसपर तजवीज मुल्तवीरहे ॥

२९६ अहालीजूरी को वंद रखना ॥

(दाल) खातिमा तजवीजका उन मुकद्दमात में जो बजरिये जूरी के तजवीजहों ॥

२९७ जूरी को मुतनब्बाकरना ॥

२९८ साहब जज का लाजिमा खिदमत ॥

२९९ जूरी का लाजिमा खिदमत ॥

३०० गौरकरनेके लिये अलाहिदाबैठना ॥

३०१ रायका सुनाना ॥

३०२ जाबिता जबकि अहालीजूरीके दरमियान इख्तिलाफहो॥

३०३ हरहर इल्जाम की बाबत राय दीजायेगी और हाकिम जूरी से सवाल करसक्ताहै ॥
सवाल और जवाब कलम्बन्द कियेजायँगे ॥

३०४ रायका तरमीम करना ॥

३०५ राय हाईकोर्ट में कबगालिब रहेगी ॥

दफ़ात तमहींद

औरसूरतों में जूरीको रुखसतकरदेना ॥

३०६ अदालत सिशनमें कबरायगालिब रहेगी ॥

३०७ जाबिता जबकि सिशन जज रायसे इख्तिलाफ रखताहो ॥

(ज़े)तजवीजमुकर्रमुल्जिमकीबादरुखसतहोनेअहालीजूरीके॥

३०८ तजवीज मुकर्रर मुल्जिम की बादरुख्सत होनेजूरीके ॥

(हे)इख्तताम तजवीज उनमुकद्दिमातका जिनमें तजवीज बअआनतअसेसरोंकेहो ॥

३०९ असेसरों की रायोंका सुनाया जाना ॥

तजवीज ॥

(तो)काररवाई उससूरत में जब मुल्जिम परकोई जुर्म पहले साबित हो चुकाहो॥

३१० काररवाई उससूरतमें जबमुल्जिम पर कोई जुर्म पहिले साबित होचुकाहो ॥

(ये)फेहरिस्त अहालियानजूरी मुतअल्लिकैहाईकोर्टऔरतल्बीअशखास जूरीकी उसअदालतमें ॥

३११ अहाली जूरीकीकिताब , खासजूरीकीबरीयत ॥

३१२ अहाली जूरीखासकीतादाद ॥

३१३ आमऔर खास जूरी की फेहरिस्तें ॥

फेहरिस्त तैयार करनेवाले ओहदेदारका अख्तियार ॥

३१४ फेहरिस्तहाय मरतबा व मुसह्हका मुश्तहरहोना ॥

३१५ अहाली जूरीकी तादाद जो बलदह प्रेजीडंसी में तलब किये जायँगे ॥

तलबीजायद ॥

३१६ बलादप्रेजीडंसी के बाहर अहालीजूरीको तलबकरना ॥

३१७ अहाली जूरी फौजी ॥

३१८ अहाली जूरी का ना हाजिर होना ॥

[काफ]बाबत तरतीब फेहरिस्त अहालीजूरी व असेसरान

बाब २४ ॥

शरायत आम बाबत तहक़ीक़ात व तजवीज मुक़द्दमा ॥

३३७ शरीक जुर्म की मुआफ़ी का वादा ॥

३३८ वादा मुआफ़ीके हिदायत करने का अख्तियार ॥

३३९ सिपुर्दगीउसशख़्सकीजिसकेसाथवादामुआफ़ीकियागयाहो॥

३४० मुलज़िमकाअख्तियारदरख्वस्तजवाबदेहीमारफ़तवकीलके॥

३४१ जाबिताजबकि मुलज़िम काररवाई को न समझे ॥

३४२ मुलज़िमके इज़हार लेनेका अख्तियार ॥

३४३ अफ़शाय अम्रकराने के लिये कोईदबाव न डालाजाय ॥

३४४ काररवाईके मुलतवी रखने का अख्तियार ॥

हिरासतमें भेजनेकाहुक्म ॥

माक़ूलवजह फिर हिरासतमें भेजनेकी ॥

३४५ वह जरायम जिनकी बाबत राज़ीनामा होसकाहै ॥

३४६ जाबिता मजिस्ट्रेटमुफ़स्सिलका उनमुकद्दमातमें जोवहफ़ैसलनहीं करसक्ता है ॥

३४७ जाबिता जबकि बादशुरूअतहक़ीक़ात यातजवीजके मजिस्ट्रेटसमझे किमुकद्दमाको सिपुर्द अदालतआला करनाचाहिये॥

३४८ तजवीज उनशख़्सों की जो पेश्तर उनजुर्मों के मुजरिम ठहर चुकेहों जो सिक्कहसाज़ी याकानून इस्टाम्प याजायदाद के मुतअल्लिकहों ॥

३४९ जाबिता जब कि मजिस्ट्रेट सख्ततर सज़ा जो काफ़ीहो सादिर न करसक्ता हो ॥

३५० सबूत जुर्म या सिपुर्दगी मुक़द्दमा उस शहादत पर जिसका एक हिस्सा एक मजिस्ट्रेटने और दूसरा हिस्सा दूसरे ने लिखा हो ॥

३५१ रोकरखना उन मुलज़िमोंको जोअदालतमें हाज़िरहों ॥

३५२ अदालतें खुलीहुई होंगी ॥

दफ़ात तमहीद

बाब २५ ॥

बाबत तरीका लेने और क़लमबद करने शहादत के ॥

मुक़द्दमातकी तहक़ीक़ात और तजवीज़में ॥

बाब २६ ॥

बाबत तजवीज के ॥

दफात नम्बर ...

मजामीन तजवीज ॥

तजवीजअलस्सबीलुल् बदलियत ॥

३६८ हुक्म सजायमौत ॥

हुक्म सजाय हब्स बउबूर दरियायशोर ॥

३६९ अदालत तजवीज को तब्दील न करसकेगी ॥

३७० प्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेटकी तजवीज ॥

३७१ मुलजिमको तजवीज समझा दी जायगी ॥

उसशख्सकी सूरतमें जिसकी निस्बत हुक्मसजाय मौत सादिरहुआहो ॥

३७२ तजवीजकाकब तर्जुमाकिया जायगा ॥

३७३ अदालत सिशनतजवीज और हुक्म सजाकी नकलमजिस्ट्रेटकेपासभेजदेगी ॥

बाब २७ ॥

बाबततरसील अहकाम सजाय गरजबहाली अदालत आलामें ॥

३७४ हुक्म सजाय मौत अदालतसिशनमुरसिल करेगी ॥

३७५ हिदायतकरनेका अख्तियार कितहकीकात मजीदकीजाय या शहादत मजीद लीजाय ॥

३७६ अख्तियार हाईकोर्टकादरबारह बहाल रखने हुक्मसजाके या मंसूखकरने उसतजवीजके जिसकी रूसे जुर्मसाबित करारपायाहो ॥

३७७ बहाली हुक्म सजा या नये हुक्मसजापर दो जजके दस्तखतहोंगे ॥

३७८ जाबिताइख्तिलाफरायकी सूरतमें ॥

३७९ जाबिता उनमुकद्दमात में जो बहालीके लियेहाईकोर्ट में पेशहों ॥

३८० असिस्टंट सिशनजज या मजिस्ट्रेट कारगुजार तहत दफा ३४ केहुक्म सजाकी बहाली ॥

दफ़ात तफ़सील

बाब २८ ॥

बाबत तामील अहकाम सजा ॥

३८१ तामिल हुक्म जो हस्बदफा ३७६ सादिरहो॥
३८२ इल्तवायहुक्मसजायमौत जोहामिलाऔरतपरसादिरहो॥
३८३ औरसूरतोंमें हुक्म सजायहब्स बउबूर दरियायशोर या कैदकीतामील ॥
३८४ वारंट बगरजतामील किसके नाम लिखाजायेगा ॥
३८५ वारंटकिसके हाथ में दियाजायेगा ॥
३८६ वारंट बगरज वसूल जुर्मानाके ॥
३८७ वैसे वारंट का असर ॥
३८८ हुक्म सजाय कैदकी तामिल का इल्तवा ॥
३८९ किसके हुक्मसे वारंट जारी कियाजासकाहै ॥
३९० सिर्फ हुक्म सजाय ताजियानाजनी की तामील ॥
३९१ हुक्म सजायताजियाना जनीबाजदियाद कैदकीतामील॥
३९२ सजादेनेका तरीका ॥
तादाद ज़रबकी हद ॥
३९३ बदफ़आत तामील न की जायेगी ॥
मुस्तसनियात ॥
३९४ ताजियानाजनी अमल में नहीं आयेगी अगर मुजरिम तन्दुरुस्त न हो ॥
तामीलकी मौकूफी ॥
३९५ जाबिता अगर सजा हस्ब दफा ३९४ अमलमें न आये ॥
३९६ मुजरिमान फरारीपर हुक्म सजाकी तामील ॥
३९७ हुक्म सजा उसमुजरिमकी निस्बत कि जिसकी निस्बत किसी और जुर्म की इल्लत में हुक्म सजा सादिर हो चुकाहो ॥
३९८ दफ़आत ३९६ व ३९७ का महफूज रहना ॥

दफ़ात तमहीद

दफात तमहीद

४२९ जाबिता जबकि अदालत अपील के हुक्काम व तादाद मसावी मुख्तलिफुलआराहों ॥
४३० अपील में अहकाम का नातिक होना ॥
४३१ अपीलों का साकित होजाना ॥

बाब ३२॥

बाबत इस्तसवाब और नजरसानी ॥

४३२ प्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेट का इस्तसवाब रायहाई कोर्ट से ॥
४३३ इनफिसाल मुकद्दमा मुताबिक फैसला हाईकोर्ट के ॥ हिदायतें दरबाब खर्चा के ॥
४३४ उनउमूरके मुल्तवी रखने का अख्तियार जो हाईकोर्ट के अख्तियारात सिगेइब्तिदाईकेअमलमें लातेवक्तपैदाहों ॥ जाबिता जबकिकिसीबहसकातसफिया मौकूफरक्खाजाय॥
४३५ अदालतहायमातहतकीमिसलोंके तलबकरनेकाअख्तियार
४३६ हुक्म सिपुर्दगी का अख्तियार ॥
४३७ हुक्मतहकीकात सादिरकरने का अख्तियार ॥
४३८ हाईकोर्टको रिपोर्ट करना ॥
४३९ हाईकोर्ट केअख्तियारात दरबारह नजरसानी के ॥
४४० फरीकैन के उजरातकी समाअत अदालत की मरजीपर मौकूफ है ॥
४४१ प्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेट का बयान जिसमें उसके फैसलेकी वजूह रहेगी और उसपर हाईकोर्ट गौर करैगी ॥
४४२ हाईकोर्ट के हुक्मका सर्टीफिकट अदालत मातहत या मजिस्ट्रेट को दिया जायगा ॥

दफात तम्हीद

हिस्सा हफ्तुम ॥

काररवाई हाय खास ॥

बाब ३३ ॥

काररवाईसीगे फौजदारी बमुकाबिले अहलयूरुप और अहल अमरीका ॥

४४३ साहबान मजिस्ट्रेट उन इलजामोंकी तहकीकात और तजवीजकरैंगे जो रिआयाय बृटानिया अहल यूरुपपरलगायेजायँ ॥

४४४ सिशनजज रैयत बृटानिया अहलयूरुप होगा-- असिस्टंट सिशनजज तीन बरसतक ओहदेपर रहा हो और उसको खास अख्तियार मिलाहो ॥

४४५ समाअत उस जुर्मकी जो रैयत बृटानिया अहल यूरुप से सरजद हो ॥

४४६ एहकाम सजा जो साहबान मजिस्ट्रेट मुफस्सिल सादिर करसक्तेहैं ॥

४४७ मुलजिम कबअदालत सिशनमें और कबहाईकोर्टमें सिपुर्द कियाजायगा ॥

४४८ उन जुर्मों की तजवीजजिनमेंसे एक जुर्म लायक सजाय मौत या हब्स दवाम बउबूर दरियायशोरके हो और बाकी जरायम उस सजाके लायक नहों ॥

४४९ वह एहकाम सजाजो अदालत सिशनसादिर करसक्तीहै॥ जाबिता जबकि सिशनजज अपने अख्तियारात को गैर काफी पाये ॥

४५० [मंसूख]

४५१ जूरी या असेसरान हाईकोर्ट याअदालत सिशनकेरूबरू॥

४५१ (अलिफ) मजिस्ट्रेटजिलाके रूबरूरैयत बृटानियाअहल यूरुपका हकदर बारेहतलब करने जूरी के ॥

दफ़ात तमहीद

४५१ [बे] बाज सूरतों में इंतकाल दूसरी अदालतोंमें ॥
४५२ तजवीज रैयत बृटानियाअहल यूरुप औरदेसी आदमीकी जबकिदोनोंबिलइश्तराक माखूजहों ॥
कबदेसी आदमी जुदागाना तजवीजका दावाकरसक्ताहै॥
४५३ जाबिता जबकि किसी शख्स का दावा होकि उसके साथरअय्यतबृटानिया अहलयूरुपकीतरह मुदारातकीजाय ॥
४५४ हैसियत का दावा न करने से उस दावा से दस्तबरदार होना लाजिम आयेगा ॥
४५५ तजवीज तहत बाब हाजा उस शख्स की निस्बत जो रअय्यतबृटानिया अहल यूरुप नहीं है ॥
४५६ उस रअय्यत बृटानिया अहल यूरुप का जिसको बतौर नाजायज हिरासत में रक्खागयाहो यह हक कि वह वास्ते इस हुक्म के दरख्वास्त करे कि उसको हाई कोर्ट के हुजूर हाजिर कियाजाय ॥
४५७ जाबिता मुतअल्लिक वैसी दरख्वास्तके ॥
४५८ वह मुमालिक जिनके अन्दर हाई कोर्ट वैसे अहकाम सादिर करसक्ती है ॥
४५९ उन ऐक्टों की ताल्लुक पिजीरी जिनकी रूसे मजिस्ट्रेट या अदालत हाय सिशन को अख्तियार समाअत बख्शा जाता है ॥
४६० जूरी वास्ते तजवीज अशखास अहल यूरुप या अहल अमरीकाके ॥
४६१ जूरी जबकि अहल यूरुप या अहल अमरीका पर बशिरकतकिसी शख्स गैर कौमके इल्जामलगाया जाय ॥
४६२ हस्ब दफा ४५१ या ४५१ (अलिफ) या ४५१ (बे) या ४६० अहाली जूरी को तलब करना और उनकी फेहरिस्त इस्मा मुरत्तिब करनी ॥

दफात तमहीद

४६३ कारखाई नालिशात फौजदारी बमुकाबिले रिआयाय खुदमुख्तार रियासत हाय देसी के जो रिआयाय बर्तानिया अहले यूरुप ॥

बाब--३४ ॥

अशखास फातिरुल अक्ल ॥

४६४ जाबिता जिस सूरतमें मुल्जिम मजनूनहो ॥

४६५ जाबिता जबकि वह शख्स जो अदालत सिशन या हाई-कोर्ट में सिपुर्द हुआहो मजनून हो ॥

४६६ रिहाई मजनून की या दौरान तफ्तीश या तजवीज के मजनून की हिरासत ॥

४६७ तहकीकात या तजवीज का फिर शुरूअ करना ॥

४६८ जाबिता जबकि मुल्जिम मजिस्ट्रेट या अदालत के रूबरू हाजिर हो ॥

४६९ जबकि मालूमहो कि मुल्जिम गैर सहीहुल्अक्ल था ॥

४७० जुर्म से बरीहोनेका फैसला बरबुनियाद जनूनके ॥

४७१ जिस शख्स को उस बुनियाद पर बरी कियाजाय उसको हिरासत काफी में रक्खाजायेगा ॥

४७२ मजनून कैदियोंको इन्स्पेक्टर जनरल मुआयनाकरेगा ॥

४७३ जाबिता जबकि रिपोर्टहो कि मजनून कैदी अपनी जवाब-दिही करने के काबिल है ॥

४७४ जाबिता जबकि उसमजनूनकी निस्बत जो हस्बदफा४६६ या ४७१ कैदमें हो यह इजहार कियाजाय कि वह रिहाई पाने के काबिल है ॥

४७५ कराबतदार की हिफाजत में मजनून का हवाला करना ॥

४७५ (अलिफ)--जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसल का मजनूनान मुजरिम को जो लोकल गवर्नमेराटके हुक्मसे क़ैदहों एक सूबासे दूसरे सूबामें तब्दील करने की बाबत अख्तियार ॥

दफात | तमहीद

४७५ (बे) इन्स्पेक्टर जनरल को बाज खिदमातसे सुबुकदोश करनेके बाबमें लोकलगवर्नमेण्टका अख्तियार ॥

बाब—३५ ॥

कार्रवाई मुतअल्लिका बाज जरायम जो अदालत गुस्तरी में मुखिल हों ॥

४७६ जाबिताउनसूरतोंमें जिनकी तसरीहदफा१९५मेंकीगईहै॥

४७७ अख्तियार अदालत सिशन का दरखसूस वैसे जरायम के जो उसके रूबरू सरजद हों ॥

४७८ अदालतहाय दीवानी व मालका अख्तियार दरबारह मुकम्मिल करने तहकीक़ात और सिपुर्द करने मुकद्दमे के हाईकोर्ट या अदालत सिशनमें ॥

४७९ जाबिता अदालत दीवानी या मालका वैसे मुकद्दमातमें ॥

४८० जाबिता बाज मुकद्दमात तौहीनमें ॥

४८१ रिकार्ड वैसे मुकद्दमात में ॥

४८२ जाबिता जब कि अदालत समझे कि मुक़द्दमा की निस्बत हस्बदफा ४८० कारबन्द न होनाचाहिये ॥

४८३ कब रजिस्टरार या सब रजिस्टार हस्बमुराद दफात ४८० व ४८२ अदालत दीवानी समझा जायगा ॥

४८४ हुक्म बजालाने या माजरत करनेपर मुजरिम कीरिहाई ॥

४८५ किसी शख्सकी कैद या सिपुर्दगी जब कि वह जवाबदेने से या दस्तावेज पेश करनेसे इन्कार करे ॥

४८६ मुकद्दमात तौहीनमें करारदादजुर्मकी नाराजीसे अपील ॥

४८७ बाज जज और मजिस्ट्रेट जरायम मुतजक्किरै दफा १९५ की तजवीज न करसकैंगे जब कि वह उनके रूबरू सरजदहों ॥

बाब—३६ ॥

ज़ोजातवइत्तिफ़ालकीपरवरिश ॥

४८८ हुक्म वास्ते परवरिश जौजा या औलादके ॥

दफ़ात तम्हीद

हुक्मकी बिल्जब्र तामील ॥

शर्तें ॥

४८९ कफाफ में तब्दील ॥

४९० हुक्म परवरिश कीबिल्जब्र तामील ॥

बाब--३७ ॥

हिदायात मिन्क़बील परवाना गिरफ्तारी मौसूमा हेबियस कारपिस ॥

४९१ अख्तियार इजराय हिदायात मिन्क़बील परवाने हैबियस कारपिसके ॥

हिस्सा नहुम ॥

शरायत मोहतमिम ॥

बाब--३८ ॥

बाबत पैरोकार मिन्जानिब सर्कार ॥

४९२ पैरोकार मिन्जानिब सर्कार मुक़र्रर करनेका अख्तियार ॥

४९३ पैरोकार मिन्जानिब सरकार जुम्ला अदालतों में उन मुकद्दमात में बहसकरसकेगा जो उसके सिपुर्द हों ॥ और वह वकला जिनको खानगी तौरपर मुकर्रर कियाजाय पैरोकार मजकूर के जेरहिदायत रहेंगे ॥

४९४ नालिशसे दस्तबरदार होने की तासीर ॥

४९५ पैरवी मुकद्दमात की इजाजत ॥

बाब--३९ ॥

बाबत हाजिर जामिनी ॥

४९६ जुर्म काबिल जमानतकी सूरतमें जमानत लीजासक्ती है ॥

४९७ जुर्म गैर काबिल जमानत की सूरत में कब जमानत लीजासक्ती है ॥

४९८ जमानत पर रिहाहोने या तादाद जमानत के कम करदेने की हिदायत ॥

दफ़ात तमहीद

बाब--४० ॥

बाबत इजराय कमीशनवास्ते कलम्बन्दी इजहार गवाहानके ॥

बाब--४१ ॥

कवाअद खास मुतअल्लिके शहादत ॥

बाब--४२ ॥

शरायत बाबत मुचल्का व जमानत नामा ॥

दफ़ात तफ़्सील

५१५ अहकाम तहत दफ़ा ५१४ का अपील और उनकी नज़र-
सानी ॥

५१६ यह हिदायत करने का अख्तियार कि बाज़ मुचल्कों के
रुपये वसूल कियेजायें ॥

बाब-- ४३ ॥

बाबत तसर्रुफ माल ॥

५१७ हुक्म दरबारह तसर्रुफ उस माल के जिसकी बाबत जुर्म
सरज़द हुआ हो ॥

५१८ हुक्म मुशअर इसके कि माल मजिस्ट्रेट ज़िला या मजि-
स्ट्रेट हिस्सा ज़िला को हवाले कियाजाय ॥

५१९ मुल्ज़िम के पास से जो रूपिया मिले वह बेकसूर खरी-
दारको दिया जायेगा ॥

५२० इल्तवाय हुक्म हस्ब दफ़ा ५१७ या ५१८ या ५१९ के ॥

५२१ शिकायत आमेज़ मज़ामीन और दीगर चीज़ों का ज़ाया
करदेना ॥

५२२ जायदाद ग़ैरमन्कूलापर फिर कब्ज़ादिलानेका अख्तियार॥

५२३ ज़ाबिता पुलिस जबकि ऐसामाल गिरफ्तार किया जाय
जो हस्ब दफ़ा ५१ लियागया हो या चोरी हुआहो ॥
ज़ाबिता जबकि माल गिरफ्तार शुदह का मालिक ग़ैर
मालूम हो ॥

५२४ ज़ाबिता जब कि कोई दावेदार ६--छः महीना के अन्दर
हाज़िर न हो ॥

५२५ जल्द ज़ायाहोनेवाले माल के बेचने का अख्तियार ॥

बाब--४४ ॥

बाबत इन्तक़ाल मुक़द्दमात फौजदारी ॥

५२६ हाईकोर्ट मुक़द्दमा मुन्तक़िल करसक्ती है या खुद उसकी
तजवीज़ करसक्ती है ॥

पैरोकार जानिब सरकार को दरख्वास्त तहत दफा हाजा की इत्तिलाअ ॥

५२६ (अलिफ)दरख्वास्त तहत दफा५२६की बिनाबरइत्तला ॥

५२७ न०वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसल का अख्तियार फौजदारी मुकद्दमों और अपीलोंके खसूसमें॥

५२८ मजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेट हिस्सा जिला मुकदमात अपने पास उठालेसक्ताहै याकिसी और मजिस्ट्रेटके सिपुर्द करसक्ता है ॥

मजिस्ट्रेट जिलाको इसबातके अख्तियार देनेका अख्तियार कि बाज इकसाम मुकद्दमातको अपनेपास उठाले ॥

बाब—४५ ॥

५२९ वह बेजाब्तगियांजिनसे काररवाइयां बातिलनहींहोती हैं॥

५३० वह बेजाब्तगियां जिनसे काररवाइयां बातिलहोजायेंगी ॥

५३१ काररवाई गलत जगह में ॥

५३२ कब खिलाफ जाब्ता सिपुर्दगियां सही होसक्ती हैं ॥

५३३ दफा १६४ या दफा ३६४के अहकामका अदमतामील॥

५३४ वह इस्तिफ्सार न करना जो दफा ४५४ की जिम्न २ की रूसे मुकर्रर किया गया है ॥

५३५ फर्द करारदाद जुर्मके न तैयार करनेका असर ॥

५३६ उसजुर्म की तजवीज बजरिये जूरी के जिसकी तजवीज बआनत असेसरों के होनीचाहिये ॥

उसजुर्म की तजवीज बअआनत असेसरों के जिसकी तजवीज बजरिये जूरी के होनीचाहिये ॥

५३७ तजवीज या हुक्मसज़ा कब बवजह गलती या तर्क किसी शै के फर्द करारदाद जुर्ममें या दीगर काररवाईमें काबिल मंसूखी है ॥

५३८ कुर्की नाजायज नहीं है या कुर्क करनेवाला मदाखिलत

दफ़ात तमहीद

बेजा करनेवाला नहीं है बुबाअस लुकस या खिलाफ न-
मूना होने के किसी कारखाई में ॥

बाब--४६ ॥

मुतफ़र्रिक़ात ॥

५३९ वह अदालतें और असखास जिनकेरूबरू इजहारात हल्फ़ी
कराये जायँगे ॥

५४० जरूरी गवाहके तलब करनेका या शख्स हाजिरके इज-
हार लेनेका अख्तियार ॥

५४१ मुकाम कैदके मुकर्रर करनेका अख्तियार ॥

५४१ (अलिफ) ऐसे अशखास मुल्जिम या मुजरिम को फौज-
दारी जेलमें भेजना जो किसी दीवानी जेलमें मुक़ीदहों ॥
उनको फिर दीवानी जेलमें भेजना ॥

५४२ मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी का अख्तियार दरखास्त सादिरकरने
इसहुक्म के कि जेलखाने का कैदी वास्ते इजहार देने के
हाजिर किया जाय ॥

५४३ तर्जुमान को तर्जुमा रास्त रास्त बयान करना लाजिमहै ॥

५४४ मुस्तगीसों और गवाहों के अखराजात ॥

५४५ अदालतका अख्तियार दरबारहदिलाने अखराजात याम-
आविजाके जुर्मानासे ॥

५४६ जो रुपये अदाकियेजायँ उनकालिहाज नालिश माबाद
में कियाजायगा ॥

५४७ वहरुपये जिनके अदाकरनेका हुक्महो मिस्ल जुर्माना के
वसूल किये जायँगे ॥

५४८ रूबकारी मुकद्दमा की नकूल ॥

५४९ उनलोगोंको हुक्काम फौजी के हवालेकरना जिनकीतज-
वीजबजरिये कोर्ट मारशल के होनी चाहिये ॥
वैसेलोगों की गिरफ्तारी ॥

दफ़ात तमहीद

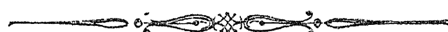
५५० बड़ेदरजेके ओहदे दारान पुलिसके अख्तियारात ॥
५५१ भगाईहुई औरतोंको जबरन् हवालेकरानेका अख्तियार ॥
५५२ मआविजा उन अशखास को जिनको बलदेह प्रेजीडेंसीमें
बिला वजह सिपुर्द हवालात कियाजाय ॥
५५३ सनद शाहीकी रूसे मुकर्रर कीहुई हाईकोर्टोंका अख्तियार
कि अदालतहाय मातहतकी मिस्लों के मुआयने के लिये
कवायद वजाकरें ॥
और २ हाईकोर्टोंका अख्तियार दरबाब वजाकरने कवाअद
वास्ते दीगर गरजों के ॥
५५४ नमूने ॥
५५५ वहमुकद्दमे जिसमें जज या मजिस्ट्रेट गरजजाती रखताहो॥
५५६ अख्तियार दरबारह फैसल करने इस अम्रके कि कौनसी
ज़बान अदालतों की जबान होगी ॥
५५७ जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसल
और लोकल गवर्नमेएट के अख्तियारात वक्तन् फवक्तन्
अमल में आसकेंगे ॥
५५८ मुकद्दमात दायर ॥
५५९ ओहदे दारान मुतअल्लिक़ नीलाम न जायदाद को खरीद
सके और न उसके लिये बोली बोलसकेहैं ॥

जमीमा—१— कवानीन मंसूखा ॥
जमीमा—२— नक्शा जरायम ॥
जमीमा—३— अख्तियारात मामूलीसाहबान मजिस्ट्रेटमुफस्सिल
जमीमा—४— अख्तियारात जायद जो साहबान मजिस्ट्रेट मुफ-
स्सल को अताहो सके हैं ॥
जमीमा—५—नमूनजात ॥

* ऐक्ट नम्बर १० बाबत सन् १८८२ ई० ॥

(१५-सितम्बर सन् १८८९ ई० तक की तरमीमों के साथ)

जारीकियाहुआ जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर हिन्द बइजलास कौंसल का ॥



(६-मार्च सन् १८८२ ई० को जनाब मुहतशिमअलेह ने इस ऐक्ट को मंज़ूर फ़रमाया)

(ऐक्ट बगरज़ इजतमअ व तरमीम कवानीन मुतअल्लिके ज़ाबितै फ़ौजदारी)

तमहीद, हरगाह यह अमर क़रीन मसलहत है-कि क़वानीन मुतअल्लिक़ै जाबितै फ़ौजदारी मुजतमअ व तरमीम कियेजायँ लिहाज़ा हस्ब ज़ैल हुक्म होता है ॥

हिस्सा अव्वल ॥

मरातिब इब्तिदाई ॥

बाब १ ॥

मुख़्तसिर नाम और शुरूअ नफ़ाज, दफ़ा १-जायज़ है कि यह ऐक्ट बतस्मिये मजमूये ज़ाबितै फ़ौजदारी मसद्दिरै सन् १८८२ ई० मौसूम कियाजाय-और वह यकुम जनवरी सन् १८८३ ई० को नफ़ाज़ पिज़ीर होगा ॥

---

* यह मजमूआजाबिता बाज इस्लाहात के साथ क़ानून ७--सन् १८८६ ई० की रूसे अपरब्रह्मा में (बइस्तसनाय रियासतहायशान के) वसअत पिजीर कियागया है, नीज

यह ऐक्ट तमाम क़लमरौ ब्रिटिशइण्डिया से मुतअ़ल्लिक़ है

वसअत मुक़ामी, इल्ला दरसूरत न होने किसी और हुक्मख़ास ख़िलाफ़ इसके कि कोई इबारत इस ऐक्टकी किसी क़ानून ख़ास या क़ानून मुख़्तसुल्मुक़ाम नाफ़िज़ुलवक़्त पर या किसी ख़ास अख़्तियार समाअ़त या अख़्तियार या किसी ख़ास तरीक़ै काररवाई पर जो किसी क़ानून नाफ़िज़ुल् हालकी रूसे अ़ता या मुक़र्रर हुआ हो मवस्सर न होगी और न किसी शख़्सममुफ़स्सिलै ज़ैलसे मुतअ़ल्लिक़ होगी ॥

(अलिफ) साहिबान कमिश्नरपुलिस मुतअ़य्यनैबलाद कल-

नोट--क़ानून ३--सन् १८८२ ई० की दफा३--की रूसे (जैसी क़ानून३--सन् १८८६ई० की दफा२--की रूसे उसकी तरमीमहुई है) इस मजमूआ ज़ाबिता क़ाश्तताल परगनजात में नाफिज़ुलअ़मल होना एलान करदियागया है,

जज़ायर ऐंडमन व निकोबरमें इस मजमूआ ज़ाबिताके तअ़ल्लुक़पिज़ीर करतेवक़्त इसमें क़ानून ३—सन् १८७६ ई० की दफा १३--की रूसे जैसी क़ानून १--सन् १८८३ ई० की दफा ३--की रूसे उसकी तरमीमहुई है--तरमीम कीगई है,

(क़ानून २--सन्१८८० ई० मुतअ़ल्लिक़ इक़ताय सरहद्दी आसाम की रूसे जैसी क़ानून३--सन् १८८४ ई० की रूसे उसकी वसअ़त पिज़ीरीहुई है) इस मजमूआ ज़ाबिताका पहाड़ीहाय नागा और क़ितै सरहद्दी डबरूगढ और पहाड़ीहाय ग्रुमालीकचार में--देखो आसाम गजट--१० मई सन् १८८२ ई० हिस्सह २--सफा २१२ और ज़िला कोही कारू और ज़िला कोहीखासी व जयंतिया मे देखो आसाम गजट २२--नवम्बर सन् १८८४ ई० हिस्सह १—सफा ६७०--और क़ितअ़ कोहहाय मैकरी में--देखो आसाम गजट २९—नवम्बर सन् १८८४ ई० हिस्सा २--सफा ८०५--मौक़ूफुल् अ़मल होना एलान करदियागया है,

और और क़वानीन में जो २ हवालजात मजमूआ ज़ाबिता की तरफ कियेगये हैं वह यों पढ़े जायगे कि गोया एक्ट ३--सन् १८८४ई० की रूसे तरमीम कियेहुये मजमूआ की तरफ कियेगये हैं--देखो दफा १४ (२) उस एक्टका,

दरख़सूस उस अख़्तियार के जिसकी रूसे लोवर ब्रह्मा के साहब जुडीशियल कमिश्नर और साहब रिकार्डर रंगून और ब्रह्माकी इस्पेशल कोरट को मजमूआ के उन अजज़ा की तासीर से जो मुतअ़ल्लिक़ उसके है कि किस तरीक़पर फैसलहजात और एहकाम और एहकाम सजा और गवाहोंकी शहादत कलमबन्द की जायगी मुस्तसना कियाजाय--देखो एक्ट ११--सन् १८८९ ई० दफा ९२,

कत्ता व मन्दरास व बम्बई या अशखास पुलिस मुतअ़ल्लिक़े बलाद कलकत्ता और बम्बई से ॥

[बे] किसी ओहदेदार से जिसको अख्तियार तजवीज़ जरायम ख़फ़ीफ़ मौक़ूआ लश्करी बाज़ारका उन छावनियों और मुक़ामात में तफ़वीज़ हुआ हो जिनमें प्रेज़ीडन्सी हाय मन्दरास या बम्बईकी अफ़वाज मुक़ीम हों ॥

[जीम] [ऐक्ट ५--सन्१८८१ ई० की रूसे मंसूखहुआ है]

[दाल] अफ़्सरान् पुलिस मौजे वाक़ै प्रेजीडन्सी बम्बई से,

[हे] और कोई इबारत दफ़आत १७४ व १७५ व १७६ की पुलिस मुतअ़ल्लिक़ैबलदै मन्दरास से मुतअ़ल्लिक न होगी ॥

दफा२-यकुम् जनवरी सन् १८८३ ई० को और उसके बाद

अहकाम कवानीन की मनूखी,

कवानीन मुफस्सिलै जमीमै अव्वल उसकदर मंसूख होजायेंगे जिसकदर जमीमै मज़कूर के खाने ३ में मुन्दर्ज हैं मगर इसतौर पर नहीं कि कोई अख्तियार समाअ़त या तरीक़ै कार्रवाई जो उसवक्त मौजूद या मुस्तैमिल न हो बहाल होजाय या कि बरक़रार रहना किसी क़ैदका जो उस वक्त जायज़ हो नाजायज़ होजाय ॥

तमाम इश्तिहारात और ऐलामनामजात और अख्तियारात

इश्तिहारात वगैरह ऐक्ट हायमसूख शुदहकी रू से,

और नक्शजात और हुदूद अराज़ी और अहकाम सज़ा और दीगरअहकाम व क़वाअ़द और तकर्रुरात जो मुताबिक़ किसी क़ानूनके जो इस क़ानूनकी रूसे मन्सूखहुआ है या किसी और क़ानूनके मुताबिक़ जो क़ानून अव्वलुल्ज़िक्रसे मन्सूखहुआहो मुश्तहर और जारी और अ़ता और मुतअ़य्यन और सादिरहुये या अ़मलमेंआयेहों और जो ऐनमाक़ब्लयकुम्जनवरी सन् १८८३ ई० असरापिज़ीरहों ऐसे समझे जायेंगे कि गोया वह इश्तिहारात व ऐलाम नामजात वगैरह इसी मजमूयेकी दफ़ा मुनासिबके बमूजिब मुश्तहर और

जारी और अता और मुक़र्रर और मुनक़्क़द और सादिर कियेगये और अमल में आयेथे ॥

मजमूआज़ाबता फ़ौजदारी और दीगर अह कामकवानीन मसूख़ शुदह का हवाला किया जाना,

दफ़ा ३— हरक़ानून में जो मजमूये हाज़ा के असर पिज़ीर होने से पहिले नाफ़िज़ होचुकाहो और जिस में हवाला मजमूये ज़ाबिते फ़ौजदारी याने ऐक्ट २५ सन् १८६१ ई० ख़्वाह ऐक्ट १० सन् १८८२ ई० का या उनके किसी बाब या दफ़ाका या किसी और क़ानूनका जो अज़रूय मजमूये हाज़ा मन्सूख़हुआ है किया गयाहो वह हवाला जहांतक कि मुमकिन हो इसी मजमूयेका या इसमजमूयेके बाब या दफ़ा हम मज़मून का हवाला समझाजायेगा ॥

साबिक़ ऐक्टोंकीइबारतें,

हरक़ानून में जो क़ब्ल असर पिज़ीरहोने मजमूये हाज़ा के सादिरहुआ हो इबारत मुफ़स्सिलै ज़ैल से याने "ओहदेदार जो अख़्तियारात [या अख़्तियारात कामिल] मजिस्ट्रेटी नाफ़िज़ करता [या रखताहो]" और "मजिस्ट्रेट मातहत दर्जा अव्वल" और "मजिस्ट्रेट मातहत दर्जादोम" से मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल और मजिस्ट्रेट दर्जादोम और मजिस्ट्रेट दर्जा सोम मुरादलियेजायेंगे—और लफ़्ज़ "मजिस्ट्रेट हिस्सा ज़िला" से मजिस्ट्रेट सबडिवीज़न और लफ़्ज़ "मजिस्ट्रेट ज़िला" से ज़िलेका मजिस्ट्रेट और लफ़्ज "मजिस्ट्रेट पुलिस" से मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी मुराद लियाजायेगा ॥

जिम्नतारीफ़ों,

दफ़ा ४—इसमजमूये में अलफ़ाज़ और इस्तलाहात मुफ़स्सिलै ज़ैलसे वही मानेलियेजायेंगे जो आयंदह उनके साथ लिखे हैं इल्ला उस सूरतमें कि मज़मून या सियाक़ इबारत से उसके ख़िलाफ़ मुरादपाईजाय ॥

"नालिश"

(अलिफ़) लफ़्ज "नालिश" से किसी शख़्स का बयान मुराद है जो तक़रीरन या तहरीरन मजिस्ट्रेटके रूबरू

कियाजाय इस मज़्मूनसे कि कोई दूसराशख़्स मालूम या ला-
मालूम जुर्मका मुर्तकिब हुआ है इस मुराहसे कि मजिस्ट्रेट उस
पर इसमज्मूये के मुताबिक़ अ़मल करे लेकिन उसमें रिपोर्ट
अहल्कार पुलिस दाख़िल नहीं है ॥

[बे] लफ्ज "तफ़्तीश,, में हरकार्रवाई इसमजमूये हाज़ा शामिल
"तफतीश,, है जो वास्ते बहमरसानी सुबूत मारफ़त पुलिस
या किसी औरशख़्स अ़लावहमजिस्ट्रेट या अफ़सरपुलिसके जिसे
मजिस्ट्रेटने इसकामकी इजाज़तदीहो अ़मलमेंआये ॥

[जीम] लफ्ज "तहक़ीक़ात,, में हर तहक़ीक़ात शामिलहै जो
"तहकीकात,, किसी मजिस्ट्रेट या अ़दालतकी मारफ़त इसमज-
मूयेके मुताबिक़ अ़मलमें आये ॥

[दाल] "अ़दालतीकारर्वाई,, से हरकार्रवाई मुराद है जिसके
"अदालतीकारर्वाई,, अस्नायमें सुबूत लियाजाय या सुबूत का लेना
क़ानूनन् जायज़हो ॥

[हे] लफ्ज "तहरीर,, और "तहरीरी,, में छापासीसेका और छापा
"तहरीर,, "औरतहरीरी,, पत्थर का और छापा अक्स आफ़ताबका और
हरूफ़ व नक़ूशकन्दा और हर दीगरतरीक़ा जिसमें अल्फ़ाज़ या
हिन्दसे काग़ज़ या किसी और शैपर ज़ाहिर होसकें शामिल हैं ॥

[वाव] लफ्ज़ "सब डिवीज़न" से ज़िलेका एकहिस्सा मुराद
"सब डिवीज़न,, है जोमजमूये हाज़ाके बमूजिबक़ायमकियाजाय ॥

[जे] लफ्ज़ "मुल्क" से वह क़लमरौ मुराद है जो किसीवक़्त
"मुल्क,, किसी लोकलगवर्नमेंटके ताबेहुकूमतहो ॥

[हे] लफ्ज "बल्दै प्रेजीडेंसी,, से—अ़दालत हाय हाईकोर्ट आफ़जो
"बल्दैप्रेजीडेंसी,, डैकेचर वाक़ैफ़ोर्टविलियम बंगाले या मन्दरास
या बंबईके मामूली अख़्तियारात समाअ़त इब्तिदाई सीग़ै दीवानी
की हुदूद अरज़ी मौजूदह वक़्त मुरादहैं ॥

(तो)—⊛ ४८ लफ्ज़ "हाईकोर्ट" से जहां कहीं उन कारवाइयों "हाई कोर्ट," का हवालह कियाजाय जो रिआयाय वृटानिया अहल यूरुप के मुक़ाबिले में हों या उन अशखास के मुकाबिले में हों जिनपर ब शिराकत अहालियान यूरुप रिआयाय वृटानिया के इल्ज़ाम क़ायम कियागयाहो अदालत हाय हाईकोर्ट आफ़ जोडिकेचर वाक़े फोर्टविलियम् व मन्दरास व बंबई व हाईकोर्ट आफ़ जोडिकेचर मुमालिक मग़रबी व शिमाली और चीफ़ कोर्ट मुमालिक पंजाब और अदालत रिकार्डर रंगून मुरादहै—

और सूरतोंमें लफ्ज़ "हाईकोर्ट" से वह अदालत मुराद है जो किसी रक़बे अरज़ी के लिये मुआमलात फौजदारी में सबमें आलादर्जेकी अदालत अपील या नज़रसानी हो॥

या जहां कोई ऐसी अदालत अज़रूय किसी कानून नाफ़िज़ुलवक्त के कायम न हो तो ऐसा ओहदेदार मुराद है जिसको नव्वाब गवर्नरजनरल बहादुर ब इजलास कौंसल वक्तन् फ़वक्तन् इस कामके लिये मुकर्रर फ़रमायें॥

(थे) लफ्ज़ "चीफ़जस्टिस" "चीफजस्टिस," में ×चीफ़कोर्ट पंजाब के जज आला और साहबरिकार्डर रंगूनभीशामिलहैं×॥

(काफ़) लफ्ज़ "एडवकेट जनरल" "एडवकेट जनरल," में सर्कारी एडवकेट याने वकील शामिल है—या जहां कोई एडवकेट जनरल या वकील सर्कार न हो वह ओहदेदार शामिल है जिसको लोकलगवर्नमेंट वक्तन् फ़वक्तन् उस कामकेलिये मुक़र्रर करै॥

(लाम) लफ्ज़ "क्लार्क आफ़दीक्रौन," यानी क्लार्कशाही में

⊛—अपर ब्रह्मामें हाईकोर्टसे क्या मुरादहै इसकेलिये कानून६—सन् १८८६ई० के ज़मीमा की दफा १—देखो—साहब रिकार्डर रंगून या अदालत स्पेशल कोर्ट—ब्रह्मामें—बाज ग़रज़ोंकेलिये अदालत हाईकोर्ट है—देखो एक्ट ११—सन्१८८९ ई०—दफ़आत ४ व ६ व ४८ व ६६ व ७१,

×—× यह इबारत साबिक़ इबारतके एवज़एक्ट ११—सन् १८८९ई०की दफा८६कीरूसे क़ायम कीगईहै,

"क्लार्कआफदीक्रौन,, ऐसा हर ओहदेदार शामिल है जिस को चीफ़जस्टिसने उन ख़िदमात की तामीलके लिये बिलख़ुसूस मुक़र्रर किया हो जो इस मजमूयेकी रूसे क्लार्कशाही को मुफ़्विजहुई हैं ॥

[मीम] लफ़्ज़ "पैरोकार मिंजानिब सर्कार" से हर शख़्स "पैरोकारमिंजानिब सर्कार,, मुराद है जो दफ़ा ४९२ के बमूजिब मुक़र्रर हुआ हो—और उसनें हर ऐसा शख़्स शामिल है जो मुताबिक़ हिदायात पैरोकार मिन्जानिब सर्कार के अ़मलकरै—और ऐसा शख़्स भी शामिल है जो मलकामुअ़ज़्ज़मा दाम इक़बालहा की तरफ़ से किसी हाईकोर्ट में वक़्त नफ़ाज़ उसके अख़्तियारात इब्तिदाई सीग़ै फ़ौजदारी के किसी नालिशकी पैरवीकरे ॥

[नून] लफ़्ज़ "प्लीडर,, से जब वह किसी अ़दालतकी "प्लीडर,, किसी कार्रवाईकी निस्बत मुस्तैमिल किया जाय वह वकील मुराद है जोअ़दालत मज़कूरमें अजरूयकिसी क़ानून मजरिये वक़्तके वकालत करनेका मजाज़ हो—और उसमें अव्वलन् वह ऐडवकेट और वकील और अटरनी हाईकोर्टका जो उस बातका अख़्तियार रखताहो और सानियन् हर मुख़्तार या दूसरा शख़्स जो अ़दालतकी इजाज़तसे ऐसी काररवाईमें अ़मल करनेके लिये मुक़र्रर कियाजाय शामिलहै ॥

[सीन] लफ़्ज़ "पुलिस इस्टेशन" से हर थाना मुराद है जि- "पुलिसइस्टेशन,, से बिलउमूम या बिलख़ुसूस लोकलगवर्नमेंट वास्ते अग़राज़ मजमूये हाज़ाके पुलिस इस्टेशन क़रारदे—और उसमें हर रक़बा अरज़ी दाख़िल है जिसकी सराहत लोकल गवर्नमेंट इसबाबमें करे—और लफ़्ज़ ❀ "अफ़्सर मोहतामिम पुलिसइस्टेशन,, से जब अफ़्सर मोहतामिम पुलिसइस्टेशन❀ इस्टेशन

❀ अपर ब्रह्मामें "अफ़सर मोहतमिम पुलिस इस्टेशन ,, के लिये कानून७--सन१८८९ ई० के जमीमा की दफ़ा ११--देखो,

मजमूये में नहीं हुई वहीमाने रक्खेंगे जो मजमूये ताज़ीरातहिंद
ऐक्ट ४५ सन् १८६० ई० में उनसे मुतअ़ल्लिक़ कियेगयेहैं ॥

तजवीज जुर्मोंकीमजमूये ताज़ीरातहिंदकेमुताबिक और जरायममुतअ़ल्लिकै किसीऔर कानून की तजवीज,

दफ़ा ५-तमामजरायम मुतअ़ल्लिकै मजमूये ताज़ीरातहिन्द की तहक़ीक़ात और तजवीज़ मुताबिक़ शरायत मुन्दर्जे आयन्दा मजमूयेहाज़ाके और तहक़ीक़ात व तजवीज़ तमाम जरायम मुतअ़ल्लिकै किसी और क़ानूनकी मुताबिक़ उन्हीं शरायत के मगर बपाबन्दी किसी क़ानून नाफ़िज़ुल्वक्त मशअ़र इंजबात तरीक़ै तहक़ीक़ात या तजवीज़ या मुक़ाम तहक़ीक़ात या तजवीज़ जुर्मकेअ़मलमें आयेगी ॥

हिस्सादोम ॥

फ़ौजदारी अदालतों और सरिश्तोंका तक़र्रुर
और उनके अख़्तियारात ॥

बाब २ ॥

फौजदारीअदालतों और सरिश्तोंका तकर्रुर ॥
(अलिफ) फौज़दारी अदालतोंके अक़साम ॥

फौजदारी अदालतोंके अक़साम,

दफ़ा ६— अ़लावह अ़दालतहाय हाईकोर्ट और उन अ़दालतों के जो बइस्तस्नाय इस मजमूये के किसी और क़ानून नाफ़िज़ुलवक़् के बमूजिब मुक़र्ररकीजायँ क़लमरौ ब्रिटिश इंडियामें पांचक़िस्मकी फ़ौजदारी अदालतैंहोंगी हस्बमुफ़स्सिलै ज़ैल –

१—अ़दालतहाय सिशन ॥
२—अ़दालतहाय साहिबान मजिस्ट्रेटप्रेज़ीडंसी ॥
३—अ़दालतहाय साहिबान मजिस्ट्रेट दरजैअव्वल ॥
४—अ़दालतहाय साहिबान मजिस्ट्रेटदरजैदोम ॥

५---अदालतहाय साहिबान मजिस्ट्रेटदरजैलोम ॥

(बे) क़िस्मतहायअरज़ी ॥

दफ़ा७-⊛ हरमुल्क बइस्तस्नाय बलाद प्रेज़ीडंसी के सिशन

विषनका क़िस्मतें, की क़िस्मतहोगा या सिशन की क़िस्मतों पर मोहतवीहोगा ॥

और हरक़िस्मत सिशन इसमजमूये की अग़राजकेलिये बक़-

इजलाअ, दर एकज़िला या चंद इज़लाअके होगी ॥

लोकलगवर्नमेण्टको अख़्तियार है-कि ऐसी क़िस्मतों और

क़िस्मतों औरज़िलोंकी तब्दीलीका इख़्तियार, ज़िलोंकी हुदूद तब्दीलकरे-या बाद हुसूल मंजूरी जनाब नव्वाब गवर्नरजनरल बहादुर इजलास कौंसलके उनकी तादाद बदलदे ॥

क़िस्मतहाय और इज़लाअसिशन जो बवक्त निफ़ाज़ इस

मौजूदाक़िस्मतों और ज़िलोंका बरक़रार रहना जब तक कि तब्दीली न हो, मजमूये के मौजूदहों बजुज़ इसके और उसवक़्ततक कि उनमें तब्दीलीनहो क़िस्मतहाय और इज़लाअ सिशन बने रहेंगे ॥

इस मजमूयेकी अग़राजके लिये हरबल्दै प्रेजीडंसी एक ज़िला

बल्देहायप्रेजीडंसीइज़लाअतसव्वरकियेजायगे, समझाजायेगा ॥

दफ़ा८-लोकलगवर्नमेण्ट मजाज़ है--कि किसी ज़िले वाक़ै

इजलाअ को हिस्सः ज़िले पर तक़्सीम करने का अख़्तियार, बेरूं बल्दैहाय प्रेज़ीडंसीको हिससमें तक़्सीम करे-या ऐसे ज़िलेके किसीजुज़्वको एक हिस्सा ज़िलाक़रारदे--और किसी हिस्से ज़िलेकी हुदूदको तब्दीलकरे ॥

तमाम हिससज़िला मौजूदह जो दरींविला उमूमन् किसी

मौजूदा हिससज़िलअ बरक़राररहेंगे, मजिस्ट्रेट के एहतिमाममें रक्खेजाते हैं उन की निस्बत यह समझा जायेगा कि इस मजमूये के बमूजिब क़ायम कियेगये ॥

⊛ अपर ब्रह्माकी अदालत हाय सिशन के बारेमें क़ानून७--सन् १८८६ ई० कीजमोमै की दफ़ा ३ में--और लोअर ब्रह्माकी अदालतहाय मज़कूरकेबारे में ऐक्ट ११--सन् १८८९ ई० दफ़ा २९--देखो,

[जीम]—अदालतैं और सरिश्तैवाकै बेरूं बलाद प्रेजीडंसी॥

दफा९— ❀ लोकलगवर्नमेंट को चाहिये कि हर एक किस्मत

अदालत सिशन,

सिशनकेलिये एकअदालत सिशन मुकर्ररकरे—और उस अदालत का एकजज मामूरकरे ॥

नीज़लोकलगवर्नमेंटको अख्तियारहै-कि ऐसी एक या ज़ियादह अदालतोंमें अख्तियारात अमलमें लानेके लिये एडीशनल सिशन जज और जायंट सिशनजज और असिस्टंट सिशनजज मुकर्ररकरे॥

तमाम अदालतहाय सिशन जो बवक्त निफाज़ मजमूये हाज़ा मौजूदहों ऐसी समझीजायेंगी कि हस्ब ऐक्ट हाज़ा कायमहुईथीं ॥

दफा १०—हरज़िलेमें जो बल्दैहाय प्रेज़ीडंसीके बाहरहो लोक-

जिलेका मजिस्ट्रेट,

लगवर्नमेंट को लाज़िम है कि एक मजिस्ट्रेट दरजै अव्वल मुकर्ररकरे जो ज़िलेका मजिस्ट्रेट कहलायेगा ॥

दफा ११—जबकभीबाअस खालीहोजाने ओहदैमजिस्ट्रेटज़िले

जिलेकेमजिस्ट्रेटकेओहदे में ओहदेदारोंका बतौर चन्दरोजा कायम होना,

के किसी और ओहदेदारको जिलेके इन्तिज़ाम के अख्तियारात आला बतौर चन्दरोज़ाहासिल होजायँ तो ऐसे ओहदेदार को लाज़िम है कि तासिदूर हुक्म लोकलगवर्नमेंट के वह तमाम अख्तियारात नाफिज़ और खिदमात की तामीलकरे जो इस मजमूयेकी रूसे ज़िलेके मजिस्ट्रेट को मुफव्विज और सिपुर्दहुईहैं ॥

दफा १२— लोकलगवर्नमेंट को अख्तियार है—कि किसी

मातहतकेमजिस्ट्रेट,

ज़िले में जो बलाद प्रेजीडंसी के बाहर हो अला-वह मजिस्ट्रेट ज़िलेके जिसकदर अशखास को लायक और मुना-सिब समझे ओहदे हाय मजिस्ट्रेट दरजै अव्वल या मजिस्ट्रेट दरजैदोम या मजिस्ट्रेट दरजै सोमपर मुकर्ररकरे—औरलोकलगव-र्नमेंट या ज़िलेके मजिस्ट्रेटको बइतबाअहुकूमत लोकलगवर्न-मेंटके अख्तियारहोगा कि वक्तन् फवक्तन् उनरकबैहाय अरजीकी

❀ अपरब्रह्मा की अदालतहाय सिशन के बारे में कानून ८—सन् १८८६ ई० के जमीमे की दफा ३--और लोअरब्रह्मा की अदालतहाय मजकूर के बारे में ऐक्ट ११—सन् १८८९ ई० की दफा २९ देखो ॥

ताईनकरदे जिनकेअंदर ओहदेदारान् मौसूफ़ैन उन अख्तियारात में से सब या बाजको नाफिज करेंगे जो इसमजमूयेके मुताबिक़ उनको अताहुये हों ॥

बजुज़ इसके कि ताईन मजकूर की रूसे दीगर नेहज पर हुक्म हो अख्तियार समाअत व अख्तियारात अशख़ास मज़कूर कुल ज़िले मज़कूर से मुतअल्लिक होंगे ॥

दफ़ा १३– लोकलगवर्नमेण्ट को अख्तियार है–कि किसी मजिस्ट्रेट दरजे अव्वल या दरजे दोम को किसी हिस्से ज़िलेका एहतमाम सिपुर्दकरे और बहस्ब जरूरत उसे एहतमाम मज़कूर से सुबुकदोश करे ॥

हिस्सा जिलाका एहतमाम मजिस्ट्रेट के सिपुर्दकरनेका अख्तियार,

ऐसे मजिस्ट्रेट सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट कहलायेंगे ॥

लोकलगवर्नमेण्ट मजाज़ है–कि अपने अख्तियारात जो इसदफ़ाकी रूसे उसको हासिलहैं साहब मजिस्ट्रेट जिले को तफ़वीज़ करे ॥

मजिस्ट्रेटजिलेकोअख्तियारातका तफवीज होना,

दफ़ा १४– लोकलगवर्नमेण्ट मजाज़ है–कि तमाम या बाज़ अख्तियारात जो हस्बशरायत मुताबिक़ मजमूये हाज़ाके किसी मजिस्ट्रेट दरजे अव्वल या दरजे दोम या दरजे सोमको मुफ़व्विज़ होचुकेहों या मुफव्विज़ होसक्ते हों निस्बत किसी मुक़द्दमात खास या निस्बत किसी खास क़िस्म या अक़साम के मुक़द्दमातके या उमूमन् निस्बत मुक़द्दमात के किसी रक़बे अरज़ीमें बेरूबलाद प्रेजीडन्सीके किसीशख्सको अताकरे ॥

इस्पेशल मजिस्ट्रेट,

ऐसे मजिस्ट्रेट इस्पेशल मजिस्ट्रेट कहलायेंगे ॥

लोकल गवर्नमेंट मजाज़ है–कि बादहुसूल मञ्जूरी जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर इजलास कौंसल अपने तहत हुकूमत के किसी ओहदेदार को वह अख्तियार जो इस दफ़ाके फिकरै अव्वलकीरूसे अताहुआ है ऐसी क़यूदके साथ मुफव्विज़ करे जो उसको मुनासिब मालूम हों ॥

इस दफ़ाके बमूजिब किसी ओहदेदार पुलिसको जो असिस्टंट

सिपुरिन्टेन्डन्ट ज़िले से कमरुतबारखता हो कुछ अख्तियारात तफ़वीज़ न कियेजायेंगे और कुछ अख्तियारात इसतरह तफ़वीज़ न कियेजायेंगे बजुज़ इसके कि जहांतक वास्ते क़ायमरखने अमन व इन्सदाद जुर्म व सुराग़ लगाने व गिरफ्तार करने व हिरासतमें रखने मुजरिमान के बग़रज़ उनके अहज़ार के रूबरू मजिस्ट्रेट के और वास्ते तामील किसी और ख़िदमातके मिन्जानिब ओहदेदार ... गो उसको बमूजिब किसीक़ानून नाफ़िज़ुल... हुईहों ज़रूरतहो ⊛॥

दफ़ा १५—लोकल गवर्नमेंट इस अम्रकी हिदायत करनेकी मजिस्ट्रेटोंकेबेंच, मजाज़ है कि किसी मुक़ाम वाक़ै बेरूं बलाद प्रेज़ीडेंसीपरदो या ज़ियादह मजिस्ट्रेट बतौर बेंच याने जलसाहुक्काम के यकजा इजलासकरें-और ऐसे बेंचको वह अख्तियारात तफ़वीज़करे जो इस मजमूये के मुताबिक़ मजिस्ट्रेट दरजै अव्वल या दरजै दोम या दरजै सोम को अता कियेगये या अता होसक्ते हैं—और यह हिदायत करे कि बेंच मज़कूर ऐसे अख्तियारात सिर्फ़ उन मुक़द्दमात में या अक़साम मुक़द्दमात में और उन हुदूद अरज़ी के अन्दर नाफ़िज़करे जो लोकलगवर्नमेंट को मुनासिब मालूम हों॥

ख़ासहिदायतोंके नहोनेकी सूरत में वह अख्तियारात जो बज़रिये बेंच अमलमें आसकेगा, बजुज़ उससूरत के कि किसी हुक्म मुसद्दिरै हस्ब इक़्तिज़ाय दफ़ै हाज़ा में कुछ और मज़मून हो ऐसे हर बेंच को वह अख्तियारात तफ़वीज़ होंगे जो इस मजमूये के मुताबिक़ उसमाजि-

⁕ बावजूद मुन्दर्जे रहने किसी मज़मून के दफ़ा १४--में आसाम के किसी ओहदेदार पुलिस को जो असिस्टंट सिपुरिंटेंडंट ज़िले से कम रुतवा न रखताहो दरख़्सूस उन मुक़द्दमात के जो दस्तअन्दाज़ी अदालत के क़ाबिल नहीं वह अख्तियारात या उनमेंसे कोई अख्तियार तफ़वीज़ कियाजासक्ता है जो मजिस्ट्रेट दरजै अव्वल या दोम या सोम को बख़्शागया है या बख़्शा जासक्ता है क़ानून २--सन् १८८३ ई० दफ़ा ४ देखो,

अपरब्रह्मा में ओहदेदारान पुलिस को अख्तियारात मजिस्ट्रेटी के बख़्शनेके बारेमें क़ानून ७—सन् १८८६ ई० के ज़मीमा की दफ़ा ४-- और सालवैन और इजलाअकोहो अराकान में उस अम्र के लिये ऐक्ट ११--सन् १८८६ ई० दफ़ा १०१—देखो,

स्ट्रेट को तफ़वीज़ हुयेहैं जो सबसे आलादरजा रखता हो और जो बतौर मेम्बर बेंचके हाज़िर होकर कारवाई में शरीक हो— और ऐसा बेंच हत्तुलइम्कान इस मजमूयेकी अग़राज़ के लिये उस दरजेका मजिस्ट्रेट समझा जायेगा॥

दफ़ा१६—लोकलगवर्नमेण्ट या साहब मजिस्ट्रेटज़िला बइ-

बेंचोंको हिदायत के लिये क़वाअ़द मुरत्तिब करनेका अख़्तियार,

तबाअ़ हुकूमत लोकलगवर्नमेण्ट मजाज़ है— कि वक़्तन्फ़वक़्तन् क़वाअ़द मुनासिब जो इस मजमूये के मुताबिक़ हों वास्ते हिदायत बेंच- हाय मजिस्ट्रेट मुतअ़य्यना किसी ज़िलेके उमूरमुफ़स्सिलै ज़ैल की बाबत मुरत्तिब करे॥

अलिफ़] निस्बत अक़्सामुक़द्दमाततजवीज़तलब के॥

[बे] निस्बत औक़ात और मुक़ामात इजलास के॥

[जीम] निस्बततक़र्ररबेंच वास्ततजवीज़ मुक़द्दमात के॥

[दाल] निस्बत तरीक़ा तस्फ़िया इख़्तिलाफ़ात राय के जो माबैन मजिस्ट्रेटान् बरवक़्त इजलास के ज़ुहूर पिज़ीरहों॥

दफ़ा १७—जुमलै साहिबान मजिस्ट्रेट जो दफ़आत १२ व

मजिस्ट्रेटों का और बेंचोंका ज़िलअ़ के मजिस्ट्रेट के मातहत होना,

१३ व १४ की रूसे मुक़र्रर और जुमलै बेंच जो दफ़ा१५ के मुताबिक़ वज़ाकियेजायें ज़िले के साहबमजिस्ट्रेट के मातहत होंगे—और उसे अख़्तियार रहेगा कि वक़्तन्फ़वक़्तन् क़वाअ़द जो मजमूये हाज़ा के नक़ीज़ न हों निस्बत तक़सीमकार माबैन मजिस्ट्रेटान् और बेंच हाय मज़कूरके मुरत्तिब करे—और

हरमजिस्ट्रेट [जो मजिस्ट्रेट हिस्सा ज़िला न हो] और

हिस्सेज़िलेकेमजिस्ट्रेटकेमातहतहोना,

हर बेंच जो किसी हिस्से ज़िले में अख़्तियारात नाफ़िज़ करता हो हिस्सेज़िलेके मजिस्ट्रेट के मातहत होगा मगर साहब मजिस्ट्रेट ज़िला उसपर हुकूमत आम रक्खा करेगा॥

जुमलै साहबान असिस्टंट सिशन जज ताबै उससिशन

असिस्टंटसिशनजज

जजके होंगे जिसकी अ़दालतमें वह अख़्तिया-

काखिशनजजकेताबेहोना, रात अमलमें लातेहों—और उसे अख्तियारहै कि वक़न फवक़न् क़वाअद जो ऐक्ट हाज़ाकेनक़ीज़ न हों निस्बत तक़सीम कार माबैन साहिबान असिस्टंट सिशनजज मज़कूरके मुरत्तिब करे॥

साहब मजिस्ट्रेट ज़िला या मजिस्ट्रेट या बेंच जो मुताबिक दफ़आत १२ व १३ व १४ व १५ मुक़र्रर और मौज़ूअकिया जाय कोई उनमेंसे साहब सिशनजजकेमातहतनहोगा इल्ला उस हद्दतक और उसतौर परजोआयन्दा बसराहत ज़ाहिरकियागयाहै॥

(दाल)अदालत हाय साहिबान
मजिस्ट्रेटप्रेज़ीडन्सी॥

दफा१८—लोकल गवर्नमेण्ट को लाज़िम है कि वक़न फवक़न्
मजिस्ट्रेटानप्रेजीडन्सी क़ातकर्रर, अशख़ास को बतादाद क़ाफी (जो आयंदा बतस्मिया मजिस्ट्रेटान्प्रेज़ीडन्सी नामज़दहैं) हर एक बल्दै प्रेज़ीडन्सीकेलिये मजिस्ट्रेट मुक़र्ररकरे—और उनमें से किसी एकशख़्सको ऐसे किसी बल्दैकाचीफ़मजिस्ट्रेट क़रारदे॥

जायज़ है कि उनमें से दो या ज़ियादह अशख़ास [बइतबाअ उन क़वाअद के जो बतजवीज़ चीफ़मजिस्ट्रेट अज़रूय अख्तियारात मुफ़व्विज़े आयन्दा मुरत्तिब किये जायँ] शामिल होकर बतौर बेंचके यकजा इजलास करें॥

दफा१९—हरमजिस्ट्रेट प्रेज़ीडन्सी अपने अख्तियारात उस
उनके दूनाका अख्तियारकी हुदूद्अरजो, बल्दै प्रेज़ीडन्सी के कुल मुक़ामातमें जिसके लिये वह मुक़र्रर हुआहो और नीज़ अंदरहुदूद बंदर बल्दै मज़कूरके और हरएकदरियाय क़ाबिलरवानगी किश्ती या चश्मेकी हुदूदमें जो उसमें जामिलाहो मुताबिक़ सराहतहुदूद मुन्दरजे उस क़ानूनके नाफ़िज़करेगा जो वास्ते इन्तिज़ाम बंदर औरमहसूलात बंदरके उसवक़्त निफ़ाज़पिज़ीर हो॥

दफा २०—हरमजिस्ट्रेट प्रेज़ीडंसी मुतअल्लिक़ै बल्दै बम्बई वह
बम्बई के कोर्ट आफ़ पेटी सिशन तमाम अख्तियारात अमलमें लायेगा जो बमूजिब किसी क़ानून मजारिये ऐनमाक़ब्ल य-

यकुम अप्रैल सन् १८७७ ई० के कोर्टआफ़पेटी सिशनकी तरफ़ से बल्दै मज़कूर में तामील पाते थे ॥

मगर शर्त्तयह है—कि मुक़द्दमात अपीलमुताबिक़ उसक़ानून के जो बाबत इन्तिज़ाम म्यूनिसिपिल्टी बंबई के किसी वक्त जारीहो सिर्फ़ चीफ़मजिस्ट्रेटके हुज़ूर दायर होसकेंगे ॥

दफ़ा २१—हरचीफ़ मजिस्ट्रेट अपने इलाक़ै अख़्तियारकी हुदूद अरज़ीके अन्दर वह तमाम अख़्तियारात नाफ़िज़करेगा जो उसेबमूजिब मजमूये हाज़ा अताहुयेहों या बमूजिब किसी क़ानून या क़ायदे नाफ़िज़ः ऐनमाक़ब्ल उस वक्तके जब यह मजमूआ असर पिज़ीर होजाय किसी मजिस्ट्रेट आज़म या चीफ़मजिस्ट्रेटकी मारफ़त अमल में आने चाहियें—और उसको अख़्तियार होगा कि वक्तन् फ़वक्तन् लोकलगवर्नमेंट की मंज़ूरी हासिल करके ऐसे क़वायद जो इसमजमूये के मुताबिक़ हों वास्ते इन्तिज़ाम उमूर मुफ़स्सिलजैलके मुरत्तिब करतारहे ॥

चीफ़ मजिस्ट्रेट,

(अलिफ़) निस्बतकार्रवाई बतक़सीम ख़िदमात और ज़ाबितैअमल अदालत हायसाहिबान् मजिस्ट्रेट बल्दैके ॥

(बे) निस्बत औक़ात और मुक़ामातके जहां मजिस्ट्रेटों के बेंचों का इजलास होगा ॥

(जीम) निस्बत तौजीह ऐसे बेंचों के—और

(दाल) निस्बततरीक़ातस्फ़िये इख़्तिलाफ़ातआराय के जो बवक्त इजलास माबैन मजिस्ट्रेटोंके वाक़ै हों ॥

[छे] जस्टिस आफ़ दीपीस ॥

दफ़ा २२—जनाबनव्वाब गवर्नरजनरलबहादुर इजलास कौंसल को जहांतक बलादप्रेज़ीडन्सी के बाहरब्रिटिश इंडियाके कुलकलमरौ या उसके किसी जुज्वसे तअल्लुक़ है ॥

जस्टिसआफ़ दीपीस मुफ़स्सिल् के लिये,

और हर लोकलगवर्नमेंट को जहां तक बइस्तस्नाय बलाद प्रेज़ीडन्सी मज़कूर मुमालिक जेरहुकूमत उसके से तअल्लुक़ है ॥

अख़्तियारहोगा कि बज़रिये इश्तिहार मुन्दर्जेगज़ट सर्कारीके

उसकदर रिआयाय बृटानिया अहल यूरोपकोजो जनाबमुफख्खर अलेहुम या लोकलगवर्नमेएट को मुनासिब मालूम हो उन मुमालिक के अन्दर और उनके लिये जस्टिस आफदीपीस मुकर्रर करे जिनकी सराहत इश्तिहार मजकूरमें हो ॥

दफा२३—जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर इजलास कौंसल या लोकलगवर्नमेएटको जहांतक बल्दै कलकत्ते से तअल्लुक है ॥

जस्टिस आफदीपीस बलाद प्रेजीडेंसीके लिये,

और लोकलगवर्नमेएट को जहांतक बलाद मंदरास और बंबई से तअल्लुक है ॥

अख्तियार होगा—कि बज़रिये इश्तिहार मुन्दरजे गज़ट सर्कारी के उस बल्दैकी हुदूद के अन्दर जो इश्तिहार में मज़कूरहो किसी अशख़ास साकिन ब्रिटिशइंडिया को जो किसी रियासत गैरकी रिआया न हों और जिनको गवर्नर जनरलबहादुरइजलासकौंसल या लोकलगवर्नमेंट [जैसीसूरतहो] लायक समझे ओहदैजस्टिसआफ़दीपीसपर मामूर करे ॥

दफा२४—हरशख्स जो बज़रिये कमीशन मजारिये हाईकोर्ट के ब्रिटिशइंडिया के किसी ज़ुज्वकेअंदर और उसकेलिये बइस्तस्नायबलाद प्रेजीडेंसीके बिल्फ़ैल काम जस्टिसआफ दीपीसका अंजाम देताहो ऐसा समझाजायेगा कि गोया वह दफा२२के मुताबिक जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर इजलास कौंसल के हुक्मसे ब्रिटिशइण्डिया के तमाम कलमरौ के लिये बइस्तस्नाय बलाद प्रेजीडेंसी काम जस्टिसआफदीपीस का अंजाम देनेके लिये मुकर्रर हुआ है

बिलफैलकेजस्टिस आफदीपीस,

हर शख्स जो क़िस्म मज़कूर के किसी कमीशन के ज़रिये से किसी बल्दै मज़कूरै सदरकी हुदूदके अन्दर कामजस्टिस आफ दीपीस का बिल्फ़ैल अंजाम देताहो ऐसा समझा जायगा कि वह दफ़ा २३ के बमूजिब लोकलगवर्नमेएटके हुक्मसे मुक़र्रर कियागया है ॥

दफा२५—जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर और जनाब

अख्तयार आफीशियर यानी ओहदोंकेयतबारसेजस्टिस आफ़दीपीस,

ममदूह की कौंसलके मामूली मेम्बरान और हाईकोर्ट के साहिबानजज और रिकार्डररंगून अपने २ ओहदों के एतबार से कुल ब्रिटिश इण्डियाके लिये और उसके अंदर जस्टिस आफ़दीपीसहैं ❀ और साहबान सिशनजज व डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस कुलकलमरवके अन्दरऔर उसकुल क़लमरवकेलिये जो उस लोकलगवर्नमेण्ट के जेर नज़्म व नुस्क़हों जिसके मातहत वह कारगुज़ारहैं जस्टिस आफदीपीस हैं– और मजिस्ट्रेटान प्रेजीडेंसी उनबलादके अन्दर और उनकेलिये जस्टिस आफ़दीपीस हैं जिन में वह मजिस्ट्रेट का ओहदा रखते हैं॥

[बाब] मुअत्तली और मौक़ूफी॥

साहबानजज वसाहबान मजिस्ट्रेट की मुअत्तली व मौक़ूफी,

दफा२६–जायजहै कि लोकलगवर्नमेण्टके हुक्मसे तमामसाहिबानजज अदालतहाय फौजदारी व इस्तन्साय अदालतहाय हाईकोर्टके जो अजरूय सनदशाहीके क़ायमहुई हों और जुमलै साहिबान मजिस्ट्रेट ओहदेसे मुअत्तल या मौक़ूफ कियेजायँ॥

मगरशर्त्त यह है कि ऐसे साहिबानजज और मजिस्ट्रेट जो बिल्फैल सिर्फ जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर इजलास कौंसलके हुक्मसे ओहदेसे मुअत्तल या मौक़ूफ़ होनेके लायक़ हैं किसी और हाकिमके हुक्मसे मुअत्तल या मौक़ूफ़ न होसकेंगे॥

जस्टिस आफदी पीस की मुअत्तलीवमौक़ूफी,

दफा२७– जनाबनव्वाब गवर्नर जनरलबहादुर इजलासकौंसलमजाज हैं कि किसी जस्टिस आफदीपीस मुकर्रिरह अपनेको ओहदेसे मुअत्तल या मौक़ूफ़ करें और लोकलगवर्नमेण्ट मजाज़ है कि किसी जस्टिस आफ़दीपीस मुक़र्रह अपनेको ओहदेसे मुअत्तल या मौक़ूफ़करे॥

❀ यह अल्फाज दफा २१ में ऐक्ट ३ सन् १८८४ की दफा १०-की रूसे मुन्दर्ज कियेगयेहैं

वह अहकाम सजाजो साहबान मजिस्ट्रेटसादिर करसक्ते हैं, कि अहकाम सजा मुफस्सिलैजैल सादिरकरैं ॥

(अलिफ) अदालतहाय साहिबान मजिस्ट्रेटदर्जे ढर्सा और साहिबान मजिस्ट्रेट दरजे अव्वल — कैद जो २ दोबरससे जियादह न हो मैं उसक़दर कैद तनहाई के जो कानूनन् जायजहो-- जुर्माना जिसकी मिक़दार एकहजार रुपयेसे जियादहनहो ताजियाना--*

(बे) अदालतहाय साहबान मजिस्ट्रेट दरजै दोम — कैदजिसकी मीआद ६ छःमहीने से जियादह नहो मैं उसकदरकैदतन हाई के जो कानूनन्जायज हो— जुर्माना जिसकीमिक़दार २०० दोसौ रुपयेसे जियादह नहो ताजियाना—

(जीम) अदालत हाय मजिस्ट्रेट दरजै सोम — कैद जिसकी मीआद एक महीने से जियादह नहो जुर्माना जिसकी मिक दार ५० पचास रुपये से जियादह नहो—

हर अदालत मजिस्ट्रेटको अख्तियारहै कि ऐसाहुक्म सजाय कानूनी सादिरकरे जिसमें ऐसी चन्दसजायें शामिलहों जिनकी तजवीजकरनेका उसको कानूनन् अख्तियारहो ॥

कोई मजिस्ट्रेट दरजै दोम हुक्मसजाय ताजियाना सादिर नहींकरसक्ताहै बजुज इसके कि लोकलगवर्नमेंट से बिलखसूस इस बाबमें उसको अख्तियार अताकियाजाय ॥

दफा ३३—हर मजिस्ट्रेटकी अदालत मजाजहै—कि दरसूरत अदमअदाय जुर्माना उस मीआद की कैद तजवीजकरै जो कानूनन् अदम अदाय जुर्मानेकी सूरतमें जायजहो बशर्ते कि वह मीआद मजिस्ट्रेटके उस अख्तियारसे बाहर न हो जो इसमजमूये कीरूसे उसको अताहुआहै ॥

दरसूरत अदमअदायजुर्माना के मजिस्ट्रेटोंकोहुक्म सजायकैद सादिर करने काअख्तियार,

---

* अपर ब्रह्माके मजिस्ट्रेटों के उन अख्तियारातकेलिये जो हुक्मसजायताजियानाजनी के सादिर करनेकेबारेमेंहैंकानूनन्वसन १८८६ई०केजमीमे की दफा५देखो—मगररिआयाय बरता नीअहल यूरुपकेबारे में उसीजमीमेकीदफा२२देखो--

और यहभी शर्तहै कि किसी मुकद्दमे मुन्फसिलै साहब मजिस्ट्रेटमें जिसमें हुक्म कैदका असलहुक्म सजा का एक जुज्वहो वह मीआदकैद जो बकुसूर अदमअदाय जुर्माना तजवीज कीजाय उस अरसे कैदके एकचहारुमसे जियादह न होगी जो मजिस्ट्रेट मजकूर उस जुर्मके एवज आयद करसक्ताहो बजुज इसके कि वह कैद दरसूरत अदमअदाय जुर्माना आयद कीजाय ॥

शर्तमुतअल्लिकबाज सूरतोंके,

जो कैद इसदफाके बमूजिब तजवीजकीगईहो वह जायज है कि अलावह असल हुक्मसजाय कैद बाबत उस सबसे बडीमीआद के हो जो मजिस्ट्रेट हस्ब दफा ३२ सादिरकरसक्ताहै ॥

दफा ३४—÷ऐसे मजिस्ट्रेटजिलेकी अदालतको जिनको दफा ३०—तीसकीरूसे अख्तियार खासदियागयाहो ऐसेहुक्म सजाके सादिर करनेका अख्तियार होगा जो कानूनन् मजाजहो—बजुज उसहुक्म सजाय मौत या कैद बउबूर दरियायशोर के जिसकी मीआद ७ सातबर्षसे जियादहहो—या हुक्मसजाय कैदके जिसकीमीआद ७ सातबर्षसेजियादहहो मगर हरहुक्मसजायकैद जिसकी मीआद ❀ ४ चारबर्षसे जियादह हो और हरहुकम सजायकैद बउबूर दरियाय शोर ताबै बहाली साहब सिशनजज❀के होगा ॥

बाद मजिस्ट्रेटजिला के अख्तियारात आला,

दफा ३५—जब किसी शख्सपर एकही तजवीज में दो या जियादह जुदागाना जरायम साबितकियेजायँ तो अदालत मजाज है कि ऐसे जुर्मोंकी इल्लत में वह मुतअद्दिदसजायें मुजरिमके लिये तज-

हुक्मसजा उनसूरतो में कि जब एकही तजवीजमें चन्दजरायम साबित कियेजायँ,

÷ दफा ३४—ऐक्ट१०सन्१८८६ई०की दफा२ कीरूसे साबिकदफाकेएवज कायमकीगई है

❀ उनमुकामातमें जहां कानून मुसद्दिरा सन्१८८७ई० मुतअल्लिक जरायमसरहद्दीपञ्जाब नाफिजहै कोई ऐसाहुक्म सजा जो साहब मजिस्ट्रेट जिला या साहब अडीशनल मजिस्ट्रेट जिलाने उस अख्तियारकी तामीलमें सादिर कियाहो जो दरबारे तजवीज करने बहैसियत मजिस्ट्रेट किसी ऐसेजुर्मके है जिसमें सजायमौत नहीं होसक्ती है--मोहताजबहाली सिशनजजका नहीं है =देखो कानून४सन्१८८७ई० दफे ७ जिमन (१)—

बीजकरे जो जरायम मजकूरके लिये मुकर्रर हैं और जिसकदर अदालतको आयदकरनेका अख्तियारहै और चाहिये कि वहसजायें जब कैद या हब्स बउबूरदरियायशोरकी किस्मसेहों यकेबाददीगरे उस तरतीबसे शुरूअ की जायँ जिसकी अदालत हिदायत करे ॥

अदालत को महज इस वजहसे कि उन जरायममुतअद्दिदकी सजायमजमूई उसमिक्दारसजासे ज़ियादहहै जिसके आयदकरने की अदालतमौसूफा बहालत सुबूत जुर्म वाहिद मजाजहै जरूर न होगा कि मुजरिम को अदालत बालातर के हुजूर में तजवीज के लिये भेजदे ॥

मगर शर्त्त यहहै कि--

(अलिफ) किसी सूरतमें मुजरिम मजकूरकी निस्बत १४ चौदह बरससे जियादह मीआदके लिये कैदका हुक्म सादिर करना जायज न होगा ॥

सजाका दर्जाइन्तिहा,

(बे) अगर मुकद्दमेकी तजवीज उसमजिस्ट्रेटके सिवाय जो दफा ३४ के बमूजिबअमल करताहो किसी और मजिस्ट्रेट की मारफतहो तो मजमूई सजा उस सजा की दोचन्द मिकदारसे जियादह न होगी जिसको मजिस्ट्रेट अपने मामूली अख्तियार की रूसे आयद करसकाहै ॥

हुक्म सजाकी बहाली या उससे अपील करनेके लिये हुक्म सजाय मजमूई का जो इस दफ़ा के बमूजिब उस मुकद्दमे में सादिर हो जिसमें मुतअद्दिद जरायम एकही तजवीज में साबित कियेजायँ बमंजिलै हुक्म सजाय वाहिद के मुतसव्विर होगा ॥

[जीम] अख्तियारात मामूली और जायद ॥

दफा३६*तमाम मजिस्ट्रेटान जिला और मजिस्ट्रेटान हिस्से

---

*अपरब्रह्माके मजिस्ट्रेटोंके अख्तियारातकेबारेमें कानून७ सन्१८८६ई०के जमीमाकीदफ़ा दफा६ देखो मगर रिआयायबरतानी अहलयूरपकेबारेमें उसी जमीमाकी दफा २२ – देखो ॥

मजिस्ट्रेटों के अख्ति-यारातमामूली, जिला और मजिस्ट्रेटानदरजे अव्वल व दर्जै दोम व दर्जै सोमको वह अख्तियारात हासिलहैं जो बादअर्जी उनको अताहुयेहैं और जिनकी सराहतजमीमैसोम में मुन्दर्ज है और यह अख्तियारात उनके "मामूली अख्तियारात" कहलाते हैं ॥

अख्तियारात मजीद जो मजिस्ट्रेटोंकोबख्शेजा सक्तेहै, दफा३७—*जायजहै कि किसीमजिस्ट्रेट हिस्साजिला या मजिस्ट्रेट दरजैअव्वल या दरजैदोम या दरजैसोमको लोकलगवर्नमेण्ट या किसी मजिस्ट्रेट जिलेकी तरफसे जैसा मौकाहो अलावह उसके मामूली अख्तियारात के ऐसे अख्तियारात जायद अताकियेजायँ जो जमीमै चहारुम में वह अख्तियारात करारदियेगयेहैं जो लोकलगवर्नमेण्ट या मजिस्ट्रेट जिलेकी तरफसे उसको हासिलहोसक्तेहैं ॥

मजिस्ट्रेट जिला के अख्तियारात मुद्दहकाताबै हुकूमतहोना, दफा३८—अख्तियार जो मजिस्ट्रेट जिलाको अजरूय दफा ३७ अताहुआ है बइतबाअहुकूमत लोकलगवर्नमेण्ट के अमल में लायाजायेगा ॥

(दाल) बाबत अता व बहाली व मन्सूखी अख्तियारात के—

अख्तियारात के बख्शने का तरीका, दफा३९—जब लोकलगवर्नमेण्ट इसमजमूयेके मुताबिक अख्तियारात अताकरे तो उसको अख्तियार है कि अजरूय हुक्म अशखासको बतखसीस उनके इस्मायके याबइतबार उनके ओहदों के या अकसाम ओहदेदारों को बिलउमूम उनके ओहदोंके लकब से अख्तियारातबख्शे ॥

हर ऐसा हुक्म उस तारीखसे नाफिजहोगा जिसतारीखको हुक्म मजकूर उसशख्सके पास पहुंचायाजाय जिसे इस नेहज का अख्तियार अताहुआहो ॥

दफा४०—जब कोईओहदेदार मुलाज़िम गवर्नमेण्टजिसकोइस

---

*सफा २४ का फोटनोटदेखो,

गावके मुखियावोंऔर मालिकान आराजीवगैरह परवाजिबहैकि बाजमुआमिलातमेंरिपोर्टकरैं,

ल्कार पुलिस या मालिक या दखील अराजी और उस मालिक या दखीलके कारिंदेको और हरअहल्कार तहसील मालगुजारी या लगान अराजकी जो मिंजानिब सर्कार या कोर्ट आफवार्डस मामूर हो लाजिमहै कि करीबतर मजिस्ट्रेट याकरीवतर थाने पुलिसके अहल्कार मोहतमिमको याने जो करीबतरहो हरखबर जो उमूरमुफस्सिलै जैलकी बाबत उसको मालूमहो फौरन्पहुँचाये ॥

गांवके मुखियापर बाज मुआमिलात में रिपोर्ट करना वाजिब है,

की रूसे मुकर्रर हुआ हो यह लाजिम होगा कि करीब तर मजिस्ट्रेट या करीबतर थाना पुलिस या फौजी चौकीके, अहल्कार मुहतमिम को यानी जो करीबतरहो हर खबर जो उमूर मुफस्सिलह जैलकी बाबत उसको मालूम हो फौरन् पहुचाये—

(अलिफ)—उसके गाव में जो शख्स मालमसरूका का मशहूर लेनेवाला या उसका फरोख्त करनेवाला हो उसकी सकूनत मुस्तकिल या चन्दरोजह की बाबत—

(बे)—जिस शख्स की निस्बत उसको मालूम या इश्तबाह| माकूलहो कि वह डाकू या रहजन या कैदी फिरारी या मुजरिम इश्तहारीहै उसके गावके अन्दर किसी मुकाम में उसकी आमद की बाबत या गांव मजकूर में होकर किसी रास्ता से उसके गुजरने की बाबत—

(जीम)—उसके गांवके अन्दर जरायम मरकूमुल जैलमें से किसी जुर्मके इर्तिकाब या अकदाम इर्तिकाब या इरादा इर्तिकाबकी बाबत (यानी)—

(१)—कत्ल—

(२)—कत्ल इन्सान मुस्तलजिम सजा जो कत्ल अहदतक न पहुंचे,

(३)—डकैती,

(४)—रहजनी,

(५)—जुर्म मुतअल्लिकएक्ट मुसद्दिरह सन्१८७८ई० मजरियेहिन्द बाबत इसलह—और,

(६)—कोई और जुर्म जिसकी बाबत साहब डिप्टी कमिश्नर बजरिये हुक्म आम या खास के साहब कमिश्नर की मंजूरी पेश्तर हासिल करके खबर पहुचाने के लिये उसे हिदायत करे,

(दाल)—उसके गांव में किसी मौत इत्तिफाकी या गैर तबई के वाके होने की बाबत या बाबत किसी मौत के जो बहालात मुश्तबह वकूअ में आईहो ॥

तशरीह—इस दफा में लफ़्ज ‘ गांव , के वही मानेहोंगे जो अपरब्रह्मा के गावों के क़ानून मुसद्दिरह सन् १८८१ ई० की रूसे उस लफ़्ज के लिये मुकर्रर करदिये गयेहैं,,

लोवरब्रह्मा के उन हिस्सों में जहां लोकल गवर्नमेंट के जरिये से ऐक्ट ३ सन् १८८९ई०

(अलिफ)-- जो शख्स किसी गांवका मुखिया या चौकीदार या अहलकारपुलिसहो या उसमें वह अराजीकामालिक या दखीलहो या उसका जरलगान या जरमालगुजारी तहसीलकरताहो या कारिन्दाहोतो उसगांवमें जोशख्स मालमसरूकाका मशहूर लेने वाला या उसका फरोख्त करनेवालाहो उसकीसकूनत मुस्तकिल या चंदरोजाकी बाबत—

को दफ़ा ५ — बसअर्तापिजार हुईहै — दफ़ा मरकूमुलज़ैल उस दफ़ा की रूसे दफ़ा ४५ के एवज कायम की गईहै ॥

"दफ़ा ४५ — (१) — उस मुखिया को जो लोअरब्रह्मा के गांव के ऐक्ट मुसर्द्दिरह सन्१८८९ई० के बमूजिब मुकर्ररहुआ हो — यह लाजिम होगा — कि करीबतर मजिस्ट्रेट या करीबतर थानापुलिस या फ़ौजी चैकी के अहल्कार मुहतमिम को यानी जो करीबतरहो हरख़बर जो उमूर मुफस्सिलह जैलकी बाबत उसको मालूमहो फ़ौरन् पहुंचाये ॥

(ऐक्ट३ सन् १८८९ई०, मुखिया पर बाज मुआमिलातमें रिपोर्ट करना वाजिब है,)

[अलिफ] — उसके गांव में जो शख्स माल मसरूकाका मशहूर लेनेवाला या उसका फ़रोख्त करनेवाला हो उसकी सकूनत मुस्तकिल या चंदरोजह की बाबत,

[बे] — जिस शख्सकी निस्बत उसको मालूम या वुजूहवाह माकूलहो कि वह डाकू या रहज़न या कैदी फरारी या मुजरिम इश्तहारी है उसके गांव के अन्दर किसी मुकाम में उसके आमदकी बाबत या गांव मजकूरमें होकर किसी रास्तासे उसके गुज़रनेकी बाबत,

[जीम] — उसके गांव के अंदर जरायम मरकूमुलजैल मेंसे किसी जुर्म के इर्तिकाब या अकदाम इर्तिकाब या इरादह इर्तिकाब की बाबत [यानी] —

[१] — कतल,

[२] — कतल इन्सान मुस्तलज़िम सज़ा जो कतल अहद तक न पहुंचे,

[३] — डकैती,

[४] — रहज़नी,

[५] — जुर्म मुतअल्लिक ऐक्ट मुसर्द्दिरह सन् १८७८ ई० मर्जारियह हिंद बाबत असलह — और,

(ऐक्ट११ सन्१८७८ई०,)

[६] — कोई और जुर्म जिसकी बाबत साहब डिप्टी कमिश्नर बज़रिये हुक्म आम या ख़ास के साहब कमिश्नर की मजूरी पेश्तर हासिल करके खबर पहुंचाने के लिये उसे हिदायत करे,

[दाल] — उसके गांव में किसी मौत इत्तिफ़ाकी या ग़ैर तबई के वाके होने की बाबत या बाबत किसी मौत के जो बहालात मुश्तबह वकूअ में आई हो,

[२] — दफ़ा मातहती [१] में लफ़्ज़ 'गांव, के वही मानेहोंगे जो लोअरब्रह्मा के गांव के ऐक्ट मुसर्द्दिरह सन् १८८९ ई० की रूसे उस लफ़्ज के लिये मुकर्रर करदियेगये हैं,,

(ऐक्ट ३ सन् १८८९ ई०,)

जाब्ता कार्रवाई जबकि अन्दर दखल न मिलसके, दखल न मिलसके तो उसमुकद्दमे में जिसमें कोई शख्स वारंट के जरियेसे अमल करताहो और किसी दूसरे मुकद्दमे में जिसमेंवारंटका जारीहोना जायज़ है मगर बिलादेने मौका फरार के शख्स गिरफ्तारी तलब को वारंटकाहासिल करना गैर मुमकिनहो यह बातजायज़ होगी कि अहल्कार पुलिस उस मुक़ाममें दाखिलहोकर उसके अंदर खानातलाशीकरे ॥

और उसको अख्तियारहोगा कि वैसेमुकाममें दाखिलहोनेकेलिये किसी मकान या मुकामके दरवाजे या खिड़की बेरूनी या अंदरूनी को जो शख्स गिरफ्तारीतलब की या किसी और शख्सकी मिल्कियतहो उस सूरत में तोड़कर दाखिलहो जबकिउसने अपना अख्तियार और इरादा जाहिर और दाखिल होनेकी दरख्वास्त हस्ब जाब्ताकीहो और किसी और तौरपरदाखिल होनेसे मजबूर हो ॥

मगर शर्त्तयहहै कि अगरवह मुकाम ऐसा खिलवतखानाहो जिस जनाना खानाको तोड़ कर उसके अन्दर जाना, में कोई औरत[जो शख्स गिरफ्तारीतलब न हो] फिल्वाक़ै मुक़ीम हो जो मुताबिक़ रिवाज के अवामके रूबरू नहीं निकलती है तो ऐसे शख्स या अहल्कार पुलिस को लाजिम है कि ऐसे खिलवतखाने में दाखिल होनेसे पहिले ऐसी औरतको इत्तिलाअ दे कि वह उसमें से चलेजाने की मजाज़है और उसको निकलनेके लिये हरतरहकी सहूलत माकूलदे और बाद उसके मजाज़होगा कि खिलवतखाने को तोड़कर उसके अंदरजाय ॥

दफा ४९— रिहाई के लिये दरवाजों औरखिड़कियोंके तोड़ डालने का अख्तियार, हरएक अहल्कार पुलिसया और शख्सको जो गिरफ्तारी करनेका मजाज़हो अख्तियारहै कि वास्ते रिहाकरने नफ्सखुद या किसी और शख्सके जो बतौर जायज़ किसीकी गिरफ्तारीके लिये किसीमकान या मुक़ाममें दाखिलहोकर वहां रोंकागयाहो मकान या मुकाममज़कूरके किसीदरवाजा या खिड़की बेरूनी या अन्दरूनी को तोड़डाले ॥

दफ़ा ५०– शख़्स गिरफ्तारशुदहपर उससे जियादहतंगीनकी जायेगी जो उसके फरारके इन्सदादके लिये जरूरहो ॥

गैर जरूरी तंगी कीजायगी

दफ़ा५१–जबकोई शख़्स किसी अफ्सर पुलिस की मारफत ऐसेवारंटके जरियेसे गिरफ्तार कियाजाय जिसमें हुक्म हाजिरजामिनी लेनेका न हो या ऐसे वारंट के जरियेसे जिसमें हुक्म हाजिरजामिनी के लेनेकाहो इल्ला शख़्स गिरफ्तारशुदह हाजिरजामिनी न देसके ॥

अश्ख़ास गिरफ़्तार शुदहकी तलाशी लेनी,

और जब कोई शख़्स बिलावारंट गिरफ्तार किया जाय या बज़रिये वारंटके किसी शख़्सखानगीने उसको गिरफ्तार कियाहो और हाजिरजामिनी पर उसका रिहाहोनाकानूनन्जायज़ न हो या वह हाजिरजामिनी न देसके ॥

तो अहल्कार पुलिस गिरफ्तारकुनिन्दा या अगर गिरफ्तारी शख़्स खानगीनेकीहो तो वह अहल्कार पुलिस जिसको शख़्स खानगी शख़्सगिरफ्तार शुदह को सिपुर्दकरे मजाज़ होगा किऐसे शख़्सकी तलाशीले और जुम्ला अशियायको सिवाय पारचै पोशीदनी बक़दर ज़रूरत जो उसके बदन परपाई जायें हिरासत महफूज़ामें रक्खे ॥

दफ़ा ५२ जब कभी किसी औरत की तलाशीलेनी ज़रूर हो उसकी तलाशी किसी औरतकी मारफतबकमाल लिहाज़ उसकी शर्म व हयाकेलीजायेगी॥

औरतोंकी तलाशीलेनेका तरीक़ा,

दफ़ा ५३ अहल्कार पुलिस या और शख़्स जो इस मजमूये के मुताबिक़ कोई गिरफ्तारीकरे मजाज है कि शख़्स गिरफ्तार शुदह से ऐसे लड़ाई के हथियार लेले जो उसके बदनपर पायेजायँ और उसको लाजिम है कि कुल हथियार जो इसतरह लियेहों उस अदालत या ओहदेदार को हवाले करदे जिसके रूबरू शख़्स गिरफ्तार कुनिन्दा के लिये इस मजमूये में हुक्म है कि शख़्स गिरफ्तार शुदह को हाज़िरकरे ॥

लड़ाई के हथियार लेलेने का अख़्तियार,

(बे)बाबत गिरफ्तारी बिला वारंट ॥

दफा ५४-- हर अहल्कार पुलिस मजाज़ है कि बिलाहुक्म मजिस्ट्रेट और बिदून वारंट किसीऐसेशख्स को गिरफ्तारकरेजिसका जैलमें जिक्रहै ॥

कबबिलावारंटपुलिस गिरफ्तार करसक्ताहै,

अव्वलन्---हर शख्स को जोजुर्म काबिल दस्तन्दाजी में शरीक रहा हो या जिसकी निस्बत इस बातकी शिकायत माकूल गुजरीहो या इत्तिला मोतबिर पहुंचीहो या शुभह माकूल नाशीहो कि वह ऐसे जुर्ममें शरीक रहाहै ॥

सानियन्---ऐसे हर शख्स को जिसके पास बिलावजह जायज़ कोई आला नक़बज़नी मौजूद हो जिसके पासरहने की वजह मज़बूर का बार सुबूत शख्समज़कूरकी गर्दनपरहोगा ॥

सालिसन्-- ऐसे हरशख्सको जिसके मुजरिम होनेकी बाबत इस मजमूयेके बमूजिब या अज़रूय हुक्म लोकलगवर्नमेण्ट इश्तिहार दियागयाहो ॥

राबिअन्--ऐसे हर शख्सको जिसके कब्ज़ेमें ऐसाकोई माल पायाजाय जिसकी निस्बतमाल मसरूका होनेका शुभह माकूल हो और इसबातका शुभहमाकूलहो कि उसने कोई जुर्म निस्बत शै मज़कूर के कियाहै ॥

खामिसन्---ऐसे हर शख्सको जो किसी अहल्कार पुलिस का उस हालतमें मज़ाहिम हो जब कि वह अपना कारमन्सबी तामीलकरता हो या जो हिरासत कानूनीसे फ़रार होजाय या फरार होजाने का इकदामकरे-और ॥

सादसन्-ऐसे हर शख्सको जिसकी निस्बत यह शुभह माकूल हो कि वह अफवाज मलका मुअज़्ज़मा बहरी या बर्री से फ़रारहुआ है×या जो मलका मुअज़्ज़मा की मुलाज़िमत बहरी हिंदके मुतअल्लिक़ हो और उस मुलाज़िमतसे बतौर नाजायज़ गैरहाज़िर रहाहो× ॥

×--× यह अल्फ़ाज दफा ५४में ऐक्ट१४ सन् १८८७ ई० की दफा०८ की रूसे मुदर्ज कियेगये हैं ॥

यहदफा बलाद कलकत्ता और बम्बईकी पुलिससे मुतअ़ल्लिक़है,

आवारह गरदों और उन लोगोंकी गिरफ़्तारीजो आदतन् रहज़नवग़ैरहहों

दफा ५५⊛इसी तरह अफसर मोहतमिम पुलिस इस्टेशनको अख्तियार है कि अशखास मुफस्सिलै जैल कोगिरफ्तारकरे या कराये ॥

(अलिफ)-ऐसे हर शख्सको जो इस्टेशन मज़कूरकी हुदूदके अंदर ऐसे हालातके साथ अपनी मौजूदगी छिपानेकी तदबीरें कररहाहो जिनसे यह जन्‌गालिब पैदाहो कि वह किसी जुर्म काबिल दस्तन्दाजीके इर्तिकाब की नियत से ऐसी तदबीरें करता है--या ॥

(बे)-ऐसे हरशख्सको जो इस्टेशन मजकूर की हुदूदके अंदर बजाहिर कोई सबील मआशकी न रखता हो या अपना हाल इस तौरसे जाहिर नकरसक्ताहो कि उसपर इतमीनान कियाजाय-या॥

(जीम)-ऐसे हरशख्स को जो उरफन् और आदतन् रहज़न या नक़बज़न या चोर या आदतन् माल मसरूका को मसरूका जानकर लेनेवाला हो-या इस अम्र में मशहूर हो कि आदतन् हुसूल बिल्‌जब्र करता है या हुसूल बिल्‌जब्रके इरादे से खलायक़ को नुक्सान रसानी का आदतन् खौफदेता हो या देनेका कस्द करता हो× ॥

×यह दफा शहर कलकत्ता व शहर बम्बई के पुलिस से मुतअ़ल्लिक़ ॥

ज़ाबिता कार्रवाई जब कि ओहदेदार पुलिस अपने अहल्‌कार मातहत कोबिलावारंट गिरफ्तारी के लिये भेजे,

दफा५६--जब ओहदेदार मोहतमिम पुलिस इस्टेशन को इस अम्रकी जरूरत हो कि उसका कोई अहल्कार मातहत बिला वारंट उसके मवाजहमें नहीं बल्कि बतौर खुद ऐसे शख्सको गिरफ्तारकरे जिसकी गिरफ्तारी कानूनन् बिलावारंट होस-

---

⊛ अपर ब्रह्मा।मेंवह अख्तियारात जो ओहदेदार मुहतमिम पुलिसइस्टेशन को दफा५५— की रूसे बख्शे गयेहैं किसी ओहदेदार पुलिसके ज़रियेसे अमलमें आसक्तेहैं— देखो कानून ७--सन् १८८६ ई० के जमीमेकी दफा७

×—×यहअल्फाजदफआत ५५ व ५६ में ऐक्ट१० सन्१८८६ई०की दफा३कीरूसे बढ़ायेगयेहैं,

कीहै तो ओहदेदार मजकूर को लाजिम है किउस अहल्कार को जिसकी मारफत किसीशख्सका गिरफ्तार कराना मंजूरहो हुक्म तहरीरी वतफ़सील नाम शख्स गिरफ्तारी तलब और उस जुर्म के जिसकी इल्लतमें उसको गिरफ्तारकरना मंजूरहै हवालेकरे॥

यहदफाशहर कलकत्ता व शहरबम्बईकेपुलिससे मुतअल्लिकहै

नाम और सकूनत के बताने से इन्कार करना,

दफा५७--×अगर कोई शख्स किसी अफसर पुलिस के रूबरू ऐसे जुर्मका मुर्त्तकिब हो या ऐसे जुर्ममें मुलज़िम हो जो लायक़ दस्तन्दाजीके न हो और इन्दुलतलब अहल्कार पुलिसके अपना नाम और सकूनत जाहिर न करे या ऐसा नाम या सकूनत जाहिरकरे जिसको अहल्कार मजकूर बवजह माकूल झूंठ समझता हो तो जायज़ है कि ऐसा शख्स ऐसे अहल्कार की मारफत इस ग़रज से गिरफ्तार कियाजाय कि उसका नाम और सकूनत दरियाफ्त कीजाय और वह वक्त गिरफ्तारी से चौबीसघंटे के अंदर उस मजिस्ट्रेट के पास भेजा जायेगा जो क़रीबतर हो बजुज उस सूरत के कि मिआद मजकूर के इन्क़जासे पहिले उसका सहीनाम और सकूनत मुतहक्किक होजाय कि उस सूरत में मजिस्ट्रेट के रूबरू हाज़िर होनेका मुचलका लिखने पर अगर उससे मुचलका तलबकिया जाय उसको रिहाई दीजायेगी॥

मुजरिमों का पीछाकर इलाका अख्तियारके अन्दर तअक्कुब करना,

दफा ५८--अहल्कार पुलिस मजाज़है कि बगरज बिलावारंट गिरफ्तार करने ऐसे शख्सके जिसको वह इस बाब के बमूजिब गिरफ्तार करनेका मजाज़ है कलमरौ बृटिशइण्डियाके अंदर हर मुकामपर शख्स मजकूरका तअक्कुब करता चलाजाय॥

-- सफो ३५ का फोट नोट (×—×) देखो,

× दरबारह अख्तियार पुलिस दरखसूस रोकरखने के अपरब्रह्मा में कानून ७ सन्१८८६ ई० के ज़मीमे को दफा ८ देखो,

गिरफ्तारीगैर सरकारी आदमियों के जरिये से,

दफा५९--हरशख्स खानगी मजाज़ है कि किसी शख्स को गिरफ्तार करे जो उसके रूबरू कोई जुर्म गैर काबिल जमानत और लायक़ दस्तन्दाजी कररहाहो या जो मुजरिम इश्तिहारी हो ॥

जाबता कार्रवाई ऐसी गिरफ्तारी के बाद,

और उसको लाजिम है कि बिला तवक्कुफ गैरजरूरीके ऐसे शख्स गिरफ्तार शुदहको किसीअहल्कार पुलिस के हवालेकरे या अहल्कार पुलिसकी अदममौजूदगीकीसूरतमें उसकोइस्टेशन पुलिसमेंलेजायजोकरीबतरहो ॥

अगर इसगुमानकी वजह पाईजाय कि शख्स मजकूरपरमिन्जुमलै शरायत दफा ५४ किसीशर्त्तका इत्तलाक़ होसक्ता है तो अहल्कार पुलिस को चाहिये कि उसको मुकर्रर गिरफ्तारकरे ॥

अगर इसगुमान करनेकी वजहहो कि उससे कोई जुर्मगैरकाबिलदस्तन्दाजी सरजदहुआ है और वहइन्दुल्तलब किसी अहल्कार पुलिसके अपनानाम और मस्कन बतानेसे इन्कारकरे या ऐसानाम या मस्कन जाहिर करे जिसको अहल्कार पुलिसझूठ समझनेकी वजहरखताहो तो शख्स मजकूरकी निस्बत कार्रवाई हस्बशरायतदफा ५७ कीजायेगी और अगर यहगुमान करने की कोई वजह न हो कि वहजुर्मका मुर्त्तकिब हुआ है उसको फौरन् रिहाई दीजायगी ॥

शख्स गिरफ्तार शुदह को मजिस्ट्रेट या अहल्कार मोहतमिमइस्टेशन पुलिसके रूबरू लेजाया जायगा,

दफा ६०--अहल्कार पुलिसको जो किसी शख्सको बिलावारंट गिरफ्तारकरे लाजिम है कि बिलातवक्कुफ गैर जरूरी और बपाबन्दीअहकाम मजमूयेहाज़ा दरबाब अख़ज जमानतके शख्समजकूर को रूबरू उस मजिस्ट्रेट के जो उसमुकद्दमेकी समाअ़तका मजाज़हो या रूबरू अहल्कार मोहतमिम इस्टेशन पुलिस के लेजाय या भेजे ॥

×दरबारे अख्तियार पुलिस दरखसूस रोकरखनेके अपरब्रह्मा में क़ानून ६ सन् १८८६ई० के जमीमा की दफा ८ देखो,

दफा६१—×किसी अहल्कार पुलिसको अख्तियारनहीं है कि किसी शख्सको जो बिलावारंट गिरफ्तार हुआ हो उससे जियादह अरसे तकहिरासतमें रक्खे जो बलिहाज जुमलै हालात मुकद्दमे माकूल मालूमहो और वह अर्सा बजुज उस सूरतके कि साहब मजिस्ट्रेट कोई और हुक्म खास हस्ब दफा १६७ सादिर करे २४ घंटे से जियादह न होगा अलावह उस अर्सेके जो मुकाम गिरफ्तारी से मजिस्ट्रेटकी अदालततक सफरकरनेकेलिये दरकारहो ॥

शख्स गिरफ्तार शुदह चौबीस घंटे से जियादह अर्से तक हिरासत में न रक्खा जाय,

दफा६२—अहल्कारान मौहतमिम इस्टेशन हाय पुलिस को लाजिम है कि मजिस्ट्रेट जिला या अगर वह इसबातकी हिदायत करे तो मजिस्ट्रेट हिस्सा जिला को जुमलै अशखासकी रिपोर्ट लिखभेजें जो उनके इस्टेशनों की हुदूदके अंदर बिला वारंट गिरफ्तारहुये हों आमइससे कि उन अशखाससे जमानत लीगई हो या नहीं ॥

पुलिस गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करेगा,

दफा६३—कोई शख्स जो मारफत अहल्कार पुलिस के गिरफ्तार कियाजाय रिहाई न पायेगा बजुज उस सूरत के कि वह अपना मुचलका लिखदे या जमानत दे या उस सूरत में कि साहब मजिस्ट्रेटका हुक्म खास सादिरहो ॥

शख्स गिरफ्तार शुदह की रिहाई,

दफा६४—जब कोई जुर्म मजिस्ट्रेट के खुद मवाजह में उसकेइलाके अख्तियार की हुदूद अरजीके अंदर सरजदहो साहब मजिस्ट्रेट को अख्तियार है कि मुजरिमको खुद गिरफ्तारकरे याहुक्मदे कि कोई शख्समुजरिमको गिरफ्तार करे और उसकेबाद बपाबंदी अहकाम मजमूये हाजा बाबत ज़मानत के मुजरिम को हिरासत में करे ॥

बहजुर्म जिसकाइर्तिकाब मजिस्ट्रेटके रूबरू हो,

दफा६५—हरमजिस्ट्रेटको अख्तियारहै कि हरवक़ अपने रूबरू अपनेइलाके अख्तियारकी हुदूद अरज़ी के अंदर ऐसेशख्सको खुद गिरफ्तारकरे या उसकी

मजिस्ट्रेट के जरियासे याउसकेरूबरूगिरफ्तारी,

गिरफ्तारीकी हिदायतकरे जिसकी गिरफ्तारी के लिये वह उसवक्त और बलिहाज़ हालातके वारंटजारीकरनेका मजाज़ है॥

दफा६६-- अगर कोई शख्स जो हिरासत जायजमें हो फरार होजाय या शख्स गैर उसको छुडालेजाय वह शख्स जिसकी हिरासत से वह फरारहुआ या छुडायागया मजाजहै कि फौरन् उसका तअक्कुबकरके उसको किसीमुकाम वाकै ब्रिटिशइंडियामें गिरफ्तारकरे॥

फरारहोनेपर यह अख्तियार कि उसका तअक्कुबकरके फिर उसकोगिरफ्तारकियाजाय,

दफा६७-- अहकाम दफआत ४७ व ४८ व ४९ उन गिरफ्तारियोंसे मुतअल्लिक़होंगे जो अजरूय दफा ६६ के कीजायँ गोवहशख्स जोऐसी गिरफ्तारीकरे अजरूय वारंटके कारवाई नकरताहो और ऐसा अहल्कार पुलिस न हो जिसे गिरफ्तारी करनेका अख्तियारहो॥

अहकाम दफआत४७ व ४८ व४९--गिरफ्तारीहाय तहतदफा ६६ से मुतअल्लिकहोंगे,

बाब ६॥

बाबत हुक्मनामजात अहजार बिलजब्र

[अलिफ]--सम्मन॥

दफा६८-- हरसम्मन जो इसमजमूयेकेबमूजिब किसी अदालतसे सादिरहो तहरीरीहोगा और उसकी दोपरत होंगी और उसपर अदालत के हाकिम इजलासकुनिन्दा या किसी और ओहदेदारके दस्तखत और मोहरहोगी जैसाकि हुक्काम हाईकोर्ट वक्तन् फवक्तन् किसी कायदेकी रूसे हिदायतकरें॥

सम्मनका नमूना,

तामील सम्मनकी मारफत अहल्कार पुलिस के या बपाबंदी उन कवाअदके जोनफ़ीज मजमूयेहाजाके नहों और जिन्हें लोकलगवर्नमेण्ट इसबाब में मुन्जबितकरे मारफत किसी अहल्कार अदालत सादिर कुनिन्दासम्मन के कीजायगी॥

तामील सम्मनकी किसकेजारियेसेहोगी,

यहदफा बलाद कलकत्ता और बंबईकी पुलिससे मुतअल्लिक़है--

दफा६९-- अगर मुमकिनहो तो सम्मनकी तामील उसशख्स की जातपर जिसपर सम्मन जारी कियाजाय इसतौरसे कीजायेगी कि सम्मनकी दोपरतोंमें

तामील सम्मनकीक्योंकर होगी,

से एकपरत उसके हवाले या उसके रूबरू पेशकीजाय ॥

सम्मनके पानेकी निस्पत दस्तखत,

हरशख्सको जिसपर सम्मनकी तामील इसतौर से कीजाय लाज़िमहै कि बरवक्त दरख्वास्त अहल्कार तामीलकुनिंदा सम्मनके सम्मनकी दूसरीपरतकी पुश्तपर निस्बत वसूलयाबी सम्मनके अपने दस्तखत सब्तकरे॥

तामील सम्मन जबकि वहशख्स जिसके नाम सम्मन जारी कियाजाय न मिले,

दफा७०--अगर वह शख्स जिसके नाम सम्मन जारीकियाजाय बाद कोशिश करारवाकई के दस्तयाब न होसके तो सम्मन की तामील इस तौरसे जायज़ है कि उसकी एक परत शख्स मजकूरके लिये उसके खान्दान के किसी अहलज़कूर बालिगके पास या बल्दे प्रेज़ीडंसीमें उसके मुलाज़िमकेपास जो उसकेसाथ रहताहो छोड़दीजाय और उसशख्सको जिसकेपास सम्मन छोड़ादियाजाय लाजिमहै कि बरवक्त दरख्वास्त अहल्कार तामीलकुनिन्दैके दूसरीपरतकी पुश्तपर रसीदसम्मनकी लिखकर उस पर दस्तखतकरदे ॥

जाबता जबकि रसीद न हासिलहोसके,

दफा७१--अगर वह दस्तखत जो दफ़आत ६९व७०में मजकूरहैं बाद कोशिश करारवाकई के हासिल नहोसके तो अहल्कार तामीलकुनिन्दै सम्मनकोलाज़िम है कि सम्मनकी एकपरत उस मकान या मस्कनकी किसी नज़रगाह आमपर आवेज़ांकरदे जिसमें वहशख्स जिसपर सम्मनजारी हुआ मामूलन् रहताहो उसकेबाद यह समझाजायेगा कि सम्मन की तामील हस्बज़ाबिता होगईहै॥

तामील सम्मन मुलाजिम सरकार यामुलाजिम रेलवे कम्पनी पर,

दफा ७२—जब वह शख्स जिसपर सम्मन जारीहो गवर्न्नमेएट या किसी रेलवे कम्पनी का मुलाज़िम मसरूफ़ बखिदमत हो तो अदालत सादिरकुनिन्दा सम्मन को लाज़िम है—कि उमूमन् सम्मन की दो पर्त उस दफ्तर के अफ्सर के पास भेजदे जिसमें वह शख्स मुलाज़िम हो—पस अफ्सर मजक़ूर उसतौर से सम्मन

की तामील करादेगा जो दफ़ा६९–में मज़कूरहै–और उस अदालत में मयइबारत ज़ोहरी महकूमै दफ़ामज़कूर वापिस भेजेगा॥

तामील सम्मन हुदूद अरजी के बाहर,

दफ़ा ७३—जब किसी अदालतको यह मंजूर हो कि तामील किसी सम्मन की जो उसने जारी किया है किसी ऐसे मुक़ाम पर कीजाय जो उसके अख्तियार की हुदूदअरजी से बाहर होतो उसको लाज़िम है कि उमूमन् सम्मनकी दोपर्त उसमजिस्ट्रेटके पासमुरसिलकरे जिसके इलाक़े की हुदूदअरज़ी के अंदर वह शख्स सकूनत रखता है या मौजूद हो जिसपर सम्मन जारी किया गया ताकि वहांउसकी तामील की जाय॥

सबूत तामील सम्मन वैसी सूरतों में और जब ओहदेदार तामीलकुनिन्दा सम्मन हाजिर नहो,

दफ़ा७४—जब तामील किसी सम्मन की जो किसी अदालतने जारीकियाहो उसके इलाक़े अख्तियार की हुदूद अरज़ीके बाहर कीगई हो और हर मुक़द्दमेमें जिसमें ओहदेदार तामील कुनिन्दा सम्मन वक्त समाअत मक़द्दमे के हाज़िर न हो तो इज़हार हलफ़ी जिसका मजिस्ट्रेटके रूबरूलिखवाजाना पाया जाय बदींमज़मून कि सम्मनकी तामील होगई और एक पर्त जिसमें इबारत ज़ोहरी [हस्बतरीक़ै महकूमै दफ़ा ६६–या दफ़ा ७०] उस शख्सकी जानिबसे हो जिसको वहपर्त हवाले कीगई या जिसके रूबरू पेशकीगई या जिसकेपास वह छोड़ी गई शहादत में क़ाबिल लिये जाने के होगी और जो बयानात उसमें दर्जहों वह सही मुतसव्विरहोंगे बजुज़ उस सूरतके और उसवक्त तक कि ख़िलाफ़ उसके साबित कियाजाय॥

जायज़है कि इजहार हलफ़ी मुतज़क्किरै दफ़ाहाजा पर्त सम्मन के साथ मुन्सलिक होकर अदालत में वापिस कियाजाय॥

(बे)वारंट गिरफ्तारी॥

नमूनावारंटगिरफ्तारी,

दफ़ा७५—हर वारंट गिरफ्तारी जो अज़रूय मजमूये हाज़ा किसी अदालत से जारी हो तहरीरी होना चाहिये और उसपर हाकिम इजलास कुनिन्दाके दस्तख़त सब्त

हों या दरसूरत बेंचमजिस्ट्रेटों के बेंच मजकूरके किसी मेम्बर के दस्तखत और मोहर अदालत सब्तकीजाय ॥

वारंट गिरफ्तारी का नफाज पिजीर रहना,

ऐसा हर वारंट उसवक्ततक निफ़ाज पिजीर रहेगा कि वह उसअदालतसे मन्सूख कियाजाय जिसने उसको जारी किया हो या उस वक्त तक कि उसकी तामील होजाय ॥

अदालत जमानतलेने की हिदायत करसक्ती है,

दफ़ा ७६—हर अदालतको जो किसी शख्स की गिरफ्तारी के लिये वारंट जारीकरे अख्तियारहै कि अगर मुनासिब समझे वारंटकी पुश्तपर यह हिदायतलिखदे कि अगर शख्स गिरफ्तारीतलब इसमजमूनकामुचलिका साथ जमानत काफ़ी के लिखदे कि वह फलां वक्त मुअय्यना पर अदालतमें हाजिर होगा और बादअजीं जबतक कि अदालत से दूसरे नेहजका हुक्म सादिर हो हाजिर रहेगा तो उस ओहदेदार को जिसके नाम वारंट भेजाजाय लाजिमहै कि ऐसी जमानत लेकर शख्स मजकूर को हिरासत से रिहा करे ॥

इबारत जोहरी में यह लिखा जायगा ॥

[अलिफ]—तादाद जामिनोंकी ॥

[बे]—मिकदार जर जिसमें जामिनान और वह शख्स माखूज किया जायेगा जिसकी गिरफ्तारीकेलिये वारंट जारीहुआहो—और॥

[जीम]—वह तारीख जिसपर उसको अदालत में हाजिर होना चाहिये ॥

मुचलिकाभेजाजायगा,

जब जमानत इस दफ़ा के बमूजिब लीजाय तो वह अहल्कार जिसके नाम वारंट भेजा जाय मुचलिका और जमानतनामे को अदालत में इरसाल करेगा ॥

वारंट किसके नाम लिखाजायगा,

दफ़ा७७—अलल उमूम वारंट गिरफ्तारी एक या चन्द अहल्कारान् पुलिस के नाम लिखा जायगा और जब किसी मजिस्ट्रेट प्रेजीडन्सी के हुक्म से जारी किया जाय तो हमेशा बतौर मजकूर तहरीर पायेगा मगर किसी और अदालत जारी कुनिन्दह वारंट को अख्तियार होगा कि

अगर वारंट मज़कूर की फ़ौरन् तामील होनी ज़रूर हो और उस वक्त कोई अहल्कार पुलिस उसकामकेलिये दस्तयाब न होसके तो किसी और शख्स या अशखास के नाम वारंट तहरीर करे और ऐसा शख्स या अशखास वारंट की तामील करेंगे ॥

जब वारंट एक से ज़ियादह अहल्कार या अशखासके नाम लिखा जाय तो जायज़ है कि उसकी तामील में सबके सब या उनमें से कोई एक या चन्द मसरूफ़ हों ॥

दफ़ा७८—मजिस्ट्रेट ज़िला या मजिस्ट्रेट हिस्सा ज़िला मजाज है कि अपने ज़िले या हिस्से ज़िलेके अंदर किसी जमींदार या मुस्ताजिर या सरबराहकार अराज़ीके नामवारंट वास्तेगिरफ्तारी किसी ऐसे शख्सके तहरीर करे जो कैदी मफ़रूर या मुजरिम इश्तिहारी हो या ऐसा शख्स हो जिसपर जुर्म गैरकाबिल ज़मानतका इल्ज़ामलगायागयाहो और जो तअक्कुब किये जाने से गुरेज़ करता रहाहो ॥

वारंट जमींदार वगैरह केनामभीलिखा जा सक्ता है,

ऐसे ज़मींदार या मुस्ताजिर या सरबराहकारको लाज़िम है कि वारंट पहुंचनेकी रसीदालिखदे—और अगर वह शख्स जिसकी गिरफ्तारी के लिये वारंट जारी हुआ हो उसकी ज़मींदारी या मुस्ताजिरी या अराज़ी में जिसका वह सरबराहकार हो मौजूद हो या उसके अन्दर आये उसपर वारंट की तामील करे ॥

जब वह शख्स जिसकेनाम वारंट जारी हुआ हो गिरफ्तार किया जाय तो चाहिये कि वह मयवारंट उस अफसर पुलिसके हवाले किया जाय जो करीब तर हो और वह अफसर पुलिस उसको उस मजिस्ट्रेट के रूबरू हाजिर करेगा जो उस मुकद्दमे में अख्तियार समाअत रखताहो—इल्लाउससूरतमें कि दफ़ा७६के बमूजिब ज़मानत लीजाय ॥

दफ़ा ७९—जो वारंट किसी अहल्कार पुलिसकेनाम लिखा जाय जायज़है कि उसकी तामील किसी और अहल्कार पुलिसकी मारफत अमलमें आये जिसकानाम वारंट की जोहर पर उस अहल्कार की तरफ़ से लिखा

जोवारंट अहलकार पुलीसकेनाम लिखा जाय,

गयाहो जिसके नाम वारंट लिखा गया या बजरिये तहरीर जोहरी मुन्तकिल किया गया हो ॥

दफा८०—अहल्कार पुलिसया दीगर शख्स तामिल कुनिन्दा वारंट गिरफ्तारी को लाजिमहै कि उस शख्स को जिसकी गिरफ्तारी मंजूर हो वारंटका खुलासा सुनादे और अगर वह ख्वास्तगार हो तो उसको वारंट दिखलादे ॥

खुलासावारंटकासुनादेना,

दफा ८१—अहल्कार पुलिस यादीगर शख्स तामील कुनिन्दा वारंट गिरफ्तारी को लाजिमहै कि बइतबाअ अहकाम दफा ७६ बाबत जमानतके बिला तवक्कुफ़ गैर जरूरी शख्स गिरफ्तार शुदहको उस अदालतके रूबरू हाजिरकरे जिसके रूबरू कानूनके बमूजिब शख्स मज़कूरके हाजिर करनेका हुक्म हो ॥

शख्सगिरफ्तारशुदहको बिलातवक्कुफ अदालत के रूबरू लाना चाहिये,

दफा८२—जायज़ है कि वारंट गिरफ्तारी ब्रिटिशइण्डिया के किसी मुकामपर तामील कियाजाय ॥

वारंट कहातामील किया जासक्ताहै,

दफा८३—जब वारंटकी तामील अदालत जारीकुनिन्दा वारंटके इलाकेकी हुदूद अरज़ीके बाहर होनीजरूर होतो अदालत मज़कूर मजाज़ है—कि बजाय भेजने वारंटकेब नाम किसी अहल्कार पुलिसके उसको बज़रियेडाक या बसबील दीगर किसी और मजिस्ट्रेट या कमिश्नर पुलिसके पास भेजदे जिसके इलाके की हुदूद अरज़ीके अंदर उसकी तामीलहोनी जरूर हो ॥

वारंट तामील केलिये इलाकाअख्तियारके बाहर मजिस्ट्रेटकेपासभेजदिया जासक्ता है,

साहब मजिस्ट्रेट या कमिश्नर जिसके पास वारंट गिरफ्तारी इस तौरपर भेजाजाय उसपर अपनानाम लिखेगा और अगर मुमकिन हो अपने इलाकेकी हुदूद अरज़ी के अंदर उसकी तामील करावेगा ॥

दफा ८४—जबकिसी वारंट मौसूमे अहल्कार पुलिसकीता-

जो वारंट इलाका अ-ख्तियारके बाहर तामील केलिये अहलकार पुलिस के नाम लिखाजाय, मील अदालत जारी कुनिन्दहवारंट के इलाके की हुदूद अरजीकेबाहर दरकारहोतो अहल्कार पुलिसको उमूमन लाजिम है कि वारंटपर इबारत जोहरी लिखानेके लिये मजिस्ट्रेट या ऐसे अहल्कार पुलिसके पास लेजाय जिसकारुतबा अफसर मोहतम्मिम इस्टेशनके रुतबेसे कमनहो और जिसके इलाके की हुदूद अरजी के अंदर वारंटकी तामीलहोनी जरूरहो॥

ऐसा मजिस्ट्रेट या अहल्कार पुलिस वारंटकी जोहर पर अपना नामलिखेगा और ऐसी तहरीर जोहरी उस अहल्कार पुलिसके लिये जिसके नाम वारंट लिखाजाय हुदूद मजकूर में उस की तामील करनेकेवास्ते अख्तियार काफीसमझीजायेगीऔर अहाली पुलिस मौकेको लाजिमहै कि अगर उनसे दरख्वास्तकी जाय तो वारंट मजकूरकी तामिल में ऐसे अहल्कार पुलिसकी मददकरें,

जब कभी वजहकवी इस अम्रके बावर करनेकीहोकि तवक्कुफ बीच हासिल करने इबारत जोहरी मिन्जानिब उस मजिस्ट्रेट या अहल्कार पुलिसके जिसके इलाकेकी हुदूदके अंदर वारंटकी तामील जरूरहो बायस नतामील पाने वारंटका होगा तो अहल्कार पुलिस जिसके नाम वारंट लिखागयाहो मजाज होगा कि बिला तहरीर होने ऐसी इबारत जोहरी के वारंटको ऐसे मुकाम पर तामीलकरे जो उस अदालतके इलाकेकी हुदूद अरजीसे बाहरहो जहांसे वह जारीहुआ॥

यह दफा बलाद कलकत्ताऔरबम्बईकी पुलिससे मुतअल्लिकहै॥

दफा८५—जब वारंट गिरफ्तारी उसज़िले के बाहर तामील पाये जहां से वह जारीहो तो लाजिम है कि शख्स गिरफ्तार शुदह बजुज उस सूरतके कि अदालतजारी कुनिन्दा वारंट मुकाम गिरफ्तारी से२०—मीलके अंदरवाकैहो या उसमजिस्ट्रेट या कमिश्नर पुलिस से करीबतर हो जिसके इलाकेकी हुदूद अरजीके अंदर गिरफ्तारी हुईहो या उस सूरतके कि दफा७६—के बमूजिब जमानतलीजाय

जाबिते काररवाई उस शख्सकेगिरफ्तार होनेपर जिसके नाम वारंट जारी कियाजाय,

मजिस्ट्रेट या कमिश्नर मजकूर के रूबरू हाजिर कियाजाय ॥

दफा८६--ऐसे मजिस्ट्रेट या कमिश्नर को लाजिम--है कि अगर शख्स गिरफ्तार शुदह वही शख्स मालूम हो जिससे अदालत जारी कुनिन्दा वारंट का मकसूदहो-यह हुक्मदे--कि शख्स मजकूर उस अदालत में बहिरासत भेजाजाय पर शर्त्तयह है-कि अगर जुर्म लायक जमानत के हो और वह शख्स जमानत काबिल इतमीनान मजिस्ट्रेट या कमिश्नर दाखिल करने पर मुस्तैद और आमादा हो या हस्ब दफा ७६--ज़ोहर वारंट पर हिदायत तहरीर कीगई हो और शख्स मजकूर उस जमानतके देनेपर मुस्तैद व रजामन्द हो जो बमूजिब हिदायत मजकूरके मतलूब हो--तो मजिस्ट्रेट यां कमिश्नर मजकूर ऐसी जमानत लेकर जैसी कि सूरत हो मुचलिका और जमानतनामा उस अदालतमें मुरसिल करेगा जहां से वारंट जारीहुआ था ॥

बाबितेकारवाई उस मजिस्ट्रेटकेलिये जिसके रूबरू शख्स गिरफ्तार शुदह लायाजाय,

इस दफाकी किसी इबारत से यह न समझाजायेगा 'कि अहल्कार पुलिस दफा ७६ के बमूजिब जमानत लेने से मुमतना है,

[जीम] इश्तिहार और कुर्की

दफा८७--अगर किसी अदालत को [बाद लेने या न लेने शहादत के] इस अम्रके बावर करनेकी वजह हो कि कोई शख्स जिसकी गिरफ्तारी के लिये वारंट उस अदालत से जारीहुआ है मफ़रूर या रूपोश होगया है इस गरजसे कि वारंट मजकूर की तामील उसपर न होसके तो ऐसी अदालत मजाज़ है कि इश्तिहार तहरीरी इस हुक्म से जारीकरे कि शख्स मजकूर एक मीआद मुअय्यनके अंदर जो तारीख मुश्तहिर करने इश्तिहार से ३०--रोजसे कमनहोगी एक खास मुकाम और खासवक्त पर हाजिर हो ॥

इश्तिहार मुतअल्लिक शख्स मफ़रूर के,

वह इश्तिहार हस्बतरीकै मुफस्सिलै जैलमुश्तहिर कियाजायगा॥

[अलिफ] उस कस्बै या मौज़े के किसी नज़रगाह आमपर अलानियां सुनाया जायेगा जहां वहशख्स अमूमन रहता हो ॥

[बे]—मकान या मस्कन के मुक़ाम नुमायांपर जिसमें कि शख़्स मजकूरअमूमन् रहताहो या कस्बे या मौजे मजकूरके किसी मंज़िर आमपर चस्पांकिया जायेगा—और॥

[जीम]—इश्तिहार की एकनकल मकान कचहरी के किसी मंज़िर आमपर भी चस्पां कीजायेगी॥

अदालत जारी कुनिन्दह इश्तिहार की तहरीरबदीं मजमून कि इश्तिहार हस्बजाबिते एक तारीख मुअय्यन पर मुश्तहिर कियागया इसबात के लिये शहादत कतई होगी कि इसदफा के अहकाम की तामील क़रार वाकई हुई और इश्तिहार तारीख मुअय्यनपर मुश्तहिर कियागया॥

दफा८८--अदालत मजाज़ है कि बाद जारी करने इश्तिहार महकूमे दफा ८७—के शख़्स इश्तिहारी की किसी जायदाद मन्कूला या गैरमन्कूला या दोनों की कुर्की का हुक्मदे॥

शख़्स मफ़रूरकी जायदादकी कुर्की,

उसहुक्मकी रूसे कुर्की किसी जायदाद ममलूका शख़्स मजकूरकी जायजहोगी जो उसजिलेमें हो जिसमें कुर्कीहुईहो—और उसकीरूसे कुर्की जायदाद ममलूकाशख़्स मजकूर वाकैबेरूंजिले मजकूरभी उसवक्त जायजहोगी जबकि उसकी जोहरपर उस मजिस्ट्रेट जिले* या चीफप्रेजीडन्सी मजिस्ट्रेट+ का हुक्मलिखाजाय जिसके जिलेकेअन्दर वहजायदाद वाकैहो—

अगर जायदाद जिसकी कुर्कीका हुक्मदियागयाहो क़रज़जात या दीगर जायदाद मन्कूलाहो तो कुर्की हस्ब दफाहाजा बतरीक जैल अमलमेंआयेगी॥

[अलिफ]—बजरिये कब्जे बिल्जब्र——या--

[बे]—बजरिये तकर्रुर रिसीवर याने मुहस्सिलके——या--

[जीम]--बजरिये हुक्मतहरीरी मशअरइम्तनाअ हवाले कियेजाने जायदाद मजकूरके शख़्स इश्तिहारी या किसीशख़्सको मिन्जानिब उसके या——

*——+ यहअलफाज दफा८८में ऐक्ट१०स०१८८६ई०की दफ़ा४की रूसे मुदर्ज कियेगयेहैं,

[दाल]--बजरिये जुमलैया किसी दोतरीकोंके मिंजुमले तरीके हाय मजकूरैबालाके जो अदालतकी रायमें मुनासिबहों॥

अगर जायदाद जिसकी कुर्कीकाहुक्म सादिरहो गैरमन्कूलाहो तो कुर्की हस्ब दफ़ाहाज़ा इसतौरसेहोगी कि अगर शैकुर्की तलब ऐसी अराज़ीहै जो सर्कारको मालगुजारी देतीहै तो मारफ़त साहब कलक्टर उस जिलेके होगी जिसमें वह अराज़ी वाक़ै है और बाकी औरसूरतोंमें—

[हे]--बजरिये कब्ज़ाकरलेनेके या—

[वाव]--बज़रियेतक़र्रुर किसी रिसीवर याने मुहस्सिलके—या॥

[ज़े]--बज़रिये हुक्म तहरीरी मशअर इम्तनाअ अदाय लगान या हवालगी जायदादके शख्स इश्तिहारीको या उसकी तरफ़ से किसी औरको या--

[हे]--बज़रिये जुमलै या किसी दोतरीकों के मिन्जुमले तरीके हाय मजकूरैबाला जो अदालतकी रायमें मुनासिबहों॥

अख्तियारात और खिदमात और जिम्मेदारियां शख्समुहस्सिलकी जो हस्ब दफ़ाहाज़ा मुक़र्रर कियाजाय वहीहोंगी जो उस मुहस्सिलकी होती हैं जो बमूजिब मजमूये ज़ाबितै दीवानी के मुक़र्ररकियाजाताहै--

ऐक्ट१४ सन् १८८२ ई० बाब ३६

अगर शख्स इश्तिहारी मीआद मुअय्यना इश्तिहारके अन्दर हाज़िरनहो तो जायदाद मक़रूक़ा सर्कारके तसर्रुफ़में दरआयेगी-मगर वह जायदाद तावक्ते कि तारीख़ कुर्कीसे छःमहीने न गुज़र जायँ नीलाम न कीजायेगी-बजुज़ उस सूरतके कि वह जायदाद जल्द और खुदबखुद खराबहोजानेवालीहो या अदालतकी दानिस्त में उसके नीलामकरने से मालिकका फ़ायदा मुतसव्विरहोताहो—कि इनदोनों सूरतों में अदालत मजाज़होगी कि जब कभी मुनासिब समझे उसको नीलामकरदे॥

दफ़ा८९— अगर कुर्कीकी तारीख़से २ दोबरसके अन्दर कोई शख्स जिसकी जायदाद मुताबिक फ़िकरै अख़ीर दफ़ा ८८—के लायक़ तसर्रुफ़ सर्कारके हो

जायदाद कुर्कशुदहकावापिसकरदेना,

या होगईहो उस अदालतके रूबरू खुद हाज़िरहो या गिरफ्तार होकर हाज़िर कियाजाय और हस्ब इतमीनान उस अदालत के जिसके हुक्म से जायदाद कुर्कहुई थी यह साबित करदे कि वह वारंट की तामीलसे गुरेज करनेकी नियत से मफरूर या रूपोश नहींहुआ था--और उसको इश्तिहार मजकूर की खबर इस तरह न मिलीथी कि वह वक्त मुकर्ररह इश्तिहार पर हाजिर होसक्ता तो ऐसी जायदाद या अगर वह नीलाम होचुकीहो तो उसका जर सम्मन खालिस या अगर जायदाद का एक जुज्व नीलाम हुआ हो तो खालिस जर समन नीलाम और जुज्व जायदाद बाकी मुन्दा बादमुजराई कुल खर्चेके जो बवजह कुर्की आयद हुआ हो उसको हवाले कियाजायेगा॥

[दाल] दीगर कवाअद मुतअल्लिके हुक्म नामजात--

दफा९०--अदालतको अख्तियारहै कि जिस मुकद्दमेमें वह इस मजमूये के मुताबिक अलावह अहलजूरी या असेसरके किसी शख्सकी हाजिरीके लिये सम्मन सादिर करने की मजाज है बादकलमबंद करने वजूह के वारंट उसकी गिरफ्तारी के लिये सादिर करे सूरत हाय मुफस्सिले जैलमें॥

(इजराय वारंट सम्मनके एवजया अलावहसम्मन के)

[अलिफ]--अगर सम्मन सादिर करने से पहले या सम्मन सादिर करने के बाद मगर कब्ल पहुंचने तारीखके जो उसकी हाजिरीके लिये मुकर्ररहो अदालतको किसी वजह से जन्‌गालिबहो कि वह मफरूर होगयाहै या सम्मनका हुक्मबजा न लायेगा-या--

[बे]---अगर वह वक्त मुकर्ररह पर हाजिर न हो और यह साबित होजाय कि सम्मन ऐसी मुहलतके साथ हस्बजाबिता उसपर जारीहुआ था कि उसके हुक्मके बमूजिब उसका हाजिर होना मुमकिन था और अदम अहजार की कोई वजह माकूल न जाहिर कीजाय॥

दफा९१--जब कोई शख्स जिसके हाजिर या गिरफ्तार करने

हाजिरीकेलिये मुचल्का लेने का अख्तियार, के लिये हाकिम इजलास कुनिन्दा अदालत सम्मन या वारंट सादिर करनेका अख्तियार रखता हो उस अदालतमें हाजिर हो तो हाकिम मजकूर मजाज है—कि शख्स मजकूर से मुचल्का बशमूल या बिलाशमूल जामिनों के बवादह हाजिरी अदालत तहरीर कराये॥

दफ़ा ९२--अगर कोईशख्स जिसने इस मजमूये के मुताबिक गिरफ्तारी हाजिरी के मुचल्का के बरखिलाफ़ करनेपर, मुचल्का लिखकर अपने तईं अदालत में हाजिर होनेका पाबंद किया हो अदालत में हाजिर नहो--तो हाकिम इजलास कुनिन्दा अदालत मजाज होगा कि वारंट इस हुकूम से सादिरकरे कि शख्स मजकूर गिरफ्तार और अदालत के रूबरू हाजिर कियाजाय॥

दफा ९३--अहकाम मुन्दर्जै बाबहाजा जो सम्मन और वारंट इसबाबके एहकाम अमूमन् सम्मन और वारट गिरफतारीकीनिस्बतत अल्लुक पिजीर होंगे, और उनके सिदूर और इजरा और तामीलसे मुतअल्लिक हैं जहांतक मुमकिनहो हर सम्मन और हर वारंट गिरफ्तारी सेभी जो इसमजमूये के मुताबिक जारीहो मुतअल्लिक समझेजायेंगे॥

बाब ७॥

बाबत हुक्म नामजात वास्ते जबरन हाजिर कराने दस्तावेजात और दीगर जायदाद मन्कूला के और वास्ते दर्याफ़्तहाल उन अशखास के जो बतौर बेजामुकय्यद कियेगये हों॥

(अलिफ)--सम्मन वास्ते हाजिर करने किसी शै के॥

दफा९४--जब किसी अदालत या किसी मुकाम बेरूंहुदूद सम्मन वास्ते पेशकरने दस्तावेज या दीगरशैके, बलाद कलकत्ता और बंबईमें किसी अहल्कार मोहतामिम इस्टेशन पुलिसके नज़दीक हाजिर करना किसी दस्तावेज़ या दीगर शै का वास्ते अगराज किसी तफतीश या तहकीकात या तजवीज या दीगरकारवाई के जो इसमजमूये के बमूजिब ऐसी अदालत या ओहदेदारकी मारफत या उसके रूबरू होरहीहो ज़रूर या मुनासिबहो तो जायज़ है कि

ऐसी अदालत सम्मन या अहल्कार मजकूर हुक्मतहरीरी बनाम उस शख्स के जारीकरे जिसके कब्जे या अख्तियार में दस्तावेज़ या शै मजकूरका होना बावर कियाजाय बदीं हिदायत कि वह तारीख़ और मुकाम मुन्दर्जे सम्मन या हुक्म पर हाजिर होकर दस्तावेज़ या शै मज़कूरको पेशकरे ॥

हरशख्स की निस्बत जिसको बमूजिब इस दफाके महजवास्ते हाजिर करने दस्तावेज़ या दीगर शैके हुक्महुआहो यह खयाल किया जायेगा कि उसने हुक्म की तामीलकी बशर्ते कि नामबुर्दह दस्तावेज़ या शै मजकूर को बजाय बजातखुद हाजिर होकर पेश करने के हाजिर कराद ॥

इस दफा की कोई इबारत ऐक्ट शहादत मजरिये हिन्द ऐक्ट १ सन्१८८२ ई०, मुसद्दिरै सन् १८७२ ई० की दफआत १२३ व १२४ की मुखिल न होगी या किसीचिट्ठी या पोस्टकार्ड या पैग़ामतारबर्की या दूसरी दस्तावेजसे जो हुक्काम सीगेडाक या सीगे टेलीग्राफ की तहवील में हो मुतअल्लिक न समझी जायगी ॥

दफा९५—अगर कोई दस्तावेज़ जो ऐसी तहवील में हो कि- सी मजिस्ट्रेट जिला या चीफ मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या हाईकोर्ट या अदालत सिशन की दानिस्त में वास्ते गरज किसी तफतीश या तहकीकात या तजवीज या दीगर काररवाई मुतअल्लिके मजमूये हाजा के दरकार व मतलूब हो तो ऐसे मजिस्ट्रेट या अदालतको अख्तियार है--कि सीगेडाक या टेलीग्राफको जैसी सूरतहो हुक्म कि दस्तावेज़ मजकूर उस शख्सके हवालेकरे जिसकी निस्बत मजिस्ट्रेट या अदालत मजकूर हिदायत करे ॥

ज़ाबिते दरख़ूस खतून और टेलीग्रामके,

अगर कोई ऐसीदस्तावेज़ किसी और मजिस्ट्रेट या कमिश्नर पुलिस या सुपुरिन्टेन्डरण्टपुलिस जिलेकी दानिस्तमें किसी ऐसी गरजके लिये दरकार हो तो उसको अख्तियार है कि सीगै डाक या सीगे तारबर्की को (जैसी सूरत हो) हिदायतकरे कि चिट्ठीमज़कूरको तलाशकराये--और तासिदूरहुक्ममजिस्ट्रेट जिला

या चीफ़मजिस्ट्रेट प्रेज़िडेंसी या अदालत के उसको रोकरक्खे ॥

(बे) वारटतलाशी ॥

दफ़ा९६—जब किसी अदालतको इसबातके बावरकरने की वजह मौजूदहो कि वह शख्स जिसकेनाम सम्मन या हुकुम महकूमै दफ़ा९४या हुकुममुफ़स्सिलै फ़िक़रै अव्वल दफ़ा९५-भेजागया हो या भेजाजाय दस्तावेज़ या शै मतलूबाको मुताबिक़ हिदायत मुन्दर्जै सम्मन या हुकुमके हाज़िर न करेगा ॥

कबवारट तलाशीसा दिरकियाजासक्ताहै,

या जब इसबातका इल्म न हो कि दस्तावेज़ या दीगर शै मतलूबा ऐसे शख्सके क़ब्ज़ेमें है ॥

याजब अदालतकी यह रायहो कि अगराज़ किसी तहक़ीकात या तजवीज़ या दीगर काररवाई मुतअल्लिक़ै मजमूये हाजाकी आम तलाशी या मुआयना से हासिल होजायेंगी ॥

तो उसको अख्तियार है कि वारंट तलाशी सादिर करे और वहशख्स जिसकेनाम वारंटलिखाजाय मजाजहोगा कि बमूजिब वारंटमजकूर और अहकाम मुंदर्जे आयन्दा के तलाशी और मुआयना करे ॥

इस ऐक्टकी किसीइबारतसे किसी मजिस्ट्रेटको बजुज मजिस्ट्रेट जिला या चीफमजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसीके यहअख्तियार न होगा-कि वारंट वास्तेतलाशी ऐसी दस्तावेज़के सादिर करे जो ओहदेदारान डाक या टेलीग्राफ की तहवीलमें हो ॥

दफ़ा९७—अदालत मजाज है कि अगर मुनासिब समझे वारंट में उस मुक़ाम या मकान या जुज्व मकान या मुक़ाम की सराहतकरदे कि सिर्फ जिसमें तलाशी या मुआयनाकिया जायेगा—पस वह शख्स जिसको वारंट की तामील सिपुर्द हुई हो सिर्फ उसमुक़ाम या मकान या जुज्व के अन्दर तलाशी या मुआयना करेगा जिसकी इसतरह सराहत कीगई हो ॥

वारंट के रोकनेका अख्तियार,

तल शी उस मकानकी जिसमें माल मसरूक़ाया दस्तावेज़ात जाली वगैर हके रहनेका शुभहहो--

दफ़ा९८—अगर मजिस्ट्रेट ज़िला या मजिस्ट्रेट हिस्सा ज़िला या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दरजे अव्वलको किसी इत्तिलाकी बुनियादपर और उसक़दर तहक़ीक़ात के बाद जो उसको ज़रूरी मालूमहो इसअम्र के बावरकरनेकी वजह पाई जाय कि कोई मुक़ाम इसकाममें आताहै कि उसमें मालमसरूक़ा रक्खा या फ़रोख्त कियाजाताहै—

या दस्तावेज़ात जाली या मवाहीर नक़ली या काग़ज़ात इस्टाम्प मुल्तबिस या सिक्केजात मुल्तबिसह या मुल्तबिससिक्के या इस्टाम्प जाली बनानेके औज़ार या उसका सामान उसमें रक्खा या फ़रोख्त या तय्यारकियाजाताहै—

याकि कोई दस्तावेज़ात जाली या मवाहीर नक़ली या काग़ज़ातइस्टाम्प मुल्तबिस या सिक्कामुल्तबिस या औज़ार या सामान जो सिक्केकी तल्बीस या इस्टाम्प जाली बनाने के काममें लाया जाताहै किसीमुक़ाममें रक्खा या जमाकियाजाताहै—

तो मजिस्ट्रेट मज़कूरको अख्तियारहोगा कि अपने वारंट के ज़रियेसे किसी अहल्कार पुलिसको जो कान्स्टेबिल से बालातर रुतबा रखताहो इजाजतदे—

[अलिफ]—कि वह बक़दर हाजत मदद साथलेकर ऐसे मुक़ाम में दखलकरे—और

[बे]— उस मुक़ामकी तलाशी हस्बमुसर्रह वारंटकेकरे और—

[जीम]—हरएकमाल या दस्तावेज़ात या मवाहिर या काग़ज़ात इस्टाम्प या सिक्केजातको जो वहां दस्तयाबहों और जिनकीबाबत उसको बवजह माकूलशुभहहो कि वह चोरीसे या बतरीक़ नाजायज़ हासिलकियेगयेहैं या जाली या झूठे या तल्बीसी बनाये गये हैं और तमाम औज़ार और सामान मज़कूरे सदरको अपनेक़ब्ज़े में करले—और—

[दाल]—ऐसे माल और दस्तावेज़ और मवाहीर और काग़ज़ात इस्टाम्प और सिक्केजात और औज़ार और सामान के

करने का मजाज है और जिसशख्सके नाम वारंट मजकूर भेजा- जाय वह उस शख्सके तलाश करने का जो इस तरहमुक़य्यद हो मजाजहोगा और तलाशी मजकूर मुताबिक वारंट के अमल में आयेगी और शख्स मजकूर अगर दस्तयाब हो फौरन् मजिस्ट्रेट के रूबरू हाजिरकिया जायगा और मजिस्ट्रेटमजकूर ऐसा हुक्म सादिर करेगा जो मुकद्दमे में मुनासिब मालूमहो ॥

[दाल]-- अहकाम आम बाबततलाशी ॥

वारंट तलाशी की निस्बत हिदायत वगैरह,

दफा १०१—अहकाम मुन्दर्जै दफआत ४३ व ७५ व ७७ व ७६व ८२व ८३ व८४जहांतक मुमकिन हो उन सब वारंटहाय तलाशीसे मुतअल्लिक होंगे जो दफा ९६या दफा ९८ या दफा१००के मुताबिक सादिरहों ॥

उन लोगोंको जो बंदमुकाम के मोहतमिमहों चाहिये कि तलाशी लेनेदे,

दफा १०२—जब कभी कोई मुकाम जो इस बाबके मुताबिक मुस्तौजिब तलाशी या मुआयना हो बन्द हो तो उस शख्स को जोउस मुकाममें रहता या उसका एहतिमाम करता हो लाजिम है कि अहल्कार या दीगर शख्स तामील कुनिन्दह वारंटकी दरख्वास्त और वारंट के पेश करनेपर उस अहल्कार या दीगरशख्स को बिला मजाहमत अन्दर जानेदे और उसके साथ इसतरह पेशआये कि उसको खानातलाशी लेने में हर तरह की सहूलत माकूल हासिल हो ॥

अगर ऐसे मुकाममें इसतौर से दखल करना गैर मुमकिन हा तो अहल्कार या दीगरशख्स तामील कुनिन्दह वारंट मजाजहोगा कि हस्ब शरायत मुन्दर्जेदफा ४८ के कारबन्द हो ॥

तलाशी गवाहोंके रूबरू ली जायेगी,

दफा १०३—कब्ल लेने तलाशी के बमूजिब अहकाम इसबाब के अहल्कार या दीगर शख्स आज़म तलाशी को चाहिये कि उस मौके के दो या जियादह बाशिन्दगान शरीफको जहां मुकाम तलाशी तलबवाकैहो तलाशी

के वक्त हाज़िर होने और गवाह रहने के लिये तलब करे ॥

तलाशी मजकूर ऐसे बाशिन्दोंके रूबरू होगी और लाजिम है कि एक फेहरिस्त जुमलै अशियाय की जो दरअस्नाय तलाशी मजकूर गिरफ्तार हों और उन मुकामात की जहां कि वह दस्तियाबहों मारफत अहल्कार मजकूर या शख्सदीगर मुरत्तिबकीजाय और उसपर गवाहान मजकूर के दस्तखतहों लेकिन किसी शख्स के लिये जिसने अजरूय दफा हाजा तलाशीके वक्त गवाहीकी हो वह जरूर न होगा कि अदालतमें बतौर गवाह तलाशी के हाजिर हो बजुज उस सूरत के कि वह बिल्तखसीस तलब कियाजाय ॥

उस मुकामका रहनेवाला जिसको तलाशीलीजाय हाजिर होसक्ता है,

जो शख्स उस मुकाम में रहता हो जिसकी तलाशी लीजाय उस को या उसकी तरफ से किसी और शख्स को हर सूरत में इजाजत दीजायगी कि तलाशी के वक्त हाजिर रहे और एक नकल उस फेहरिस्तकी जो हस्बदफाहाजा तय्यार कीजाय और जिसपर गवाहान मजकूरके दस्तखत हों उस रहनेवाले या शख्स को उसकी दरख्वास्त पर हवाले की जायगी ॥

[हे] मुतफर्कात ॥

दस्तावेज वगैरह जो पेशहों उसके जब्तकरने का अख्तियार,

दफा १०४–हर अदालत को अख्तियार है कि अगर मुनासिब समझे किसी दस्तावेज या शै दीगरको जो इस मजमूयेके मुताबिक उसके रूबरू हाजिरकीजाय जब्त कररक्खे ॥

मजिस्ट्रेट अपने रूबरू तलाशी लिये जानेके लिये हिदायत करसक्ता है,

दफा १०५--हर मजिस्ट्रेट को इसबात की हिदायत करनेका अख्तियारहै कि कोई मुकाम जिसकी तलाशी के लिये वह वारंट तलाशी जारी करनेका मजाज है उसकी रूबरू तलाश कियाजाय ॥

हिस्सा चहारुम॥

इन्सदाद जरायम ॥

बाब ८*॥

बाबतजमानत हिफ्ज़ अमन और नेकचलनी
(अलिफ़) जमानत हिफ्ज़ अमन बाद
सुबूत जुर्म ॥

जमानत हिफ्ज़ अमन बादसुबूत जुर्म के,

दफ़ा १०६---जब किसी शख्सपर जुर्म बलवह या हमलाया और तरह पर नुक्ज़ अमन या उनमेंसे किसी जुर्ममें अआनत करने या ऐसे जुर्मके इर्त्तिकाब की नियत सरीहसे अशखास मुसल्लहके मुजतमा करने या और तदबीर नाजायज़ अमलमें लानेका इल्ज़ाम लगायाजाय या जब कोई शख्स बज़रिये धमकी नुक्सान पहुँचाने जिस्म या मालके इर्तिकाब तख्वीफ़ मुजरिमानाका करे और वह किसी हाईकोर्ट या अदालत सिशन या अदालत प्रेजीडन्सी मजिस्ट्रेट या माजि-स्ट्रेट जिले याहिस्सै जिलाया मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल के हुजूरसे उस जुर्मका मुजरिम क़रार दियाजाय ॥

और ऐसी अदालतकी रायहो कि शख्स मजकूरसे मुचलिका बवादै हिफ्ज़ अमन लिखवाना ज़रूर है ॥

तो ऐसी अदालत मजाज़ होगी कि ऐसे शख्स की निस्बत सज़ा तजवीज़ करनेकेवक्त यह हुकम सादिरकरे कि वह मुचलिका

*उन मुकमात में जहां पंजाबके सरहद्दी जरायम का कानून मुसद्दिरह सन् १८८७ ई० नाफ़ज़ है— उस कानून की दफा ३९—से दफा ४५--तक (बशमूल इन दोनोंदफ़आतके) और उन्न बावहाज़ा पढ़ा और समझा जावेगा-- देखो कानून४सन्१८८७ ई० के दफा४६,

बवादे अदा उस कदर तादाद के जो उसके मक़दूर के मुवाफ़िक़ हो मय याबिला ज़ामिनोंके और बइक़रार हिफ्ज अमन खलायक अन्दर उसमीआदके जो तीनबरससे ज़ियादह न हो और जो अदालत मज़कूर की तजवीजसे मुकर्ररकी जाय लिखदे॥

अगर हुक्म सुबूत जुर्म अपील में या और तौर पर मन्सूख किया जाय तो मुचलिका जो इस तौरपर लिखा गया हो कालअदम हो जायेगा॥

(बे) जमानत हिफ्ज़अमन बमुक़द्दमात दीगर व जमानत नेकचलनी॥

ज़मानत हिफ्ज़ अमन और और सूरतों मे,

दफा १०७—जब कभी किसी प्रेज़ीडन्सी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेटज़िला या हिस्सा ज़िलाया मजिस्ट्रेटदर्जे अव्वलको इत्तिलाअपहुँचे कि फलांशख्सकी निस्बत एहतमाल है कि वह नुक़ज़ अमन करेगा या कोई ऐसा फेल बेजा अन्दर हुदूद इलाक़ै अरज़ी मजिस्ट्रेट मज़कूर के करेगा जिससे नुक़ज़ अमन लाज़िम आयेगा या यह कि हुदूद मजकूरके अंदर कोई ऐसा शख्स है जिसकी निस्बत एहतमाल है कि वह नुक़ज़ अमनकरे या उस क़िस्मका और कोई फेलबेजा किसी और जगह उनहुदूद के बाहर अमलमें लायेतो साहबमजिस्ट्रेट मजाज होगा कि हस्ब तरीक़ै मुफस्सिलै जैल शख्स मुलजिमसे वजह इस अम्रकी इस्तिफ्सार करे कि उससे मुचलिकामय या बिला जामिनान बवादे हिफ्ज अमन खलायक उस कदर मीआद के लिये जो एकबरससे जियादह न हो और जिसको मजिस्ट्रेट मुकर्रर करना मुनासिब समझे क्यों न लियाजाय॥

नाविताकारखाई उसमजिस्ट्रेटका जोतहत दफा १०७ कारगुजार होने का अख्तियार नहीं रखताहै,

दफा १०८— जब कोई मजिस्ट्रेट जिसको दफा १०७ के बमूजिब अमल करने का अख्तियार न हो या कोई अदालत सिशन या हाईकोर्ट किसी वजह से यहबावरकरे कि किसी शख्सकी निस्बत एहतमाल है कि वह नुक़ज़ अमन करेगा या ऐसाकोई फ़ेल बेजा करेगा जिससे ग़ालिबन् नुक़ज़अ-

मन पैदाहो और ऐसानुक़्ज़ अमनबजुज़ हिरासत में रखने शख़्स मज़कूर के और किसी तरहसे मसदूद नहीं होसक्ता है तो ऐसे मजिस्ट्रेट या अदालत को अख़्तियारहै कि उसकी गिरफ्तारी के लिये [अगर वह उससे पहिले हिरासत या अदालतमें हाज़िर नहो] अपना वारंट जारीकरे और शख़्समज़कूरको मजिस्ट्रेटज़ी अख़्तियार के रूबरू इस ग़रज़से भेजदे कि वह दफ़ा १०७ के बमूजिब मुक़द्दमेमें अमलकरे ॥

वह मजिस्ट्रेट जिसके रूबरू कोई शख़्स इसदफ़ा के बमूजिब भेजाजाय मजाज़ है कि अगरमुनासिब समझे ऐसे किसी शख़्स को उसवक्ततक हिरासतमें रक्खे जबतक कि वहतहक़ीक़ात जो आयन्दा मुक़र्रर हुईहै ख़तमनहोले ॥

दफ़ा १०९–जबकभी प्रेज़ीडन्सी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ज़िला या हिस्सा ज़िला या मजिस्ट्रेट दर्जेअव्वल को अमूर मुफ़स्सिलै ज़ैलकी इत्तिलाअपहुँचे॥

जमानत नेक चलनी की आवारह गरदों और उनशख़्सों से जिन पर शुभह हो,

(अलिफ़)–यह कि कोई शख़्स ऐसे मजिस्ट्रेटके इलाक़ेकी हुदूद अरज़ीके अन्दर अपनी मौजूदगी के अख़फ़ा के लिये एहतियात कररहा है और क़रीन क़यास है कि वह शख़्स वह एहतियात इसीवजह से कररहाहै कि किसी जुर्मका मुर्तकिब हो या ॥

(बे)–यह कि हुदूद मज़कूरके अन्दर एक ऐसा शख़्स है जो बज़ाहिर कोईसबील मआशकी नहीं रखताहै या जो अपनाहाल हस्ब इतमीनान न बयान करसक्ताहो ॥

तो ऐसा मजिस्ट्रेट मजाज होगा कि हस्ब तरीक़ै मुफ़स्सिलै ज़ैल ऐसेशख़्ससे इसबातकी वजह तलबकरेकि उससे मुचलिका मय ज़ामिनान के बवादे नेकचलनरहने के उस क़दर मीआदके लिये जो छःमहीनेसे जियादह न हो और जिसको मजिस्ट्रेटमुक़र्रर करना मुनासिब समझे क्यों न लिखवालियाजाय ॥

दफ़ा ११०–जब किसी मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडन्सी या मजिस्ट्रेट

जमानत नेक चलनी की जो उन शख़्सों से जो आदतन जुर्म किया करते हैं, जिला* या मजिस्ट्रेट हिस्सा जिला या मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल को जिसे लोकल गवर्नमेण्ट की तरफ़ से बिल्ख़ुसूस इस बाब में अख़्तियार अता हुआ हो* इस बात की इत्तिलाअ् पहुँचे कि कोई शख़्स जो उसके इलाक़े की हुदूद अरज़ी के अन्दर हो आदतन् शख़्स रहजन या नक़बजन या चोर है या आदतन् माल मसरूक़ा हासिल करता है यह जानकर कि वह माल बसबील सरक़ा हासिल हुआ है या यह कि वह आदतन् हुसूलबिलजब्र करता है या हुसूल बिलजब्र के इरादे से आदतन् ख़लायक़ को नुक़सान रसानी का ख़ौफ़ देता है या उसका क़स्द करता है ॥

ऐसे मजिस्ट्रेट को अख़्तियार होगा कि हस्बतरीक़ै मुफ़स्सिलै आयन्दा ऐसे शख़्स से इस बात की वजह तलब करे कि उससे मुचलिका मयजमानत बवादै नेकचलनरहने के किसी मीआद तक जो तीन बरस से जियादह न हो और मजिस्ट्रेट की तजवीज से मकर्रर हो क्यों न लिखवाया जाय ॥

दफ़ा १११—अहकाम दफ़आत १०९ व ११० रिआयाय अहकाम आवरह गरदा अहलयूरुपके मुतअल्लिक, बृटानिया अहलयूरोप से उन सूरतों में मुतअ़ल्लिक़ न होंगे जब उनकी निस्बत कारर वाई मुताबिक़ ऐक्ट मुतअ़ल्लिक़ै रिआयाय आवारह अहल यूरोप मुसद्दिरै ऐक्ट ९ सन् १८७४ ई० सन् १८७४ ई० के होसक्ती हो ॥

दफ़ा ११२—जब कोई माजिस्ट्रेट जो दफ़ा १०७ या दफ़ा १०९ या हुक्म जो सादिर कि याजायेगा, दफ़ा ११० के बमूजिब अमल करता हो किसी शख़्स से दफ़ा मुतज़क्किरै सदर के बमूजिब वजह ज़ाहिर करानी ज़रूर समझे उसको चाहिये कि हुक्म तहरीरी में खुलासा इत्तिलाअ़ का जो उसके पास पहुंची हो मैतादाद मुचलिका और ज़मानतनामै तहरीरतलब और मीआद के जिसके लिये मु-

— यह अलफ़ाज दफ़ा ११०—में अजरूय दफ़ा ५—ऐक्ट १०—सन १८८६ ई० के क़ायम किये गये हैं ॥

चलिका निफ़ाजपिज़ीररहेगा और तादाद और हैसियत और क़िस्मज़ामिनान मतलूबाकी [अगर कुछहों] क़लम्बंद करै ॥

दफ़ा ११३—अगर वहशख्स जिसकी निस्बत ऐसा हुक्मदिया जाय अदालतमें हाज़िर हो तो वह हुक्म उसको पढ़कर सुनादिया जायगा या अगर वह ख्वाहिश करे उसका खुलासा उसको समझा दिया जायेगा ॥

जाबतैकारखाई उसश ख्सकीनिस्बत जोअदालत में हाजिरहो,

दफ़ा ११४—अगर ऐसा शख्स अदालतमें हाजिर न होतो साहब मजिस्ट्रेट उसके नाम सम्मन इसहुक्मसे जारी करेगा किवहहाजिरहो या जबशख्समज़कूर हिरासतमेंहो तोवारंट इसहिदायतसे भेजा जायेगा किवह अफ़सरजिसकी हिरासतमें वहशख्सहो उसको अदालत के रूबरू हाज़िरकरै ॥

सम्मनयावारंटउसश ख्सकीनिस्बत जो वहांहाजिरनहींहै,

मगर शर्त्तयहहै कि जब अफ़सर पुलिसकी रिपोर्ट या किसी और शख्सको इत्तिलाअ रसानी से मजिस्ट्रेट कोमालूमहो [रिपोर्ट या इत्तिलाअके खुलासे को मजिस्ट्रेट कलम्बन्द करेगा] कि इस बातका ज़न्ग़ालिब है कि अमन ख़लायक़ में नुक़्ज़वाकै होगा और ऐसे नुक़्ज़ अमन को बिला फ़ौरन् गिरफ्तार करने शख्स मज़कूर के फ़रोकरना ग़ैर मुमकिन है तो मजिस्ट्रेटमजाज़ होगा कि जिस वक्त चाहे उसकी गिरफ्तारी के लिये वारंटजारीकरे ॥

दफ़ा ११५—हरसम्मन या वारंटके साथ जो दफ़ा ११४ के बमूजिब सादिर कियाजाय नक़ल हुक्म मुतज़क्किरै दफ़ा ११२ शामिल रहेगी और वह नक़ल मारफत उस ओहदेदार के जो सम्मन या वारंटकी तामील या तकमील करता हो उसशख्सको दीजायेगी जिसपर सम्मनकी तामील हुईहो या जो वारंटके बमूजिब गिरफ्तारहुआ हो ॥

हुक्म मुतज़क्किरहदफ़ा ११२ की नकल के साथ सम्मन या वारंट रहा करेगा,

दफ़ा ११६—साहब मजिस्ट्रेट मजाजहै कि अगर वजहकाफी

हाजिरी असालतनके मुआफकरनेकाअख्तियार, देखे किसी शख्सकी हाजिरी असालतन् को मुआफ करे जिससे वजह इस बातकी तलब हुईथी कि उससे मुचलिका बवादह हिफ्ज अमन क्यों न लिखा लियाजाय और उसको इजाज़तदे कि वहवकालतनहाजिरहो ॥

दफा ११७—जबकोई हुक्म जोदफा ११२ के बमूजिब सादिर हुआहो किसी शख्सहाज़िर अदालत को हस्बदफा ११३ पढ़कर सुनाया या समझा दियाजाय या जब बइतबाअ या ब सिलसिला तामील किसी सम्मन या वारंटके जो दफा ११४ के बमूजिबजारी हुआहोकोई शख्समजिस्ट्रेट के रूबरूहाजिरहो या लायाजाय तो मजिस्ट्रेट मजकूर उसइत्तिलाअकी सिदाक़तकी तहकिक़ात शुरूअ करेगा जिसपरउसने अमल कियाहो और ऐसी शहादतमज़ीदजो उसकी दानिस्त में जरूरीहोलेगा ॥

तहकीकात दरखसूस सिदाकत इत्तिलाअ,

तहकीकात मजकूर जब हुक्ममें हिदायत वास्तेलेने जमानत हिफ्ज अमन के भी शामिल हो जहातक मुमकिनहो मुताबिक उस तरीके के अमलमें आयेगी जो मुकद्दमात सम्मनकी तजवीज के लिये आयन्दा मुकर्ररहै और जब हुक्मके अंदर हिदायत वास्ते लेने जमानत नेकचलनीके हो तो तहकीकात उस तरीकेके मुताबिक होगी जो आयन्दा वास्ते तहकीकात मुकद्दमात वारंट के मुकर्रर हुआहै इल्ला फर्दकरारदाद जुर्मका लिखना जरूर न होगा॥

वास्तेअग़राज इसदफाके यहवाके बजरिये सुबूत शोहरतआम के या और नेहज पर साबित करना जायज है कि कोई शख्स आदतन् मुजरिमहै ॥

दफा ११८—अगर ऐसी तहकीक़ातसे यह साबितहो कि वास्ते हिफ्ज अमन या कायमरखने नेकचलनी के [जैसी कि सूरतहो] उस शख्ससे जिसकीबाबत तहकीकात कीगईहै मुचलिका मै याबिला ज़ामिनानके लिखानाज़रूरहैतो मजिस्ट्रेटमजकूर उस मजमूनकाहुक्म सादिरकरेगा॥

जमानत दाखिलकरने काहुक्म,

मगर शर्त यहहै कि ॥

अ०वलन् किसीशख्सके नाम यहहुक्म सादिरनहोगा कि वह उसकिस्मसे मुख्तलिफ़ या उस तादादसे जायद या उस मीआद से जियादहकी जमानत लिखदे जिसकीतसरीह हुक्म मुक्तजिया दफ़ा ११२में दर्जकीगईहै ॥

सानियन् यह कि हरमुचलिकेकी तादाद हालातमुक़द्दमे पर मुनासिब लिहाज़करके मुक़र्ररकीजाय और बहुतज्यादह न हो ॥

सालिसन् यह कि जब वहशख्स जिसकी निस्बत तहक़ीक़ात अमलमें आये नाबालिगहो तो मुचलिका सिर्फ़ उसके ज़ामिनों से लिखायाजायगा ॥

दफ़ा११९— अगर इन्दुल् तहक़ीक़ात मुक़र्ररह दफ़ा११७ यह साबित न हो कि उस शख्ससे जिसकीनिस्बत तहक़ीक़ात अमलमें आईहै मुचलिका बवादे हिफ्ज़ अमन या नेकचलनीके(जैसी कि सूरतहो)-- लेना ज़रूरहै तो मजिस्ट्रेट मिसलमें एक याददाश्त इसमज़मून की लिखलेगा और अगर वहशख्स सिर्फ़ वास्ते अग़राज़ तहक़ीक़ातके जेर हिरासत हो उसको छोड़देगा या अगर शख्स मज़कूर हिरासतमें न हो उसको रुख्सतकरेगा ॥

रिहाई उस शख्सकी जिसके बारे में इत्तिलाअ दीगईहो,

(जीम) कारवाई मुतअल्लिके जुमलै मुक़द्दमातमा बाद हुक्म मशअर तलबकराने जमानत के ॥

दफ़ा१२०— अगर किसीशख्सकी निस्बत जिसकीबाबत दफ़ा १०६ या दफ़ा ११८के बमूजिब हुक्म मशअर तलबी जमानत सादिरकियाजाय बवक़्त सिदूर उसहुक्मके हुक्मसज़ाय क़ैद सादिरहोचुकाहो या वह क़ैदमेंहोतो वहमीआद जिसकेलिये जमानत तलबहुईथी उस मीआद क़ैदके इन्क़ज़ाके बाद शुरूहोगी ॥

शुरू उस मीआदकी जिसकेलिये जमानत मतलूबहो,

औरसूरतोंमें मीआदमज़कूर हुक्मकी तारीखसे शुरूहोगी ॥

दफ़ा१२१— उस मुचलिके में जो ऐसे शख्सको लिखनापड़ेगा शख्स मज़कूर इसबातका इक़रारकरेगा कि अमनखलायक़को महफूज़ रक्खेगा या नेकचलनरहेगा यानी जैसा

मुचलिकाका मज़मून,

मौक़ाहो और सूरतआखिरुलज़िक्रमें किसीजुर्मका इर्त्तिकाबकरना या उसके इर्त्तिकाब का कस्द करना या उसमें मआवन होना जो लायक सजाय कैद हो जहांकहीं उसका इर्त्तिकाब कियाजाय बमंजिलै इन्हराफ मुचल्का समझा जायेगा॥

दफ़ा१२२——साहब मजिस्ट्रेटको अख्तियार है कि मिन्जुमलै जामिनान नेकचलनी मुल्जिम के जो इसबाब केबमूजिब हाजिर कियेजायँ किसी जामिनको इसवजहसे नामंजूरकरे और वजूह नामंजूरीको मजिस्ट्रेट कलमबन्दकरेगा कि वहजामिन नालायक है॥

जामिनों के नामंजूर करनेका अख्तियार,

दफ़ा१२३—अगर कोईशख्स जिसकोदफ़ा१०६ या दफ़ा११८ के बमूजिब हुक्म वास्ते अदखाल जमानत के दियागयाहो ऐसी जमानत उसतारीखतक या उसके माकब्ल दाखिल न करे जिसतारीखको वहमीआद शुरूअहो जिसकीबाबत जमानत दीजानीचाहिये तो वहशख्सबजुज़ उससूरत के जिसका ज़िक्र आयंदा लिखाजायगा जेलखानेमें भेजदियाजायगा या अगर वह पहिलेहीसे जेलखानेमें हो तो उसवक्ततक जेलखानेमें रक्खाजायगा जबतक मीआदमज़कूर मुनक़ज़ी न हो या उसवक्ततक कि वह जमानत मतलूबा मीआद मज़कूरके अन्दर उस अदालत या मजिस्ट्रेटके हुजूर हाजिरकरदे जिसने उसकीबाबत हुक्मदियाहो या ओहदेदार मोहतमिम उस जेलखानेकोलिख दे जिसमें वहशख्स कैदहो जिसको जमानतदेनेका हुक्महुआहो॥

कैद जमानत न दाखिल करनेकी तक़दीरमें,

जब ऐसे शख्सकेनाम साहब मजिस्ट्रेटकी तरफ़से हुक्मवास्ते देने जमानत मीआदी जायद अज़ एकसालके सादिरहुआहो और वहजमानत किस्ममज़कूरै वाला दाखिल न करे तो साहब मजिस्ट्रेटको लाजिमहै कि उसके नाम वारंट इस हिदायतकेसाथ जारीकरे कि तासिदूरहुक्म अदालतासिशनके या अगर मजिस्ट्रेटमज़कूर प्रेजीडन्सी का मजिस्ट्रेटहो तो तासिदूरहुक्म हाईकोर्ट के वह नज़रबन्द रक्खाजाय कि उसवक्त कागजात मुकद्दमा जिसकदर जल्द

कागजात मुकद्दमा कब हाईकोर्ट याअदालतसिशनके रूबरूपेशकियेजायेंगे,

मुमकिन हो अदालतमजकूर के रूबरू पेश किये जायँगे॥

अदालतमजकूर मजाज़है कि बाद मुलाहिज़ा कागजात और बाद तलबकरने किसी हालात या सुबूतमजीद के जो अदालत को जरूरी मालूमहो मुक़द्दमे में ऐसाहुक्म सादिरकरे जो उसको मुनासिब मालूमहो॥

मगर शर्त्त यह है कि मीआद (अगर कोई मीआदहो) जिसके लिये कोई शख्स बकुसूर अदम इदखाल ज़मानतके क़ैदका सज़ावार होताहै तीनबरससे ज़ियादा न होगी॥

वहक़ैद जो बहालत अदम इदखाल ज़मानत बवादे हिफ्ज अमनके आयदकीजाय क़ैद महज़होगी॥

किस्मक़ैद

जायजहै कि वह क़ैद जोबसूरत अदमइदखाल जमानतबवादे नेकचलनी के आयद कीजाय सख्तहो या महज जैसी कि अदालत या मजिस्ट्रेट की हरमुक़द्दमे में हिदायत हो॥

दफ़ा१२४—जब मजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेट प्रेजीडन्सी की यह रायहो कि कोई शख्स जो बमूजिब हुक्म किसी मजिस्ट्रेट या किसी और मजिस्ट्रेटके जो उससे पहिले उसीओहदे परथा या हुक्म किसी मजिस्ट्रेट मातहतके इसबाबके मुताबिक़ ज़मानत न दाखिलकरनेकेक़सूरमें क़ैदकियागयाहोइसबातकेलायक़है किबिला अन्देशा ज़ररखलायक़ या किसी औरशख्सके उसकोरिहाईदीजाय तो ऐसा मजिस्ट्रेट मजाज़ होगा कि उसके रिहाहोनेकाहुक्मदे॥

उनलोगोंको रिहाकर देनेकाअख्तियार जोअदम इदखाल जमानत के बाअस मुक़ीद हों,

जब किसी मजिस्ट्रेट ज़िला या मजिस्ट्रेट प्रेजीडन्सी की यह राय हो कि कोई शख्स जो इसबाबके मुताबिक़ हस्ब हुकूम अदालत सिशन या हाईकोर्ट बक़सूर अदम इदखाल ज़मानत क़ैदकियागया है इसलायक़ है कि वह बिलाअन्देशा छोड़ दियाजाय तोऐसे मजिस्ट्रेटको लाज़िम है कि फौरन् उस मुक़द्दमेकी रिपोर्ट वास्ते सिदूर हुकूम अदालत सिशन याहाईकोर्टके जैसा मौकाहो लिखभेजे और अदालत मजकूर मजाज होगी कि अगर मुनासिब समझे ऐसे शख्स की रिहाईका हुकूमदे॥

दफा १२५—साहब मजिस्ट्रेट जिला मजाजहै कि किसीवक्त बवजूह काफी जो जब्त तहरीर में आयेंगी किसी ऐसे मुचलके को मन्सूख करे जो वास्ते हिफ्ज अमन के बमूजिब बाब हाजा हस्ब हुक्म किसी अदालत वाक़ै जिलेके जो उसकी अदालत से बालातर न हो तहरीर कियागया हो ॥

मजिस्ट्रेट जिला का अख्तियार दरबारह मंसूख़ करने किसी ऐसे मुचल्का के जो वास्ते हिफ़ज अमनके हो,

दफा १२६—हरशख्स जोकिसी और शख्सकी खुशरवय्यगी या नेकचलनी का जामिनहुआ हो मजाज़ है कि जिसवक्त चाहे मजिस्ट्रेट प्रेजीडन्सी या मजिस्ट्रेट ज़िला या मजिस्ट्रेट हिस्साजिला या मजिस्ट्रेट दरजा अव्वलसे मुचलका और जमानतनामा मन्सूखकराने की दरख्वास्तकरे जो हस्ब बाबहाजा अन्दर हुदूद अरजी उसके इलाके के लिखागयाहो ॥

जामिनों की रिहाई,

बरतबक़ गुजरने ऐसी दरख्वास्तके साहब मजिस्ट्रेट अपना सम्मन या वारंट जो कुछ मुनासिब समझे इस हुकूमसे जारी करेगा कि वह शख्स जिसकेलिये जामिन उसकी तरफसे पाबन्द हुआथा उसके रूबरू हाजिरहो या हाजिर कियाजाये ॥

जब ऐसा शख्स मजिस्ट्रेटके रूबरू हाजिरहो या हाजिरकिया जाय तो मजिस्ट्रेट मजकूर मुचलका और जमानत नामेको मन्सूख करेगा और शख्स मजकूर को यह हुकूमदेगा कि जमानत जदीद उसी किस्मकी जैसी अस्लजमानत थी मुचलकेकी मीआद गैरमुनक़जिया की बाबत दाखिलकरे ऐसा हरहुकूम वास्ते हुसूल इग़राजदफात १२१ व १२२ व १२३ व १२४ के बमन्जिलै ऐसे हुकूमके समझाजायगा जो बमूजिब दफा १०६ या दफा ११८ (जैसी सूरत हो) सादिरहुआ हो ॥

बाब ६ ॥

मजमाहाय ख़िलाफ़ क़ानून ॥

दफा१२७– हर मजिस्ट्रेट या अहल्कार मोहतमिम पुलिस

मजिस्ट्रेट याअहलकार पुलिसकेहुक्मके मुताबिक मजमाका मुंतशिर होना, इस्टेशन मजाज है कि किसी मजमै खिलाफ़ क़ानूनको पांच या जियादह अशखासकीजमा-अतको जिन की निस्बत एहतमाल हो कि वह अमन खलायक़में खलल डालेंगे मुन्तशिर होजानेका हुक्म दे उसके मुताबिक जमाअत मज़कूर के तमाम शरकायको ला-जिम होगा कि मुंतशिर होजायँ ॥

यह दफ़ा बलाद कलकत्ता व बम्बईकी पुलिससे मुतअल्लिक़है ॥

दफा १२८—अगर ऐसा हुकूम सादिर होने पर ऐसा कोई मजमा मुन्तशिर न होजाय या अगरबिला ऐसे हुक्म दियेजानेके मजमा मजकूर इसतरह काररवाई करे कि जिससे इरादा मुन्तशिर न होनेका जाहिर हो तो हर मजिस्ट्रेट या अहल्कार मोहतमिम इस्टेशन पुलिस आम इससे कि वह बलाद प्रेजीडंसीके अंदरहो या बाहर मजाजहै कि जबरन् मजमाको मुन्तशिर करे और किसी शख्स जकूरको जो मलका मुअज्जिमाकी अफवाजका अफ्सर या सिपाही न हो या ऐसा वालन्टियर न हो जिसकानाम बमूजिबऐक्ट वालन्टियरहिंद मुसद्दिरै सन १८६९ई० के दर्जहुआ हो और उसी हैसियत से अमल करताहो मजमाके मुन्त-शिर करानेके लिये उसकी मदद करनेकी हिदायतकरै और अगर जरूरत हो मजमा मजकूर के शरका को मजमाके मुन्तशिर कर-ने के लिये या कानून के बमूजिब उनको सजा दिलानेके लिये गिरफ्तार और कैदकरे ॥

दीवानी कूवतका इस्तेमालमें लाना मुंतशिर करनेकेलिये,

ऐक्ट २०सन् १८६९ई०

दफा १२९—अगर कोई ऐसा मजमा और नेहजपर मुन्तशिर न होसके और अगर आम खलायक की हिफाजत के लिये उसका मुन्तशिर करना जरूरहो तो सबसे आला दर्जेका मजिस्ट्रेट जो उसवक्त हाजिर हो मजाज होगा कि बमदद फौज उसको मुन्तशिर कराये ॥

कूवत फौजीका इस्तेमाल मे लाना,

दफा १३०—जब कोई मजिस्ट्रेट किसी ऐसे मजमाकोबम-दद फौज मुन्तशिर करनेका इरादा करे तो

उस अफ्सरसिपाहका

लाजिमा खिदमत जिसको मजिस्ट्रेट मजमाके मुंतशिर करदेनेकेलिये कहे,

उसको अख्तियारहै कि किसी अफ्सर कमीशनयाफ्ता या ग़ैर कमीशनयाफ्ता को जो मलकामुअज्जिमाकी अफवाजके किसी कदर सिपाहियों का कमानियर हो या जो किसी ऐसे अशखास वालन्टियर का कमान अफ्सर हो जो ऐक्ट वालन्टियर हिन्द मुसद्दिरै सन् १८६९ ई० के मुताबिक भरती हुये हों यहहुक्मदे कि मजमा को अहाली फौजके जरिये से मुन्तशिरकरे—और उनअशखास को जो मजमाके शरीक हों और जिनका मजिस्ट्रेट निशानदे या जिनको गिरफ्तार और कैद करना इस वजहसे जरूरहो कि मजमा मुन्तशिर होजाय या कि उनकी सजा मुताबिक कानूनके कीजाय गिरफ्तार और कैदकरे ॥

ऐसा हर कमानअफ्सर ऐसी दरख्वास्तकी तामील जिसतरह मुनासिब समझे करैगा—मगर तामील करनेके वक्त इस कदर कम तशद्दुद अमलमें लायेगा और इनसानकी जात व मालको इसकदर कम नुकसान पहुँचायेगा जोबवक्त मुन्तशिरकरने मजमा और गिरफ्तार और कैदकरने अशखास निशानदादहके मुमकिन पायाजाय ॥

दफा १३१—जब साफ व सरीह अमन खलायकमें नुकसान

कमीशन याफ्ताफौजी अफसरोंका अख्तियार दरबारह मुंतशिर करने मजमाके,

पहुँचने का खतरा बाअस ऐसेमजमा खिलाफ कानून के हो और उसवक्त किसी मजिस्ट्रेट के साथ खत व किताबत करना मुमकिन न हो तो मलिका मुअज्जिमा की अफवाजके हर अफ्सर कमीशन याफ्तह को अख्तियार है कि फौजकी मदद से मजमा मजकूर को मुन्तशिर करे और मिन्जुम्ला अशखास शरीक मजमाके किसी कदर अशखास को उसके मुन्तशिर करनेके लिये या मुताबिक कानून के उनकी सजा करनेके लिये गिरफ्तार और कैदकरे लेकिन जिसवक्त कि वह इसदफाके बमूजिब काररवाई करताहो अगर यह मुमकिन हो कि मजिस्ट्रेटसे इस्तिसलाह करसके—तो लाजिम है कि वह ऐसाकरे और उसके बाद हिदायात मजिस्ट्रेट

की दरबारै इस अम्रके कि आया उसको ऐसीकाररवाई जारी रखनी चाहिये या नहीं—तामीलकरेगा ॥

दफ़ा १३२—किसी मजिस्ट्रेट या किसी अफ्सर फ़ौज या अहल्कार पुलिस या सिपाही या वालन्टियर पर किसी फ़ेलकी बाबत जिसका इसबाबके मुताबिक वक़ूअमें आना जाहिर किया जाय कोई नालिश किसी अदालत फौजदारी में रुजूअ न कीजायगी—इल्लाबमंज़ूरी जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर इजलास कौंसल—और—

मुमानिअत इजाअ नालिश बइल्लतउन अफ़आलके जो हस्बबाबहाजा वक़ूअमें आयें,

[अलिफ़]--कोई मजिस्ट्रेट याअहल्कार पुलिसजो नेक नीयती से इसबाबके मुताबिक़ अमल करे—

[बे]--कोई अफ्सर जो नेक नीयती से दफ़ा १३१ के मुताबिक कारबन्दहो—

[जीम]--कोई शख्स जो बइतबअ किसी हुक्म मुतअल्लिक़ै दफ़ा १२८ या १३० के कोई फ़ेल नेकनीयती से करे--और—

[दाल]--कोई अफ्सर अदना या सिपाही या वालन्टियर जो बतबअय्यत किसीहुक्मके जिसका बजालाना क़ानून फौजकीरूसे उसपर वाजिब है कोई फेलकरे ॥

ऐसा फेलकरनेसे जुर्मका मुर्तकिब न समझाजायगा ॥

बाब १० × ॥

उमूर बाअस तकलीफ़ ख़लायक ॥

दफ़ा १३३—जब कोई मजिस्ट्रेट ज़िला या मजिस्ट्रेट हिस्सा ज़िला या कोई मजिस्ट्रेट दर्जैअव्वल दरहाले कि लोकलगवर्नमेण्टसे उसको इसबाब में अख्तियार दिया गया हो इन्दुल्लहुसूल किसी

हुक्मबिलशर्त वास्तै दफ़ा करने उमूर बाअस तकलीफ़ के,

× बाब १०—शहर मंदरास में मंदरास के ऐक्ट ९ सन् १८८४ ई० की दफ़ा २९ की रूसेवसअत पिज़ीर किया गयाहै,

रिपोर्ट या और तरहकी इत्तिलाअ् के और बादलेने उसक़दर सुबूतके [अगरकुछहो] जो मुनासिब मालूम हो यह तसव्वरकरे ॥
कि किसी रास्ता या दरिया या नालीसे जिसे अवाम बतौर जायज इस्तैमाल में ला सक्ते हों या किसी मुक़ाम आमसे कोई सद्दनाजायज या बाअ्स तकलीफ खलायक दूरहोजानीचाहिये-या-
किसी दूकान्दारी या पेशेका या रखना किसी माल या माल तिजारती का जो खलायक की तन्दुरुस्ती या आशायस जिस्मानीका मुजिरहो मौकूफ कियाजाना या दूसरी जगह उठादिया जाना या ममनूअ् करार दियाजाना अनसबहै--या--
तामीर किसी इमारतकी यासर्फ किसी चीजका जिससे एहतमाल आग लगने या भकसे उडजाने का पैदाहो लायक रोंकदेने या बन्द करदेनेके है--या—
कोई इमारत ऐसी हालतमें है कि ग़ालिबन् गिरपडेगी जिससे उनलोगों को जो उसके पास रहते या कारोबारकरते या उस के पास होकर गुज़रतेहैं नुक़सान आयेगा और इसी सबबसे उसका दूर कियाजाना यामरम्मत करना या पुश्ता बनाना जरूरहै--या—
किसी तालाब या चाह या खन्दक़के गिर्द जोकिसी ऐसे रास्ते या मुक़ाम आमके मुत्तसिलहो ऐसा जँगला क़ायम करनाचाहिये कि उससे जोखतरा अवामको पैदाहोताहै वह मसदूद होजाय—
तो मजिस्ट्रेटमौसूफ मजाज होगा कि जो शख्स ऐसी सद्दराह या अम्रमूजिब तकलीफ खलायक का बाअ्स हो या ऐसी दूकान्दारी या पेशा करताहो या कोई माल या माल तिजारती रखताहो या ऐसी इमारत या चीज़ या तालाब या चाह या खन्दक़का मालिक या क़ाबिज़हो या उसपर अख्तियार रखता हो उसके नाम हुक्मशर्तिया इस हिदायत से सादिर करे कि वह मीआद मुअय्यना हुक्मके अन्दर—
ऐसी सद्दराह या अम्रमौजिब तकलीफ़ खलायकको दूरकरे-या-
ऐसीदूकान्दारी या पेशेको मौकूफकरे या उठादे--या--
अशियाय मज़कूर या मालतिजारती को उठवादे--या--

ऐसी इमारतकी तामीर मसदूद या बन्द करदे-- या--

उसको दूरकरदे या उसकी मरम्मतकरादे या उसमेंआड़ लगा दे या उसचीज़ के सर्फ करनेका तरीक़ाबदलदे-- या--

तालाब या चाह या ख़न्दक़ के गिर्द जैसी सूरत हो जँगला लगादे--या--

उसी मजिस्ट्रेट या किसी और मजिस्ट्रेट दर्जेअव्वल या दर्जे दोम के रूबरू वक्त और मुक़ाम मुन्दर्जे हुक्म पर हाज़िर होकर दरख्वास्तवास्ते मन्सूखी या तरमीम हुक्म मज़कूरके हस्बतरीके मुन्दर्जे आयन्दा दाखिलकर ॥

किसी हुक्मकी निस्बत जो इसदफ़ाके बमूजिब किसी मजिस्ट्रेटके हुज़ूरसे हस्बज़ाबिता जारी हुआ हो किसी अदालत दीवानी में एतराज न किया जायगा ॥

तशरीह—मुक़ामआममें वह जायदाद जो सर्कारी हो और पड़ावकी जगह और वह जमीन जोकि तन्दुरुस्ती और तफ़रीहकी अग़राजके लिये ख़ाली छोड़दी गई दाख़िल है ॥

दफ़ा १३४—हुक्म मज़कूर जहांतक मुमकिनहो उसीशख्स पर जिसके नाम वह सादिर हुआहो उसी तरीके के बमूजिब जारी किया जायगा जो वास्ते इजराय सम्मन के इस मजमूयेमें मुक़र्रर हुआहै ॥

हुक्मकाजारी या मुश्तहर करना,

अगर वहहुक्म इसतौर से जारी न होसके तो उसकी बाबत इश्तिहार मुश्तहर कियाजायेगा और वह इश्तिहार उसतरह पर मुश्तहर होगा जिसतरह लोकलगवर्नमेंट अज़रूय क़ायदा हिदायतकरे और उसकी एक नकल ऐसे मुकाम या मुकामातपर आवेज़ां की जायगी जो शख्स मज़कूर की इत्तिलाअ रसानी के लिये जियादा मुनासिब मालूम हों ॥

दफ़ा१३५--उस शख्स को जिसके नाम ऐसा हुक्म सादिर हो लाज़िम है कि--

उसशख्सको उस हुक्म की तामील करना चाहिये जो उसकेनाम सादिरहो,

[अलिफ]-जिस फेलके करनेकी हिदायत हुक्ममें हो मीआद मुक़र्ररह हुक्मके अन्दर उसकी तामील करे-- या-

(बे) हुक्म के बमूजिब हाजिर होकर या तो वजह नाजवाजी हुक्मकीजाहिरकरे या उसमजिस्ट्रेटसे जिसने हुक्म सादिर किया हो इसअम्रकी दरख्वास्त करे कि अहाली जूरी वास्ते तजवीज इसअम्रके मुकर्रर कियेजायँ कि हुक्म मजकूर माकूल और मुनासिबहै या क्या ॥

या वह वजह दिखाये या जूरीकी इस्तदुआ करे,

दफा १३६--अगर शख्स मजकूर ऐसे फेलकी तामील न करे या असालतन् हाजिर न हो और न दरख्वास्त वास्ते तक़र्रुर अहाली जूरी हस्ब हिदायत दफा १३५ के गुजराने तो वह उस तावान का मुस्तौजिब होगा जो मजमूये ताज़ीरात हिन्दकी दफा १८८ मेंमुकर्ररहुआ है और वह हुक्म नातिक करदिया जायगा ॥

अदम तामीलहुक्म मजकूर का नतीजा, ऐक्ट४५सन् १८६०ई०,

दफा १३७--अगर शख्स मजकूर हाजिर होकर वजह नाजवाजी हुक्मकी जाहिर करे तो मजिस्ट्रेट को मुनासिब है कि उस मुकद्दमे में सुबूत ले ॥

जाबिना जब वह हाजिर होकर वजह जाहिर करे,

अगर मजिस्ट्रेट को इतमीनान होजाय कि वह हुक्म माकूल और मुनासिब नहीं है तो मुकद्दमे में कुछ और काररवाई मजीद न होगी ॥

अगर मजिस्ट्रेटको हस्ब मुतजक्किरै सदर इतमीनान न हो तो वह हुक्म नातिक कियाजायगा ॥

दफा १३८--इन्दुलहुसूल दरख्वास्त वास्ते तकर्रुरअहालीजूरी हस्बमुराद दफा १३५ के मजिस्ट्रेट को लाजिम है कि ॥

जाबिता जबवह जूरीके लिये इस्तदुआकरे,

[अलिफ]--उसीवक्त अहालीजूरी मुकर्ररकरे जिनमें अशखास की तादाद ताक और कमसेकम पांच हो मिन्जुमला उनके जूरी कासरगरोह और शरका बाकी मुन्दाके निस्फ अशखास मजिस्ट्रेट

की तरफ़ से नामज़द कियेजायँगे और बाकी शरका सायलकी तरफ़से नामज़द होंगे ॥

[बे]--ऐसे सरगरोह और शरकाजूरी को वास्ते हाजिर होने ऊपर उस मुकाम और उसवक्त के जो मजिस्ट्रेट मुनासिब समझे तलब करे ॥

[जीम]--एक अरसा मुकर्ररकरे जिसके अंदर अहलजूरी को अपनी रायदेनी जरूर है ॥

दफ़ा १३९--अगर अहालीजूरी या अहालीजूरी या गालिबुल्-

जाबिता जबकि जूरी मजिस्ट्रेट के हुक्मरो माकूल समझें,

आरा के नजदीक हुक्म साहब मजिस्ट्रेटका जैसा कि असलमें हुआथा या बाद उस क़दर तरमीम के जिसको मजिस्ट्रेट कुबूल करे माकूल और मुंसिफाना करारपाये तो मजिस्ट्रेट मजकूर उस हुक्म को बतबअय्यत उसतरमीमके[अगरकुछ हुईहो] नातिक़करदेगा॥

और सूरतों में कुछ और काररवाई मजीद न होगी ॥

दफ़ा १४०--जब कोईहुक्म बमूजिबदफ़ा १३६ यादफ़ा१३७

जाबिता जबकि हुक्म नातिक़ करदियाजाय,

या दफ़ा १३९ के नातिक करदिया जाय तो मजिस्ट्रेट को लाजिम है कि उसके नातिक होनेकीइत्तिलाअ उसशख्सके पासभेजे जिसकेनाम हुक्म सादिर हुआथा और नीज़ उसको हिदायतकरे कि वह उस अम्रकीतामील अन्दर मीआद मुकर्ररह इत्तिलाअनामे के करे जिसकी बाबत उसके नाम हुक्म हुआ है और उसकोमुत्तिलाअकरदे कि उदूलहुक्मीकी सूरत में वह उस तावान का मुस्तौजिब होगा जो मजमूये ताजीरातहिन्द की दफ़ा१८८में मुकर्ररहै ॥

ऐक्ट४५सन्१८६०ई०,

अगर अम्रमजकूर मीआद मुकर्ररह के अन्दर न कियाजाय तो मजिस्ट्रेट को अख्तियार है कि उसकी तामील कराये और उसकी तामील करानेकाखर्च बजरिये नीलाम किसी इमारत या अशिया या दीगर जायदादके जो उसके हुक्म से उठादीजाय या बजरिये कुर्की व नीलाम किसी और

उदूलहुक्मीकेनतायज,

जायदाद मन्कूला ममलूका शख्स मजकूरके जो उस मजिस्ट्रेटके इलाकेकी हुदूद अर्जीके अन्दर या उससे बाहरहो वसूलकरे अगर वह दीगर जायदाद मन्कूला हुदूद मजकूरके बाहरहो तो उसहुक्म की रूसे कुर्की और नीलाम करना उस वक्त जायज होगा जबकि उसपर उसमजिस्ट्रेटके दस्तखत सब्तहोजायँ जिसके इलाके की हुदूद अर्जीके अन्दर जायदाद कुर्की तलब पाईजाय ॥

कोई नालिश बाबत किसी अमल के जो इसदफाके बमूजिब बतौरनेकनीयती कियागयाहो जायज न होगी ॥

जाबिता जबकि जूरीन मुकर्रर कीजाय या जूरी अपनीरायजाहिर न करे,

दफा १४१—अगर सायल बवजह गफलत या और किसी वजहसे अहाली जूरीके तकर्रुर का माने हो या अगर किसी वजहसे अहालीजूरी बाद मुकर्रर होनेके उस मीआदके अंदर जोमुकर्रर हुई हो या उस मीआद मजीद के अन्दर जो साहब मजिस्ट्रेट अपनी इस्तिबाज से अताकरे अपनी राय न जाहिरकरें तो मजिस्ट्रेट को अख्तियार होगा कि जोहुक्म मुनासिब समझे सादिर करे और तामील उसहुक्मकी हस्बमहकूमैदफा १४०कीजायगी॥

हुक्म इम्तनाई जमा न तहकीकात,

दफा १४२—अगर कोई मजिस्ट्रेट जो दफा १३३ के मुताबिक हुक्म सादिरकरे यह तसव्वर करे कि अवामको खतरा या नुकसान अजीमसे महफूज रखनेके लिये फौरन् तदबीरात मुनासिब अमल में लानी चाहिये तो उसको अख्तियार है कि आम इससे कि अहलजूरी मुकर्रहुये हों या होनेवाले हों या नहीं हुक्मइम्तनाई उसकिस्म का जो वास्ते रोकने या मसदूद करने ऐसे खतरे या नुकसान के जरूरहो उस शख्स पर जारीकरे जिसकेनाम असली हुक्म सादिरहुआथा ॥

अगर शख्स मजकूर उसीवक्त हुक्म इम्तनाई की तामील न करे तो मजिस्ट्रेट मजकूर मजाज़है कि खुद या औरोंकेजरियेसे ऐसी तदबीरात अमलमें लाये जो उसकी दानिस्तमें वास्ते रोकने ऐसे खतरे और मसदूदी ऐसे नुकसानके उसको मुनासिब मालूमहों॥

किसी फेल माकूलकी बाबत जो नेक नीयती से इस दफ़ाके मुताबिक मजिस्ट्रेटसे जुहूरमें आये कोई नालिश पिजीराई के लायक न होगी॥

दफ़ा १४३—मजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेट हिस्साजिला या कोई और मजिस्ट्रेट जिसको लोकलगवर्नमेण्ट या मजिस्ट्रेट जिलेकी तरफ से इस बाबमें अख्तियार अताहुआहो मजाजहै कि हर शख्सको किसीअम्र बाअसतकलीफआम के जिसकी तारीफ मजमूये ताजीरातहिन्द या किसी कानून मुख्तसुलअम्र या मुख्त सुलमुकाममें हुईहै मुकर्रर करने या करते रहनेसे मनाकरे॥

मजिस्ट्रेटउमूरबाअसतकलीफ आमके मुकर्रर करने या करते रहनेसे मनाकर सक्ताहै,

ऐक्ट४५सन्१८६०ई०,

बाब ११×॥

अहकाम चन्दरोजा बमुकद्दमात जरूरी उमूर बाअसतकलीफ खलायक़॥

दफ़ा १४४—उन मुकद्दमात में जिनमें बदानिस्त मजिस्ट्रेट जिला या किसी मजिस्ट्रेट हिस्सा जिला या किसी और मजिस्ट्रेट के जिसको इस दफ़ा के बमूजिब अमल करनेका अख्तियार खास लोकलगवर्नमेण्ट या मजिस्ट्रेट ज़िले से मिलाहो फ़ौरन् इन्सदाद या जल्द तदबीर करनी मुनासिब हो॥

जरूरी मुकद्दमात उमूर बाअस तकलीफ खलायकमें यकसर हुक्म नातिक़सादिर करने का अख्तियार॥

तो ऐसा मजिस्ट्रेट मजाज़ होगा कि बज़रिये हुक्म तहरीरी जिसमें मुक़द्दमे के हालातअहम क़लमबन्दहोंगे और जो हस्बअहकाम दफ़ा १३४ जारी कियाजायेगा किसी शख्स को हिदायत करे कि वह किसी फ़ेल से बाज़ रहे या किसी ख़ास जायदाद की निस्बत जो उसके क़ब्ज़े या एहतमाम में हो किसी खास तौर पर बन्दोबस्तकरै बशर्ते कि मजिस्ट्रेट मजकूर के नजदीक

×बाब ११—शहर मन्दरास में मन्दरास के ऐक्ट ७ सन् १८८४ ई० की दफ़ा २९—की रूसे बवसअत पिजीर किया गया है,

ऐसीहिदायत गालिबन् बाअ़स इन्सदाद या मंजिर ब इन्सदाद किसी मजाहिमत या तकलीफ या नुक़सान की बमुक़ाबिले उन अशखासके जो किसी खिदमतजायज में मसरूफहों या ऐसे खतरे की जो इन्सानकी जान या सलामती या तन्दुरुस्तीपर मवस्सरहो या बलवा या हंगामेकी होगी ॥

जायज़ है कि हुक्म मुतअ़ल्लिक़ै दफाहाजा उनसूरतों में जब अशद जरूरतहो या उनहालातमें जब कि इत्तिलानामा उस शख्स पर मोहलत मुनासिबके साथ जारीकरना मुमकिन न हो जिसके नाम हुक्म सादिरकियाजाय यकतरफा सादिरकियाजाय ॥

जायजहै कि वहहुक्म जो इसदफ़ाके बमूजिब सादिरहो किसी शख्स खासके नाम या उमूमन खलायक के नाम जब वह किसी खास मुकाममें जमाहोते या उसकी सैरकरतेहों लिखाजाय ॥

हरमजिस्ट्रेटको अख्तियारहै कि किसीहुक्मको जो खुद उसी ने या किसी मजिस्ट्रेट मातहत उसकेने या जो हाकिम उससेपहले उस ओहदेपरथा उसनेहस्ब दफा हाजा सादिर कियाहो मन्सूख या तब्दीलकरे ॥

कोई हुक्म हस्ब दफाहाजा उसके सदूरकी तारीख से जायद अज दोमाह नाफिज न रहेगा बजुज उसके कि लोकलगवर्नमेण्ट जान इंसान या तंदुरुस्ती या अमनको खतराहोने या हंगामा या बलवेके एहतमालहोनेकी सूरतोंमें बजरिये इश्तिहार मुन्दर्जै गजट सर्कारी और नेहजपर हिदायतकरे ॥

बाब १२॥

नज़ाअ़ातबाबतजायदाद गैरमन्कूला ॥

जाबिताजबकिनजाअ़ मुतअ़ल्लिक़अराजीवगैरह से अमनमें फितूरपड़नेका एहतमालहो,

दफा १४५--जब किसी मजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेट हिस्सा जिला या मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वलको बहुसूल किसीरिपोर्ट पुलिस या औरकिस्मकी इत्तिला के इतमीनान होजाय कि उसके इलाकेकी हु-

हुदूद अर्जीके अंदर किसी जायदाद गैरमन्कूला लायक तसर्रुफ या उसकीहुदूदकी बाबत ऐसी निजाअरपा है कि उससे अमनखला-यकमें फितूरपडनेका एहतमालहै तो उसको लाजिमहै कि हुक्म तहरीरी मशअर इन्दराज वजूह अपने इत्मीनान मुतजक्किरै स-दरके कलम्बन्दकरे और उसमें फरीकैन मुनाजिअतको हुक्मदे कि वह असालतन् या वकालतन् एक मीआद के अंदर जो मजिस्ट्रेट कीतजवीजसे मुकर्रर होगी उसकीअदालतमें हाजिरहोकर अपने २ दावेकी बाबत खसूस निस्बत शैमुतनाजे के कब्जे असली और हकीकीके अपने २ बयानात तहरीरी दाखिलकरें ॥

तहक़ीक़ात दरहुदूद बवजाके,

तब मजिस्ट्रेट को लाजिम है—कि बिला करने लिहाज ऊपर रूयदाद दुआवी फरीकैन निस्बत इस्तहकाक कब्जादारी शैमुतनाजाके उनके बयानात मदखले को मुलाहिजाकरे और फरीकैनका बयान समाअतकरे और जो शहादत फरीकैनने पेशकीहो उसको ले और शहादतमज-कूरकी तासीरपर गौरकरे और उसकदर शहादतमजीद जोउसकी निस्बत जरूरीहो ले और अगर मुमकिनहो यह अम्र फैसल करदे कि फरीकैन में से कोई शख्स और कौन शख्स शै मुतनाजापर किस्म मजकूर का कब्जा रखता है ॥

जिसका कब्जाहै वहका-बिज रहेगा जबतक कि का-नूनन् उसको बेदखल न कियाजाय,

अगर मजिस्ट्रेट यह तजवीज करे कि फरीकैनमें से एक फरीक शै मुतनाजा पर किस्म मजकूरका कब्जा रखताहै तो उसको लाजिमहै कि अपने हुक्म के जरिये से यहबात जाहिर करदे कि फरीक मजकूर उसवक्त तक कब्जा रखनेका मुस्तहक है जबतक कि वह हस्बजाबितै कानून बेदखल न कियाजाय और यह कि कोईशख्स उसकी कब्जेदारीमें जबतक कि वह बेदखल न कियाजाय किसीतरहकी दस्तन्दाजी न करे ॥

कोई इबारत इसदफाकी माने इसअम्रकी न होगी कि कोई शख्स जिसको हाजिरहोनेका हुक्महो यह साबितकरे कि उसको किसिकेसाथ हस्बमुतजक्किरै बाला निजाअ नहींहै और न थी और

इससूरतमें मजिस्ट्रेटको लाजिमहोगा कि अपनाहुकुम मन्सूख करके तमाम काररवाई मजीद मुल्तवीरक्खे ॥

दफ़ा१४६--अगर मजिस्ट्रेटकी यहरायहो कि फरीकैनमेंसे कोई

शैमुतनाजाके कुर्क करनेका अख्तियार,

किस्म मजकूरका उसवक्त कब्ज़ा नहींरखताहै या उसको इतमीनान हासिलन होसके कि कौनफरीक शैमुतनाजापर किस्ममजकूरका उसवक्त क़ब्ज़ारखता है तो उसको अख्तियार है कि शै मज़कूरको उसवक़्तक क़ुर्करक्खे जबतक कि कोई अ़दालतदीवानी मजाज़ समाअ़त मुक़द्दमे फ़रीक़ैनकेहुक़ूक वाक़ै शै मज़कूरको तै न करे या यह तजवीज़ न करे कि कौनशख्स उसकेकब्जेका मुस्तहकहै ॥

दफ़ा१४७—जब किसी मजिस्ट्रेट को हस्ब मुतज़क्किरै सदर इस

तनाजआतमुतअ़ल्लिक हक़आसायश वगैरहके

बातका इतमीनान हो कि उसके इलाकेकीहुदूदअरजीके अंदर किसीअसली जायदाद गैरमन्क़ूला क़ाबिल तसर्रुफ़ की निस्बत किसी फ़ेल के करने या मतरूक रखनेकी बाबत ऐसी निज़ा बरपाहै कि उससे अमन खलायक़ में फ़ितूर पडनेका एहतमालहै तो मजिस्ट्रेट मज़कूरको अख्तियार है कि इस अम्रकी तहक़ीक़ातकरे और अगर उसके नजदीक ऐसे हक़का वजूदपायाजाय तो अपने हुक्म के ज़रिये से फ़ेल मुतनाज़अके अमलमें आनेकी इजाज़तदे या हिदायतकरे कि फ़ेल मज़कूर अमल में न आनेपाये जैसा मौक़ाहो तावक्ते कि वह शख्स जो उस फ़ेलके होनेपर एतराज़ रखताहो या वहशख्स जो फेल अमल में लानेका दावा रखताहो किसी अ़दालत दीवानी मजाज़ का फ़ैसला हासिल करे जिसमें उसका इस्तहक़ाक़ दरबाब मतरूक रखने या अमलमेंलाने ऐसे फ़ेलके जैसे मौक़ाहो उसके हक़में तजवीज़ कियागयाहो ॥

मगर शर्तयह है कि कोई हुक्म इस दफ़ाके बमूजिब मशअ़र अ़ताय इजाज़त अमलमें लाने किसी फ़ेलके जब ऐसा फ़ेल करनेका इस्तहक़ाक़हो हरवक्त सालमें निफ़ाज़ पासक्ताहै सादिर न होगा इल्ला उस सूरत में कि निफ़ाज़ उस हक का क़ब्ल रुजूअ़

होने तहक़ीक़ात के तीन महीने माक़ब्ल के अन्दर बतौर मामूल नाफ़िज़ कियागयाहो या अगर वह इस्तहकाक सिर्फ़ ख़ास२ मौसमों में काबिल निफ़ाज हो तो बजुज़ उस सूरतके किवह इस्तहक़ाक़ उस मोसममें नाफिज हुआहो जो ऐसी तहकीकात के शुरूअ होनेसे ऐन माक़ब्ल हो ॥

दफा१४८--जब कभी इसबाबकी अगराजके लिये तहकीकात तहकीक़ात मुक़ामी, मौका करना जरूरहो तो मजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेट हिस्सा जिलाको अख्तियार है कि किसी मजिस्ट्रेट मातहत अपनेको तहकीकातके लिये मुतअय्यन करे और उसके पास ऐसीहिदायात तहरीरी मुरसिलकरे जो मुताबिक कानून नाफिज़वक्तकेहों और उसकीरहनुमाई के लिये जरूर मालूम हों और यह अम्रजाहिरकरदे कि कुलयाजुज्वमसारिफ जरूरी तहकीकात मजकूरका किसके जिम्मेरहेगा ॥

रिपोर्ट उस शख्स की जो इस तौर पर तैनात किया जाय मुकद्दमेमें बतौर सुबूतके पढ़नी जायज है ॥

जब किसी काररवाई मुतअल्लिके बाबहाजा में किसी फरीहुक्म दर ख़सूस ख़र्चों के, कका कुछ रुपयावास्ते गवाहों या मेहनताना वकील या दोनों अम्रके खर्च हुआहो तो वह मजिस्ट्रेट जो दफा १४५ या १४६ या १४७के मुताबिक मुकद्दमा फैसल करे यह हिदायत करसक्ताहै कि ऐसा खर्चा आया उसी फरीक के सिर या मुकद्दमेके किसी और फरीक के ज़िम्मे रहेगा और आया उसको कुल या जुज्व या बहिसाबरसदी देना पड़ेगा और जायज है कि तमाम खर्चा जिसके दिलाने की हिदायत की जाय मिस्लजर जुर्माने के वसूल कियाजाय ॥

बाब १३॥

पुलिसका अमल इसदादी ॥

दफा१४९--हर अहल्कार पुलिस मजाज़ है कि वास्ते इन्सपुलिसका अख़्तियार, दाद इर्तिकाब किसी जुर्म क़ाबिल मदाख़िलत

दरबारह इंसदाद जरायम क़ाबिल दस्तन्दाज़ीके, पुलिस के दस्तन्दाज़ीकरे और उसको लाज़िम है कि ताहदमक़दूर अपने उसका इन्सदादकरे॥

दफा १५०--अगर किसीअफ्सर पुलिसको इत्तिलाअपहुचे कि कोई शख्स जुर्मक़ाबिल मदाखिलतपुलिस के इर्त्तिकाबकीनियतरखताहै--तो उसको लाज़िम है--कि उसकीइत्तिलाअ उसओहदेदार पुलिसकेपासपहुंचाये जिसका वह मातहतहो -और भी किसीओहदेदारकेपास जिसकायह कामहोकि ऐसेजुर्मके इर्त्तिकाबकाइंसदाद याउसमेंदस्तन्दाज़ीकरे॥

वैसे जुर्मोंके इर्त्तिकाबकी नियतकी इत्तिलाअ,

दफा १५१---जिस अहल्कार पुलिसको यह इल्महो कि कोई शख्स किसी जुर्म क़ाबिल दस्तन्दाजी पुलिस के इर्त्तिकाबका क़स्द कररहाहै--उसको अख्तियारहै--कि बिला सुदूर हुक्म मजिस्ट्रेट और बिला वारंटके उस शख्सको गिरफ्तारकरे जिसकाऐसा मक़सूदहो बशर्तेकिअहल्कार मजकूरकी दानिस्तमें उस जुर्मके इर्त्तिकाबका इन्सदाद और तरह पर न होसक्ताहो ॥

वैसेजुर्मों के इंसदाद के लिये गिरफ्तारी,

दफा १५२—अहल्कार पुलिस मजाजहै--किउस नुक़सान के इन्सदादके लिये जो कोई शख्स उसके मवाजह में किसी सर्कारी जायदाद मन्कूला या गैर मन्कूला को पहुंचाने का इक़दामकरे या किसी सरकारी निशान वाकेजमीन या पानीपर तैरनेवाले निशान या जहाजरानी के और निशानके दूर करने या नुक़सान पहुंचाने के इन्सदादके लिये खुद अपने अख्तियार से दस्तन्दाजहो ॥

सर्कारी जायदादके नुक़सानपहुंचानेका इंसदाद,

दफा १५३--हर अहल्कार मोहतमिम इस्टेशन पुलिस मजाज है कि बिला वारंट इस्टेशन मजकूरकी हुदूद के अन्दर किसी मुकाम में वास्ते मुआयना या तलाश करने बांटों या पैमानों या दीगर आलात वजनकशीके जो उसमें मुस्तअमिल होते या रक्खेरहतेहों उससूरतमें दखल करे जब उसको बवजूह ज़न्नगालिबहो कि ऐसे मुकामपर ऐसे बांट या पैमाने या आलात वजनकशी रक्खे हैं जो झूठे हैं ॥

बांटों या पैमानोंकामुआइना,

अगर उसको ऐसे मुकाममें ऐसे बांट या पैमाने या आलात वजनकशी दस्तयाबहों जो झूठे हैं तो उसको अख्तियारहै कि उनको अपने कब्जेमें करले—और लाजिमहै कि फौरन कब्जाकरलेनेकी इत्तिलाअ उस मजिस्ट्रेट को दे जिसको अख्तियार समाअत हासिल हो॥

हिस्सा पंजुम॥

पुलिस को इत्तिलाअ पहुंचाने और पुलिस के अख्तियारात तफ़्तीश का बयान॥

बाब १४॥

मुकद्दमात काबिल दस्तंदाजी के मुतअल्लिक इत्तिलाअ,

दफा१५४—हर एक इत्तिलाअ मुतअल्लिकै इर्तिकाब जुर्म क़ाबिल दस्तन्दाजी अगर जबानी किसी अफ्सर मोहतमिम इस्टेशन पुलिसके पासपहुँचे अफ्सर मजकूर के कलम से या उसके जेर हिदायत जब्त तहरीरमें आयेगी—और वह तहरीर इत्तिलाअ दिहन्दा के रूबरू पढ़ी और सुनाई जायगी और हर ऐसी इत्तिलाअपर आम इससे कि वह तहरीरीहो या हस्ब मुतजक्किरैबाला जब्ततहरीर में आईहो शख्स इत्तिलाअदिहन्दा के दस्तखत किये जायँगे और खुलासा इत्तिलाअका एकऐसी किताब में दर्ज कियाजायेगा जो उसी अफ्सरके मारफत मुताबिक उसनमूने के मुरत्तिब की जायगी जो लोकलगवर्नमेण्ट उसगरज से मुकर्ररकरे॥

मुकद्दमात ग़ैर काबिल दस्तंदाजी के मुतअल्लिक इत्तिलाअ,

दफा१५५—जब किसी अफ्सर मोहतमिम इस्टेशन पुलिस के पास इस मजमून की इत्तिलाअ दीजाय कि इस्टेशन मजकूरकी हुदूदके अन्दर कोई जुर्मगैर काबिल दस्तन्दाजी पुलिस सरजदहुआ है—तो उसको चाहिये कि एककिताब में जो हस्ब मुतजक्किरै बाला उसगरजके लिये रक्खी जायगी खुलासा उस इत्तिलाअ का दर्जकरे—और इत्तिलाअ दिहन्दा को मजिस्ट्रेट के हुजूर नालिश करनेकी हिदायत करे॥

कोई अहल्कार पुलिस मजाज़नहींहै कि बिलाहुक्म मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल या दर्जै दोम के जो ऐसे मुक़द्दमे की तजवीज़ या तजवीज़ के लिये सिपुर्द करने का अख्तियाररखताहो या बिलाहुक्म मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडन्सी किसी मुक़द्दमे ग़ैर क़ाबिल दस्तन्दाज़ी पुलिस में तफ्तीशकरे ॥

मुकद्दमात ग़ैर काबिल दस्तन्दाजी की तफ्तीश,

जब किसी अहल्कार पुलिस के नाम ऐसाहुक्म पहुंचे तो वह मजाज़है कि निस्बत मरातिब तफ्तीश के [बइस्तस्नाय अख्तियार गिरफ्तारी बिलावारंट] वही अख्तियारात अमल में लाये जोकोई अफ्सर मोहतमिम इस्टेशनपुलिस किसी मुक़द्दमे काबिल दस्तन्दाज़ी पुलिसमें अमलमेंलासक्ताहै ॥

दफ़ा १५६—हर अफ्सर मोहतमिम इस्टेशनपुलिस मजाज़ है कि बिलाहुक्म मजिस्ट्रेट के किसी ऐसेमुक़द्दमे क़ाबिलदस्तन्दाज़ी पुलिसमें तफ्तीशकरे जिसको वहअदालत जो उस इस्टेशनकी हुदूदकेअन्दर उसीरक़बेअरज़ी पर अख्तियार समाअत रखती है मुताबिक एहकाम बाब १५ मशअ़र बयान मुकाम तहकीकात व तजवीज के तहकीकात या तजवीज करनेकी मजाज़ होती ॥

मुकद्दमात काबिल दस्तन्दाजी की तफ्तीश,

कोई काररवाई किसीअफ्सर पुलिसकी जो ऐसेमुकद्दमेमें हुई हो उसकी किसीनौबत पर इस वजह से काबिल एतराजके न होगी कि मुकद्दमा ऐसाथा जिसमें अफ्सर मजकूर इसदफाके बमूजिब तफ्तीश करनेका मजाज न था ॥

दफा १५७—अगर बएतबार किसी इत्तिलाअरसानी के या बतौर दीगर किसी अफ्सर मोहतमिम इस्टेशनपुलिस को इस गुमान की वजह पाईजाय कि ऐसे जुर्मका इर्तिकाब हुआहै जिसके तफ्तीश करनेका उसको अख्तियार दफा १५६के बमूजिब हासिलहै--तो उसको चाहिये कि उसकी रिपोर्ट फौरन् उस मजिस्ट्रेट के पास मुरसिलकरे जो बरतबक रिपोर्ट पुलिस जुर्म मजकूर की समाअतका अख्तियार रखता हो और उसको लाजिम है कि ब-

ज़ाबिता जबकि जुर्म काबिल दस्तंदाजी का गुमानहो,

जात खुद मौकेपर जाय या अपने किसी अहल्कार मातहत को मुतअय्यन करे किवह मुकद्दमे के वाकिआत और हालातकी तफ्तीशकरे और तदाबीर जरूरी वास्ते सुराग़रसानी और गिरफ्तारी मुजरिम के अमल में लाये॥

मगर शर्त्त यह है कि॥

[अलिफ] जब ऐसे जुर्म के इर्त्तिकाब की इत्तिलाअ किसी शख्सके मुकाबिलेमें उसका नामलेकर पहुंचाई जाय और मुकद्दमा किस्म संगीन से न हो तो अफ्सर मोहतमिम इस्टेशनपुलिसकेलिये जरूर नहींहै कि बजात खुद मौकअपर जाय या किसी अहल्कार मातहतको मौकअ की तफ्तीश करने के लिये मुतअय्यन करे॥

कबतफ्तीश मौकेकी जरूरत नहीं,

[बे] अगर अफ्सर मोहतमिम इस्टेशन पुलिसको मालूम हो कि तफ्तीश करानेकी कोई वजह काफी नहीं है तोवह मुकद्दमे की तफ्तीश न करेगा॥

जब अफसर पुलिस मोहतमिम तफतीश की कोईवजह काफी न देखे,

उन सूरतोंमें से जो जिम्नहाय [अलिफ] व [बे] में मजकूर हैं हरएकमें अफ्सर मोहतमिम पुलिसइस्टेशन को लाजिम होगा कि अपनी रिपोर्ट मजकूर में वजूह इस अम्रकी लिखै कि दफाहाजा के फिकरह अव्वलकी हिदायातकी तामील क्यों कुल्लियतन् नहीं करसका॥

दफा १५८—हर रिपोर्ट जो दफा १५७के बमूजिब मजिस्ट्रेट के पास भेजीजाय अगर लोकलगवर्नमेण्ट ऐसी हिदायत करे उस अफ्सर आला पुलिस की मारफत मुरसिल होगी जिसको लोकलगवर्नमेण्ट बजरिये अपने हुक्म आम या खासके उस अम्रके लिये मुकर्रर करे॥

रिपोर्टें तहतदफा १५७ क्योंकर मुरसिल होंगी,

ऐसा अफ्सरआला मजाज है—कि अफ्सर मोहतमिम इस्टेशन पुलिसको जैसीहिदायात मुनासिब समझेकरे और उसको लाजिम है—कि हिदायात मजकूर को रिपोर्टपर कलम्बन्द करके रिपोर्ट को बिला तवक्कुफ मजिस्ट्रेट के पास मुरसिल करे॥

दफ़ा १५९—ऐसे मजिस्ट्रेट को अख्तियार है कि इन्दुलहुसूल ऐसी रिपोर्ट के अगर मुनासिब समझे फ़ौरन् वास्ते करने तफ्तीश या तहकीकात इब्तिदाई या बगरज औरतरहपर तै करने मुकद्दमेके हस्ब तरीकै महकूमा मजमूये हाजाके बजात खुदजाय या किसी मजिस्ट्रेट मातहत अपनेको उसग़रज़से मुतअय्यनकरे॥

तफ्तीश या तहकीका त इब्तिदाई करनेका अख्तियार,

दफ़ा१६०— हरअहल्कार पुलिस जो इसबावके मुताबिक़ तफ्तीशकरताहो मजाज़ है—कि बज़रिये हुक्म तहरीरी ऐसे हरशख्सको अपने रूबरू तलब करे जो उसके या किसीइस्टेशन मुत्तसिल की हुदूदके अन्दरहो और जो इत्तिलाअरसानीसे या और तौरपर मुक़द्दमेके हालातसे वाकिफ़मालूमहो पसशख्स मज़कूरकोलाजिम होगा कि इन्दुल्तलब हाज़िरहो॥

अहल्कार पुलिसका अख्तियार दरबारह तलबकरनेगवाहोंके,

दफ़ा१६१—हरअहल्कार पुलिस जो इसबावके मुताबिक़ तफ्तीशकरताहो मजाज़है कि इज़हार ज़बानी ऐसे हरशख्सकाले जो मुक़द्दमेके वाक़िआत और हालातसे वाक़िफ़मालूमहो और हर बयानको जो मुज़हिर मज़कूरकरे कलम्बन्दकरे॥

गवाहोंकी जबानबंदी बज़रिये पुलिसके,

ऐसेशख्सको लाज़िमहै कि जवाब जुमलै सवालात मुतअल्लिक़ै ऐसे मुक़द्दमेका जो अहल्कार मज़कूरकीतरफ़से पूछेजायँ अदा करे बजुज़ उनसवालातके जिनका जवाब रास्तदेनेसे शख्स मज़कूरके किसीजुर्म फ़ौजदारी में माखूजहोने या जुर्माना या ज़ब्ती मालके मुस्तौजिबहोजानेका एहतमालहो॥

दफ़ा१६२—× कोई बयान अलावा बयान वक्त निज़ाअके जो किसीशख्सने दरअस्नाय तफ्तीशमुतअल्लिकै

जोबयानात पुलिसअ

×दफ़ा१६२का पहलाफ़िकरा किसीऐसे बयानसे मुतअल्लिकनहींहै जो अपरब्रह्म।में किसीऐसे अफ़सरपुलिसकेरूबरूकियाजायजोमजिस्ट्रेटहै देखोकानून७सन१८८६ई०केजमीमेकी दफ़ा८,

फ़सरके रूबरू किये जायँ व नज़रदस्तख़त न कियेजायेंगे औरनवह बतौरशहादत मक़बूलहोंगे,

बाबहाज़ा पुलिसके अफ्सरके रूबरू कियाहो अगर वह जब्त तहरीरमें आयाहो तो उसपर उस शख्सके जिसने बयानमज़कूरकिया दस्तखत सब्त न कियेजायँगे और नवहशख्स मुलजिमके मुकाबिलेमें बतौरशहादतके×मुस्तअमिल कियाजायगा×

इसदफाकी किसी इबारतसे ऐक्ट शहादतहिन्द सन्१८७२ई० ऐक्ट १ सन्१८७२ ई० की दफ़ा२७कीशरायतमें कुछखलल नपहुँचेगा ॥

दफ़ा१६३– कोई अहल्कार पुलिस या औरशख्स जोअख्तियार मजाजनहोगा कि किसी शख्स मुल्ज़िम को हस्ब मुसर्रह दफ़ा२४ ऐक्ट शहादतहिन्द मुसद्दिरै सन्१८७२ई०के किसीतरहकी तरग़ीब या धमकीदे या उसकेसाथ वादाकरे या तरग़ीब या तखवीफदिलाये या वादाकराये॥

कोईतरगीब नदीदी जायेगी,

मगर कोई अहल्कारपुलिस या औरशख्स किसीशख्सको बज़रिये किसीतम्बीहके या औरतौरपर दरअस्नाय किसीतफ्तीशमुतअल्लिकै बाबहाज़ा ऐसाबयानकरनेसे मनानकरेगा जो वह अपनी खुशीसे बिलाअजबार ज़ाहिरकरनाचाहताहै ॥

दफ़ा१६४– हरमजिस्ट्रेट जो अफ्सरपुलिस नहो मजाज़ है कि किसी ऐसे बयान या इक़बालको कलम्बन्दकरे जो उसकेरूबरू अस्नाय तफ्तीश मुक़्जिये बाबहाजामें या किसीवक्त माबादपर क़ब्लशुरूअहोने तहकीकात या तजवीज़के कियागयाहो ॥

बयानऔर इक़बालकेक़लम्बदकरनेकाअख्तयार,

ऐसे बयानात मिन्जुमला उनतरीकोंके जो बादअर्ज़ी शहादतके कलम्बन्दकरनेकेलिये महकूमहै किसीतरीकासे जो उसकीराय में बनज़रहालात मुकद्दमा अहसनहो तहरीरकियेजायँगे औरऐसे इक़बालात जुर्म उसीतरह कलम्बन्दहोंगे और उनपर दस्तखत उसीतरहहोंगे जिसतरह दफ़ा३६४ में हुक्म है और बाद उसके उस मजिस्ट्रेटके पास मुरसिलकियेजायँगे जिसके रूबरू मुकद्दमे की तहकीकात या तजवीज होनेवालीहो ॥

×--×यहअलफाज ऐक्ट १० सन्१८८६ई०की दफाईकीरूसे दफा१६२में मुंदर्जकियेगयेहैं,

कोई मजिस्ट्रेट ऐसा इकबाल जुर्म कलम्बन्दकरनेका मजाज न होगा इल्ला उस सूरतमें कि शख्स इकबालकुनिन्दासे इस्तिफ्सार करने पर मजिस्ट्रेटको इस यक़ीन करने की वजहहो कि वह इकबाल खुशीसे कियागया था--और मजिस्ट्रेट मौसूफ जब ऐसा इकबाल लिखे तो उसके जैलमें एकयाददाश्त इस इबारत से लिखदेगा ॥

मुझ को यक़ीन है कि यह इकबाल जुर्म बिलाजब्र व इकराहके अमल में आयाहै--यह बयान मेरे रूबरू और मेरीसमाअत में कियागया--और उस शख्सके सामने पढ़ागया जिसने उसको अदाकियाथा और उसने उसकी सेहत तसलीमकी और सही २ हाल उस बयानका है जो उसनेकिया ॥ [दस्तखत] अ.ब. मजिस्ट्रेट,

दफा १६५--जब किसी अहल्कार मोहतमिम इस्टेशन पुलिस या किसी ओहदेदार पुलिसकी जो किसीमुकद्दमे की तफ्तीश हाल में मसरूफ हो यह राय हो कि किसीजुर्म की तफ्तीश हालके लिये जिसकी तफ्तीश करनेका वहमजाजहै किसी दस्तावेज या दूसरीशैका हाजिरकिया जाना जरूर है इस अमूके बावर करनेकी वजह है कि वह शख्स जिसके नाम सम्मन हस्बदफा ६४ जारीकिया गया है या जारी कियाजाय ऐसी दस्तावेज को या किसी और शैको जिसकीबाबत हिदायत सम्मन या हुकममेंदर्जहै पेश न करेगा या जबयहमालूम नहो कि दस्तावेज या शै मजकूर किसी शख्स के कब्जेमें है तो अहल्कार मजकूर मजाज है कि किसी मुकाममें जो अन्दर हुदूद उस इस्टेशनके वाकैहो जिसका वह मोहतमिमहै या जिससेउसको तअल्लुकहै उसकीबाबत तलाश्करे या तलाश कराये ॥

ओहदेदार पुलिसकेज रियेसे तलाशी लेनी,

ऐसे अफ्सर इस्टेशन पुलिस ओहदेदार पुलिस को लाजिम है कि अगर मुमकिन हो बजातखुद तलाशीले ॥

अगर वह बजातखुद तलाशी न ले सक्ता हो और उस वक्त कोई और शख्स जो तलाशी लेनेका मजाज हो हाजिर नहो तो

ऐसे अहल्कार या ओहदेदार पुलिसको अख्तियार होगाकि किसी अहल्कारसे जो उसका मातहतहो तलाशी कराये और उस को चाहिये कि दस्तावेज या दूसरीशै जिसकी तलाशी दरपेशहो और मकान तलाशी तलब की सराहत एक हुक्म तहरीरीमें मुन्दर्ज करके अहल्कार मज़कूरके हवालेकरे उस पर अहल्कार मातहत को अख्तियार होगाकि उस मुकाममें उसशैको तलाशकरे ॥

अहकाम मजमूये हाजा दरबाब वारंटहाय तलाशीके जहांतक मुमकिन हो उस तलाशसे भी मुतअल्लिकहोंगे जो इस दफाके मुताबिक कीजाय ॥

दफा १६६—अफसर मोहतमिम थाने पुलिसकोअख्तियारहै-- कि किसी दूसरे थाने पुलिसके अफसरमोहतमिमसे आम इससे कि वह उसी जिलेमेंवाकै हो या किसी और जिले में किसी मुकाम की तलाशीलेनेकेलिये उससूरत में दरख्वास्तकरे जिसमें अफसर अव्वलुल्ज़िक्र अपने थाने की हुदूदके अन्दरतलाशिकरसक्ताहो ॥

कब अफ्सर मुहतमिम थाना पुलिस किसी और थाने को वारंट तलाशी के सादिरकरने का हुक्म करसक्ता है,

जब अहल्कार मज़कूर से इस नेहजकी दरख्वास्त कीजाय तो उसको लाज़िमहै कि दफा१६५ के बमूजिब अमलकरै और शैदस्तियाबशुदह को[अगरकोईहो] उसओहदेदारके पासभेजदे जिसकी दरख्वास्त पर उसने तलाशी की हो ॥

दफा१६७—जब कभी यह दरियाफ्त हो कि कोई तफ्तीश मुतअल्लिकै वाब हाजा उसअरसे २४ घंटे के अंदर तकमील नहीं पासक्ती जो दफा ६१ में मुकर्रर हुआहै और वजूह इसबातके बावरकरनेकीहों कि इल्ज़ामकरारदादहसही है तो अहल्कार मोहतमिम पुलिस इस्टेशन-मजिस्ट्रेट करीबतरकेपास फौरन् एकनकलतहरीरातमुंदर्जै रोजनामचा [जिसकीबाबत बादअज़ीं मजमूये हाजा में एहकामदर्ज हैं] मुतअल्लिकै मुकद्दमेकी इरसाल करेगा और उसीवक्त मुजरिमको भी मजिस्ट्रेट मज़कूरकेपास चालानकरेगा ॥

जाबिना जबकि तफ्तीश २४ घंटे के अंदर खतम न होसके,

मजिस्ट्रेट जिसकेपासशख्स मुल्ज़िम हस्बदफाहाजा भेजाजाय मजाजहोगा आमइससे कि उसको मुकद्दमे की तजवीज करने का अख्तियार हासिलहो या न हो कि मुजरिम को वक्तन्फ़वक्तन् ऐसी हिरासतमें नजरबंद रक्खेजानेके वास्ते किसी मीआदके कि जो पंद्रहरोजसे जियादह न हो और जो उसकी दानिस्तमें मुनासिबहो इजाजतदे अगर वह मुकद्दमेकी तजवीजकरने या तजवीजके लिये मुकद्दमा सिपुर्द करनेका अख्तियार न रखता हो और मुल्ज़िमको जियादह अरसेतक नजरबंद रखना गैरजरूरी समझे तो उसको अख्तियार होगा कि हुक्म दे कि मुल्जिम किसी मजिस्ट्रेट जी अख्तियार के पास रवाना कियाजाय॥

अगर कोई मजिस्ट्रेट इस दफाके बमूजिब पुलिसकी हिरासत में किसी मुल्जिमके नजरबंद रक्खे जानेकी इजाजतदे तोउसको लाजिम है कि इजाजत देनेकी वजूह को कलमबंद करे॥

अगर हुक्म मजकूर सिवाय मजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेट हिस्सा जिलाके किसी और मजिस्ट्रेट ने सादिर कियाहो तो उसको लाजिम है कि अपने हुक्मकी एक नकल मयवजूह सिदूर हुक्ममजकूर उस मजिस्ट्रेट के पास मुरसिल करे जिसका वह बिला तवस्सुत मातहत हो॥

तफ्तीश की रिपोर्ट बजरिये अहल्कार पुलिस मातहत के,

दफा१६८—जब कोई अहल्कार पुलिस मातहत इस बाब के मुताबिक कोई तफ्तीश करचुकाहो तो उसको लाजिम है कि तफ्तीश के नतीजे की रिपोर्ट उस अफसरके पास भेजदे जो पुलिस इस्टेशन का एहतमाम रखताहो॥

रिहाई मुल्जिमकी जब सुबूतखामहो,

दफा१६९—अगर बवक्तहोने तफ्तीश हस्ब मुराद इस बाब के अफसर मोहतामिम पुलिस इस्टेशन को दरियाफ्त हो कि वास्ते भेजने शख्स मुल्ज़िम के रूबरू मजिस्ट्रेट के सुबूतकाफी या वजह माकूल इश्तबाहकी हासिल नहीं है तो अगर मुल्ज़िम मजकूर हिरासतमें हो अफ्सर मजकूर उसको इसशर्तपर रिहाकरेगा कि वह कितामुचलका म-

य या बिलाशुमूल जामिनोंके जोकुछ अफ्सरमजकूर हिदायत करे इंदुलतलब उस मजिस्ट्रेट के रूबरू हाजिर होनेके लिये लिखदे जिसे पुलिस की रिपोर्ट पर जुर्म कि समाअत कुली अख्तियारहो और जो मुल्ज़िम की तजवीज या उसको तजवीज के लिये सिपुर्द करनेका मजाजहो ॥

दफ़ा १७०—अगर वक्त अमल में आनेकिसी तफ्तीश मुताबिक़ बाब हाज़ाके अफ्सर मोहतमिम इस्टेशन पुलिस को दरियाफ्त होकि मुल्जिम को मजिस्ट्रेट के रूबरू भेजने के लिये सुबूतकाफ़ी या वजह माक़ूल हस्बमुसर्रहबाला हासिलहै तो अहल्कार मज़कूरको लाजिम है कि मुल्जिमको हिरासत में करके उसमजिस्ट्रेट के पास भेजदे जो इत्तिलाअ पुलिसके एतबारपर जरायम की समाअत करसक्ताहै और शख्स मुल्जिम की तजवीज या उसको तजवीज के लिये सिपुर्दकरनेका अख्तियार रखताहो या अगर वहजुर्म जो मुजरिमके जिम्मे लगायागया क़ाबिल अख्ज़ज़मानत हो और मुल्जिम जमानत देनेकी लियाकत रखताहो तो उसको चाहिये कि मुल्जिमसे जमानतनामा बवादै हाजिर होने उसके रूबरू मजिस्ट्रेट मजकूरके एक तारीख मुक़र्ररहपर और बइक़रार बराबर हाजिर रहनेके यूमन् फयूमन् तावक्ते कि इसके खिलाफ़ हुक्म न हो लिखवाले ॥

मुक़द्दमा मजिस्ट्रेटके पास भेजा जायगा जब सुबूत काफ़ीहो,

जब अफ्सर मोहतमिम इस्टेशन पुलिस किसी शख्स मुल्जिमको मजिस्ट्रेट के पास रवानाकरे या इसदफाके बमूजिब उससे इसअम्रकी जमानत ले कि वह मजिस्ट्रेट के रूबरू हाजिर होगा तो अफ्सर मजकूरको लाजिम है कि साहब मजिस्ट्रेट के पास हरक़िस्मका हथियार या और शै जो उसके रूबरू पेशकरनाजरूर हो भेजदे और मुस्तगीसको अगर कोई हो और नीजउसकदर अशखासको जो बदानिस्त अहल्कार मजकूर हालात मुक़द्दमे से वाकिफ मालूमहों और जिनकी उसके नजदीक जरूरत हो वास्ते लिखने मुचलके के हुक्म दे इसमजमून से कि मुस्तगीस और

अशखास मजकूर मजिस्ट्रेट के रूबरू हाजिरहोंगे और मुआमिले इल्जाममें जो मुल्जिमपरकायम कियागया नालिशकी पैरवी करेंगे या शहादत देंगे [जैसी सूरतहो]

अगर नामअदालत मजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेट हिस्सा जिले का मुचलकेमें मजकूरहो तो लफ्जकोर्टमें वह कोर्ट यानीअदालत भी शामिल समझीजायगी जिसके पास साहब मजिस्ट्रेट मुकद्दमे को तहकीकात व तजवीजकेलिये सिपुर्दकरे बशर्तेकिइत्तिला अमा-कूल ऐसी सिपुर्दगी के पहलेसे मुस्तगीस या अशखासको दीजाय॥

तारीख सिपुर्दगीकी जो इसदफाके बमूजिब मुक़र्रर कीजाय वह तारीख होगी जब मुल्जिमको अदालतमें हाज़िर होना ज़रूर हो बशर्ते कि उससे हाजिर जामिनी लीगईहो या वह तारीखहोगी जिस तारीखको वह गालिबन् मजिस्ट्रेट की अदालत में पहुंच सकेगा अगर वह हिरासत में भेजाजाय ॥

अफसर जिसके रूबरूमुचल्का तकमीलपाया हो उसकी एक नकलउन अशखासमेंसे एककोहवाले करेगा जोउसकी तकमील में शरीकरहेहों और बाद उसके असल दस्तावेजमय अपनीरिपोर्ट के मजिस्ट्रेट के पासमुरसिल करेगा ॥

मुस्तगीसों और गवाहों को अहलकार पुलिसकेसाथ जाने का हुक्म नहींहोगा,

दफा १७१–जब कोई मुस्तगीस या गवाह अदालत मजिस्ट्रेट को जाताहो तो उसको यह हुक्म न होगा कि वह अहलकार पुलिस के साथजाय ॥

मुस्तगीसों और गवाहों पर तरद्दुद नहीं किया जायगा,

या किसी मुस्तगीस या गवाहपर कुछ तरद्दुद गैरज़रूरी न किया जायगा और न तकलीफ़ दीजायगी या उसकी हाज़िरीकी बाबत कुछ ज़मानत न लीजायगी बजुज़ उसके ख़ासमुचलके के ॥

नाफरमान मुस्तग़ीस या गवाहकी हिरासतमें करके भेजदियाजासक्ताहै,

मगर शर्त यह है कि अगर कोई मुस्तगीस या गवाह हाज़िर होने या मुताबिक़ हिदायत दफा १७० के मुचलका लिखने से इन्कार करे तो अफसर मोहतमिम इस्टेशन पुलिस मजाज़होगा कि उस

को हिरासतमें करके मजिस्ट्रेट के पास भेजदे और मजिस्ट्रेट मजाज़ होगा कि जबतक वह मुचलका न लिखे या मुक़द्दमे की समाप्त ख़त्म न हो उसको हिरासतमें क़ायम रक्खे ॥

दफा१७२—हर अहल्कार पुलिस को जो इस बाबके मुताबिक़ मुक़द्दमेकी तफ्तीशमें मसरूफ होलाज़िम है कि अपनी तफ्तीश की काररवाई रोज़ बरोज़ एक रोज़नामचे में लिखताजाय और उसमें वहवक्त जबकि इत्तिलाअ उसके पास पहुंची थी और वह वक्त जबकि उसने तफ्तीश शुरूअ और ख़त्म की और वह मुक़ाम या मुक़ामात जिन को उसने मुआइना किया मय कैफ़ियत उनहालात के जो उस की तफ्तीशसे दरियाफ्त हुये उसमें दर्जकरे ॥

तफ्तीशकी काररवाइयों का रोज़नामचा,

हर अदालत फौजदारी मजाज है कि रोजनामचे हाय पुलिस मुतअल्लिके ऐसे मुकद्दमेके जो उसअदालत में जेरतहकीकात या तजवीज हो तलब करके ऐसे रोजनामचे को बगरज मदद ऐसी तहकीकात या तजवीज के काममें लाये न बतौर शहादत सुबूत मुक़द्दमा शख्समुल्जिम या उसके कारपरदाजान ऐसेरोजनामचों के तलबकरानेकेमुस्तहकनहीं हैं और न मुल्जिम और उसकेकारपरदाजान् सिर्फ इस वजहसे रोजनामचा मुआइना करनेके मुस्तहक हैं कि अदालत ने उसपर हवाला किया है इल्ला अगर ऐसे रोजनामचे उस अहल्कार पुलिसकी तरफसे वास्ते ताजा करने अपने हाफिजे के इस्तैमाल में लायेजायँ या अगर अदालत उनरोजनामचों को उसअफ्सर पुलिसकी तकजीबकेलिये काममें लाये तो अहकाम ऐक्टशहादत हिन्दमुसद्दिरै सन् १८७२ ई०की दफा १६१ या दफा १४५(जैसीसूरतहो) उस से मुतअल्लिक होंगे ॥

ऐक्ट१सन्१८७२ई०,

दफा १७३—हरतफ्तीश जो इसबाबके मुताबिक कीजाय बिलातवक्कुफ बेजा ख़त्म कीजायगी और जिस वक्त तफ्तीश खत्महोजाय तो अफ्सर मोहतमिमपुलिसइस्टेशनको लाजिमहै कि कितौरिपोर्ट मुताबिकनमूना मुकर्ररह लोकलगवर्न-

अफ्सरपुलिसकीरिपोर्ट,

मेण्ट बइन्दराज इस्माय फरीकैन व कैफियत इत्तिलाअ और नाम उन अशखासके जो जाहिरा मुकद्दमेके हालातसे वाकिफ मालूमहों सायतजाकिरै इसअम्रके कि आयाशख्स मुल्जिमहिरासतमें भेजागया या अपने मुचलके पर छोड़ दियागया और अगर छोड़दिया गयाहै तो बजमानत या बिला जमानत उस मजिस्ट्रेट केपास मुरसिलकरगो जो पुलिसकी रिपोर्टपर जुर्मकीसमाअतका अख्तियाररखताहो ॥

×अगर पुलिसका कोई अफ्सर आलाहस्ब दफ़ा १५८ मुकर्रर कियागया होतो रिपोर्ट मजकूर ऐसी सूरतोंमें जिनमें लोकल गवर्नमेण्ट बजरिये हुकूम आम याखासके वैसाहुकूमकरै अफ्सर मजकूरके तवस्सुतसे भेजी जायगी – और अफ्सर मजकूर को साहब मजिस्ट्रेट के हुकूम को मशरूत गरदानकर अख्तियार होगा कि ओहदेदार मुहतमिम थाना पुलिस को तहकीकात मजीद की हिदायतकरै ×॥

जबकभी उसरिपोर्टसे जो अज़रूय दफाहाजा रवाना कीगईहो यह दरियाफ्त हो कि मुल्जिम की रिहाई मुचलके पर हुईहै-- तो मजिस्ट्रेट को लाजिम होगा कि निस्बत मुस्तरिदहोने या न होने मुचलकेके याने जैसाकि वह मुनासिब समझे हुक्मदे ॥

पुलिसखुदकुशीवग़ैरह की तहक़ीक़ात और रिपोर्टकरैगा,

दफा १७४⊛—जब किसी अफ्सर मोहतमिम इस्टेशन पुलिसको इसबातकी इत्तिलाअ पहुंचे कि कोई शख्स—

[अलिफ] मुर्त्तकिब खुदकुशी का हुआहै या ॥

×—× दफ़ा १०३ का फिकरा सानी ऐक्ट १०—सन् १८८६ ई० की दफ़ा ७ की रू से साबिक़ फिक़रे के एवज कायम किया गया है,

⊛ दफात १७४—व१७५—व१७६—उस रक़बा अरजी में तअल्लुक पिज़ीर होते वक्त जो मन्दरास को अदालतुल्आलिया हाईकोर्ट आफ़ जुडीकेचर के मामूली अख्तियार दीवानी सीग़े इब्तिदाई की हूदूद अरजी में शामिलहै हस्ब जैल पढ़ी जायगी (देखो ऐक्ट ५ सन् १८८६ ई०—दफ़ा ४ [२])—यानी—

[बे]किसीदूसरेकेहाथसे या जानवरसेमारागयाहै या किसी कत्लकेसदमे या और हादसहसे हलाकहोगयाहै—या ॥

दफा १७४— (१) ब किसी अफसर मुहतमिम इस्टेशन पुलिस को इस बात की इत्तिलाअ पहुंचे कि कोई शख्स-

अफसर मोहतमिम इस्टेशनपुलिस मामूरहै उस मौतकी तहकीकात करेगा जो अजीयत के साथ या मुशतबह हालत में वकूअ में आई हो, ।

(अलिफ)—मुरतकिब खुदकुशी का हुआ है—या—

(बे)—किसी दूसरे के हाथ से या जानवर से मारागया है या किसीकत्लके सदमा या और हादसहसे हलाकहोगयाहै या—

(जीम)—ऐसे हालात में मर गया है कि उन से शुभामाकूल पैदा होताहै कि किसी और शख्स से कोई जुर्म हुआ है—

उस को लाजिम होगा—कि कमिश्नर पुलिस को फौरन अम्र मजकूर की इत्तिला करै—और इसके बरअक्स किसी कायदा या हुक्म मुतजक्किरै दफ़ा अव्वल मरकूमुलजैल के न रहने की तकदीर में उस मौका पर जाय जहां लाश शख्स फौत शुदह की मौजूद हो—और वहां कुर्ब व जवार के ५ पांच या जायद बाशिंदगान शरीफ़के रूबरू मुकद्दमा की तफ़्तीश करै और रिपोर्ट बाबत वजह जाहिरी मर्ग के मुरत्तिबकरै और सराहत जख़्मों या हड्डियों के टूटने की या चोट या और किस्मके निशानात जरर की जो बदन पर पाये जायं रिपोर्ट में दर्ज करै—और यह लिखे कि किस तौर से और किस हथियार या आला के जरिये से [अगर कुछ हो] वह निशानात बजाहिर पैदा किये गये थे,

(२)—रिपोर्ट पर दस्तख़त अहलकार पुलिस और दीगर अशख़ासके या उनमें से उस कदर अशखास के जो अफ़सर की राय से इत्तिफ़ाक़ करैं सब्त होकर वह रिपोर्ट फौरन कमिश्नर पुलिस के दफ़्तर में भेज दीजायगी—

(३)—सूरतहाय मरकूमुलजैल में से किसी सूरत में—यानी—

(अलिफ)—किसी ऐसी सूरतमें कि जब लोकलगवर्नमेंट अजरूय कायदेके हुक्मकरे--

(बे)--किसी ऐसी सूरतमें कि जब यह मालूमहो कि मौत अजीयतके साथ वकूअमें आई है या बाअस मौतके निसबत कोई शुभापाया जाताहो--

(जीम)--किसी और सूरत में कि जब अहलकार पुलिस करीन मसलहत समझे—

उसको लाजिमहोगा—कि किसी ऐसे डाक्टरसे उसकामुआयना कराये जो लोकल गवर्नमेंट की तरफसे इस काम के लिये मुकर्रर हुआ हो—

(४)—अहलकार पुलिस को अख्तियार है कि बजरिये हुक्म तहरीरीके हस्बमजकूरह बाला ५पांच या उससे जियादह अशखासको हस्ब दफा हाजा तफ़्तीशकरनेकीगरज से और किसी और शख्सको जो वाक़आत मुकद्दमासे वाकिफकार मालूम होताहो तलब करै और हर शख्स जो इस नेहजपर तलब कियाजाय उस को लाजिमहोगा कि हाजिर होकर बजुज ऐसे सवालातके जिनका जवाब अदाकरने से उसपर किसी जुर्म फ़ौजदारी

[जीम] ऐसेहालातमें मरगयाहै कि उनसे शुभहमाकूल पैदा होता है कि किसी और शख्ससे कोई जुर्महुआ है ॥

का इत्तलाम या किसी नताव या सजाय जनूनी के आयद होनेका एहतमाल हे बाकी सवालात का जवाबरास्त दे—

(४)—अगर वाकिआत से वह जुर्म काबिल दस्तन्दाजी पुलिस के न पायाजाय जिस पर दफ़ा १७० का इत्तलाक होसके तो अफ्सर पुलिस अशखास मजकूर को मजिस्ट्रेट की अदालत में हाजिर होने का हुक्म न देगा,

उन कवाअद व अहकाम के सादिर करने का अख्तियार जो दरखसूस तफतीश बजारय और ओहदेदारान गैर अफ्सरान मोहतमिम पुलिससे इस्टेशनके हो,

दफ़ा १७५—(१)—लोकलगवर्नमेंट बतसरीह हालात जैल कवाअद वजा करसक्ती है और कमिश्नर पुलिस उन कवाअद के मुताबिक अहकाम आम या खास बतसरीह हालात जैल वक्तन फवक्तन सादिर करसक्ता है—

(अलिफ)—उन हालात की कि जब अफ्सर मोहतमिम पुलिस इस्टेशन बाद देने इत्तिलाअ किसी ऐसे वाकअके जिसका जिक्र दफ़ाअखीर मरकूमुल्फौक की दफ़ा मातहती [१] की जिम्न [अलिफ] या जिम्न [बे] या जिम्न [जीम] में कियागया है उन लवाजिम खिदमात मजीद मेंसे किसी और लाजिमह खिदमतको अंजाम न दे जो हस्ब फ़ामज़कूर वैसे ओहदेदार के जिम्मे कियेगये हैं—

(बे)—उन हालातकी कि जब लवाजिम खिदमत मजीद अंजाम दियेजायेंगे और वैसे हालातमें लवाजिम खिदमत मजीद मजकूर किसीओहदेदार के जरियेसे अंजामपायेंगे॥

[२] वह ओहदेदार जिसके जिम्मे अजरूय कवाअद या अहकाम तहतदफ़ामातहती(१) लवाजिम खिदमत मजीद मजकूर की बजाआवरीहो-- कमिश्नर पुलिस या उसका कोई डिप्टी या असिसटट या कोई और अफसर पुलिस हो सक्ताहै जो इन्स्पेक्टरसे नीचेदरजेका न हो और ओहदेदार मजकूर को उनलवाजिम खिदमत की बजाआवरीके वक्त अख्तियार होगा कि उन अख्तियारातमेंसे किसी अख्तियार को अमलमें लाये और उन खिदमतो को अंजामदे कि जो बगतकदीर न होने वैसे कवाअद या अहकाम के अफसर मोहतमिम इस्टेशन पुलिस अमलमें लासक्ता और अंजाम देता,

अहकाम दर खसूस तहकीकात बजरिये प्रेजीडंसी मजिस्ट्रेटके और कब्रसे निकालने लाशोंके,

दफ़ा १७६—(१) चीफ प्रेजीडंसी मजिस्ट्रेट या और ऐसे प्रेजीडंसी मजिस्ट्रेट को जिसको चीफप्रेजीडंसी मजिस्ट्रेट इस बारेमें अपना क़ायममुक़ाम मुकर्रर करे जबकोई शख्स जो पुलिस की हिरासत में या कैदखानेमें हो फौतहोजाय यह लाजिम होगा--और किसी और सूरत में जिसका जिक्र दफ़ा १७४—की दफ़ा मातहती (१) की जिम्न (अलिफ) या जिम्न (बे) या जिम्न (जीम) में किया गया है—यह जायज होगा—कि तहकीकात वास्ते दरियाफ्त करने वजहमौत के बजाह बएवज या बदइजाफा उस तफतीश के अमलमें लाये जो दो अखीर दफ़ातमरकूमुल्फौकमेंसे किसी दफ़ा की रूसे अमल में आई हो—और जब वह तहक़ीकात में

उसकोलाजिमहै किफौरन् अम्रमज़कूरकी इत्तिलाअ उसमजिस्ट्रेटकोकरे जो क़रीबतरहो और वजहमर्गकी तहक़ीक़ातकरनेका मजाजहो इल्ला उससूरतमें कि अजरूय कायदैमुक़र्ररैलोकलगवर्नमेण्ट या अजरूय किसी हुक्म आम या खासमजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेट हिस्सैजिलेकेकिसी और नेहजपर हिदायतहो और उस मौकेपर जाय जहांलाश शख्स फौतशुदहकी मौजूदहो और वहां कुर्बोजवार के दो या चन्दबाशिन्दगान शरीफ़ के रूबरू मुक़द्दमे की तफ़्तीशकरे और रिपोर्टबाबत वजहजाहिरी मर्गके मुरत्तबकरे और सराहतजख्मों या हड्डियोंकेटूटनेकी या चोट या और किस्मकेनिशानातजररके जोबदनपरपायेजायँ रिपोर्टमेंदर्जकरे और यह लिखे कि किसतौरसे और किसहथियार या आलाकेज़रिये से [अगरकुछहो] वह निशानात बज़ाहिरपैदाकियेगये थे ॥

रिपोर्टपर दस्तखत अहल्कार पुलिस और दीगर अशखासके या उनमेंसे उस क़दर अशखासके जो अफसरकी रायसे इत्तिफाककरें सब्त होकर वहरिपोर्ट फौरन्मजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेट हिस्से जिले के पासभेजदीजायगी ॥

अगर वजह मौतकी निस्बत कुछशुभहहो या किसी और वजह से अहल्कार पुलिस ऐसा करना क़रीन मसलहत समझे तो उसे लाजिमहोगा किबरिआयत उनक़वायदके जिन्हें लोकलगवर्नमेण्ट इसबाबमें मुकर्रकरे [illegible] [illegible] लोकलगवर्नमेन्ट ने इसकामकेलिये मुक़र्रर किया हो इम्तिहान के लिये भेजदे बशर्त्ते

मसरूफ हो तो उसको काररवाईमें उसको वह कुल अख़्तियारात हासिल होंगे जो बरवक्त करने तहक़ीक़ात किसी जुर्मके उसको हासिल होते—और उसको लाजिम होगा कि शहादत को जो अस्नाय तहक़ीक़ातमें जहां तक होसके तरीक़ा मुक़र्रर दफ़ा ३६२—के मुताबिक़ लीजाय—क़लमबंद करे—

(२) जब कमिश्नर पुलिस या प्रेज़ीडंसी मजिस्ट्रेट के नजदीक वास्ते दरियाफ़्त करने वजह मौत किसीऐसे शख़्स मुतवफ़्फ़ी के जिसकी लाश मदफून हुईहै मुक्तज़ाय इंसाफ हो कि लाश मजकूरका मुआयना होना चाहिये तो कमिश्नर या मजिस्ट्रेट (यानी जैसी सूरतहो) मजाजहै कि लाशको जमीनसे खुदवाकर उसका मुआयना कराये;

कि हालत मौसम और बोदमुसाफ़तके लिहाज़से बिला एहतमाल सड़जानेलाशके अस्नायराहमें और उसवजह से बेफ़ायदा होजाने इम्तिहानके लाशकापहुंचना मुमकिनहो॥

उनमुमालिक में जो ज़ेरहुकूमत जनाब गवर्नर बहादुर अहाते मदरास इजलास कौंसल और गवर्नर बहादुर अहातैबम्बई इज-लास कौंसलके हैं जायजहै कि वहतफ्तीश इसदफ़ाके मुताबिक़ मारफ़त गांव के मुखियाके अमलमें आये और उस मुखियाको लाजिमहोगा कि तहक़ीक़ातके नतीजेकी रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेटके पास भेजे जो क़रीबतरहो और वजह मर्गकी तहक़ीक़ात करने का अख्तियार रखताहो॥

मजिस्ट्रेटान मुफस्सिलै जैल वजह मर्ग की तहकीक़ात करने का अख्तियार रखते हैं--याने मजिस्ट्रेट ज़िला और मजिस्ट्रेट हिस्सा ज़िला और वह मजिस्ट्रेट जिसको अम्रमज़कूर का अ-ख्तियारखास लोकल गवर्नमेण्ट या मजिस्ट्रेट ज़िले की तरफ़ से अताहुआहो॥

लोगों को तलबकरने का अख्तियार,

दफ़ा १७५*—अफ्सर मोहतमिमपुलिस इस्टेशनको अख्ति-यार है कि बज़रिये हुक्म तहरीरी के दो या ज़ियादह अशखासको हस्बमरकूमैबाला बग़रज़ तफ्तीश मज़कूर और किसी और शख्सको जो वाक़िआत मुक़द्मे से वाक़िफ़कार मालूम होताहो तलब करे हर शख्स जो इस नेहजपर तलबकियाजाय उसको लाज़िमहोगा कि हाज़िर होकर बजुज़ ऐसे सवालात के जिनका जवाब अदा करने से उसपर किसीजुर्म फ़ौजदारीका इल्ज़ाम या किसीतावान या सज़ायज़ब्ती के आयदहोनेका एहतमालहो बाक़ीसवालातका जवाबरास्तदे॥

अगर वाक़िआत से वह जुर्म क़ाबिल दस्तन्दाज़ी पुलिस के न पायाजाय जिसपर दफ़ा १७०का इतलाक़ होसके तो अफ्सर पुलिस अशखास मज़कूरको मजिस्ट्रेट की अदालत में हाज़िर होनेका हुक्म न देगा॥

*सफ़ा ९८ का फ़ोट नोट देखो—

दफ़ा १७६--* जब कोई शख्स जो पुलिस की हिरासत में हो फ़ौत होजाय उस मजिस्ट्रेट को जो क़रीबतर और वजह मर्ग की तहक़ीक़ात करने का अख्तियार रखताहो-- लाज़िमहोगा--और हर दूसरी सूरत मुतज़क्किरह दफ़ा १७४--ज़िम्न [अलिफ़] और [बे] और [जीम] में हर मजिस्ट्रेटको जिसे इस नेहजके अख्तियारात हासिलहों जायज़ होगा--कि तहक़ीक़ात वास्ते दरियाफ्तकरने वजह मौतके बएवज़ या बइज़ाफ़ा तफ्तीश अमलआउर्दा अफ्सर पुलिस के अमल में लाये और अगर वह तहक़ीक़ात में मसरूफ़ हो तो उसकी काररवाई में उसको वह कुल अख्तियारात हासिल होंगे जो बरवक्त करने तहक़ीक़ात किसी जुर्म के उसको हासिल होते और जो मजिस्ट्रेट तहक़ीक़ात में मसरूफ़ हो उसको चाहिये कि शहादत को जो उसने मुताबिक़ किसी क़ायदे मुक़र्ररह आयन्दा के लीहो हस्ब हालात मुक़द्दमा क़लम्बन्द करे॥

वजहमर्गकी तहक़ीक़ात बज़रिये मजिस्ट्रेट के,

जब ऐसे मजिस्ट्रेट के नज़दीक मुक़ज़ाय मसलहत हो कि लाश किसी शख्स फ़ौतशुदह की जो दफ़न होचुकी हो निकालकर इस ग़रज़से इम्तिहान कीजाय कि वजह मौतकी दरियाफ्त होजाय तो मजिस्ट्रेट मौसूफ़ मजाज़ है कि लाशको ज़मीन से खुदवाकर उसका मुआयनाकराये॥

ज़मीन खोदकर लाश निकालनेका अख्तियार,

हिस्सा शशुम॥

काररवाई हाय मुतअल्लिके नालिशात॥

बाब १५॥

अख्तियारात अदालत हाय फ़ौजदारी दरबारे तहक़ीक़ात व तजवीज़॥

(अलिफ़)--मुक़ाम तहक़ीक़ात या तजवीज़॥

दफ़ा १७७--अललउमूम तहक़ीक़ात और तजवीज़ हरजुर्म

* (इसका फ़ोटनोट भी वहीहै जो सफ़हात ९३ व ९४ व ९५ व ९६ में मुन्दर्ज है,)

तहक़ीक़ात और तजवीज का मामूली मुक़ाम, की उसअदालतकी मारफ़तहोगी जिसके अख्तियार हकूमतकी हुदूद अरज़ी के अन्दर जुर्म मज़कूर सरज़द हुआहो ॥

दफ़ा १७८—बावस्फ़इबारत मुन्दर्जे दफ़ा १७७—के लोकल

मुखतलिफ क़िस्मत हाय सिशनमें तजवीज़ मुक़द्दमातकेलिये हुक्मकरने का अख्तियार, गवर्नमेण्ट इसबातकी हिदायतकरनेकी मजाज़ है कि कोईमुक़द्दमा या किसीक़िस्मके मुक़द्दमात जो किसी ज़िलेमें दौरह सिपुर्द कियेजायँकिसी क़िस्मत सिशन में तजवीज़ कियेजायँ ॥

मगर शर्त्तयहहै—कि ऐसी हिदायत किसी ऐसे हुक्म के नक़ीज़ नहो जो उससे पहिले मुताबिक़ दफ़ा१५--बाब १०४--ऐक्ट पारलीमेन्ट मुसद्दिरै सन २४ व २५ जलूस मल्कामुअज़्ज़िमाविक्टोरिया या बमूजिब दफ़ा ५२६ इस मजमूयेके सादिर हुआहो ॥

दफ़ा १७९—जब किसी शख्सपर इल्जाम इर्तिकाब जुर्म का

मुल्जिम की तजवीज उस ज़िलअ में होसक्ती है जहां फेल या नतीजा वकूअ में आयाहो, बवजह किसीफ़ेलके जो उससे वाक़ैहुआहो या किसी नतीजे के जो उस फ़ेलसे जहूरमें आया हो लगाया जाय तो जायज़ है कि ऐसे जुर्मकी तहक़ीक़ात या तजवीज़ ऐसी अदालतकी मारफत हो जिसके इलाके हुकूमत की हुदूद अरज़ी के अन्दर ऐसा नतीजा निकलाहो ॥

तमसीलात ॥

[अलिफ़]—जैद अदालत कानपूरकी हुकूमतकी हुदूद अरज़ी के अन्दर जख्मी होकर अदालत इलाहाबाद में पहुँचकर मरगया जायज है कि तहक़ीक़ात और तजवीज जुर्म जैदके अहलाक मुस्तलजिम सज़ा की जिले कानपूर या जिले इलाहाबादमें हो ॥

[बे]—जैद अदालत कानपूरके इलाकेकी हुदूदअरजीके अन्दर (जख्मीहोकर दशरोजतक अदालत इलाहाबाद के इलाकेकी हुदूदअरज़ीके अन्दर)और फिर दशरोजतक अदालत मिरज़ापूर के इलाक़ेकी हुदूदअरज़ीके अन्दर पहुँचकर दोनोंजगह याने इलाहाबाद या मिरजापूरमें से किसी जगहकी अदालतकी हुदूदअरजीके

अन्दर अपना कारोबार मामूलीकरनेसे माज़ूररहा तो तहक़ीक़ात वा तजवीज जुर्म जैदको जररशदीद पहुँचानेकी अदालत कानपूर या अदालत इलाहाबाद या अदालत मिरज़ापूर में होसक्तीहै ॥

[जीम]—जैदको अदालत कानपूरके इलाक़े की हुदूदअरज़ी के अन्दर नुक़सान रसानीकी तख़वीफ दीगई—और उसतख़वीफ की वजहसे उसको अदालत इलाहाबाद केइलाक़ेकी हुदूदअरज़ी के अन्दर तरग़ीबहुई कि वहशख़्स तख़वीफ दिहन्दाको माल हवाले करे--तो जायज है कि तहक़ीक़ात व तजवीज जुर्म जैदपर इस्तहसाल बिलजब्र करने की अदालत कानपूर या अदालत इलाहाबाद में हो ॥

मुक़ाम तजवीज जब फेल इसवजह से जुर्महै कि वह और जुर्म से तअ़ल्लुक रखताहै,

दफ़ा १८०—जब कोई फेल इसवजह से जुर्महै कि वह किसी और फेलसे कि वहभी जुर्महै तअ़ल्लुक़रखता है या कि फ़ेलमजकूर जुर्महोगा--बशर्त्ते कि फ़ायलकाबिलइर्त्तिकाब जुर्महो तो जुर्म अव्वलुल्ज़िक्र के इल्ज़ामकी तहक़ीक़ात व तजवीज उस अदालतकी मारफत होसक्ती है जिसके इलाक़े हुकूमत की हुदूदअरज़ी के अन्दर दोनों अफआलमजकूरै से कोई फेल सरज़द हुआ हो ॥

तमसीलात ॥

[अलिफ]—अमानतके इल्ज़ामकी तहक़ीक़ात व तजवीज उस अदालतके इलाक़ेकी हुदूद अरज़ीके अन्दर होसक्तीहै जिसके इलाक़ेकीहुदूदअरज़ीकेअन्दर अमानतका इर्तिकाबहुआहो—याउस अदालतमें जिसके इलाक़े हुकूमतकी हुदूदअरज़ी के अन्दर उस जुर्मका इर्त्तिकाबहुआहो जिसकी अमानतकीगई ॥

[बे] मालमसरूकाके लेने या पासरखनेके इल्ज़ामकी तहक़ीक़ात व तजवीज उस अदालतके इलाकेकी हुदूदअरज़ी के अंदर होसक्ती है जिसमें मालका सरका हुआ या उस अदालत के इलाकेकी हुदूदअरज़ीकेअन्दर जिसमें उसमाल में से कोई शै बदनियती से लीगई या पास रक्खीगई ॥

[जीम]-ऐसेशख्सको बतौर बेजामख़फी रखनेके इल्ज़ाम की निस्बत जिसकी बाबत मालूम होकि उसको कोई लेभागाहै उस अदालतके इलाकेकी हुदूदअरज़ीके अन्दर तहकीकात व तजवीज होसक्तीहै जिसके इलाकेकी हुदूद अरज़ीके अन्दर वहबतौर बेजा मख़फीरक्खा गयाहो-याउस अदालतमें जिसके इलाकेकी हुदूदअरजी के अन्दरलेभागने का जुर्म सरजद हुआहो॥

दफ़ा १८१—जायज है कितहकीकात व तजवीज उनजरायम की यानीठगहोना और ठगहोकर कतल अम्दकरना और डकैतीकरना और डकैतीकरना साथकतल अम्दके और डाकुवोंकी जमाअतका शरीक होना या हिरासतसे मफरूरहोना उसअदालत की मारफतहो जिसके इलाके हकूमत की हुदूद अरजी के अन्दर शख्स मुल्जिम मौजूदहो॥

ठगहोना।याडाकुवोंकी किसीजमाअतकाशरीकहोनायाहिरासतसेमफ़रूरहोनावगैरह,

जायजहै कितहकीकात व तजवीज जुर्मतसर्रुफमुजरिमाना याजुर्मखयानत मुजरिमाना की उस अदालत की मारफत हो जिसके इलाके हुकूमतकी हुदूद अरजीके अन्दर कोईजुज्व उसमालका जिसकी निस्बत जुर्म का इर्तिकाबहुआहै शख्समुल्जिमको हासिलहुआ या जिसकेइलाकेमें जुर्मसरजद हो॥

तसर्रुफमुजरिमानाऔर ख़ियानतमुजरिमाना,

जायज है-कि तहकीकात व तजवीजजुर्म किसी शैके चोरीकरनेकी मारफत उसअदालतके हो जिसके इलाके हुकूमतकी हुदूद अरजी के अन्दर शै मजकूर चोरी गईथी-या चोर या किसी और ऐसे शख्सकेकब्जेमेंथी उसको मसरूका जानकर या जानने की वजह रखकर उसकोहासिल करे या रखछोड़े॥

चोरीकरना,

दफ़ा१८२— जबयहअम्र गैरमुतहक्किकहो किमिन्जुमलैचंद रकबै हाय अरजीके कोईजुर्म किसरकबेमें सरजदहुआ—या॥

तहकीकातयातजवीजका मुकामजबकिमौका जुर्मगैर मुतहक्किकहो यासिर्फएक ज़िलअमेंनहो,

किसी जुर्मके एकजुज्वका इर्तिकाब किसी एकरकबै अरजी के

अन्दर और दूसरे जुज्वका इर्त्तिकाब दूसरे रकबेमें हुआहो—या ॥

याजबजुर्मअल्लूत्वइस्तिसालहोताजाय या चन्द अफआलपरमुश्तमिलहो, जबजुर्म अल्लूल् इस्तिसाल होताजाय और एकसेजियादह रकबा होय अरजीकेअन्दर इर्त्तिकाब पातारहे-या॥

जबकि जुर्म चन्दअफआलपर मुश्तमिलहो जिनमेंसे हरएक एक मुख्तलिफरकबै अरजीमें वाकेहुआहो ॥

तो जायजहै—कि उसकी तहकीकात व तजवीज किसीअदालत कीमारफतहो जोऐसेरकबै अरजीपर अख्तियारसमाअतरखतीहो॥

दफा१८३—जायजहै—कि तहकीकात व तजवीज किसीजुर्मकी जो उसहालत में सरजदहो जबकि मुजरिम फिल्वाकै कोई सफरखुश्की या तरीतैकरताहो उस अदालतकी मारफत अमलमें आये जिसके इलाके की हुदूद अरजीकेअन्दर या उसमें होकर मुजरिम या उसशख्सने जिसकी निस्बत या उसमालने जिसकीबाबत जुर्म मजकूरवकूअमें आया था उससफरखुश्की या तरीके तैकरने में गुजरकियाहो ॥

जुर्म जब सफर में सरजद हो,

दफा १८४--जायज है कि तहकीकात व तजवीज ऐसे जुमले जरायम की जो खिलाफ अहकामकिसीकानून मजरिये वक्त मुतअल्लिकै रेलवे याटेलीग्राफया डाकखाना या इसलह और मसालहहरबके वकूअमें आयेहों किसीबल्दैप्रेजीडन्सीमेंहोआम इससे कि जुर्म मजकूरका उस बल्दैके अन्दर या उसके बाहर सरज़द होना करारदिया जाय ॥

जरायम बरखिलाफहुक्म ऐक्टहायमुतअल्लिकै रेलवे और टेलीग्राफ और डाकखाने और इसलहके,

बशर्त्ते कि मुजरिम और जुमलै गवाहान जो उसपर नालिश कियेजानेकेलिये जरूरीहों बल्दै मजकूरके अन्दर दस्तयाब होसकें॥

दफा१८५—जबकभी इसबातका शुभहनाशीहो कि किसी जुर्म कीतहकीकात या तजवीज बमूजिब अहकाम मुलहकेबाला मुन्दर्जै बाब हाजा किसअदालत की मारफत होनी चाहिये तो वह हाईकोर्ट जिसके सीगै अपील के इलाके फौजदारी की

शुभहहोनेकीसूरतमेंहाईकोर्ट ठहरादेगी कि किस जिलअ में तहकीकात या तजवीजहोनी चाहिये,

हुदूद अरजी के अंदर मुजरिम वाकई मौजूद हो इस अम्रकी तन्कीह करसकेगी कि किस अदालत की मारफत जुर्मकी तहकीकात व तजवीज कीजायेगी ॥

मुल्क बृटिश ब्रह्मामें जब मुजरिम रअय्यत मल्कामुअज्जिमा अहलयूरोप हो तो रंगूनका साहब रिकार्डर और बाकी कुलसूरतों में साहब जुडीशल कमिश्नर इस दफा की अग़राजके लिये बमंजिलै हाईकोर्ट समझा जायगा ॥

दफा १८६–जब किसी मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेट हिस्सा जिला या मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल को जिसको लोकल गवर्नमेण्ट से इस अम्र का अख्तियार खास मिला हो इस अम्र के बावर करने की वजह मालूम हो कि कोई शख्स जो उसके इलाके हुकूमत की हुदूद अरजी के अन्दर है हुदूद मजकूर के बाहर आम इससे कि वह मुकाम बृटिश इण्डिया के अन्दर हो या न हो ऐसे जुर्मका मुर्त्तकिब हुआ है जिसकी तहकीकात व तजवीज हस्ब अहकाम दफआत १७७ लगायत १८४--मजमूयेहाजा या हस्ब अहकाम किसी और कानून मजरिये वक्तके उसकी हुदूद अरजीके अन्दर नहीं होसक्ती है इल्ला मुताबिक किसी कानून नाफिजुलवक्त के उसकी तहकीकात व तजवीज बृटिशइण्डिया में होनी चाहिये--तो ऐसा मजिस्ट्रेट मजाज होगा कि जुर्मकी तहकीकात उसीतरहकरे कि गोया वह उसकी हुदूद अरजीके अन्दर सरजद हुआ था और हस्ब तरीकै मुतजाकिरै सदर शख्स मुजरिम को जबरन् अपने रूबरू हाजिर कराये और उसको उस मजिस्ट्रेट के पास भेजदे जोजुर्म मजकूर की तहकीकात व तजवीज करनेका अख्तियार रखताहो--या अगर जुर्म मजकूर लायक अख्ज जमानत हो उससे मुचलिका बशमूल या बिला शमूलजामिनोंके बवादे अहजार रूबरू मजिस्ट्रेट मजकूरके ले ॥

सम्मन या वारंटजारी करने का अख्तियार बद्दलत उस जुर्म के जो इला का अख्तियार के बाहर व कूअमें आयाहो,

गिरफ्तार होनेपर मजिस्ट्रेटकाजाबिता कार्रवाई,

जब एकसे जियादह मजिस्ट्रेटहों जो ऐसाअख्तियार समाअत रखते हों और वह मजिस्ट्रेट जो इस दफाके बमूजिब अमल करता हो इसबात से मुतमय्यन न होसके कि ऐसे शख्सको किस मजिस्ट्रेटके रूबरू भेजनाचाहिये या उससे किसके रूबरू हाजिर होनेका मुचलिका लेना चाहिये तो मुकद्दमे की रिपोर्ट हाईकोर्ट में वास्तेसुदूर अहकाम हाईकोर्ट के मुरसिल कीजायगी ॥

जाबिता जबकि वारंट अजतरफ मजिस्ट्रेट मातहतके जारीहो,

दफा१८७– अगर शख्स मजकूर ऐसे वारंटके जरियेसे गिरफ्तारहुआहो जोदफा१८६-के मुताबिक मारफत किसीऔर मजिस्ट्रेट सिवाय मजिस्ट्रेटप्रेजीडन्सी या मजिस्ट्रेट जिलेके सादिरहुआहो तो ऐसेमजिस्ट्रेटको लाजिमहै कि शख्स गिरफ्तारशुदहको मजिस्ट्रेट जिलाके पास भेजदे–इल्ला उस सूरतमें कि वह मजिस्ट्रेटजो ऐसे जुर्मकी तहकीकात व तजवीज का अख्तियार रखता हो शख्स मजकूर की गिरफ्तारीके लिये अपना वारंटजारी करे–कि उस सूरतमें शख्स गिरफ्तारशुदह उस अफ्सर पुलिस को हवाले कियाजायगा जो वारंटकी तामील करताहो या उस मजिस्ट्रेटके पास भेजाजायगा जिसने वारंट मज़कूर जारी किया हो ॥

अगर वहजुर्म जिसके इर्तिकाब का शख्स गिरफ्तार शुदह मुल्जिम या मुश्तबहहो उस किस्मकाहो कि उसकी तहक़ीक़ात व तजवीज उसी ज़िलेमें सिवाय अदालत उस मजिस्ट्रेट केजोदफा १८६ के मुताबिक अमल करताहो किसी और अदालत फौजदारी की मारफतहोसकी हो तो उसमजिस्ट्रेट को चाहिये कि ऐसे शख्सको उस मजिस्ट्रेट के पास भेजदे ॥

रिआयाय बृटानिया की माखूजी उन जुर्मों कीबाबतजो बृटिश इंडिया के बाहर सरजदहों,

दफा१८८—जब कोई रअय्यत बृटानिया अहल यूरोप हिन्दके किसी ऐसे वाली या रईस के मुल्कके अन्दर जुर्मका मुर्तकिबहो जो मलकामुअज्जिमा दामइक़बालहा के साथ इत्तहाद रखता हो–या ॥

जब कोई हिन्दुस्तानी रअय्यत मलकामुअज्जिमाबृटिशइण्डियाकी हुदूदके बाहर किसी मुकामपर जुर्मका मुर्तक़िबहो तो

जायज़है कि उस जुर्मकी बाबत उसके साथ वही सलूक कियाजाय कि गोया वह ब्रटिशइण्डियाके अन्दर उसी मुक़ामपर सरज़द हुआथा जहां वह दस्तयाब हो ॥

मगर शर्तयहहै--कि ऐसे किसी जुर्मके इल्ज़ामकी तहक़ीक़ात ब्रटिशइण्डिया में न होगी इल्ला उसवक्त कि पोलीटीकलएजन्ट उसमुल्क का जहां कि उस (जुर्मका सरजद होना बयान कियागया हो अ-गर वहां कोई ऐसा ओहदेदार हो तसदीक इस)अम्र की करे कि उसकी रायमें इल्ज़ाम उसनौअका है जिसकी तहक़ीक़ात ब्रटिश इण्डियामें होनी चाहिये ॥

पोलीटीकलएजन्टतसदीक करेगा कि इल्ज़ाम ल़ायक़ तहक़ीक़ातहै,

और यहभी शर्त है कि जो काररवाइयां किसीशख्सकी निस्बत हस्ब दफाहाजा अमलमें आईहों अगर वह ब्रटिशइण्डियाकेअन्दर जुर्मसरजद होनेकी सूरतमें उसीजुर्मकी बाबत और उसी शख्स की निस्बतमानै मासूजी माबादकी होतीं तो वहकाररवाइयां उसी शख्सकी निस्बतहस्बशरायत क़ानून अख्तियारात सर्कार अन्दररियासतग़ैर व अख्तियार बाजगिरफ्त मुजरिमान मुसद्दिरै सन् १८७९ई० बाबत उसजुर्मकेभी जो ब्रटिश-इण्डिया की हुदूदके बाहर किसी जगह उससे हुआहो मानैकार-रवाई मजीद की होंगी ॥

ऐक्ट २१ सन्१८७९ई०,

दफ़ा १८९--जब किसी ऐसे जुर्मकी निस्बत जिसकाज़िक्रदफा १८८ मेंहै तहक़ीक़ात या तजवीज होतीहो लोकलगवर्नमेण्टको अख्तियार है कि अगर मुनासिबजाने हिदायतकरे कि नक़लें गवाहों के इजहारात या दस्तावेजात की जो कि उस मुल्क के पोलीटीकल एजण्ट या हाकिम अदालत के रूबरू क़लम्बन्द या पेशकी गई हों जहां जुर्मका सरजद होना बयान किया गयाहो उस अदालतमें जहां वह तहक़ीक़ात या तजवीज अमलमें आतीहो ऐसीहरसूरत में बतौर वजह सुबूतके मकबूल कीजायँ जिसमें कि अदालत मजकूरउन मुआमलातमें

यह हिदायत करने का अख्तियारकिनक़लें गवाहों के इजहारात या दस्तावेजातकी वजह सुबूत में मक़बूलहों,

जिनसे ऐसे इजहारात या दस्तावेज़ात इलाका रखती हों शहादत लेनेकेलिये कमीशन जारी करसक्ती है ॥

"पोलीटीकल एजंट,, की तारीफ,

दफा १९०—दफ़आत १८८ व १८९ में लफ्ज "पोलीटीकलएजण्ट,, से ओहदेदारान जैलमुरादलिये जायेंगे और उसमें दाखिल समझेजायँगे ॥

[अलिफ़]—किसी मुल्कमें जो बेरूंहुदूद बृटिश इण्डियाहो वह ओहदेदारआला जोगवर्नमेण्टबृटिश इण्डियाका कायममुकामहो॥

[बे]—हर ओहदेदार जो बृटिश इण्डिया में जनाब न०वाब गवर्नर जनरल बहादुर इजलास कौंसल या जनाब गवर्नरबहादुर प्रेजीडन्सी मदरास इजलास कौंसल या न०वाब गवर्नर बहादुर प्रेजीडंसी बम्बई इजलास कौंसलके हुजूर से वास्ते तामील तमाम या किसी अख्तियारात पोलीटीकल एजण्ट महकूमै ऐक्ट मौसूमै क़ानून अख्तियारात रियासत गैर और अख्तियार हवालगी मुजरिमान मुसद्दिरै सन् १८७९ ई०के किसी मुकामके लिये जो दाखिल बृटिशइण्डिया नहीं है मामूरहो ॥

ऐक्ट२१ सन्१८७९ई०,

[बे] शरायत जो वास्ते शुरूअकरने कारखाईके जरूर है ॥

जुर्मों की समाअ़त मजिस्ट्रेटों के रूबरू,

दफा १९१—बजुज उस सूरतके जो आयन्दा मजकूरहै हर मजिस्ट्रेट प्रेजीडन्सी या मजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेट हिस्सै जिला या और मजिस्ट्रेट जिसको इस अम्रका अख्तियार खासदिया गयाहो मजाज हर जुर्मकी समाअ़त करनेका है हस्ब मुफ़स्सिलैजैल ॥

[अलिफ]—जब उसकेपास शिकायतबाबत वकूअऐसे वाकिआतके पहुँचे जो जुर्म मजकूरपर मुश्तमिलहों ॥

[बे]—जब ऐसे वाकिआतकी रिपोर्ट पुलिस से पहुँचे ॥

[जीम]—जब ऐसी इत्तिलाअ सिवाय अहल्कार पुलिसके किसी और शख्सकी तरफसे पहुँचे या उसकोखुद इल्म या शुभह पैदा हो कि ऐसाजुर्म फिल्वाकै सरजदहुआ है ॥

लोकलगवर्नमेण्टको या मजिस्ट्रेट जिलेकोबइतबाअ एहकाम

आम या खास लोकलगवर्नमेएट के अख्तियार है कि किसीमजिस्ट्रेटको इसबात का अख्तियारखास बख्शे कि जिम्न [अलिफ] या जिम्न [बे] के बमूजिब ऐसे जरायम की समाअत करे जिनकी तहकीकात या दौरह सिपुर्द करना उसके अख्तियारमें हो ॥

लोकलगवर्नमेएट मजाज है कि किसी मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल या दर्जैदोम को वास्ते समाअत करने ऐसे जरायमके हस्ब मुराद जिम्न [जीम] अख्तियार अताकरे जिनकी तहकीकात या तजवीजकेलिये सिपुर्द करना उसके अख्तियार में हो॥

× जब कोई मजिस्ट्रेटकिसी जुर्मतहतज़िम्न (जीम) की समाअतकरेतोशख्स मुल्ज़िम या जब कि चंदशख्समुल्ज़िमहोंतो उनमेंसेकोई एकशख्स इसअम्रकेइस्तदुआ करनेका इस्तहक़ाक़रक्खेगा कि मजिस्ट्रेट मजकूरके जरियेसे मुकद्दमा की तजवीज न होकर वह और मजिस्ट्रेटके पास भेजदियाजाय या अदालत सिशन के सिपुर्द कियाजाय ×

दफा १९२— हरमजिस्ट्रेटजिला या मजिस्ट्रेट हिस्सै ज़िला को अख्तियार है कि किसी मुक़द्दमे को जिसकी वह समाअत करचुकाहो तहक़ीक़ातया तजवीज़ केलिये किसीऔर मजिस्ट्रेटके सिपुर्दकरे जो उसकामातहतहो ॥

इन्तकाल मुकद्दमात मजिस्ट्रेटोंके जरियेसे,

हरमजिस्ट्रेट ज़िला मजाज़है कि किसी मजिस्ट्रेट दर्जैअव्वल को जिसने किसी मुक़द्दमे की समाअतकीहो यह अख्तियारदे कि वहमुक़द्दमे को तहक़ीक़ात या तजवीज़ के लिये अपने ज़िले के किसी और मजिस्ट्रेट मखसूसकेपास मुन्तक़िलकरे जो इस मजमूये के मुताबिक़ मुल्ज़िमकी तहक़ीक़ात या उसको तजवीज़ के लिये सिपुर्दकरने का मजाज़हो और ऐसे मजिस्ट्रेट को अख्तियार है कि उसी मुताबिक़ मुक़द्दमा तैकरै ॥

×—× यह फ़िक़रह दफा १९१ का ऐक्ट ३ सन्१८८४ ई० की दफा२—की रूसे बढ़ायागया है—

दफा१९३-×बजुज़ उस सूरत के कि इस मजमूये में या किसी और कानून नाफिज़ुल्वक्तमें कोई और हुक्म सरीह इसके खिलाफहो किसी अदालतसिशन को अख्तियार न होगा कि बतौर अदालत मजाज़समाअत इब्तिदाईके किसीजुर्मकी समाअतकरे बजुज़इसके कि शख्स मुल्जिम किसी मजिस्ट्रेट की तरफसे सिपुर्द कियागयाहो जो इस अम्रका अख्तियार हस्ब जाबिता रखताहो॥

समाअत जरायम अदालतहाय सिशन में,

साहिबान ऐडीशनलसिशनजज और जायण्टसिशनजज सिर्फ उन मुकद्दमात की तजवीज करेंगे जो लोकल गवर्नमेण्ट बजरिये हुक्मआम या खासके उन को तजवीज करनेकी हिदायतकरे या जिनको किस्मतकासाहब सिशनजज तजवीज के लिये उनके सिपुर्द करे॥

मुकद्दमात जिनकी तजवीज बजरिये ऐडीशनल सिशनजज और जायण्ट सिशनजज के होगी,

(साहिबान असिस्टंट सिशनजज सिर्फ उनमुकद्दमातकी तजवीज करेंगे जो किस्मतका सिशनजज बजरिये अपने हुक्मआम या खासकेउनको सिपुर्दकरे)॥

बजरिये असिस्टंट सिशन जज के,

दफा १९४-अदालत हाईकोर्ट मजाजहै कि किसी ऐसे जुर्म की समाअतकरे जो हस्ब तरीके मुफस्सिलै जैल उसको सिपुर्द किया गयाहो॥

समाअत जरायम हाईकोर्ट के रूबरू,

इस दफा की किसी इबारतसे किसी सनद शाही की शरायत में खलल न आयेगा जो मुताबिक़ बाब १०४ ऐक्ट मुसद्दिरै सन् २४ व २५ जलूस मलकामुअज्जिमा विक्टोरियाके अताहुईहो॥

दफा १९५-कोई अदालत समाअत न करेगी॥

[अलिफ] ऐसे जुर्म की जो हस्बदफआत १७२ लगायत १८८मजमूये ताजीरातहिन्दके काबिल सजा

ऐक्ट४५ सन्१८६०ई०,

× अगर अख्ज़ाकी अदालतहाय सिशन के जाबितै कारखाईके लिये कानून ७ सन् १८८६ ई० के जमीमाकी दफा ३-- जिमन [२] देखो और दरबारह रिआयाय बृटानिया अहलयूरुप के दफा २२— ऐजन—देखो,

नालिश बइल्लत तौहीन अख्तियार जायज मुलाज़िमान सर्कारी के,

है इल्ला बमंज़ूरी माकबल याबरतबक इरजाअ नालिश मिन्जानिब उसमुलाज़िम सर्कारी के जिससे सरोकारहो या किसी और मुलाज़िम सर्कारी के जिसका वहमातहतहो ॥

[बे] ऐसे जुर्म की जो मजमूये ताज़ीरातहिन्द की दफ़आत

नालिश बइल्लत बाज़ जरायम नक़ीज़ इन्साफ़ आम के,

१९३ या १९४ या १९५ या १९६ या १९९ या२०० या २०५ या २०६ या२०७ या२०८ या२०९ या२१० या२११ या२२८ के बमूजिब क़ाबिल सज़ाहो जब वह जुर्म किसी काररवाई अदालत में या बतअल्लुक़ उसके सरज़दहो इल्ला बमंज़ूरी या बरतबक़ इस्तगासे उसी अदालत के या किसी और अदालत के जिसकी अदालत अव्वलुल ज़िक्र मातहत हो ॥

[जीम] ऐसे जुर्मकी जिसकी तसरीह दफ़ा ४६३ में है या

नालिशब इल्लतबाज़ जरायम मुतअल्लिक़ उन दस्तावेज़ातके जो सुबूतमें दीजायें,

जो काबिल सज़ा हस्ब दफ़ा ४७१ या ४७५ या ४७६ मजमूये मज़कूर के है जब वहजुर्म किसी मुकद्दमे मरजूआ अदालत के किसी फ़रीककी तरफ़से निस्बत किसी दस्तावेज के सरज़दहो जो उसकाररवाई में बतौर शहादतके दाखिलहुई हो इल्ला बमंज़ूरी माकबल या बरतबक रुजूअइस्तगासा उसी अदालत या किसी और अदालतके जिसकी अदालत अव्वलुल्ज़िक्रमातहतहो ॥

जायजहैकिवहमंज़ूरीजोइस दफ़ामें मज़कूरहुईहै अल्फ़ाज आममें

क़िस्म की मंज़ूरी जिसकी ज़रूरतहै,

ज़ाहिरकीजाय(और ज़रूरनहींहै किउसमेंशख्स मुल्ज़िमकानामलियाजाय)मगरउसमें हत्तुलइ-मकान तख़सीस उस अदालत या और मुकामकी कीजायगी जहां जुर्म सरज़द हुआथा और नीज़ उसके सरज़द होनेकी नौबतकी ॥

जबमंज़ूरी निस्बत इरजाअनालिश बाबतकिसी जुर्ममुतज़क्किरै दफ़ाहाजा केदीजाय तो वहअदालतजो मुकद्दमे कीसमाअतकरै मजाजहोगी कि किसी और जुर्मकी फ़र्दकरारदाद मुरत्तिबकरै जिस का सरज़दहोना वाक़िआतसे पायाजाताहो ॥

हरमंज़ूरी या उसका इन्कार जो इसदफा के बमूजिब वकूअमें आये उसके मन्सूख करनेका उस हाकिम को अख्तियार है जिसके मातहत हाकिम मंज़ूरी दिहन्दा या इन्कारकुनिन्दा हो--और कोई मंज़ूरी उस तारीखसे जबमंज़ूरी अताहो छःमहीनेसे जियादह अरसे तक बहाल न रहेगी ॥

वास्ते अगराज इसदफाकेहर अदालत बजुज अदालतमतालिबा खफीफा उसअदालतकी मातहत तसव्वर कीजायगी जिसमें मामूलन् अपीलबनाराजीडिकरीअदालत अव्वलुल्जिक्रदायरहोताहो॥ बलादप्रेजीडन्सीमें अदालतहाय मतालिबाखफीफैहाईकोर्टकी मातहत समझीजायगी--औरबाकीसबअदालतहायमुतालिबातखफीफै उसकिस्मत सिशनकी अदालत सिशनकी मातहत समझी जायेगी जिसके अन्दर कोई वैसी अदालत वाकैहो ॥

दफा १९६—*कोईअदालतकिसीऐसेजुर्मकी समाअतनकरेगी

नालिश बइल्लत उन जरायमके मुतअल्लिक हों, जिसकी सजा मजमूये ताजीरातहिन्द के छठें बाबमें मुकर्ररहुई है बजुज दफा १२७ बाब मजकूर के या जिसकी सजा मजमूये मजकूरकी दफा २९४

ऐक्ट ४५ सन् १८६० ई० [अलिफ] में मुक़र्रर हुई है इल्ला बरतबक रुजूअ ऐसी नालिश के जो बमूजिब हुक्म या अजरूय अख्तियार मुफव्विजा जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर इजलास कौंसल या लोकल गवर्नमेंट या किसी और ओहदेदार के जिसको जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर इजलास कौंसल ने उस अम्रका अख्तियार दियाहो दायर की गई हो ॥

दफा १९७—जब किसी जज या और ओहदेदार सर्कारी पर

जजों और सर्कारी मुलाजिमो पर नालिशैं, जो बिला मंज़ूरी गवर्नमेंट हिन्द या लोकल गवर्नमेंट अपने ओहदे से बरखास्त नहीं हो सक्ता है उसकी जजी या मुलाजिमी सर्कारी की हैसियत से कोई

---

*दरखसूस जरायम मुतअल्लिकसल्तनत और झूठीगवाही अजतरफ उसशख्सके जिसको अपरअह्लामें मुआफीकी उम्मेददीगई— देखोकानून० सन् १८८६ ई०के जमीमा की दफा १० मगर रिआयाय बृटानिया अह्ल यूरपकेबारेमें देखो द,फा २२— ऐज़न,

जुर्म करनेका इल्ज़ाम लगायाजाय तो किसी अदालत को इ-ल्ज़ाम मजकूर की समाअत का मन्सब न होगा इल्ला बमंज़ूरी माकबल उसगवर्नमेंटके जोउसकीबरखास्तगीका अख्तियाररखतीहै या मंज़ूरी किसी और ओहदेदार के जिसको गवर्नमेंटने उस अम्रका अख्तियारदियाहो या मंज़ूरी किसीअदालत याऔरहाकिम के जिसका वह जज या ओहदेदार सर्कारी मातहत हो और जिसका अख्तियार बाबत मंज़ूरी देने लोकल गवर्नमेंट ने महदूद न कियाहो ॥

गवर्नमेंट मजकूर इसबातकी तजवीजकरनेकी मजाजहै कि किसशख्सकी मारफ़त और किसतौरपर ऐसी नालिश बनामजजया मुलाजिम सर्कारी मजकूर के अमलमें आयेगी और उसअदालतकी तखसीसकरसक्तीहै जिसकेरूबरू मुकद्दमा तजवीजकियाजायगा ॥

गवर्नमेंटका अख्तियार दरखसूस नालिशके,

दफ़ा१९८–कोईअदालत किसीऐसे जुर्मकी समाअतनकरेगी जो मजमूये ताजीरातहिन्दके बाब१९ याबाब २१ यादफ़आत ४९३ लगायत ४९६ मजमूये मजकूरमें दाखिलहो इल्लाबराबिनाय नालिश किसीशख्सके जिसे उसजुर्मसे रंजपहुंचाहो ॥

नालिशबदइल्लत नुकज़मुअ़हिदाओरआजालह हैसियतउरफीओरजरायम मुतअल्लिकइज़दवाजके,

दफ़ा१९९–कोईअदालत किसीऐसे जुर्मकी समाअतनकरेगी जो मजमूये ताजीरातहिन्दकी दफ़ा ४९७ या दफ़ा४९८मेंदाखिलहो इल्लाबराबिनाय नालिश अजतरफ़ शौहरऔरतकेया दरसूरत गैरहाजिरी शौहरके अजतरफ़ उसशख्सके जो बरवक्त सरजदहोने जुर्म के उसकीतरफ़से औरतमजकूरकी खबरगीरी करताथा ॥

नालिशबइल्लतजिना या फ़ुसलालेजाने किसी औरतमनकूहाके,

बाब१६ ॥

बाबत इस्तगासे बहुजूरमजिस्ट्रेट ॥

दफ़ा२००–जबमजिस्ट्रेट किसीमुकद्दमेकी बरतबक इस्तगासा समाअतकरे उसको लाजिमहैकि फौरन् इजहार

मुस्तगीसकाइज़हार,

मुस्तगीसका बजरिये हलफ़या इकरारसालहके ले और वह इज़हारज़क्त तहरीरमें आयेगाऔर उसपर मुस्तगीस और नीजमजिस्ट्रेटके दस्तखत सब्तकियेजायँगे ॥

मगर शर्त यहहै कि—

[अलिफ]—जब इस्तगासा तहरीरी हो तो मजमूयेहाजाकी किसीइबारतसे यह न समझाजायगा कि मजिस्ट्रेट कब्ल मुन्तकिलकरने मुकद्दमे हस्ब दफा१९२के मुस्तगीसका इजहारले ॥

[बे]—जब मजिस्ट्रेट मजकूर किसीप्रेजीडन्सीका मजिस्ट्रेटहो तो जायजहै कि ऐसा इजहार अजरूय हलफके या बिलाहलफ लियाजाय जैसा मजिस्ट्रेट मज़कूर हरमुकद्दमेमें मुनासिबसमझे और इज़हारको तहरीरमें लाना ज़रूरनहीं है मगर मजिस्ट्रेटको अख्तियारहै कि अगर मुनासिबसमझे कब्ल इसके कि मरातिब इस्तगासा उसकेरूबरू पेशहों उन मरातिबके तहरीर किये जाने का हुक्मदे ॥

(जीम) जब ऐसामुकद्दमा दफा१९२ के मुताबिक मुन्तकिल कियागयाहो और मजिस्ट्रेट मुन्तकिलकुनिन्दाने पहलेसे मुस्तगीसका इजहारलेलियाहो तो उसमजिस्ट्रेटकेलिये जिसकेपास वह मुन्तकिल कियागयाहो जरूरनहीं है कि मुस्तगीसका इजहार मुकर्ररले ॥

जाबिताकारर्रवाई मजिस्ट्रेटका जोसमाअतमुकद्दमाका अख्तियार न रखताहो,

दफा२०१—अगर इस्तगासा मज़कूर तहरीरन् दाखिलहुआहो और मजिस्ट्रेटइस्तगासे की समाअतकरनेका मजाज नहो तो उसकोचाहियेकिइस्तगासे को इसगरजसेमय इबारत जोहरीइसअम्रकेवापस करे किवह अदालत मुनासिब के रूबरू पेश किया जाय ॥

दूजरायहुक्मनामाकाइल्तवा,

दफा२०२—अगरचीफमजिस्ट्रेट प्रेजीडन्सीया किसीऔरमजिस्ट्रेट प्रेज़ीडन्सीकोजिसको लोकलगवर्नमेण्टवक्तन् फ़वक्तन् इस अम्रका अख्तियार दे या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम को किसी जुर्म के इस्तगासे की सिदाक़तकी निस्बत जिसकेसमाअत करनेका वहमजाज़हो एतबार न करनेकी वजह

मालूम हो तो उसको अख्तियार है कि जब मुस्तगीस का इज़हार होजाय तो वजूह अदम एतबार सिदाक़त इस्तग़ासेकी क़लम्बन्दकरे और मुस्तग़ासअलेहके जबरन् हाज़िर करायेजाने के लिये हुक्मनामेका इजरामुल्तवीरक्खे और मुक़द्दमेकी तहक़ीक़ातमें खुद मसरूफ़ हो या हिदायत करे कि सबसेपहले तफ्तीश मौकाबग़रज़ दरियाफ्त सिदाक़त या अदम सिदाक़तइस्तग़ासे के मारफ़त किसी ओहदेदारके जो मातहत ऐसे मजिस्ट्रेटकाहो या मारफत किसीअफ्सर पुलिसके या मारफत किसी और शख्सके जिसे वह मुनासिब समझे और जो मजिस्ट्रेट या अफ्सरपुलिस नहो अमल मेंआये ॥

अगर वह तफ्तीश किसी ऐसे शख्स की मारफ़तअमल में आये जो न मजिस्ट्रेट हो न ओहदेदारपुलिस तो शख्स मज़कूर वह तमाम अख्तियारात अमलमें लायेगा जो इसमजमूयेकीरूसे अफ्सर मोहतमिम पुलिसइस्टेशन को अताहुये है इल्ला उसको अख्तियारबिला वारंटगिरफ्तारकरने का हासिल न होगा ॥

यह दफा बलाद कलकत्ता और बम्बईकी पुलिस से मुतअल्लिक़ है ॥

इस्तग़ासा का डिसमिसहोना,

दफा २०३—वहमजिस्ट्रेट जिसकेरूबरू इस्तग़ासाकियाजाय या जिसको इस्तग़ासा सिपुर्द कियाजाय मजाज़ है--कि अगरबादलेने इज़हारमुस्तग़ीसके और ग़ौरकरने ऊपर नतीजे तफ्तीश मुक्काज़िया दफा २०२ के [अगर कोई हुईहो] उसके नज़दीक कोई वजह काफी पैरवी मुक़द्दमेकी न हो तो इस्तग़ासे को डिसमिस करदे ॥

बाब १७ ॥

बाबत शुरूअकाररवाई रूबरू मजिस्ट्रेट ॥

इजराय हुक्मनामा,

दफा २०४—अगर बदानिस्त मजिस्ट्रेट समाअत कुनिन्दह मुक़द्दमाके काररवाई करनेकी वजह काफीहो और मुक़द्दमा उस क़िस्मका नज़र आये जिसमें हस्बहिदायत ख़ाने ४ ज़मीमे २ के पहलेपहल सम्मन जारीहोना चाहिये तो

उसे लाजिम है कि अपना सम्मन जारीकरे और अगर मुक़द्दमा उस क़िस्मका मालूमहो कि बमूजिब हिदायत मुन्दर्जे खाने मज़कूरके पहले पहल वारंटजारीहोना चाहिये तो वह मजाज़होगाकि अपनावारंटया अगरमुनासिबसमझे अपनासम्मन इसग़रज़सेजारी करे कि शख्स मज़कूर उसमजिस्ट्रेटकेरूबरू या किसी औरमजिस्ट्रेट के रूबरू जो मजाज़समाअत हो एक वक्त मुअय्यन पर हाज़िरहो या हाज़िर कियाजाय॥

कोई इबारत दफ़ाहाज़ाकीमुखल्ल अहकाम दफ़ा ९० न समझीजायगी॥

मजिस्ट्रेट मुल्ज़िम को असालतन् हाज़िर होने से मुआफ़ रख सक्ता है,

दफ़ा २०५—जब कभी मजिस्ट्रेट सम्मन जारीकरे उस को अख्तियार है कि अगर उसके नज़दीक वजह काफी हो मुल्जिमको असालतन् हाजिर होनेसे मुआफ रक्खे और मारफ़त वकील के हाज़िर होने की इजाज़त दे॥

मगर ऐसा मजिस्ट्रेट जो मुक़द्दमे की तहक़ीक़ात या तजवीज़ में मसरूफ़हो मजाज़ है--कि बमूजिब अपने सवाबदीद के कारखाईकी किसी नौबत पर मुल्ज़िम के असालतन् हाज़िरहोने की हिदायतकरे--और अगर जरूरतहो उसको हस्बतरीक़े मुतज़क्किरै सदर जबरन् हाज़िरकराये॥

बाब १८॥

बाबत तहक़ीक़ात मुतअल्लिक़े उनमुक़द्दमात के जो अदालतहाय सिशन या हाईकोर्ट की तजवीज के लायक़ है॥

तजवीज़ के लिये सिपुर्द करने का अख्तियार,

दफ़ा २०६–हर मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेन्सी और मजिस्ट्रेट ज़िला और मजिस्ट्रेट हिस्सा जिला और मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल और वह मजिस्ट्रेट जिसको लोकलगवर्नमेण्ट से इसबाबमें अख्तियार दियागयाहो मजाज़ है--

कि किसी शख्सको अदालतसिशन या हाईकोर्ट में बइल्लत किसी जुर्मके जो उस अदालतकी तजवीज़ के लायक़हो तजवीज़ के लिये सिपुर्दकरे॥

लेकिन बजुज़ उसके जिसकेलिये मजमूयेहाज़ामें और तौर का हुक्महुआ है कोई शख्स जो लायक़ तजवीज़ अदालतसिशन हो तजवीज़केलिये हाईकोर्टको सिपुर्द न कियाजायगा॥

ज़ाबिता उनतह्क़ीक़ातमें जो क़बल सिपुर्दगीकेहो,

दफ़ा २०७–जो मुक़द्दमा सिर्फ़ अदालत सिशन या अदालत हाईकोर्ट से तजवीज़ होने के लायक़हो या मजिस्ट्रेट की दानिस्त में अदालत मज़कूरकी तजवीज़के लायक हो उसकी तहक़ीक़ातमें जो मजिस्ट्रेट के रूबरू होती है ज़ाबिता मुफ़स्सिलैज़ैल मरई रक्खा जायगा॥

लेना सुबूतका जो पेश कियाजाय,

दफ़ा २०८–जब शख्स मुल्ज़िम मजिस्ट्रेट के रूबरू हाज़िर हो या हाज़िर कियाजाय मजिस्ट्रेटको लाज़िम है– कि मुस्तग़ीसका बयान सुने (अगर कोई मुस्तग़ीसहो) और हस्ब तरीक़ै मुसर्रहः आयन्दा वह तमाम सुबूत जो बताईद इस्तग़ासै या मिन्जानिब शख्स मुल्ज़िम के पेश कियाजाय या जिसक़दर मजिस्ट्रेट तलब करले॥

हुक्मनामा वास्ते पेश करने सुबूत मजर्दके,

अगर मुस्तग़ीस या अहल्कार पैरोकार इस्तग़ासा या शख्स मुल्ज़िम मजिस्ट्रेट से यह दरख्वास्त करे कि हुक्मनामा वास्ते जबरन् हाज़िर करने किसी गवाह या हाज़िर कियेजाने किसी दस्तावेज़ या दीगर शैकेजारी कियाजाय तो मजिस्ट्रेटको चाहिये कि उसमजमूनका हुक्मनामा जारीकरे–इल्ला उसहालतमें कि बाअस किसीवजूहके जो तहरीर कीजायेंगी वह उसका जारीकरना ग़ैरज़रूरी समझे॥

इस दफ़ाकी किसी इबारतसे यह न समझा जायेगा कि किसी मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडन्सीकोभी अपनी वजूह क़लम्बन्द करनी ज़रूरहैं॥

कब शख्स मुल्ज़िमको रिहाई होगी,

दफ़ा२०९–जब वह सुबूत जिसका ज़िक्र दफ़ा२०८के फ़िक़रात १–व२में हुआहै लेलियाजाय--और मजिस्ट्रेट मुल्ज़िम का इज़हार जिसमें मुल्ज़िमको उन

हालात और वाकिआत के साफ़करनेका मौका मिला हो जो शहादतमें उसके मुख़ालिफ़ नज़र आतेहों लेचुके--तो ऐसे मजिस्ट्रेट को लाज़िम है कि अगर उसकी दानिस्तमें शख्स मुल्ज़िमको तजवीज़केलिये सिपुर्दकरनेकी वजूहकाफ़ी नहीं तो उसको रिहाईदे-इल्ला उससूरतमें कि मजिस्ट्रेट मौसूफ़को दरियाफ्तहो कि शख्स मज़कूर की तजवीज़ खुद उसीके रूबरू या किसी और मजिस्ट्रेट के रूबरू होनी चाहिये कि उस सूरतमें वह उसीके मुताबिक़ अमल करेगा ॥

कोई इबारत इस दफ़ाकी मानअ इसअम्रकीन समझीजायेगी कि मजिस्ट्रेट किसी मुल्ज़िम को मुक़द्दमेकी किसी नौबत माक़बलपर रिहाकरे बशर्तेकि उन वजूहसेजिन्हें मजिस्ट्रेट मजकूरको कलम्बन्द करना चाहिये मजिस्ट्रेट इल्ज़ाम मज़कूर को बेबुनियाद समझे ॥

कब फर्द करारदाद जुर्म तैयार होगी,

दफ़ा २१०—जब ऐसे सुबूत के लेने और ऐसा इज़्हार लियेजाने के बाद [अगर कोई इज़्हार हो] मजिस्ट्रेट को मालूम हो कि शख्स मुल्ज़िम को तजवीज़ के लिये सिपुर्द करने की वजूह काफी हैं तो उसको लाज़िम है—कि अपने हाथसे एकफर्द करारदाद जुर्म लिखे—और यह जाहिर करै कि मुल्ज़िम पर कौनसा जुर्म लगाया गया है ॥

फर्द मुल्ज़िमको समझाईजायगी और नक़ल मुल्ज़िम को दीजायगी,

बफौर क़लम्बन्द होने फर्द क़रारदाद जुर्म के वह फर्द शख्स मुल्ज़िमके रूबरू पढ़ी और उसको समझाई जायगी—और उसकी एकनक़ल अगर शख्स मुल्ज़िम दरख्वास्तकरे बिलालेनेकिसी रसूम के दीजायगी ॥

सफाईके गवाहोंकी फेहरिस्त तजवीजके वक्त,

दफ़ा २११—शख्स मुल्ज़िमको हिदायत कीजायगी कि उसी वक्त फेहरिस्त उन अशखास की [अगर कुछहों] जिनको वह तजवीज के वक्त शहादत देने के लिये तलब कराना चाहता हो तकरीरन् या तहरीरन् दाखिलकरे ॥

मजिस्ट्रेट मजाज है--कि हस्ब इक्तिजायराय अपने शख्स मु-
फेहरिस्त मजीद, लज़िमको किसीवक्त माबादपर अपने गवाहोंकी फेहरिस्त मजीद दाखिल करने की इजाज़त दे--और जब मुल्-ज़िम हाईकोर्ट में तजवीज होनेके लिये सिपुर्द हुआहो कोई इ-बारत इसदफाकी मानअ इस अम्रकी न समझी जायेगी कि शख्स मुल्ज़िम किसी वक्त माक़बल शुरूअ होने उसकी तज-वीज रूबरू हाईकोर्टके एक फेहरिस्त मज़ीद उन अशखास की जिनको वह तजवीज मजकूरके वक्त शहादत देनेके लिये तलब कराना चाहता हो क्लार्कशाही को हवालेकरे ॥

दफा २१२– मजिस्ट्रेट मजाज है कि हस्ब इक्तिजाय राय
मजिस्ट्रेट का अख्तियार दरबारह लेने इजहारबैसेगवाहोंके, अपने किसी गवाह को जिसकानाम ऐसी फेहरिस्तमें मुंदर्ज हो जो दफा २११— के बमूजिब दाखिल हुईहो तलब करके उसका इजहारले ॥

दफा २१३—अगर शख्स मुल्जिम बाद इसके कि उससे
हुक्म सिपुर्दगी, फेहरिस्त गवाहान हस्ब एहकाम दफा२११-- तलबहुई हो उस को दाखिल न करे-या बाद दाखिल होने ऐसी फेहरिस्तके और बाद तलबहोने और दफा२१२--के बमूजिब क़लम्बंद होने इजहारात उन गवाहोंके [अगर.कुछहों] जोफेहरिस्त में मुन्दर्ज हों और जिनका इजहारलेना मजिस्ट्रेट को मंजूर हो मजिस्ट्रेट इस हुक्मके इसदारका मजाज होगा-किशख्स मुल्जिम हाईकोर्ट या अदालत सिशन में [जैसी सूरतहो] तजवीज होने के लिये सिपुर्द कियाजाय और [सिवाय उस सूरतके कि मजि-स्ट्रेट प्रेजीडंसी का मजिस्ट्रेट हो] उसके सिपुर्द करनेकी वजूह व इबारत मुख्तसिर लिखेगा ॥

दफा २१४—अगर किसी शख्स पर जो रअय्यत वृटानिया
वहशख्सजिसपरप्रेजीडंसी शहरोंकेबाहररअय्यतबृटा निया अहलयूरुपकेशामिल अहल यूरुप न हो सिवाय मजिस्ट्रेटप्रेजीडंसी के किसी और मजिस्ट्रेटके रूबरू यह इल्जाम लगायाजाय कि वह किसी जुर्मका मुर्त्तकिब

इल्जामलगायाजाय, बशिराकत किसी रअय्यत यूटा निया अहल यूरुप के हुआ है जोबइल्लत उसी किस्मके जुर्मके हाईकोर्ट के रूबरू सिपुर्द होने वाला है या जिसकी तजवीज बरबिनाय किसी इल्जामके जो उस मुआमिले से पैदा होताहो हाईकोर्ट में होनेवालीहै--और मजिस्ट्रेटके नजदीक शख्स मुल्जिम मजकूर को उसके सिपुर्द होने की वजूह काफ़ीपाई जायें-- तो मजिस्ट्रेट मजकूर को लाजिम है-- कि उसको वास्ते होने तजवीज रूबरू हाईकोर्ट न रूबरू अदालत सिशनके सिपुर्द करे ॥

दफा२१५--जब कोई सिपुर्दगी मारफ़त किसी मजिस्ट्रेट मजाजके दफ़ा२१३या दफ़ा २१४-के मुताबिक एक मर्तबा होले तो वह सिर्फ हाईकोर्ट के हुक्मसे मुस्तरद होसक्ती है--और सिर्फ़ बरबिनाय अम्र क़ानूनीके ॥

सिपुर्दगी तहत दफा २१३ या२१४का मुस्तरद होना,

दफा २१६--जब शख्स मुल्जिमनेफेहरिस्त अपने गवाहों कीहस्बहुक्मदफा२११--दाखिलकीहोऔरवह तजवीजकेलियेदूसरी अदालतमें सिपुर्दकिया गयाहो तो मजिस्ट्रेटको लाजिम है--कि उन गवाहान मुन्दर्जै फेहरिस्तको जो उसकेरूबरू हाजिरनकियेगयेहों तलबकरे--ताकि वह उसअदालतमें हाजिरहों जिसमें शख्स मुल्जिम सिपुर्दकियागयाहो ॥

सफाईके गवाहोंको तलबकरना जबकि मुल्जिम सिपुर्दकियाजाय,

मगर शर्त्तयहहै--कि अगर शख्स मुल्जिम हाईकोर्टमें सिपुर्दहुआ हो तो मजिस्ट्रेटको अख्तियारहै--किअगर मुनासिबसमझेगवाहानमजकूरकी तलबी क्कार्कशाहीपर छोड़दे चुनांचे वह गवाहलोग उसीसबीलसे तलबहोसकेंगे ॥

और यहभीशर्त्तहै कि अगर मजिस्ट्रेटकी दानिस्तमें किसीगवाहका नाम सिर्फ़वास्ते ईजारसानी या अय्याम गुजारी या वास्तेजवाल अगराज मादिलत के फ़ेहरिस्तमें दर्ज कियागयाहो तो मजिस्ट्रेट मजकूर शख्स मुल्जिमको हुक्मदेसक्ता है कि-

गैरजरूरी गवाहको तलबकरनेसे इन्कार करनाइल्लाजबकि रुपयाअमानत करादयाजाय,

वह हस्बइतमीनान अदालत साबितकरे कि गवाहमजकूरके मुकद्दमेमें जरूरीहोनेकी वजूहमाकूल मौजूदहैं-और अगरउसकोइसका इतमीनान न हो तो मजिस्ट्रेट मजाज़होगा कि गवाहमजकूरको तलबनकरे [मगर न तलबकरनेकी वजूह लिखदे]या उसकेतलब करनेसे पहले उसकदर मुचलिगके जमाकरनेकी हिदायतकरे जो वास्ते अदायखर्च हाजिरकराने गवाह मजकूरके जरूरीमालूमहो॥

मुस्तगीसो और गवाहोंके मुचलिके,

दफा२१७—अशखास मुस्तगीस और गवाहान मुद्दई और मुद्दआअलेहको जिनका अदालत सिशन याअदलत हाईकोर्टमें हाजिरहोना जरूरहो और जो मजिस्ट्रेटके रूबरू हाजिरआयें लाजिम है--कि अपने२ मुचलिके बइकरार हाजिरहोने इन्दुल्तलब रूबरू अदालत सिशन या हाईकोर्टकेवास्तेपैरवी मुकद्दमा या अदाय शहादतके जैसीसूरतहो मजिस्ट्रेटके रूबरू तहरीरकरें॥

हिरासतमेंरखना जबकि हाजिरहोने यामुचलिका देनेसे इन्कारकियाजाय,

अगर कोई मुस्तगीस या गवाहअदालत सिशन या अदालत हाईकोर्टमें हाजिरहोनेसे यामुचलिकामुतजक्किरैबालाकेलिखनेसेइन्कारकरे तोमजिस्ट्रेटमजाज़है--कि जबतक वहऐसामुचलिका न लिखे या जबतक कि उसका अदालत सिशन या हाईकोर्ट में हाजिर होना जरूरहो कि[उसवक्त मजिस्ट्रेट उसको हिरासतमेंकरके अदालत सिशन या हाईकोर्ट में जैसी कि सूरतहो भेजदेगा] उसको नजरबंद रक्खे॥

सिपुर्दगी की इत्तिला कब दीजायगी,

दफा २१८—जब शख्समुल्जिम तजवीजके लिये सिपुर्द किया जाय साहबमजिस्ट्रेटको लाजिम है-कि हुक्म मशअर इत्तिलाअ सिपुर्दगी और सराहतजुर्म के उन्हीं अल्फ़ाज के साथ जो फर्दक़रारदाद जुर्ममें मुन्दर्ज हों उस शख्स के नाम सादिरकरे जो उस गरजसे लोकलगवर्नमेंट की तरफ़ से मुक़र्रर हुआहो इल्ला उस सूरत में कि मजिस्ट्रेट को इतमीनानहो कि शख्स मजकूर अम्र सिपुर्दगी और क़रारदादजुर्म के अल्फ़ाजसे पहले वाकिफ होचुका है॥

और मजिस्ट्रेट मौसूफ फर्द क़रारदाद जुर्म और तहक़ीक़ात की मिसलको मै किसी हथियार या और शैम-न्क़ूलाके जो सुबूतमें दाखिल होनेवालीहो अदालत सिशन में भेजदेगा--या जब सिपुर्दगी हाईकोर्टमेंहुईहो तो पासक्राऊं शाही या दूसरेओहदेदारके जोहाईकोर्टसे उसकामकेलिये मुक़र्ररहुआहोमुरसिलकरेगा॥

फर्द करारदाद जुर्म वग़ैरह हाईकोर्ट या अदालत सिशन मे भेजदिया जायेगा,

जब कि सिपुर्दगी हाईकोर्ट को कीजाय और कोई हिस्सा मिसलका अंगरेजी ज़बान में नहो तो लाज़िम है कि उस हिस्से का अंगरेज़ी तर्जुमा मिसल के साथ रवाना कियाजाय॥

अंगरेजी तर्जुमा हाई कोर्ट मे भेजदियाजायगा,

दफ़ा २१९—मजिस्ट्रेटको अख्तियारहै--कि बादसिपुर्दगी मुक़द्दमा और क़ब्लशुरूअहोने तजवीज़के कुछऔर गवाहान मजीद को तलब करके उनका इज़हारले और हस्ब तरीक़े मुसर्रहबाला उनसे मुचलिका बइक़रार हाजिरी अदालत और अदाय शहादत के लिखवाले॥

गवाहान मज़ीदके तलब करने का अख्तियार,

जहांतक मुमकिनहो ऐसा इज़हार शख्स मुल्जिम के रूबरू लियाजायेगा--और अगर मजिस्ट्रेट प्रेजीडंसी का मजिस्ट्रेट न हो तो ऐसे गवाहके इजहारकी एकनक़ल शख्स मुल्जिम को अगर वहदरख्वास्तकरे बिला अख्ज रसूमदीजायेगी॥

दफ़ा २२०—तावक़ूअ और दौरान तजवीज में मजिस्ट्रेट को लाजिमहोगा कि बपाबंदी अहकाम इस मजमूये के दरबाबलेने जमानत के अपने वारंट के जरिये से शख्समुल्जिम को हिरासत में नजर बन्द रक्खे॥

दौरान तजवीज मे मुल्जिम को हिरासत में रखना,

बाब १९॥

बाबत फ़र्द करारदाद जुर्मके नमूना हाय फ़र्द क़रारदाद जुर्म॥

दफ़ा २२१—हरफर्द क़रारदाद जुर्ममें जो इसमजमूयेके मुता-

फ़र्द करारदाद जुर्ममें जुर्म लिखाजायगा, बिक़हो वहजुर्म लिखाजायगा जिसकाइल्ज़ाम शख्स मुल्ज़िमपर लगाया जाय ॥

अगर उसमें कानून जिसकी रूसे कोई जुर्म क़रार पाया हो जुर्म का खास नाम बयान काफ़ी होगा, उसका कोई खासनाम मुक़र्ररहुआहो तो जायजहै कि फ़र्द करारदाद जुर्ममें वहजुर्म सिर्फ़ उसी नामसे बयान कियाजाय ॥

अगर उसकानूनमें जिसकीरूसे कोई जुर्म करार पायाहो उस जब जुर्मका कोईखास नाम नहो तो क्योंकर बयान होगा, का कोई खासनाम मुकर्रर न हो तो जरूर है कि फ़र्द करारदाद जुर्म में उस जुर्म की उस कदर तारीफ़ दर्ज कीजाय कि मुल्ज़िम उन मरातिबसेमुत्तिलाअहोजाय जिनकाइल्ज़ामउसपरलगायागयाहै॥

कानून और दफ़ा कानूनकी जिसकी खिलाफ़ वर्ज़ी से जुर्म करारदादह का वकूअमें आना जाहिर कियागयाहो फ़र्द करारदाद जुर्म में जाहिर की जायेगी ॥

फ़र्द करारदाद जुर्मका मुरत्तिब करना बमंज़िलै इस बयान फ़र्दकरारदादजुर्मसे क्या यतन् क्यामफ़हूम होगा, के है कि हर शर्त्त क़ानूनी जो वास्ते क़ायम करने उसजुर्मके ज़रूरीहो जिसका इल्ज़ाम लगायागया इस ख़ासमुक़द्दमे में पूरीकीगई ॥

बलाद प्रेज़ीडन्सी में फ़र्दक़रारदाद जुर्मबज़बान अंग्रेज़ी लिखी फ़र्दकरारदाद जुर्म किस ज़बान में होगी, जायगी और और जगह फ़र्द मज़कूर ख्वाह बज़बान अंग्रेज़ी ख्वाह अदालत की ज़बान में तहरीर पायेगी ॥

अगर शख्स मुल्ज़िम किसी जुर्म साबिक़में माख़ूज़ होकर स-सबसज़ायाबी साबिक़की तसरीह कीजायगी, ज़ायाब हुआहो और उस सज़ायाबी साबिक़ का साबित करना इस वजहसे मंज़ूरहो कि उसका असर उससज़ापर पहुंचे जो अदालत देनेकी मजाज़ है तो सज़ायाबी साबिक़ का हाल बक़ैद तारीख़ और मुक़ाम फ़र्द क़रारदाद जुर्ममें दर्ज करना चाहिये अगर यह हाल उससे मत-

रूक होजाय तो हुक्मसज़ा सुनाने से पहिले किसीवक़् उसका दर्जकरना अदालतको जायज़ है ॥

तमसीलात ॥

[अलिफ़]--फ़र्दक़रारदाद जुर्ममें जैदकी निस्बतबकरके क़तलअ़मदका इल्ज़ाम लगायागया यह बमंज़िलै इसबयानके है कि जैदका फ़ेल तारीफ़ क़तल अ़मदमुन्दर्जै दफ़आत २९९ व ३०० ऐक्ट ४५ सन् १८६०ई०, मजमूये ताज़ीरातहिन्द में दाखि़ल है और जो मुस्तस्नियात आम्मह उसमजमूये में मुन्दर्ज हैं उनमेंसे किसीमें दाखि़ल नहींहै और जो पांच मुस्तस्नियात दफ़ा ३०० के जैलमें हैं उनमें भी दाखि़ल नहींहै या यह कि अगर वह मुस्तस्ना अव्वलमें दाखि़ल है तो उस मुस्तस्नाकी जो तीन शरायत हैं उनमें से कोई एकशर्त्त उससे मुतअ़ल्लिक़ है ॥

[बे]--ज़ैद की निस्बत फ़र्द क़रारदादजुर्ममें हस्ब दफ़ा ३२६ मजमूये ताज़ीरातहिन्द के यह इल्ज़ाम लगायागया कि उसने उमरूको किसी गोली चलाने के आलेके ज़रिये से बिल्इरादे ज़ररशदीद पहुंचाया यह बमंज़िलै इस बयान के है कि यह मुक़द्दमा दफ़ा ३३५ मजमूये ताज़ीरातहिन्द में दाखि़ल नहीं है और मुस्तस्नियात आम्मह उससे इलाक़ा नहीं रखतीं ॥

[जीम]--ज़ैदपर क़तलअ़मद या दग़ा या सिरक़ै या इस्तहसाल बिल्जब्र या ज़िना या तख़वीफ़मुजरिमाना या झूठे निशान मिल्कियतके इस्तैमालमें लानेका इल्ज़ाम लगायागया पसफ़र्द क़रारदादजुर्म में यह मुन्दर्ज होसक्ता है कि ज़ैदने क़तल अ़मद या दग़ा या सिरक़ा या इस्तहसाल बिल्जब्र या ज़िना या तख़वीफ़ मुजरिमाने का इर्त्तिकाब किया--या कि वह मिल्कियत के झूठे निशान को इस्तैमाल में लाया और ज़रूर नहींहै कि इन जरायमकी तारीफ़ातपर जो मजमूये ताज़ीरातहिन्द में मरकूम हैं हवाले कियाजाय लेकिन उन दफ़आत का हवाला जिनके मुताबिक़ जुर्म क़ाबिल सज़ा है हरसूरतमें फ़र्द क़रारदाद जुर्मके अन्दर लिखना चाहिये ॥

[दाल]-जैदपर हस्बदफ़ा १८४ मजमूये ताजीरातहिन्द के इसबातका इल्ज़ाम लगायागया कि उसने अमदन् मालके नीलाममें जो एक सर्कारी मुलाज़िम के अख्तियार जायज़की रूसे नीलामपर चढ़ायागयाथा मज़ाहिमतकी पस फ़र्दक़रारदाद जुर्म में यही इबारत लिखीजायेगी ॥

दफ़ा २२२– फ़र्दक़रारदाद जुर्ममें उसक़दर तफ़ासील बाबत वक़्त और मौक़े इर्तिकाब जुर्म क़रारदादहके मै नाम उस शख्सके अगर कोई हो या उस शैके [अगर कुछहो] मुन्दर्जहोंगी जिसके मुक़ाबिले में या जिस की निस्बत जुर्मवक़ूअमें आयाहो जो बतौर माकूल मुल्ज़िम को इस बातसे मुत्तिलाअकरने के लिये काफ़ीहों कि उस पर किसअम्रका इल्ज़ाम लगायागयाहै ॥

तफ़सील बाबत वक़्त और मौक़ा और शख्सके,

दफ़ा २२३—जबमुक़द्दमाइसक़िस्मकाहो कि मरातिबमुन्दर्जै दफ़आत २२१ व २२२ से शख्स मुल्जिमको बखूबी यहअम्र न मालूम होसके कि उसपर किस अम्रका इल्ज़ामहै तो लाज़िमहै कि जिस तौरपर इर्तिकाब जुर्म मुवैयनाका कियागयाहो उसकी बाबत वह हालात भी फ़र्द क़रारदाद जुर्म में दर्ज कियेजायँ जो उसगरज़ के वास्ते काफ़ी हों ॥

कब इर्तिकाब जुर्मके तौर का बयान करना जरूर है,

तमसीलात ॥

[अलिफ]-- जैदपर एकखासवक़्त और मुक़ामपर एक खास शैके सिरक़ाकरनेका इल्ज़ामलगाया गया तो फ़र्द क़रारदाद जुर्ममें यह लिखाजाना ज़रूर नहीं है कि किसतौरपर सिरक़ा कियागया ॥

[बे]--जैदपर यह इल्ज़ाम लगायागया कि उसने एकखासवक़्त और मुक़ामपरबकर को दग़ादी जरूर है कि फ़र्द क़रारदाद जुर्ममें यह लिखाजाय कि जैदने किस तौरपर बकरको दग़ादी ॥

[जीम]-- जैदपर यह इल्ज़ाम लगायागया कि उसने फ़लां वक़्त और फ़लांमुक़ामपर झूठीगवाहीदी जरूरहै कि फ़र्द क़रारदाद

जुर्म में जैदकी गवाही का वह जुज्व लिखाजाय जिसका झूठहोना बयान किया गया है ॥

[दाल]—जैदपर यहइल्जाम लगायागया कि उसने खालिदएक सर्कारी मुलाजिमको उसके मन्सबीकारहाय सर्कारी के इन्सराम में फलांवक्त और फलां मुकामपर मजाहिमत पहुंचाई—जरूरहै कि फर्दकरारदाद जुर्ममें यह लिखाजाय कि जैदने खालिदको उसके कारहाय मन्सबीके इन्सराममें किसनेहजपर मजाहिमतपहुंचाई॥

[हे]--जैदपर यह इल्जाम लगायागया कि उसने फलां वक्त और मुकामपर खालिदकोअमदन कतलकिया तो जरूर नहीं है कि फर्द क़रारदाद जुर्म में यहभी लिखा जाय कि जैदने किसतौर पर खालिदकोक़तल किया ॥

[वाव]—जैदपर यहइल्जाम लगायागया कि उसने इस नियत से हुक्मक़ानून कीना फ़र्मानीकी कि बकर सजासे बचजाय पस फर्द क़रारदाद जुर्म में वह नाफ़र्मानी दर्ज की जायगी जिसका इल्जामहै—और नीज वह क़ानून जिससे खिलाफ वर्जी हुईहो ॥

फर्द करारदाद जुर्म के अल्फाज के मानी उस कानूनके मानियों के मुआफिक समझे जायँगे जिसकी रूसे वह जुर्म लायक सजाहो,

दफा २२४--हरफ़र्दक़रारदाद जुर्ममें जो अल्फाजजुर्मके बयान करनेमें मुस्तैमिलहों उनसे यहसमझाजायेगा कि वह उन मानियों के साथ मुस्तैमिलहुये हैं जो उस क़ानून में जिसके बमूजिब जुर्म मज़कूर लायक़ सजाहो उनकेलिये मुक़र्रर किये गयेहैं ॥

ग़लतियों का असर,

दफा २२५—जुर्म के बयान या उन मरातिब के बयान में जिनका फ़र्दक़रारदाद जुर्म में दर्ज किया जाना जरूर है गल्तीका वाक़ैहोना औरजुर्म और नीज़ मरातिब मजकूर के बयान में फ़रोगुजाश्त होना किसी नौबत मुक़द्दमे में सुक़ुम अहम मुतसव्विर न होगा इल्ला उस हालत में कि मुल्जिम को फिल्वाके उसगल्ती या फरोगुजाश्त से मुग़ालताहुआहो ॥

तमसीलात ॥

(अलिफ)—जैदपरहस्ब दफा २४२ मजमूये ताजीरातहिंद के

ऐक्ट ४५ सन् १८६०ई०, यह इल्जाम लगायागया कि उसने ऐसा सिक्का मुल्तबिस अपने पास रक्खा जिसको कब्जेमें लाते वक्त वहजानताथा कि यह सिक्का मुल्तबिसहै और फर्दकरारदाद जुर्म में लफ्ज फरेबन् फरोगुजाश्त होगया तो जिस हालमें यहबात न पाईजाय कि जैदको इस फरोगुजाश्त से फिल्वाकै मुग़ालता हुआ वह ग़लती मवस्सर नफ्स मुकद्दमा मुतसव्विर न होगी—

[बे]–जैद पर यह इल्जाम लगायागया कि उसने बकर को दग़ादी और जिसतौरपर कि उसने बकर को दग़ादी वह फर्दकरारदाद जुर्ममें नहींलिखा या ग़लतलिखागया जैद ने जवाबदिहीकी और गवाहहाजिर किये और उस मुआमलेकाहाल जो उसको बयान करनाथा बयान किया पस अदालत इससे यह मुस्तंबित करसक्ती है कि दग़ादेनेके तौर का बयान न होना एक फरोगुजाश्त मवस्सर नफ्स मुकद्दमानहीं है॥

[जीम]--जैदपर यह इल्जाम लगाया गया कि उसने बकर को दग़ादी और जिस तौर पर कि उसनेबकर को दग़ादी वह फर्दकरारदाद जुर्ममें बयाननहीं किया गया और फीमाबैन जैद और बकरके अक्सर मुआमलात हुयेथे और जैदको कोई जरिया इसबातके मालूम करने का नहीं मिला कि वह इल्जाम उन मुआमलातमेंसे किसकी बाबत है पस उसने कुछ जवाबदिही न की तो इनवाकिआत से अदालत यह मुस्तंबित करसक्ती है कि दग़ादेने के तौर का न बयान होना इस मुकद्दमे में एकग़लती मवस्सरनफ्स मुकद्दमा है॥

[दाल]--जैदपर यह इल्जाम लगायागया कि उसने जनवरी सन् १८८२ई० की २१–तारीखपर खुदाबख्श को अमदन् कतलकिया और वाकै में शख्समकतूलका नाम हैदरबख्श था और कतलकी तारीख २० जनवरी सन् १८८२ई० थी जैदपर सिवाय एक इल्जामके और कभी कतल अमदका इल्जाम नहीं लगाया गयाथा और जो तहकीकात कि मजिस्ट्रेट के रूबरूहुई उस को उसने सुना और वह सिर्फ हैदरबख्श के मुकद्दमेसे मुतअल्लिक

है पस इन वाकिआतसे अदालत यह इस्तन्बातकरसक्ती है कि जैद को मुगालता नहीं हुआ और फ़र्दकरारदाद जुर्म की गल्ती मवस्सर नफ्समुकद्दमा नहीं है ॥

[हे]--जैद पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने जनवरी सन्१८८२ई०की २०तारीखको हैदरबख्शको अमदन्कतलकिया और २१-जनवरीसन् १८८२ ई० को खुदाबख्शको जो उस क़त्लअमद की इल्लत में उसको गिरफ्तार करनेकी कोशिश करता था अमदन् कत्लकिया जब उसपर कत्ल हैदरबख्श का इल्ज़ाम लगाया गया उसकी तजवीज बइल्लत कतल अमद खुदाबख्श के की गई और जो गवाह उसकी सफाई के हाजिर किये गये वह गवाह हैदरबख्श के मुकद्दमे के थे इस सूरतमें अदालत यहबात मुस्तन्बित करसक्तीहै कि जैद को मुगालताहुआ और यह कि गल्ती मवस्सर नफ्स मुकद्दमाहै ॥

दफा २२६—अगरकोई शख्स बिदून किसी फर्द करारदाद जुर्मके या बजरिये नाकिस या ग़लत फर्द करारदाद जुर्मके तजवीजकेलिये सिपुर्दकिया जायतो अदालत या जब हाईकोर्टको सिपुर्दगी अमल में आई हो तो क्लार्कशाहीको जायजहै कि बलिहाज कवाअद मुन्दर्जै मजमूये हाजा दरबारै नमूने फर्द करारदाद जुर्मके फर्द करारदाद जुर्म मुरत्तिब करे या उसमें इजाफाकरे या और नेहजपर उसमें तरमीमकरे यानी जैसी कि सूरतहो ॥

जाबिता सिपुर्द होनेपर बिदून फर्दकरारदाद जुर्म केयाबजरिये नाकिसफर्दकरारदादजुर्मके,

दफा २२७—हर अदालत मजाजहैकि किसी फर्द करारदाद जुर्मको किसीवक्तकब्ल सुनानेतजवीजके या अगर जुर्मकी तजवीज रूबरू अदालत सिशन या हाईकोर्टके हो तो किसीवक्त माकब्ल मालूमहोने रायअहाली जूरी या जाहिर होने रायअसेसरोंके तब्दीलकरदे ॥

फर्दकरारदादजुर्मकोअदालततब्दील करसक्ती है,

ऐसी हरएक तब्दील शख्स मुल्ज़िमके रूबरूपढी और उसको समझा दीजायेगी ॥

दफा २२८---- अगर फर्द करारदाद जुर्म जो बमूजिब दफा २२६ या दफा २२७के मुरत्तिब या तब्दील की गईहो ऐसीहो कि फौरन् तजवीजमुकद्दमेमें मसरूफहोनेसे अदालतके नजदीकगालिबन् मुद्दाअलेहकीजवाबदिहीमें या मुस्तगीसकी पैरवीमुकद्दमामें फितूरवाकै न होगा तो यह बात ब अख्तियार अदालत है कि फर्द करारदाद जुर्मके मुरत्तिब होने या उसमें तब्दील करने के बाद मुकद्दमे की तजवीज में उसी तरह मसरूफहो कि गोया फर्दजदीद या तब्दील शुदह असल फर्द करारदाद जुर्मथी॥

व बबादतब्दील के तजवीज फौरन् अमलमें आसक्तीहै,

दफा २२९—अगर फर्द करारदाद जदीद या तब्दील शुदह ऐसी हो कि फौरन्तजवीजमुकद्दमेमें मसरूफ होनेसे अदालतके नजदीकगालिबन् मुल्जिम या मुस्तगीस की हक़तलफी हस्ब मुतजक्किरै सदरहोगी तो उस अदालतको अख्तियार है कि तजवीज जदीद होनेका हुक्मदे या तजवीज मुकद्दमा उस मीआदतक मुल्तवी रक्खे जो जरूरीहो॥

कब तजवीज जदीदका हुक्म दियाजासक्ताहै यातजवीज मुल्तवी रहसक्तीहै,

दफा २३०———अगर जुर्म मुन्दर्जफर्द जदीद या तब्दील शुदह ऐसा हो कि उसकी बाबत नालिश करने के लिये पेश्तरसे मंजूरी तलबकरनी जरूर हो तो मुकद्दमेकी कार्रवाई ताहुसूल मंजूरी मुल्तवी रहेगी इल्ला उस हालमें कि इस्तगास नालिशकेलिये उन्हीं वाकिआतकी बुनियाद पर मंजूरी हासिल होगई हो जिनपर फर्द जदीद या तब्दीलशुदह मबनीहो॥

मुकद्दमाका मुल्तवी रहना अगर तब्दील शुदहफर्द करारदादजुर्म में उस जुर्म केबाबत नालिशकरनेकेलिये पेश्तर मंजूरी दरकारहो,

दफा २३१—जब कोई फर्द करारदाद जुर्म अदालत से बाद शुरूअहोने तजवीजके तब्दील की जाय तो मुस्तगीस और शख्स मुल्जिमको इजाजत दीजायगी कि मिन्जुमले उन गवाहोंके जिनका इजहार होचुकाहो जिस गवाहको चाहे मुकर्रर तलब करे या मुकर्ररतलब कराके अम्र मुतबद्दला की बाबत उसकाइजहारले॥

गवाहों को फिर तलब करना जबकि फर्द करारदाद जुर्मतब्दील कीजाय,

दफा २३२—अगर राय किसी अदालत अपील या अदालत हाईकोर्टकी वक्त इस्तेमाल अपने अख्तियारात निगरानी या अख्तियारात मुतअल्लिकै बाब २७ के यह हो कि जिस शख्सपर जुर्म क़रार दिया गया है उसको फिल् वाकै बवजह न होने फर्द क़रारदाद जुर्म के या बवजह ग़ल्ती होने- के फर्द क़रारदाद जुर्म में जवाबदिही में मुग़ालता हुआ है तो उ- सको लाज़िम है कि फर्द करारदाद जुर्म को जिसतरह मुनासिब समझे मुरत्तिबकरके उसीकी बुनियाद पर तजवीज जदीद अमल में आनेका हुक्म दे ॥

सू गीनग़लतीशी नाज़ीर,

अगर उस अदालत की रायमें वाकिआत मुकद्दमा ऐसे हों कि उनकी बिनापर कोई इल्जाम सही शख्स मुल्जिम पर नजर ब- वाकिआत मुसबिते आयद न होसक्ता हो तो वह अदालत हुक्म अ- सबात जुर्मको फिस्ख करेगी ॥

तमसील ॥

जैदपर जुर्म मुतअल्लिकै दफा १९६ मजमूये ताजीरातहिंद बर- बिनाय ऐसी फर्द करारदाद जुर्म के साबित करार दियागया जिस में यह लिखना फरोगुजाश्त हुआ था ज़ैद यह बात जानता था कि वह शहादत जिसको उसने बददियानती से बतौर शहादत सही व असली के मुस्तैमिल किया या मुस्तैमिल करने का कस्द किया झूठी और जाली थी तो अगर अदालत को ज़न्ग़ालिब हो कि जैद ऐसा इल्म रखता था और फर्द क़रारदाद जुर्म में इस बातका बयान फरोगुजाश्त होनेसे कि जैद ऐसा इल्म रखता था उसको अपनी जवाबदिही में मुग़ालता हुआ तो अदालत मज़कूर यह हुक्म देगी कि फर्द क़रारदाद जुर्म तरमीम होकर तजवीज़ अज़सरनौ अमलमें आये मगर जिस हालमें कि कार्रवाई मुक़द्दमे से यह करीन कयास हो कि जैद को ऐसा इल्म न था तो अदालत हुक्म असबात जुर्मको फ़िस्ख करेगी ॥

ऐक्ट ४५ सन् १८६० ई०,

चन्द इल्जामात का अमूल ॥

दफा २३३—लाज़िम है कि हर जुर्म जुदागाना की बाबत

अलाहिदार फर्द करार दाद जुर्म हरजुर्म जुदागाना की बाबत,

जिसका किसी शख्सपर इल्जाम लगायाजाय फर्द करारदाद जुर्म अलाहिदाहो--और ऐसे हर इल्जामकी तजवीज भी जुदागाना होनी चाहिये बजुज़ उन सूरतों के जो दफआत २३४ व २३५ व २३६ व २३९ में मज़कूर हैं ॥

तमसील ॥

जैदपर एकवक्त सिरकाका और दूसरे वक्त जररशदीद पहुँचाने का इल्जाम लगायागया तो चाहिये कि जैद की निस्बत सिरके की फर्द करारदाद जुर्म और तजवीज जुदाहो और जररशदीद पहुँचाने की फर्द करारदाद जुर्म और तजवीज जुदा हो ॥

दफा २३४—जब एक शख्स की निस्बत एकही किस्म के

जब तीनजुर्म एकहीकिस्मके एक सालके अन्दर व कूअमें आयें तो उनका इलजाम एक शामिल आयद कियाजायेगा,

एकसेजियादह इल्जामात लगायेजायँ जोजुर्म अव्वल से लेकर जुर्म आखिरतक अर्से बारह महीने के अन्दर सरजद हुयेहों तो जायज है कि उसपर एकही वक्तमें चन्द जरायम का इल्जाम जो तीनसे जियादह न हों आयद होकर सबकी एक तजवीज कीजाय ॥

जरायम उसवक्त एकही किस्मके हैं जब उनके लिये मजमूये

ऐक्ट ४५ सन्१८६०ई०,

ताजीरातहिन्द की दफा वाहिद में या किसी और कानून खास या मुख्तसुल मौके में एकही तादाद की सजा मुकर्रर हो ॥

दफा २३५—[१]अगर चन्द वाकिआत में जो बाहम ऐसा

१--एकसेजियादाजुर्मों की बाबत तजवीज,

तअल्लुक रखते हैं कि वह एकही मुआमला होगये हैं एकही शख्स से एकसे जियादह जरायम सरजद हों तो जायज है कि ऐसे हर जुर्मकी इल्लतमें शख्स मजकूरकी निस्बत तकमीलै फर्द करारदादजुर्म और तजवीजका एकहीसाथहो ॥

(२) अगर अफआलमुजहरै ऐसे जुर्मपर मुश्तमिलहों जोबमूजिब

२—वहजुर्मजोदोतारी फ़ौंकेअन्दरआये, किसी कानून मजरिये वक्तके ऐसी दो या कई तारीफात जुदागानामें दाखिलहो जिनमें जरायमकी तारीफात या ताजीरात मरकूमहों तो जिसशख्स से वह फ़ेल सरजद हो जायज है कि एकही तजवीज के वक्त उसपर हरजुर्म मिंजुमले जरायम मजकूर लगायाजाय और हरएक की तजवीज कीजाय॥

[३]अगर चन्दअफआल जिनमेंसे एक या जियादह अफआलफरदन् फरदन् जुर्महो या जरायमहों मगर जिन का मजमूआ एक दूसराजुर्महो किसी शख्ससे सरजद हों तो जायज है कि शख्समुल्जिमपर इल्जाम उसजुर्म का जो उनअफआल से मजमूअन् पैदाहोताहो या उसजुर्मका जोमिंजुम्लै उनअफआलके एक या चंदअफआलसे पैदाहोताहो एकही मुकद्दमे में शामिल होकर उनकी एकवक्त तजवीज कीजाय॥

३—अहअफआलजो एकजुर्म हों मगर उनकामजमूआ दूसराजुर्महो,

कोई इबारतदफा हाजाकी मजमूये ताजीरात हिन्दकीदफा७१ ऐक्ट४५सन्१८६०ई०, की मुखिल न होगी॥

तमसीलात मुतअल्लिकै फ़िकरै—अव्वल॥

[अलिफ]--जैद एक शख्स खालिदको जो हिरासत जायजमेंथा छुडालेगया और उसके छुडाने में एककानिस्टाबिल वलीदको जिसकी हिरासतमें खालिदथा जैदने जररशदीद पहुंचाया तो जायज है कि जैदकी निस्बतजरायममुसर्रहदफआत २२५ व ३३३ मजमूये ताजीरातहिंद की बाबत फर्दकरारदाद जुर्म लिखी जाय और तजवीज कीजाय॥

[बे]--जैदने जिनाकरनेकी नियतसे दिनके वक्त एकमकानमें नकबजनीकी और उस मकान में दाखिल होकर बकर की जौजाके साथ जिना किया तो जायजहै कि जैद की निस्बत बाबत जरायम मुतअल्लिकै दफआत ४५४ व ४९७ मजमूये ताजीरातहिंद के जुदा २ अफराद करारदाद जुर्म लिखी जायें और जुदा २ अहकाम इसबात जुर्म सादिरहों॥

[जीम]--जैदहिंदाको जो खालिद की जौजा है खालिद के पास से बईं इरादे फुसला लेगया कि उसके साथ जिनाकरे और दरहकीकत उसके साथ जिनाका मुर्तकिब हुआ तो जायज है कि जैदकी निस्बत बाबत जरायम मुतअल्लिके दफआत ४९८ व ४९१ मजमूये ताजीरातहिंदके जुदा २ अफराद करारदादजुर्म लिखीजायें और जुदा २ तजावीज इसबात जुर्म सादिर हों ॥

[दाल]--जैदके पास चंद मवाहीरहैं जिनकी बाबत वह जानता है कि मुल्तबिसहैं और यह नियतरखताहैकि बगरज इर्तिकाबचन्द जालसाजियों के जिनकी सजामजमूये ताजीरातहिंदकीदफा४६६ में मुकर्ररहै उनको इस्तैमाल में लाये तो जायजहै कि बइल्लत कब्जेदारी हरएक मोहर हस्ब दफा ४७३ मजमूये ताजीरातहिंद के जैदकी निस्बत जुदा २ फर्द करारदाद जुर्म लिखी जाय और तजवीज इसबात जुर्म जुदा २ कीजाय ॥

[हे] जैदने खालिदको नुकसान पहुंचाने के इरादे से यह जानकर उसपर नालिश फौजदारी दायर की कि इनसाफन् या क़ानूनन् उस नालिश की कोई वजह नहीं है फिर उसी जैदने खालिदपर एक जुर्म के इर्तिकाब का झूठा इल्ज़ाम लगाया यह जानकर कि ऐसे इल्ज़ाम लगाने की इंसाफन् या क़ानूनन् कोई वजह नहीं है तो जायज है कि जैदपर बाबत दो जरायम मुसर्रह दफा २११ मजमूये ताजीरात हिन्दके जुदा २ अफराद करारदाद जुर्म लिखी जायें और उनकी निस्बत तजवीज इसबात जुर्म कीजाय ॥

(वाव)--जैदने खालिदको नुक़सान पहुंचाने के इरादे से उस पर एक जुर्म के इर्तिकाब का झूठा इल्ज़ाम लगाया यह जानकर कि इन्साफन् या कानूनन् उस इल्ज़ाम की कोई वजह नहीं है और तजवीज़के वक्त ज़ैदने खालिद की निस्बत झूठी गवाही दी इस नियतसे कि खालिदपर ऐसाजुर्म साबित कियाजाय जिसकी सज़ा मौत है तो जायज़ है कि ज़ैद की निस्बत जरायम मुसर्रह दफा २११ व दफा १९४ मजमूये ताजीरात हिन्द के जुदा २

इल्जाम अलस्सबीलुलबदलियत उसके जिम्मे कायमहोसक्ताहै॥

तमसील॥

जैदपर ऐसे फेल के इर्त्तिकाब का इल्जाम लगाया गया जो दरजै जुर्म सिरकै या जुर्म इस्तहसाल मालमसरूका या खयानत मुजरिमाना या दगाको पहुंचसक्ता है तो जायज है कि उसपर इल्जाम जरायम सिरका और हुसूल मालमसरूका और खयानत मुजरिमाना और दगाका फर्द करारदाद जुर्ममें लगाया जाय या उसपर इल्जाम लगाया जाय कि वह सिरका या हुसूलमाल मसरूका या खयानत मुजरिमाना या दगाका मुर्त्तकिब हुआहै॥

जबकि किसी शख्सपर एक जुर्म का इल्जाम लगायाजाय तो उसको दूसरे जुर्म का मुर्जरिम ठहराया जासक्ता है,

दफा२३७—अगर सूरत मुतजाक्किरै दफा २३६ में सिर्फ एक जुर्मका इल्जाम मुल्जिम पर फर्द करारदाद जुर्म में लगायाजाय और शहादत से यह पायाजाय कि उसनेकिसी और जुर्मका इर्त्तिकाबकिया है जिसकी इल्लतमें हस्ब अहकाम दफा मजकूर उसकी निस्बत फर्द करारदाद जुर्मलिखी जासक्ती थी तो जायज है कि उसके जिम्मे वही जुर्म साबित करार दियाजाये जिसका इर्त्तिकाब करना उसपर साबित हो गो वह इल्जाम फर्द करारदाद जुर्म में दर्ज न हुआ हो॥

तमसील॥

जैदपर फर्द करारदाद जुर्म में सिरके का इल्जाम लगाया गया और मालूमहुआ कि उससे जुर्मखयानत मुजरिमाना या जुर्म इस्तहसाल माल मसरूका जहूर में आया है तो जायज है कि उसपर जुर्म खयानत मुजरिमाना या जुर्म इस्तहसाल माल मसरूका [जैसा मौकाहो] साबित करार दियाजाय गो फर्दकरारदाद जुर्ममें उसपर जुर्म मजकूरका इल्जाम न लगाया गयाहो॥

जब कि वह जुर्म जो साबित हुआहै उस जुर्ममें शामिलहो जिसका इल्जाम लगाया गया है,

दफा२३८—जब किसी शख्स पर फर्दकरारदाद जुर्म में ऐसे जुर्म का इल्जाम लगायाजाय जो चंदमुख्तलिफ अजजा का मजमूआहो और उनमें से सिर्फ चन्द अजजा बिलइश्तमाल एक जुर्म स-

ग़ीरा मुकम्मिलकी हद्दतक पहुंचतेहों और ऐसा इश्तमाल साबित हो लेकिन बाक़ी अजज़ासाबित न हों तो जायज है कि जुर्म स-ग़ीरा उस पर साबित करार दियाजाय गो फर्द करारदाद जुर्म में उस पर उसजुर्मका इल्ज़ाम न लगाया गयाहो ॥

जब किसी शख्सकी निस्बत जिसपर फर्द करारदाद जुर्म में कोई जुर्म करारादिया गयाहो ऐसे हालात साबित हों कि जिनसे जुर्म मजकूर बक़दर एक जुर्म खफीफ के होजाय तो जायज है कि नामबुरदाकी निस्बत जुर्मखफीफ साबित करार दियाजाय गो उसकीनिस्बत फर्दकरारदाद जुर्ममें वह जुर्म करार न दियागयाहो॥

किसीइबारत मुन्दर्जैदफा हाजा से यह तसव्वरकरना लाजिम नहीं है कि तजवीज सुबूत किसी जुर्म मुसर्रह दफा १९८ या दफ़ा२९९ की उसहालत में जायज होगी जब कोई इस्तगासा हस्बुल हुक्म उसदफाके न कियागयाहो ॥

तमसीलात ॥

[अलिफ] जैदपर मजमूये ताजीरात हिन्दकी दफा ४०७ ऐक्ट४५ सन् १८६०ई०, के मुताबिकइल्जाम खयानत मुजरिमानाका किसी जायदाद की बाबत फर्द करारदाद जुर्म में लगायागया जिसका ज़ैदको बहैसियतमाल पहुंचानेवाले के सिपुर्द होना फर्द मजकूरमें करार दिया गया था यह मुतहक्किक होताहै कि मालकी निस्बत जैदने दफा ४०६ के मुताबिक खयानत मुज-रिमाना की—मगर वह माल बहैसियत रसानन्दै मालके उसको सिपुर्द नहीं किया गया था तो जायज है कि उसकी निस्बत तजवीज सुबूत जुर्म खयानत मुजरिमाना हस्ब मुराद दफा ४०६ के कीजाय ॥

[बे]--जैदकी निस्बत मजमूये ताजीरातहिंदकी दफा ३२५ के ऐक्ट४५सन् १८६०ई०, बमूजिब इल्जाम जररशदीद पहुंचाने का फर्द करारदादजुर्म में कायम कियागया नाम बुरदाने यह साबित किया किसख्त व नागहानी इश्तआल तबाहोने पर उसने अमल किया

जायज है कि नामबुरदाकी निस्बत तजवीजसुबूत जुर्म हस्बदफा ३३५ मजमूये ताजीरातहिन्द कीजाय॥

दफा२३९—जब एक से जियादह अशखासपर जुर्म वाहिद या जरायममुख्तलिफका जिनका इर्तिकाब मुआमलेवाहिदमें हुआहो इल्जाम लगायाजाय या जब एकशख्सपर इल्जाम इर्तिकाब किसी जुर्मका और दूसरे पर आनत या इकदाम जुर्म मजकूर का इल्जाम लगायाजाय तो जायजहै कि ऐसे जरायमकी बाबत फर्दकरारदाद जुर्म और तजविज सुबूत शामिलात में हो या जुदा २ [जैसाअदालतको मुनासिबमालूमहो] और अहकाम मुंदर्जै जुज्व अव्वल बाबहाजा जुमलौ ऐसे इल्जामातसे मुतअल्लिक समझे जायँगे॥

क्रिनरशख्सोंपर बिलइत्तफ़ाक़इल्ज़ाम लगायाजासक्ताहै,

तमसीलात॥

[अलिफ]—ज़ैद और बकरपर एकही क़तलअमद काइल्ज़ाम लगायागया तो जायज़है कि क़तल अमदकी इल्लतमें ज़ैद और बकर की फर्द क़रारदाद जुर्म और तजवीज़ यकजाईहो॥

[बे]—ज़ैद और बकरपर सिरक़े बिलजब्र का इल्ज़ामलगाया गया जिसके अस्नामें ज़ैदने क़तल अमदका इर्तिकाब किया जिस से बकरको कुछ तअल्लुक़ नहींहै तो जायज़है कि बरबिनाय एकही फर्दक़रारदाद जुर्मकेजिसमें दोनोंपर सिरक़ैकाइल्ज़ाम और सिर्फ ज़ैदपर क़तलअमदका इल्ज़ाम लगायागयाहो दोनोंकी तजवीज यकजाईहो॥

[जीम]--ज़ैद और बकरदोनोंपर एक सिरक़ा का इल्ज़ाम लगायागया और बकरपर दो और सिरक़ोंका इल्ज़ाम क़ायमहुआ है जो उसी वारदातके अस्ना में उससे सरज़दहुये थे जायज़ है किएकही फर्द क़रारदाद जुर्मकी बिनायपर एकही साथ ज़ैद और खालिद दोनोंकी तजवीज़ कीजाय इस तरहपर कि एकसिरक़ैका इल्ज़ाम दोनों पर हो और बाक़ी दो सिरक़ों का सिर्फ बकरपर॥

दफा२४०—जब एकसेजियादह इल्ज़ाम एकहीशख्सपर क़ायम

चन्दइल्ज़ामों मेंसे एक इल्ज़ाम पर मुजरिम ठहरने पर बाकी इल्ज़ामों से दस्तबरदार होना.

कियेजायँ और जब तजवीज़ इसबात जुर्म किसी एकया चन्दजरायमकी बुनियाद पर कीजाय तो शख्स मुस्तगीसया ओहदेदार पैरोकारजानिब सर्कार मजाज़है कि अदालतकी इजाज़तलेकर बाकी इल्ज़ाम या इल्ज़ामातसे दस्तबरदाररहो या खुद अदालतको अख्तियार है कि इल्ज़ाम या इल्ज़ामात बाकी मुन्दाकी निस्बत तहकीकात या तजवीज़ मुल्तवी करदे चुनांचे ऐसी दस्तबरदारी यहअसर रक्खेगी कि गोया शख्समुल्ज़िम ऐसे इल्ज़ाम या इल्ज़ामातसे बरीकिया-गया बजुज़ उस सूरतके कि तजवीज़ इसबात जुर्मकी मन्सूख की-जाय कि उस सूरतमें अदालतमज़कूर (बइतबाअहुक्म अदालत मन्सूखकुनिन्दाहुक्मइसबात जुर्म) मजाज़होगी कि उसइल्ज़ाम या इल्ज़ामात की तहकीकात या तजवीज़ में मसरूफहो जिनसे दस्तबरदारी हुई थी ॥

बाब २० ॥

तजवीज मुकद्दमात काबिलइजराय सम्मन मारफत मजिस्ट्रेटान ॥

दफा २४१—मुकद्दमातक़ाबिल इजराय सम्मनकी तजवीज़

मुकद्दमात काबिल इजराय सम्मनमें जाबिता,

मेंमजिस्ट्रेटान ज़ाबितै मुफ़स्सिलै ज़ैलअमलमें लायेंगे ॥

दफा २४२—जब शख्स मुल्ज़िम मजिस्ट्रेटके हुज़ूर हाज़िर

इल्ज़ामका मज़मून बयान कर दिया जायेगा,

हो या हाज़िर किया जाय तो तफ़सील उस जुर्म की जिसकाइल्ज़ाम उसपर लगायागयाहै उस को सुना दीजायेगी और उससे इस्तिफ़सार कियाजायेगा कि इस-बातकी वजह ज़ाहिरकरे कि वह क्यों जुर्म मज़कूरका मुजरिम न ठहराया जाय लेकिन कोई बाजाबिता फर्द करारदाद जुर्म मुरत्तिब करनी जरूर न होगी ॥

दफा २४३—अगर शख्स मुल्ज़िम उसजुर्मके इर्तिकाबका इक-

इल्ज़ामके सहीहोने केइकबालजुर्मपरसुबूत,

रारकरे जोउसपर लगायाजाय तोउसका इक-बाल हत्तुल्मकदूर उन्हींअल्फाज़में लिखाजाय-

गा जोउसके मुँहसेनिकलें और अगर वह इसबातकी वजह काफ़ी न ज़ाहिरकरसके कि उसकीनिस्बत तजवीज सुबूत जुर्म क्यों न कीजाय तो मजिस्ट्रेट उसकीनिस्बत तजवीज सुबूत जुर्म मुताबिक उसके करेगा ॥

दफा २४४—अगर शख्स मुल्जिम ऐसा इकबाल न करे तो मजिस्ट्रेट को लाजिम है कि इजहार मुस्तगीसका [अगर कोईहो] ले और तमाम वजह सुबूत जो बताईद नालिश पेश कीजाय शामिल मिस्ल करे और मुस्तगास अलेहका भी बयान समाअतकरे और जोकुछ सुबूत बताईद उसकी जवाबदिहीके गुजरे उसको लेले ॥

ज़ाबिता जबकि कोई ऐसा इकबाल न कियाजाय,

मजिस्ट्रेट मजाज़ है कि अगर मुनासिब समझे बरवक्त दख्वीस्त किसी मुस्तगीस या मुल्जिमके हुक्मनामावास्ते जबरन् हाज़िर कराने किसी गवाह या पेश कराने किसीदस्तावेज़ या दीगर शैके जारीकरे ॥

माजिस्ट्रेट मजाजहै कि क़ब्लतलबकरने किसी गवाहकेबरतबक ऐसी दख्वीस्तके यहहुक्म सादिरकरे कि मसारिफ माकूलगवाह के जो मुकद्दमेकी अगराज़केलिये कचहरी में हाजिर होनेसे उसके आयदहालहों अदालतमें जमा करायेजायें ॥

दफा २४५—अगर मजिस्ट्रेट बाद लेने सुबूतमुतज़क्किरै दफा२४४और उससुबूत मजीदके [अगरकुछहो] जो उसने अपनी तहरीकखास से पेशकरायाहो और बाद करने सवाल व जवाबसाथ शख्स मुल्जिम के [अगर मजिस्ट्रेटको ऐसा मंज़ूरहो] शख्स मुल्ज़िम को बेगुनाह समझेतो उसकोलाज़िम है कि उसकी बरीयत का तहरीर करे ॥

बरीयत,

अगर मजिस्ट्रेट मजकूर शख्स मुल्ज़िमको मुजरिम करारदे तो उसको लाजिमहै कि उसकी निस्बत हुक्म सज़ा मुताबिक कानून के सादिरकरे ॥

हुक्म सज़ा,

दफा २४६—मजिस्ट्रेट मजाज है कि दफा २४३ या दफ़ा

तजवीज नालिशयासम्मन के बाअससे महदूदनहो होगी,

२४५ के मुताबिक़ शख्स मुल्ज़िम को ऐसे जुर्म का मुर्त्तकिब करारदे जिसकी तजवीज़ इस बाबके बमूजिब होतीहै और जिसका उससे सरज़द होना वाक़िआत मुसल्लमा या मुनकिनाकी रूसे साबितहो गो नालिश या सम्मनमें कुछ और मज़मून हो॥

दफ़ा २४७—अगर सम्मन बरतवक़ नालिश के जारीहुआ हो और उस तारीख को जो वास्ते हाजिरी शख्स मुल्ज़िम के मुकर्रर हुईहो या किसी और तारीख माबादको जिसपर मुक़द्दमेकी समाअत मुल्तवीकी गईहो मुस्तगीस हाज़िर न हो तो मजिस्ट्रेट को लाज़िम है कि बावस्फ़ किसी मज़मून के जो ऊपर मरकूमहै शख्स मुल्ज़िम को बरीकरदे इल्ला उससूरतमें कि किसीवजहसे मजिस्ट्रेटको मुक़द्दमे का किसी और तारीखपर मुल्तवी करना मुनासिब मालूम हो॥

मुस्तगीसका न हाज़िर होना,

दफ़ा २४८—अगर किसीमुक़द्दमेमें जिसमें इसबाबके मुताबिक अमलहो शख्स मुस्तगीस हुक्म अखीर के सादिर होने से पहिले किसी वक्त मजिस्ट्रेट को इसबातसे मुतमय्यन करदे कि उसको नालिशसे दस्तकश होनेकी इजाजत देनेकी वजूह काफ़ीहैं तो मजिस्ट्रेट मजाज़ है कि उसको दस्तकश होनेकी इजाज़तदे और उसीवक़ शख्स मुल्ज़िमको बरीकरे॥

दस्तगासासे दस्तकश होना,

दफ़ा २४९—हरमुक़द्दमेमें जो बजुज़ बरबिनाय नालिश और तौरपर रुजूअहुआहो मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या बमंजूरी मजिस्ट्रेट ज़िला हो दीगर मजिस्ट्रेट मजाज़ है कि हरसबवजूहके जिनको उसे तहरीरकरना चाहिये हरमुक़द्दमे में जो बिलानालिश के किसी और तौरसे रुजूअ हुआहो कारवाइयात को किसी नौबतपर बिलासुनाने तजवीज़ मशअर बरअत मुद्दआ-अलेह ख्वाह इसबातजुर्मके मुल्तवीकरदे और उसके बाद शख्स मुल्ज़िमको रिहाईदे॥

कारवाईके मौकूफ़ करने का अख्तियार जब कि मुस्तगीसनहो,

दफ़ा २५०—अगर किसी मुक़द्दमे में जो बरबिनाय नालिश के रुजूअ हुआहो मजिस्ट्रेट शख्स मुल्ज़िम को बमूजिब दफ़ा २४५ या दफ़ा २४७ जुर्म से बरीकरे और उसकी यहरायहो कि नालिश नाहक़ और बराह ईज़ारसानी दायरहुईथी तो उसको अख्तियार है कि अगर मुनासिब समझे मुद्दआअलेहकी बराअतका हुक्म सादिर करके मुस्तग़ीस को हिदायत करे कि वह शख्स मुल्जिम को या जब चन्द अशखास मुल्जिम हों तो उनमें से हर वाहिदको उस क़दर ज़र मुआविज़ा अदाकरे जो मजिस्ट्रेट के नजदीक मुनासिब हो और पचास रुपया से जियादह न हो॥

वह सब दूस्तगासे जो नाहक़ या बराह ईज़ारसानी दायरहों,

तादाद मुआविजा जो इसतरह तजवीजकीजाय उसीतौर पर वसूल कीजायगी जिसतरह जर जुर्माना वसूल होता है॥

जर मुआविजा का वसूल,

पर शर्त यह है कि अगर इसतौरसे वसूल न होसके तो वह कैद जो आयद होसक्ती है कैद महज होगी और उस मीआद तक होगी जो मजिस्ट्रेट हिदायत करे मगर तीसरोज से जियादह न हो॥

वक्त दिलाने मुआविजे के किसी नालिश दीवानी माबाद में जो मुतअल्लिक उसी मुआमिले के हो अदालत उस तादाद पर लिहाज करैगी जो बतौर मुआविजा हस्ब दफा हाजा अदा या वसूल कीगई हो॥

बाब २१॥

तजवीज मुकद्दमात काबिल इजराय वारंट बहुजूरमजिस्ट्रेट॥

दफा २५१—मुकद्दमात काबिल इजराय वारंट की तजवीज में मजिस्ट्रेटोंको चाहिये कि जाबिता मुफस्सिलैजैलपर अमल करें॥

जाबिता मुकद्दमातकाबिल इजराय वारंट में,

दफा २५२—जब शख्स मुल्जिम किसी मजिस्ट्रेट के रूबरू हाजिर हो या हाजिर कियाजाय तो मजिस्ट्रेट मजकूर को लाजिम है कि बयान शख्स मुस्तगीस का अगर कोई

सबूतनालिशकीबाबत,

हो सुने और तमाम वजह सुबूत को जो बताईद नालिश पेश की जाय शामिल मिस्ल करे॥

मजिस्ट्रेट को लाजिम है कि मुस्तगीस से या किसी और तौर पर नाम उन अशखास के दरियाफ्त करे जो गालिबन् हालात मुकद्दमे से वाकिफ हों और मुदई की तरफ से शहादत देसके हों और उनमें से उसकदर अशखास को जो जरूरी मालूम हों अपने रूबरू शहादत देनेके लिये तलब करे॥

मुल्जिम की रिहाई,

दफा २५३—अगर बाद लेने तमाम वजह सुबूत के जिसका हवाला दफा २५२—में हुआ है और बाद लेने उस कदर इजहार शख्स मुल्जिमके [अगर कुछ लियाजाय] जो मजिस्ट्रेट को जरूरी मालूम हो मजिस्ट्रेट की दानिस्त में किसी ऐसे मुकद्दमे का सुबूत जिम्मे शख्स मुल्जिम के न पाया जाय कि बसूरत उसकी अदमतरदीद के मुल्जिमकी निस्बत तजवीज सुबूत जुर्मजायजहोती तो मजिस्ट्रेट उसको रिहाकरेगा॥

कोई इबारत दफा हाजा माने इस्की न समझीजायगी कि मजिस्ट्रेट शख्स मुल्जिम को मुकद्दमा की किसी नौबत साबिक पर रिहाकरे अगर बमूजिब उन वजूहके जिन्हें मजिस्ट्रेटको लिखना चाहिये मजिस्ट्रेट की यहराय हो कि इल्जाम बेबुनियादहै॥

फर्द करारदाद जुर्मका मुरत्तिब करना जबकिजुर्म का साबित होना मालूम होता हो,

दफा२५४—अगर उसवक्त जबकि ऐसीवजह सुबूत और इजहार लियागया हो मजिस्ट्रेट की यहराय करारपाये कि यह कयासकरनेकी वजह मौजूद है कि शख्समुल्जिम ऐसे जुर्मका मुर्त्तकिब हुआ है जिसकी तजवीज इसबाबके मुताबिक होसक्ती है और जिसको मजिस्ट्रेट मजकूर तजवीज करनेका मजाज है और जिसके बदले मजिस्ट्रेट मौसूफ अपनी दानिस्तमें सजाय कामिल आयद करसक्ता है तो उसको चाहिये कि एक फर्द करारदाद जुर्म मुल्जिम की निस्बत कलमबन्द करे॥

दफा२५५—तब फर्द करारदाद जुर्मशख्स मुल्जिम के रूबरू

इक़बालजुर्म, पढ़ीजायगी और उसको समझाई जायगी और मुल्ज़िम से पूंछा जायगा कितुम मुजरिम हो या कुछ जवाबदिही करना चाहतेहो॥

अगर शख्स मुल्ज़िम अपनी निस्बत मुजरिम होना क़बूल करे तो साहब मजिस्ट्रेट उसका इकबाल कलम्बंद करेगा और अगर मुनासिब समझे हस्ब इक़्तिज़ाय राय अपनी बरबिनाय उस के इक़बाल के उसकी निस्बत तजवीज सुबूत जुर्म करेगा॥

दफ़ा२५६–अगर शख्स मुल्ज़िम जवाब देने से इन्कार करे

जवाब, या जवाब न दे या यह दावाकरे कि उसकी निस्बत तजवीज कीजाय तो उसको हिदायत कीजायगी कि अपनी जवाबदिही में मसरूफहो और अपना सुबूत पेशकरे और हरवक्त पर उस अय्याम में जब वह अपनी जवाबदिही में पैरवी करता हो उसको इजाजत दीजायगी कि किसीगवाह जानिब मुस्तगीस को जो अदालत में या अदालत के अहाते में हाजिरहो मुकर्रर तलबकरके उससे सवाल जरहका करे॥

अगर शख्स मुल्ज़िम कोई बयान तहरीरी दाखिलकरे तो मजिस्ट्रेट को लाजिम है कि उसको शामिल मिस्लकरदे॥

दफ़ा२५७–अगर शख्स मुल्ज़िम मजिस्ट्रेटसे यह दरख्वास्त

हुक्मनामा वास्ते जबरन् पेश करानेसुबूतकेहस्ब दरख्वास्त मुल्ज़िम, करे कि हुक्मनामा वास्ते जबरन् हाजिर कराने किसी गवाह के इस गरज से जारीकिया जाय कि उससे इस्तिफ़सार या जरहके सवालात कियेजायँ या कोई दस्तावेज या और शै पेश कराईजाय तो मजिस्ट्रेट को लाजिम है कि हुक्मनामा मतलूबा जारीकरे इल्ला उससूरत में कि उसके नजदीक दरख्वास्तको इसवजहसे नामंजूर करनामुनासिबहो किवह बराह ईजारसानी या अय्यामगुजारी या जवाल अग़राज मादलतगुस्तरी के गुजरी है और मजिस्ट्रेटको लाजिमहै किवजह मजकूरको कलम्बन्द करे॥

मजिस्ट्रेट मजकूर मजाजहै किऐसी दरख्वास्तपर किसीगवाह के तलबकरने से पहले यहहुक्मदे कि गवाह मजकूरके मसारिफ

माकूल जो उस मुक़द्दमे की ग़रज़के लिये अदालत में हाज़िर होने से उसके आयद्दहाल हों अदालतमें जमाकिये जायँ॥

दफ़ा २५८——अगर किसी मुक़द्दमे में जो इस बाबसे मुतअ-
बरीयत, ल्लिक़हो और जिसमें फ़र्द क़रारदाद ज़ुर्म मुरत्तिब कीगई हो मजिस्ट्रेट को मालूम हो कि शख़्स मुल्ज़िम बेगुनाह है तो मजिस्ट्रेट मज़कूर उसकी बरीयतका हुक्म सादिर करेगा॥

अगर किसी ऐसे मुक़द्दमेमें मजिस्ट्रेटको दरियाफ़्तहो कि शख़्स
सुबूत जुर्म, मुल्ज़िम फ़िल्वाक़ै मुजरिम है तो उसको चाहिये कि क़ानूनकेमुताबिक़ उसकी निस्बत हुक्मसज़ा सादिरकरे॥

दफ़ा २५९—अगर मुक़द्दमा बरबिनाय नालिश किसी मुस्त-
मुस्तग़ीसकीग़ैरहाज़िरी, ग़ीस के क़ायम हुआ हो और उस रोज़पर जो वास्ते समाअत मुक़द्दमे के मुक़र्रर हुआ हो मुस्तग़ीस ग़ैरहाज़िर हो और जुर्म ऐसा हो कि उसकी बाबत सुलह करना जायज़ हो तो मजिस्ट्रेट मजाज़ है कि हस्ब इक़्तिजाय राय अपनी बावस्फ़ इसके कि किसी दफ़ा मासबक़ में कुछ और हुक्महो फ़र्द क़रारदाद ज़ुर्म के मुरत्तिब होने से पहिले शख़्स मुल्ज़िम को रुख़्सत करदे॥

बाब २२॥

बाबत तजवीज़ सरसरी॥

दफ़ा २६०——×बावस्फ़ इसके कि इस मजमूये में कोई और
तजवीज़ सरसरीका अ-ख़्तियार॥ मज़मून हो॥

[१] मजिस्ट्रेट ज़िला॥

[२] मजिस्ट्रेट दरजे अव्वल जिसको लोकलगवर्नमेण्ट ने इस अम्रका अख़्तियार ख़ास अता किया हो॥

[३] हरबेंच यानी जल्सै मजिस्ट्रेटों का जिसको अख़्तियारात मजिस्ट्रेट दरजे अव्वल अता हुयेहों और लोकलगवर्नमेण्ट

×दरख़सूस अख़्तियारात मजिस्ट्रेटके अपरब्रह्मामें—देखो क़ानून७ सन्१८८६ई०के ज़मीमे की दफ़ा६— मगर दरख़सूस रिआयाय बृटानिया अहलयूरोपके देखो दफ़ा२२—ऐज़न,

की तरफ़से अख्तियार दियागया हो मजाज है कि जरायम मुफ़-स्सिलै जैल में से कुल या जुज्वकी तजवीज बतौर सरसरीकरे॥

[अलिफ]--वह जरायम जिनकी सजा मौत या हब्स बउबूर दरियायशोर या छः महीने से जियादह मीआदकी न हो॥

[बे]--जरायम जो हस्ब दफ़ा २६४ व २६५ व २६६ ऐक्ट४५सन१८६०ई०, मजमूये ताज़ीरातहिंदके वज़न और पैमानोंसे मुतअल्लिक़ हैं॥

[जीम]--ज़ररपहुँचाना हस्बदफ़ा३२३ मजमूये ताजीरातहिंद॥

[दाल]--सिरकाहस्ब दफ़ा३७९ या ३८० या३८१ मजमूयेमज़कूर जबकि माल मसरूक़ा की मालियत ५०) रु०सेजियादहनहो॥

[हे]--मालमसरूक़ाका लेना या पासरखना हस्बदफ़ा४११ मजमूये मज़कूर जबकि मालियत माल मज़कूरकी ५०) रु० से जियादह न हो॥

[वाव]--मालमसरूक़ाके पोशीदारखने या अलाहिदाकरने में मददकरनी हस्बदफ़ा ४१४ मजमूये मजकूर जब मालियत माल मजकूरकी५०) रु०से जियादह न हो॥

[जे]--नुकसानरसानी हस्बदफ़ा ४२७ मजमूये मजकूर॥

[हे]--मदाखिलत बेजाबखाना हस्बदफ़ा४४८मजमूयेमज़कूर॥

[तो]--तौहीनबइरादे इश्तआलतबा बगरज़ नुक्ज़अमन् हस्ब दफा ५०४ और तखवीफ मुजरिमाना हस्ब दफा ५०६ मजमूये मजकूर॥

[ये]--अआनत किसीजुर्मकी मिंजुम्लाजरायममुतजाक्किरैसदर॥

[काफ]--इकदामाकिसी जुर्मका मिन्जुमला जरायममुतजाक्किरै सदर जब ऐसा इकदाम भी जुर्महो॥

मगरशर्त्त यहहै कि कोई मुकद्दमा जिसमें मजिस्ट्रेट जिला वह अख्तियारात खास अमलमें लाये जो अजरूयदफा ३४ के अता हुयेहैं सरसरी तौरपर तजवीज न कियाजायगा॥

दफा २६१--लोकलगवर्नमेंएट मजाजहै कि मजिस्ट्रेटोंके किसी

उन मजिस्ट्रेटोंके बेंच को अख्तियार अताकरना जिनको कमतरअख्तियार बख्शा गयाहै, बेंच यानी इजलासको जिसको मजिस्ट्रेट दर्जै दोम या दर्जै सोमके अख्तियारात अताहुये हों इसबातका अख्तियार अताकरे कि वहकुल जरायम मुफस्सिलै जैल या उनमें से किसी की तजवीज बतौर सरसरी करै ॥

[अलिफ]--जरायम बखिलाफवरज़ी मजमूये ताजीरातहिन्द की दफआत २७७ व २७८ व २७९ व२८५ व २८६ व २८९ व २९० व २९२ व २९३ व २९४ व ३२३ व ३३४ व ३३६ व ३४१ व ३५२ व ४२६ व ४४७॥

[बे]--जरायम बखिलाफ वरजी ऐक्टहाय म्युनिसिपेल व दफआतसफाई मुन्दर्जै ऐक्टहायपुलिस जिनकीसजासिर्फ जुर्मानाया कैदवास्ते किसी मीआदकेजो एकमहीनेसे जियादहनहो मुकर्ररहै॥

[जीम]--किसीजुर्म मुफस्सिलै सदरकी अआनत ॥

[दाल]--किसी जुर्म मुफस्सिलै सदरका इकदामकरना जब ऐसाइकदाम करनाभी जुर्महो ॥

दफा२६२—जो मुकद्दमात इसबाबके मुताबिक तजवीज किये

मुक़द्दमात लायक़ इज रायसम्मनमें औरमुक़द्दमात लायक़ इजरायवारंटमेंजाबिताजो मुतअल्लिक़होसकेगा, जायँ अगर मुकद्दमालायक इजराय सम्मन होतो वही जाबिताजो मुकदमात लायक इजरायसम्मनके लिये मुकर्रर हुआहै मरईरहेगा और अगर मुकद्दमात लायक इजराय वारंट हों तो वही जाबिता जो मुकद्दमात लायक इजराय वारंट के लिये मुकर्रर हुआ है अमल में आयेगा बजुज उस सूरत के जिसका आयन्दा जिक्र कियाजायगा ॥

किसी मुकद्दमे में जिसमें हस्ब शरायत बावहाजा जुर्म साबित

क़ैदकी हद्द, करार पाये कोई सजा कैदकी तीन महीने से जियादह मीआदके लिये तजवीज न कीजायगी ॥

दफा २६३—जिन मुकद्दमात में कि अपील जायज नहीं है

रिकार्ड उन मुक़द्दमात में जिनका अपील नहो, मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेटों के बेंच यानी इजलास को जरूरनहीं है कि गवाहोंकी शहादत क-

लम्बन्द करे या फर्द करारदाद जुर्म बाजाबिता मुरत्तिबकरे मगर ऐसे मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेटों को लाजिमहै किएक ऐसे फार्म यानी रजिस्टर में जिसकी लोकलगवर्नमेण्ट हिदायतकरे मरातिब मुफस्सिलै जैल मुन्दर्ज करते रहें ॥

[अलिफ]– नम्बर सिलसिलेवार ॥

[बे]– तारीख इर्त्तिकाब जुर्म ॥

[जीम]– तारीख रिपोर्ट या इस्तगासा ॥

[दाल]– नाम मुस्तगीस का अगर कोई हो ॥

[हे]– शख्स मुल्जिमकानाम बकैदवल्दियत व सकूनत ॥

[वाव]– जुर्म जिसका इस्तगासा कियागया या जो साबित हुआ अगर कुछहो—और उन सूरतों में जोदफा २६० की जिम्न [दाल] व [हे] व [वाव] से मुतअल्लिकहों मालियत उस जायदादकी जिसकी बाबत जुर्म सरजद हुआ ॥

[ज़े]–शख्स मुल्ज़िमका उज्र और उसका इज़हार अगर कुछ लिखागयाहो ॥

[हे]– तजवीज़ और दरसूरत साबित करारपाने जुर्म के मुख्तसिर कैफ़ियत वजूह तजवीज़की ॥

[तो]–हुक्मसज़ा या दीगरहुक्म अखीर ॥

[ये]–काररवाईके खतमहोनेकी तारीख ॥

दफ़ा २६४—हरमुक़द्दमेमें जो किसीमजिस्ट्रेट या बेंचकी मारफ़त बतौर सरसरी तजवीज़ कियाजाय जब उस तजवीजसे अपीलकरना जायजहो मजिस्ट्रेट या बेंच मजकूरको लाजिमहै कि क़ब्ल सादिरकरने हुक्म सजाके एकतजवीज बइन्दराज खुलासा वजह सुबूतके जिसकी बिनापर जुर्म साबित करारपायाहो और नीजमरातिब मुन्दर्जै दफ़ा २६३ के कलम्बन्दकरे ॥

रिकार्ड उनमुक़द्दमात में जो लायक़ अपीलहैं,

तजवीज़मजकूर उनमुक़द्दमातमें जो इसदफ़ासे मुतअल्लिक़ हों सिर्फ़ एकहीकाग़ज़ मिसलका होगी ॥

रिकार्डऔरतजवीजकि सजबानमेंलिखीजायगी,

दफ़ा२६५– इबारत मुन्दर्जै रजिस्टर हस्बदफ़ा २६३ और तजवीज़ात महकूमादफ़ा २६४ जबानअंगरेजी या अदालतकी जबानमें हाकिम इजलासकुनिन्दैके हाथसे लिखीजायँगी या अगर वह अदालत जिसकाहाकिम इजलासकुनिन्दा ऐनमातहतहो हिदायतकरे हाकिम मजकूर की जबान खासमें लिखीजायँगी ॥

क्लार्कके मामूरकरने के लिये बेंचको अख्तियार दियाजासक्ताहै,

लोकलगवर्नमेंट मजाज़ है कि ऐसे मजिस्ट्रेटों के बेंचको जो जरायमकी तजवीज सरसरी करने के मजाज हों इसबातका अख्तियारदे कि इबारत मुन्दर्जै रजिस्टर या तजवीज मुतजक्किरै सदरको ऐसे ओहदेदारके हाथसे लिखवाये जो उसअदालतके हुक्मसे जिसका वहबेंच बिला तवस्सुत मातहतहो उसकामके लिये मुक़र्ररकिया जाय पस उस इबारत या तजवीजपर जो इसतौरसे मुरत्तिबहो उसबेंचके हरमजिस्ट्रेट के दस्तखत होंगे जो उस काररवाई में शरीक रहाहो ॥

बाब २३ ॥

बाबत तजवीज़ मुकद्दमात बहुजूर हाईकोर्ट और अदालत सिशन *

(अलिफ)———इब्तिदाई ॥

हाईकोर्टकीतारीफ,

दफ़ा२६६–इसबाबमें बजुज×दफ़आत२७६व३०७×के लफ्ज "हाईकोर्ट"से वहहाईकोर्ट आफ़जुडिकेचर मुरादहै जो बमूजिब ऐक्ट पार्लीमेण्ट मुसद्दिरै सन् २४ व २५ जलूस मलकामुअज्जिमा विक्टोरिया बाब १०४ मुक़र्ररहुई है या आयन्दा मुक़र्रर कीजाय और उसमें मुल्क पंजाब की चीफ़कोर्ट

---

* अपरब्रह्माकी अदालतहाय सिशनके बारेमें कानून७-- सन्१८८६ई० के जमीमेकी दफा ३ मगर रिआयाय बृटानिया अहल यूरोप के बारेमें दफा२२-- एजनदेखो—

×–×दफा२६६ में यहअल्फाज बएदाद ऐक्ट१० सन्१८८६ई० की दफा८की रूसे साबिक लफ्ज व एदाद की एवज क़ायम कियेगये हैं,

×औरअदालत साहबरिकार्डररंगून×और ऐसीऔरऔरकोर्ट यानी अदालतें शामिल हैं जिनको जनाब नव्वाबगवर्नरजनरलबहादुर बइजलासकौंसल वक्तन् फ़वक्तन् बज़रिये इश्तिहार मुन्दर्जै गज़ट आफ़इण्डियाके इसबाबकी अग़राज़के लिये हाईकोर्ट क़रारदें ॥

दफ़ा२६७– तमाम मुकद्दमातकी तजवीज़ जो इसबाब के बमूजिब हाईकोर्टके रूबरूहो बज़रिये अहाली जूरीके होगी ॥

हाईकोर्टके रूबरू तजवीज़ात बज़रिये जूरीके होगी,

और गोकि इसमजमूयेकी किसीदफ़ामें कोई और मजमूनहो जुमला मुकद्दमात फौजदारी में जो इसमजमूये के बमूजिब या बमूजिब फरमानशाही मुतअल्लिके किसीअदालत हाईकोर्टके जो बमूजिब ऐक्ट पार्लीमेण्ट मुसद्दिरै सन्२४ व २५ जलूसमलका-मुअज़्ज़मा विक्टोरिया बाब १०४ के मुकर्रर हुईहै किसी हाई-कोर्ट में मुन्तकिल कियेजायँ जायज़ है कि उनकी तजवीज अगर हाईकोर्ट हिदायत करे बजरिये अहाली जूरी के अमलमें आये ॥

दफा २६८—तमाम मुक़द्दमातकी तजवीज़ जो किसी अदा-लत सिशन के रूबरू अमलमें आये बज़रिये अहाली जूरी या बअआनत असेसरों के की जायगी ॥

अदालत सिशनके रूबरू तजवीज़ात बज़रिये जूरीया बअयानत असेसरों के होगी,

दफा २६९—लोकलगवर्नमेण्ट मजाज है कि बजरिये हुक्म मुन्दरजै गजट सरकारी के यह हिदायत करे कि तजवीज जुमला जरायम या किसी खास किस्म के जरायम की रूबरू किसी अदालत सिशनके किसी जिलेमें बजरिये जूरीके होगी औरइस बातकी भी मजाजहै कि वक्तन् फवक्तन् ऐसेहुक्मकोमन्सूख या तब्दीलकरे ॥

लोकलगवर्नमेण्टहुक्म करसक्ती है कि अदालत सिशनकेरूबरू तजवीज़ात बज़रिये जूरीके हों,

*जब मुलज़िम एकही मुक़द्दमे में ऐसे मुतअद्दिद जरायमकी

×—×यहअलफाज ऐक्ट११ सन्१८८९ई० की दफा१०कीरूसे मुदर्जकियेगयेहैं,

* दफा २६९ का दूसरा फ़िकरा ऐक्ट १० सन् १८८६ ई० की दफ़ा ९ की रूसे साबिक फ़िकरे के एवज क़ायमकियागया,

×यह फ़ोटनोट जिस इबारत से मुतअल्लिक है वह किसी कदर सफा १४९ में भी है,

इल्लतमें माखूज हो जिनमें से बाजलायक तजवीज बजरिये जूरी हों और बाज ऐसेनहों तो जरायम मजकूर में से उन जरायम की बजरिये जूरीके तजवीज की जायगी जो बजरिये जूरी के लायक तजवीज हैं और उनमें से उन जरायमकी बजरिये अदालत सिशन बमदद ऐसे जूरोंके जो बहैसियत असेसर के हों तजवीजकी जायगी जो लायकतजवीज बजरिये जूरी नहीं * ॥

हर मुकद्दमा में नालिश की कारवाई मारफतकिसीपैरोकार सरकारी के होगी,

दफ़ा २७०—हर मुक़द्दमे में जो अदालत सिशन के रूबरू तजवीज कियाजाय जरूर है कि नालिश की कार्रवाई मारफतकिसीपैरोकारसरकारीकेहो॥

(बे) आगाज कार्रवाई ॥

शुरू तजवीज,

दफा २७१—जब अदालत मुकद्दमे की तजवीज करने पर मुस्तैद हो तो शख्स मुल्जिम उसके रूबरू हाजिर होगा या हाजिरकियाजायगा और फर्द करारदाद जुर्म अदालतमें पढ़ी और उसको समझा दीजायगी और उससे इस्तफ्सार किया जायगा कि तुम जुर्म करारदादह के मुर्त्तकिब हुयेहो या तजवीज कियाजाना चाहतेहो ॥

जवाब मुश्तहर मुजरिमयत,

अगर शख्स मुल्जिम बजवाब उसके अपनेतईं मुजरिम करार दे तो उसका जवाब कलम्बन्द किया जायगा और जायज है कि उसकी बुनियाद पर नामबुरदाकी निस्बत तजवीज अस्बात जुर्म अमलमें आये ॥

जवाब देनेसे इन्कार करना या तजवीजकियेजानेका दावाकरना,

दफा २७२—अगर शख्स मुल्जिम जवाब देने से इन्कार करे या जवाब न दे या तजवीज कियेजानेका दावा करे तो अदालत हस्ब हिदायात मुंदर्जै जैल अहाली जूरी या असेसरोंको मुंतखिब करके मुकद्दमे की तजवीज शुरूअ करेगी ॥

मगर शर्त यह है कि बमलहूजी इस्तेहकाक पेशकरने एतराज

एकहीजूरीया एकहीजमाअतअसेसरानकेजरियेसेचद मुल्जिमोंकीतजवीजएकेबाददीगरे अमलमें आसक्तीहै,

के जो आयन्दा मजकूरहै जायजहै कि एकही अहाली जूरी या एकही जमाअतअसेसरों की उसकदर अशखास मुल्जिम के मुकद्दमातकी तजवीज में तदरीजन् मसरूफहो या अआनतकरे जो अदालत को मुनासिब मालूम हो ॥

दफा २७३–जिन मुकद्दमात की तजवीज हाईकोर्ट के रूबरू

फर्द करारदाद जुर्ममें इल्जाम गैरकाबिलसुबूत का मुंदर्ज होना,

हो जब हाईकोर्ट को शख्स मुल्जिम की तहकीकात व तजवीजके शुरूअ होने से पहिले किसी वक्त परमालूम हो कि कोई इल्जाम या जुज्वइल्जाम सरीह गैरकाबिल सुबूत है तो जजको अख्तियार है कि फर्द करारदाद जुर्म में यह हाल दर्ज करे ॥

ऐसे हालकी फर्द करारदाद जुर्म में दर्ज होने से यह नतीजा

इन्दराज की तासीर,

होगा कि कार्रवाई आयन्दा बाबत जुर्म करारदादह या जुज्व जुर्म करारदादह के जैसा मौका हो मुल्तवी होजायगी ॥

[जीम] बाबत इन्तिख़ाब जूरी ॥

दफा२७४––उन मुकद्दमात में जिनकी तजवीज हाईकोर्टके

अहालीजूरीकी तादाद,

रूबरू हो जूरी में९ नौ अशखास शरीक होंगे ॥

मुकद्दमात लायक तजवीज अदालत सिशनमें जो बजरिये जूरी के तजवीजहों जूरीमें उसकदर अशखास बअददताक शरीकहोंगे जो ३ तीनसेकम और ९ नौसे जियादह न हों औरजो लोकलगवर्नमेंट बजरियेहुक्म मुतअल्लिके किसीजिलेखास या किसी खासअकसाम जरायम मौकूये जिले मजकूरके वक्तन्फवक्तन् मुकर्रर फरमाये ॥

दफा २७५–जब ऐसेशख्सकी तजवीज अदालत सिशनमें अ-

जूरी वास्ते तजवीज उन अशखास के अदालत सिशनकेरूबरू जोअहलयूरोपयाअहलअमरीकानहों,

हालिजूरीके जरियेसेहो जो अहल यूरुप या अहल अमरीका नहो तो लाजिमहै कि अगर शख्स मुल्जिम दरख्वास्तकरे तो तादादकसीर अहल जूरीमें ऐसे अशखास शामिल किये जायँ जो न अहलयूरुप हों न अहल अमरीका ॥

२७६—मुकद्दमेके अहाली जूरी बजरिये कुरआअन्दाजी उस तौरपर जिसकी अदालत हाईकोर्ट वक्तन् फवक्तन् बजरिये कायदे के हिदायत करे उन अशखासमें से मुन्तखिब किये जायँगे जो जूरीका कामदेने के लिये तलबकिये गयेहों ॥

अहाला जूरी बजरिये कुरआअन्दाजीके मुंतखिब किये जायंगे,

मगर शर्त्त यह है कि ॥

अव्वलन् ताइजराय कवायद हस्ब दफै हाजा वास्ते किसी अदालत के उसतरीकै इन्तखाब अहालीजूरीकी पाबंदी कीजायगी जो उस अदालत में बिल्फैल जारी हो ॥

मौजूदह तरीकाकाबरकरार रहना,

सानियन्--दरसूरत गैरकाफी होने तादाद अशखास तलब शुदहके जायजहै कि अहालीजूरी बतादाद मतलूबा बादहुसूल इजाजत अदालत के उनदीगर अशखासमेंसे जो हाजिरहों मुन्तखिब किये जायँ ॥

जोअशखास तलब नकिये जायँ वहकबमुस्तहक होंगे,

सालिसन्— बलादप्रेजीडंसीमें ॥

[अलिफ] अगरशख्स मुल्जिमपर ऐसे जुर्मके इर्त्तिकाब का इल्जाम लगायाजाय जिसकी सजामौत मुकर्ररहै—या ॥

खास अहालीजूरीके रूबरू तजवीजात,

[बे] अगर किसी और मुकद्दमे में हाईकोर्ट का हाकिम इसतरह हिदायतकरे ॥

तो अहालीजूरी उस फेहरिस्त खास अशखासजूरी से मुन्तखिब किये जायँगे जो आयन्दा मुकर्रर की गई है ॥

दफा२७७—उसीवक्त जब एक २ अहलजूरी मुंतखिब होताजाय उसकानाम बआवाजबलंद पुकाराजायगा और उसके हाजिर होनेपर शख्स मुल्जिमसे पूंछाजायगा कि वह उस अहलजूरीके मारफत अपने जुर्म की तजवीज कराने पर कुछएतराज रखता है यानहीं ॥

अहाली जूरीकेनाम पुकारेजायँगे,

जायजहै कि उसवक्त एतराज निस्बत ऐसे अहलजूरी के तरफ से शख्स मुल्जिम या शख्स पैरोकार मुकद्दमे

अहाली जूरीकी निस्ब

त एतराज, के किया जाय और वजूह एतराजका बयानकरना लाजिम होगा ॥

मगरशर्त्त यह है कि अदालत हाईकोर्ट में शख्स पैरोकार मिन्-

एतराज़ व बिलापेश करने जानिब सरकारको आठमर्तबह बिलापेशकरने

वजूहके, वजूहके एतराज करनेका इस्तहकाक होगा और शख्स मुल्ज़िम या जुमला अशखास मुल्ज़िमकी तरफसेभी आठ मर्तबह एतराज करना जायजहोगा ॥

दफा२७८—जब कोई एतराजनिस्बत किसी अहलजूरीके

एतराज की वजूहात बराबिनाय किसी वजह मिन्जुमला वजूहमुन्द जैजैल के पेश कियाजाय तो अगर वह हस्ब इतमीनान अदालत साबित हो वह एतराज मंजूर किया जायगा ॥

[अलिफ] अहलजूरी के दिल में कुछ जानिबदारी क़यासी या वाक़ई का होना ॥

[बे] कोई वजहजाती मसलन् गैरमुल्क का बासिन्दा होना या अदम मौजूदगी ऐसी लियाकत की जो किसी कानून या ऐसे कायदे मजारिया वक्तकी रूसे जो हुक्म कानूनका रखताहो अहल जूरी के लिये जरूर हो या२१ इक्कीस बरस से कम या साठ बरस से जियादह उम्रका होना ॥

[जीम] अजरूय आदत कदीमी या बपाबन्दी किस्म मजहबीके तमाम मुआमलात दुनियवी की फिक्रसे किता तअल्लुक करना ॥

[दाल] अदालत में या अदालत के जेरहुकूमत किसी ओहदे पर मामूर होना ॥

[हे] खिदमात पुलिस की तामील में मसरूफ होना या खिदमात पुलिस का उसके सिपुर्द रहना ॥

[वाव] उसपर ऐसे जुर्मका साबित होना जो अदालतकी राय में उसको जूरीपर बैठने के गैरकाबिल करदेता है ॥

[जे] नाकाबिलियत समझने उस जबानकी जिसमें शहादत अदाकीजाय या जब शहादतका तर्जुमा दूसरी जबानमें कियाजाय तर्जुमेकी जबानका न समझसकना ॥

[हे] कोई और अम्र जो अदालत की दानिस्तमें उसको जूरी पर बैठने के गैरलायक करदेता है ॥

दफा २७९—हर एतराज जो किसी अहलजूरी की निस्बत कियाजाय फैसला उसकाअदालतसे होगा और अदालत का फैसला कलम्बन्द कियाजायगा और नातिकहोगा ॥

एतराज का फैसला,

अगर एतराज मंजूर कियाजाय तो उस अहलजूरी की जगह जिसपर एतराजहुआहो एक और अहलजूरी जो सम्मनके हुक्मके बमूजिब हाजिरहो और मुताबिक तरीकै मुकर्ररह दफा २७६ मुन्तखिबहुआ हो मामूर कियाजायगा या अगर ऐसादूसरा अहलजूरी हाजिर न हो तो उस जगह पर कोई और शख्स कायम किया जायगा जो अदालत में हाजिर और जिसका नामजूरी की फेहरिस्तमें मुन्दर्जहो या जिसको अदालत जलसैजूरीमें शरीक होनेके लायक समझे बशर्तेकि कोई एतराज निस्बत मामूरी ऐसे अहल जूरी या गैर शख्स के दफा २७८ के मुताबिक पेशहोकर मंजूर न कियागया हो ॥

उसअहलजूरी की जगह पर जिसकी निस्बतएतराज कियाजाय और शख्स कामामूरहोना,

दफा२८०—जब अहाली जूरी मुन्तखिब हो लें तो उनको लाजिम है कि अपनी जमाअत में से एक शख्स को मीर मजलिस मुकर्रर करें ॥

अहाली जूरी का मीरमजलिस,

मीर मजलिसको लाजिम है कि अहाली जूरी के मुबाहिसोंमें सदरनशीनहो और जूरीकी राय जाहिर करे और अगर अहाली जूरी या किसी अहलजूरी को कुछ पूछना मंजूर हो तो अदालतसे इस्तिफ्सारकरे ॥

अगर अक्सरीन अहाली जूरी उसमीआदके अन्दर जो हाकिम अदालत के नजदीक माकूल मालूमहो किसी मीरमजलिस के तकर्रुर पर मुत्तफिक न हों तो वह अदालत की तरफ़से मुकर्रर कियाजायगा ॥

दफा२८१—जब मीर मजलिस मुकर्रर होले तो अहाली-

अहाली जूरीको हलफ देना, ऐक्ट१०सन१८७३ई०

जूरी को हलफ़ हस्ब अहकाम ऐक्ट हलफ़ मुतअल्लिके हिन्द मुसद्दिरै सन् १८७३ ई० के दिया जायगा॥

ज़ाबितानर्बाकिअहलजूरी ह़ाजिरी मौकूफ़करे वगैरह,

दफ़ा २८२—अगर कोई मुकद्दमा किसी जूरीके रूबरू पेश हो और किसी वक्तपर जूरीकी राय जाहिर होने से पहिले कोई अहलजूरी किसी वजह काफ़ी से तजवीजके वक्त अज इब्तिदा ताइन्तिहा हाजिर रहने से माज़ूर होजाय या अगर कोई अहलजूरी गैर हाजिर होजाय और उसको जबरन् हाजिर कराना गैरमुमकिन हो या अगर मालूम हो कि कोई अहलजूरी उस जबानसे नावाकिफ़ है जिस में शहादत दीगई या जब शहादत का तर्जुमा सुनायाजाय तर्जुमे की जबानसे नावाकिफहै तो कोई शख्स जदीद जूरीमें शामिलकियाजायगा या अहाली जूरी बरखास्त होकर जूरी जदीद मुकर्रर की जायेगी॥

ऐसी हर सूरतमें तजवीज अजसरेनौ शुरूअकीजायगी॥

कैदीकीबीमारीकीसूरतमें जूरीको रुख़सतकरदेना,

दफा२८३—हाकिम अदालतको उस सूरतमें भी अहालीजूरी के रुख्सत करनेका अख्तियार है जब कि कैदी कटेहरा के आगे खड़ेरहने से माज़ूरहोजाय॥

[दाल]— इंतिखाब असेसरान॥

असेसरानक्योंकर मुंतखिब कियेजायेंगे,

दफा २८४—जब मुक़द्दमेकी तजवीज बअआनत असेसरान होनेवाली हो दो या जियादह असेसरजिस कदर हाकिम अदालतको मुनासिब मालूमहों उन अशखासमेंसे मुन्तखिब कियेजायँगे जो असेसरका कामदेने के लिये तलबहुयेहों॥

ज़ाबिता जबकि असेसर ह़ाजिर न होसके,

दफा२८५—अगर दरअस्नाय तजवीज किसी मुकद्दमेके जो बअआनत असेसरान अमलमेंआये किसीवक्त परराय अखीर से पहिले कोई असेसर किसी वजह काफीसे इब्तिदा से इन्तिहाय तहकीकाततक हाजिर रहने से माजूरहोजाय या गैरहाजिरहोजाय और उसका जबरन्

हाज़िरकराना गैरमुमकिनहो तो मुकद्दमेकी तजवीज दूसरेअसेसर या असेसरोंकी मददसे जारी रहेगी ॥

अगर तमाम असेसरलोग हाज़िरहोनेसे मजबूरहोजायँ या हाज़िर होनेमें कसूरकरें तो काररवाई मुकद्दमेकी मुल्तवीकीजायगी और नये असेसरोंकीमददसे मुकद्दमाअजसरेनौ तजवीजकियाजायगा ॥

[ह] तजवीज ताइख्तितामकाररवाई हाय मुद्दई व मुद्दआअलेह ॥

दफा २८६—जब अहालीजूरी या असेसरान मुन्तखिब हो लें

शुरूअदैरवीइस्तगासा, शख्स पैरोकार इस्तगासाको चाहिये कि अपना बयान इसतरह शुरूअकरे कि मजमूये ताजीरातहिन्द या किसी औरकानूनसे वहइबारतपढ़े जिसमें जुर्म करारदादहकी तशरीह हो और इसअम्रका मुख्तसिर बयानकरे कि किस वजह सुबूतसे उसको मुस्तगासअलेहपर जुर्मसाबितकरनेकी उम्मेदहै ॥

तब पैरोकार मजकूर अपनेगवाहोंका इजहारकरायेगा ॥

गवाहोंकाइजहार,

दफा २८७—शख्स मुलजिमका इजहार जो मजिस्ट्रेट सिपुर्द

मजिस्ट्रेटके रूबरूइजहार शख्स मुलजिमका वजहसुबूतहोगा,

कुनिन्दहके कलमसे या उसकेरूबरू हस्बजाबिता लिखागया हो पैरोकार मजकूरकी तरफ से दाखिलकियाजायगा और वह बतौर वजह सुबूत के पढ़ाजायगा ॥

दफा २८८—जायजहै कि शहादत किसीगवाहकी जो हस्बजा-

तहकीकात दाखिलदाई में जो शहादत गुजरे वह मकबूलहोगी,

बिते शख्स मुलजिमके मवाजहमें और मजिस्ट्रेट सिपुर्दकुनिन्दहके रूबरू लीगईहो अगर राय हाकिम इजलासकुनिन्दाकी मुक़जीहो और वह गवाह पेश कियाजाय और उसका इजहार लियाजाय बतौर सुबूत के मुक़द्दमे में तसव्वर की जाय ॥

दफा २८९—जब इजहार गवाहान जानिब मुस्तगीस और

जाबिता बाद इजहार गवाहान जानिब मुस्तगीस के, बयान मुस्तगास अलेह (अगर कुछ हुआहो) खतम होजाय तो शख्स मुल्जिम से यह पूछा जायगा कि उसको शहादत पेश करनी मंजूर है या नहीं ॥

अगर वह जवाब दे कि शहादत पेश कराना मंजूर नहीं है तो शख्स पैरोकार को अख्तियार है कि अपने बयान का खुलासा जाहिर करे और अगर अदालत को यह गुमान हो कि किसी सुबूतसे साबित नहींहै कि मुल्जिमसे जुर्म सरजद हुआ तो उसको अख्तियार है कि अगर मुकद्दमे की तजवीज असेसरों की मददसे हुईहो अपनीतजवीज कलम्बन्दकरे या अगरमुकद्दमेकी तजवीज अहाली जूरी की अआनत से हुईहो अहाली मजकूर को हिदायत करे कि अपनी राय मुशअर बेगुनाही मुस्तगासअलेहके जाहिरकरें ॥

अगर शख्स मुल्जिम या अशखास मुल्जिममें से एकशख्स (जबकि कई मुल्जिमहों) यहजवाबदे कि उसको शहादतपेशकरानी मंजूरहै—और अदालतके नजदीक कुछसुबूत इसअम्रका न हो कि मुल्जिमसे जुर्मकरारदादह सरजदहुआ तो अदालत मजाजहै कि अगर मुकद्दमेकी तजवीज ब अआनत असेसरानहोतीहो तजवीज मुशअरबरियत मुद्दआअलेहके कलम्बन्दकरे याअगर मुकद्दमा की तजवीज मारफत जूरीके होती हो तो जूरीको हिदायतकरे कि वह मुद्दआअलेहकी बरियतकी रायदे ॥

अगर शख्स मुल्जिम या जब चन्द मुल्जिमहों कोईएक मुल्जिम उज्रकरे कि हमको शहादतदेनीमंजूरहै और अदालतके नजदीक सुबूत इसअम्रका पायाजाय कि उससे जुर्म सरजदहुआहै या अगर उसके इस उज्रपर कि हमको शहादतदेनी मंजूरनहींहै पैरोकार सर्कार अपनेबयानका खुलासा जाहिरकरे और अदालतकी यहरायहो कि मुल्जिमसे जुर्म सरजदहोनेका सुबूतपायाजाता है तो अदालत शख्समुल्जिमको हुक्मदेगी कि अपनीजवाबदिहीकरे

दफा २९०--तब शख्स मुल्जिम या उसके वकीलको अख्तियारहै कि अपनी जवाबदिही शुरूअकरे और उन

जवाब,

वाकिआत याकानूनको जाहिरकरे जिसपर वहइस्तिदलालकरनेका इरादारखताहो और सुबूतमदखला जानिब मुद्दईकीनिस्बत जिस कदर जिरहकरनी जरूरसमझे करे उसकेबाद उसको अख्तियारहै कि अपने गवाहोंका इजहार कराये(अगर गवाह कुछहों) और बाद होने सवालात जिरह और सवालात मुकर्ररबताईद जवाबदिहीके (अगर कुछहों) अपने जवाब का खुलासा बयानकरे॥

मुल्जिमका दूसरे हक्काक दरख्वास्त इजहार और तलबी गवाहोंके,

दफा२९१--शख्स मुल्जिमको अख्तियारहै कि किसी ऐसेगवाहका इजहारकराये जिसको उसने पहिले नामजद न कियाहो मगर जो अदालतमें हाजिरहो इल्लाउसको इस्तहकाकन यहअख्तियार न होगा कि सिवाय उससूरतके जो दफ़आत २११ व २३१ में मजकूर है अलावह गवाहान मुन्दर्जे उस फेहरिस्तके जो उसने मजिस्ट्रेट सिपुर्दकुनिन्दह मुकद्दमाको हवालेकी थी किसीऔर गवाह को तलबकराये॥

पैरोकार नालिशका हक़जवाब,

दफ़ा२९२--अगर शख्स मुल्जिम या अशखासमुल्जिम मेंसे किसीने यहबयानकियाहो जबकिदफा२८९केबमूजिब उससे दरियाफ्त कियाजाय कि वह सुबूत पेशकियाचाहता है तौ शख्सपैरोकार नालिश उसका जवाबदेने का मुस्तहक़होगा॥

अहालीजूरी याअसेसरोंका मुआयनाकरना,

दफा२९३-जबकभी अदालतकीरायमें यह अम्रमुनासिब मालूमहो कि अहालीजूरी या असेसरलोग उसमौकेको मुआयनाकरें जहां जुर्ममुबय्यना नालिशका सरज़दहोना जाहिर कियागयाहो या किसी और मुकामको मुआयनाकरे जिसमें किसीऔर अम्रमुवास्सिर तहकीकात वतजवीजमुकद्दमेका वाकेहोना जाहिरकियागयाहो तो अदालत उसी मजमूनकाहुक्म सादिरकरेगी औरअहालीजूरी या असेसरान्मजमूअन् किसी अहल्कार अदालतकी हवालगी में मुकाममजकूरपर पहुँचाये जायँगे और कोई शख्स जिसको अदालतने मामूर कियाहो उन को मौकामज़कूर मुआयना करायेगा॥

अहल्कार मज़कूरको लाज़िमहै इल्लाबइजाज़त अदालत कि किसी औरशख्सको अहालीज़ूरी या असेसरोंमें से किसी के साथ गुफ्तगू या किसीतरहकी मकालमत न करनेदे और जब मुआयना खतमहोले तो अहालीज़ूरी या असेसरलोग फौरन् अदालत में वापस पहुँचाये जायँगे इल्ला उस सूरत में कि अदालतसे कुछ और हिदायतहो ॥

अहलज़ूरी या असेसर का इज़हारलियाजाना,

दफा२९४—अगर कोई अहलज़ूरी या असेसर बज़ात खुद किसीअम्र वाके मुतअल्लिके मुक़द्दमासे वाकिफ हो तो उसको लाजिमहै कि उसहालसे हाकिमअदालतको मुत्तिलाअकरे वादउसके जायज है कि दूसरेगवाहों कीतरह उसको हलफदियाजाय और उसका इज़हारलियाजाय और उससे सवालात जिरह औरफिर सवालात ताईदीकियेजायँ॥

ज़ूरीयाअसेसरोंका उसरूज लास में हाज़िरहोनाजिस परतजवीजमुलतवीरहे,

दफा२९५—अगर तजवीज मुल्तवीकीजाय तो अहालीज़ूरी या असेसरोंको लाजिमहै कि जिसरोजपर इजलास मुल्तवीरक्खाजाय उस रोज़ और हर इजलास माबाद में ताइख्तिताम तजवीज़ हाजिरहुआकरें ॥

अहालीज़ूरीकोबन्दरखना,

दफा२९६— अदालत हाईकोर्टको अख्तियार है कि वक्तन् फवक्तन् जब तजवीज किसी मुकद्दमे मरज़ूये हाईकोर्टकी एकदिनसे जियादह अरसेतक जारीरहे अहालीज़ूरी को यकजारखनेकेलिये कवाअद मुंज़बितकरे और बपाबन्दी उन कवाअदके हाकिम इजलासकुनिन्दह इसबाबमें हुक्मदेसक्ताहै कि आया अहालीज़ूरी किसी अहल्कार अदालतके एहतमाममें यकजारक्खेजायँगे और क्योंकर यकजारक्खेजायँगे या उनको इजाज़त दीजायगी कि अपनेअपने घरकोचलेजायँ ॥

(बाब) खातमा तजवीज का उन मुकद्दमात में जो बज़रिये ज़ूरीके तजवीजहों ॥

ज़ूरीकोमुतनव्वाकरना,

दफा२९७—जिन मुकद्दमातकी तजवीज बज़रिये अहालीज़ूरी के हो जब मुकद्दमे की जवाबदिही और ...

की जानिबका जवाब (बशर्त्ते कि कुछहो) खतमहोजाय तो हाकिम अदालत अहालीजूरीको मुतनब्बाकरेगा और नालिश और जवाबदिही दोनोंकी शहादतके खुलासेको और उसकानूनको जाहिरकरेगा जिसके अहकाम के बमूजिब अहालीजूरी को कारबन्दहोनाचाहिये ॥

दफा२९८—ऐसे मुकद्दमातमें साहब जजको लाजिमहै—कि-

साहबजजकालाजिमा खिद्मत,

(अलिफ़)– तमाम कानूनी मुबाहिसातको जो दौरान तजवीजमें पैदा हों और खसूसन् तमाम मुबाहिसात को जो वाकिआत मिनूउलअसबात के मुतअल्लिक मुकद्दमा होने या न होने की निस्बत हों या शहादत के काबिल कबूल होने या न होने या फरीकैन के सवालात मुस्तिफसिरह के मुनासिब होने या न होने की बाबत हों तैकरदे और अपनी रायके मुताबिक शहादत नाकाबिलुल् कबूल को आम इससे कि फरीकैन उसपर मोतरिजहों या न हों पेश न होनेदे ॥

[बे]–तमाम दस्तावेजात जो बरवक्त तजवीज के सुबूत में दाखिलहों उनके मानी और मतलब का तस्फिया करदे ॥

[जीम]–तमाम उमूर मुतअल्लिकै वाकयाका फैसला करदे जिनका साबित करना इसलिये जरूरी हो कि किसी खासमरातिब का सबूत देना मुमकिन होजाय ॥

[दाल]–इस बातका फैसला करदे कि कोई खास मुबाहिसा जो पैदा हो खुद उसकी मारफत तैकियाजायगा या मारफत जूरी के और अम्र मजकूर की निस्बत उसका फैसला अहल जूरी पर वाजिबुल् तसलीम होगा ॥

हाकिम अदालत को अख्तियार है कि अगर मुनासिब समझे मुकद्दमेका खुलासा बयान करने के असना में किसी अम्र मुतअल्लिकै वाकया या किसी ऐसे अम्रकी निस्बत जिसमें अम्र कानूनी और अम्रमुतअल्लिक वाकयात मखलूत हों और मुकद्दमे से

तअल्लुक रखताहो अपनी राय अहलजूरी के रूबरू जाहिर करे ॥

तमसीलात ॥

[अलिफ]--बयान एक शख्सका जो मुकद्दमे में गवाह नहीं है इस बुनियाद पर साबित कराना मंजूर है कि ऐसे हालात मुकद्दमे में साबित हुये हैं जिनसे बयान मजकूर की बाबत शहादत लेनी जायज है ॥

पस हाकिम अदालत से इस अम्रका तस्फिया करना मुतअल्लिक है न अहालीजूरी से कि मौजूदगी उन हालात की साबित हुई है या नहीं ॥

[बे]--यह मंजूर है कि एक दस्तावेज जिसकी असलका गुम या तलफ होजाना जाहिर कियागया बजरिये अदखालसुबूत दर्जे दोमके साबित कीजाय ॥

पस इस अम्रका फैसलकरना हाकिम अदालत से मुतअल्लिक़ है कि असल दस्तावेज गुम या तलफ होगई है या नहीं ॥

दफ़ा २९९ अहालीजूरी से यह काम मुतअल्लिक हैं ॥

जूरीका लाजिमा खिद्मत,

[अलिफ]-यह तजवीज करना कि वाकयातमें से कौनसा पहलू सही है और बाद उसके वह राय देनी जो बलिहाज उस पहलू के हाकिम अदालत की हिदायत के मुताबिक जाहिर करनी मुनासिब है ॥

[बे]--तमाम इस्तलाहात [अलावा इस्तलाहात कानूनी के] और कलमात जो मानी गैर मुतआरिफमें मुस्तैमिल कियेजाते हैं और जिनके मानी के तअय्युनकी जरूरत वाके हो उनके मानी की तन्कीह करना आम इससे कि इसतरह के अल्फाज दस्तावेजात में हों या न हों ॥

[जीम]-- ऐसे तमाम अमूरका तजवीज करना जिनको अजरूय कानून के उमूर मुतअल्लिकै वाक़या तसव्वर करनाचाहिये ॥

[दाल]--इस अम्रका तस्फियाकरना कि इबारत आमाबिला तअय्युन किसी खास मुकद्दमात से मुतअल्लिक है या नहीं इल्ला उस

हालमें कि वह इबारत जाबिता कानूनी से मुतअल्लिकहो या उस हालमें कि उसके मानी कानूनन् मुअय्यन करदिये गये हों कि उनदोनों सूरतों में से हर एक में मानीका तजवीज करना हाकिम अदालतसे मुतअल्लिकहै ॥

तमसीलात ॥

(अलिफ़) - जैद की निस्बत मुक़द्दमा बाबत कत्ल अमद ब कर के ज़ेर तजवीजहै ॥

हाकिम अदालत का यह कामहै किकत्लअमद और क़त्लइन्सान मुस्तलजिम सजामें जो फ़र्क है अहाली ज़ूरीके रूबरू उस की तौजीहकरे--और उनसे कहदे कि वाकयात के फलां पहलू के एतबार से जैदको कत्लअमद या क़त्ल इन्सान मुस्तलजिम सजा का मुजरिम करारदेना चाहिये या उसकी बरियत होनीचाहिये ॥

इस अम्रका तजवीज करना अहलजूरी का काम है कि वाकयातका कौनसा पहलू सही है उसके बाद उनको साहबजजकी हिदायत के मुताबिक़ रायदेनी चाहिये आम इससे कि वह हिदायत सही हो या गलत और वह उस हिदायतमें उसकेसाथ इत्तिफ़ाक करते हों या नहीं ॥

(बे)--अम्रतस्फ़ियह तलब यह है कि फ़लां शख्सने फलां अम्र खासको एक माकूल तौरपर बावर किया या नहीं या यह कि फ़लां काम सलीके माकूल के साथ या बतन्दिही करारवाकई कियागया या नहीं ॥

हर दो अम्र मजकूरै सदर की तजवीज मुतअल्लिक ब अहालीजूरी है ॥

दफ़ा ३००—जिन मुकद्दमातमें जूरी की मददसे तजवीजकी जाय बाद उसके कि हाकिम अदालत की हिदायत खतम होजाय अहाली जूरीको अख्तियार है कि अपनीरायपर गौरकरनेके लिये अलाहिदाबैठें ॥

गौरकरने के लिये अलाहिदा बैठना,

बिला इजाजत अदालतके कोई शख्स अलावा अहलज़ूरी के

किसी अहलज़ूरीसे मुकालमत या किसी तरहकी मरासिलत न करने पायेगा॥

दफा ३०१—जब अहलज़ूरी अपनीरायपर गौरकरलें तो उन का मीरमजलिस अदालत को उनकीरायसे या कसरत रायसे मुत्तिलाअ करेगा॥

रायका सुनाना,

दफा ३०२—अगर अहालीज़ूरी मुत्तफ़िक़ुल् राय नहों तो हाकिम अदालतको अख्तियार है कि उनसेकहे कि फिर अलाहिदा जाकर गौरकरें और उसकदर असेंकेबाद जो बदानिस्त हाकिम अदालतमाकूल हो जायज है कि अहलजूरी अपनी राय जाहिर करैं गो वह लोग मुत्तफिकुल्राय न हों॥

नाबि॥ जब कि अहाली ज़ूरीके दरमियान इख्तिलाफहो,

दफा ३०३—बजुज उस सूरतके कि अदालत और नेहजपर हुकमदे अहाली जूरी तमाम इल्जामात की निस्बत जिनकी बाबत शख्स मुल्जिम की तजवीज होनीचाहिये अपनी राय जाहिर करेंगे और हाकिम अदालत मजाज है कि उनकी राय दरियाफ्त करने के लिये अहालीजूरी से ऐसे सवालात करे जो जरूर मालूम हों॥

हर हर इलजामकी बाबतराय दीजायेगी औरहाकिम ज़ूरीसेसवालकरसक्ताहै,

ऐसे सवालात और जवाबात जो उनकी बाबत दियेजायँ कलम्बन्द कियेजायँगे॥

सवाल और जवाब कलमबन्दकियेजायँगे,

दफा ३०४—जब इत्तिफाकन् या सहवन् कोई राय ग़लत जाहिर कीजाय तो अहाली जूरीको अख्तियार है कि उसके कलम्बन्द होनेसे पहिले या ऐनमाबाद उसके अपनी राय तरमीमकरें और बिल्आखिर वहराय जिस तौरसे कि तरमीम हुई हो उसी तौर से कायम रहेगी॥

रायकातरमीमकरना,

दफा३०५ जब किसी मुकद्दमे में जिसकी तजवीज हाईकोर्ट के रूबरूहो कुलअहाली जूरी मुत्तफिकुल्आरा हों या जब कि उनमें से छः अशखास जूरी की एकरायहो और हाकिम अदालत उनसे इत्तिफाक करे तो हाकिम

रायहाईकोर्ट में कब्भा लिखरहेगी,

मौसूफ अपनी तजवीज उस रायके मुवाफिक सादिर करेगा॥

अगर ऐसे किसी मुकद्दमे में अहाली जूरी को इतमीनान हो कि उन सबकीराय वाहिद न होगी मगर उनमेंसे छः अशखासकी एक रायहोजाय तो मीर मजलिस हाकिम अदालत को उसकी इत्तिलाअ करेगा॥

अगर हाकिम अदालत अहाली जूरी की कसरतरायसे इख्तिलाफकरे तो उसको लाजिम है कि फौरन् अहाली जूरीको रुख्सत करदे॥

और सूरतोंमें जूरी को रुख्सतकरदेना,

अगर अहाली जूरीमेंसे कमसेकम छः अशखास मुत्तफ़िकुल्राय न हों तो हाकिम अदालतको लाजिम है कि बाद इन्क़जाय उस क़दर अर्से के जो मुनासिब मालूम हो जूरी को रुख्सत करदे॥

दफ़ा ३०६—जब किसी मुकद्दमे में जिसकी तजवीज रूबरू अदालत सिशनके होतीहो हाकिम अदालत अहाली जूरी की राय या अशखास ग़ालिबुल्आराकी रायसे इख्तिलाफ राय जाहिर करना ज़रूरी न समझे तो वह अपनी तजवीज उनकी रायके मुताबिक सादिर करेगा॥

अदालत सिशन में कब राय गालिब रहेगी,

अगर शख्स मुल्जिम जुर्मसे बरीकियाजाय तो हाकिम अदालत तजवीज मशअर उसकी बरीयत के कलम्बन्द करेगा और अगर शख्समुल्जिम पर जुर्म साबित करारपाये तो हाकिम अदालत उसकी निस्बत वह सजा तजवीजकरेगा जो कानूनके मुताबिकहो॥

दफ़ा ३०७—अगर किसी ऐसे मुकद्दमे में सिशन जजअहाली जूरी या उनमें से अशखास गालिबुल्आराकी रायसे निस्बत कुल या बाज उन जरायमके जिनकी इल्लतमें शख्समुल्जिम की तजवीज की गई हो इस कदर इख्तिलाफ कामिल रखता हो कि हाकिम मौसूफ की दानिस्तमें बनजर मुक़जाय मादलतके मुकद्दमेका हाईकोर्ट में भेजना जरूर मालूमहो तो उसको लाजिम है कि मुकद्दमे को हाईकोर्ट में बादलिखने वजूह अपनी राय के भेजदे और जब जूरी की राय मशअर बरीयत मुल्जिमके हो तो यहरायजाहिर

ज़ाबिता जब कि सिशन जजरायसे इख्तिलाफ रखताहो,

करे कि मुल्जिम से कौनसा जुर्म उसकी दानिस्त में सरजदहुआ॥

जब कभी हाकिम अदालत इस दफा के बमूजिब मुकद्दमा हाईकोर्ट में भेजे उसको मुनासिब नहीं है कि तजवीज रिहाई मुल्जिमकी या तजवीज मशअर इसबात किसी जुर्म के मिन्जुम्ला उन जरायमके कलम्बन्द करे जिनकी बाबत शख्स मुल्जिमकी तजवीज हुई हो बल्कि उसको अख्तियार है कि शख्स मुल्जिम को फिर हिरासत में भेजे या उससे जमानत लेले॥

जब मुकद्दमा इसतौर से भेजाजाय जायज है कि उसके तैकरने में हाईकोर्ट उन अख्तियारात में से जोकि वह बसीगे अपील अमल में लासक्ती है किसी अख्तियार को अमल में लाये मगर हाईकोर्ट मजाज होगी कि शख्स मुल्जिम को किसी ऐसे जुर्म से बरी करे या उसपर जुर्म साबित करारदे जो अहाली जूरी बएतबार फर्द करारदाद जुर्मके जो उनके रूबरू रक्खीगई थी उसपर साबित करारदेसक्तेथे-औरअगर उसपर जुर्म साबित करार दे तो मुल्जिम की निस्बत उसकदर सजा तजवीज करे जो उसकी निस्बत अदालत सिशन से तजवीज होसक्तीथी॥

(ज्ञे)–तजवीज मुकर्रर मुल्जिम की बाद रुख्सत होने अहाली जूरी के॥

दफा३०८–जब अहाली जूरी रुख्सत होजायँ तो शख्समुल्जिम हिरासतमें या हाजिर जामिनी पर रक्खाजायगा यानी जैसीसूरतहो--और उसकी तजवीज बजरिये दूसरी जूरीके अमलमें आयेगी बजुज उससूरत के कि हाकिम की दानिस्तमें तजवीज जदीद होनी मुनासिब न हो--किउस सूरत में हाकिम अदालत को लाजिम होगा कि फर्द करारदाद जुर्मपर उस मजमूनको तहरीरकरदे और ऐसी तहरीर असर बरीयत कापैदाकरेगी॥

तजवीजमुकर्ररमुल्जिमकी बादरुखसत होने जूरी के,

[हे]–इख्तिताम तजवीज उनमुकद्दमात का जिनमें तजवीज बमआनत असेसरोंकेहो॥

दफा३०९–जब किसी मुकद्दमे में जिसकी तजवीज असेसरों

असेसरोंकोरायोंकासुना याजाना, की मददसे हो बयान मुद्दआअलेहका औरजवाबपैरोकारनालिशका अगरकोईहो खतमहोलेतो अदालतको अख्तियार है कि खुलासा हालसुबूत जानिबमुद्दई वमुद्दआअलेहका जाहिरकरे--और उसकेबादलाजिम है कि असेसरों को हुक्मदे कि हरएक अपनी २ रायजबानी जाहिरकरे और अदालत हरएककी रायकलम्बंदकरेगी॥

तजवीज, तब हाकिम अदालत अपनी तजवीज सादिरकरेगा मगरतजवीज सादिर करनेमें उसपर इसबातकी पाबन्दी न होगी कि ख्वाहमख्वाह असेसरोंकी रायका इत्तबाअ करे॥

अगर शख्स मुल्जिमपर जुर्म साबितकरारपाये तो हाकिम अदालत उसपर हुक्मसजामुताबिक कानूनके सादिरकरेगा॥

(तो)--काररवाई उससूरतमें जबमुल्जिमपर कोई जुर्म पहिले साबित हो चुकाहो॥

कारखाईउससूरतमेंजब मुल्जिमपरकोई जुर्मपहले साबितहोचुकाहो, दफा३१०--जिस मुकद्दमेमें तजवीजमारफत अहलजूरी या बआनत असेसरान केहो और मुल्जिम पर ऐसे जुर्मका इल्जामलगायाजाय जोकिसी औरजुर्म के वकूअ के बाद जो उसपरपहिले साबित होचुकाहो वकूअ में आयाहो तो उस काररवाई में जो दफआत २७१ व २८६ व ३०५ व ३०६ व ३०९ में महकूमहै तब्दीली हस्ब मुफस्सिले ज़ैलहोगी॥

[अलिफ]--वहजुज्व फर्द करारदाद का जिसमें हुक्मइसबात जुर्मसाबिकका जिक्रहो अदालतके रूबरूनपढ़ा जायेगा और न मुल्जिमसे यह इस्तिफसार कियाजायेगा कि उसपर कोई जुर्म हस्ब मुतजक्किरे फर्द करारदाद के पहिले साबितहोचुका है या नहीं बजुज इसके और तावक्ते कि मुल्जिमने इल्जामजुर्म मावादका इकबाल कियाहो या वह जुर्मउसपर साबितहोचुकाहो॥

[बे]--अगर मुल्जिम जुर्म माबाद को कुबूलकरे यावहजुर्म उसपर साबित कियाजाय तब उससेपूंछा जायेगा कि आया हस्ब मुन्दर्जेफर्द क़रारदाद के उसपर पहिले कोईजुर्म साबित होचुकाहै या नहीं॥

(जीम)-अगर मुल्ज़िम जवाबदे कि उसपर पहिलेजुर्म साबित होचुका है तो हाकिम अदालतको अख्तियारहै कि उसका लिहाज़ करके उसपर हुक्मसजा सादिरकरे इल्ला अगर किसी जुर्म माक़बलके उसपर साबित होनेसे इन्कार करे या सवाल मज़कूर का जवाब न दे या देनेसे इन्कारकरे तो अहालीज़ूरी या अदालत को बशमूल असेसरान के (जैसीसूरतहो) लाजिम है कि हाल जुर्ममुसबितै साबिक़की तहक़ीकातकरे और ऐसी सूरत में (अगर तजवीज मार्फत ज़ूरीके होतीहो) अहाली ज़ूरीको मुकर्रर हलफ़ देना जरूर न होगा॥

(ये)-फेहरिस्त अहालियान ज़ूरी मुतअल्लिक़ै हाईकोर्ट और तलबी अशखासज़ूरीकी उस अदालत में॥

दफा ३११--हरबल्दै प्रेजीडंसी में अहाली ज़ूरी की किताब बाबत उस सालरवांके जिसमें यह मजमूआ निफाजपाये ऐसी समझी जायगी कि उसमें फेहरिस्त उन अशखासकी जो इस बावके बमूजिब ज़ूरीकी खिदमत देनेके लायक हैं सही लिखीगई है॥

अहालीज़ूरीकी किताब,

और वह अशखास जिनके नाम ज़ूरीकी किताब में इसतौर पर दाखिलहों कि वह सिर्फखास ज़ूरी की खिदमत अंजाम देनेके मुस्तहक़ हैं ऐसे मुतसव्विर होंगे कि उस साल के अंदर जिसकी बाबत फेहरिस्त तैयारकीगई इस बाब के बमूजिब सिर्फ बतौर ज़ूरीखास के इंसराम खिदमत के मुस्तहक व मुस्तौजिब हैं॥

खास ज़ूरीकी बरीयत,

दफा ३१२-अहाली ज़ूरीखासकी फेहरिस्त में किसी वक्तपर चारसौ + से जियादह अशखास के नाम दाखिल न किये जायँगे॥

अहाली ज़ूरीखास की तादाद,

दफा ३१३—क्लार्कशाही को चाहिये कि हर सालकी यकुम

+ दफा ३१२ में लफ्ज़ "चार,, साबिक़ लफ्ज़की जगह ऐक्ट ५ सन् १८८७ ई०की दफा २ की रूसे कायमकी गईहै,

आम और खास जूरी की फेहरिस्तें

एप्रिलसे पहिले बपाबन्दी उन क़वायद के जो वक़्तन् फवक़्तन् हाई कोर्टसे मुक़र्रर किये जायँ फेहरिस्त हाय मुफस्सिलै ज़ैलमुरत्तिब करतारहे॥

(अलिफ)--एकफेहरिस्त तमामअशखासकी जोआम जूरीकी खिदमत देनेके मुस्तौजिब हों॥

(बे)--एकफेहरिस्त उन अशखासकी जो सिर्फ खासजूरी की खिदमत देनेके मुस्तौजिबहों॥

फेहरिस्त आखिरुल्जिक्र के तैयार करनेमें उन अशखास के मक़दूर और चालचलन और लियाकत अमलीकाभी लिहाज कियाजायेगा जिनके नाम उसमें दाखिलहों॥

कोई शख्स अपना नाम खासजूरी की फेहरिस्त में दाखिल करानेका इस्तहकाक महज इस वजहसे न रक्खेगा कि सालगुजिश्ता में उसका नाम खास जूरी की फेहरिस्त में दाखिल किया गया था॥

दरसूरत तलबी अजतरफ हाईकोर्ट कलकत्ताके जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर इजलास कौंसल को और दूसरी हाईकोर्टों की तलबी की सूरत में लोकलगवर्नमेण्ट को अख्तियार है कि गवर्नमेण्ट के किसी ओहदेदार मुशाहिरैयाब को अहलजूरी की खिदमत करने से मुस्तस्ना रक्खे॥

क्लार्कशाही को बरिआयत कवायद मुतजक्किरै सदर अख्तियार

फेहरिस्त तैयार करने वाले ओहदेदार का अख्तियार,

कुल्ली रहेगा कि फेहरिस्तहाय मजकूरह जिसतरह मुनासिब समझे तैयारकरे और उसकी तजवीज का अपील ख्वाह नजरसानी न होगी॥

दफा२१४जो अशखास कि आमजूरी और नीज़खासजूरी के

फेहरिस्त हायमर्त्तबा व मुसद्दा का मुश्तहर होना,

खिदमत देनेके मुस्तौजिबहैं उनकी फेहरिस्त मर्त्तबह बादसब्तदस्तखत क्लार्कशाही के तैयारी के बादजो पहिला माह एप्रिल वाक़ै हो उसकी १५ तारीख से पहिले सरकारी गज़ट मौक़ेमें एक मर्तबा मुश्तहिर की जायगी॥

जो अशख़ास कि आमजूरी और नीज़ ख़ास जूरीकी ख़िदमत देने के मुस्तौजिब हैं उनकी फ़ेहरिस्त हाय मुसहै दस्तख़ती हस्ब मज़कूरैबाला उनकी तैयारी के बाद जो पहिला महीना मई का वाक़ैहो उसकी पहिली तारीख़ से पहिले एकमर्तबा सरकारी गज़ट मौक़ेमें मुश्तहिर कीजायेगी ॥

इन फ़ेहरिस्तोंकी नक़लें अदालतके मकानमें किसी नज़रगाह आमपर आवेज़ां कीजायँगी ॥

दफ़ा ३१५—मिन्जुम्ला उन अशख़ासके जिनके इसमाय फ़ेहरिस्त हाय मुसहा मुसर्रेह बाला में मुन्दर्जहों हरबल्दै प्रेज़ीडंसी में हर इजलास सिशन के वास्ते अक़ल दरजा २७ शख़्स उन अशख़ासमें से जो ख़ास जूरीकी ख़िदमत देनेके मुस्तौजिबहों और ५४ शख़्स उनमें से जो आमजूरी की ख़िदमत अदाकरने के लायक़ हों तलब कियेजायेंगे ॥

अहाली जूरीकीता दाद जोबल्दह प्रेज़ी डसी से तलब किये जायेंगे,

कोई शख़्स छःमहीने के अन्दर एकबार से ज़ियादह तलब न किया जायगा इल्ला उस सूरतमें कि उसके बग़ैर तादाद अहाली जूरीकी मुकम्मिल न होसकी हो ॥

अगर दरअसनाय क़ायम रहने किसी इजलास सिशनके यह मालूमहो कि तादाद उन अशख़ासकी जो इस नेहजपर तलब किये जायें काफ़ी नहीं है तो उसक़दर अशख़ास जायद जो ज़रूरी हों और जूरीकी ख़िदमत देने के मुस्तौजिब हों उसइजलास सिशन के लिये तलब कियेजायेंगे ॥

तलबी जायद,

दफ़ा ३१६—जब किसी हाईकोर्टने अपना इरादा मुशअर करने इजलास बग़रज़निफ़ाज़ अपने अख्तियारात फ़ौजदारी सीग़ै इब्तिदाई अन्दर किसी मुक़ामके जो बलाद प्रेज़ीडंसी के बाहरहो मुश्तहिरकिया हो तो उस मुक़ाम की अदालत सिशनको लाज़िम है कि बक़ैद किसी हिदायत के जो हाईकोर्ट से सादिर हो अपनी फ़ेहरिस्त में से अहाली जूरीबतादाद काफ़ी उसी तरह तलब करे जिस तरह

बलाद प्रेज़ीडंसी के बाहर अहाली जूरी को तलब करना,

अहाली जूरीको अदालत सिशनमें तलब करनेका तरीक़ा आयंदा ज़ाहिर किया गया है ॥

दफा ३१७—अलावा उन अशख़ासके जो जूरीकी ख़िदमत देनेके लिये इस तौर से तलब हों अदालत सिशन मज़कूरको लाज़िम है कि अगर ज़रूरत देखे कमान अफ्सर से मशविरा करके मिन्जुम्लै अफ्सरान सनदयाफ्ता व ग़ैर सनदयाफ्ता मुतअय्यनैफ़ौज मलिकामुअज़्ज़िमाके जो उसअदालतके मुक़ाम इजलास से १० मीलके अन्दर रहते हों जिसक़दर अफ्सर वास्ते पूराकरने तादाद जूरीके उन अशख़ासकी तजवीज़ के लिये अदालत की दानिस्तमें ज़रूरी हों जिनपर इल्ज़ाम जरायमका हाईकोर्ट के रूबरू हस्ब मरकूमैबाला कियागया हो तलब कराये ॥

अहाली जूरी फौजी

तमाम ऐसे अफ्सर जो तलब किये जायँ इसबात के मुस्तौजिब होंगे कि बावस्फ़ किसी और मज़मून मुन्दर्जे इसमजमूयेके जूरीकी ख़िदमत अदाकरें मगर कोई ऐसा अफ्सर तलब न किया जायेगा जिसका कमान अफ्सर यह ख्वाहिश रखता हो कि बरबिनाय किसी जरूरत अशद जंगी के या बाअस किसी और वजह खासजंगीके उसको इस खिदमत से मुआफकराये ॥

दफा ३१८—हर शख्सजो बमूजिबदफआत ३१५ या ३१६ या ३१७ केतलब किया जाय और बिलाउज़्र जायज के हस्बुलहुक्ममुंदर्जै सम्मन हाजिर न हो या हाजिर होकर बग़ैरहुसूल इजाजत हाकिम अदालत के चलाजाय या इजलास अदालतके इल्तवाकेबाद और बादसिदूर हुक्म उसके हाजिर होनेके हाजिर न हो तो वह शख्स मुर्तकिब जुर्म तौहीन अदालतका मुतसव्विर होगा और इसबातके लायक़ होगा कि जिसक़दर जुर्माना हाकिम अदालत मुनासिब समझे उसपर आयदकरे और दरसूरत अदमअदाय जुर्माना जेलखाने दीवानी में उसअरसेतक कैद रक्खाजायगा जबतक कि जरजुर्माना अदा न कियाजाय ॥

अहाली जूरी का न हाजिर होना

(काफ) बाबत तरतीब फेहरिस्त अहाली जूरी व असेसरान अदालत सिशन व तलबी अहाली जूरी और असेसरोंके उसअदालत में,

बहैसियत जूरी या असेसर काम देनेकीलियाकत,

दफा ३१९—तमाम अशखास जकूर जिनकी उम्रें २१बरस और ६० बरसके दरमियानहों बजुज उनके जो जैलमें मजकूर हैं किसी मुकद्दमेकी तजवीजमें जोउस जिलेमें हो जहांउनकी सकूनत हो जूरी और असेसरका काम देनेके लायकहोंगे ॥

माफ़िया,

दफा ३२०—अशखास मुफस्सिलै जैल जूरी या असेसर की खिदमत देने से मुआफ किये गयेहैं—यानी—

(अलिफ)--ओहदेदारान् मुतअय्यना कारमुल्की जोमजिस्ट्रेट जिलेसे बालारुतबा रखते हों ॥

(बे)--साहिबानजज ॥

(जीम)-- कमिश्नरान और कलक्टरान सीगै माल या सीगै परमट ॥

(दाल)-- वह अशखास जो सीगैपरमटमें खिदमत इन्सदाद गुजर खुफिये माल महसूलीकी अंजाम देतेहों ॥

(हे)--वह अशखास जो मालगुजारीकी तहसील में मसरूफ हों और जिनको कलक्टर बवजह तकाजाय कारसरकार के बरी करना मुनासिब समझे ॥

(वाव)--वह अशखास जो फिलवाक़ै अपने२ मजहबोंमें काम पादरीका करतेहों या दीनी मन्सबोंपर मामूर हों ॥

(जे)--अशखास जो मलिका मुअज्जिमा की फौजमें नौकर हों बजुज उस सूरत के कि बएतबार किसी कानून मजारियेवक्त के वह बिल्तखसीस जूरी या असेसरकी खिदमत देनेके लायक करार दिये जायें ॥

(हे)--साहिबान सरजन वगैरह अशखास जो अलानिया और हमेशा तिबाबतकापेशाकरते हों ॥

(तो)--अशखास जो डाकखाने और तारबरकी के सीगों में मुलाजिम हों ॥

(ये)--वह अशखास जो मजमूये जाविते दीवानी की दफ़ात ऐक्ट १४ सन्१८८२ ई०, ६४० व ६४१के मुताविक अदालतमें असालतन हाज़िर होनेसे बरी किये गये हैं ॥

(काफ़)--वह दीगर अशखास जो लोकलगवर्नमेण्टके हुक्म से जूरी या असेसरकी खिदमत देनेसे मुआफ़ किये गयेहैं ॥

अहालो जूरी और असेसरों की फेहरिस्त,

दफ़ा ३२१—सिशनजज और ज़िलेकाकलक्टर या दूसरा ओहदेदार जिसे लोकलगवर्नमेण्ट इसअम्र के लिये मुकर्ररकरे ऐसे अशखासकी फेहरिस्त जो जूरी या असेसर की खिदमत अंजाम देने के मुस्तौजिब हों और हस्ब राय सिशनजज या कलक्टर या दीगर ओहदेदार मुतअल्लिक़ै सदर ऐसीखिदमत अंजामदेनेके लायक़हों और जो ग़ालिबन् हस्ब दफ़ा २७८ ज़िम्न हाय (बे) लग़ायत (हे)एतराज़के लायक़ न हों बतरतीब हरूफ तहज्जी तय्यार और मुरत्तिब करेगा ॥

फेहरिस्त मज़कूरमें हरशख्स मस्तूरका नाम और मुक़ाम सकूनत और हैसियत या पेशा लिखा जायेगा और अगर वह शख्स अहल यूरुप या अहल अमरीका हो तो उसकी क़ौमभी फेहरिस्त में दर्ज की जायेगी ॥

फेहरिस्त का मुश्तहर होना,

दफ़ा ३२२ ऐसी फेहरिस्तकी नक़लें कलक्टर या दीगर ओहदेदार मज़कूरकेदफ्तरमें और ज़िलेके मजिस्ट्रेट और अदालत ज़िलेकी कचहरियोंमें और जिस क़सबे या क़सबाजातमें या उनके मुत्तसिल अशखास मुन्दर्जफेहरिस्त सकूनतरखतेहों उनकी नज़रगाहआममें आवेज़ांकीजायेंगी॥

फेहरिस्तपर एतराज़ात,

दफ़ा ३२३ ऐसीहर नक़ल के साथ इसमज़मून का इत्तिलाअनामा शामिल रहेगा कि जिस किसीको फेहरिस्त पर एतराज़करना मंजूरहो उसका एतराज़ मारफ़त सिशन जज या कलक्टर या और ओहदेदार मज़कूरके सिशन के मुक़ाम कचहरी में ऐसे वक्त पर मसमूअ और फैसल किया जायेगा जो इत्तिलाअनामे मज़कूर में मुन्दर्ज हो ॥

दफा ३२४ एतराज़ात मज़कूर की समाअत के लिये सिशन जज कलक्टर या दीगर ओहदेदार मज़कूर के साथ इजलास करके वक्त और मौक़े मुन्दर्जे इ-
फ़ेहरिस्तकी नज़र सानी

त्तिलाअनामे पर फ़ेहरिस्तकी नज़रसानी करेगा और उनअशख़ास में से जिनको फ़ेहरिस्त की तरमीम से ग़रज़हो अगर कोई एतराज़ करे तो उसकी समाअत करेगा और ऐसे शख्सका नाम फ़ेहरिस्त से ख़ारिज करेगा जो उनकी दानिस्तमें ख़िदमात मुफ़-व्विज़े जूरी या असेसरके अंजाम देनेके लायक़ न हो या जो दफा ३२० की रूसे अदाय ख़िदमतसे मुस्तस्ना होने का हक़ साबित करे और किसी और शख्सकानाम दर्जकरेगा जो पहिलीफ़ेहरिस्त मे मतरूक रहाहो और उनकेनज़दीक मन्सबमज़कूरकेलायक़हो॥

अगर माबैन कलक्टर या दीगर ओहदेदार मुतज़क्किरै सदर और सिशनजज के इख्तिलाफ़ रायहो तो अहलजूरी या असेसर का नाम जिसकी बाबत इख्तिलाफ़ किया जाय फ़ेहरिस्त से ख़ा-रिज किया जायेगा॥

फ़ेहरिस्त मुसहे की एक नक़ल हर सिशन जज और कलक्टर या दीगर ओहदेदार मौसूफ़ के दस्तख़त सब्त होने के बाद अदा-लत सिशनमें मुरसिल की जायेगी॥

हुक्म सिशन जज या कलक्टर और दीगर ओहदेदार मौसूफ़ कादरबाब तैयारी या तसहीह फ़ेहरिस्त के क़तई होगा॥

हरबरीयत जिसकादावा हस्बदफ़ाहाज़ा न किया जाय उसवक्त तक कि फ़ेहरिस्त की दूसरी बार इसलाह कीजाय ऐसी समझी जायेगी कि उससे दस्त बरदारी की गई॥

दफा ३२५ जो फ़ेहरिस्त हस्बमुतज़क्किरै सदरतैयार और सही की जाय उसपर हरसालमें एक मर्तबा नज़र सानी की जायेगी॥
फ़ेहरिस्त की साला ना नज़रसानी,

यहफ़ेहरिस्त जिसपरहस्बमुतज़क्किरै सदर नज़रसानी कीजाय एक फ़ेहरिस्त जदीद समझीजायेगी और उससे वह तमाम कवा-

यद मुतअल्लिक होंगे जो दफ़आत मासबक में उस फेहरिस्त से मुतअल्लिक हैं जो इब्तिदान् मुरत्तिब हुईथी ॥

दफ़ा३२६—सिशन जजको लाज़िम है कि अलल्उमूम तारीख़मुकर्ररा इजलास सिशनसे जिसको वह वक्तन् फ़वक्तन् मुकर्रर करतारहेगा कमसेकम तीनदिन पहिले एक चिट्ठी मजिस्ट्रेट ज़िलेके नाम इसहिदायतसे भेजे कि अशख़ास मुन्दर्जै फेहरिस्त मुसहा मजकूरमेंसे उसकदर नफ़र को तलबकरे जो बदानिस्त अदालत मौसूफ़ा इजलास मजकूरमें मुकद्दमात लायक तजवीज जूरी और मुकद्दमात इस्तिमदादी असेसरान में शरीकहोनेके लिये जरूरहों और अशख़ास तलब शुदहकी तादाद उस तादादके दुचंदसे कम न होगी जो किसी ऐसी तजवीजके लिये दरकारहो ॥

मजिस्ट्रेट ज़िलाजूरियो और असेसरोंको तलब करेगा,

उन अशख़ासके नाम जिनका तलबकरना जरूरहो कुरअःके जरिये से कचहरी आममें निकाले जायेंगे मगर वह अशख़ास दाखिल फेहरिस्त मुसहा जिन्होंने पिछले छः महीने के अन्दर काम दियाहो खारिजरहेंगे--बजुज उससूरतके कि तादाद मतलूबा बिलाशमूल उनअशख़ासके पूरीनहोसके पस इसमाय बरामदशुदह चिट्ठी मजकूरमें दर्जकिये जायेंगे ॥

दफ़ा३२७—जब तादाद मुकद्दमात जेर तजवीज की इतनी कसीरहो कि अहालीजूरी या असेसरोंकी एकही जमाअतको तमाम अय्याम इजलास तक हाजिर रखना मूजिब उनकी गरांबारी खातिरका हो या जब किसी और वजहोंसे ऐसी हिदायात करनी जरूरहो तो अदालत सिशन यह हिदायत करसक्ती है कि सिवाय उसअय्याम के जो दफ़ा ३२६ में मख़सूस हैं अशख़ासजूरी और असेसरलोग और और अय्याममें भी तलबकियेजायें ॥

जूरियोयाअसेसरो की दूसरीजमाअतकेतलबकरने का अख़्तियार,

दफ़ा३२८—लाज़िमहै कि हरसम्मन जो बनामअहलजूरी या असेसरके भेजाजाय तहरीरीहो और उसमेंयह हुक्महो कि वह अहलजूरी या असेसरकी हैसि-

सम्मनका नमूना और मज़ामीन,

यतसे जैसा मौकाहो एकवक्त और एक मौके मुफ़स्सिलै सम्मन पर हाज़िरहो ॥

दफ़ा३२९—अगर कोई शख्स जिसके नाम जूरी या असेसर की खिदमत देनेका सम्मन जारीहुआहो सर्कार या किसी रेलवे कम्पनीका मुलाजिमहो तो जायज है कि अदालत जिसमें वह बजरिये सम्मन तलबकिया गयाहो उसको हाजिर होनेसे मुआफ़रक्खे बशर्ते कि उसदफ्तरके अफ्सरकी तहरीर से जिसमें वहनौकरहो यह वाज़ै हो कि वह बिला तकलीफ़दिही खलायक़के बतौरजूरी या असेसर के जैसा मौकाहो हाजिर नहीं होसक्ताहै ॥

कबमुलाज़िमसरकारी या मुलाजिम रेलवे माफ़ रक्खाजासक्ताहै,

दफ़ा३३०—अदालत सिशन मजाजहै कि ब एतबार किसी वजह माकूलके किसी अहलजूरी याअसेसरको किसी खास जलसे सिशनमें हाजिरहोने से मुआफ़रक्खे ॥

अदालतअहलजूरी या असेसर को हाजिरी से मुआफ रखसक्ती है,

दफ़ा३३१—हर जलसे सिशनमें अदालत मौसूफ़ एक फेहरिस्त उन अशखासकी मुरत्तिबकरायेगी जोउस सिशनमें कामजूरी या असेसरका देनेके लिये हाजिरहुयेहों ॥

फेहरिस्त उन अहालो जूरीऔरअसेसरोंकीजोहाजिरहों,

यह फेहरिस्त अशखास जूरी और असेसरकी उस फेहरिस्तके साथरक्खीजायेगी जिसकी इसलाह दफ़ा३२४केमुवाफिकहुईहो॥

फेहरिस्त मुसहाके हाशिये में महाज़ी उननामों के जो फेहरिस्त महकूमा दफ़ाहाज़ामें मुन्दर्ज हों हवाले की इबारत लिखी जायेगी ॥

दफ़ा ३३२—हरशख्स जिसको सम्मन वास्ते हाज़िर होने बतौर अहल जूरी या असेसर के भेजा गया हो और जो बमूजिब हुक्म सम्मन के बिला उज़्र जायज़ हाज़िर होने में क़सूरकरे या हाजिरहोने के बाद बिलाहुसूल इजाज़त अदालत चलाजाय या मुक़दमे की तारीख़ मुल्तवीपर बाद इसके कि अदालतने उसको हाज़िर होने

जुर्माना बदहुक्त अदम एहज़ार अहलजूरी या असेसर के,

का हुक्म दियाहो हाजिर न हो इसबात का मुस्तौजिब होगा कि बमूजिब हुक्म अदालत सिशन के किसी क़दर जुर्माना दे जो एक सौरुपये से जियादह न हो ॥

जुर्माना मजकूर मारफत साहबमजिस्ट्रेट जिला बजरिये क़ुर्क़ी और नीलाम जायदाद मन्कूला ममलूका ऐसे अहलजूरी या असेसरके वसूल कियाजायेगा जो अन्दर हुदूद अरजी अख्तियार हुकूमत उस अदालत के हो जिसने हुक्म सादिर किया हो ॥

अगर तादाद जुर्माना बजरिये क़ुर्क़ी व नीलाम जायदाद के वसूल न होसके तो जायज है कि ऐसा अहल जूरी या असेसर बजरिये हुक्म अदालत सिशन जेलखाने दीवानी में पन्द्रह रोज तक क़ैद रक्खाजाय इल्ला उस सूरत में कि वह जुर्माना मीआद मजकूरके खतमहोने से पहिले अदा होजाय ॥

(लाम) खास बरायत हाईकोर्टों के लिये ॥

दफा ३३३—जो मुक़द्दमा इस मजमूये के मुताबिक़ हाईकोर्ट के रूबरू तजवीज किया जाय उसकी किसी नौबत पर क़ब्लगुजरने रायजूरी के साहब ऐडवोकेट जनरलको अख्तियारहै कि अगर मुनासिब समझे जनाब मलिकामुअज़्ज़िमाकी तरफसे अदालत को इत्तिलाअ दे कि बरबिनाय उसकरारदाद जुर्मके वह मुक़द्दमेकी पैरवी बमुक़ाबिलै मुद्दआअलेह न करेगा और ऐसीइत्तिलाअ पर तमाम कार्रवाई जो बरबिनाय ऐसे क़रारदाद जुर्मके मुद्दआअलेहकी निस्बत अमलमें आई हो मौक़ूफ़ की जायेगी और वह उससे रिहाई पायेगा—मगर वह रिहाई बमन्जिलै बरीयतके न होगी इल्ला उस हालमें कि हाकिम इजलास कुनिन्दा और नेहजका हुक्म दे ॥

ऐडवोकेट जनरलका अख्तियार दरबारह मौकूफ़ करने पैरवी के,

दफा ३३४—वास्ते तामील अपने अख्तियारात इब्तिदाई सीग़ै फ़ौजदारी के हर अदालत हाईकोर्ट उन तारीखों में और ऐसे मुनासिब फ़ासिलों पर इजलास करेगी जिन को उसअदालतका चीफ़जस्टिस वक़्तन्फवक़्तन् मुक़र्रर करतारहै ॥

इजलास करनेकावक़्त,

दफा ३३५—अदालत हाईकोर्ट को लाज़िम है कि अपना इजलास उसी मुक़ामपर करे जहां बिल्फ़ैल करती है या किसी और मुक़ामपर (अगरकोईहो) जो नव्वाब गवर्नरजनरलबहादुर बइजलासकौंसल बहालेकि वह अदालत हाईकोर्ट मुतअल्लिक़ा फोर्टविलियम बंगालाहो या लोकल गवर्नमेंट बहालेकि वह कोई दूसरी अदालत हाईकोर्ट हो हिदायत करे ॥

इजलास करने का मुक़ाम,

मगर कोर्ट मज़कूर मजाज़है कि वक़्तन् फ़वक़्तन् अगर वह हाईकोर्ट मुतअल्लिक़ा फ़ोर्टविलियम बंगालाहो तो ब मन्ज़ूरी जनाब नव्वाब गवर्नरजनरलबहादुर बइजलास कौंसल और बाकी और सूरतोंमें बमंज़ूरी लोकलगवर्न्नमेण्टके इलाक़े समाअत अपीलकी हुदूद अरज़ीके अन्दर ऐसे और २ मुकामात पर इजलासकरे जो कोर्ट मजकूरकी तजवीज से मुकर्रर किये जायें ॥

जिस ओहदेदारको चीफजस्टिस हिदायत करे उसको लाज़िम है कि पहिलेसे इश्तिहार इसअम्रकामौके के गजट सरकारी में छपवादे कि वास्ते निफाज़ अख्तियारात समाअत इब्तिदाई सीग़े फौजदारी मुतहस्सिलै हाईकोर्ट के कोर्ट मौसूफ का कहां और किसवक्त इजलास होगा ॥

इजलासहोनेकीइत्तिलाअ,

दफा ३३६—अदालत हाईकोर्टको यहहुक्म देना जायजहै कि जितने अहलयूरुप रिआयाय बृटानिया और अशखास जो लायक तजवीज हाईकोर्ट हस्ब दफा २१४ केहों जो चंद मुअय्यन इजलास के अन्दर या सालके चंद औकात मुअय्यन के अन्दर तजवीजके लिये सिपुर्द अदालत किये गयेहों उन सबकी तजवीज हाई कोर्ट के मामूली मुकाम इजलास में होगी या यह हुक्म देना जायज है कि उनकी तजवीज किसी खासमौके *नामजदह पर होगी ॥

रिआयाय बृटानिया अहल यूरुप की तजवीज का मुक़ाम,

* दर बारह लोवर ब्रह्माके देखो ऐक्ट ११ सन् १८८९ ई० दफा ३० (४)

बाब २४॥

मरायन आम बाबत तहक़ीक़ात व तजवीज़ मुक़द्दमा॥

दफ़ा ३३७—*दरसूरतकिसीजुर्मके× जोमहज़लायक़ तजवीज़ अदालत सिशन या हाईकोर्टकेहो× मजिस्ट्रेट जिला और मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडंसी और हर मजिस्ट्रेट दरजे अव्वल जो जुर्मकी तहक़ीक़ात करताहो या बाद मंज़ूरी मजिस्ट्रेट जिलेके हरदूसरा मजिस्ट्रेटमजाज़ है कि बनज़र हुसूल शहादत किसी शख़्सके जिसकी निस्बत गुमान हो कि वह किसी जुर्म जेरतजवीजके इर्तिकाबमें हिलतन् या सराहतन् शरीक या उसका वाकिफ़कार रहाहै शख़्स मज़कूरके साथ इसशर्त्त पर वादा मुआफ़ी सज़ाकाकरे कि वह कुलहालात मुतअल्लिके जुर्म जो उसके इल्ममें हों मय नाम उन अशखासके जो उसजुर्म के इर्तिकाबमें बतौर अस्ल मुजरिम या मुआविनके शरीक रहेहों-बिला कम व कास्त रास्त रास्त ज़ाहिर करदे॥

शरीक जुर्म की माफ़ी का वादा,

हरशख़्सजो जुर्मकी मुआफ़ी हस्ब मन्शाय दफ़ाहाज़ा कबूल करे उसकाइज़हार बतौर गवाह मुक़द्दमे के लियाजायगा॥

अगर ऐसाशख़्स ज़मानतपर रिहा न हुआहो तो वह रोज़ इख़्तिताम तजवीजतक × जोमार्फ़त अदालतसिशन याहाईकोर्ट के होगी यानी जैसी सूरत हो×हिरासत में रक्खा जायेगा॥

हरमजिस्ट्रेट जो मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडंसी न हो जो इसदफ़ा के बमूजिब सज़ाकी मुआफ़ीका वादाकरे ऐसा वादा करनेकी वजूह क़लम्बंदकरेगा और जबवह ऐसावादाकरे और उसशख़्सकाइज़हार लेले जिसको मुआफ़ी दीगईहो उसको अख़्तियार न होगा कि खुद मुक़द्दमेकी तजवीजकरे गो वहजुर्म जो ज़ाहिराशख़्स मुल्ज़िमसे स-

---

* दर बारह वादह मुआफ़ी शरीक के अपर ब्रह्मामें और तजवीज मुक़द्दमा बज़रिये मजिस्ट्रेट के—देखो क़ानून ७ सन् १८८६ ई० के ज़मीमेकी दफ़ा ११ मगर दरबारे रिआ याय बृटानिया अहल यूरुप के देखो दफ़ा २२ ऐज़न—

×—×-×-× उनमुक़ामातमें जहां क़ानून जरायम सरहद्दीपंजाब मुसद्दिरै सन्१८८७ई० जारी है यह अल्फ़ाज़ दफ़ा ३३७ से निकालदिये जायगे देखो क़ानून ७ सन् १८८७ई०,

रजदहुआहै मजिस्ट्रेट मजकूरकीसमाअत व तजवीजकेलायकहो॥

दफा ३३८—किसी वक्तपर बाद सिपुर्दगी मुकद्दमा मगर

वादा मुआफीशे हिदा यन करने का अख्तियार,

कब्ल सिदूर तजवीज के उसअदालत को जिसमें सिपुर्दगी की गईहो अख्तियारहोगा कि उसमुकद्दमे में ऐसे शख्सकी शहादत हासिल करने के लिये जिसकी निस्बत गुमानहो कि वह हीलतन् या सराहतन् किसी जुर्म किस्ममुतजक्किरै सदरके इर्तिकाबमें शरीक हुआहै या उसका वाकिफकार है शख्स मजकूरके साथ मुआफी सजाका वादाकरे या मजिस्ट्रेट सिपुर्द कुनिन्दा मुकद्दमा या मजिस्ट्रेट जिलाको बमलहूजी उन्हीं शरायतके जो ऊपर मजकूर हैं मुआफी सजाके वादा करने का हुक्मदे॥

दफा३३९—*जब वादा मुआफी सजा दफा३३७ या दफा

सिपुर्दगी उसशख्स की जिसके साथ वादा मुआफी किया गयाहो

३३८ के मुताबिक कियाजाय और किसी शख्स ने जिसने ऐसा वादा कबूल कियाहो किसी वाकिअह उम्दह के अमदन मखफी रखने से या झूठी गवाही देने से उन शरायत की तामील न की हो जिनके एतबार पर उसके साथ वादा किया गयाथा तो जायज है कि उसकी तजवीज बाबत उस जुर्म के जिसकी निस्बत वादा मुआफी इसतौर पर कियागयाहो या वास्ते तजवीज किसी और जुर्म के जो जुर्म अव्वलुल्ज़िक्रसे मुतअल्लिक और जाहिरा उससे सरजद हुआहो की जाय॥

बयान उस शख्सका जिसको मुआफी अताहुई हो जब मुआफी इस दफाके बमूजिब उससे उठालीजाय उसके मुकाबिले में बतौर वजह सुबूतके गुजरसका है॥

कोई नालिश बाबत अदाय झूठी शहादत के निस्बत बयान मजकूर बिलामंजूरी हाईकोर्ट के रुजूअ न कीजायगी॥

---

* दरबारह जरायम मुतअल्लिक सल्तनत और झूठी शहादतके जिसका वह शख्स मुर्तकिबहो जिसके साथ अपर ब्रह्मा में वादा मुआफी किया गया हो देखो कानून ७ सन १८८६ ई० के जमीमे की दफा१० मगर दरबारह रिआयाय बृटानिया अहल यूरूप के देखो दफा२२ ऐजन,

दफा ३४०—हरशख्स जिसपर किसी अदालत फौजदारीके रू-बरू इल्ज़ाम लगायाजाय इस्तहकाकन् मजाज है कि अपनी जवाबदिही मारफत वकील के करे ॥

मुल्ज़िम का अख्तियार दरखसूस जवाबदिही मारफतवकील के,

दफा ३४१--अगर शख्स मुल्ज़िम गो वह फातिरुल्अक्लनहो इल्ला कारवाई अदालत को न समझसकाहो तो अदालत मजाज है कि मुकद्दमे की तहकिकात या तजवीज में मसरूफ हो और अगर मुकद्दमा सिवाय हाईकोर्टके किसी और कोर्टमें दायरहो और तहकीकातका नतीजा मुल्ज़िमका सिपुर्दहोना या तजवीजका नतीजा मुजरिम पर जुर्म साबित करारपानाहो तो कागज़ात काररवाई मयरिपोर्ट जुमला हालात मुकद्दमा अदालत हाई कोर्टमें मुरसिल किये जायँगे और हाईकोर्ट उसकी निस्बत वह हुक्म सादिर करेगी जो मुनासिब मालूम हो ॥

जाबिता जब कि मुल्ज़िम काररवाई को न समझे,

दफा ३४२—बदींगरज कि शख्स मुल्जिमको ऐसे मरातिब के साफकरदेनेका मौकामिले जो शहादत में जाहिरन् उसके खिलाफ मुरादहों तहकीकात या तजवीज की किसी नौबत पर अदालत को अख्तियार है कि बगैर पेश्तर मुत्तिलाअ करने शख्स मुल्जिम के मुल्ज़िम से ऐसे सवालात करे जो अदालत को जरूरी मालूमहों और अदालत को लाजिम है कि उसी गरज से बाद कलम्बन्दी बयानात गवाहान जानिब मुद्दई और कब्ल इसके कि शख्स मुल्ज़िम को जवाबदिही करने की इजाजतहो अमूमन् मुकद्दमे की बाबत उस से इस्तिफ्सार करे ॥

मुल्ज़िम के इजहारलेने का अख्तियार,

शख्स मुल्ज़िम इस वजह से मुस्तौजिब सज़ा न होगा कि उसने ऐसे सवालातका जवाबदेनेसे इन्कार किया या उनका जवाब झूठा बयान किया मगर अदालत और अह्ली जूरी को (अगर कोईहों) अख्तियारहोगा कि ऐसे इन्कार या झूठे जवाबसे ज़िम्नन् वह नतीजा अख़्ज़करें जो मुक्तज़ाय इन्साफ़ मालूमहो ॥

जायज़ है कि जवाबात शख्स मुल्ज़िम पर न सिर्फ ऐसीतहक़ीकात या तजवीज़में लिहाज़ किया जाय और वह अज़तर्फ या बमुकाबिले शख्स मुल्ज़िम वजह सुबूत में दाखिल कियेजायँ बल्कि किसी और तहकीकात या तजवीज में भी जो मुतअल्लिक किसी और जुर्मसेहो जिसका सरज़द होना उसके जवाबसे पाया जाताहो काबिललिहाज और सुबूतमें दाखिलहोनेके लायकहोंगे॥

शख्स मुल्ज़िम को किसी तरहका हल्फ न दियाजायगा॥

दफा ३४३—बजुज़ उसकारखाईके जो दफआत ३३७ और ३३८ में मुकर्ररहुई है जायज नहीं है कि शख्स मुल्ज़िम पर बज़रिये वादे या तखवीफ या और तौर पर इस अम्रकी तर्गीब देनेकेलिये किसी तरहका दबाव डालाजाय कि वह किसी अम्र को जिससे उसको वाक़फियत हो जाहिरकरे या मख्फी रक्खे॥

अफशाय अमर करानेके लिये कोई दबाव न डालाजाय,

दफा ३४४—अगर बवजह गैरहाज़िरी किसी गवाह या किसी और वजहमाकूलसे यह बात जरूर और मुकजाय मसलहतहो कि किसी तहकीकात या तजवीजका शुरूअ करना मुल्तवी कियाजाय तो अदालत मजाज है कि वक्तन् फवक्तन् अपने हुक्म तहरीरी मय वजूहके ज़रिये से ऐसी तहकीकात या तजवीजको ब पाबन्दी उनशरायतके जोमुनासिब मालूम हों उस अर्सेके लिये जो माकूल मालूमहो मुल्तवी करती रहे और शख्स मुल्जिम को अगर वह हिरासतमेंहो बजरिये इजराय वारंटके हिरासतमें रहनेकेलिये भेजदे॥

कार्रवाईके मुलतवी रखने का अख्तियार,

मगर शर्त यहहै कि किसी मजिस्ट्रेटको अख्तियार न होगा कि इस दफा के बमूजिब किसी शख्स मुल्जिम को एक २ वक्त पन्द्रह रोजसे जियादह मीआदकेलिये हिरासतमें रहनेका हुक्मदे॥

हिरासत मे भेजने का हुक्म,

हरएक हुक्म जो सिवाय हाईकोर्टके किसी और कोर्टकीतरफ से इसदफाके बमूजिब सादिरहो जब्त तहरीरमें आयेगा और उस पर हाकिम इजलास कुनिन्दह या मजिस्ट्रेटके दस्तखत सब्तहोंगे॥

तशरीह—अगर उस क़दर सुबूत दस्तयाब होसकाहो जिस से जन्‌ग़ालिब पैदा हो कि शख्समुल्ज़िमसे कोई जुर्म सरज़द हुआ है और करीन कयास मालूम हो कि मुक़द्दमा मुल्तवी करने से कुछ जियादह सुबूत हासिल होगा तो यह वजह शख्स मुल्ज़िमके हिरासत में फिर भेजने की वजह माकूलहै॥

माकूलवजह फिर हिरासतमें भेजनेकी,

दफा ३४५–जायज है कि जरायम जो हस्बदफ़आत मजमूये ताजीरात हिन्द मुसर्रह अव्वल दोखाने जदवल मुन्दर्जैजैल लायक सजाहों उनका राज़ीनामा उनअशखासकी तरफ़ से अमलमें आये जिनका जिक्र जदवलके खाने ३ में हुआ है॥

वह जरायम जिनकी बबत राज़ीनामा हो सक्ताहै,

ऐक्ट ४५सन्१८६०ई०,

जुर्म	दफ़आत मजमूये ताजीरातहिन्द की जो जुर्म से मुताल्लिकहो—	शख्स जिसकी तरफ से जुर्म का राज़ीनामा होसक्ता है--
सोच बिचारकर इस नियत से कोई बात वग़ैरह कहना जिससे मजहब की बाबत किसी शख्स का दिलदुखे—	२९८	वह शख्स जिसका मज़हब की बाबत दिलदुखाना मकसूदहो—
जरर पहुंचाना--	३२३ व ३३४	वह शख्स जिसको ज़रर पहुंचाहो—
बेजातौरपर किसी शख्सकी मजाहमत करनी या हब्स में रखना—	३४१ व ३४२	वह शख्स जिसके साथ मज़ाहमत कीजाय या जो हब्स में रक्खाजाय—
हमलाकरना या जब्र मुजरिमाना का अमलमेंलाना—,	३५२ व ३५५ व ३५८	वह शख्स जिसपर हमला कियाजाय या जिसकी निस्बत जब्रमुजरिमाना अमल में आये—
बतौर नाजायज मेहनत करने पर मजबूर करना—	३७४	वह शख्स जिससे जबरन मेहनत लीजाय—
नुक़्सानरसानी जब कि सिर्फ़ नुक्सान या हर्जा जो पहुचाया जाय किसी शख्स ख़ानगी का नुक़्सान या हर्जाहो—	४२६ व ४२७	वह शख्स जिसको नुक़्सान या हर्जा पहुंचायाजाय—

जुर्म	दफ़ाआत मजमूये ताजीरातहिन्द की जो जुर्म से मुतअल्लिक़हों--	शख़्स जिसकी तरफ़से जुर्म का राजीनामा होसक्ता है--
मदाख़िलतबेजा मुजरिमाना—	४४७	शख़्स क़ाबिज उसजायदाद का जिसपर मदाख़िलत बेजा कीजाय--
मदाख़िलतबेजाबख़ाना—	४४८	
ख़िदमत के मुआहिदे का नुक़्ज मुजरिमान.—	४९० व ४९१ व ४९२	वह शख़्स जिसके साथ मुजरिम ने मुआहिदा कियाहो--
ज़िना	४९७	शौहर औरतका--
नियत मुजरिमाना के साथ किसी औरत कदखुदाशुदह का फुसलालेजाना या ले उड़ना या रोकरखना—	४९८	
इज़ाला हैसियत उर्फ़ी	५००	वह शख़्स जिसका इज़ाला हैसियत उर्फ़ी हुआहो—
किसी मज़मून को यह जानकर कि वह मुज़य्यल हैसियत उर्फ़ी है छापना या कन्दाकरना--	५०१	
किसी छपेहुये या कन्दा किये हुये मादहको जिसमें कोई मज़मून मुज़य्यल हैसियत उर्फ़ीहो यह जानकर कि उसमे ऐसा मज़मून है फ़रोख़्त करना—	५०२	
नुक़्ज अमनकराने की नीयत से तौहीन करना--	५०४	वह शख़्स जिसकी तौहीन कीजाय--
तख़वीफ़ मुजरिमाना इल्ला उससूरत में जबकि जुर्म लायक़ सजाय क़ैद सातबर्षकीहो--	५०६	वह शख़्स जिस के साथ तख़वीफ़ कीजाय--

जायजहै कि जुर्म बिलअमद जरर पहुंचाने या बिल अमद जररशदीद पहुंचाने या ऐसेफेलसे जररपहुंचानेका जिससेजान इन्सानको खतराहो या ऐसेफेलसे जररशदीद पहुंचानेका जिससे जानइन्सान को खतराहो जिनकी सजायें मजमूये ताजीरात हिन्दकी दफा ३२४ या ३३५या ३३७या ३३८ में मुकर्रर हैं बइजाजत उस अदालतके जिसके रूबरू किसीजुर्मे मजकूरे

ऐक्ट ४५ सन्१८६०ई०, सदरकी नालिश दायरहो उसशख्सकी तरफ से राजीनामे पर तै कियाजाय जिसको जरर पहुंचाया गयाहो॥

जब कोई जुर्म इस दफाके मुताबिक लायक तस्फिये बराजीनामाहो तो जायज है कि ऐसे जुर्मकी मददहिही या मददहिही में कस्द करना [जब ऐसा कस्द करनाखुद जुर्महो) इसी तरीकपर बजरिये राजीनामातै कियाजाय॥

जब वह शख्स जो और सूरतमें इसदफ़ाके मुताबिक किसी जुर्मका तस्फ़िया बसूरत राजीनामा करनेका मजाज होता नाबालिग या मजनून या फातिरुलअक्क हो तो वह शख्स जो उसकी तरफ से मुआहिदा करनेका मजाज़ हो जुर्म मजकूरकी बाबत राजीनामा करसक्ता है॥

राजीनामे पर तस्फिया होना किसी जुर्मका इसदफ़ाके मुताबिक यह असर रक्खेगा कि गोया मुल्जिम जुर्मसे बरीकियागया॥

कोई और जुर्मसिवाय उन जुर्मोंके जो इस दफ़ामें मजकूर हैं राजीनामे पर तै न कियाजायगा॥

दफा ३४६—अगर किसी मुकद्दमे के दौरान तहकीकात या तजवीज में जो किसी ज़िला वाक़ै बेरूं बलाद प्रेजीडन्सीमें किसी मजिस्ट्रेटके रूबरू हो रही हो मजिस्ट्रेटकी यहरायहो कि शहादत मौजूदहसे यह जन गालिब पैदा होताहै कि मुकद्दमा उस किस्मकाहै कि उसकी तजवीज़ या सिपुर्दगी उसी ज़िले के किसी और मजिस्ट्रेटसे होनी चाहिये तो मजिस्ट्रेट मज़कूर अपनी काररवाई मुल्तवी करके कागज़ात मुकद्दमेको मयअपनी रिपोर्ट के जिसमें मुख्तसिरहाल मुकद्दमेका लिखाजायेगा किसी मजिस्ट्रेटके पास जिसका वह मातहतहो या किसी और मजिस्ट्रेट मजाज समाअतके पास जिसको मजिस्ट्रेट ज़िला हिदायत करे मुरसिल करेगा॥

ज़ाबिता मजिस्ट्रेट मुफ़स्सिल का उन मुकद्दमात में जो वहफैसलनहीं कर सक्ता है,

वहमजिस्ट्रेट जिसकेपास मुकद्दमा भेजाजाय मजाज़ होगा

कि अगरउसको ऐसा अख्तियार हासिलहो मुकद्दमे को खुद तजवीजकरे या किसीमजिस्ट्रेट मातहत अपने के पास जो मजाज समाअत हो तजवीज के लिये मुन्तकिल करे या शख्स मुल्ज़िम को तजवीज होनेके लिये सिपुर्द करे ॥

दफ़ा३४७—अगरकिसी तहक़ीक़ातमें जो मजिस्ट्रेट के रूबरू होतीहो या किसी तजवीज़ में जो मजिस्ट्रेट के रूबरू होती हो कारखाई की किसी नौबतपर क़ब्लकरने दस्तखत ऊपर तजवीजके यहदरियाफ्तहो कि मुक़द्दमा उस क़िस्म काहै कि उस की तजवीज अदालतसिशन या हाईकोर्ट के रूबरू होनीचाहिये और अगर हाकिम मौसूफ़को तजवीज़के लिये मुक़द्दमा सिपुर्द करने का अख्तियार हो तो उसको लाजिम है कि कारखाई मज़ीद बन्दकरके शख्समुल्ज़िमको मुताबिक़ शरायत दफआत सदर के अदालतबाला में सिपुर्द करै ॥

जाबिता जब कि बाद शुरूअ तहक़ीक़ात या तजवीज के मजिस्ट्रेट समझे किमुकद्दमा को सिपुर्द अदालत बाला करना चाहिये

अगर ऐसा मजिस्ट्रेट तजवीजके लिये मुक़द्दमा सिपुर्द करने का अख्तियार न रखताहो तो उसको मुनासिब है कि मुताबिक़ दफा ३४६ के अमल करे ॥

दफ़ा ३४८—अगर वहशख्स जोऐसेजुर्मकी इल्लतमें एकमर्त्तबा सज़ापाचुकाहो जिसकी×सज़ा हस्बशरायतअबवाब १२ या १७ मजमूये ताज़ीरातहिन्द के तीनबरस या उससे जियादह मीआद की कैद मुक़र्रर है दुबारह ऐसे जुर्म में माखूज़ होजाय जिसकी सज़ा मुताबिक़ बाबहाय मज़कूर तीन बरस या उससे ज़ियादह मीआदकी कैदमुक़र्रर है तो बिल्उमूम उसकी निस्बत यह अमल होगा कि अगर वह मजिस्ट्रेट जिसके रूबरू वह माखूज हुआ हो उसको आदतन् मुजरिम समझताहो तो वह अदालत सिशन या हाईकोर्टमें जैसा मौकाहो सिपुर्द किया जायेगा या जिन इजलास में

तजवीज उन शख्सो की जो पेश्तर उन जुरमो के मुजरिम ठहरचुके हो जो सिक्कासाज़ी या कानून इस्टाम्प या जायदाद के मुतअल्लिक हों,

×ऐक्ट ४। सन् १८६७ ई०

मजिस्ट्रेट जिलेको अख्तियारात मुफस्सिलै दफा ३० अताहुयेहों जायज़ है कि शख्स मुल्ज़िम की तजवीज उसी मजिस्ट्रेट की मारफत अमलमें आये ॥

दफा ३४९—जब राय किसी मजिस्ट्रेट दर्जे दोम या दर्जे सोम

आबिता जबकि मजिस्ट्रेट सख्ततर सजा जो काफीहो सादिर न कर सक्ताहो,

मजाज समाअत की बाद समाअत सुबूत पेशकरदा मुद्दईवमुद्दआअलेहके यहहो कि शख्स मुल्ज़िम पर जुर्म साबित है और उसको उस सज़ा से कोई मुख्तलिफ सज़ा या कोई ज़ियादह सख्त सज़ा मिलनीचाहिये जो मजिस्ट्रेट मज़कूरखुद आयदकरनेका मजाजहै या शख्समुल्ज़िमसे हस्ब दफा १०६ मुचलका लिखवाना जरूरहै तो उसको अख्तियार है कि अपनी राय कलम्बन्द करके तमाम कागजात मुकद्दमा और नीज शख्स मुल्ज़िमको उसमजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेट हिस्सै जिलेकेपास भेजदे जिसका वह मातहतहो ॥

वह मजिस्ट्रेट जिसके पास कागजात मुकद्दमा भेजेजायँ मजाज है कि अगर मुनासिब समझे अहाली मुकद्दमे का इजहारले और किसी गवाहको फिर तलब करके उसका इजहार ले जो पहिले मुकद्दमेमें गवाही देचुका हो और सुबूत मजीद तलब करके शामिल मिसल करे और मुकद्दमे में ऐसी तजवीज या हुक्म सजा या और हुक्म सादिर करे जो उसको मुनासिब मालूम और कानून के मुवाफिक हो मगर शर्त यह है कि वह उसमुकद्दमेमें उससे ज़ियादह सजा आयद न करेगा जिसको वह दफआत ३२ व ३३ के मुताबिक आयद करनेका अख्तियार रखता है ॥

दफा ३५०—अगर अख्तियार समाअत किसी मजिस्ट्रेट का

सुबूत जुर्म या सिपुर्दगी मुकद्दमा उस शहादत पर जिसका एकहिस्सा एक मजिस्ट्रेटने और दूसरा हिस्सा दूसरे ने लिखाहो,

बाद इसके कि उसने किसी तहकीकात या तजवीज की कुल शहादत या उसके किसी जुज्वकी समाअत की हो उस मुकद्दमे में साक़ित होजाय और उसकी जगह कोई और मजिस्ट्रेट आजाय जो उसमें अख्तियार समाअत रखता और अमलमें लाताहो तो ऐसे मजिस्ट्रेट जानशीन को अख्तियार है कि

बरबिनाय उसशहादतके जो कि जुजन् मजिस्ट्रेट साबिकने और जुजन् खुद उसनेकलम्बन्दकीहो मुकद्दमेको फैसलकरे या गवाहों को फिर तलबकरके अजसरनौतहकीकात या तजवीज शुरूअकरे॥

मगर हस्ब शर्त ज़ैल—

(अलिफ)--किसी तजवीज में शख्स मुल्जिम को अख्तियार है कि जब दूसरा मजिस्ट्रेट अपनी काररवाई शुरूअ करे तो गवाहों को या उनमें से किसी को मुकर्रर तलब कियेजाने और मुकर्रर इजहार लियेजाने की दर्ख्वास्त करे ॥

(बे)--अदालत हाईकोर्ट या जिन मुकद्दमात की तजवीज मारफत ऐसे मजिस्ट्रेटों के हुईहो जो मजिस्ट्रेट जिले के मातहत हैं उनमें मजिस्ट्रेट जिला मजाज है कि आम इससे कि वह लायक अपील हों या न हों किसी जुर्म इसबात जुर्मको जो बरबिनाय ऐसी शहादत के सादिर हुआहो जो कुल्लन् उस मजिस्ट्रेट के हाथसे कलम्बन्द न हुईहो जिसने हुक्म इसबात जुर्म का सादिर किया हो मन्सूख करदे बशर्तेकि हाईकोर्ट या मजिस्ट्रेट ज़िलेकी रायमें शख्स मुल्जिमको ऐसीकाररवाईसे नुक्सान शदीदपहुंचाहो और उसको अख्तियार है कि अजसर नौ तहकीकात या तजवीज होनेका हुक्म दे ॥

कोईइबारत इसदफाकी उनसूरतोंसे मुतअल्लिक नहीं है जब कि दफ़ा ३४६के मुताबिक काररवाई मुल्तवी कीजाय ॥

दफ़ा३५१— जायज है कि हरशख्स जो किसी अदालत फ़ौजदारीमें हाजिरहो गो वह गिरफ्तार या तलब होकर न आयाहो वास्ते देने इजहार निस्बत इर्त्तिकाब किसीजुर्मके जो अदालत मजकूरकी समाअतके लायक हो और जिसकी बाबत उसकी जात से सरजद होने का गुमान वजहसुबूत से पैदाहोताहो अदालत के हुक्मसे रोक रक्खाजाय और उसपर उसीतरह मुकदमा कायमकियाजाय कि गोया वह गिरफ्तार या तलब होकर आयाथा ॥

रोंकरखना उनमुल्जिमो कोजोअदालतमेंहाजिरहो

जब ऐसाशख्स ऐसीतहकीकातके दौरानमें रोंकाजाय जोबाब१८

के बमूजिब होतीहो या बाद शुरूअहोने तजवीजके रोकाजाय तो काररवाई मुतअल्लिकै शख्स मजकूर अजसरेनौ होगी और गवाहोंका इजहार मुकर्ररलियाजायेगा॥

दफ़ा३५२— वहमुकाम जहां कोई अदालत फ़ौजदारी किसी जुर्मकी तहकीकात या तजवीज करनेके लिये अपनी नशिस्त रक्खे खुलीअदालत करारपायेगा और बिलउमूम खलकुल्लाको अख्तियार होगा कि जहांतक उसमें आरामके साथ गुंजायशहो उसमें आतेजाते रहें॥

अदालतें खुलीहुईहोंगी

मगर शर्त्त यहहै कि हाकिम इजलासकुनिन्दा या मजिस्ट्रेट मजाजहै कि किसी खास मुकद्दमेकी तहकीकात या तजवीजकी किसनिौबतपर यहहुकुम सादिरकरे कि तमाम खलायक या कोई खास शख्स उसकमरे या मकानमें न आनेपाये या हाजिर न रहे जो अदालतके इस्तैमालमें आताहो॥

बाब २५॥

बाबत तरीकालेने और कलम्बन्दकरने शहादतके मुकद्दमातकी तहकीकात और तजवीजमें* ॥

दफा३५३—बजुज उससूरतके जिसकेलिये औरतरहपर हुक्म सरीहहुआहै तमाम शहादत जो मुताबिक अहकाम बाब हाय १८ और २० और २१ और २२ और२३के लीजाय शख्स मुल्जिमके मवाजहमें लीजायेगी या जब वह असालतन् हाजिर होने से मुआफहो बमुवाजह उसके वकील के लीजायेगी॥

मुल्जिमके रूबरू शहादत लीजायगी,

दफा३५४— जो तहकीकात व तजवीज (अलावह तजवीज सरसरीके) हस्बमजमूये हाजा मारफत या रूबरू किसी मजिस्ट्रेट के (जो मजिस्ट्रेट प्रेजीडन्सी न हो) या मारफत या रूबरू सिशनजज के

प्रेजीडसी शहरोंकेबाहर शहादतके कलमबन्द करनेका तरीका,

---

*अपरब्रह्मामें तहकीकात या तजवीजकेवक्त जो मजिस्ट्रेट या अदालत सिशनकेरूबरूहो शहादतके कलमबंदकरनेके बारेमेंदेखो कानून, सन्१८८६ई०के जमीमेकी दफा१२ मगर रिआयाय बृटानिया अहल यूरुपके बारेमें देखोदफा २२ ऐजन्,

अमलमें आये उसमें शहादत गवाहों की हस्बतरीकै मुन्दर्जै जैल कलम्बन्दकीजायेगी ॥

दफा३५५—मुकद्दमात काबिल इजराय सम्मनमें जो सिवाय मजिस्ट्रेट प्रेजीडन्सीके किसी और मजिस्ट्रेटके रूबरू तजवीजकियेजातेहैं और मुकद्दमातजराय मुफस्सिलमें दफा २६० जिम्नहाय (बे)लगायत (काफ)में जब उनकी तजवीज मारफत किसी मजिस्ट्रेट दर्जैअव्वल या दर्जैदोमकेहो मजिस्ट्रेटको चाहियेकि हरएक गवाहकी शहादतका खुलासाजैसे जैसेगवाहका इजहारहोताजाय बतौरयाददाश्तके लिखताजाय ॥

मुकद्दमात काबिल सम्मनमें और मजिस्ट्रेट दर्जाअव्वल और दर्जादोमकेरूबरू बाज जुर्मोंकी तजवीजमेंतहरीरशहादत,

ऐसीयाददाश्त मजिस्ट्रेटके कलमखाससे तहरीर पाकर और उसके दस्तखत से मुजय्यन होकर शामिल मिसल कीजायेगी ॥

अगर मजिस्ट्रेट याददाश्त हस्ब मजकूरै बाला लिखनसके तो उसको चाहिये कि अपनी माजूरी की वजह तहरीर करे और याददाश्त मजकूर अपनी जबान से कचहरी आममें लिखवाये और उसपर अपने दस्तखत सब्त करे और वह याददाश्त शामिल मिसल कीजायेगी ॥

दफा३५६—बाकी और २ तजावीज में जो रूबरू अदालत हाय सिशन और मजिस्ट्रेटों के (बइस्तस्नाय मजिस्ट्रेटान प्रेजीडंसी के) अमल में आय और जुमलै तहकीकातों में जो मुताबिक बाब १२ व १८ केहों शहादत हरगवाह की बजबान मुरव्विजै अदालत मारफत मजिस्ट्रेट या सिशनजज के या मजिस्ट्रेट या सिशनजज की हाजिरी और समाअत में और उसकी जाती हिदायत और निगरानी से कलम्बन्द की जायगी और उसपर मजिस्ट्रेट या सिशनजज के दस्तखत सब्त होंगे ॥

प्रेजीडंसी शहरों केबाहर और २ सूरतों में तहरीर शहादत,

जब ऐसे गवाह की शहादत जबान अंगरेजी में अदाकीजाय तो मजिस्ट्रेट या सिशनजज को अख्तियारहै कि उसको अपने कलमसे जबान मजकूर में लिखे और सिवाय

अदायशहादत अंगरेजीमें

उस सूरत के कि शख्स मुलज़िम ज़बान अँगरेज़ी से वाकिफ़ हो या जबान अदालतकी अंगरेजी हो तर्जुमा मुसद्दिका उस शहादत का जबान मुरव्विजै अदालत में तहरीरहोकर शामिल मिसल किया जायेगा ॥

जिनमुकद्दमातमें मजिस्ट्रेट या सिशनजज शहादतको कलम्बंद न करे उसको लाजिम है कि जैसे २ एक एक गवाह का इजहार होताजाय गवाहके बयान का खुलासा बतौर याददाश्त लिखताजाय और याददाश्त मजकूर खास मजिस्ट्रेट या सिशनजज अपनेहाथ से लिखेगा और वह बादसब्तहोने दस्तखत मजिस्ट्रेट या सिशनजज के मिसल में शामिल की जायेगी ॥

याददाश्त जबकि शहादत मजिस्ट्रेट या जजखुद कलम्बन्द न करे,

अगर मजिस्ट्रेट या सिशनजज हस्ब मजकूरै सदर याददाश्त लिखने से माजूर हो तो उसको माजूरी की वजह लिखनी लाजिम होगी ॥

दफा३५७—लोकलगवर्नमेण्ट को इसहुक्म के सादिर करने का अख्तियार है कि किसी जिले या हिस्से जिले में या उन कार्रवाइयों में जो किसी अदालतसिशन या किसी मजिस्ट्रेट या खास दरजेके मजिस्ट्रेट के रूबरू हों मजिस्ट्रेट या सिशनजज मुकद्दमात मुतजक्किरै दफा ३५७ में अपने हाथसे अपनीही मादरी जबानमें इजहार हर गवाह का लिखे इल्ला उस सूरतमें कि सिशनजज या मजिस्ट्रेट किसी वजह मवज्जहसे किसी गवाह का इजहार खुद न लिख सके कि ऐसी सूरत में उसको चाहिये कि अपनी माजूरी की वजह तहरीर करे और कचहरी आममें खुद अपनी जबान से इजहार लिखवाये ॥

शहादत जिस जबान में कलम्बदकीजायगी,

जोइजहार इसतौरसे कलम्बंदहो उसपर सिशनजजयामजिस्ट्रेट केदस्तखतसब्तहोंगे और वहशामिल मिसलकियाजायेगा॥

मगरशर्त यहहै कि लोकलगवर्नमेण्ट सिशनजज या मजिस्ट्रेट को हिदायत करसक्ती है कि इजहार गवाहका जबान अंगरेज़ी या

जबान मुरव्विजै अदालत में लिखे गो उनमें से कोई जबान उसकी जबान मादरी न हो ॥

दफा ३५८—मुक़द्दमात किस्ममुतज़क्किरै दफा ३५५में मजिस्ट्रेट

मुकद्दमाततहतदफा३५५ मेंमजिस्ट्रेटकी मरज़ी,

कोअख्तियारहै किअगरमुनासिबसमझे किसी गवाहकी शहादत उस तरीकपर ले जोदफा ३५६ में मजकूरहै या अगर मजिस्ट्रेट मजकूरके इलाके हुकूमतके हुदूद अरजी केअन्दर लोकलगवर्नमेण्टसे हुक्ममुतज़क्किरै २५७ सादिरहुआतो मुताबिक उसतरीके के इजहार कलम्बंद करे जो दफामजकूर में मुकर्रहै ॥

दफा३५९—जो शहादत दफा ३५६ यादफा ३५७ के मुता

शहादत केकलमबदक रनेकातरीकातहतदफा३५६ या दफा३५७के,

बिकलीजाय वह उमूमन् बतौर सवाल व जवाब केकलम्बंद नकीजायेगी बल्कि बशक्लबयान मुसलसलके ॥

मजिस्ट्रेट या सिशनजजको अख्तियारहै किहस्ब इक्तिजायराय अपने कोई खास सवाल व जवाब कलम्बन्दकरे या कराये ॥

दफा३६०—जैसे २ एक २गवाहकी शहादत जो हस्ब दफा

जाबितादरखसूसवेसी शहादत के जब कि मुकम्मिल होजाय,

३५६या३५७लीगईहो मुकम्मिल होतीजाय वहबमुवाजह शख्समुल्जिमके अगर वहहाज़िर हो या बमुवाजह उसके वकीलके अगर वह वकालतन हाजिरहो गवाहको पढ़कर सुनादी जायेगी और बशर्त्त जरूरत उसकी इसलाह की जायेगी ॥

अगर उसवक्त जबकि गवाहको उसका इजहार सुनाया जाय गवाह किसी बयान मुंदर्जै इजहारकी सेहतसे मुन्किरहो तो मजिस्ट्रेट या सिशनजजको अख्तियार है किउसकी इसलाह न करके इजहारपर उसएतराजकी याददाश्त लिखले जो गवाहने किया हो और अपनी कैफियतभी अगरजरूरत पाईजाय उसपरलिखदे॥

अगर इजहार उसजबानमें जिसमें गवाह इजहार दे तहरीरन कियाजाय बल्कि दूसरी जबानमें तहरीरहो और गवाहउस जबान को जिसमें उसका इजहार कलम्बंद हो न समझताहो तो जि-

सजबान में उसने इजहार दिया हो उसजबानमें या और किसी जबानमें जिसको वहसमझताहो उसका इजहार तर्जुमा होकर उसको सुनादियाजाय ॥

दफा ३६१— जबकभी शहादत ऐसी जबान में अदाकीजाय

मुल्जिमयाउसकेवकील कोशहादतकासुनादेना,

जिसको शख्स मुल्जिम न समझताहो औरमुल्जिमउसवक्त असालतन् हाजिरहो तो वह शहादत सरेइजलास उसजबानमें तर्जुमाहोकर उसको सुनादीजायेगी जिसको वहसमझताहो ॥

अगर शख्स मुल्जिमवकालतन् हाजिर हो और शहादत सिवायज़बान मुस्तमिलै अदालत के किसी और जबान में अदाकीजाय जिसको उसकावकील न समझताहो तो वह शहादतजबानमुस्तमिलै में तर्जुमाहोकरवकीलको समझादीजायेगी ॥

जबदस्तावेजातसुबूतबाजाबितहकी अग़राज के लिये दाखिल कीजायँ अदालत मजाज होगी कि हस्बइक्तिजायराय अपने उस कदर दस्तावेजातका तर्जुमाकराये जोजरूरी मालूमहों ॥

दफा३६२—हरमुक़द्दमेमें जिसमें मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी किसी

तजवीजशहादतप्रेजीडंसी मजिस्ट्रेटोंकीअदालतोंमें,

कदर जुर्मानाआयदकरेजो२००) रुपयेसेजियादहहोयाकैदजो छः महीनेसे जियादहहो तजवीज करेउसकोलाजिमहै कि शहादत गवाहोंकी अपनेहाथसे कलम्बंद करे या उसको सरेइजलास अपनीजबानसे दूसरे से लिखवादे और तमाम शहादत जो इसतौरसे कलम्बंद हो बाद सब्तदस्तखत मजिस्ट्रेट के शामिल मिसल कीजायेगी ॥

जो शहादत इसतौरसे लीजाय बिलउमूम बतौरबयानमुसलसल के कलम्बंदकीजायगी मगर मजिस्ट्रेटमजाजहै कि हस्बइक्तिजाय राय अपने किसखासवाल या जवाबको लिखले या लिखवाये॥

चंदअहकाम सजा जो दफा२५के मुताबिक एकहीवक्त सादिर कियेजायँ इस दफाकी अग़राज के लिये बमंजिलै हुक्म सजाय वाहिद समझे जायँगे ॥

दफा ३६३—हरसिशनजज या मजिस्ट्रेट को जो किसीगवाह

राय निस्बत औजाय व हरकात गवाहके,

कीशहादत कलम्बंदकरे लाजिमहै कि इजहार देनेकेवक्त गवाह मजकूरकी जैसी औजअ व हरक़ात पाईजायँ उनकी निस्बत अपनीराय (अगरकुछहो) जिसकदर जरूरी मालूमहो तहरीर करे ॥

दफा ३६४—जब किसी शख्स मुल्जिम का इजहार मारफ़त

इजहार मुल्जिम का क्योंकर कलमबंद किया जायगा,

किसीमजिस्ट्रेट और अदालतके सिवाय अदालत हाईकोर्ट के जो मुताबिक सनदशाही के मुकर्रर हुई है या सिवाय चीफकोर्ट पंजाब के लिया जाय तो वह तमाम इजहार मयजुमलै सवालातके जो मुल्जिमसे कियेजायँ और नीजजुमलै जवाबातके जोवह दे लफ्ज बलफ्ज उस जबानमें कलम्बंद किये जायँगे जिसमें कि उसका इजहार लियाजाय अगर यह ग़ैर मुमकिन हो तो अदालत की जबान में या बजबान अंगरेज़ी तहरीर होकर उसको मुआयना करायाजायेगा या उसके रूबरूपढ़ाजायेगा और अगर वह उस जबान को न समझताहो जिस में कि इजहार लिखागया हो तो उसजबानमें जिसको वह समझताहो तर्जुमाहोके उसको सुना दियाजायेगा और उसको अख्तियार होगा कि अपने जवाबकी तौजीह करे या कुछ और बयान लिखवाये ॥

जब तमाम तहरीर उसबयानके मुवाफिक होजाय जिसको वह सचजाहिरकरता हो तबमुल्जिम के दस्तखत और मजिस्ट्रेट या ऐसी अदालतके जजके दस्तखत इजहारपर सब्त होंगे और ऐसा मजिस्ट्रेट या जज अपने हाथसे इस अम्रकी तसदीक लिखेगा कि वह इजहारउसके मवाजह और उसके समाअतमें कलम्बंद कियागया और उसमें शख्स मुल्जिमका तमामबयान सही व दुरुस्त मुंदर्ज है ॥

जिन मुकद्दमातमें कि इजहार शख्स मुल्जिमका मजिस्ट्रेट या सिशनजजकी मारफतकलम्बंद न कियाजाय तो मजिस्ट्रेटया जजको लाजिम है बजुजउससूरतके कि वह मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी हो कि जैसे २ गवाहका इजहार होताजाय इजहारकी एकयाद-

दाश्तबजबान मुस्तैमिला अदालत या बजबान अंगरेजी लिखता जाय अगर वह जबान अंगरेजी से बकदर काफी वाकिफहो और मजिस्ट्रेट या जजमजकूरको चाहिये कि ऐसी याददाश्त अपने कलमखाससे लिखे और उसपर अपने दस्तखत सब्तकरै और वहयाददाश्त शामिल मिसल कीजायेगी अगर मजिस्ट्रेट या जज मजकूर ऐसी याददाश्तके लिखनेसे माजूरहो तो उसको लाजिम है कि अपनी माजूरीकी वजह लिखे॥

कोई इबारत इस दफा की शख्स मुल्जिम के इज़हार से मुतअल्लिक़ न होगी जो हस्ब दफ़ा २६३ के लियाजाय॥

तहरीर शहादत हाई कोर्ट में, दफ़ा३६५—हरअदालत हाईकोर्टको जो बमूजिब फरमानशाहीके मुक़र्ररहुईहो और नीज़चीफ़कोर्ट पंजाबको अख्तियारहै कि वक्तन् फवक्तन् बज़रिये क़ायदे आमकेयहबात मुक़र्ररकरे कि जो२मुकद्दमात उन अदालतोंके रूबरू पेशहों उनमेंशहादत किसतौरपर क़लम्बंद कीजायगी और अदालत मज़कूरकेजजोंकोलाज़िमहोगाकिमुताबिकउसीक़ायदेके(अगरकोई मुक़र्ररहुआहो) शहादतको या उसका खुलासा क़लम्बन्दकरें॥

बाब२६॥

बाबत तजवीज के॥

तजवीज के सुनानेका तरीक़ा, दफ़ा३६६—तजवीज़ हर मुकद्दमेकी जो मारफ़त किसीअदालत फौजदारी मजाज समाअत इब्तिदाई फैसल कियाजाय बरसर इजलास उसीवक्त या किसी तारीख माबादपर जिसकी इत्तिलाअ फरीक़ैन या उनके वकलाको हस्ब जाबिते दीजायेगी पढ़सुनाई जायेगी और शख्समुल्ज़िम हिरासत में होतो वह अदालतमें हाज़िरकियाजायेगा और अगर हिरासतमें न हो तो उसको तजवीज़ सुननेके लिये हाज़िर होने का हुक्मदिया जायेगा इल्ला उससूरतमें कि उसका दौरान तजवीज़में असालतन् हाजिररहना मुआफ कियागयाहो और हुक्म

सजामें सिर्फ़ जर्माना आयद कियागयाहो कि उससूरतमें जायज है कि वह तजवीज उसके वकील के मवाजह में सुनाईजाय ॥

दफ़ा ३६७–ऐसी हर तजवीज बजुज़ उस सूरत के जिसकी

तजवीज किसजबानमें होगी,

बाबत कोई और हुक्मसरीह इसमजमूये में मुन्दर्जेहो अदालतके हाकिम इजलासकुनिन्दाके क़लम खास से अदालतकी जबान में या अंगरेजीजबानमें तहरीर कीजायगी और उसमें अम्र या उमूर तन्क़ीह तलब दर्जकियेजायेंगे और फैसला हर अम्र मजकूरका और वजूहफैसला लिखीजायेंगी और

मज़ामीन तजवीज

उसपर तारीख और दस्तखत बक़लम हाकिम इजलासकुनिंदै तजवीज सुनाने के वक्त सब्त किये जायेंगे ॥

तजवीज मजकूर में सराहत उस जुर्म की (अगरकोईहो) जिसकी पादाशमें और मजमूये ताजीरातहिन्द की उसदफ़ा की या किसी और क़ानूनकी जिसके मुताबिक़ शख्स मुल्जिम पर

ऐक्ट४५ सन्१८६० ई०

हुक्मसजा सादिर कियागया दर्जकीजायेगी और नीज़ तादादसजा (अगरकुछहो) जो उसकेलिये तजवीजहुईहो ॥

जब मुजरिम पर कोई जुर्म मुक़र्ररह मजमूये ताजीरातहिन्द

तजवीजआलिस्सबीलु लबदलियत,

साबितक़रारदियाजाय और इसअम्रमें शुभहहो कि जुर्ममजकूर मजमूये मजबूरकी दोदफ़आत मेंसे किस दफ़ामें दाखिल है या दफ़ावाहिदकी दोजिम्नों में से किस जिम्न में दाखिलहै तो अदालतको चाहिये कि इश्तिबाह को साफ करके तजवीज अलिस्सबीलुल्बदलियत सादिरकरे ॥

अगर तजवीजकी रूसे शख्समुल्जिम जुर्मसे बरीकियागयाहो तो तजवीज में अदालत वह जुर्म लिखेगी जिससे कि शख्स मुल्जिम बरीकियाजाय और यहहिदायतकरेगी कि वहरिहाईपाये ॥

अगर शख्स मुल्जिमपर ऐसा जुर्म साबित क़रार दियाजाय जिसकी सजा मौत मुक़र्रर है और अदालत की तजवीज से उसको कोई और सजा सिवाय मौत के दीगई हो तो अदालत को लाजिम है कि अपनी तजवीज में वजह इसबातकी जाहिर करे कि क्यों सजा मौतकी आयद नहीं की गई ॥

मगर शर्त यह है कि जिन मुक़द्दमात में जूरी की मारफत तजवीजहो अदालतको कोईतजवीज लिखनी ज़रूरनहीं है बल्कि अदालत सिशन को लाज़िम है कि अहलजूरी को जो हिदायत कीजाय उस हिदायतकी मदातको कलम्बन्दकरे ॥

हुक्मसज़ायमौत, दफा ३६८– जब किसी शख्सकी निस्बत हुक्मसज़ाय मौत सादिरहो तो हुक्ममें यह हिदायत कीजायेगी कि वहशख्स उस अरसेतक गुलूबस्ता लटकायाजाय कि उसका दम निकलजाय ॥

हुक्मसज़ायहब्सबउबूर दरियाय शोर, हुक्मसजाय हब्स बउबूर दरियायशोरमें उस मुक़ामकी तसरीह न होगी जिसमें कि शख्स सज़ायाब को भेजना मंज़ूरहो ॥

अदालत तजवीजको तबदील न करसकेगी, दफा ३६९–किसीअदालतको बइस्तस्नाय हाईकोर्टके अख्तियार नहीं है कि जब अपनी तजवीज पर एक मर्त्तबा दस्तखत करचुके उसमें कुछ तब्दील या नज़रसानीकरे इल्ला उसतौरपर जिसकाजिक्र दफा ३९५ में हुआ है या वास्ते तसहीह गल्ती किताबतके ॥

प्रेजीडंसी मजिस्ट्रेट की तजवीज, दफा ३७०—प्रेजीडंसी के मजिस्ट्रेटको लाजिमहै कि तरीक़े महकूमै सदरके मुताबिक़ तजवीज लिखने के इवज उमूर मुफस्सिलै जैल क़लम्बन्दकरे ॥

(अलिफ)–मुकद्दमेका नम्बर तरतीबी ॥

(बे)–तारीख इर्तिकाब जुर्म ॥

(जीम)–नाम मुस्तगीस अगर कोईहो ॥

(दाल)–नाम शख्स मुल्जिमका और (बजुजरिआयाय वृटानिया अहलयूरुपके) उसकी वल्दियत व सकूनत ॥

(हे)–जुर्म जिसकाइल्जाम लगायागया या जो साबित करार दियागया ॥

(वाव)--उज़्र शख्स मुल्जिमका और उसका इजहार (अगर कुछ लियागयाहो) ॥

(जे)–हुक्म अखीर ॥

(हे)-तारीख हुक्म मजकूर ॥

(तो)-उनसब मुक़द्दमातमें जिनमें मजिस्ट्रेट कैदकी सज़ा तजवीजकरे या जुर्माना दोसौरुपयेसे ज़ियादह तादादका या दोनों सज़ायें आयदकरे एक मुख्तसिर कैफियत वजूह साबित करार देने जुर्म की ॥

दफ़ा ३७१- तजवीज शख्स मुल्जिमको समझादीजायेगी और उसकी दरख्वास्तपर तजवीजकी एक नकल या जब वहख्वाहिश जाहिरकरे तजवीजका तर्जुमा उसीकी जबानमें अगर उसका तय्यार करना मुमकिनहो या बजबान मुस्तैमिला अदालत उसको बिला तवक्कुफ दियाजायेगा लाजिम है कि नकल मजकूर हरसूरत में अलावह मुक़द्दमै लायक़ इजराय सम्मनके बिलाउजरत दीजाय॥

मुल्जिमको तजवीज समझादीजायेगी औरनकलदीजायेगी,

लाजिमहै कि उन मुक़द्दमातमें जो मारफत जूरीके अदालत सिशनमें तजवीज कियेजायें नकल मदात हिदायत हाकिम जो जूरीको सुनाईजाय शख्स मुल्जिमकी दरख्वास्तपर बिलादिरंग व बिलाखर्चा दीजाय॥

जब शख्स मुल्जिमकी निस्बत सिशनजजके हुक्मसे सज़ाय मौत तजवीजकीगईहो तो जजमजकूरको चाहिये कि मुल्जिमको इसबातसेभी मुत्तिलाकरे कि अगरउसको अपीलकरना मंजूरहोतो किस मीआदके अन्दर अपीलरुजूअ करना चाहिये ॥

उसशख्सकी सूरत में जिसकी निस्बत हुक्म सजायमौत सादिरहुआहो,

दफ़ा ३७२---असल तजवीज मुकद्दमे की मिसलमें शामिल की जायेगी और अगर असल तजवीज सिवाय जबान मुस्तैमिला अदालत के किसी और जबानमेंलिखीहुईहो और मुल्जिम ख्वास्तगारहो तो तर्जुमा उसका बजबान मुस्तैमिला अदालत मुरत्तिब होकर मिसल में शामिल कियाजायेगा ॥

तजवीजका कब तर्जुमा कियाजायेगा,

दफ़ा ३७३-जिन मुकद्दमातकी तजवीज अदालत सिशनके

अदालत सिशन तजवीज और हुक्म सजाकी नकल मजिस्ट्रेटके पास भेजदेगी,

रूबरूहो अदालत मजकूरको लाजिम है कि अपनी तजवीज और हुक्म सजाकी एक नकल (अगर कोई हो) उस जिलेके मजिस्ट्रेटके पास भेजदे जिसके इलाके हुकूमत की हुदूद अरजी के अन्दर मुकद्दमेकी तजवीज हुईथी॥

बाब २७॥

बाबत तस्दीक अहकाम सजा बगरज बहाली अदालत आला में॥

हुक्म सजाय मौत अदालतसिशनमुर्सिलकरेगी,

दफा ३७४—जब अदालत सिशन हुक्म सजाय मौत सादिरकरे तो कागजात मिसल अदालत हाईकोर्ट में मुर्सिल किये जायेंगे और हुक्म मजकूर की तामील न कीजायेगी इल्ला उस सूरत में कि वह हाईकोर्ट से बहालरक्खा जाय॥

हिदायतकरनेका अख्तियार कि तहकीकात मजीद कीजाय या शहादतमजीद कीजाय,

दफा ३७५—जब ऐसे कागजात मिसल मुर्सिल कियेजायँ अगर हाईकोर्ट की यह रायहो कि किसी ऐसे अम्र की बाबत तहकीकात मजीदकीजाय या शहादतमजीद लीजाय जो शख्स मुजरिम करारदादहकी कुसूरवारी या बेगुनाहीसे तअल्लुक रखताहो तो हाईकोर्टको अख्तियार है कि खुद तहकीकात मजकूरकरे या शहादत मजीद ले या अदालत सिशनको तहकीकातकरने या शहादत मजीद लेनेकी हिदायत करे॥

ऐसी तहकीकात या शहादतरूबरू अहाली जूरी या असेसरके न अमलमें आयेगी और न लीजायगी और बजुज उससूरतके कि अदालत हाईकोर्टसे और तरहपर हिदायत हो शख्स मुजरिम करारदादहका उसवक्त हाजिर रहना जरूर नहीं है जब वह तहकीकात कीजाय या शहादत लीजाय॥

नतीजा ऐसी तहकीकात या शहादतका जब कि हाईकोर्ट खुद तहकीकात न करे और शहादत न ले बजरिये सार्टीफिकट हाईकोर्ट मजकूरमें मुरसिल कियाजायेगा॥

दफा ३७६—हर मुकद्दमे में जो दफा ३७४ के बमूजिब

अख्तियार हाईकोर्टका दरबारहुक्महाल रखनेहुक्म सजाके या मन्सूख करने उसतजवीजके जिसकीरूसे जुर्म साबित करारपायाहो,

सिपुर्दहुआहो आमइससे कि उसकीतजवीज ब अआनतअसेसरान या अहलजूरीके हुईहोहाई-कोर्ट को अख्तियार है कि ॥

(अलिफ़)–हुक्म सजाको बहालरक्खे या कोई और हुक्म सजा जो कानूनन् जायज हो सादिरकरे या ॥

(बे)–उस तजवीज को जिस की रू से जुर्म साबित करार पायाहो मन्सूखकरे और मुल्ज़िमपर ऐसा जुर्म साबित तज-वीजकरे जो अदालत सिशन कायम करसक्ती है या बरबिनाय उसी फर्द करारदाद जुर्म या फर्द मुसहै के अजसरेनौ तजवीज होने का हुक्मदे या ॥

(जीम)–शख्स मुल्ज़िमको जुर्मसे बरीकरे ॥

मगर शर्त यह है कि कोई हुक्म बहालीकाहस्ब दफा हाजा सादिर न कियाजायेगा तावक्ते कि मीआदअपीलके दायरकरनेकी न गुजरजाय या अगर अपील मीआद मजकूर के अन्दर दायर हो चुकाहो तो तावक्ते कि अपीलका तस्फिया न होजाय ॥

दफा ३७७–हर मुकद्दमे में जो हस्ब मुतजक्किरै सदर सिपुर्द

बहाली हुक्म सजा या नयेहुक्म सजापर दो जज के दस्तखतहोंगे,

कियाजाय हाईकोर्ट की तजवीज का जो मुश-अर बहाली हुक्म सजा हो या किसी और त-जवीज या हुक्म जदीद का जो हाईकोर्ट से सादिर हो जब कोर्ट मजकूर में दो या जियादह हाकिम हों कमसे कम दो हुक्काम के हाथसे कलम्बन्द होकर सादिरहोना और उस पर उनके दस्तखत का सब्त होना जरूरियात से है ॥

दफा ३७८–जब ऐसा मुकद्दमा चन्द हाकिमों के बेंचके रूबरू

जाबिता इख्तिलाफ रायकी सूरतमें,

समाअत कियाजाय और उन हाकिमों में इ-ख्तिलाफ राय मसावी हो तो वह मुकद्दमा मय आरा उन हाकिमों के किसी और हाकिम के रूबरू पेश कियाजायेगा और हाकिम आखिरुज्जिक्र बाद उसकदरसवाल व

जवाब और समाअत के जो उसको मुनासिब मालूमहो अपनी राय जाहिर करेगा और तजवीज़ या हुक्म उसी रायके मुताबिक सादिर कियाजायेगा ॥

जाबिता उन मुकद्दमात में जो बहालीके लिये हाई कोर्ट में पेशहों,

दफा ३७९ जो मुकद्दमात अदालत सिशनसे अदालत हाई-कोर्ट में वास्ते बहाली हुक्म सजाय मौतके सिपुर्दकियेजायँ हाईकोर्टके अहल्कारमुनासिब को लाजिमहै कि बिला तवक्कुफ बाद सादिर होने हुक्म बहाली सजा या किसी और हुक्म मुसद्दिरै हाईकोर्ट के नकल उस हुक्म की बादसब्त मोहर हाईकोर्ट और बतसदीक अपने दस्तखत के अदालत सिशनमें मुरसिल करे ॥

असिस्टंट सिशनजज या मजिस्ट्रेट कारगुजार तहत दफा३४ के हुक्म सजा की बहाली,

दफा ३८०– जब कोई हुक्म सजा मुसद्दिरै किसी असिस्टंट सिशनजज या मजिस्ट्रेट जिलेका जो दफा ३४ के बमूजिब अमल करता हो सिशन जज के पास बहाली के लिये पेश कियाजाय तो सिशन जज मजकूर को अख्तियार है कि ॥

(अलिफ)–उस हुक्म सजा को बहाल रक्खे या कोई और हुक्म सजा सादिरकरे जिसे अदालत मातहत सादिर करसक्ती है ॥

(बे)–उसतजवीजको जिसकीरूसे जुर्म साबित करारपाया हो मन्सूख करे और मुल्जिमपर ऐसा जुर्म कायम करे जिसको अदालत मातहत कायम करसक्ती हो या बरबिना उसी फर्द करारदाद जुर्म या फ़र्द मुसद्देके अजसरेनौ तजवीजहोनेका हुक्मदे या॥

(जीम) -शख्स मुल्जिम को जुर्म से बरीकरे या ॥

(दाल)–अगर जज मौसूफके नजदीक तहकीकात मजीद या शहादतजायद ऐसे किसी अम्रकीबाबत जरूर मालूमहो कि शख्स मुल्जिम कुसूरवार है या बेकुसूर तो उसको जायज है कि ऐसी तहकीकात अमलमें लाये या शहादत मजकूर खुद ले या हिदायत करे कि ऐसी तहकीकात अमलमें आये या शहादत लीजाय ॥

बजुज उस सूरत के कि अदालत सिशन से और तरहपर हिदायत हो जायज है कि शख्स मुल्जिम उसवक्त हाजिर रहने से

मुआफ कियाजाय जब ऐसी तहकीक़ात कीजाती हो या शहादत लीजाती हो और जब हुक्म सजा किसी असिस्टंट सिशन जजकी तरफ से मुरसिलहुआ हो तो ऐसी तहकीकात रूबरू अहलजूरी या असेसरों के न अमलमें आयेगी न शहादत लीजायेगी ॥

जब ऐसी तहकीकात और शहादत (अगर कुछ हो) मारफत खुद अदालत सिशन के न कीजाय या न लीजाय तो नतीजा ऐसी तहकीकात और शहादत का बजरिये सार्टीफिकट अदालत सिशन में मुरसिल किया जायेगा ॥

बाब २८ ॥

बाबत तामील अहकाम सजा ॥

तामील हुक्म जोहस्ब दफा ३७६ सादिर हो,

दफा३८१——जब कोई हुक्म सजाय मौत मुसद्दिरै अदालत सिशन बहाली के लिये हाईकोर्ट में मुरसिल किया जाय तो अदालत सिशन को लाजिमहै कि हाईकोर्ट का हुक्म बहाली या और हुकूम जो उसपर सादिर हुआहो हासिलकरके हुकूम मजकूर की तामील बजरिये इजराय कितैवारंट या किसीऔर तरीकपरअमलमेंलायेजोजरूरमालूमहो॥

इल्तवाय हुकुम सजाय मौत जो हामिला औरत पर सादिरहो,

दफा३८२—अगर कोई औरत जिसके नाम हुकूमसजाय मौत सादिर हुआहो हामिला पाई जाय तो हाई कोर्ट को लाजिम है कि वास्ते इल्तवाय तामील उस हुकूम सजाके हुकूम दे और उसको अख्तियार है कि उसहुक्म के बदले हुकूम हब्सदायमी बउबूर दरियाय शोर सादिर करे ॥

और सूरतो में हुक्म सजाय हब्सबउबूर दरियाय शोर या कैद की तामील,

दफा३८३——×जब शख्स मुल्जिम पर सिवाय उन मुकद्दमातके जो दफा ३८१ में मरकूमहैं और और मुकद्दमात में हुकूम हब्स बउबूर दरियाय शोर या कैद का सादिर कियाजाय तो अदालत सा-

---

×दरबारह तामील अहकाम सजाय कैद के अपरब्रह्मा में जिसकी मीआद छः ६ मास होना- या उस से कमहो देखो कानून ७ सन् १८८६ ई० के जमीमा की दफा १३ मगर दरबारह रिआयाय बृटानिया अहल यूरुप के देखो दफा २२ हेजुन——

दिर कुनिन्दै हुक्म सजा को लाजिमहै कि फ़ौरन् वारंट उस जेल-खाने में भेजदे जिसमें शख्स मुल्जिम मुकय्यद होने वाला हो और बजुज उस सूरत के कि शख्स मजकूर पहिले से जेलखाने में मुकय्यद हो उसे मय वारंट के जेलखाना मजकूर में भेजदे ॥

वारंट बगरज तामील किसकेनामलिखाजायेगा,

दफा ३८४—हर वारंट जो बाबत तामील हुक्म सजाय कैद के हो उस जेल खाने या और मुकामके अफसर मोहतमिम के नाम लिखा जायेगा जिसमें मुजरिम मुकय्यद हो या मुकय्यद होनेवालाहो ॥

वारंट किसके हाथमें दया जायेगा,

दफा ३८५—जब शख्स मुजरिम जेलखाने में कैद होनेवाला हो तो वारंट जेलर के हाथमें दियाजायेगा ॥

वारंट बगरज वसूल जुर्मानाके,

दफा ३८६—जब किसी मुजरिम पर हुक्म सजाय अदाय जुर्माना सादिर कियाजाय तो अदालत सादिर कुनिन्दै हुक्म मजकूर को अख्तियार है कि अगर मुनासिब समझे कितै वारंट बगरज वसूलजर जुर्माना बजरिये कुर्की और नीलाम जायदाद मन्कूला ममलूका मुजरिम मजकूर के जारी करे गो हुक्म सजामें यह हिदायत हो कि दर सूरत अदम अदाय जुर्माना के मुजरिम कैद किया जायगा ॥

वैसे वारंट का असर,

दफा ३८७—जायज है कि ऐसा वारंट उस अदालतके इलाके हुकूमतकी हूदूद अरजी के अंदर तामील किया जाय और उसमें यह अख्तियार दिया जायेगा कि किस्म मजकूर की जो कुछ जायदाद उन हुदूदके बाहर हो वह भी कुर्क और नीलाम कीजाय बशर्ते कि वारंटकी जोहर पर उस मजिस्ट्रेट जिला या उस प्रेजीडन्सी के चीफमजिस्ट्रेट के दस्तखतहों जिसकेइलाके की हुदूद अरजीके अंदर वह जायदाद दस्तयाब हो ॥

हुक्म सजाय कैद की तामील का इल्तवा,

दफा ३८८—जब मुजरिम पर सिर्फ जुर्माने की सजा तजवीज कीजाय और दरसूरत अदम अदायजुर्माना कैद तजवीज कीजाय और अदालत दफा ३८६ के

मुजरिम ऐसा तन्दुरुस्त नहीं है कि सजाय बाकी मुन्दैको बरदाश्त करे तो सजाय ताजियाना कतअन् मौकूफ कीजायेगी॥

दफा३९५--हरमुकद्दमेमें जिसमें दफा३९४कीरूसे तामीलहुक्म

जाबिता अगर सजा हस्ब दफा ३९४ अमल में न आसक,

सजाय ताजियाना की कुल्लन् या जुजन् मसदूद करदीजाय शख्स मुजरिम उसवक्त तक हवालात में रक्खाजायेगा जबतक कि अदालत सादिर कुनिन्दै हुक्मसजा उसकी तरमीम न करे और अदालत मौसूफ मजाजहोगी कि हस्ब इक्तिजाय राय अपनी सजाय तजवीज शुदहको मुआफकरदे या बजाय हुक्म ताजियाना या बजाय उसकेदरजुज्व सजाय ताजियानाके जिसकीतामील न हुईहो शख्स मुजरिमको किसी मीआदके लिये क़ैद रहनेका हुक्मदे जो बारहमहीनेसे जियादह नहो और यह किसी और सजाकेअलावह होसक्ती है जो उसीजुर्मकी बाबत उसकेलिये पहिले तजवीज होचुकीहो॥

इस दफाकी किसी इबारत से यह न समझा जायेगा कि अदालत उसमीआदसेजियादह अय्यामतक कैद तजवीज करसक्ती है जिसका शख्स मुल्जिम कानूनन् सजावारहो या जो अदालत तजवीज करने की मजाज है॥

दफा३९६—जबहुक्मसजा किसी मुजरिम फरारीकी निस्बत

मुजरिमान फरारीपर हुक्म सजा की तामील,

इस मजमूये के बमूजिब सादिर किया जाय तो अगर ऐसाहुक्म सजा बाबतमौत या जुर्माना या ताजियानाकेहो वह बक़ैद शरायत मुन्दर्जै माकब्ल मजमूये हाजा बफौर सिदूर हुक्मके असर पिजीर होजायेगा और अगर सजाय कैद या मशक्कत ताजीरी या हब्स बउबूर दरियाय शोरकी बाबत हो तो मुताबिक कवायद मुन्दर्जै जैलके असर पिजीर होगा॥

अगर सजाय जदीद बएतबार उसकी नवय्यत के उस सजा से जियादह शदीदहो जोशख्स मुजरिम उसवक्त तै करताथा जब वह फरारहोगया तो सजाय जदीद फौरन् असरपिजीर होजायगी॥

जब सज़ाय जदीद बएतबार उसकी नवय्यत के उस सजा से जियादह शदीद नहो जो मुजरिम फरारहोनेकेवक्त तैकरताथा

तो असरसजाय जदीदका उसवक्त शुरूहोगा जब वह क़ैद या मशक़्क़त ताज़ीरी या हब्स बउबूर दरियाय शोर जैसा मौक़ाहो उसअरसे मजीदतक काटले जोउसके मफ़रूरहोनेकेवक्त उसकी मीआद साबिक़मेंसे मुन्क़ज़ी होनेको बाक़ीथा ॥

तशरीह—इसदफ़ाकेमक़सूदकेलिये ॥

(अलिफ़) सजाय हब्सबउबूर दरियाय शोर या मशक़्क़त ताज़ीरी सजाय क़ैदसे जियादह सख़्त समझीजायेगी ॥

(बे) सजायक़ैद मयहब्स तनहाई उसीक़िस्मकी क़ैदसे जिसमें हब्सतनहाई शामिल नहो जियादह सख़्त समझी जायेगी ॥

(जीम) सजाय क़ैदसख़्तकी सजायक़ैद महज़से जिसमें हब्स तनहाई शामिल हो या न हो जियादह सख़्तसमझी जायेगी ॥

दफ़ा ३१७—जब ऐसे शख़्सकी निस्बत हुक्म सजाय क़ैद या मशक़्क़त ताज़ीरी या हब्स बउबूरदरियायशोर का ऐसेवक्तपर सादिर कियाजाय जब कि वह किसी और जुर्मकी पादाशमें कोई मीआदक़ैद या मशक़्क़तताज़ीरी या हब्स बउबूरदरियाय शोर तैकररहाहो तो वह सजाय क़ैद या मशक़्क़त ताज़ीरी या हब्स बउबूरदरियायशोर उसवक्त शुरूअहोगी जबवह क़ैद या मशक़्क़त ताज़ीरी या हब्सबउबूर दरियाय शोर मुन्क़ज़ी होजाय जोपहिली मर्तबे उसके लिये तजवीज हुईथी ॥

हुक्म सजाउस मुजरिमकी निस्बत कि जिसकी निस्बत किसी और जुर्म की हालतमें हुक्म सजा सादिर होचुकाहो,

मगर शर्त्त यहहै कि अगर शख़्स मज़कूर कोई मीआद क़ैदकी काटरहाहो और हुक्मसजा जो बसुबूतजुर्म मर्तबे सानी सादिर हो वास्ते हब्स बउबूर दरियायशोर के हो तो अदालत मजाज है कि अगर मसलहत देखे यह हिदायत करे कि पिछली सजाफ़ौरन् या वक़्तइन्क़ज़ाय उसमीआद क़ैदके शुरूअ होगी जो पहिली मर्तबा उसके लिये तजवीज कीगईथी ॥

दफ़ा ३१८—+[१]—दफ़ा ३१६—या दफ़ा ३१७की किसीइबा-

+यह दफ़ा ३१८ साबिक़ दफ़ाकी जगह ऐक्ट १० सन्१८८६ ई० की दफ़ा १० की रूसे क़ायम की गई है ॥

दफ़आत ३६६ व ३६७ का महफूज़ रहना, रत से यह मुतसव्विर न होगा कि कोईशख्स किसी ऐसे जुज्वसजा से बरी होगा जिसका वह माकब्ल या माबादकी तजवीज जुर्मकी रूसे मुस्तौजिब था॥

(२)—जब अदम अदाय जुर्माना के कुसूर में हुक्म सजायकैद ऐसे हुक्म सजायकैद असलीके साथ या हुक्म सजायकैदबउबूर दरियाय शोर या मशक्कत ताजीरी के साथ मिलादिया जाये जो किसी जुर्म मुस्तल्ज़िम सजायकैदके लिये सादिरहो—और उस शख्सको जो सजायकैद भुगतरहाहो बादभुगतने सजाय मजकूर के कैद या कैदबउबूर दरियायशोर या मशक्कत ताजीरी के असल हुक्म सजाय जायद या असल अहकाम सजाय जायदभी भुगतना पडे तो अदमअदाय जुर्मानाके कुसूरमें हुक्म सजायकैदअसर पिजीर न होगा जबतक कि शख्स मजकूर जायद हुक्म सजा या अहकाम सजाय मजकूर न भुगतचुकाहो॥

दफ़ा ३९९—*अगर किसी शख्स की निस्बत जिसकी उम्र सोलह बरससे कमहो किसी अदालत फौजदारी से किसी जुर्मकी इल्लतमें कैद की सजा तजवीज हुई हो तो अदालत मौसूफ को इसहुक्मके इसदारका अख्तियार रहेगा कि ऐसा शख्स जेलखाने फौजदारी में कैदकिये जानेके एवज ऐसे तादीबखानामें कैदकियाजाय जिसको लोकल गवर्नमेंट ने बतौर एक ऐसेमहब्स मुनासिबके मुकर्रर किया हो जिसमें तादीब मुनासिब और किसी पेशेमुफीद की तालिम के वसायल मौजूदहों--या जिसकी निगहदाश्त कोई ऐसा शख्स करताहो जो उन कवायदकी तामील पर राजीहो जिनको गवर्नमेंट बलिहाज तादीब व तालीम अशखास मुकय्यद तादीबखाने मजकूरके मुन्जबित फरमाये॥

तादीब गाहों में नाबालिग मुजरिमोंकी कैद,

*दफ़ा३९९—(जो साबिक़ मजमूआ जाबिता यानी ऐक्ट१० सन् १८७२ई० को दफ़ा ३१८—की मुतरादिफहै) उन सूबजातमें मन्सूखकीगई जहां तादीबगाहोंके ऐक्ट मुसद्दिरे सन्१८७६ई०का नाफिजुलअमलहोना मुश्तहिरकियागयाहै— देखो ऐक्ट५ सन्१८७६ई०की दफ़आत १—व२--और दफ़ा३—इसऐक्टकी,

जुमलै अशखास जो इस दफाके मुताबिक महबूसहों उन कवायदके पाबन्दरहैंगे जो गवर्नमेंट से तजवीजहों ॥

हुक्मसजाकी तामीलके बादवारंटकावापसकरना,

दफ़ा ४००—जब हुक्म सजाकी तामील पूरीहोजाय तोओहदेदार तामीलकुनिन्दा वारंटको लाजिमहोगा—कि वारंटकी पुश्तपर इसअम्रकी तसदीकलिखे कि हुक्मसजाकी तामील किसतरहकीगई--बादइसके अपनेदस्तखत सब्तकरके अदालत जारीकुनिन्दै वारंटमें वापसकरे ॥

बाब २९॥

बाबत इल्तवाय और मुआफी और तबदील अहकाम सजा ॥

अहकामसजाके मुल्तबी या मुआफ करने का अख्तियार,

दफ़ा ४०१—जब किसीशख्सपर किसीजुर्मकी पादाशमें कोई हुक्म सजा सादिरहुआहो तो जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसल या लोकलगवर्नमेंट मजाजहै--कि किसीवक्त बिला शर्त या बपाबन्दी उन शरायतके जिनकोशख्स मुजरिमकरारदादह कुबूलकरे उसकीसजाकी तामील मुल्तवीकरदे--या जोसजाउसके लिये तजवीजकीगईहो उसको कुलन् या जुजन् मुआफ करदे ॥

जब कोई दरख्वास्तवास्ते इल्तवाय या मुआफ कराने किसी हुक्मसजाकेरूबरू जनाब नव्वाबगवर्नरजनरलबहादुर बइजलास कौंसल या किसीलोकलगवर्नमेंटके पेशहोतो जनाबममदूह बइजलास कौंसल या लोकलगवर्नमेंट जैसा मौक़ाहो मजाजहै-कि उस अदालतके हाकिम इजलासकुनिंदाको जिसके रूबरू जुर्म साबित करारदियागयाथा या जिसने उसको बहाल रक्खाथा हुक्मदे कि अपनीराय लिखे कि दरख्वास्त मंजूरी या नामंजूरी के काबिल है मय वजूह अपनीरायके ॥

*अगर जनाब नव्वाब गवर्नरजनरलबहादुर बइजलास कौंसल या लोकलगवर्नमेंटकी रायमें कोईशर्त्त जिसके बमूजिब कोई हुक्म

---

*--*दफा ४०१ का तीसरा फिकरा ऐक्ट१०सन्१८८६ई०की दफा ११ (१)—की रूसे साबिक़ फिक़रेके एवज कायमकीगईहै—

[यह फोटनोट जिस इबारतके मुतअल्लिकहै वह किसीकदर सफा १०८में भी है ॥]

सजामुल्तवी रक्खागया या मुआफ कियागयाहो जैसी सूरतहो–पूरी न कीगईहो--तो जनाब नव्वाब गवर्नरजनरल बहादुर बइजलास कौंसल या लोकलगवर्नमेंटको अख्तियारहोगा कि इल्तवा यामुआफी मजकूरको मंसूखकरैं याकरै–और तबवह शख्स जिस के हकमें हुक्म मजकूर मुल्तवी रक्खागया या मुआफ कियागया था अगर गैर मुकैयदरहै बजरिये किसी ओहदेदार पुलिसके बिला वारंट गिरफ्तारहोसक्ताहै--और हुक्म मजकूरके नातमाम जुज्व मीआदसजाके भुगतने के लिये फिरजेलखानेमें भेजाजासक्ताहै*

×वहशर्त्त जिसकेबमूजिब कोईहुक्मसजा हस्बदफाहाजामुल्तवीरक्खा या मुआफ कियाजाय ऐसीहोसक्तीहै जिसेवहशख्स पूरी करै जिसके हकमें हुक्मसजाय मजकूर मुल्तवीरक्खा या मुआफ कियागयाहो–या ऐसी होसक्तीहै जिसमें शख्स मजकूरकीख्वाहिश का लिहाज न कियाजाय ×

इसदफाकी किसीइबारतसे जनाबमलकामुअज्जिमाकेइस्तहकाकमेंदरबाबमुआफी या इल्तवायतामील या अतायमोहलत या मन्सूखी हुक्म सजाके कुछ खलल न आयेगा ॥

दफा ४०२–जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसल या लोकलगवर्नमेंट मजाज है--कि बिला रजामंदी उस शख्सके जिसके नाम हुक्म सजासादिरहुआहो सजाहाय मुफस्सिलैजैलमेंसे किसीएक सजाके एवज दूसरी सजा तजवीजकरे ॥

तब्दील सजाका अख्तियार,

सजाहाय मौत व हब्स बउबूरदरियायशोर वमशक्कत ताजीरी व कैद सख्त किसी मीआदके लिये जो उससे जियादह न हो जो कानूनन् आयद हो सक्ती थी व कैद महज ताहद मीआद मजकूरै सदर और जुर्माना ॥

बाब ३० ॥

बाबत बरअत या असबात जुर्म साबिका ॥

दफा ४०३–जिस शख्सकी तजवीज मारफतकिसीअदालत

×–×यहफिकरादफा४०१काऐक्ट१०सन१८८६ई०कीदफा११–(२)कीरूसे मुन्दर्जकियागयाहै,

जोशख्सएकबार मुजरिम ठहरचुकाहो या जिसकी एक बाररिहाईहोचुकीहो उसकी तजवीज उसीजुर्म की बाबत फिर नहीं होगी,

मजाज समाअतके किसी जुर्मकी इल्लतमें होचुकी हो और वह उस जुर्मका मुजरिम करारपाया या बे जुर्म करार दियागया हो तो जबतक वहहुक्म मशअर इसबात या बरअत जुर्म मजकूर नाफ़िज व बरकराररहे शख्स मजकूर इसबातके लायक न होगा कि उसी जुर्मकी इल्लतमें फिर उसकी तजवीजकी जाय--या कि उसकी तजवीज बएतबार उन्हींवाकिआत के बइल्लत किसी और जुर्मके अमलमें आये जिसकी बाबत कोई और इल्जाम सिवाय उस इल्जामके जो उसपर कायम कियागया दफा २३६ के मुताबिक कायम हो सक्ताथा या जिसकी बाबत दफ़ा २३७ के बमूजिब उसपर जुर्म साबितकरार पासक्ताथा ॥

जायज है कि किसी शख्सकी निस्बत जो साबिकन् किसी जुर्मका मुजरिम या उसकी बाबत बे जुर्म करार पाया हो किसी और जुर्म जुदागाना की बाबत जिसकी बाबत इल्ज़ाम अलाहिदा मुक़द्दमा साबिक़में दफ़ा २३५ जिम्न (१) के मुताबिक़ उसपर क़ायम होसक्ताथा किसी अय्याम माबाद में फिर तजवीज शुरूअ की जाय ॥

जो शख्स किसी ऐसे फेल की बाबत मुजरिम क़रार दिया गयाहो जो मुश्तमिल ऐसे नतायज पर हो जिनके और फेल मजकूरके शमूलसे एक औरजुर्म पैदा होजाताहो जो उस जुर्म से मुग़ायरहो जिससे वह मुजरिम क़रार दिया गया हो-तो जायज़ है कि मिनबाद उसकी तजवीज उस दूसरे जुर्म आख़िरुलजिक्र की इल्लतमें कीजाय बशर्त्ते कि सुबूत जुर्म के वक्त वह नतायज पैदा न हुयेहों या उनका पैदा होना अदालतको मालूम न हो ॥

जो शख्स किसी ऐसे जुर्म से बरी या उसका मुजरिम क़रार दियाजाय जो चन्द अफ़आल पर मुश्तमिल हो तो जायज़ है कि उसपर बावजूद उस बरअत या सुबूत जुर्मके मिनबाद किसी और जुर्मका इल्जाम जिसका इर्तिकाब उसने उन्हीं अफ़आल की रूसे कियाहो क़ायम कियाजाय--और उसकी तजवीज़ अमल

में आये--बशर्ते कि जिस अदालत ने पहले मर्त्तबा उसकी तजवीज की हो उसजुर्म के तजवीज करने की मजाज न हो जिसका इल्जाम उसपर मिन्बाद क़ायम कियाजाय ॥

तशरीह—ख़ारिज होना इस्तिग़ासे का और मौकूफ़ रखना कारंवाइयों का हस्ब दफ़ा २४६ और रुख्सत कियाजाना शख्स मुल्जिमका या दाख़िल होना इबारतका फर्दक़रारदाद जुर्ममें हस्बुल्हुक्म दफ़ा२७३ इसदफ़ाकी अग़राजके लिये दरजे बरियत का जुर्म से नहीं रखता है ॥

तमसीलात ॥

(अलिफ़)--जैदकी तजवीज बइल्लत सिरक़ै बहैसियत मुलाजिम अमलमें आई और वह बरी किया गया--पस मिन्बाद जबतक कि बरियतका हुक्म नाफिज रहे उन्हीं वाक़िआत की बुनियादपर सिरक़ा बहैसियत मुलाजिमी या सिरका महज या खयानत मुजरिमाना का इल्जाम उसपर क़ायम नहीं होसक्ता है ॥

(बे)--जैदकी तजवीज बरबिनाय इल्जाम कत्ल अमदहुई और वह बरी कियागया-सिरक़ै बिलजब्रका इल्जाम उस पर नहीं लगाया गयाथा-लेकिन वाकिआतसे पाया जाताहै कि कत्लअमद के इर्तिकाबके वक्त उसने सिरका बिलजब्रका भी इर्तिकाब किया था तो जायजहै कि मिनबाद उसपर सिरक़ै बिलजब्रका इल्जाम लगाया जाय और उसकी तजवीज अमल में आये ॥

(जीम)--जैद की तजवीज बइल्लत जुर्म जररशदीद पहुँचाने के कीगई--और वह जुर्म साबित करार पाया--मिन्बाद वह शख्स जिसको जररपहुंचायागयाथा फ़ौतहोगया--तो जायज है कि जैद की निस्बत बइल्लत कत्ल इन्सान मुस्तल्जिम सज़ा फिर तजवीज़ अमलमें आये ॥

(दाल)--ज़ैदपर अदालतसिशनके रूबरूबकरके कत्लमुस्तल्ज़िम सज़ाका इल्जाम लगायागया और जुर्म साबित करारपाया-पस मिन्बाद बइल्लत अमदन् कत्लकरने ख़ालिदके उन्हीं वाक़िआत कीबिनायपर ज़ैदकी तजवीज़ अमल में नहीं आसक्ती है ॥

(हे)--किसी मजिस्ट्रेटदरजै अव्वलनेज़ैदपरबकरको बिलइरादे ज़रर पहुंचानेका इल्ज़ामक़ायमकिया और उसको मुजरिम क़रार दिया पसमिन्बादबकरको बिलइरादे ज़ररशदीद पहुंचानेकी इल्लत में उन्हीं वाक़िआतकी बिनायपर ज़ैदकी तजवीज़ अमल में नहीं आसक्ती इल्ला उसहाल में कि मुक़द्दमा इस दफ़ाकी जिम्न सोम में दाखिल हो॥

(वाव)--किसीमजिस्ट्रेटदरजैदोमने ज़ैदपर बकरके बदन परसे मालके सिरक़ाकरनेका इल्ज़ाम लगाया और उसी ने उसकोमुजरिमक़रारदिया तो जायज़है कि मिन्बादज़ैदपर सिरक़ै बिल्जब्र का इल्ज़ाम उन्हीं वाक़िआत की बुनियादपर क़ायमकियाजाय और तजवीज़ अमल में आये॥

(जे)--किसीमजिस्ट्रेट दरजैअव्वलने ज़ैद और बकर और ख़ालिद परमहमूदको बतौरसिरक़ै बिल्जब्रलूटनेकाइल्ज़ाम क़ायमकिया और मुजरिमक़रारदिया तो जायज़है कि ज़ैद और बकर और ख़ालिदपरडकैतीकाइल्ज़ामउन्हींवाक़िआतकी बुनियादपरक़ायम कियाजाय और तजवीज़अमलमेंआये॥

हिस्सहहफ़्तुम॥

बाबत अपील और इस्तसवाब और नज़रसानी॥

बाब ३१॥

बाबत अपील॥

कोई अपीलदायर नहीं होगा इल्ला जबकि और तरहपरहुक्महो—

दफ़ा ४०४—कोई अपीलबनाराज़ी किसी तजवीज़ या हुक्म मुसद्दिरै किसी अदालत फ़ौजदारीके जायज़ न होगा इल्ला हस्ब महकूमै मजमूये हाज़ा या किसी और क़ानून मजरिये वक्त के॥

अपील ब नाराज़ी हुक्म मुसद्दर नामंज़ूरी दरख़ास्त दरबाबवापसी मालकुर्क शुदहके,

दफ़ा ४०५—हर शख्सको जिसकी दरख्वास्त हस्बदफ़ा ८९ बाबत हवालगी माल या उसके ज़र समन नीलाम किसी अदालत से नामंज़ूर हुईहो अख्तियार है कि उस अदालत में अपीलकरे

जिसमें बनाराज़ी हुक्म सज़ा अ़दालत साबिक़ुल्ज़िक्रके उमूमन अपील होसक्ता है ॥

अपील बनार जीहुक्म मुसद्दर दाखिल करनेज मानत नेकचलनी के,

दफ़ा ४०६—हर शख़्सको जिससे कोई मजिस्ट्रेट सिवाय मजिस्ट्रेट ज़िला या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडंसी के उसकी नेकचलनी की ज़मानत मुताबिक़ दफ़ा ११८ के तलबकरे अख्तियार है कि मजिस्ट्रेट ज़िलेके हुज़ूर अपीलकरे ॥

अपीलबनाराजी हुक्म सजा मुसद्दरे मजिस्ट्रेट दरजा दोम यासोमके,

दफा ४०७— हरशख्स जिसपर हस्ब तजवीज किसी मजिस्ट्रेट दरजै दोम या दरजै सोमके जुर्म साबितक़रार दियागयाहो या वहशख्स जिसकेनाम हुक्म सजा हस्बदफा ३४६ ब तजवीज किसी मजिस्ट्रेट हिस्सा जिला दरजा दोमके सादिरहुआहो अख्तियार रखता है--कि मजिस्ट्रेट जिलेके हुजूर अपीलकरे ॥

अपीलेा का मजिस्ट्रेट दरजा अव्वल के पास मुन्तकिल होना,

मजिस्ट्रेट जिला इसअम्रके हुकमदेने का मजाज है कि किसी अपीलको जोहस्ब दफ़ा हाज़ारुजूअ़ हुआहो या उसक़िस्मके चंदमुक़द्दमात अपीलको हरमजिस्ट्रेट दरजैअव्वल जो उसका मातहतहो और जिसने लोकलगवर्नमेंट से ऐसे मुक़द्दमात अपीलकी समाअ़त का अख्तियार पायाहो समाअ़त कियाकरे और बादअर्ज़ीअपील या अकसामअपील मजकूर मजिस्ट्रेट मातहतके रूबरू पेशकीजायेंगी या अगर मजिस्ट्रेट ज़िलेके रूबरूपेश होचुकी हों तो मजिस्ट्रेट मातहत मजकूर के नाम मुन्तकिल करदी जायेंगी और मजिस्ट्रेट जिले को अख्तियार होगा कि किसी अपील या अकसाम अपील पेश शुदह या मुन्तकिल शुदह को फिर उस मजिस्ट्रेट से अपने पास उठामँगाये ॥

अपील बनाराजी हुक्म सजा मुसद्दरे असिस्टट

दफा४१८—×हर शख्स जो अजरूय तजवीज अमल आवुरदह किसी असिस्टंट सिशनजज या मजिस्ट्रेट जिला या दीगर मजिस्ट्रेट दरजै अव्वलके मु-

× इस नोट को इबारत सफ़ा २१३ में देखा,

सिशनजज या मजिस्ट्रेट दरजा अव्वल, जरिम करार पायाहो और हर शख्स जिसपर हुक्म सज़ा हस्ब दफा३४९तरफ से किसी मजिस्ट्रेट दरजे अव्वल के सादिर हुआ हो अख्तियार रखता है कि अदालत सिशन में अपील करे ॥

मगर शर्त यह है कि ॥

(अलिफ)—जब मुकद्दमे में असिस्टंट सिशनजज या मजिस्ट्रेट जिला कोई हुक्म सज़ा सादिर करे जो मोहताज मंजूरी अदालत सिशनकाहो तो लाजिम है कि ऐसे मुकद्दमे का हर अपील हाईकोर्ट में हुआकरे लेकिन उस वक्ततक पेश न किया जायेगा कि मुकद्दमा अदालत सिशनसे तै न पाये ॥

(बे)--हर रअय्यत बृटानिया अहल यूरुप जो मुजरिम करार दियाजाय मजाज है कि हस्ब ख्वाहिश अपने ख्वाह हाईकोर्ट में अपील करे ख्वाह अदालत सिशनमें ॥

दफा४०९—जब अपील अदालतसिशन या सिशनजजके रूबरू दायर कियाजाय तो उसकी समाअत मारफत सिशनजज या ऐडीशनल या जायंटसिशनजज के अमलमें आयेगी ॥

अपील बअदालत सिशन क्योंकर समाअत में आयेगा,

दफा ४१०—हर शख्स जो बतजवीज किसी सिशनजज या ऐडीशनल या जायंट सिशनजज के मुजरिम करार पाया हो अख्तियार रखता है कि हाईकोर्ट में अपील करे ॥

अपील बनाराजी हुक्म सजाय अदालत सिशन,

दफा४११—हरशख्स जो बतजवीज किसी मजिस्ट्रेट प्रेजीडंसी के मुजरिम करारपाया हो मजाज है कि अगर मजिस्ट्रेट मजकूरने अपने हुक्म सज़ामें उसके

मजिस्ट्रेटप्रेजीडंसी केहुक्म मसजाकीनाराजीसे अपील,

× अपर ब्रह्म में दरखसूस उस अपीलके जो मजिस्ट्रेट जिलेके हुक्म सजाकी नाराजीसे दायरहो और अपील मजकूरकी हद्दमीआद समाअतकी बाबत देखो कानून ७ सन्१८८६ई० के जमीमेकी दफा १४ मगर रिआयाय बृटानिया अहल यूरुप के बारे में देखो दफा २२ ऐजन,

उन मुकद्दमात में जहा जरायम सरहद्दी पंजाब के कानून मुसद्दिरै सन् १८८७ ई० नाफिजुल्अमल है बाज़ अपील अदालत चीफकोर्ट में दायर होंगे और अदालत सिशन में दायर न होंगे देखो कानून ४ सन १८८७ई० —दफा७-- (२)

लिये कैद छःमहीनेसे जियादह मीआदकी या जुर्माना तादादी जायद अज दोसौरुपया तजवीजकियाहो तो हाईकोर्टमें अपीलकरे॥

दफा ४१२—बावजूदे कि किसी दफा माकब्ल में कुछ और हुकमहो अगर कोई शख्स मुलिजम जिसने जुर्म का अकबाल किया हो किसी अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी की तजवीज से उसी अकबाल पर मुजरिम करार पायाहो तो उसका अपील न होसकेगा इल्ला निस्बत तादाद मीआद या जवाज हुकमसजाके॥

बाज सूरतो मे जबकि मुलजिम जुर्म का इकरारकरे कोई अपील न होसकेगा,

दफा४१३—×बावस्फ इसके कि किसी दफा माकब्लमें कोई और हुकम हो वह शख्स जिसपर जुर्म साबित करार दियाजाय उन सूरतों में अपील न कर सकैगा जिनमें अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट जिला या किसीऔर मजिस्ट्रेट दरजेअव्वलने हुकम सजायकैदका जिसकी मीआदसिर्फ एकमहीने से जियादह न हो या सिर्फ जुर्मानेका जो तादादमें५०) रुपये से जायद न हो या सिर्फ ताजियाने का सादिर कियाहो ॥

खफीफ मुकद्दमात का अपील नहीं है,

तशरीह--जब ऐसी अदालत या मजिस्ट्रेट की तरफ से हुकम सजा यहहो कि मुजरिम दरसूरत अदमअदाय जुर्माना कैद कियाजाय और कोई हुकम अलाहिदा बाबत कैदके सादिर न हो तो हुकम अव्वलुल्जिक्रकी नाराजी से अपील नहीं होसक्ता है ॥

दफा ४१४—× बावस्फ इसके कि किसी दफा माकब्लमें कुछ और हुक्म हो वह शख्स जिसपर जुर्म साबित करार दियाजाय उन मुकद्दमात तजवीज सरासरी में अपील न करसकेगा जिनमें ऐसा मजिस्ट्रेट जो दफा २६० के मुताबिक अमल करनेका मजाज़ हो सिर्फ हुक्म सजाय क़ैदका जिसकी मीआद तीन महीने से जियादह न हो या महज़ जुर्मानेका जिसकी तादाद दोसौ रुपये से जियादह न हो या महज़ ताजियाने का सादिर करे ॥

उन तजवीजात सरासरी की नाराजी से जिन में जुर्म साबित करारदिया जाय अपील न होसकेगा,

---

×–×–अपरब्रह्मामें अपीलोंके मुतअल्लिक कयूदके लिये देखो कानून, सन्१८८६, ई० के जमीमेकी दफा १५ मगर रिआयाय बृटानिया अहल यूरुपकेबारे में देखो दफा२२ ऐजन

दफा ४१५–अपील बनाराजी किसी हुक्म सजा मज़कूरै दफ़ा ४१३ या दफ़ा ४१४ के जिसकी रूसे दो या चन्द सजायें मुफस्सिलै दफ़आत मज़कूर शामिल कीजायें जायज़ होगा मगर ऐसे हुक्म सजा की नाराज़ी से अपील करना जो किसी और तौर से लायक अपील के नहीं है सिर्फ इस वजहसे जायज न होगा कि शख्स मुजरिम करारदादह के नाम हुक्म अदखाल जमानत हिफ्ज अमनका सादिर हुआहै ॥

दफात ४१३ व ४१४ के मुतअल्लिक शर्त,

तशरीह–हुक्म सजा जिसकी रूसे दरसूरत अदम अदाय जुर्माना कैद तजवीज कीगईहो ऐसा हुक्म सजा नहींहै जिसमें दो या जियादह सजायें हस्वमन्शाय दफा हाजाके शामिल कीगईहैं ॥

दफा ४१६–कोई इबारत दफ़आत ४१३ व ४१४ की उन मुकद्दमात अपीलसे मुतअल्लिक़नहीं है जो बनाराजी उन अहकाम सजा के रुजूअ किये जायें जो बाब ३२ के मुताबिक रिआयाय बृटानिया अहल यूरुप के नाम सादिर हों ॥

उन एहकाम सजाका मुस्तसना होना जो रिआयाय बृटानिया अहल यूरुपकी निस्बत सादिर हुयेहों,

दफा ४१७–लोकल गवर्नमेण्ट हिदायत करसक्ती है कि पैरोकार मुक़द्दमा जानिब सरकार बनाराजी किसी हुक्म इब्तिदाई या अपील मुतज़म्मिन बरअत मुल्जिम मुसद्दिरै किसी अदालत बजुज अदालत हाईकोर्टके अदालत हाईकोर्टमें अपील रुजूअकरे ॥

अपील अजतरफ गवर्नमेंट बरअतकी सूरत मे,

दफा ४१८—जायज है कि अपील अलावह अम्र कानूनी के निस्बत उमूर वाकिआती के भी दायर किया जाय इल्लाउस सूरतमें कि तजवीज बअआनत अहलजूरी के हुईहो कि उससूरतमें अपील सिर्फ़ निस्बत उमूर कानूनी के जायज़होगा ॥

अपील किन उमूर में जायज होगा,

तशरीह–यह उज़्र कि हुक्म सजानिहायत सख्तहै हस्बमुराद दफा हाजा एक उज़्र कानूनी है ॥

दफा ४१९–हर एक अपील बतरीक सवाल तहरीरी के

सवाल अपील, अपीलांट याउसके वकीलकी मारफ़तपेशकिया जायेगा और ऐसे हरसवाल अपीलकेसाथ नक़ल उसतजवीज़या हुक्मकी जिसकी नाराजीसे अपील हो मुन्सलिक होगी इल्ला-उस सूरतमें कि जब वह अदालत जिसमें सवाल मजकूर गुजरा-नाजाय और तरहपर हुक्मकरे और जिन मुकद्दमात की तजवीज़ मारफत जूरीके हुईहो नकलमदात जुर्म करारदादह की जो दफा ३६७ के मुताबिक कलम्बन्दहुई हों शामिल की जायेगी ॥

दफा ४२०—अगर अपीलांट जेलखाने में हो तो उसको नाबिताजबअपीलांट जेलख़ानामेंहो, अख्तियार है कि अपना सवाल अपीलमैनकूल मुन्सलिका अफ्सर मोहतमिम जेलखाना के पास दाखिलकरे और अफसर मजकूर उस सवाल और नकूल को अदालत अपील मुनासिबमें मुरसिल करेगा ॥

दफा ४२१—इन्दुल हुसूल ऐसे सवाल व नकल हस्ब अपीलका तौबर सरासरी नामंजूरहोना, मन्शायदफा ४१९—या दफा ४२०—के अदा-लत अपीलको लाजिमहै कि उसको मुलाहि-जाकरे और अगर अदालत की दानिस्त में कोई वजह काफी दस्तन्दाजी की न पाई जाय तो उसको अख्तियारहै कि अपील को बतौर सरासरी नामंजूर करे ॥

मगर शर्त्त यहहै कि कोई अपील जोदफा ४१९ के मुताबिक रुजूअ़ कियाजाय डिसमिस न कियाजायेगा इल्ला उससूरत में कि अपीलांट या उसके वकीलको अपीलकी ताईद में उजरात पेश करनेका मौका माकूल हासिलहुआ हो ॥

किसी अपीलको इसदफाके मुताबिक खारिजकरने से पहले अदालतको अख्तियार है कि मुकद्दमे की मिसलतलबकरे मगर ऐसा करना उसपर लाज़िम नहीं है ॥

दफा ४२२—अगर अदालत अपील सवाल अपील को बतौर अपील को इत्तिलाअ, सरासरी नामंजूरनकरे तो उसको चाहिये कि अपीलांट या उसके वकीलको या उस ओहदेदारको जिसे लोक-लगवर्नमेंट इसअम्र के लिये मुकर्ररकरे उस वक्त और मुक़ामसे

मुत्तिला कराये जो अपीलकी समाअतके लिये मुकर्रर कियागया हो और ओहदेदार मजकूरकी दरख्वास्त पर नक़ल वजूह अपील की उसके हवाले करे ॥

और उन मुक़द्दमात में जिनमें अपील हस्व दफा ४१७रुजूअ कियाजाय अदालत अपील को लाजिम है कि उसी किस्म की इत्तिलाअ शख्समुल्जिमको पहुंचाये ॥

दफा ४२३—×तब अदालत अपील मुकद्दमेकी मिसल तलब करेगी अगर मिसलमजकूर पहले से अदालत में न आगईहो और बादकरने मुलाहिजा मिसल मजकूर और समाअत उजरात अपीलांट याउसके वकील के अगर वकील हाजिर हो औरभी पैरोकार सरकारीके अगर वह हाज़िर हो और नीजउजरान शख्स मुल्जिम के अगर अपील मुतज़क्किरैदफा ४१७ दायरहुआहो और मुल्जिम मजकूर हाजिर हो अदालत मजाज होगी कि अगर उसकीदानिस्तमें कोई वजह काफीदस्तन्दाजी की न पाई जाय अपील को ना मंजूर करे--या—

इन्फिसाल अपीलमे अदालत अपील के अख्तियारात,

(अलिफ़)--अगर अपील बनाराजी किसीहुक्म मुतजम्मिन बरअत शख्समुल्जिम के हो तो ऐसेहुक्मको मंसूख करके तहकीकात मजीद होनेकी हिदायतकरे या यह हिदायतकरे कि शख्स मुल्जिमकी तजवीज अजसरनौ हो या वह तजवीज के लिये सिपुर्द कियाजाय जैसामौका हो याशख्स मुल्जिमपर जुर्म साबित क़रार देकर उसकी निस्वत हुक्म सजा हस्ब मन्शाय कानून के सादिर करे ॥

(बे)--जबअपील बनाराजी हुक्म इसबात जुर्मकेदायर हो तो अव्वलन् तजवीज और हुक्मसजा को मन्सूखकरे और शख्स मुल्जिमको बरीकरे या उसको रिहाईदे या यह हुक्मदे कि उसकी

× अपर ब्रह्मा में दरबारह अख्तियार दरबाब इजाफा करने सजाके अपील मे देखो कानून ७ सन् १८८६ ई० जमीमह दफा १६ मगर दरखसूस रिआयाय बृटानिया अहल यूरुप के देखो दफा ३२ ऐजन, .

तजवीज जदीदमारफत किसी अदालतमजाजसमाअत ताबैहुकूमत अदालत अपीलमजकूरके अमलमेंआये या वह वास्ते तजवीजकेसिपुर्द कियाजाय या सानियन तजवीजको बदलदे और हुक्म सजा को क़ायम रक्खे या बादतब्दील या बिलातब्दील तजवीज के सजाको कमकरदे या सालिसन् बाद या बिलाघटानेतादाद सजा और बिला या बाद तब्दील तजवीजके सजाकी हैसियत उसतौर पर बदलदे कि तादादसजाकी न बढ़ने पाये॥

(जीम)--जब किसी और हुक्मकी नाराजी से अपील हो तो उसहुक्मको तब्दील या मन्सूखकरदे॥

(दाल)--इसऐक्टकी किसी इबारतसे अदालत को यहअख्तियार नहोगा कि अहाली जूरीकीरायको तब्दीलयामन्सूख करे इल्लाउस सूरतमें कि उसके नजदीक हाकिम अदालतकी हिदायत ग़लत के बाअस या बाअसग़लतफहमी मरातिब क़ानूनी मुबय्यना साहब जज मिन्जानिबअहाली जूरी रायजूरी की ग़लतमालूम हो॥

दफा ४२४– क़वाअद मुन्दर्जे बाब २६ बाबत तजवीज़ मुसद्दिरै अदालत फौजदारी मजाजसमाअत इब्तिदाई केजहांतकमुमकिनहो बजुज हाई कोर्टकेबाक़ी हरअदालतअपील की तजवीज सेमुतअल्लिक़ समझे जायेंगे॥

मातहतकीअदालतहा यअपीलकीतजवीज,

परशर्त यहहै कि अगरअदालत अपील इसके खिलाफ़ हुक्म न दे तो शख्समुल्जिमको तजवीज सुनानेकेलिये हाजिरकरना और हाजिररखना जरूर न होगा॥

दफा४२५--जबइस बाबकेमुताबिक़ हाईकोर्टसे कोई मुक़द्दमा बसीगै अपील फैसल कियाजाय तो हाईकोर्टको लाजिमहै कि अपनाफैसला या हुक्मबजरियेसार्टीफिकट उसअदालतमें भेजदे जिसने तजवीज़ या हुक्मसजा या कोई और हुक्मजिसकी नाराजीसे अपील हुआ हो क़लम्बंद यासादिर कियाहो अगरवह तजवीज या हुक्मसजाया हुक्मसिवाय मजिस्ट्रेट जिलेके किसीऔरमजिस्ट्रेटकी तरफसे क-

हाईकोर्टअपीलके हुक्म मअसार्टीफिकटअदालत मातहतके पास भेजदेगी,

लम्बंद यासादिरहुआहोतो सार्टीफिकटबतवस्सुत मजिस्ट्रेटजिले के मुरसिलकियाजायेगा ॥

उसअदालतको जिसके पासहाईकोर्ट का फैसला या हुक्म बजरिये सार्टीफिकटके पहुंचे लाजिमहै कि बमुजर्रद हुसूलउसके ऐसे अहकामसादिरकरे जोहाईकोर्टके फैसलेके मुवाफिकहों और अगरजरूरतहो तो मुक़दमे के कागजात उसके मुताबिक़ सही कियेजायेंगे ॥

दफा--४२६अदालतअपीलयहहुक्मदेसक्ती है औरउसकी वजूह कलम्बंदकीजायेंगी किकिसीशख्समुजरिमक़रारदादहकेअपीलकेदौरानमें तामीलउसतजवीज याहुक्मकी मुल्तवीरहे जिसकीनाराजीसेअपीलहुआहो औरअगरशख्स मुजरिमकरारदादह जेलखानेमेंहो यहहुक्म देसक्ती है कि वह जमानतपर या खुद अपने मुचलके पर रिहाई पाये ॥

अपीलकेदौरानमेंहुक्म सजाकामुअत्तिलरहना,

जमानतपरअपीलाट की रिहाई,

अख्तियार जो इसदफा की रूसे अदालत अपीलको हासिल है हाईकोर्टकी तरफ से भी उसवक्तनाफिज होसकाहै जब किसी शख्स मुजरिम करारयाफ्तह का अपील किसी अदालत मातहत हाईकोर्टमें दायरहो ॥

जबबिल्आखिरअपीलांटके नामहुक्मसजायकैद या मशक्कतताजीरी या हब्सब उबूरदरियायशोर सादिरकियाजाय तोवहअय्याम जिनमें उसने हस्बमुतजक्किरै सदररिहाई पाई हो उसकी सजाकी मीआदके महसूबकरने में खारिजकियेजायेंगे ॥

दफा ४२७–जब कोई अपील मुताबिक़ दफा ४१७ रुजूअ कियाजाय अदालत हाईकोर्ट इसहुक्म का वारंट सादिर करसक्ती है कि शख्समुल्जिम गिरफ्तार होकर उसके रूबरू या किसी अदालत मातहतके रूबरू हाजिर कियाजाये और जिसअदालतके हुजूर वहहाजिरलायाजाय उसे अख्तियार है कि रोजइन्फिसाल अपीलतक उसको कैदखानेमेंभेजे या उसकोजमानतपररिहाकरे ॥

हुक्मरिहाई के अपील के वक्त मुल्जिमकी गिरफ्तारी,

दफा ४२८—इसबाबके मुताबिक़ किसी अपील में मसरूफ़ होने के वक्त अदालत अपील को अख्तियार है कि अगर शहादत मज़ीदका लेना ज़रूरीसमझे तो ऐसी शहादत वह खुदले या शहादतके किसी मजिस्ट्रेट की मारफ़त लियेजाने का हुक्मदे या अगर अदालत अपील हाईकोर्टहो तो यह हुक्मदे कि शहादत मज़कूर किसी अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट की मारफ़तलीजाय॥

अदालत अपील शहादत मज़ीद लेसक्तीहै या लियेजानेकी हिदायत कर सक्ती है,

जब शहादत मज़ीद अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट की मारफ़त लीजाय तो उसे लाज़िम है कि शहादतमज़कूर के साथ क़ितै सार्टीफ़िकट अदालत अपीलमें भेजदे उसपर अदालतमज़कूर अपील के तैकरने में मसरूफ़होगी॥

बइस्तस्नाय उससूरतके कि अदालत अपील और तरह पर हिदायतकरे जब शहादत मज़ीद लीजाये लाज़िम है कि मुल्ज़िम या उसका वकील हाज़िररहे मगर ऐसी शहादत मज़ीद अहाली जूरी या असेसरोंके रूबरू न लीजायगी॥

शहादतका इसदफ़ाकी रूसे लियाजाना बनज़रहुसूल अग़राज़ बाब २५ बमंज़िले तहक़ीक़ात के मुतसव्विरहोगा॥

दफ़ा ४२९—जब अदालत अपील के हुक्काम बतादाद मसावीमुख्तल्फुलआराहों तो मुक़द्दमामयआराय हुक्काम के उसी अदालत के किसी और हाकिमके रूबरू पेशहोगा और हाकिम आखिरुलज़िक्रबाद उसकद्र तहक़ीक़ात व समाअत के जो उसको मुनासिब मालूमहो अपनीराय ज़ाहिर करेगा और अदालतकी तजवीज़ और हुक्मबतबैयत उसरायके सादिर होगा॥

जाबिता जबकि अदालत अपील के हुक्काम ब तादादमसावी मुख्तल्फुल आराहों,

दफा ४३०—तजावीज और अहकाम जो बसीगे अपील अदालत अपीलसे सादिर हों नातिक़ होंगे बजुज उन मुक़द्दमात के जिनकी बाबत दफ़ा ४१७ और बाब ३२ में अहकाम मुनासिब मुन्दर्ज हुये हैं॥

अपीलमें अहकामका नातिक़होना,

दफा ४३१—हर अपील जो दफा ४१७ के मुताबिक़ हुआहो शख्स मुल्ज़िम की वफ़ात पर मुतलक़न् साक़ित होताहै और हर दूसरे क़िस्मका अपील अज़रूय बाब हाज़ा अपीलांट की वफ़ातपर मुतलक़न् साक़ित होजाता है ॥

अपीलोंकार साक़ित होजाना,

बाब ३२॥

बाबतइस्तसवाब और नज़रसानी ॥

दफा ४३२—मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडंसी को अख्तियार है कि अगर मुनासिब समझे किसी मसलैक़ानूनी को जो उसकी अदालत के किसी मुक़द्दमे मुतदायरैकी समाअत के वक्त पैदाहो वास्ते हुसूलराय हाईकोर्ट के मुरसिलकरे या बशर्त्त पाबन्दी फैसला हाईकोर्ट के जो बजवाब उस इस्तसवाब के पहुंचे मुक़द्दमे की तजवीज़ करे और ताहुसूलफ़ैसले कोर्ट मज़कूरके शख्स मुल्ज़िम को ज़ेलखाने में सिपुर्दकरे या उसको इस शर्त्त पर ज़मानत लेकर रिहाकरे कि वह हुक्म अख़ीर सुनने के लिये इन्दुल तलब हाज़िर होगा ॥

प्रेजीडंसी मजिस्ट्रेट का इस्तसवाब रायहाईकोर्टसे,

दफा ४३३—जब ऐसा मसला इस्तसवाबन् हाईकोर्ट में मुरसिल कियाजाये कोर्ट मज़कूर को लाज़िम है कि उसकी निस्वत जो हुक्म मुनासिब समझे सादिर करे और हुक्म मज़कूर की एक नक़ल उस मजिस्ट्रेटके पासभेजदे जिसने इस्तसवाब कियाहो और मजिस्ट्रेट मज़कूर उस हुक्मकी पाबन्दीसे मुक़द्दमेको फैसल करेगा ॥

इन्फिसाल मुक़द्दमा मुताबिक़ फैसला हाईकोर्ट के,

हाईकोर्ट इस बाबमें हिदायत करसक्ती है कि खर्चा ऐसे इस्तसवाबका जिसके जिम्मे आयद किया जायेगा ॥

हिदायतें दरबाब खर्चाके,

दफा ४३४—जब रूबरू किसी हाकिम अदालत हाईकोर्ट के जिसमें एक से जियादह जजइजलास करते

उन उमूरके मुल्तवी

रखनेका अख्तियार जो हाईकोर्ट के अख्तियारात सीगै इब्तिदाई के अमल में लातेवक्त पैदा हों,

हों और बहाले कि वह अपने अख्तियारात फौजदारी सीगै इब्तिदाई अमल में लाते हों किसी शख्स पर किसी तजवीज की रूसे जुर्म साबित करार दियाजाय तो हाकिम मजकूर को अख्तियार है कि अगर मुनासिब समझे किसी अम्र कानूनीका तस्फिया जो उस शख्सकी दौरान तजवीजमें पैदाहुआहो और जिसकी तजवीज मुकद्दमे के नतीजे पर मवस्सर हो ऐसे जलसे से कराये जिसमें हाईकोर्ट मजकूरके दो या जियादह हुक्काम इजलास फरमाहों ॥

साबिताजबकि किसी बहसका तस्फीयहमौकूफ रक्खाजाय,

जब हाकिम मजकूर तस्फियाकिसी ऐसी बहसका दूसरे जलसे की रायपर मौकूफरक्खे तो शख्स मुजरिम करारदादह ता हुसूल फैसला जलसा मजकूर के जेलखाने में वापिस भेजा जायेगा या अगर हाकिम मजकूर मुनासिब समझे जमानत पर रिहाई पायेगा ॥

और हुक्काम हाईकोर्ट मजाज होंगे कि उस मुकद्दमे पर या उसके उसकदर जुज्व पर जिसकी जरूरत पाईजाय नज़रसानी करें और अम्रबहस तलबकी तजवीज मुख्ततिम करदें और जो हुक्मसजा तरफसे अदालत समाअत इब्तिदाईके सादिर हुआ हो उसको तब्दीलकरके ऐसी तजवीज सादिर करें जो हुक्काम मौसूफको मुनासिब मालूम हो ॥

अदालत हाय मातहतकी मिसलों के तलब करने का अख्तियार,

दफा ४३५—हुक्काम हाईकोर्ट या अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट जिला या किसी मजिस्ट्रेट हिस्से जिलेको जिसे लोकल गवर्नमेण्टने इस बाब में अख्तियार अताकियाहो अख्तियार है कि काग़ज़ात मिसल किसी मुकद्दमे मरजुये किसी ऐसी अदालत फौजदारी मातहत के जो कोर्ट या मजिस्ट्रेट मौसूफ के इलाके की हुदूद अर्जीके अन्दर वाकै हो इसगरजसे तलब करके उनका मुआयना करे कि उसको इसबातका इतमीनान हासिलहो कि जो तजवीज या हुक्म सजा या और हुक्म मुकद्दमे में तहरीर या सादिर कियागयाहो सही और मुताबिक कानून और इन्साफ के है या

नहीं और आया काररवाई ऐसी अदालत मातहतकी मुताबिक जाबिते हुई है या नहीं॥

अगर किसी मजिस्ट्रेट हिस्से जिले की दानिस्त में जो अजरूय दफा हाजा कारबन्द हो कोई तजवीज या हुक्म सजा या हुक्म खिलाफ कानून या गैर मुनासिब हो या कोई ऐसी काररवाई बेजाबितैहो तो उसे लाजिम होगा कि मिसलको मै उस कैफियत के जो उसके नजदीक मुनासिब हो मजिस्ट्रेट जिले के पास रवानाकरदे॥

वह अहकाम जो दफआत १४३ व १४४ के बमूजिब सादिर हों और काररवाई मुतअल्लिकै दफा १७६ हस्ब मुराद इसदफा के लफ्ज काररवाई में दाखिल नहीं है॥

दफा ४३६—जब किसी मुकद्दमे के कागज़ात मिसल की दफा ४३५के मुताबिक या और तौरपर मुआयनाकरनेके बाद अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट जिलेकी यहराय करारपाये कि मुकद्दमा मजकूर सिर्फ अदालत सिशनसे तजवीज़ होनेकेलायकहै और कोईशख्स मुल्जिम अदालत मातहतके हुक्मसे बेजातौरपर रिहाकियागया है तो अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट जिलेको अख्तियार है कि शख्स मज़कूरको गिरफ्तारकराके उसके बादबजाय हुक्मदेने तहक़ीक़ात जदीदके शख्स मुल्ज़िमकी निस्बत यह हुक्म सादिरकरे कि वह बइल्लत उसफेल के जिसकी बाबत अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट जिलेकी दानिस्त में वह बतौर नाजायज रिहाई पाचुका है तजवीज़के लिये सिपुर्द कियाजाय॥

हुक्म सिपुर्दगी का अख्तियार,

मगर शर्त्त यहहै कि॥

[अलिफ़] ऐसे शख्स मुल्जिम को ऐसी कोर्ट या मजिस्ट्रेटके रूबरू इस बातकी अर्ज मारूज करने का मौक़ादिया गयाहो कि उसकी सिपुर्दगी क्यों न होनीचाहिये॥

(बे) और यह कि अगर अदालत या मजिस्ट्रेट मजकूरकी दानिस्तमें शहादत मौजूदहसे यह वाजैहो कि शख्स मुल्जिमसेकोई

और जुर्मसरजद हुआहै तो ऐसी अदालत या मजिस्ट्रेट यहहुक्म बनाम अदालत मातहत सादिर करसक्ता है कि अदालत आखिरुल्जिक्र इस जुर्मकी तहक़ीक़ात करे ॥

हुक्मतहक्कात सादिरकरनेका अख्तियार,

दफ़ा ४३७—हाईकोर्ट या अदालत सिशन को अख्तियार है कि दफ़ा४३५के मुताबिक या और तौरपर किसी मुकद्दमेके कागज़ात मिसलके मुआयना करनेके वक्त मजिस्ट्रेट जिलेके नाम यहहुक्म सादिरकरे कि वह खुद या मारफ़त किसी मजिस्ट्रेट मातहत अपनेके और उसीतरह मजिस्ट्रेट जिलेको अख्तियारहै कि खुद या अपने किसी मजिस्ट्रेट मातहत को हिदायत करे कि वह तहकीकात मजीद निस्बत किसी ऐसेइस्तगासाके करे जो दफ़ा २०३ के मुताबिक खारिज होगया हो या निस्बत मुकद्दमा किसीशख्स मुल्जिमके जिसने रिहाई पाईहो ॥

हाईकोर्टकोरिपोर्ट करना,

दफ़ा ४३८—❀अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट जिलेको अख्तियार है कि बाद्करने मुआयना कागज़ात मुतअल्लिकै किसी काररवाई हस्बमहकूमै दफ़ा४३५के या और तौरपर अगर मुनासिब मालूमहो अपने मुआयने का नतीजा वास्ते सुदूर अहकाम हाईकोर्टके मुर्सिलकरे और जब रिपोर्ट मजकूरमें इसअम्र की सिफारिशहो कि हुक्म सजामुस्तरद कियाजाय तो यह हुक्म देसक्ताहै कि तामील हुक्म सज़ा मज़कूरकी मुल्तवीरक्खीजाय और अगर शख्स मुल्जिमकैदमेंहो तो वह जमानतपर या खुद अपने मुचलकेपर रिहा कियाजाय ॥

हाईकोर्टकेअख्तियारात दरबारहनजरसानीके,

दफ़ा ४३९—निस्बत किसी काररवाई के जिसकी मिसल के कागज़ात खुद हाईकोर्ट से तलब कियेगयेहों या जिसकी बाबत रिपोर्ट वास्ते सुदूर हुक्म कोर्ट मजकूरके मुर्सिलहुईहो या जिसका इल्म कोर्ट मज़कूरको किसी और तौरपर होजाय हुक्काम हाईकोर्ट मजाज़होंगे कि हस्ब इक्तज़ायराय अपने वह अख्तियारात नाफ़िजकरें जो दफ़आत१९५

❀ अपर ब्रह्माके अपीलोंमें जो कयूदहैं उनकेलिये देखोक़ानून७ सन्१८८६ई० केज़मीमे की दफ़ा१५ और दस्तखसूस रिआयाय बृटानिया अहल यूरुपके देखो दफ़ा २२ ऐज़न्॥

व ४२३ व ४२६ व ४२७ व ४२८के बमूजिब अदालत अपील को या बमूजिब दफ़ा ३३८ अदालत को मुफ़व्विज हुये हैं और किसी सजाको बढ़ादें और जब वह हुक्काम जो बतौर अदालत नजरसानीके शरीकहों बतादादमसावी मुख्तलिफुल्आराहों तो मुक़द्दमा मज़कूर उस तरीक़पर तै कियाजायेगा जो दफ़ा ४२९ में महकूम है ॥

कोईहुकूम इसदफ़ाके बमूजिब न दियाजायेगा जो मुज़िर हक शख्स मुल्जिमहो तावक्ते कि उसको असालतन् या वकालतन् अपनी जवाबदिही करनेका मौक़ा न मिलाहो ॥

जब वहहुकूम सजा जिसमें दस्तन्दाजी इसदफ़ा के बमूजिब कीजाय किसी मजिस्ट्रेटके हुजूरसे सादिरहुआहो जो सिवाय इतबाअ् दफ़ा३४किसी और तौरपर अमलकरताहो-तो अदालत उस जुर्म की बाबत जो बदानिस्त अदालत मुजरिमसे सरजदहुआहो उससे जियादह सजा तजवीज न करसकेगी जो उस जुर्मकीबाबत कोई प्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल तजवीज करसक्ता था ॥

इसदफ़ाकी कोई इबारत उसतहरीरसे मुतअल्लिक नहीहै जो दफ़ा२७३के मुताबिक फ़र्द करारदाद जुर्मपर लिखीजाय-और न इसदफ़ाकीरूसे हाईकोर्टको यह अख्तियार दियागयाहै कि तजवीज बरियत मुल्जिमके बदले तजवीज इसबात जुर्म कायमकरे ॥

फरीक़ैनके उजरातकी समाअत अदालतकी मरजी पर मौकूफ है,

दफ़ा ४४०— जब कोई अदालत अपने अख्तियारात नजरसानी नाफ़िजकरतीहो तो कोई फरीक मुस्तहक इसबातका न होगा कि अदालतके रूबरू असालतन् या वकालतन् उजरात पेशकरे ॥

मगरशर्तयहहै कि अदालतकोअख्तियारहोगा कि अगर मुनासिब समझे बवक्त निफाज ऐसेइक्तिदारातके किसीफरीकके उजरात जो असालतन् या वकालतन् पेशहों समाअत करे और कोई इबारत इसदफा की दफा४३९ की जिम्न २के नकीज न समझी जायगी ॥

दफा ४४१—जब मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी की कार्रवाईके कागजात

प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट का बयान जिसमें उसके फैसलेकीवजूहरहेगी और उसपर हाईकोर्ट गौर करेगी,

मिसल दफा४३५ के मुताबिक हाईकोर्ट केहुक्म से तलब कियेजायँ मजिस्ट्रेट मजकूर को अ-ख्तियार है कि मिसल मुकद्दमे के साथ एक ब-यान तहरीरी जिसमें उसके फैसले या हुक्मकी वजूह और कुछ और वाक़िआतउम्दा जिनको वह मवस्सर नतीजा मुक़द्दमा समझताहो लिखेजायँगे कलम्बन्दकरके मुंसिल करे पस हुक्काम हाईकोर्ट कब्लमन्सूख और मुस्तरिदकरने फैसले या हुक्म मजिस्ट्रेट के कैफियत मजकूर को गौर से मुलाहिजा करेंगे॥

हाईकोर्ट के हुक्मका सार्टीफिकट अदालत मातहत या मजिस्ट्रेटको दियाजायगा,

दफा ४४२—जब अदालत हाईकोर्ट इस बाब के मुताबिक किसीमुकद्दमेमें इसलाह फरमाये अदालत मौ-सूफा को लाजिम होगा कि अपने फैसले या हुक्म को बजरिये सार्टीफिकट उस अदालत में भेजदे जिसने वह तजवीज या हुक्म सजा या और हुक्मतह-रीर या सादिर किया हो जिसपर नजरसानी हुई हो और उस अदालत या मजिस्ट्रेटको जिसके पास फैसला या हुक्म बजरिये सार्टीफिकट के पहुँचे लाजिम है कि ऐसे अहकाम सादिर करे जो फैसले मजकूर के मुताबिक हों और अगर जरूरत हो मिसल मु-कद्दमे को उसी के मुताबिक तरमीम कराये॥

हिस्सह हश्तुम॥

कारवाई हायखास॥

बाब ३३॥

कारवाई सीगै फौजदारी बमुकाबिले अहल यूरोप और अहल अमरीका॥

साहिबान मजिस्ट्रेट उन इल्जामोंकी तहक़ीकात और तजवीजकरेंगे जो रिआयाय बृटानिया अहलयूरोपपर निकालेजायं,

दफा ४४३—किसी मजिस्ट्रेटको अख्तियार न होगा इल्ला उस सूरतमें कि वह जस्टिसआफदी पेस भी हो और (बजुज़ उससूरतके कि वह× मजिस्ट्रेट जिला या ×मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसीहो) बजुज़ उस सूरत के कि वह मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल

×—×दफ़ात४४३ व ४४४ में यहअल्फ़ाज ऐक्ट ३ सन् १८८४ ई० की दफ़ात ३ व ४ की रूसे बढाये गयेहैं,

और खुद रअय्यत बृटानिया अहलयूरोपहो कि किसी इल्ज़ामकी तहक़ीक़ात या तजवीज़ करे जो किसी रअय्यत बृटानिया अहल यूरोप परलगाया जाय ॥

सिशन जज रअय्यत बृटानिया अहल यूरुपहो और असिस्टंट सिशन जज ३ बरसतक ओहदेपर रहाहो और उसको खास अख़्तियार मिलाहो,

दफ़ा ४४४--किसी जजको जो किसी अदालत सिशनमें सर मजलिसकी हैसियत रखताहो×बइस्तस्नाय सिशन जजके×किसी रअय्यत बृटानिया अहलयूरोप पर अपने इख़्तियारात नाफ़िज़ करने का अख़्तियार न होगा इल्ला उस सूरतमें कि वह खुद रअय्यत बृटानिया अहल यूरोपहो और अगर वह असिस्टण्ट सिशनजजहो तो बजुज़ इसके कि वह ओहदा असिस्टंट सिशनजज पर कमसे कम तीन बरस रहाहो और उसको लोकल गवर्नमेण्ट से ऐसे इख़्तिदारात नाफ़िज़कर-नेका अख़्तियार ख़ास मिला हो ॥

समाअत उस जुर्म की जो रअय्यत बृटानिया अहलयूरुपसे सरज़द हो,

दफ़ा ४४५--कोई इबारत मुन्दर्जै दफ़ा ४४३ या ४४४ की मानै इस अम्रकी न होगी कि कोई मजिस्ट्रेट किसी ऐसे जुर्म में दस्तन्दाज़ीकरे जो किसी रअय्यत बृटानिया अहल यूरोपसे सरज़दहो उस सूरतमें जब कि उसी क़िस्म के जुर्म के किसी और शख़्ससे सरज़द होनेपर उसको समाअत करनेका अख़्तियार होता ॥

मगर शर्त यह है कि अगर मजिस्ट्रेट कोई हुक्मनामा वास्ते जबरन् हाज़िर कराने किसी रअय्यत बृटानिया अहलयूरोप के जारीकरे जिसपर किसी जुर्म का इल्ज़ाम लगायागयाहो तो उस हुक्मनामेमें यह लिखाजायेगा कि वह इजराय के बाद ऐसे म-जिस्ट्रेट के पास वापिसजायेगा जो मुक़द्दमे की तहक़ीक़ात या तजवीज़ करने का अख़्तियार रखताहो ॥

अहकाम सज़ा जो साहबान मजिस्ट्रेट मुफ़स्सिल सादिर करसक्तेहैं,

दफ़ा ४४६--अगर्चे दफ़ा ३२ या दफ़ा ३४ में कुछ और हुक्म मुन्दर्ज हो कोई मजिस्ट्रेट सिवाय×मजिस्ट्रेट ज़िला या×मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी के किसी रअय्यत बृटानिया अहल यूरोपकी निस्बत कोई

और हुक्म सज़ा सिवाय इसके सादिर न करसकेगा कि मुजरिम किसी मीआदतक कैदरहे जो तीन महीने से ज़ियादह न हो या उसक़दर जुर्माना अदाकरे जो १०००एक हज़ाररुपयेसे ज़ियादह न होया उसपरदोनोंसजायें आयदहों×और कोईमजिस्ट्रेट ज़िला कोई वैसा हुक्म सज़ा सिवाय इसके सादिर न करसकेगा कि मुजरिम किसी मीआदतक कैदरहे जो ३ महीने से ज़ियादह न हो या उसक़दर जुर्माना अदाकरें जो २००० दोहजार रुपये से ज़ियादहन हो या उसपर दोनों सज़ायें आयदहों× ॥

मुल्जिम कब अदालत सिशन में और कब हाईकोर्ट मे सिपुर्द किया जायगा,

दफा ४४७--जब किसी मजिस्ट्रेट के रूबरू किसी रअय्यत बृटानिया अहल यूरोप पर किसी जुर्मका इल्ज़ाम लगाया जाय और बदानिस्त मजिस्ट्रेट मौसूफ़ उस इल्ज़ाम की पादाशमें वह सज़ा काफ़ी तजवीज़ न करसक्ताहो और उसकी सज़ा मौत या हब्सदायमी बउबूरदरियायशोर न हो तो ऐसे मजिस्ट्रेट को लाज़िम है कि अगर उसकी दानिस्तमें मुल्ज़िम सिपुर्द किये जाने के लायकहो उसको अदालत सिशनमें सिपुर्द करे या अगर मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडंसी का मजिस्ट्रेट हो तो उसको हाईकोर्ट में सिपुर्द करे ॥

जब जुर्म जो बज़ाहिर वकूअमें आयाहो लायक़ सज़ाय मौत या हब्सदायमी बउबूर दरियायशोर के हो तो सिपुर्दगी मुल्ज़िम की हाईकोर्ट में होगी ॥

उन जुर्मोंकी तजवीज जिनमेंसे एकजुर्म लायक सजाय मौत या हब्सदवाम बउबूर दरियायशोरके हो और बाक़ी जरायमउससज़ाकेलायक़ न हों,

दफ़ा ४४८--जब किसी शख्सपर जो दफ़ा ४४७ के मुताबिक़ हाईकोर्ट में सिपुर्द हुआहो चंदमुख्तलिफ़ जरायम का इल्ज़ाम लगायाजाय और उनमें से एक जुर्म लायक़ सज़ाय मौत या हब्सदवाम बउबूर दरियायशोर के हो और बाक़ी जरायम उससे ख़फ़ीफ़ सज़ाके लायक़हों

×—× दफ़ा ४४६ मे यह अल्फाज़ ऐक्ट ३ सन १८८४ ई०की दफ़ा ५ की रूसे बढ़ाये गये हैं,

और हाईकोर्ट की दानिस्तमें उस शख्सको बइल्लत उस जुर्म के जिसकी सज़ा मौत या हब्स बउबूरदरियायशोर मुकर्ररहै मारज़ तजवीज़ में लाना ना मुनासिबहो तो बावस्फ़ इसके कोर्ट मौसूफ़ को अख्तियार रहेगा कि बइल्लत दूसरे जुर्म के उसकी तजवीज़ करै ॥

वह अहकाम सज़ा जो अदालत सिशन सादिर कर सक्ती है,

दफा ४४९--बावस्फ़ इसके कि दफ़ा ३१ में कुछ और हुकुम मुन्दर्जहो किसी अदालत सिशन को अख्तियार न होगा कि रअय्यत बृटानिया अहल यूरोप पर कोई हुक्मसज़ा अलावह हुक्म सज़ाय क़ैद जिसकी मीआद एकबरस तक होसक्ती है या जुर्माना या दोनों के सादिरकरे ॥

ज़ाबिता जबकि सिशन जज अपने अख्तियारात कोग़ैर काफी पाये,

अगर किसी वक्त बाद सिपुर्दगी मुल्ज़िम और क़ब्ल इसके कि तजवीज़पर दस्तख़त होजायँ हाकिम इजलास कुनिंदा की दानिस्तमें सज़ायकाफ़ी उस जुर्म की जो ज़ाहिरा मुल्ज़िम पर साबितहुआ हो उस हुक्मसे न होसक्तीहो जिसके सादिरकरने का वह मजाज़हो तो उसको लाज़िमहै--कि अपनीराय बमज़मून मज़कूर लिखकर मुक़द्दमेको हाईकोर्टमें मुन्तक़िलकरदे ऐसेहाकिमको अख्तियार है कि मुदई और गवाहोंसेमुचलके और इक़रारनामे बवादे अहज़ार रूबरू हाईकोर्ट खुद लिखाये या मजिस्ट्रेट सिपुर्द कुनिन्देको लिखवालेनेकी हिदायत करे ॥

दफा ४५०(ज़ाबिता जबकि सिशनजजरअय्यत बृटानिया अहल यूरुपनहो ऐक्ट ३ सन् १८८४ ई०की दफ़ा ६कीरूसे मंसूखहुई-

जूरी या असेसरान हाईकोर्ट या अदालत सिशनके रूबरू,

दफ़ा ४५१—×(१) जब रिआया बृटानिया अहल यूरोप की तजवीज़ हाईकोर्ट या अदालत सिशनकेरूबरूहो अगर क़ब्ल इसके कि अव्वल अहलजूरी तलब होकर मक़बूल कियाजाय या अव्वल असेसर मुक़र्रर कियाजाय जैसी सूरत हो ऐसी रअय्यत यह दावाकरे कि

× दफ़ा ४५१ ऐक्ट ३ सन् १८८४ ई० और दफ़ा १० कीरूसे मुताबिक़ दूबारनकोजगह क़ायमकीगई है—

उसके मुकद्दमेकी तजवीज मारफत अहाली जूरी अकवाम मुख्त-लिफके हो तो उसकी तजवीज ऐसीजूरीकी मारफतहोगी जिसकी तादादमेंसे कमसे कम एकनिस्फ अहलयूरुप या अहलअमरीकाहों या अहल यूरोप और अहल अमरीका दोनों में सेहों॥

(२)जब इसकिस्मके मुकद्दमेकी तजवीज रूबरू अदालत सिशन हस्बमामूल ब अआनत असेसरों के होतीहो--तो रअय्यत बृटानि-या अहलयूरुप जिसपर इल्जाम लगायागयाहो—या जब कईएक रिआयाय बृटानिया अहल यूरुप मुल्जिमहों सब शामिलहोकर इसदावे के बदले कि उनकी तजवीज हस्बजिम्न (१) मारफत अहालीजूरी मुखतलिफुल्अकवामके हो यहदावा करसक्ते हैं कि मिंजुमलै असेसरोंके कमसेकम एकनिस्फ अहलयूरुप या अहल अमरिकाहों या अहलयूरुप और अहल अमरिका दोनों में से हों॥

दफा ४५१—अलिफ❀ (१)–रिआयाय बृटानिया अहलयूरुप के मुकद्दमातकी तजवीजमें जो रूबरू मजिस्ट्रेट जिलेकेहो हर ऐसी रअय्यत मजाजहै-कि मुक-द्दमा काबिल इजराय सम्मनमें कबूल इसके कि उसके बयानकी समाअत हस्बदफा २४४ हो या मुकद्दमा काबिल इजराय वारंटमें कबूल इसके कि वह दफा२५६ के मुताबिक जवाबदिहीकरै—यह दावाकरै-- कि उसके मुकद्दमेकी तजवीज ऐसी जूरीकी मारफतहो जो हस्बतरीका मुसर्रेह दफा ४५१ मौजूअहुईहो॥

मजिस्ट्रेट जिलाकेरू बरू रअय्यतबृटानिया अहलयूरुपकाहक दरबारह तलबकरने जूरीके,

(२) अगर कोईदावा हस्ब मुरादजिम्न [१] किसी मुकद्दमा काबिल इजराय सम्मनमें उसवक्त कियाजाय जब कि मजिस्ट्रेट हस्ब दफा २४४ शख्स मुल्जिमके बयानकी समाअतकरै या जब मुकद्दमा काबिल इजराय वारंटहो उसनौबतपर कियाजाय जब मजिस्ट्रेट शख्स मुल्जिमको हस्ब दफा २५६—जवाबदिही करने की हिदायतकरै--तो मजिस्ट्रेटको लाजिम है कि उसीवक्त अह-

❀ दफा ४५१(अलिफ) ऐक्ट ३ सन्१८८४ई०की दफा८कीरूसे बढ़ाईगईहै,

काम जरूरी वास्ते होने तजवीज मारफत जूरी किस्म मजकूर के सादिरकरै॥

[३] अगर दावा मजकूर काररवाई की नौबतहाय मुफस्सिलै सदरसे पहले कियाजाय तो मजिस्ट्रेटको लाजिमहै कि जबकभी सबूत तहरीरशुदहसे वाजहहो कि मुकद्दमा काबिल तजवीज रूबरू जूरीकेहै एहकाम मुतजक्किरै सदर सादिरकरै॥

[४] ऐसी हरसूरतमें मजिस्ट्रेटकोलाजिमहै कि बावस्फ इसके कि दफा २४२में कुछऔर हुकूमहो ऐसे एहकाम सादिरकरनेसे पहले एकफ़र्द करार दाद जुर्म बा जाबिता तहरीरकरै॥

[५] एहकाम मुंदरजै दफ़ात २११ व २१६ व २१७ व २१९ व २२० जहांतक मुमकिनहो हरसूरतमें जब कि तजवीज हस्ब दफ़ाहाजा अमलमें आये वास्ते हाजिरकराने मुस्तगीस और मुस्तगासअलेह और गवाहोंके मुतअल्लिक कियेजायंगे॥

[६] एहकाम मजमूये हाजा मुतअल्लिकै काररवाई उस तजवीज के जो मारफत अहालिज़ूरी रूबरू अदालत सिशनहोती है-- जहांतक मुमकिनहो हरतजवीजसे जो हस्ब दफ़ाहाजा वकूअमें आये उसीतरह मुतअल्लिक होंगे कि गोया मजिस्ट्रेट जिला सिशन जजथा और शख्स मुलजिम तजवीजके लिये उसकी अदालतमें सिपुर्द कियागयाथा--

[७] कुल अदालतोंको अख्तियाररहेगा कि मिंजुमल्ले एहकाम मुतजक्किरै जिम्न (५) या जिम्न (६) जहांतक वह एहकाम उस जिम्नकी रूसे मुतअल्लिक कियेगयेहैं किसीहुकूमकी मुरादसाथकायमकरने ऐसीतब्दीलात लफ्जीके अखजकरैं जो असलमतलबकी मुखिल नहों और इसगरजसे जरूरी और मुनासिबहों कि हुकूम मजकूर मुआमिला दरपेश शुदहके हस्बहालहो--

[८] कोई इबारत इसदफ़ाकी मजिस्ट्रेटके उस अख्तियार में खलल अंदाज न होगीजो हस्बदफा ३४७ या दफ़ा ४४७ किसी शख्सको तजवीजके वास्ते सिपुर्दकरनेके लिये उसको हासिलहो॥

दफ़ा ४५१--[बे]--* [१] अगर कोईशख़्स मुलज़िम यहदावा करै कि उसके मुकद्दमे की तजवीज मारफ़त जूरी हस्ब दफ़ा ४५१--[अलिफ़] अमलमेंआये और बदानिस्त मजिस्ट्रेट जिला इसअम्रके बावरकरनेकी वजहहो कि उसकिस्मके अहालीजूरीको जो दफ़ा ४५१--में करार दियेगये हैं उस मुकद्दमाकेलिये जो उसके रूबरू जेर तजवीजहै मुहैयाकरना गैरमुमकिनहै-- या कि बगैर उसकदर तवक्कुफ और सिर्फ़ और तकलीफ़के जो बलिहाज हालात मुकद्दमा नामाकूलहो उनका बहमपहुंचाना मुमकिन नहीहै--तो मजिस्ट्रेट मौसूफ मजाजहोगा कि बजाय सिदूर हुकूम मुशअर तजवीजहोने मुकद्दमा अपने रूबरू हस्बदफ़ा ४५१ (अलिफ़) के मुकद्दमाको किसीऔर मजिस्ट्रेट जिला या किसी सिशनजजके पास तजवीजकेलिये मुंतकिलकरदे जिसको हाईकोर्ट वक्तन् फवक्तन् मुताबिक उन कवाअदके जो मिंजानिबकोर्टमौसूफ उसबारेमें मुरत्तिबहोकर मिंजानिब लोकलगवर्नमेंट मंजूरकियेजायें या बजरिये हुकूमखासके हिदायतकरें--

बाजमुकदमोंमे इन्तकाल दूसरी अदालतमे,

[२] जब कोई मुकद्दमा इसदफ़ाके मुताबिक किसी सिशनजज या मजिस्ट्रेट जिलाके पास मुंतकिल कियाजाय मुशारअलेहको लाजिम है--कि जिसकदर जल्द आरामके साथमुमकिनहो उसकी तज़वीज बइस्तेमाल उन्हीं अख्तियारात के [जिन में सिपुर्द करनेकाभी अख्तियार शामिल है] और मुताबिक उसी जाबिता अमलके करे कि गोया वह मजिस्ट्रेट जिला है और मुताबिक दफ़ा ४५१-[अलिफ]के अमल करता है ॥

दफ़ा ४५२— जिसकमुद्दमे में कि किसीरअय्यत बृटानिया अहलयूरोपपर बशरकतऐसेशख्सके जोरअय्यत बृटानिया अहलयूरोप नहो किसी जुर्मकाइल्ज़ामलगायाजायऔर रअय्यत बृटानिया अव्वलुलज़िक्र तजवीज़के लिये किसी हाईकोर्ट या अदालतसिशनमें सिपुर्द कियाजाय तो जायज़है कि उसरअय्यत और

तजवीज रअय्यत बृटानियाअहल यूरोप और देसी आदमी को जब कि दोनों बिल्इश्तराक माखूज़ हों,

* दफ़ा ४५१ (ब) ऐक्ट ३सन् १८८४ई०की दफ़ा ८ की रूसे बढ़ाईगई है—

शख्स मज़कूरकी तजवीज़ यकजाईहो और तजवीज़केवक्त वही कारखाई अमलमें आये जो उस वक्त मरईरहती जबकि रअय्यत बृटानिया अहलयूरोप कामुक़द्दमा अलाहिदातजवीज़कियाजाता॥

मगर शर्त यह है कि अगर रअय्यत बृटानिया अहल यूरोप

(जब देसी आदमी जुदागाना तजवीज़का दावाकर सक्ता है,)

दफ़ा ४५१ के मुताबिक़ यह दावा करे कि उसके मुक़द्दमे की तजवीजमें अक़वाम मुख्तलिफके अहालीजूरी या अक़वाम मुख्तलिफ़के असेसर शरीकहों और अगर वह शख्सजो रअय्यत बृटानिया अहल यूरोप न हो यह दावाकरे कि उसका मुक़द्दमाअलाहिदा तजवीज कियाजाय तो मुक़द्दमा शख्स आखिरुलज़िक्रका मुताबिक़ शरायत बाब २३ के अलाहिदा तजवीजकियाजायगा॥

दफ़ा ४५३—जब किसी शख्सको यह दावाहो कि उसके

(ज़ाबिता जबकि किसी शख्सका दावाहोकि उसके साथ रअय्यत बृटानिया अहल यूरुपकी तरह मदारात कीजाय,)

साथ रअय्यत बृटानिया अहल यूरोपकी तरह मदारात कीजाय तो उसकोचाहिये कि अपने दावे की वजूह उस मजिस्ट्रेटके रूबरू पेशकरे जिसके हुज़ूर में वह तहक़ीक़ात या तजवीजके लिये हाजिर कियाजाय और उस मजिस्ट्रेट को लाजिम है कि उसके बयानकी सिदाक़तकी तहक़ीकात करे और शख्स मजकूरको उसकी सिदाक़त साबित करनेके लिये एक मोहलत माकूलदे और बाद उसके यह तजवीजकरे कि आया वहरअय्यत बृटानिया अहल यूरोपहै या नहीं और जो तजवीजकरारपायेउसके मुताबिक उसके साथ अमलकरे अगर ऐसा कोई शख्स ऐसे मजिस्ट्रेटकी तजवीजसे मुजरिम करारपाये और बनाराजी हुक्म इसबात जुर्मके अपीलकरे तो बारसुबूत इस अम्रका कि मजिस्ट्रेट की तजवीज गलत है शख्स मजकूरकी गर्दनपररहेगा॥

जबकोई ऐसा शख्स मजिस्ट्रेटकी तरफ़सेतजवीजके लिये अदालत सिशनमें सिपुर्द कियाजाय और वह अदालत सिशनमें भी वही दावाकरे कि उसके साथ बहैसियत रअय्यत बृटानिया अहल यूरोप मदारात कीजाय तो अदालत सिशनबाद उसकदर

तहकीकात मजीदके जो उसके नजदीक मुनासिबहो यह तजवीज करेगी कि वहशख्स रअय्यत बृटानिया अहलयूरोपहै या नहीं और उस तजवीजके मुताबिक उसकेसाथ अमल करेगी अगर अदालत सिशनसे शख्स मजकूर मुजरिम करारदियाजाय और बनाराजी हुक्म इसबात जुर्मके अपीलकरेतो बारसुबूत इसअम्रका कि उस अदालत की तजवीज गलतथी शख्स मजकूरकी गर्दनपर रहेगा॥

जब वह अदालत जिसके रूबरू किसी शख्सकी तजवीज अमलमें आये यह फैसलाकरे कि वह रअय्यत बृटानिया अहल यूरोप नहीं है--तो ऐसा फैसला एक वजह अपीलकी बनाराजी हुक्म सजा या दूसरे हुक्मके जो वक्त तजवीज मुकद्दमा सादिर हुआहो मुतसव्विर होगा॥

हैसियत का दावा नकरनेसे उसदावासे दस्तबरदार होनालाजिमआयेगा,

दफा ४५४—अगर कोई रअय्यत बृटानिया अहल यूरोप उस मजिस्ट्रेटके रूबरू जिसकी मारफत उस की तजवीज हो या जिसके हुक्मसे वहसिपुर्द कियाजाय यह दावा पेश न करे कि उस के साथ रअय्यत बृटानिया अहल यूरोपकी तरह मदारातकीजाय या अगर ऐसा दावा एक मर्तबा मजिस्ट्रेट सिपुर्दकुनिन्दाके रूबरू पेश होकर नामंजूर कियाजाय और दुबारा उस अदालत में न पेश किया जाय जिसमें उस शख्स की सिपुर्दगी हुईहो तो यह समझा जायेगा कि शख्स मजकूरने अपना हक जो बवजह होने रअय्यत बृटानिया अहल यूरोपके उसको हासिल था तर्क करदिया और उसको अख्तियार न होगा कि उसी मुकद्दमे की किसी नौबत माबादपर ऐसा दावा पेश करे॥

अगर मजिस्ट्रेट को किसी वजह से यकीन हो कि कोई शख्स जो उसकेरूबरू हाजिर कियाजाय रअय्यत बृटानिया अहलयूरोप नहीं है तो मजिस्ट्रेट को लाजिम है कि उस शख्ससे इस्तिफ्सार करे कि आया वह ऐसी रअय्यत है या नहीं॥

दफा ४५५—जब किसी शख्सके साथ जो रअय्यत बृटानिया

तजवीज तदर्न बाबहा ला उसशख्स की निसबत जो रअय्यत बूटानिया अहल यूरुप नहीं है,

अहल यूरोप न हो इस बात के बमूजिब ऐसा अमल कियाजाय कि गोया वह किस्म मजकूर की रअय्यत है और वह ऐसे अमल दरामदपर एतराज न करे तो मुकद्दमे की तहकीकात या सिपुर्दगी या तजवीज या उसकी बाबत हुकूम सजा (जैसी सूरत हो) उस अमलदरामद की वजहसे नाजायज न होगा ॥

दफा ४५६–जब किसीरअय्यत बूटानिया अहल यूरोपको कोई

उस रअय्यत बूटानिया अहल यूरोपका जिसको बतौर नाजायज हिरासतमें रक्खा गया हो यह हक़ मिलना वास्ते हुक्म के दरख्वास्त करे कि उसको हाईकोर्ट के हुजूर हाजिर कियाजाय,

शख्स खिलाफ कानून हिरासत में रक्खे तो रअय्यत बूटानिया अहलयूरोप या उसकी तरफ से कोई शख्स मजाज होगा कि उस हाईकोर्टमें जो उससूरतमें रअय्यत बूटानिया अहल यूरोप की निस्बत समाअतकी मजाज होती जब कोई जुर्म उस शख्स से उस मुकामपर सरजद होता जहां वह हिरासतमें रक्खागया हो या जिस के रूबरू शख्स मजकूर ऐसे जुर्म की बाबत हुकूम इसबात जुर्म से अपील करनेका मुस्तहकहोता इसबातकी दरख्वास्तकरे कि इसमजमून का हुकूम उस शख्स के नाम जारी हो जिसने रअय्यत मजकूर को हिरासतमें रक्खा हो कि वह रअय्यत मजकूरको वास्ते सिदूर हुकूम मजीदके हाईकोर्ट में हाजिर करे ॥

दफा ४५७–हाईकोर्ट मजाज है कि अगर मुनासिब समझे

जांचना मुतअल्लिके ऐसी दरख्वास्त के,

ऐसा हुकूम सादिर करने से पहले सायल के बयान हल्फी के जरिये से या और तौर पर यह दरियाफ्त करे कि दरख्वास्त किन वजूह पर मबनी है और बाद उसके दरख्वास्त को मंजूर या नामंजूर करे या अगर चाहे तो पहलेही से हुकूम मजकूर सादिर करे और जब शख्स दरख्वास्त कुनिन्दा हाईकोर्टमें हाजिर कियाजाय तो बाद तहकीकात जरूरी के (अगर कुछ जरूर हो) मुकद्दमे में ऐसा हुकूम मजीद सादिरकरे जो मुनासिब मालूम हो ॥

दफा ४५८–हाईकोर्टको अख्तियारहै कि तमाम मुमालिकमें

वह मुमालिक जिनके अन्दर हरजगह हाईकोर्ट वैसे अहकाम सादिर कर सक्ते हैं,

अपनी हकूमत फौजदारी सीगे अपीलकी हद्दूद अरजीके अन्दर और भी उन मुमालिकमें जिन की बाबत जनाब नव्वाब गवर्नरजनरलबहादुर बइजलास कौंसल वक्तन् फवक्तन् हिदायतकरें अहकाममुतजक्किरै सदरजारी करे ॥

दफा ४५९—बजुज उस सूरतके कि सदर या जेलकी कोई

उनऐक्टों की तअल्लुक जिनकी रूसे मजिस्ट्रेटों या अदालत हाय सिशन को अख्तियार सम अन बख्शाजाताहै,

इबारत इसअम्रके खिलाफपड़े तमामकवानीन जो पेशगाह जनाबनव्वाबगवर्नरजनरलबहादुर बइजलास कौंसल से आजतक सादिरहुये या आइन्दा सादिरहों जिनकीरूसे साहबान मजिस्ट्रेट या अदालत सिशनको जरायम की निस्बत अख्तियारात समाअत अता हुये हैं रिआयाय बृटानिया अहाली यूरोपसे मुतअल्लिक समझे जायेंगे गो जिक्र ऐसी रिआया का उन कवानीन में सराहतन् न कियागयाहो ॥

इसदफा की किसी इबारतसे यह तसव्वर न कियाजायेगा कि किसी अदालत को यह अख्तियार दियागयाहै कि किसी रअय्यत बृटानिया अहलयूरोपपर उसहदसे जियादह सजा आयदकरे जो इसबाबमें मुकर्रर कीगईहै और न यह समझाजायेगा कि इसदफा की किसी इबारतसे किसी मजिस्ट्रेट × या किसीजज सदरनशीन अदालत सिशन × को जो जस्टिस आफदी पीस न हो *समाअत का अख्तियार दियागया ॥

दफा ४६०—हर मुकद्दमे में जोलायक तजवीज मारफतअहाली जूरी या बअआनत असेसरान के हो और

जूरीवास्ते तजवीज मुकद्दमात अहल यूरोपव अहल अमरीका के,

जिसमें शख्स मुलिजम या अशखासमुलिजम में से कोई शख्स ऐसा बाशिन्दा यूरोप हो जो रअय्यतबृटानिया अहलयूरोप न हो या जो अहलअमरीकाहो तो

×--× यह अलफाज दफा४५९में ऐक्ट३ सन्१८८४ की दफा९की रूसे मुन्दर्जकियेगये हैं—

* दफा ४५९ क चन्द अलफाज जो ऐक्ट ३ सन् १८८४ ई० कीदफा ९ की रूसे मन्सूखहुये हैं इस मुकामपर मतरूकहुये—

अगर ऐसा अहलयूरुप या अहलअमरीकादावाकरे और इमकानसे बाहर न हो तो लाजिमहै कि निस्फ तादाद अहाली जूरी या असेसरोंकी अशखास अहलयूरुपसेहो या अशखास अहल अमरीकासे॥

दफा ४६१—जब कोई अहलयूरुप या अहल अमरीका बशिरकत किसी ऐसे शख्स के जोअहल यूरुप या अहल अमरीका न हो और मुताबिक उसदावे के जो हस्बदफा ४६० कियाजाय अदालत सिशन के रूबरूजुर्ममें माखूज कियाजाय और उसके मुकद्दमे की तजवीज ऐसे अहाली जूरीकी मारफत या बअआनत ऐसी जमाअत असेसरान के हो जिसमें कमसेकम एक निस्फअहलयूरुप और अहल अमरीकाहों तो शख्स आखिरुलजिक्र की तजवीज अगर वह ऐसा दावाकरे अलाहिदा अमलमें आयेगी॥

जूरी जब कि अहल यूरुप या अहल अमरीका परबशिरकत किसी गैर कौम के इल्जाम लगाया जाय,

दफा ४६२—जब किसी अदालत सिशनके रूबरू ऐसीतजवीज होनेवालीहो जिसमें शख्समुल्जिम या अशखास मुल्जिममें से कोई शख्स इसबातका मुस्तहक़ हो कि उसकी तजवीज मारफत ऐसीजूरी के अमल में आये जो मुताबिक़ अहकाम दफा ४५१ या दफा ४६०के मौजूअहुई हो तो अदालतको लाजिमहै कि कमसेकम तीनरोज माक़ब्लतारीखमुकर्ररह तजवीज के उसकदर अशखासजूरी अहलयूरुप और अहल अमरीका जो तजवीजके लिये दरकारहों उसतौरसे तलब कराये जो मजमूये हाजामें आयन्दा मुकर्रर किया गया है॥

हस्ब दफा ४५१ या ४५१ [अलिफ] या ४५१ [बे] या ४६० अहाली जूरीको तलब करनाऔर उनकी फेहरिस्त इस्माय मुरत्तिब करनी,

अदालत को यहभी लाजिमहै कि उसी वक्त और उसी तरीक पर उसीतादाद के और और अशखास जिनकेनाम फेहरिस्त मुसहहामें मुन्दर्जहों तलबकराये इल्ला उससूरत में कि ऐसे दीगर अशखास बतादादमजकूरउस जलसेके मुकद्दमात लायकअआनत जूरीकी तजवीज करनेके लिये पहले से तलब होचुकेहों॥

मिन्जुमलै कुल तादाद अशखास के जो हस्ब मुन्दर्जै रिटर्न तलब हुये हों अहलजूरी जिनसे जूरी मुनअकिद होगी हस्ब

मुसर्रह दफा २७६ बज़रिये कुरा अन्दाज़ी मुन्तख़िब होंगे तावक्ते कि ऐसी जूरी हासिल होजाय जिसमें अहाली यूरुप या अमरीका बतादाद मुनासिब या जहांतक मुमकिनहो उस तादादके करीब करीब दाखिल हों ॥

मगर शर्त यहहै कि जब किसी सूरत में तादाद मुनासिब अहालीयूरुप और अहालीअमरीकाकी और तौरपरहासिल न होसके तो अदालत को अख्तियार है कि अपनी तजवीजसे अहलजूरी के कायम करने की ग़रज़से किसी शख्स को तलबकरे जो फेहरिस्त से इस बिनापर खारिज किया गयाहो कि वह हस्बदफा ३२० के मुस्तस्ना है ॥

कार्रवाई नालिशात फ़ौजदारी ब मुक़ाबिले रिआया बृटानिया अहल यूरुप वग़ैरहके,

दफा ४६३—कार्रवाई नालिशात फौजदारी बमुक़ाबिले रिआयाय बृटानिया अहल यूरुप और ऐसे बाशिन्दै हाययूरुप के जो रिआयाय बृटानिया अहलयूरुप न हों और बमुक़ाबिलै अहाली अमरीकाके जो रूबरू अदालत सिशन और हाईकोर्ट के रुजूअ हों बजुज़ उस सूरत के जिसकी बाबत कोई और अहकाम सरीह सादिर हुयेहों मुताबिक शरायत मजमूये हाजाके अमलमेंआयेगी॥

बाब ३४ ॥

अशखास मफ़ातिरुलअक्ल ॥

जबकि मुल्ज़िम मजनून हो,

दफा ४६४—जब किसी मजिस्ट्रेट के रूबरू जो तहकीकात या तजवीज में मसरूफ हो किसी ऐसे शख्सपर जुर्मका इल्ज़ाम लगायाजाय जो बदानिस्त मजिस्ट्रेट मज़कूर के फातिरुलअक्ल और उसविजह से जवाबदिही करने के गैर काबिल मालूम हो तो मजिस्ट्रेट मज़कूर उसशख्स की फातिरुलअक़्लीकी तहकीकातकरेगा और उसका मुआयना जिले के साहब सिविलसरजन या किसी और ओहदेदार सीग़ैडाक्टरी से जिसतरह लोकलगवर्नमेण्ट हिदायतकरे करायेगा बाद अजां सिविलसरजन या दूसरे ओहदे सीग़ैडाक्टरीको गवाह करार देकर उसका इज़हार कलम्बन्द करेगा ॥

अगर मजिस्ट्रेट मजकूरकी रायमें शख्समुल्जिम फातिरुल्अक्ल करारपाये और इसवजहसे अपनी जवाबदिही करनेके नाकाबिल होतो उस मुकद्दमेमें कार्रवाई मजीद मौकूफरक्खेगा॥

दफा४६५--अगरकोईशख्स जोतजवीजकेलिये किसीअदालतासिशन या हाईकोर्टमेंसपुर्दहुआहो अदालतमजकूर को तजवीजकेवक्त फातिरुल्अक्ल और इसवजह से जवाबदिही करनेके नाकाबिल मालूम हो तो अहालीजूरी या अदालत को जबबअमानत असेसरान कारबन्दहो चाहिये कि पहले अम्र फितूरअक्ल और नाकाबिलियतको तैकरे और अगर उसको उमूर मजकूरका इतमीनान होजाय तो उसके मुताबिक तजवीज लिखकर मुकद्दमेकी कार्रवाई आयन्दा मुल्तवीकरदे॥

जाबिता जब कि वह शख्सजो अदालत सिशन या हाईकोर्ट में सिपुर्द हुआहो--मजनूनहे,

तैकरना इसअम्रका कि शख्समुल्जिम फातिरुल्अक्ल और जवाबदिही करनेके नाकाबिलहै बमंजिलै जुज्वतजवीज मुल्जिम रूबरू अदालत मजकूरके मुतसव्विर होगा॥

दफा ४६६—जब कोई शख्स मुल्जिम फातिरुल्अक्ल और जवाबदिही करने के नाकाबिल पायाजाये तो मजिस्ट्रेट या अदालतको जैसी सूरतहो अख्तियार है कि अगर वह मुकद्दमा काबिल अख्ज जमानत हो और उस अम्रकी जमानत काफी दाखिल कीजाये कि शख्स मजकूर की खबरगीरी मुनासिब कीजायेगी और वह अपनेतईं या किसी और शख्सको गजन्द न पहुंचाने पायेगा और इन्दुलतलब रूबरू मजिस्ट्रेट या अदालत या ऐसे ओहदेदारके हाजिर होगा जिसको मजिस्ट्रेट या अदालत मजकूर उसगरज से मुकर्रर करे तो शख्समुल्जिम को रिहाईदे॥

रिहाई मजनूनको ता दौरान तफतीश या तजवीजके,

अगर मुकद्दमा काबिल अख्ज जमानतनहो या जमानत काफी दाखिल न कीजाय तो मजिस्ट्रेट या अदालत मजकूर को लाजिमहै कि उस मुकद्दमे की कैफियत लोकलगवर्नमेण्ट को लिख भेजे और लोकलगवर्नमेण्ट यह हुक्म सादिर करसकेगी कि शख्स मुल्जिम किसी पागलखाने या और माकूल

मजनूनकी हिरासत,

मुकाम हिरासत में रक्खाजाय उस पर मजिस्ट्रेट या अदालत मजकूर उस हुक्मकीतामील करेगी॥

दफा४६७—जब कोई तहकीकात या तजवीज दफा४६४ या दफा४६५ के बमूजिब मुल्तवी कीजायतो मजिस्ट्रेट या अदालत जैसी सूरतहो मजाज होगी कि किसी वक्त पर तहकीकात या तजवीज फिर जारी करे और शख्स मुल्जिम के अपने रूबरू हाजिर होने या हाजिर किये जानेका हुक्म सादिर करे॥

तहकीकात या तजवीज का फिर शुरूकरना,

जब शख्स मुल्जिम को दफा ४६६ के मुताबिक रिहाई दीगई हो और उसके हाजिर जामिन लोग उसको उस ओहदेदार के रूबरू हाजिरकरदें जिसको मजिस्ट्रेट या अदालतने उस अम्रके लिये मुकर्रर कियाहो तो सार्टीफिकट ओहदेदार मजकूर का मशअर इसके कि शख्स मुल्जिम जवाबदिही करने के काबिल है मुकद्दमे की शहादतमें मकबूल कियाजायेगा॥

दफा ४६८—अगर उस वक्त पर जब कि शख्स मुल्जिम मजिस्ट्रेट या अदालत के रूबरू जैसी सूरत हो हाजिर आये या फिर हाजिर किया जाये मजिस्ट्रेट या अदालत मजकूरकी यहराय हो कि शख्स मजकूर जवाबदिही करने के काबिल है तौ तहकीकात या तजवीज जारी की जायेगी॥

जाबिता जब कि मुल्जिम मजिस्ट्रेट या अदालत के रूबरू हाजिरहो,

अगर मजिस्ट्रेट या अदालत की रायमें शख्स मुल्जिम उस वक्तभी जवाबदिही करने के गैर काबिल हो तो मजिस्ट्रेट या अदालत मजकूर को लाजिम है कि फिर मुताबिक शरायत मुन्दर्जै दफा४६४ या दफा ४६५ के जैसा मौकाहो अमलकरे॥

दफा ४६९—जब शख्स मुल्जिम तहकीकात या तजवीज के वक्त जाहिरा सहीहुलअक्लहो और जो शहादत मुकद्दमे में गुजरीहो मजिस्ट्रेट को उससे इतमीनान हो कि इसबात के बावर करने की वजह काफी है कि शख्स मुल्जिम से ऐसा फेल सरजद हुआहै

जब कि मालूम होकि मुल्जिम गैर सहीहुलअक्लथा,

जो दरसूरत सहीहुल् अक्ल होने मुलजिम के जुर्म होता और यह कि बवक्त इर्तिकाब उस फेलके शख्स मुलजिम फितूर अक्ल के बाअस उसफेल की कैफियत समझनेसे माज़ूर था उसके बेजा या खिलाफ कानून होनेसे ला इल्मथा तो मजिस्ट्रेट मज़कूर मुकद्दमे की कारवाई जारी करेगा और अगर शख्स मुलजिम अदालत सिशन या हाई कोर्ट में सिपुर्द होने के लायक ठहरे तो शख्स मुलजिम को तजवीज के लिये अदालत सिशन या हाईकोर्ट में जैसा मौका हो मुरसिल्ल करेगा ॥

जुर्मसे बरी होने का फतवा बर बुनियाद जुनूनके,

दफा४७०—जब कोई शख्स इस बुनियाद पर जुर्म से बरी कियाजाय कि जिसवक्त वह हस्ब बयान नालिश जुर्मका मुर्तकिब हुआथा वह फितूर अक्ल के बाअस उसफेल की कैफियत समझनेसे माज़ूरथा जो जुर्म करार दिया गया है या इसबातसे लाइल्मथा कि वह फेल बेजा या खिलाफ कानून है तो उसकी तजवीज में बिलतख्सीस यह लिखाजायेगा कि वह उस फेलका मुर्तकिब हुआथा या नहीं ॥

जिस शख्स को उस बुनियाद परबरी कियाजाय उस को हिरासत काफी में रक्खा जायेगा

दफा४७१--अगर तजवीज मजकूर में यह लिखाजाये कि शख्स मुलजिम फेल करारदादहका मुर्तकिब हुआ था तो मजिस्ट्रेट या अदालत को जिसके रूबरू मुक़द्दमे की तजवीज होतीहो लाजिमहै कि अगर वह फेल बहालत न होने सुबूत ऐसे फितूर अक्लके जुर्मके दरजे को पहुंचता यह हुक्म सादिरकरे कि शख्स मजकूर उस मुकाम पर और उसतरह हिरासत काफीमें रक्खाजाय जोमजिस्ट्रेट या अदालत मौसूफको मुनासिब मालूम हो और मुकद्दमे की रिपोर्ट वास्ते सिदूर हुक्म लोकल गवर्नमेण्टके भेजदे ॥

लोकलगवर्नमेण्ट यह हुक्म सादिर करसक्ती है किऐसा शख्स किसी पागलखाने या जेलखाने या और किसी हिरासत काफीके मुकाम माकूलमें बन्दरक्खा जाय ॥

दफा ४७२—जबकोई शख्स हस्ब शरायत दफा ४६६ या दफा

मजनून कैदियों को इन्सपेक्टर जनरलमुआयनाकरेगा,

४७१ क़ैदमें रक्खाजाय तो साहब इन्स्पेक्टर जनरल जेलखानोंका अगर वहशख्स किसी जेलखानेमेंमुक़य्यदहो या मुबस्सरान पागलखाना या उनमेंसे दो मुबस्सर अगर वह पागलखानेमें बंद कियागयाहो मजाज होंगे किउसके दिमाग की हालत दरियाफ्त करनेके लिये उसका मुआयना करें और मुनासिब है कि उसका मुआयना मारफत इन्स्पेक्टर जनरल जेलखाने या दो नफर मुबस्सरके हर शशमाहीमें कमसे कम एकमर्त्तबाहुआकरे और ऐसे इन्स्पेक्टरजनरल या मुबस्सरोंको लाजिम होगा कि उसशख्सके दिमागकाहाल बजरिये कैफियत खासके लोकलगवर्नमेण्टके पास लिखभेजें ॥

दफा ४७३—अगर ऐसा शख्सदफा ४६६ की शरायतके मुताबिक कैदमें रक्खा गयाहो और इन्स्पेक्टर जनरल या मुबस्सरान मजकूर इसअम्रकीतसदीक करें कि उसकी या उनकी रायमें शख्समजकूर जवाबदिही करनेके काबिल है तो शख्स मजकूर मजिस्ट्रेट या अदालतके रूबरू (जैसा मौकाहो) उसवक्तपर जो मजिस्ट्रेट या अदालत मुकर्ररकरे हाजिरकियाजायगा और मजिस्ट्रेट या अदालत मजकूर उस शख्सके साथ मुताबिकशरायत दफा ४६८ के अमलकरेगी और ऐसे इन्स्पेक्टर जनरल या मुबस्सरोंका सार्टीफिकट जिसका मजकूरहुआहै शहादतमें मकबूल कियाजायेगा ॥

जाबिताजबकिरिपोर्टहो किमजनूनकैदीअपनीजवाबदिही करनेके काबिल है,

दफा ४७४—अगर ऐसाशख्स दफा ४६६ या दफा ४७१ के अहकाम के मुताबिक कैद कियागयाहो और इन्स्पेक्टर जनरल या मुबस्सरान मजकूर तसदीक करें कि उसकी या उनकी तजवीज में बिलाखतरा इसअम्रके कि वहअपने तईं यादूसरेको गजंद पहुंचायेगा रिहाकर दियाजासक्ताहै तो लोकलगवर्नमेंट यहहुक्म सादिर करसकेगी कि शख्स मजकूर रिहा कियाजाय या हिरासतमें रक्खाजाय या अगर वह पहिलेसे पागलखाने सर्कारीमें न भेजागयाहो तो पागलखाने में,

जाबिता जबकि उसमजनूनकी निस्बत जो हसब दफा ४६६ या ४७१ कैदमें हो यह इजहार कियाजाय कि वहरिहाई पाने के काबिल है,

भेजाजाय और लोकलगवर्नमेण्ट यहभी अख्तियार रक्खेगी कि अगर शख्समजकूर के पागलखानेमें भेजेजानेका हुक्मदे तो एक कमीशन मुकर्रर करे जिसमें एकशरीक कोई ओहदेदार सीगे अदालत हो और दूसरा शख्स डाक्टर हो ॥

अहाली कमीशन मजकूर शख्स मजकूरकी सेहतहोश वहवास की बाबत तहकीकात बाजाबिता करेंगे और शहादत बकद्र जरूरत लेंगे और लोकलगवर्नमेण्ट को रिपोर्टकरेंगे और गवर्नमेण्ट मौसूफको अख्तियार होगा कि उसकी रिहाई या हिरासत में रक्खे जानेका हुक्मदे जो कुछ मुनासिब मालूम हो ॥

करावत दारकी हिफाजतमें मजनूनका हवाला करना,

दफा ४७५—जो शख्स दफा ४६६ या दफा ४७१ के अहकाम के मुताबिक कैदकियाजाय अगर उसकाकोई करावतदार या दोस्त इसबातका ख्वास्तगार हो कि वह शख्स हिफाजत और खबरगीरी के लिये उसको हवाले कियाजाय तो लोकलगवर्नमेण्ट मजाज है कि दोस्त या करावतदार मजकूरकी दर्ख्वास्त पर बशर्त्तेकि वह हस्ब इतमीनानगवर्नमेण्ट इसअम्रकी जमानतदेकि शख्स हवाले शुदह की खबरगीरी मुनासिब होगी और वह अपने नफ्स या किसीऔर शख्सको गजंद न पहुँचाने पायेगा इस मजमूनसे हुक्म सादिरकरे कि शख्स नजरबंद उसके करावतदार या दोस्तको हवाले कियाजाय ॥

जब कोई शख्स हस्बतरीकै बाला हवाले कियाजाय उसकी हवालगी इस शर्त्तपर होगी कि वह उस ओहदेदार के रूबरू और उन औकातपर मुआयनेके लिये हाजिर किया जायगा जिनकी लोकलगवर्नमेण्ट हिदायतकरे ॥

अहकाम दफआत ४७२ व ४७४ बाबतब्दील मरातिबतब्दील तलब उन अशखाससे भी मुतअल्लिकहोंगे जो इस दफाकी शरायतके बमूजिब हवाले कियेजायँ और सार्टीफिकट उस ओहदेदार मुबस्सरका जो इस दफाके बमूजिब मुकर्रर कियाजाय बतौर शहादतके मकबूल किया जायेगा ॥

दफ़ा ४७५–(अलिफ़)--+जनाबनव्वाब गवर्नर जनरलबहादुरब इजलास कौंसल इसबातकी हिदायत करसकैहैं कि कोई ऐसाशख्स जिसको लोकलगवर्नमेंट ने हस्ब फ़सलहाज़ा ऐसेकिसी पागलखाना या जेलखाना या किसी और मुकामहिरासत मह-फूज़में मुकीद रहनेकाहुक्मकियाहो उसमुकाम से जहां वह मुकीदहो किसी दूसरे पागलखाना या जेलखाना या और मुकाम हिरासत महफूज़ वाके बृटिशइंडिया में तब्दील कियाजाय ॥

जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर ब इजलास कौंसलका मजनूनान् व ग़ैरहको जो लोकलगवर्नमेंटके हुक्मसे कैद हुए एक मुकामसे दूसरे मुकाममें तब्दील करनेकी बाबत अख्तियार,

दफ़ा ४७५—(बे)+लोकल गवर्नमेंट को अख्तियार होगा कि ऐसेजेलखानाके ओहदेदार मुतअहदको जिस-में कोई शख्स हस्बदफ़ा ४६६ या दफ़ा ४७१ कैदहो इन्स्पेक्टरजनरल जेलखानाकी हस्बदफ़ा ४७२ या दफ़ा ४७३ या दफ़ा४७४ तमाम खिद मतोंकेया उनमेंसेकिसीखिदमतके अंजामकरनेकाअख्तियारबख्शे॥

इन्स्पेक्टर जनरलका बाज़ खिदमातसेमुतअल्लिक़ होनेके बाबमें लोकलगवर्नमेंट का अख्तियार,

बाब ३५ ॥

कार्रवाई मुतअल्लिक़े बाज़ जरायम जो अदालत गुज़री में मुख़िल हों ॥

दफ़ा ४७६—जब किसीअदालत दीवानी या फ़ौजदारी या माल की यहरायहो कि वजह काफ़ी वास्ते तहकीकात किसीजुर्म मुतज़क्किरै दफ़ा १९५ के हासिल है जो अदालत के रूबरू सरज़द हो या किसी कार्रवाई अदालतानाके दौरान में अदालतको दरियाफ़्त होजाय तौ अदालत मज़कूर को मुनासिब है कि बाद करने उसकदर तहकीकात इब्तिदाई के जो ज़रूरीहो उस मुक़द्दमे को तहकीकात या तजवीज के लिये उस मजिस्ट्रेट दरजे अव्वलके पास भेजदे जो करीबतरहो और यहभी अख्तियार है कि शख्स मुल्ज़िमको हिरासत में भेजने या उसके

नाबिना उन अमूरतोंमें जिनकी तसरीह दफ़ा १९५ में कीगई है,

+ दफ़आत ४७५ (अलिफ़) व ४७५ (बे) ऐक्ट १० सन् १८८६ ई० की दफ़ा १२ की रूसे मुंदर्ज कीगई हैं ॥

माजिस्ट्रेट मजकूरके रूबरू हाजिर होनेके लिये उससे जमानत काफीले और किसी शख्ससे इसबातका मुचल्का लिखाये कि वह तहकीकात या तजवीजके वक्त हाजिर होनेका शहादतदेगा ॥

उसपर माजिस्ट्रेट मजकूर कानूनके मुताबिक अमल करेगा और उसकोअख्तियारहोगा कि अगरवहदफा१९२केमुताबिक मुकद्दमात मुन्तकिल करने का मजाजहो मुकद्दमे की तहकीकात या तजवीज को किसी और माजिस्ट्रेट मजाज के पास मुन्तकिल करदे ॥

दफा ४७७——अकेदशरायत दफा४४४के अदालतसिशन मजाज है कि किसी शख्स की निस्बत इल्जाम किसी जुर्म का जो दफा १९५ में मजकूर है और जो उसके रूबरू सरजदहो या किसीकाररवाई अदालतानाके दौरान में उसको दरियाफ्त होजाय कायमकरेऔर शख्स मजकूरको बइल्लत उसीजुर्मके जो उसनेकायमकियाहो सिपुर्दकरे या जमानतपररिहाकरके उसकीतजवीजखुदअमलमेंलाये॥

अख्तियार अदालत सिशनका दरबाब जरायमके जो उसकेरूबरू सरजद हों,

ऐसी अदालत मजाज है कि साहब मजिस्ट्रेटको हिदायतकरे कि जिसकदर गवाह तजवीजकेलिये जरूरहोंउनको हाजिरकराये॥

दफा ४७८--अगर कोई जुर्म किस्ममजकूरका किसी अदालत दीवानी या अदालत मालके रूबरू सरजदहो या अदालत दीवानी या अदालत मालकी किसी काररवाईके दौरान में अदालतमौसूफको उसका सरजदहोना दरियाफ्तहोजाय और वह मुकद्दमा सिर्फ हाईकोर्ट या अदालत सिशनसे तजवीजहोनेके लायकहो या उसअदालत दीवानी या अदालत मालकेनजदीक उसका हाईकोर्ट या अदालतसिशनसे तजवीजपाना मुनासिबहो तो ऐसीअदालतदीवानीया अदालतमाल मजाजहोगी कि दफा ४७६ के मुताबिक मजिस्ट्रेटके पास मुकद्दमा तहकीकातके लिये भेजने के एवज खुद तहकीकातकी तकमीलकरे और शख्स मुलजिमको बगरज होने तजवीज रूबरू हाईकोर्ट या अदालत सिशनके जैसा मौकाहो सिपुर्द या जमानतपर रिहाकरे ॥

अदालतहाय दीवानी वमालका अख्तियार दरबारह मुकम्मिलकरने तफतीश और सिपुर्दकरने मुकद्दमाके हाईकोर्टयाअदालतसिशनमें,

बगरज करने तहकीकात मुताबिक इसदफाके अदालत दीवानी या अदालत माल मजाज है कि बइतबाअशरायत दफा ४४३ के तमाम अख्तियारात मुतहस्सिलै मजिस्ट्रेटको नाफिजकरेऔर चाहिये कि उस अदालतकी काररवाई ऐसी तहकीकातके वक्त जहांतक मुमकिनहो मुताबिक शरायत बाब १८ के अमलमेंआये और उसकाररवाईकी निस्बत यह समझाजायेगा कि वह मारफत मजिस्ट्रेटके हुईथी ॥

दफा ४७९—जब इस किस्मकी सिपुर्दगी किसी अदालत दीवानी या अदालत मालकी मारफत कीजाय तो अदालत मजकूरको लाजिमहै कि अपनी फर्द करारदाद जुर्म मै हुक्म सिपुर्दगी और कागजात मुकद्दमे के पास मजिस्ट्रेट प्रेजीडंसी या मजिस्ट्रेट जिला या किसीऔर मजिस्ट्रेट के भेजदे जो मुकद्दमा तजवीजके लिये सिपुर्द करनेका अख्तियार रखता हो और मजिस्ट्रेट मजकूर को लाजिम है कि मुकद्दमेको हाईकोर्ट या अदालत सिशनके रूबरू जैसा मौकाहो मै गवाहान सुबूत और सफाईके पेशकरे॥

जाबिता अदालत दीवानी यामालका वैसेमुकद्दमातमें,

दफा ४८०—अगर कोईजुर्म मिन्जुमलै जरायममुतजक्किरैदफआत १७५या१७८या१७९या१८०या२२८ मजमूये ताजीरातहिन्द के किसी अदालतदीवानी या अदालत फौजदारी या अदालतमालकेहुजूर या मवाजह में सरजदहो तो अदालत को अख्तियारहै कि मुजरिम को आम इससे कि वह रअय्यत बृटानियाअहलयूरोपहो या नहो हिरासतमेंरखवाये औरकिसीवक्तमाकब्लबरखास्तकचहरी के उसीरोज अगरमुनासिबसमझे जुर्मकीसमाअतकरे औरमुजरिम की निस्बत सजायजुर्माना जो दोसौरुपयेसे जियादह न हो तजवीज करे और दरसूरत अदम अदाय जुर्माना कैद महजका हुक्मदे जो एक महीने से जियादह न हो इल्ला उस सूरत में कि मीआद मजकूर के इन्कजा से पहले जुर्माना अदाहोजाय ॥

जाबिता बाजमुकद्दमात तौहीनमें,

ऐक्ट४५ सन् १८६० ई०,

कोई शर्त्त दफा ४४३ या दफा४४४की उस काररवाई से मु-

तअल्लिक न होगी जो इसदफा के मुताबिक अमलमें आये॥

दफा४८१—ऐसे हर मुकद्दमे में अदालत को लाजिमहै कि
रिकार्डवैसेमुकद्दमातमें, उन वाकिआत को कलम्बन्द करे जिनसे जुर्म पैदाहो और नीजबयान मुजरिमको अगर उसको कुछबयान करना मंजूरहो मय अपनी तजवीज और हुकूमसजाके तहरीरमें लाये॥

अगर वह जुर्म मुतअल्लिकै दफा २२८ मजमूये ताजीरातहिंद
ऐक्ट४५ सन्१८६०ई०, के हो तो मिसल में एक ऐसी कैफियत मुन्दर्ज होनी चाहिये जिससे मालूमहो कि हाकिम अदालतने जिसके मुकाबिले में मजाहिमत या तौहीन कीगई कारवाई मुकद्दमे को किस नौबततक पहुँचाया था और किस किस्म की कारवाई करताथा और किस नौअकी मजाहिमत या तौहीन कीगईथी॥

दफा ४८२---अगर किसी मुकद्दमे में अदालतकी यह रायहो
जाबिता जबकि अदालत समझे कि मुकद्दमे की निस्बत हस्ब दफा ४८० कारबंदनहोना चाहिये,
कि वह शख्स जिसपर इल्जाम किसी जुर्मका मिन्जुमले जरायम मुफस्सिले दफा ४८० लिखा जाय और जो अदालत के हुजूर या मवाजहमें सरजदहुआहो सिवाय बसूरत अदम अदाय जुर्माना और वजहों से भी कैद कियेजाने के लायक है या इसलायक है कि जुर्माना तादादी ज़ायद अज़ दो सौ रुपया उस पर आयद किया जाय या किसी और वजह से अदालत की यह राय हो कि मुकद्दमा दफा ४८० के बमूजिब तै होने के लायक नहीं है तो ऐसी अदालतको अख्तियारहै कि बाद कलम्बंद करने उन वाकिआत के जिनसे जुर्म पैदा हुआ हो और बयान शख्स मुल्जिम के जिसका ऊपर हुकूम होचुका है मुकद्दमे को उस माजिस्ट्रेट के पास भेजदे जो उसकी समाअत का अख्तियार रखताहो और वास्ते हाजिरी शख्स मुल्जिम के रूबरू मजिस्ट्रेट मजकूर के जमानत तलबकरे या अगर जमानतकाफी दाखिल न कीजाय शख्स मुल्जिम को जेरहिरासत ऐसे मजिस्ट्रेट के पास भेजदे॥

उस मजिस्ट्रेटको जिसकेपास कोईशख्स इस दफाके बमूजिब भेजाजाय लाजिम है कि समाअत इस्तगासा जो शख्स मजकूर

के नाम रुजूअ हुआ हो उस तरीक पर करे जिसकी बाबतहुक्म पहले होचुका है ॥

दफा ४८३—जब कि लोकलगवर्नमेण्ट इस नेहज की हिदायतकरे तो हर रजिस्टरार या सब रजिस्टरार जो ऐक्ट रजिस्टरी हिन्दमुसद्दिरैसन् १८७७ई० के मुताबिक मुकर्रर हो हस्ब मुराद दफआत ४८० व ४८२ अदालत दीवानी समझा जायेगा ॥

(कब रजिस्टरार या सब रजिस्टरार हस्ब मुराद दफआत ४८० व ४८२ अदालत दीवानी समझा जायगा, ऐक्ट३ सन १८७७ई०,)

दफा ४८४—अगर किसी अदालत ने दफा ४८० के मुताबिक किसी मुजरिमकी निस्बत इस सबब से सजा तजवीजकीहो कि उसने ऐसेअम्रके करने से इन्कार किया था उसका करना तर्ककिया जिसके करनेके लिये उसको कानूनन् हुक्म दियागयाथा या उसने कस्दन् अदालत की तौहीन या मजाहिमत की तो अदालत मजाज है कि अगर मुनासिब समझे मुजरिमको रिहाई दे या उसकी सजा उसवक्त मुआफ करे जब मुजरिम अदालत का इर्शाद या हुक्म बजालाये या हस्ब इतमीनान अदालत अल्फाज माजरतके अदा करे ॥

(हुक्म बजालाने या माजरत करनेपर मुजरिम की रिहाई,)

दफा ४८५—अगर कोई गवाह जो अदालत फौजदारीमें हाजिरहो ऐसे सवालात का जवाब देनेसे इन्कार करे जो उस से पूछेजायें या ऐसी दस्तावेज़को हाजिर न करे जो उसके क़ब्ज़े या अख्तियारमें हो और जो अदालतने उससे तलब की हो और अपने इन्कार या नाफर्मानी की कोई वजह माकूल जाहिर न करसके तो अदालत मजाज है कि उन वजूह के मुताबिक जो कलम्बंद की जायेंगी उसके लिये क़ैद महज़की सज़ा का हुक्म दे या बज़रिये वारंट दस्तख़ती मजिस्ट्रेट या जज इजलास कुनिन्दाके किसी ओहदेदार की हिरासत में किसी मीआद तक नजरबन्द रक्खे जो सातरोज से जियादह न हो इल्लाउससूरतमें कि वह शख्स उससे पहिले इ-

(किसी शख्सको कैद या सिपुर्दगी बवजह जवाब देने से या दस्तावेज पेश करने से इन्कार करे,)

जहार और सवालात के जवाब देने या दस्तावेजकेपेश करने पर राजी होजाय बादअजां अगर वह शख्स अपने इन्कार साबिकपर इसरारकरे तो जायजहै कि उसकी निस्बत वह अमल कियाजाय जो दफा ४८० या ४८२ में मरकूमहै और अगर मुकद्दमा किसी अदालत मुकर्ररह सनद शाहीसे मुतअल्लिकहो तो शख्स मजकूर जुर्म तौहीन अदालत का मुर्त्तकिब समझा जायेगा ॥

दफा ४८६—जिस शख्स की निस्बत किसी अदालतसे दफा ४८० या दफा ४८५ के बमूजिब हुक्म सजा सादिर किया जाय उस को अख्तियार है कि बावजूद इसके कि मजमूये हाजामें कब्लअजीं कुछ और हुक्म हो उस अदालत में अपीलकरे जिस में बनाराजी डिगरियात और अहकाम मुसद्दिरै अदालत अव्वलुल्ज़िक्र के अललउमूम अपील रुजूअ किये जाते हैं ॥

मुकद्दमात तौहीन में करारदाद जुर्मकी नाराज़ी से अपील,

शरायत मुन्दर्जे बाब ३१ जहांतक वह मुतअल्लिक होसकें उन मुकद्दमात अपीलसे मुतअल्लिक होंगी जो इस दफा के बमूजिब दायर किये जायँ और अदालत अपील मजाज होगी कि जिस तजवीज या हुक्म सजा कीनाराजी से अपील हुआहो उस तजवीज को तब्दील या मन्सूखकरे या उसहुक्म सजाको घटादे या मुस्तरिद करे ॥

जब हुक्म इसबात जुर्म किसी अदालत मुतालिबै खफ़ीफ़ा वाकै बल्दै प्रेजीडेंसीसे सादिरहो तो लाजिमहै कि उसका अपील हाईकोर्ट में रुजूअ किया जाय और ॥

जबहुक्म इसबात जुर्मकिसी और अदालत मुतालिबै खफ़ीफा से सादिर हो लाजिमहै कि उसका अपील उस किस्मत सिशन की अदालत सिशन में दायर कियाजाय जिसके अन्दर ऐसी अदालत वाकै हो ॥

अगर हुक्म इसबात जुर्मकिसी ओहदेदार मिसल रजिस्टरार या सब रजिस्टरारके हुजूर से जो हस्ब मजकूरह सदर मुकर्रर हुआहो सादिर कियाजाय अगर वह ओहदेदार किसी अदालत दीवानी का

जजभी हो तो उस हुक्म इसबात जुर्मकी नाराजीसे अपीलउस अदालत में दायर होगा जिस में हस्ब मरकूमै जुज्व अव्वल इस दफा के उस डिगरीकी नाराजी से अपील कानूनन् दायर होसक्ता था जो ओहदेदार मजकूर से बहैसियत जजी सादिर की जाती बाकी और सूरतोंमें ऐसे हुक्मका अपील जज जिला या बलाद प्रेजीडेंसीमें हाईकोर्टके रूबरू रुजूअ किया जायेगा ॥

बाज जज और मजिस्ट्रेट जरायम मुतजक्किरै दफा १९५ कीतजवीज नकरसकेंगे जबकि वह उनके रूबरू सरजदहों,

दफा ४८७—×सिवाय उन सूरतों के जो दफआत ४७७ व ४८० व ४८५ में मजकूर हैं और किसी सूरतमें कोई हाकिम अदालत फौजदारी का या कोई मजिस्ट्रेट जोकिसी हाईकोर्टकाहाकिम न हो या मुल्करंगून का रिकार्डर या किसी प्रेजीडेंसी का मजिस्ट्रेट न हो किसी शख्सकी तजवीज बइल्लत किसी जुर्म मुफस्सिलै दफा १९५ के अमल में नलायेगा जब वह जुर्म खुद उसके रूबरू सरज़द हो या बतौहीन उसके अख्तियारके हो या उसकी इत्तिलाअ किसी काररवाई अदालतानाके दौरानमें बहैसियत जजी या माजिस्ट्रेटीउसको पहुँचे॥

कोई इबारत मुन्दर्जै दफा ४७६ या दफा ४८२ मानै इस अम्रकी न होगी कि कोई मजिस्ट्रेट जो अदालत सिशन या हाई कोर्टमें मुक़द्दमा सिपुर्द करने का मजाज है खुद किसी मुकद्दमेको ऐसी अदालतमें सिपुर्दकरे या कि कोईमजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी किसी मुकद्दमे को तहकीकातके लिये किसी और मजिस्ट्रेट के पास भेजने के एवजखुद उसका फैसला करदे ॥

बाब ३६ ॥

जौजात या अतफाल की परवरिश ॥

हुक्म वास्ते परवरिश जौजा या औलाद के,

दफा४८८—अगर कोई शख्स जिसको इस्तताअत काफी हो अपनीजौजाकी या किसीवल्दहलाल या हरामकी परवरिशसे जोखुद अपनी परवरिश न

× अपर बर्मा के जजों और मजिस्ट्रेटों के अख्तियार तजवीज़ जरायममुतज क्किरैदफ़ा१९५ की निस्बत जबकि वह उनके रूबरू सरज़दहोंवगैरह—देखो कानून,सन्१८८६ ई०के नंमीमे की दफ़ा १०--

करसक्ता हो तगाफुल या इन्कार करे तो जिले का मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट हिस्सा जिला या मजिस्ट्रेट द-र्जै अव्वलको अख्तियार होगा कि इन्दुलसबूत ऐसे तगाफुल या इन्कार के शख्स मजकूरको यह हुक्मदे कि वह अपनी जौजा या तिफ्ल मजकूरकी परवरिशके लिये ऐसाकफाफ माहाना मुकर्रर करे जोकुल्लन् ५०)रु०माहवारसे जियादह न हो और जोमजिस्ट्रेट को मुनासिब मालूमहो और ऐसे शख्सको कफाफ मजकूर अदा-करता जाय जिसकी मजिस्ट्रेट वक्तन् फवक्तन् हिदायत करे ॥

ऐसा कफाफ हुक्म की तारीख से वाजिबुल्अदा होगा ॥

हुक्म की बिलजब्र तामील, अगर वह शख्सजिसको ऐसा हुक्मदियाजाय क़सदन् उसकी तामीलमें ग़फ़लतकरे तो हरएक मजिस्ट्रेटको अख्तियार होगा कि हुक्मसे हरमर्त्तबा उदूल होने पर एकवारंट इस हिदायत के साथ जारीकरे कि ज़रवाजि-बुल् अदा उसीतरह वसूल कियाजाय जिसतरह हस्ब मुनजकिरै बाला जुर्माना वसूल होताहै और यहहुक्म सादिरकरे कि शख्स मजकूर हरमहीने के कफ़ाफ़ कुल या जुज्वकी बाबत जो वारंट की तामील के बाद ग़ैर मवद्दा रहा हो किसी मीआदतक कैदरहे जो एक महीने से जियादह न हो ॥

शर्त्त, लेकिन शर्त्त यह है कि अगर शख्स मस्तूर इस शर्त्तपर अपनी जौजाकी परवरिश करने पर राजीहो कि वह उसके साथरहे और जौजा उसके साथरहने से इन्कार करे तो मजिस्ट्रेट मजकूर को अख्तियारहै कि वजूह इन्कारपर जो जौजा की तरफ से पेश हों ग़ौर करके अगर उसको इतमीनानहो कि शख्स मजकूर जिनाकारीकी हालतमें रहताहै या आदतन् अपनी जौजा के साथ बेदर्दी से पेश आता है तो बावस्फ इसके कि शौहर हस्ब मजकूरैसदर उसकी परवरिश करना कुबूल करे इस दफा के बमूजिब हुक्म सादिर करे ॥

कोई जौजा इसदफाके मुताबिक उस सूरत में शौहर से क-फाफपानेकी मुस्तहक न होगी जब कि वह जिनाकारी की हालत

में रहती हो या बिला वजह मवज्जह अपने शौहरके साथ रहने से इन्कार करतीहो या दोनों बरजामन्दी बाहमी अलाहिदा २ रहतेहों॥

बवक्त सुबूत इसअम्रके कि कोई जौजाजिसके हकमेंऐसा हुक्म इसदफाके मुताबिक हुआहो जिनाकारी की हालत में रहतीहै या कि वह बिला वजह काफी अपने शौहर के साथ रहने से इन्कार करती है या कि दोनों बतराज़ी तरफैन अलाहिदा २ रहते हों मजिस्ट्रेट को लाजिम है कि हुकूम मन्सूख करदे॥

तमाम सुबूत जो इस बाब के मुताबिक लियाजाय रूबरू शौहर या बाप जौजा के जैसी सूरत हो लियाजायेगा या जब शौहर या बापका असालतन् हाजिरहोना मुआफकियाजाय तो उसके वकील के रूबरू और उस तरीकपर कलम्बन्द कियाजायगा जो मुकद्दमात लायक इजराय सम्मनके लिये मुकर्रर कियागया है॥

कफाफमें तबद्दुल, दफा ४८९—वक्त गुजरने सुबूत तब्दील हालात किसी शख्स के जो कफाफ माहाना हस्ब दफा४८८ पाताहो या जिसको दफा मज़कूर के बमूजिब उसकी जौजा या तिफ्ल को कफाफ मजकूर अदा करनेका हुकूम हुआ हो मजिस्ट्रेट मजाज है कि उस कफाफमें उसकदर तब्दील करे जो उसको मुनासिब मालूमहो बशर्ते कि कुल कफाफ मुबल्लिग ५०) रु० माहाना से जियादह न होजाय॥

हुक्म परवरिशकी बिलजब्र तामील, दफा ४९०—एक नकल हुकूम परवरिशकी बिला अखज उजरत उस शख्स को दीजायेगी जिसकी परवरिश के लिये हुकूम दियागयाहो या उसकेवली को अगर कोई हो या उस शख्स को जिसको कफाफ दिये जाने का हुक्म हुआ हो और हुक्म मजकूर इस लायक होगा कि हर एक मजिस्ट्रेट हर जगह में जहां वह शख्स जिसके नाम हुक्म सादिर हुआ हो मौजूदहो उसकी तामील बिलजब्र कराये बशर्ते कि ऐसे मजिस्ट्रेट को इतमीनान हो कि यह अशखास वही हैं जिनसे हुक्म मुतअल्लिक है और जरवाजिबुल्अदा हिनोज अदा नहीं किया गया है॥

बाब ३७॥

हिदायात मिन्कबील परवानैगिरफ्तारी मौसूमे हैबियसकार्पिस॥

अख्तियार इजराय हिदायात मिन्कबील परवानाहैबियसकार्पिसके॥

दफ़ा ४९१—हरएक हाईकोर्ट आफजुडीकेचर मुतअय्यनै मुक़ामात फोर्ट विलियम व मदरास व बम्बई मजाज है कि जब कभी मुनासिब समझे यह हिदायात सादिर करे॥

(अलिफ) यह कि कोई शख्स जो उसके मामूली इलाकै समाअत इब्तिदाई सीगै दीवानी की हुदूदके अन्दरहो इस ग़रज़ से अदालत में हाज़िर किया जाय कि उसके साथ क़ानूनके मुताबिक़ अमल किया जाय॥

(बे) यह कि कोई शख्स जो हुदूद मज़कूरकेअन्दर खिलाफ़ क़ानून और बतौर बेजा किसी हिरासत सरकारी या खानगी में नज़रबन्द रक्खा गया हो रिहाई पाये॥

(जीम) यह कि कोई कैदी जो हुदूद मज़कूर के अन्दर किसी जेलखाने में मुकय्यद हो अदालत के रूबरू इसगरज से हाजिर कियाजाय कि उसका इजहार किसी ऐसे मुआमिले में बतौर गवाह के लियाजाय जो उस अदालत में दायर या ज़ेरतहकीकात हो॥

(दाल) यह कि कोई कैदी जो हुदूद मजकूर के अन्दर किसी जेलखाने में कैद हो किसी कोर्टमारसल के रूबरू या ऐसे कमिश्नरों के रूबरू तजवीज के लिये पेश कियाजाय जो बएतबार कमीशन मुसद्दिरै जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसल अमल करते हों या वास्ते देने इजहार निस्बत किसी मुआमिले मरजूये रूबरू ऐसे कोर्टमारशल या मजमा कमिश्नरान के हाजिर कियाजाय॥

(हे) यह कि कोई कैदी हुदूद मजकूर के अन्दर किसी एक मुकाम हिरासतसे दूसरे मुकाम हिरासतमें इसगरज़से मुन्तक़िल कियाजाय कि उसकी तजवीज अमलमें आये॥

(वाव) यह कि हुदूद मजकूर के अन्दर जात किसी मुद्दआ-

अलेह की बवक्त गुजरने कैफ़ियत शरिफ़ूमशअर गिरफ्तार कर लेने मुद्दआअलेह मुसबिते जोहर वारंट के हाजिर कीजाय॥

हर अदालत हाईकोर्ट को अख्तियार है कि वक्तन् फवक्तन् कवाअद मुनासिब वास्ते इन्तिजाम जाबितै अमल उन मुकद्दमात के जो इस दफासे मुतअल्लिक हों मुरत्तिब करतीरहे॥

इस दफा की कोई इबारत उन अशखास से मुतअल्लिक नहीं है जो हस्बशरायत कानून बंगाला नंबर ३ सन् १८१८ ई० या कानून मदरास नंबर २ सन् १८१९ ई० या कानून बंबई नंबर २५ सन् १८२७ ई० या ऐक्ट हाय गवर्नर जनरल बइजलास कौंसल नंबर ३४ सन् १८५० ई० या नंबर ३ सन् १८५८ ई० नजरबंदी में हो॥

हिस्से नहुम॥

शरायत मोहतमिम॥

बाब ३८॥

बाबत पैरोकार मिन्जानिब सर्कार॥

पैरोकारान मिंजानिब सरकार के मुकर्रर करनेका अख्तियार,

दफा ४९२—जनाब नव्वाब गवर्नरजनरल बहादुर बइजलास कौंसल या लोकल गवर्नमेण्ट को अख्तियार है कि एक या चन्द ओहदेदार जो पैरोकार मिन्जानिब सर्कार कहलायेंगे किसी रकबे अर्जी के अन्दर उमूमन् या किसी मुकद्दमे या किसी खास किस्म के मुकद्दमात के लिये मुकर्रर फरमाये॥

हर मुकद्दमे में जो अदालत सिशनको तजवीज के लिये सिपुर्द कियाजाय मजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेट हिस्से जिले को बइतबाअ हुकूमत मजिस्ट्रेट जिले के अख्तियार रहेगा कि दरसूरत गैरहाजिरी पैरोकार मिन्जानिब सर्कार के या जब कोई पैरोकार मिन्जानिब सर्कार मुकर्रर न हुआ हो किसी और शख्स को बशर्ते कि वह ऐसा अहल्कार पुलिस हो जो असिस्टंट सुपरिंटण्डण्ट

पुलिस जिले के रुतबा से कम रुतबा रखताहो मुकद्दमे मजकूरका अग़राज के लिये पैरोकार सर्कारी मुकर्रर करे॥

दफा ४९३—पैरोकार मिन्जानिब सर्कार को अख्तियार है कि बिला पेशकरने किसी मुख्तारनामे तहरीरी के उस अदालतमें हाज़िरहोकर सवाल वजवाब करेजिसमें किसी मुक़द्दमे की तहक़ीक़ात या तजवीज या अपील दायरहो जो उसको सिपुर्द हुआहो और अगर कोईशख्सखानगी किसीवकील को इसग़रजसे मुक़र्ररकरे किवह किसीशख्स मुतअल्लिके मुक़द्दमे मजकूरपर किसी अदालतमें नालिश रुजूअकरे तो उस नालिशकी कार्रवाई मारफत पैरोकार सर्कारीके होगी और वहवकील जो मुकर्रर हुआहो उसके जेर हिदायत अमल करेगा॥

पैरोकार मिन्जानिब सरकार जुमले अदालतों में उन मुकद्दमातमें बहस करसकेगा जो उसकोसिपुर्द हों और वह वकला जिनको खानगी तौरपर मुकर्ररकियाजाय पैरोकार मजकूर केजेरहिदायत रहेंगे,

दफा ४९४—पैरोकार सर्कारीको जो जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलासकौंसल या लोकलगवर्नमेंटके हुक्मसे मुकर्ररहुआहो अख्तियार है किबरजामंदी अदालत जिन मुकद्दमात की तजवीज बअआनत जूरी हो उनमें कत्लइजहार रायजूरी और दूसरी किस्मके मुकद्दमातमें कत्लसुनाने तजवीज अदालतके उसनालिशसे जोउसने किसी शख्सपरकीहो दस्तबरदारहो और ऐसीदस्तबरदारीके वक्त॥

नालिशसेदस्तबरदारहोनेकीतासीर,

(अलिफ)अगर वहकत्ल तय्यारी फर्दकरारदाद जुर्म केहो तो शख्समुल्जिमको रिहाईदीजायेगी॥

(बे)अगरवह बादतय्यारी फर्द करारदादजुर्म या ऐसे मुकद्दमेमेंहो किउसमजमूये के मुताबिक फ़र्द मजकूरकी जरूरतनहो तो शख्स मुल्जिमजुर्म से बरी करार दियाजायेगा॥

दफा ४९५—+हर मजिस्ट्रेट तहकीकात कुनिंदा या तज-

+—+ दफा ४९५ कापहला जुमला ऐक्ट १० सन् १८८६ ई० कीदफा १३ (१) की रूसे साबिक़ इबारत की जगहपर कायम कियागया है--

(दफा ४९५ का फ़ुटनोट सफ़ा २५६ में देखो)

पैरवीमुक़द्दमाकीइजाजत

वीज कुनिंदा मुकद्दमे को अख्तियार होगा कि पैरवी मुकद्दमे की इजाजतकिसी ऐसे शख्सकोदे जो गैरऐसे ओहदेदार पुलिसके हो जो उसदरजे के नीचे काहो जो लोकल गवर्नमेंट इसकाम केलिये जनाबनव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसलकी मंजूरी पेश्तर हासिलकरके ठहरादे × ॥

हरशख्स जो इस्तगासे की पैरवी करे मजाजहैकिअसालतन् या वकालतन्करे ॥

× कोई ओहदेदार पुलिस मजाज इसबातका न होगा कि पैरवी मुकद्दमा करै अगर वहउसजुर्म की तहकीकात के किसीजुज्व में शरीक रहाहो जिसकी बाबत शख्स मुलजिमकी निस्बत पैरवी नालिशअमलमें आरही हो÷ ॥

बाब ३९ ॥

बाबत हाजिरजामिनी ॥

जुर्म काबिल जमानत की सूरत में जमानत लीजायगी,

दफा ४९६ – जबकोई शख्स अलावह उसशख्सके जिसपर जुर्म गैरकाबिल जमानतका इल्जाम लगाया जाय बिलावारंट मारफत अफ्सर मोहतमिम पुलिस इस्टेशन के गिरफ्तार या नजर बन्द रक्खाजाय या किसी अदालत के रूबरू हाजिरआये या हाजिर कियाजाय और उसअय्यामके किसीवक्तपर जबवह अफ्सरमजकूरकी हिरासतमें रहे या अदालत मजकूरकी कार्रवाई की किसी नौबतपर जमानत देनेको मुस्तैदहो तो ऐसा शख्सजमानतपर रिहा कियाजायेगा ॥

लेकिन शर्त्त यह है कि ऐसा अहलकार या अदालत अगरवह मुनासिब समझेमजाजहोगी किशख्स मुल्जिमसे जमानतलेनेके एवजउसको इसशर्त्तपररुख्सतकरे कि वहमुचलका बिलाशमूल

×—×यहफिक़रा दफा४९५का ऐक्ट१०सन् १८७६ई०कीदफा(१३)—(२)सेबढ़ायागयाहै॥

÷ दरबारहपैरवीमुक़द्दमात बजरिये ओहदेदारान पुलिस अपरब्रह्मामे--बिलालिहाज किसी मजमूनके दफा ४९५ में देखो कानून ७ सन् १८८६ई० के जमीमेकी दफा१८ ॥

जामिनान इसइकरार से लिखदे कि वह हस्ब मुफस्सिलै जैल हाजिरहोगा॥

दफा ४९७-जब कोई शख्स मुल्जिम जो किसी जुर्मगैर काबिल जमानत मेंमाखूज होकर किसी अफ्सरमोहतमिम पुलिस इस्टेशन की मारफत बिलावारंट गिरफ्तारहो या नजरबंद रक्खाजाय या किसी अदालत के रूबरू हाजिर आये या हाजिर किया जाय तो जायजहै कि वह जमानत पर रिहा कियाजाय लेकिन अगर वजूह माकूल इस गुमान की पाईजायें कि वह उस जुर्मका मुर्त्तकिबहुआहै जिसका इल्जाम उसपर लगाया गया है तो इसतौर पर जमानतपर रिहान कियाजायेगा॥

जुर्मगैरकाबिलजमानत कीसूरतमें कबजमानतली जासक्ती है,

अगर तफ्तीश या तहकीकात या तजवीज की किसी नौबतपर जैसा मौका हो ऐसे अहल्कार पुलिस या अदालत को यह मालूम हो कि कोई वजह माकूल इस अम्र के बावर करनेकी नहीं है कि शख्स मुल्जिम जुर्म करारदादहका मुर्त्तकिब हुआ है मगर उसकी कुसूर वारी की बाबत तहकीकात मजीद करने की वजह काफी है तो लाजिमहै कि शख्स मुल्जिम हीन दौरान ऐसी तहकीकात के हस्ब इक्तिजायराय अहल्कार मजकूर या अदालत जब कि वह मुचलका बिला शमूल जामिनान इसइकरार से लिख दे कि वह हस्ब मुफस्सिलै जैल हाजिर होगा जमानत पर रिहा कियाजाय॥

हर अदालतको अख्तियारहै कि किसी कार्रवाई मुतअल्लिके मजमूयेहाजाकी किसीनौबत माबादपर किसीशख्सको जोइसदफा के बमूजिब जमानत पर रिहाहुआहो गिरफ्तारकराये और उसको हिरासत में रक्खे॥

दफा४९८-तादाद हर मुचलकेकी जो हस्बबाबहाजा लिखा जाय बलिहाज हालात मुकद्दमा करार दीजायेगी और हदसे जियादह नहोगी और हाईकोर्ट या अदालत सिशन मजाज है कि हर मुकद्दमे

जमानत पर रिहाहोनेया तादाद जमानत के कमकरनेकी हिदायत,

में आम इससे कि उसमें हुक्म इसबात जुर्म की नाराजी से अ-
पील जायजहो या नहीं यह हिदायत करे कि शख्स मुल्जिम ज-
मानत पर रिहाकियाजाय या तादादजमानत जो अहल्कार
पुलिस या मजिस्ट्रेट ने तलबकीहो कम करदीजाय ॥

शख्स मुलजिम और जामिनोंका मुचलका,

दफा ४९९-कब्ल इसके कि कोई शख्स जमानत पर या खुद अपने मुचलकेपर रिहा कियाजाय चाहिये कि कितै मुचलका बइन्दराज उसतादाद तावानके जो अहल्कार पुलिस या अदालत जैसी सूरत हो काफी समझे शख्स मजकूर की तरफसे लिखाजाय और जब वह जमानत पर रिहाई पाये तो चाहिये कि जमानत नामा तरफ से एक या चंद जामिनान मोतबिर के इसइकरारसे लिखाजाय कि शख्स मजकूर वक्त और मुकाम मुसर्रह मुचलके पर हाजिर होगा और जबतक अहल्कार पुलिस या अदालत जैसा मौकाहो दूसरे तौरपर हुकूम न दे हाजिर रहेगा ॥

अगर जरूरत हो तो मुचलके में यहभी इकरार लिखाजायगा कि वह शख्स जो जमानत पर रिहा किया गयाहै इंदुल्तलब हाईकोर्ट या अदालत सिशन या किसी और अदालत में जवाबदिही करने को हाजिरहोगा ॥

हिरासत से मुखलसी,

दफा ५००-जिस वक्त मुचलका और जमानतनामे की तकमील होजाय तो वह शख्स जिसकी हाजिरी के लिये मुचलका लिखागयाहो रिहाकिया जायगा और अगर वह जेलखानेमें हो तो अदालत मंजूर कुनिंदा जमानत अफसर मोहतमिम जेलखाने के नाम हुकूम वास्ते रिहाई शख्स मजकूर के सादिर करेगी और उसहुक्म के पहुंचनेपर अफसर मज़कूर उस को रिहाईदेगा ॥

इस दफ़ा या दफ़ा४९६या४९७कीकिसीइबारतसे यहलाजिम नआयेगा किकोईशख्स जो सिवायउस अम्रके जिसकी बाबत मुचलका और ज़मानतनामालिखा गया किसी और अम्र की बाबत नज़रबन्द रक्खे जानेके क़ाबिलहो रिहाई पाये ॥

दफ़ा ५०१—अगर किसी ग़ल्ती या फ़रेब या और वजह से ज़ामिनान ग़ैरकाफ़ी मंज़ूर किये गयेहों या अगर वहलोग बाद उसके ग़ैरकाफ़ीहोजायँ तो अदालत मजाज़है—कि वारंट गिरफ्तारी इसहिदायतसे जारीकरे किवह शख्स जिसकी ज़मानतपर रिहाईहुईहो अदालत में हाज़िरकियाजाय—और उसको यह हुक्मदे कि वह ज़ामिनान काफ़ी हाज़िर करे और अगर वह उसकी तामीलमें क़ासिर रहे तो अदालत मजाज़ होगी कि उसको जेलख़ाने में भेजदे ॥

जमानते काफी के हुक्मदेनेका अख्तियार जब कि पहलीजमानत गैर काफी हो,

दफ़ा५०२—जायज़है कि उनज़ामिनोंमेंसे जिन्होंने शख्स रिहाशुदहबज़मानतके हाज़िर करनेका इक़रारकिया हो कुल या बाज़अशख़ासकिसीवक्त मजिस्ट्रेटके पासयहदरख्वास्त दें कि मुचलका और ज़मानतनामा कुल्हन् या जहांतक अहाली दरख्वास्त से तअल्लुक़ रखताहो फ़िस्खकियाजाय ॥

जामिनो की रिहाई,

ऐसी दरख्वास्तके गुज़रनेपर मजिस्ट्रेट अपना वारंट गिरफ्तारी इस हुक्म से जारी करेगा कि शख्स रिहाई याफ्तह उसके रूबरू हाज़िर कियाजाय ॥

जब शख्स मज़कूर वारंट के मुताबिक़ हाज़िर किया जाय या अज़खुद हाज़िर होजाय तो मजिस्ट्रेट यहहुक्म सादिर करेगा कि मुचलका और ज़मानतनामा कुल्लियतन् या जहांतक कि उसको अहाली दरख्वास्तसे तअल्लुक़है फ़िस्ख कियाजाय और शख्स मज़कूर को हिदायत करेगा कि और ज़ामिनान काफ़ी बहम पहुंचाये और अगर वह उसहुक्मकी तामील में कुसूरकरे तो अदालत मजाज़है किउसको हिरासतमें रक्खे ॥

बाब ४० ॥

बाबत दूजराय कमीशनवास्ते क़लमबंदी इज़हार गवाहानके ॥

दफ़ा ५०३—जब किसी तहक़ीक़ात या तजवीज़ या और कार्रवाईके दौरानमें जो इसमजमूयेके मुताबिक़ हो किसीप्रेज़ीडेंसी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेटज़िला या अदालत सिशन या हाईकोर्टको यहमालूम

कबगवाहकी हाजिरी से दर गुज़र किया जासक्ताहै,

हो कि किसीगवाहका इज़हारलेना वास्ते हुसूल अग़राज़इन्साफ़के ज़रूरहै मगर वह गवाह बग़ैर उसक़दर तवक्कुफ़ या सर्फ़ या दिक़्क़तके जिसका रवा रखना बनज़र हालातमुक़द्दमा नामुनासिबहो हाज़िर नहीं होसक्ताहै तो ऐसा मजिस्ट्रेट या अदालत सिशन या हाईकोर्ट

इजराय कमीशन और ज़ाबिता कारखाई तहत कमीशन,

मजाज़होगी कि ऐसेगवाहके असालतन् हाज़िर होनेसे दरगुज़र करे और उस मजिस्ट्रेट ज़िला या मजिस्ट्रेट दरजेअव्वलके नाम जिसके इलाक़े हुकूमतकी हुदूदअर्ज़ीके अन्दरगवाह मज़कूररहता हो बंदकमीशन वास्तेलेने शहादत ऐसे गवाहके जारी करे ॥

जबगवाह अंदर अमल्दारी किसी ऐसेवाली या रियासतकेरहता हो जो हज़रत मलकामुअज़्ज़िमा के साथ इत्तहादरखती है और उस मुल्कमें ओहदेदार कायममुकाम गवर्न्नमेंट बृटिशइण्डिया काहो तो जायज़ है कि कमीशन ओहदेदार मजकूरके नाम सादिर कियाजाय ॥

वहमजिस्ट्रेट या ओहदेदार जिसके नामकमीशनजारी हुआहो या अगर वहमजिस्ट्रेट ज़िलाहो तो वहमजिस्ट्रेट या दूसरा मजिस्ट्रेट दरजेअव्वल जिसको मजिस्ट्रेट ज़िला उसगरजसे मुकर्ररकरे उसमुक़ामपर जहांवह गवाह मौजूदहो खुदजायेगा या अपनेरूबरू गवाहको तलबकरेगा और उसकी गवाही उसीतौर पर लेगा और इस ग़रज से वही अख्तियारात रक्खेगा और उनके अमल में लानेका मजाजहोगा जैसा कि इसमजमूये के मुताबिक वहमुकद्दमात लायक इजराय वारंटकी तजवीज में मजाज है ॥

कमीशन जबकि गवाह प्रेज़ीडेंसी शहर के अन्दर हो,

दफा ५०४–अगर गवाह मजकूर किसी प्रेज़ीडेंसी मजिस्ट्रेट के इलाके हुकूमतकी हुदूद अर्ज़ीके अंदरहोतो मजिस्ट्रेट या अदालत जारी कुनिन्दा कमीशन मजाजहै–कि बंद कमीशन मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी के नाम मुरसिल करे और मजिस्ट्रेट आख़िरुल्ज़िक्रको अख्तयार होगा कि गवाहमजकूरको उसीतरह अपनेरूबरू हाजिरकराकेउस-

का इजहारले जिसतरह दरसूरत मुतअल्लिकहोने उसगवाहके किसी मुकद्दमे मुतदायरा रूबरू अपने से वहउसको हाजिरकरासक्ता॥

इसदफा की किसी इबारतसे हाईकोर्ट के उसअख्तियार इजराय कमीशनमें कुछ खलल न आयेगा जो बमूजिब ऐक्ट मुसद्दिरै सन् ३९ व ४० जलूस मलका मुअज्जिमा विक्टोरिया बाब ४६ दफा ३ के कोर्ट मौसूफ को हासिल है॥

फरीकैन गवाहों का इजहार लेसक्ते हैं,

दफा ५०५—हरएक कार्रवाईमें जो इसमजमूये के मुताबिक हो और जिसमें बंदकमीशन जारी हो फरीकैन मुआमला मजाज होंगे कि अपनी २ तरफ से बंदहाय सवालात तहरीरी जिनको मजिस्ट्रेट या अदालत सादिर कुनिन्दा कमीशन अम्र मुतनाजेसे मुतअल्लिक समझती हो कमीशनकेसाथ मुरसिलकरें और उस मजिस्ट्रेट या ओहदेदारकोजिसके नाम बन्दकमीशन भेजाजाय लाजिमहै कि गवाहसे सवालात मजकूर का जवाबले ॥

ऐसे हर फरीक को अख्तियार है कि मजिस्ट्रेट या ओहदेदार मजकूरके रूबरू मारफत वकीलके हाजिरहो और अगर हिरासत में न हो तो असालतन् हाजिरहो और गवाह मजकूरसे सवालात और जिरहके सवालात और सवालातमुकर्रर (जैसामौकाहो)करे॥

अख्तियार मुफस्सिल केमजिस्ट्रेट मातहतकाद रबारह दूस्तदुआय इजरा यकमीशनके,

दफा ५०६—जब किसी तहकीकात या तजवीज या दीगर कार्रवाई महकूमै मजमूये हाजाके दौरानमें जो सिवायमजिस्ट्रेटप्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेटजिलाके किसी और मजिस्ट्रेटके रूबरूदरपेशहो यहमालूमहो कि किसी गवाहके इजहारके लिये जिसकी शहादत बनजर हुसूल अग़राज़ इन्साफ उस तजवीजमें जरूरी है कमीशन सादिर करना चाहिये और हाजिरी गवाह मजकूरकी बिलावाकैहोने उस कदर तवक्कुफ या खर्च या तकलीफके जो बनजर हालात मुक़द्दमा ग़ैरवाजिबहो हासिल न होसके-तो ऐसामजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेटजिलेसे दरख्वास्तकरेगा और दरख्वास्तकी वजूह लिखेगा और मजिस्ट्रेट

ज़िलेको अख्तियार होगा कि या तो कमीशन हस्ब तरीक़ै मुसर्रह सदर जारीकरे या दरख्वास्तको नामंजूरकरे ॥

दफ़ा ५०७—बाद हस्ब ज़ाबिता तकमीलपाने किसी कमी- कमीशनकीवापसी, शनके जो दफ़ा५०३या दफ़ा ५०६के बमूजिब जारी हुआहो कमीशन मजकूर मै बयान उसगवाहके जिसका इजहार कमीशनकी रूसे क़लम्बन्द हुआहो उसअदालतमें वापिस भेजा जायेगा जहांसे वहजारीहुआ और वह कमीशन मैफ़र्द रिटर्न और इजहारके तमाम औकात मुनासिब पर लायक मुआयनै फ़रीक़ैनके होगा और हर फ़रीकको अख्तियारहोगा कि बमलहूजी उनकुल एतराजात माकूलके जो उनपर वारिदहों उनको अपनी तरफ़ से सुबूतमें पढ़वाये और वह काग़ज़ात शामिल मिसल किये जायेंगे ॥

दफ़ा ५०८—हर मुकद्दमे में जिसमें दफ़ा ५०३ या दफ़ा तहक़ीक़ातयातजवीज़ कामुल्तवीरहना, ५०६ के बमूजिब कमीशन जारीहोनेका हुक्म दियाजाय जायज है कि तहकीकात या तजवीज या दीगर कार्रवाई मुक़द्दमे की एकअरसे माकूलतक जो वास्ते तामीलपाने और वापिसआने कमीशनके काफीहो मुल्तवी रक्खी जाय ॥

बाब ४१ ॥

कवाअद ख़ास मुतअल्लिके शहादत ॥

दफ़ा ५०९—जायजहै कि इजहार किसी सिविल सरजन गवाहडाक्टरीपेशाका इजहार, या और गवाह डाक्टरी पेशेका जो किसी मजिस्ट्रेट की मारफ़त शख्स मुल्जिम के रूबरू कलम्बन्द होकर तसदीक हुआहो किसी तहकीकात या तजवीज या और कार्रवाईमें जो इस मजमूये के मुताबिक अमलमें आये बतौर शहादत दाखिल कियाजाय गो इजहार दिहंदा बतौर गवाहके तलब न कियाजाय ॥

अदालत मजाज है कि अगर मुनासिब समझे ऐसे इजहार

गवाह डाक्टरीदेघ के तलब करनेका अख्तियार, दिहंदाकोअपने रूबरूतलबकरकेउसकेइजहारके मरातिबकी बाबत उससे इस्तिफ्सारकरे॥

दफा ५१०—जायज है कि हर नविश्तह जिससे यहमफहूम होताहो कि वह रिपोर्ट दस्तखती×किसीसाहब मुमतहिनकीमियाय सर्कारी या असिस्टएट मुमतहिन कीमियाकी बाबत ऐसेमाद्दा या चीजकेहै जो उसके पास हस्बजाबिता इम्तहान या तहलील और तहरीररिपोर्ट के लिये किसी कार्रवाईके दौरानमें भेजीगईहो जो इसमजमूयेके मुताबिक अमलमें आये हरएक तहकीकात या तजवीज या और कार्रवाई मुतअल्लिकै मजमूये हाजामें बतौर सुबूतके दाखिल कियाजाय ॥

मुमतहिन कीमियाकी रिपोर्ट,

दफा ५११—सुबूत किसी साबिक की सजायाबी या जुर्मसे बरायतपानेका किसी तहकीकात या तजवीज या और कार्रवाईमें जो इस मजमूयेके मुताबिक अमल में आये अलावा किसी और तरीक़ै के जो अजरूयं कानून मजरिये वक्त मुकर्ररहो दाखिल होसक्ताहै ॥

किसी साबिककी सजायाबी य. जुर्म से बरायत पानेका सुबूत क्योंकर होगा,

(अलिफ)—बजरिये इन्तिखाब मुसद्दिका और दस्तखती उस ओहदेदारके जो उस अदालतके काग़ज़ातको अपनी तहवील में रखताहै जहां से हुक्मसजायाबी या बरायतका सादिरहुआथा और जिसकी तसदीक इस मजमून से हो कि वहहुक्म सजा या हुक्म बरायतकी नकल है या ॥

(ब)-दरसूरत सजायाबीके बजरिये पेशकरने सार्टीफिकट दस्तखती अफ्सर मोहतमिम उस जेलखाने के जिसमें वह सजा या कोई जुज्व उसका आयद कियागयाथा या बजरिये इदखाल उस वारंट सिपुर्दगी के जिसके बमूजिब सजाकी तकमील कीगईथी॥

और इन दोनों सूरतों में बजरिये लेने सुबूत इस अम्रके कि शख्समुल्जिम वहीशख्सहै जिसकी निस्बत सजायाबी या बरायत का हुक्म हुआथा ॥

× लफ्ज "किसी" दफा ५१० में ऐक्ट १० सन १८८६ ई० की दफा १४ की रूसे कायम किया गया है ॥

दफा ५१२—अगर साबितकियाजायकि शख्स मुल्जिम म-

मुल्जिम को गैबत में शिहादत का कलम्बन्दहोना,

फरूर होगया और उसकेगिरफ्तारकरनेकीसरे दस्त कोई उम्मेद नहोतो वह अदालत जो ऐसे शख्सको बइल्लतजुर्म क़रारदादह तजवीजकरने या तजवीजकेलिये सिपुर्दकरनेका अख्तियार रखती है मजाजहोगी कि उसकी गैरहाजिरीमें उन गवाहोंसे (अगर कोईहों) सवाल व जवाबकरके उनके इजहारात कलम्बन्दकरे जो बताईद इस्तगासापेश कियेजायें और जायजहै कि अगर इजहारदिहन्दाफौतहोगया या शहादतदेनेके काबिल न रहाहो या उसका हाजिरकरना बिलागवाराकरने उसकदर तवक्कुफ और खर्च और तकलीफ के नामुमकिनहो जो बनजर हालात मुक़द्दमा नामाकूल मालूम हो तो उसका इजहार बरवक्त गिरफ्तारी शख्स मुल्जिम के तजवीज या तहकीक़ात जुर्मके वक्त जो बइल्लत जुर्म क़रारदादह के अमल में आये उसके मुकाबिल के सुबूतमें दाखिल कियाजाय ॥

बाब ४२ ॥

शरायत बाबत मुचलका व जमानतनामा ॥

दफा ५१३—जब किसी अदालत या अहल्कारकी तरफ से

मुचलका के एवज जर नक़्दका जमा करदेना,

किसी शख्सके नाम हुक्म सादिरहो कि वह मुचलका या जमानतनामा मे या बिलाशमूल ज़ामिनान के इक़ामकरे तो ऐसी अदालत या और ओहदेदारको अख्तियार है कि बजुज उस सूरतके कि मुचलका नेकचलनीका लिखायाजाय शख्स मजकूरको इजाजतदे कि बजायलिखने मुचलके वगैरहके एकमुबलिग नकद या उसतादादका प्रामेसरीनोट सर्कारी जो अदालत या ओहदेदार मजकूरमुकर्ररकरे जमाकरदे॥

दफा ५१४—जब हस्ब इतमीनान किसी अदालतके जिसके

ज़ाबिता जबकि मुचलका का तावान काबिल अदा होजाय,

हुक्मसे कोई मुचलका या जमानतनामा महकूमै मजमूये हाजा लिखवायाजाय या हस्ब इतमीनान किसीप्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेटकी अदालत या किसी मजिस्ट्रेट दरजे अव्वलके यहसाबित कियाजाय ॥

या जबमुचलका या जमानतनामा बग़रजहाजिरी रूबरू किसी अदालत के हो और हस्ब इतमीनान उसी अदालतके साबित कियाजाय ॥

कि मुचलका या जमानतनामा मजकूर का तावान काबिल अख्ज होगया है तो ऐसी अदालतको चाहिये कि उस सुबूत की वजूहलिखे और उस शख्स को जो मुचलके की रूसे पाबन्द हो तावान मुक़र्ररह अदा करने का हुक्म दे या यह हुक्म दे कि वह इस बात की वजह जाहिर करे कि तावान मजकूर क्यों अदा न किया जाय ॥

अगर वजह काफी जाहिर न कीजाय और तावान भी अदा न हो तो अदालत को अख्तियार होगा कि बजरिये इजराय वारंट वास्ते कुर्की और नीलाम जायदाद मन्कूला शख्स मजकूरके तावान मजकूर वसूल करे ॥

जायजहै कि ऐसा वारंट उस अदालतके इलाकेकी हुदूद अर्जी के अन्दर तामील पाये जहांसे वह जारी हुआहो और उसमें यह अख्तियार दियाजाय कि शख्स मजकूर की तमाम जायदाद मन्कूला वाकै बेरूं हुदूद मजकूर कुर्क और नीलाम कीजाय बशर्ते कि उस वारंट की जोहर पर उस जिलेके मजिस्ट्रेट का ×या चीफप्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेट का×हुक्मभी लिखा हो जिसके इलाके हुकूमत की हुदूद अर्जी के अन्दर ऐसी जायदाद पाई जाय ॥

अगर तावान मजकूर अदा न किया जाय और ऐसी कुर्की और नीलामके जरियेसे वसूल न होसके तो शख्स नवीसन्दै मुचलका या जमानतनामा इसबात के लायक होगा कि बमूजिब हुक्म मुसद्दिरा उस अदालतके जहांसे वारंट जारी हुआहो किसी मीआद तक जेलखाने दीवानी में कैद रक्खा जाय जो छःमहीने से जियादह न हो ॥

अदालत को अख्तियार है कि हस्ब इक्तिजाय राय अपने जर

×—× यह अल्फाज दफा ११४ में अजरूय ऐक्ट १० सन् १८८६ ई० के दाखिल किये गये हैं,

तावान मुन्दर्जै मुचलके का कोई जुज्व मुआफ करदे और सिर्फ़ एक जुज्वकी तामील बिलजब्र कराये॥

दफा५१५—तमाम अहकाम जोदफा५१४के बमूजिब मारफत किसी और मजिस्ट्रेट सिवाय मजिस्ट्रेट प्रेजीडंसी या मजिस्ट्रेट जिले के सादिर किये जायँ जिलेके मजिस्ट्रेटके हुजूर अपीलहोनेके लायक होंगे और अगर जिले के मजिस्ट्रेट के पास अपील न कियाजायतो उसकी नजर सानी के लायक होंगे॥

अहकाम तहत दफा ५१४ का अपील और उन की नजर सानी,

दफा ५१६—हाईकोर्ट या अदालत सिशन मजाज होगी कि किसी मजिस्ट्रेटको हिदायतकरे कि वह तावान मुन्दर्जा उस मुचलके को वसूल करे जिसमें हाईकोर्ट या अदालत सिशन में हाजिर होकर हाजिर रहने का इकरार किया गया हो॥

यहहिदायतकरनेका अखितयार किबाज मुचलको केरूपियेवसूल कियेजायें,

बाब ४३॥

बाबततसर्रुफ मालके॥

दफा ५१७— जब कोई तहकीक़ात या तजवीज़ किसी अदालत फौजदारी में खतम होजाय अदालतको अख्तियारहै कि दरबाबतसर्रुफ किसी दस्तावेज या और माल के जो उसके रूबरूहाजिर कियाजाय जिसकी बाबत किसी जुर्मका सरजद होना पायाजाय या जो किसी जुर्म के इर्तिकाब के वक्त इस्तैमालमें आयाहो जो हुक्म मुनासिब समझे सादिरकरे॥

हुक्मदरबारह तसर्रुफ उस मालकेजिसकीबाबत जुर्मसरजदहुआ हो,

जब कोई हाईकोर्ट या अदालतसिशन इस तरहका हुक्म सादिर करे और अपने अहल्कारोंकी मारफत माल मजकूर को आरामकेसाथ शख्स मुस्तहक़ को हवाले न करासक्ती होतो अदालत यह हुक्म दे सक्ती है कि हुक्म मजकूरकी तामिल मारफत मजिस्ट्रेट जिलाकेहो॥

जब कोई हुक्म हस्ब दफ़ा हाज़ा किसी ऐसे मुकद्दमे में सादिरहो जिसका अपील होसक्ता है तो हुक्ममजकूरकी तामील उसवक्ततक अमल में न आयेगी जबतक कि मीआदरुजूअकरने अपील की न गुजरजाय या जबकिअपील मीआद मजकूरके अन्दर रुजूअकियाजाय तो तावक्ते कि अपील मजकूर तै न होजाय इल्ला उससूरत में कि माल अजकिस्म जानवर या ऐसीशैहो जोजल्दखुद बखुद बिगड़जाती है॥

तशरीह – इसदफ़ा में लफ्ज मालमें जबउसमालका जिक्रकियाजाय जिसकी बाबत जाहिरन् कोई जुर्मसरजद हुआहो न सिर्फ वहमाल शामिल है जो इब्तदाअन् किसी फरीकके कब्जे या अख्तियारमें रहाहो बल्कि वहमाल भी जिसके साथ असलमाल का तबादिला हुआहो या जिसके एवजमें कोई और शै खरीदकीगईहो मै किसी और शैके जो ऐसी खरीद व फरोख्त या तबादिलेसे फौरन् या कुछअरसेके बाद हासिल हो दाखिल है॥

हुक्म मुश्तहरइसके कि मालमजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेटहिस्सा जिलाको हवालेकियाजाय,

दफ़ा ५१८– वजायइसके किअदालत खुदहस्बदफा५१७ हुक्म सादिरकरे अदालतको इसहुक्मके देनेका अख्तियार होगा कि माल मजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेट हिस्साजिला को हवाले कियाजाय और मजिस्ट्रेट मौसूफ ऐसी सूरतमें मालके साथ वही अमल करेगा कि गोया वह पुलिसकी तरफसे गिरफ्तारहुआथा और उसकी गिरफ्तारी की रिपोर्ट हस्ब मुतजक्किरा आयंदा उसकेपास मुरसिलहुईथी॥

मुल्जिमकेपाससेजोरुपये मिले वह बेकुसूरखरीदार को दियाजायेगा,

दफ़ा ५१९– जबकिसी शख्सपर ऐसा जुर्म साबित कियाजाय जिसमें चोरी या हुसूलमाल मसरूका शामिल हो या जो उनजुर्मोंकी हद्दतक पहुंचे और यह अम्रभी साबितहो कि किसी और शख्सने वह माल मसरूका शख्स अव्वलुल्जिक्र से बिलाइल्म इसअम्र के या बिलावजूद करीना इस गुमान के कि वहमाल मसरूका है और इसअम्रके कि किसीकदर रुपया शख्स साबितुल्जुर्मके कब्जेसे बवक्त

उसकी गिरफ्तारी के निकलगया है खरीद करे तो अदालतको अख्तियार है कि बरवक्त दरख्वास्त खरीदारके और वक्त दिलाने मालमसरूकाके उसशख्सको जो उसकाकब्जापानेका मुस्तहक़हो यहहुक्म सादिरकरे कि जरमजकूरसे उसकदर जो उसकीमत से जियादा न हो जो खरीदारने अदाकीहो खरीदारको दियाजाय ॥

इल्तवाय हुक्महस्बद फा ५१७ व ५१८ या ५१९के,

दफा ५२०—हर एक अदालत अपील या ऐसी अदालत जो किसी हुक्म मातहत को बहालकरे या जिस से इस्तसवाब कियाजाय या जो नजरसानीकरे यह हिदायत कर सक्ती है कि जो हुक्म हस्बदफा ५१७ या दफा ५१८ या दफा ५१९के किसी अदालत मातहत उसकीने सादिर कियाहो उस अय्याम तक कि अदालत अव्वलुल्जिक्र उस पर गौर करतीरहे मुल्तवी रक्खाजाय और इसबातकीभी मजाजहै कि ऐसे हुक्मको तरमीम या तब्दील या मंसूखकरे ॥

थिकायत आमेजमजामी न औरदीगर चीजों काजाया करदेना,

दफा ५२१—जब मजमूये ताजीरात हिन्दकी दफ़ात २९२ या २९३ या ५०१ या ५०२ के मुताबिक़ हुक्म इसबात जुर्म सादिर हो तो अदालत को यह हुक्मदेनेका अख्तियारहै कि तमाम मुसन्नाजात उसशैके जिसकी बाबत जुर्म साबितकरार पायाथा और जो शै शख्समुल्जिम करारदादहके क़ब्जे या अख्तियार में बाकीरहे जायाकरदीजाये ॥

ऐक्ट ४१ सन् १८८६ ई०,

इसी तरह अदालत मजाज है कि इन्दुल्सुबूत जुर्म हस्ब दफ़ात २७२ या २७३ या २७४ या २७५ मजमूये ताजीरात हिंद के यह हुक्मदे कि वह गिजा या अशरबा या मुस्किरात या शै तरकीब दादहडाक्टर जिसकी निस्बत जुर्मका सुबूत दियागया हो जाया करदीजाय ॥

जायदाद गैर मन्कूलापर फिरक़ब्जा दिलानका अख्तियार,

दफा ५२२—जब किसी शख्सपर ऐसा जुर्म साबित किया जाय कि उसमें जब्र मुजरिमानाभी शामिलहो और अदालत को मालूम हो कि ऐसा जब्र करने से कोई शख्स अपनी जायदाद गैर म-

न्कूलासे बेदखल होगया है तो अदालत यह हुक्म सादिर कर सकेगी कि उसको जायदाद मजकूर पर फिर कब्जा दिलायाजाय॥

ऐसा कोई हुक्म उस हक या इस्तहकाक वाके किसी जायदाद गैर मन्कूला में खलल अन्दाजन होगा जिसको कोई शख्स किसी अदालत दीवानी से साबित करासक्ताहो॥

जाबिता पुलिस जबकि ऐसामाल गिरफ्तार किया जाय जो हस्बदफा ५१ लिया गया हो या चोरी हुआ हो,

दफा ५२३–जब अहलकार पुलिस ऐसा माल गिरफ्तार करे जो हस्ब दफा ५१ लिया गयाहो या जिसकी निस्बत मसरूका होनेका बयान या इश्तिबाह किया गया हो या वहमाल ऐसी हालतमें दस्तयाबहो जिससे किसी जुर्मके वकूअका शुबह पैदाहोताहो तो लाजिम है कि गिरफ्तारीकी रिपोर्ट फौरन् मजिस्ट्रेट के पास भेजीजाय और मजिस्ट्रेट मौसूफ जो हुकूम मुनासिब समझे निस्बत हवालगी माल मजकूरके उसशख्सको जो उसका कब्जापाने का मुस्तहकहो और दरसूरत न मालूमहोने मालिकके उसमालकी निगहदाश्त और उसकेअहजारकीबाबतसादिरकरेगा॥

जाब्ता जबकि मालगिरफ्तार शुदह का मालिक गैर मालूमहो,

अगर ऐसे शख्स मुस्तहकका हाल मालूमहो तो मजिस्ट्रेट यह हुकूम देगा कि माल मजकूर उस शर्त्तके साथ (अगर कोई शर्त्तहो) उसके हवाले किया जाये जो मजिस्ट्रेट को मुनासिब मालूम हो और अगर शख्स मजकूर गैर मालूम हो तो मजिस्ट्रेट को अख्तियार है कि उसको हिफाजत से रखवादे और ऐसी सूरतमें मजिस्ट्रेट मौसूफ को लाजिम होगा कि एक इश्तिहार जारीकरे जिस में उन तमाम अशियाकी सराहत की फेहरिस्तहो जो माल मजकूर में दाखिलहैं और इश्तिहारकी रूसे ऐसे हरशख्सको जो उसमाल पर कुछदावा रखताहो हिदायत करे कि वह तारीख इश्तिहार से छः महीने के अन्दर अदालत में हाजिर होकर अपना दावा साबित करे॥

दफा ५२४–अगर कोई शख्स मीआद मजकूर के अन्दर माल

जाबिता जबकि कोई दावीदार ६ छ महीने के अन्दर हाजिर नहो,

मजबूर की निस्बत अपना इस्तहकाक साबित न करे और अगर वह शख्स जिसके कब्जे में वह मालदस्तियाबहुआथा यह साबित न कर सके कि वह माल उसको बतरीक जायज हासिल हुआथा तो वह माल लायक तसर्रुफ़ सर्कार के होगा और जायज है कि वह मालमुताबिक हुक्म मजिस्ट्रेट प्रेजीडंसी या मजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेट हिस्से जिला या उस माजिस्ट्रेट दरजे अव्वल के जिस को इसअम्र का अख्तियार लोकल गवर्नमेण्ट से मिलाहो नीलाम किया जाये ॥

हर हुकूमकी नाराजी से जो इस दफ़ा के बमूजिब सादिर हो उस अदालत में अपील करना जायज़ होगा जहां अपील बनाराजी अहकाम सजा मुसद्दिरै अदालत सादिर कुनिन्दा हुक्मके दाख़िल करना जायज होता ॥

दफा ५२५—अगर शख्स मुस्तहक कब्जे माल मज़कूर ना

जल्दज या होनेवाले मालकेबेचनेकाअख्तियार,

मालूम या गैरहाजिरहो और वहमाल जल्द खुद बखुद बिगड़ जानेवालाहो या मजिस्ट्रेट की रायमें जिसकेपास गिरफ्तारीकी रिपोर्ट गुज़रे उसके नीलाम करनेसे मालिकका फ़ायदा मुतसव्विरहो तो मजिस्ट्रेटको अख्तियार है कि जिसवक्त चाहे उसके नीलाम होनेकी हिदायतकरे चुनांचे शरायत दफ़ात ५२३ व ५२४ जहांतक वह मुतअल्लिक़ होसकें ऐसे नीलामके ज़रसमन खालिससे मुतअल्लिक़होंगी ॥

बाब ४४ ॥

बाबत इन्तकाल मुकद्दमात फ़ौजदारी ॥

दफा ५२६—जब कभी यह अम्र हाईकोर्ट के ज़ेहननिशीन

हाईकोर्टमुकद्दमामुन्तक़िलकरसक्तीहैयाखुद उसकीतजवीज़ करसक्तीहै,

कियाजाय कि ॥

(अलिफ़) किसी अदालत फौजदारीसे जो हाईकोर्टके मात-

हतहै किसीमुक़द्दमेकी तहकीकात या तजवीज मुन्सिफ़ाना बिलारूव रिआयत न होगी या ॥

(बे) किसी मसले क़ानूनी सख्त दक़ीक के पैदा होनेका यहतिमाल है या ॥

(जीम) मुआयना उस मौकेका जिसमें या जिसके नजदीक कोईजुर्म सरज़द हुआहो वास्ते तहकीकात या तजवीज मुकम्मिल और मुनासिब मुकद्दमेके जरूर होगा या ॥

(दाल) इसदफाके बमूजिब हुक्महोनेसे फ़रीक़ैन और गवाहों का आराम और आशायश मुतसव्विर है ॥

(हे)--×या कि इसतरह का हुक्म इग़राज मादिलतके हुसूल के लिये करीन मसलहत है–

तो अदालत मौसूफ हुक्म देसक्ती है ॥

अव्वल—यह कि तहकीकात या तजवीज किसी जुर्मकीऐसी अदालतसे हो जिसको अख्तियारात मुन्दर्जै दफ़आत १७७ लगायत १८४ अता न हुयेहों इल्ला जो और तरहसे जुर्ममजकूरकी तहकीकात या तजवीज करनेकी मजाजहो ॥

दोम–यह कि कोई खासमुकद्दमा इब्तिदाई या अपील फौजदारी या खासकिस्मके मुकद्दमात इब्तिदाई या अपीलकिसी एक अदालत फौजदारीसे जो उसके ताबे हुकूमतहो किसी और अदालत फौजदारी में जो उसके बराबर या उससे बढ़कर अख्तियार रखतीहो मुन्तक़िल किये जायँ या ॥

सोम—यह कि कोईखास मुकद्दमे फौजदारी इब्तिदाई या अपील खुद उसकेपास उठआये और उसके रूबरू उसकी तजवीज कीजाय ॥

चहारुम–×यह कि कोई शख्स मुल्जिम खुदउसके या किसी अदालत सिशनके रूबरू तजवीजकेलिये सिपुर्द कियाजाय ॥

जब हाईकोर्ट कोई मुकद्दमा किसी अदालतसे सिवाय अदा-

× दफा ५२६—की जिम्न (हे) और दफ़ा मातहती (४) ऐक्ट ३ सन् १८८४ ई० की दफा ११—की रूसे बढाईगई है,

लत मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी के अपने रूबरू तजवीज होनेके लिये उठाले तोकोर्ट मौसूफको चाहिये कि बजुज उससूरतके जोदफा २६७ में मजकूरहै मुकद्दमे मजकूरकी तजवीजमें वही कार्रवाई मरईरक्खे जो अदालत मजकूर उसवक्त अमलमें लाती जब कि मुकद्दमा उठाया न जाता॥

चाहिये कि हरदरख्वास्त बइस्तदुआय नाफिजकियेजाने उस अख्तियारके जो इस दफाकीरूसे अताहुआहै बतौर मोशनयानी तहरीकके पेशकीजाय और बजुज उस सूरतके कि दरख्वास्त कुनिन्दा साहब एडवकेट जनरलहो और सूरतों में दरख्वास्त की ताईदमें बयान हल्फी या बइकरार सालह शामिलहोगा॥

जब कोई शख्स मुल्जिम इसदफाके बमूजिब दरख्वास्त करे तो हाईकोर्ट यह हिदायत करसक्ती है कि वहमुचलका मैंजामिन या बिलाजामिनोंके इसशर्त्तसे लिखदे कि अगर हुक्मसजा सादिर होतो वह पैरोकारका खर्च अदाकरेगा॥

पैरोकारजानिब सर्कार कोदरख्वास्त तहत दफाहा बाकीइत्तिला,

हर शख्स मुल्जिमको जोऐसी दरख्वास्तदे लाजिमहै कि इत्तिलाअ तहरीरी बाबत दरख्वास्त मजकूर मे नकल उन वजूह के जिनपर वह दरख्वास्त मबनीहो पैरोकार जानिब सर्कारके हवालेकरे और कोईहुक्म निस्बत असल हकीकत सवालके सादिर न होगा बजुज उस सूरतकेकि इत्तिलाअ मजकूरके देनेसे लगायत तारीख समाअत सवाल के कमसेकम २४ घण्टेका अरसा गुजराहो॥

कोई इबारत इस दफा की किसी हुक्मकी मुखिल न होगी जो हस्बदफा १९७ सादिर कियाजाये॥

दरख्वास्त तहत दफा ५२६ कोबिनापर इल्तवा,

दफा ५२६(अलिफ)×—अगरकिसी मुक़द्दमे फौजदारी इब्तिदाई या अपीलमें समाअतके शुरूहोनेसे पहिले पैरोकार मिंजानिब सरकार या मुस्तगीस या

×दफा ५२६ (अलिफ़) ऐक्ट ३ सन् १८८४ ई० की दफा १२ कीरूसे मुंदर्जकीगईहै,

अपर ब्रह्मामे इन्तकाल मुकद्दमातकी दरख्वास्तकी बिनापर इल्तवा की बाबत देखो कानून ७ सन् १८८६ई०के जमीमे की दफा १९,

मुस्तगास अलेह उस अदालत को जिसके रूबरू वह मुकद्दमा या अपील ज़ेर तजवीजहो इसअम्र की इत्तिलाअकरै कि वह मुकद्दमा की निस्बत दफ़ा ५२६ के मुताबिक दरख्वास्त देनेका इरादा रखता है तो अदालत को लाजिमहै कि अख्तियारात निस्बत इल्तवाय मुकद्दमा या बरखास्तगी जलसा जो दफ़ा ३४४ में दियेगये हैं इसतौरपर इस्तेमाल में लाये कि मुस्तगासअलेहसे जवाब तलब होनेसे पहिले या अगर मुकद्दमा अपीलकाहो तो कब्ल समाअत अपीलके मुहलत माकूल वास्ते इदखाल दरख्वास्त और हुसूलहुक्मके जो दरख्वास्तपर सादिरहो मिलाकरै॥

नव्व बगवर्नर जनरल बहादुरबइजलास कौंसल बाख्तियारफौजदारी,

दफ़ा ५२७—जब जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर ब इजलास कौंसलको यह दरियाफ्तहो कि इन्तकाल मुतज़क्किरा आयन्दासे उसूल इन्साफ़की तरक्कीहोगी या अहाली मुकद्दमा या गवाहोंकी आसाइश आमका बाअस होगा तो जनाब मुफख्खर अलेहुम को बजरिये इश्तिहार मुन्दर्जे गजट आफ़ इण्डियाके किसी खास मुकद्दमे फौजदारी इब्तिदाई या अपीलकीनिस्बत यह हिदायत करनाजायजहै कि वह एकअदालत हाईकोर्टसे दूसरी अदालत हाईकोर्टमें या किसीफौजदारी अदालत से जो एकअदालतहाईकोर्टके मातहत हो किसी और अदालत फौजदारी मसावी या आला अख्तियार वालीमें जोदूसरी अदालत हाईकोर्टके मातहत हो मुन्तकिल कियाजाय॥

मुकद्दमों और अपीलोंके दूसरे में,

वह अदालत जिसमें ऐसा मुकद्दमा इब्तिदाई या अपील मुन्तकिल कियाजाय उसीतरह अमलकरेगी कि गोया वह मुकद्दमा इब्तिदाअन् उसी अदालतमें रुजूअहुआथा या पेशकिया गयाथा॥

मजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेट हिस्सा जिला मुकद्दमातअपनेपास उठाले सक्ता है याकिसीऔरमजिस्ट्रेटके सिपुर्द करसक्ताहै,

दफ़ा ५२८-- हरमजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेट हिस्साजिला मजाजहै कि किसीमुकद्दमेको जोउसने अपने किसी मजिस्ट्रेट मातहत के पास सिपुर्दकिया हो अपनेपास उठाले या वापस तलब करले और वहमजाज है कि ऐसे मुकद्दमेकी तहकी-

कात या तजवीज खुदकरे या उसको किसी और मजिस्ट्रेटके पास जो उसकी तहकीकात या तजवीज का मजाजहो उसगरज से सिपुर्द करे ॥

मजिस्ट्रेट जिलाको इस बातके अख्तियार देने का अख्तियार कि बाज अक़साम मुक़द्दमात को अपने पास उठाले,

लोकल गवर्नमेंट मजाजहै कि मजिस्ट्रेट जिलाको यहअख्तियारदे कि वह अपने मातहतके मजिस्ट्रेटों से किसी खास अकसाम के मुकद्दमात या उन अकसाम के मुकद्दमात जो उसको मुनासिब मालूमहों अपने पास उठाले ॥

×मजिस्ट्रेटको जो हस्बदफाहाजा हुक्मसादिरकरै लाजिमहै-कि हुक्मकी वजूह कलमबंद करै × ॥

बाब ४५ ॥

बाबतकाररवाई ख़िलाफ़ जाबिता ॥

वहबेजाबतगियां जिन से काररवाइयां बातिल नहीं होतीहैं,

दफा ५२९—अगर कोई मजिस्ट्रेट जिसको अफआलमुफस्सिलैजैलमें से किसी फेल के करनेका कानूनन्अख्तियार न होयानी ॥

(आलिफ) जारीकरना वारंटतलाशीका दफा९८के बमूजिब ॥

(बे) पुलिसको वास्ते तफ्तीश किसी जुर्म के हुक्मदेना बमूजिबदफा १५५ ॥

(जीम) हालात मर्गकीतफ्तीशकरना हस्बदफ़ा १७६ ॥

(दाल) जारी करना हुक्मनामे का हस्बदफ़ा १८६ वास्ते गिरफ्तारी किसी शख्सके जो उसके इलाक़ै हुकूमतकी हुदूद अर्जीके अन्दर हो और हुदूद मज़कूर के बाहर किसी जुर्मका मुर्तकिब हुआहो ॥

(हे) समाअत करना किसी जुर्मका हस्ब ज़िम्न (अलिफ़) दफ़ा १९१ या ज़िम्न (बे) दफ़ा मज़कूर ॥

(वाव) मुन्तक़िल करना किसी मुक़द्दमे का हस्ब दफ़ा १९२ ॥

(ज़े) वादा करनामुआफ़ीका हस्बदफ़ा३३७यादफ़ा३३८के॥

×—× दफा ५२८ का आखीर फिकरा ऐक्ट ३ सन्१८८४ई० कीदफा१३--कीरूसेबढ़ायागयाहै॥

(हे) नीलामकरना मालकाहस्ब दफ़ा५२४यादफ़ा५२५या॥

(तो) किसी मुक़द्दमेका उठालेना और खुद तजवीज़ करना हस्बदफ़ा ५२८ ॥

नेकनियती के साथ गल्ती से किसी फ़ेलको करे तो उसकी कार्रवाई महज़ इस बिनाय पर मुस्तरिद न की जायेगी कि उसको इसबात का अख्तियार न था ॥

वह बेज़ाब्तगिया जिन से काररवाइयां बातिल होजायेंगी,

दफ़ा ५३०—अगर कोई मजिस्ट्रेट उमूर मुफ़स्सिलै जैलसे जिनकेकरने का वह क़ानूनन्‌मजाज़ न हो कोई अम्रकरे यानी—

(अलिफ़) किसी मालको क़ुर्क़ और नीलामकरे हस्ब दफ़ा८८॥

(बे) हुक्मनामै तलाशी वास्ते हुसूल किसी चिट्ठी मौजूदै डाकखाने या किसी पैग़ाम तारबरक़ी मौजूदै सीगा टेलीग्राफ़ के जारी करे ॥

(जीम) ज़मानत हिफ्ज़अमनखलायक़की तलबकरे ॥

(दाल) नेकचलनी की ज़मानत तलब करे ॥

(हे) किसी शख्सको रिहाकरे जो कानूनन् नेकचलन रहने का पाबन्दहो ॥

(वाव) हिफ्ज़ अमनके मुचलकेको फ़िस्खकरे ॥

(ज़े) किसी अम्र तकलीफ़दह खलायक़ मुख्तसुल् मुक़ाम की बाबत हुक्म सादिरकरे हस्ब दफ़ा १३३ ॥

(हे) किसी अम्रतकलीफ़दह खलायक़के इआदे या क़यामकी बाबत मआविनत करे हस्ब दफ़ा १४३ ॥

(तो) कोई हुक्म हस्बदफ़ा १४४ जारीकरे ॥

(ये)कोई हुक्म मुताबिक़ बाब १२ के सादिरकरे ॥

(काफ़) किसीजुर्मकी समाअतकरे हस्बाज़िम्न ॥

(जीम) दफ़ा १९१ ॥

(लाम) बरबिनाय रूयदाद मर्त्तबाकिसी और मजिस्ट्रेट के हुक्म सज़ा सादिरकरे हस्ब दफ़ा ३४९ ॥

(मीम) किसी मुक़द्दमे की मिसल तलबकरे हस्बदफ़ा ४३५॥

(नून) कोई हुक्म बाबत नान व नफ़क़ा के सादिरकरे॥

(सीन) जो हुक्म हस्ब दफ़ा ५१४ सादिर हुआ हो उसपर हस्ब दफ़ा ५१५ नजरसानी करे॥

(ऐन) किसी मुजरिम की तजवीज करे॥

(फे) किसी शख्स मुल्जिम की तजवीज सरसरी करे--या॥

(स्वाद) किसी अपीलको फैसलकरे॥

तो उसकी कार्रवाई कालअदम होगी॥

दफ़ा ५२१—कोई तजवीज या हुक्म सजा या और हुक्म

कारवाईगलतजगहमे, किसी अदालत फ़ौजदारी का महज इस वजहसे मुस्तरिद न किया जायगा कि वह तहकीकात या तजवीज या दीगर काररवाई जिसके सिलसिले में ऐसी तजवीज वगैरह क़ायम हुईथी या सादिर हुआथा किसी गलत किस्मत सिशन या जिला या हिस्सा जिला या और गलत रक़बा अर्जीके अन्दर अमलमें आईथी इल्ला उस सूरत में कि यह मालूम हो कि उस गल्तीके बाअस हक रसानीमें खलल वाकैहुआ॥

दफ़ा ५२२—अगर कोई मजिस्ट्रेट या और हाकिम बनाम

कब खिलाफ़ जाबिता सिपुर्दगिया सही होसकीहै, निहाद निफ़ाज अख्तियार बाजाबिता अताशुदह के जब कि दरहकीकत ऐसे अख्तियारात उसको अतानहीं हुयेहैं किसी शख्समुल्जिमको किसी अदालत सिशन या हाईकोर्टके रूबरू तजवीज होनेकेलिये सिपुर्दकरे तो वहअदालत जिसमेंमुल्जिम सिपुर्दकियाजाय मजाज है कि बाद मुलाहिजा कागजात मिसलके अगर उसकी दानिस्त में शख्स मुल्जिम को उस वजहसे कुछ नुक़सान नहीं पहुंचा है उस सिपुर्दगी को तस्लीमकरे इल्ला उस सूरतमें कि एतराज निस्बत अख्तियार समाअत ऐसे मजिस्ट्रेट या और हाकिमके तहकीकात के दरमियान हुक्म सिपुर्दगीके सादिर होनेसे पहले तरफसे शख्स मुल्जिम या मुस्तगीसके पेशहुआहो॥

अगर अदालत मजकूरकी दानिस्तमें शख्स मुल्जिम को उस

वजहसे कुछ नुक़सान पहुंचा हो या अगर एतराज मजकूर अन्दर मीआदके पेश कियागयाहो तो अदालतहुक्म सिपुर्दगीको मन्सूख करके यह हिदायत करेगी कि तहक़ीकात जदीद मारफ़त किसी मजिस्ट्रेट मजाजके अमलमें आये ॥

दफ़ा ५३३—अगर किसी अदालतको जिसकेरूबरू इकबाल या और बयान शख्स मुल्ज़िम का हस्ब दफ़ा १६४ या दफ़ा ३६४ के क़लम्बंद और किसी शहादत में पेश कियाजाय यह मालूम हो कि दफ़ा मजकूर के अहकाम की तामील पूरी २ उस मजिस्ट्रेटकी तरफसे जिसने बयानको कलम्बंद किया नहीं हुई तो वह इस बातकी शहादत लेगी कि बयान मशमूला मिसल वाकई मुद्दआअलेह का है और उस सूरतमें कि वह गल्ती शख्स मुल्जिम की जवाब दिही रूयदादीमें मुजिर न हो वह बयान्मशमूला मिसल काबिल मंजूरीके होगा गो ऐक्ट शहादत हिन्द की दफ़ा ९१ में इसके खिलाफ़ हुक्म हो॥

दफ़ा १६४ या दफ़ा ३६४ के अहकाम का अदम तामील,

ऐक्ट १ सन्१८७२ई०,

दफ़ा ५३४—किसी मुकद्दमे में जिससे दफ़ा ४५४ जिम्न २ मुतअल्लिक है किसी शख्स से यह इस्तिफ्सार न करना कि आया वह रअय्यत बृटानिया अहल यूरुप है या नहीं मूजिब नाजवाजी किसी काररवाईका न होगा ॥

वह इस्तिफ़सारनकरना जो दफ़ा४५४की जिम्न२की रूसे मुकर्रर कियागयाहै,

दफ़ा ५३५—कोई तजवीज या हुक्म सजा जो सुनाई गई या सादिर कियागयाहो सिर्फ़ इसवजहसे नाजायज न समझा जायेगा कि कोई फ़र्द करारदादजुर्म मुरत्तिब नहीं हुई थी इल्ला उस सूरत में कि अदालत अपील या नज़रसानीकी दानिस्तमें उसके मुरत्तिब न होनेसे हक़तल्फ़ी हुईहो ॥

फ़र्द करारदाद जुर्मके न तैयार करनेका असर,

अगर अदालत अपील या अदालत नज़रसानीकी दानिस्तमें फ़र्द क़रारदाद जुर्म के मुरत्तिब न करनेसे मुजरिमकी हक़तल्फ़ी हुई हो तो अदालत मौसूफ़ यह हुक्म सादिर करेगी कि फ़र्द म-

जकूर मुरत्तिब की जाये और मुक़द्दमे की तजवीज़ उस नौबत से अज़्सरेनौ कीजाये जो ऐनमाबाद तरतीब फ़र्द क़रारदाद जुर्मकेहो ॥

उस जुर्म की तजवीज़ बज़रिये जूरीके जिसकीतजवीज बअआनत असेसरोंके होनी चाहिये,

दफ़ा ५३६—अगर कोई जुर्म जिसकी तजवीज़ बअआनत असेसरोंके होनी चाहिये अहाली जूरीकी माफ़त तजवीज़ कियाजाये तो ऐसी तजवीज़ महज़ इस वजह से नाजायज़ न होजायेगी ॥

उस जुर्मकी तजवीज बअआनत असेसरों के जिसकी तजवीज़ बज़रिये जूरीके होनी चाहिये,

अगर कोई जुर्म जिसकी तजवीज़ माफ़त जूरी के होनी चाहिये असेसरों की अआनत से तजवीज़ किया जाय तो ऐसी तजवीज़ महज़ उस वजह से नाजायज़ न होगी इल्ला उस सूरतमें कि उस अम्र का एतराज़ क़ब्ल इसके कि अदालत अपनी तजवीज़ क़लम्बन्दकरे पेश किया जाये ॥

तजवीज या हुक्म सज़ाकब बवजह ग़लती या तर्क किसी शैके फ़र्द क़रारदाद जुर्म में या दीगरकारर्वाईमें क़ाबिल मंसूखी है,

दफ़ा ५३७--×बपाबन्दी शरायत मरक़ूमै बाला कोई तजवीज़ या हुक्म सज़ा या और हुक्म किसी अदालत ज़ी अख्तियार का बाब २७ की शरायत के मुताबिक़ या सीगै अपील या नज़रसानी से मनसूख या तब्दील न किया जायेगा किसी बिनायपर जो ज़ैल में मुन्दर्ज है यानी ॥

बरबिनाय किसी ग़ल्ती या तर्क फ़ेल या बेज़ाब्तगी अन्दरबयान नालिश या सम्मन या हिदायत बनाम जूरी या तजवीज़ या किसी और कार्रवाई के जो मुक़द्दमे की तहक़ीक़ात के क़ब्ल या उसके दौरानमें वाक़ै हो या जो किसी तहक़ीक़ात या और कार्रवाई मुतअल्लिक़ै मजमूये हाज़ामें वाक़ै हो—या--

बरबिनाय अदम हुसूल किसी मंजूरी के जो दफ़ा १९५ की रूसे दरकारहो या--

× अपरब्रह्मा में सीग़ै अपील या नजरसानी से एहकाम महज बरबिनाय वजूहात इस्तलाही के क़ाबिल इस्तरदाद नहीं होंगे—देखो क़ानून ७ सन् १८८६ ई० के ज़मीम की दफ़ा २० मगर रिआयाय बृटानिया अहलयूरुप के बारे में देखो दफ़ा ८२ ऐक्ट॥

बरबिनाय नज़रसानी न करने अहलजूरी या असेसरों की फ़ेहरिस्त पर हस्ब महकूमै दफ़ा ३२४ या--

बरबिनाय किसी ग़लतहिदायत हाकिम बनाम अहलजूरीके॥

इल्ला उससूरतमें कि वह ग़ल्ती या तर्क फ़ेल या बेज़ाब्तगी या अदममंजूरी या ग़लत हिदायतसे हक़रसानीमें कुछ फ़ितूरपडाहो॥

कुर्क़ी नाजायजनहीं है या कुर्ककरनेवाला मदाखिलतबेजाकरनेवालानहीं है बुबाअ्स नुक़्स या खिलाफ़ नमूना होनेके किसी काररवाई में,

दफ़ा ५३८--कोई क़ुर्क़ी जो इस मजमूये के मुताबिक़ अमल में आये नाजायज़ न समझी जायेगी और न कोई शख्स जो ऐसी क़ुर्क़ी करे मदाखिलत बेजाका मुर्तकिब समझा जायेगा बाअ्स वाक़ै होने किसी नुक़्स या खिलाफ़नमूना तय्यार होने किसी सम्मन या हुक्म इसबात जुर्म या हुक्मनामा क़ुर्क़ी या और कार्रवाई के जो उससे मुतअ़ल्लिक़हो॥

बाब ४६॥

मुतफ़र्रिक़ात॥

वह अदालतें और अश्खास जिनके रूबरू इजहारात हलफ़ी करायेजायेंगे,

दफ़ा ५३९--जो इज़्हार हलफ़ी और इक़रार सालह कि किसी अदालत हाईकोर्ट या उसके किसी ओहदेदार के रूबरू मुस्तैमिलहों जायज़ है कि उनकी बाबत हलफ़ और इक़रार रूबरू उस अदालत या क्लार्क शाहीके या रूबरू किसीकमिश्नर या औरशख्सके जिसको उस अदालतने उस गरजसे मुकर्रर कियाहो या रूबरू किसी जज या कमिश्नर के जो किसी अदालत रिकार्ड वाक़ै बृटिशइण्डियामें वास्ते लेने इजहार हलफ़ीके मुकर्ररहो यारूबरू किसीकमिश्नर के जो इंगलिस्तान या आयरलैंडके मुहकमै चेन्सरीमें हलफ लेनेके लिये मुकर्रर हो या रूबरू किसी मजिस्ट्रेटके करायाजाय जिसको स्काटलैंड में इजहार हलफ़ी या इक़रार करानेकी इजाजत हो॥

जरूरी गो के तलब करने का या शख्स हाजिरके इज़हारलेनेकाअख्तियार,

दफ़ा ५४०--हर अदालत को अख्तियार है कि हर तहक़ीक़ात या तजवीज या और काररवाई अदालत की किसी नौबत में जो इस मजमूये के मुताबिक अमल में आये किसी शख्स को बतौर

गवाह के तलबकरे या शख्स हाजिर अदालत का इजहारले गो वह बतौर गवाहके तलब न हुआहो या किसी शख्सको जिसका इजहार पहिले होचुकाहो फिर तलब करके उसका मुकर्रर इजहार ले और अदालत को लाजिम है कि ऐसे हर शख्सको जिसकी निस्बत यह मालूम हो कि उसकी शहादत मुकद्दमे के फैसला मुन्सिफाना के लिये अशद जरूर है तलब करके उसका इजहार ले या उसको मुकर्रर तलबकरे और मुकर्रर इजहारले ॥

मुकाम कैद के मुकर्रर करने का अख्तियार,

दफा ५४१—बजुज उस सूरतके जबकि बजरिये किसी कानून मजरिये वक्तकेकुछ और हुक्महो लोकल-गवर्नमेण्ट यह हुक्मदेसक्ती है कि किस मुकाम पर हर शख्स जो मुस्तौजिब कैद या हवालगी बहिरासतहो हस्ब मजमूये हाजा मुकीद रक्खाजायेगा ॥

ऐसे अशखास मुल्जिम या मुजरिम को फौजदारी जेल में भेजना जो किसी दीवानी जेलमें मुकीद हो और उनको फिर दीवानी जेलमें भेजना,

दफा ५४१ (अलिफ)×— (१)अगर कोई शख्स जो मजमूये हाजाकीरूसे मुस्तौजिब कैद या मुस्तौजिब हवालगी बहिरासतहो किसी जेलखाना दीवानी में कैद रहाहो तो वह अदालत या मजिस्ट्रेट जो कैद या हवालात का हुक्म दे यह हिदायत करसक्ता है कि शख्स मजकूर किसी फौजदारी जेलखाने में तब्दील कियाजाय ॥

(२) जब कोई शख्स किसी फौजदारी जेलखाने में हस्ब दफा मातहती (१) तब्दील कियाजाय तो वहउस जेलखानेसे छूटनेके बादफिरदीवानी जेलखानेमेंभेजाजायगा इल्ला उसहालमेंकियातो-

ऐक्ट १४ सन् १८८२ई०

(अलिफ)उसतारीखसे ३ बरस गुजरजायँ जिसतारीखकोवह फौजदारी जेलखानेमेंभेजागयाथा किइससूरत मेंवहमजमूआ जवाबितदीवानी की दफा ३४२ की रूसे दीवानी जेलखाने से भी छूटाहुआ मुतसव्विरहोगा--या ॥

(बे) वहअदालत जिसने उसके दीवानीजेलखानेमें मुकीद होने का हुक्मदियाथा फौजदारी जेलखानेके ओहदेदारमुहतमिमकोइस

× दफा ५४१—(अलिफ)ऐक्ट १० सन् १८८६ ई० की दफा १५ कीरूसे मुन्दर्जकीगई है,

मजमून की सार्टीफिकटदे किशख्समजकूर मजमूआ जवाबितदी-
ऐक्ट १४ सन् १८८२ ई०, वानी की दफा ३४१ की रूसे रिहाहोने का मुस्तहक है ॥

दफा ५४२—बावस्फ इसके कि ऐक्ट शहादत कैदियान
मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी का अख्तियारदरखसूससादिर करने इसहुक्मके कि जेल खानेका कैदीवास्तेइजहार देनेके हाजिर कियाजाय, मुसद्दिरै सन १८६९ ई० में कुछ और हुकुम होहरमजिस्ट्रेट प्रेजीडंसी को जोकिसी मुकद्दमे मुतदायरारूबरूअपने में ऐसे किसी शख्सका इजहार बतौर गवाहयामुल्जिम के लेनाचाहता हो जो उसके इलाकै हुकूमतकी हुदूद अर्जीकेअन्दर किसी जेलखाने
ऐक्ट १५ सन् १८६९ ई०, में मुकीदहो अख्तियारहै किजेलखानेके अफ्सर मोहतमिमकेनाम इसमजमूनका हुकूमजारीकरैकिवह कैदीमजकूर को उस वक्तपर जो हुकूम में मुन्दर्जहो बहिरासत मुनासिब मजि-स्ट्रेट मजकूरके रूबरू इजहार देनेकेलियेहाजिरकरै ॥

अफ्सर मोहतमिम जेलखानेमजकूर इंदुलहुसूल ऐसे हुकूमके हुकूमकी तामील करेगा और वास्तेहिफाजत कैदीकेउसअय्याम में कि वहअगराज मजकूरकेलियेजेलखानेसे बाहररहै बंदोबस्तकरैगा॥

दफा ५४३—अगर किसी अदालत फौजदारीकोकिसी शहादत
तर्जुमानकोतर्जुमारास्तर बयानकरना लाजिमहै, याबयानकातर्जुमाकरानेकेलियेकिसी शख्सतर्जु-मानकी जरूरतहोतोतर्जुमान मजकूरको लाजिम होगा कि शहादत या बयान का तर्जुमा रास्त२ बयानकरे ॥

दफा ५४४—बपाबन्दी उनकवायद के जोबाद हुसूलमंजूरी
मुस्तगीसोंऔरगवाहोंके अखराजात, जनाबनव्वाब गवर्नरजनरल बहादुर बइजलास कौंसल के लोकलगवर्नमेगट के हुजूर से सादिर हों हर अदालत फौजदारी को यह हुकूम देने का अख्तियार है कि जो मुस्तगीस या गवाह उसअदालतके रूबरू हस्ब मजमूये हाजा किसी तहकीकात या तजवीज याऔर कार्रवाईकी अगराजके लिये हाजिरहो उसको इखराजात माकूलमिन्जानिबसर्कार अदा किये जायें ॥

दफा ५४५—जबकभी कोई अदालत फौजदारी किसीका-

अदालत काअख्तियार दरबारह दिलाने अखराजात या मआविज़ा के जुरमाना से,

नूननाफ़िज़ै वक्त के मुताबिकजुर्माना आयद करे या सीगे अपील या नजरसानी से किसी हुक्मसजाय जुर्मानाको या किसी ऐसे हुक्मसजाको जिसका जुज्वजुर्मानाहो बहाल रक्खेतो उसे तजवीज सादिर करने केवक्त यह हुक्मदेनाजायजहै किकुल जुर्मानाया उसका कोई जुज्ववसूल शुदहउमूर मुफ़स्सिलै जैलमें सर्फकियाजाये॥

(अलिफ़) उनइख़राजात की बेबाकी में जोनालिशकी पैरवी म बतौरवाजिबआयद हुयेहों॥

(बे) उसनुक़सान का मुआविज़ा देनेमेंजोउसजुर्मकेइर्तिकाबसेपैदाहुआहोजब अदालतकीरायमें नालिश सीगेदीवानीसे हर्जैमाकूल कावसूल होना मुमकिनहो॥

अगर जुर्माना ऐसे मुकद्दमे में आयद कियाजाय जो अपीलकेकाबिलहो तोऐसा जुर्माना कब्लगुजरने मीआदकेजोवास्ते गुजराननेअपीलकेमुकर्ररहै याअगर अपील दाखिल होचुकाहो कब्लइन्फिसालअपीलके अदान कियाजायेगा॥

दफ़ा ५४६—जब उसी मुआमिलेके मुतअल्लिक कोई नालिश

जोरुपयेअदाकियेजायँ उनकालिहाज नालिशमा बाद में कियाजायगा,

जदीद सीगे दीवानीमें रुजूअकीजाय अदालतको लाज़िम है कि जर मुआविज़ा तजवीज़ करने के वक़ उस मुबलिग़ का भी ख़याल रक्खेजो दफ़ा ५४५ के मुताबिक बतौर हर्जेके अदा या वसूल होचुकाहो॥

दफ़ा ५४७—हरमुबलिग़ (अलावा जुर्माने के) जो बएतबार किसी हुक्म मुसद्दिरै हस्ब मजमूये हाजा वाजिबुल् अदाहो मिस्ल जुर्माने के वसूल किया जायेगा॥

वहरुपिये जिनके अदा करने का हुक्महो मिस्ल जुरमाना के वसूल किये जायँगे,

दफ़ा ५४८—अगर कोई शख़्स जिसको किसी तजवीज़ या हुक्म मुसद्दिरै किसी अदालत फ़ौजदारीसेकुछ तअल्लुकहो नकल साहब जजकी हिदायतकी जो अहलजूरी को सुनाई गई या किसी और हुक्मकी या किसी

रूबकारीमुकद्दमा की नकूल,

इजहार या काग़ज़ात मिसलके किसी और जुज्वकी हासिल करनी मंजूरहो तो नकलकेलिये दरख्वास्त करने पर उसको फौरन् नकल दीजायगी मगरशर्त्त यहहै कि वह नकल का खर्च अदाकरे बजुज उस सूरत के कि अदालत किसी खास वजहसे उसको बिला अख्ज़ उजरतके नक़ल देना मुनासिब समझे॥

उनलोगोंको हुक्काम फौजीकेहवालेकरना जिन की तजवीज बजरियेकोर्ट मारशलके होनीचाहिये,

दफा५४९—अमीरकबीर जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर ब इजलास कौंसलमजाज़हैं कि वक़्तन् फवक़्तन् कवायद मुनासिब जो इस मजमूये और ऐक्ट फौज मुसह्हिरे सन् १८८१ ई० और किसी और उसी किस्म के कानूनके नक़ीज़ न हों जो उसवक़्त निफ़ाज़

ऐक्ट पारलीमेंट मस द्रिसन् ४४ व ४५ जलूस मलकामुअज्जिमा विक्टोरिया बाब ५८,

पिज़ीर हो उन मुक़द्दमात की बाबत जारी फ़र्मायें जिनमें तजवीज़ उन अशखास की जो ताबे कवानीन फ़ौजहों इस मजमूये के मुताबिक किसी कोर्ट में या बजरिये कोर्ट मारशल के अमल में आयेगी और जब कोई शख्स किसी मजिस्ट्रेट के रूबरू हाजिर कियाजाय और उसपर ऐसे जुर्मका इल्जाम लगाहो जिसकी बाबत वह काबिल इसके हो कि उसके जुर्मकी तहकीकात व तजवीज हस्ब शरायत दफ़ा ४१ ऐक्ट मुतजम्मिन करारदाद कवायद और इन्तिजाम फौज मुसह्हिरे सन् १८७९ई० कोर्ट मारशल की मार्फत अमलमें आये तो ऐसे मजिस्ट्रेट को लाजिम है कि कवायद मजकूर पर लिहाज करे और जिन सूरतों में मुनासिब हो शख्स मजकूर को मै फर्द बयान उस जुर्म के जिसमें वह माखूज हुआहो उस पल्टन या कोर या जमाअतके कमानअफ्सर को जिससे उसको तअल्लुक हो या उस छावनी फौजके कमानअफ्सर को जो करीबतर हो अदालत कोर्टमारशल के रूबरू जुर्म की तजवीज होनेके लिये हवाला करे॥

वैसे लोगों की गिरफ़्तारी,

हर मजिस्ट्रेट को लाजिम है कि जब दरख्वास्त तहरीरी बमजमून मुन्दर्जै सदर तरफसे कमानअफसर ऐसी जमाअत फौजके उसकेपास पहुँचे जो ऐसे सु

कामपर मुतअय्यन या खिदमत अंजाम देतीहो हत्तुलइम्कान कोशिशबलेग वास्ते गिरफ्तार करने किसी ऐसे शख्सके जिस पर जुर्म मजकूरका इल्जाम लगायागया हो अमलमें लाये ॥

दफा ५५०--वह अहल्कारान् पुलिस जो अफ्सर मोहतमिम स्टेशन पुलिस से बढ़कर दर्जा रखतेहों मजाज हैं कि उस रकबे अर्जी के अन्दर जिनमें वह मुतअय्यन कियेगयेहों वही अख्तियारात अमलमें लायें जो अफ्सर मोहतमिम स्टेशन पुलिस अपने स्टेशन की हुदूदके अन्दर अमल में लासका है॥

बड़े दर्जे के ओह्देदारान पुलिसके अख्तियारात,

दफा ५५१---जब किसी प्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ज़िलाके रूबरू इस अम्रकी शिकायत हल्फन गुजरे कि कोई शख्स किसी औरत या लड़की को जिसकी उमर १४ बरस से कमहो किसी ग़रज नाजायजके लिये भगालेगया है या उसने बतौर नाजायज रोक रक्खा है तो मजिस्ट्रेट मौसूफ मजाज़ होगाकि वास्ते फौरन् आजाद करने ऐसी औरत या हवालाकरने ऐसी लड़कीके उसके शौहर या वाल्दैन या सरपरस्त को या और शख्सको जो कानूनन् ऐसी लड़की का एहतिमामकरता या उसपर अख्तियार रखताहो हुक्मसादिरकरे और अपने हुक्मकी तामील कराये और जिस कदर जब्र जरूर हो अमलमें लाये ॥

भगाई हुई औरतोंको जबरन हवाले कराने का अख्तियार,

दफा ५५२----जब कोई शख्स किसी बल्दै प्रेजीडेंसीमें किसी और शख्सको किसी अफ्सर पुलिस की मारफत गिरफ्तार कराये अगर उस मजिस्ट्रेट को जिसके रूबरू मुक़द्दमे की समाअतहो यह वाज़ैहो कि शख्स सानिउल्ज़िक्रके गिरफ्तारकराने की कोई वजह काफ़ीनथी तो मजिस्ट्रेट मजाज़होगा कि ज़रहर्जा जिसक़दर मजिस्ट्रेट मौसूफ़को मुनासिब मालूमहो मगर ५०रु० से ज़ियादह नहो उस शख्ससे जिसने गिरफ्तार करायाहो शख्स गिरफ्तार शुदहको बमुबादिला उस तज़ीअ औक़ात और इख़रा-

माविज़ा उन अशख़ास को जिनको बल्दहा प्रेजीडंसीमें बिला वजह सिपुर्द हवालात कियाजाय,

जातके जो उस मुक़द्दमे में उसके ज़िम्मे आयद हुयेहों दिलाये॥

ऐसे मुक़द्दमात में अगर चंद अशख़ास के नाम शिकायतहो या उनकी गिरफ्तारी की जाय तो मजिस्ट्रेट को अख़्तियार है कि हस्ब महकूमै सदर ऐसे हर शख़्स को उसकदर हर्जा दिलाये जो मजिस्ट्रेटको मुनासिब मालूमहोऔर ५०रु०से जियादहनहो॥

तमाम जरहायहर्जा जो इस दफाके बमूजिब दिलाये जायें मिस्लजुर्माने के वसूल किये जायेंगे और अगर इस तौरपर वसूल न होसकें तो उस शख़्सको जिसके जिम्मेउनका अदा करना वाजिबहो उस मीआदतक क़ैद महजकी सजादीजायगी जो मजि-स्ट्रेटको मुनासिब मालूमहो और ३० रोजसे जियादहनहो इल्ला उससूरतमें कि जुर्माना उस मीआदके इन्क़ज़ासे पहले अदा कर दियाजाय॥

दफा ५५३---बादमंज़ूरी जनाबमुअल्लाअल्काब नव्वाब गवर्नर जनरलबहादुर ब इजलासकौंसलके हाई कोर्ट वाकै फोर्टविलियमको और बादमंज़ूरी लोकल-गवर्नमेंटके हरदूसरी अदालत हाईकोर्टको जो बजरियेसनद शाही कायमकीगईहो अख़्तियार होगा कि वक़्तन्फ़वक़्तन् कवायद बग़रजमुआय-ना क़ाग़जात मिसल अदालतहाय मातहत के मुरत्तिबकरे॥

सनद शाही की रूसे मुक़र्ररकीहुईहाई कोर्टोका अख़्तियार कि अदालत हाय मातहतकी मिसलो के मुआयना के लिये कवायदवजाकरे,

बादमंज़ूरी माकब्ल लोकलगवर्नमेंट के हर हाईकोर्ट जो मु-ताबिक सनदशाहीके मुक़र्रर नहुईहो मजाजहै कि वक़्तन् फ़वक़्तन्॥

औरहाईकोर्टोका अख़्तियार दरबाब वजाक-रनेक़वायद वास्ते दीगर ग़रजोंके,

(अलिफ़) क़वायद दरबाब तरतीब जुमलेबहीजात और इन्दराजात और हिसाबातके जो तमाम अदालतहाय फौजदारी मातहतमें मुरत्तिबरहाकरेंगे और नीजवास्ते तय्यारी और इरसाल जुमला नक़्शैजात व कैफ़ियातके जो मुरत्तिब होकर अदालतहाय फौजदारी से मुरसिल होनी चाहियें तजवीज करे और–

(बे) हर कार्रवाईके लिये जो उनअदालतों से तामीलपाये और जिसकेलिये नमूना मुकर्रर करना मुनासिब मालूम हो नमूना तजवीजकरे॥

(जीम) × खुदअपनी अदालतके तरीके अमल और कार्रवाई और अपने मातहतकी जुमला अदालत हाय फौजदारी के तरीके अमल और कारवाईके इन्तिजामके लिये कवाअद वजाकरे॥

(दाल) जो वारंट इसमजमूयेके मुताबिक बग़रज वसूल जुर्माना जारीहों उनकी तामीलके इन्तिजामके लिये कवाअद मुरत्तिबकरे॥

मगर शर्त्त यहहै कि जोकवाअद और नमूनेजात दफ़ा हाजाके बमूजिब तरतीब दियेजायँवह इसमजमूये या किसी और कानून नाफ़िजुलवक्त के नकीज न हों॥

तमाम कवाअद जो इसदफाके बमूजिब जारीहों मुकामकेगजट सर्कारी में मुश्तहर कियेजायँगे॥

नमूने,

दफा ५५४—बमलहूजी उस अख्तियारके जो दफा ५५३ की रूसे और नीज अजरूय ऐक्टमुसद्दिरै सन २४ व२५जलूसमलिका मुअज्जिमा विक्टोरियाबाब १०४ दफा१५ के मताहुये हैं वह नमूने जो जमीमैपंजुम मुन्सलिकै ऐक्टहाजा मेंमुन्दर्जहैं मै उसकदर तब्दीलके जो बलिहाज खसूसियत हालात हर मुकद्दमे के जरूरहो उन अग़राज़के लिये मुस्तैमिल किये जायेंगे जो उनमेंमजकूर हैं॥

वहमुकद्दमाजिसमेजज या मजिस्ट्रेट ग़रजज़ाती रखताहो,

दफा ५५५—किसी जज या मजिस्ट्रेट को अख्तियार न होगा कि बिलाहुसूल इजाजत उस अदालतके जिसमें बनाराज़ी हुक्म ऐसे जज या मजिस्ट्रेटके अपील करना कानूनन् जायजहो ऐसे किसी मुकद्दमे को तजवीज यातजवीजके लिये सिपुर्द करें जिसकावह

× अपर ब्रह्मामें कवायद तहतदफा ५५३ जिम्न (जीम) के ज़रिये से हुक्म नामजात और नकूल और मुआयना कागजात मिस्लके मुतअल्लिक जर रसूमका इन्तिजाम किया जासक्ता है-देखो कानून ७ सन १८८६ ई० के जमीमे की दफा २१,

फरीकहो याजिसमें वहकुछतअल्लुकजातीरखताहो और कोईजज यामजिस्ट्रेटमजाजनहोगा कि ऐसे अपीलकी समाअतकरे जो खुदउसीकी तजवीज याहुक्मकी नाराजी से रुजूअकियागयाहो ॥

तशरीह----किसी जज या मजिस्ट्रेटकी निस्बत किसी मुकद्दमे में महज इसवजह से कि वह मैन्यूसिपल कमिश्नरहो यह इत्तलाक न कियाजायेगा कि वह मुकद्दमेका फरीकहै या उसमें कुछ गरजजाती हस्ब मुराद दफा हाजा रखताहै ॥

दफा ५५६--लोकल गवर्नमेण्ट इसअमरकी तन्कीह करनेकी

अख्तियार दरबारहफै सलकरने इसअम्रके कि कौनसी जबान अदालतकी ज़बानहोगी,

मजाजहै कि वास्तेहुसूल अगराज इसमजमूये केहरअदालतमेंजो उसकलमरौकेअन्दर कयाम पिजीरहो जिसपर गवर्नमेण्ट मौसूफकी हुकूमत जारीहो बइस्तस्नाय उन हाईकोर्टोंके जो अजरूय सनदशाही मुकर्ररहों कौनसी जबान अदालतकी जबान समझीजायेगी ॥

दफा ५५७----तमाम अख्तियारात जो इसमजमूये की रूसे

जनाबगवर्नर जनरलब हादुर बइजलास कौंसल औरलोकल गवर्नमेंटके अख्तियारात वक्तन् फवक्तन् अमलमेंआसकेंगे,

जनाब न०वाब गवर्नर जनरलबहादुर बइजलास कौंसल या लोकल गवर्नमेण्टको अता हुयेहैं जायजहै कि वह वक्तन् फवक्तन् जैसी २ जरूरत पड़तीजाय निफाज पातेरहैं ॥

दफा ५५८----लाजिम है कि अहकाम मजमूये हाजा जहां

मुकद्दमातदायर,

तक मुमकिनहो उनतमाम मुकद्दमातसे मुतअल्लिक समझे जायें जो किसी अदालत फौजदारी में उस वक्त दायरहों जब यह मजमूआ निफ़ाज़पिज़ीरहो ॥

दफा ५५९ – ×कोई सरकारी मुलाजिम जिसको मजमूयेहाजाके मुताबिक किसी जायदाद के नीलामका

ओहदेदारानमुतअल्लिक नीलामनजायदादको खरीदसक्तेऔरनउसकेलिये बोलीबोलसक्ते हैं,

कोई काम अंजामकरनाहो नजायदाद मजकूर कोखरीद सक्ताहै और नउसके लिये कोईबोली बोल सक्ताहै ॥

× दफा ५५९—ऐक्ट १०--सन १८८६ ई० की दफा १६ की रूसे बढ़ाईगई है ॥

ज़मीमा १ ॥

क़वानीन मन्सूख़ा ॥

(अलिफ)—ऐक्ट पारलीमेंट ॥

सन् जलूस और बाब	तस्मिया	किस कदर मन्सूख हुआ
सन् १३ जलूस शाह जार्ज सेाम बाब ६३	ऐक्ट बग़रज़ इंतिज़ाम बाज क़वानीन मुतअ़ल्लिका हुस्नइंतिज़ाम मुआमलात ईस्टइंडिया कम्पनी बहादुर वाके मुमालिक हिन्द व यूरोप के,	दफ़ा ३८

(बे) ऐक्टहाय मुसद्दिरै जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसल ॥

नम्बर और सन्	मज़मून	किस क़दर मन्सूख़ हुआ
२३ सन् १८४० ई०	दूजराय हुक्मनामा	जिसकदर मन्सूख नहीं हुआ है,
४५ सन् १८६० ई०	मजमूये ताजीरातहिन्द	तमसीलात मुतअ़ल्लिक़े दफ़ा २१४,
५ सन् १८६१ ई०	पुलिस ऐक्ट	दफ़ा ६ व दफ़ा २४ के यह अल्फ़ाज़ (और उस को माखूज़ कराके तजवीज़ आख़ीर तक मुकद्दमे की पैरवी करता रहे) दफ़ा ३५ लग़ायत अ-ल्फाज़ "मगर शर्त है कि"

नम्बर और सन	मजमून	किस कदर मन्सूख हुआ
१८ सन १८६२ ई०	ज़ाबिते फ़ौजदारी सुप्रीमकोर्ट	जिस कदर मन्सूख नहीं हुआ था॥
६ सन १८६४ ई०	सज़ाय बेद	दफ़ा ७
३ सन १८६९ ई०	जस्टिस आफ़दीपीस	जिसकदर मन्सूख नहीं हुआ था॥
२३ सन १८७० ई०	मुतअल्लिक करना रिआयाय बृटानिया अहल यूरोप से उन ऐक्टों का जिनकी रूसे इख्तियार सरसरी अता हुआ	ऐजन
४ सन १८७२ ई०	कवानीन पंजाब	जिसकदर इबारत बंगाला के कानून २० सन १८२५ई० से मुतअल्लिक़ है॥
१० सन १८७२ ई०	मजमूये ज़ाबिते फौजदारी	जिसकदर कि मंसूख नहीं हुआ था॥
११ सन १८७४ ई०	तरमीम मजमूयेज़ाबितेफौजदारी	कुल
१५ सन १८७४ ई०	कवानीनके निफ़ाज की हुदूदअर्जी	जिसकदरकिबंगालाकेकानून २० सन् १८२५ ई० से मुतअल्लिक है॥
१० सन १८७५ ई०	हाईकोर्टका ज़ाबिता फौजदारी	कुल ऐक्ट बजुज दफ़ा १४४ और उसकदर इबारत दफ़ा १४६ के जो इत्तिला से मुतअल्लिक़ है॥
२० सन् १८७५ ई०	कवानीन मुमालिक मुतवस्सितः	उसकदर इबारत जो बंगाला के कानून २० सन १८२५ई० सेमुतअल्लिकहै॥
१८ सन १८७६ ई०	कवानीन अवध	ऐजन

नम्बर और सन्	मजमून	किस क़दर मंसूख़ हुआ
४ सन् १८७७ ई०	मजिस्ट्रेटान प्रेजीडेंसी	कुल ऐक्टबजुज दफ़ा ५७
२१ सन् १८७९ ई०	हवालगी व बाजगिरफ्त मुजरिमान	बाब ३
१० सन् १८८१ ई०	मुतअल्लिके कारोनर	दफ़ात ८ व ९

(जीम)—क़वानीन

क़ानून बंगाला २० सन् १८२५ ई०	अदालत कोर्टमारशल का इलाके अख़्तियार	जिसक़दर मंसूख़ नहीं हुआ था
३ सन् १८७२ ई०	संताल के परगने जात का बन्दोबस्त	जिसक़दर दूबारत ऐक्ट १० सन् १८७२ ई० से मुतअल्लिक है ॥
९ सन् १८७४ ई०	जिले कोहिस्तानी अराकान के क़वानीन	जिसक़दर दूबारत ऐक्ट हाय २ सन् १८६९ ई० व १० सन् १८७२ ई० व ११ सन् १८७४ ई० से मुतअल्लिक है ॥
३ सन् १८७७ ई०	क़वानीन अजमेर	जिसक़दर दूबारत बंगाला के क़ानून २० सन् १८२५ ई० से मुतअल्लिक है ॥

(दाल)—ऐक्टहाय मुसद्दिरै जनाब नव्वाब गवर्नरबहादुर मदरास बइजलास कौंसल

८ सन् १८६७ ई०	पुलिस	दफ़ा ९

ज़मीमा नम्बर २ ॥

नक़्शा जरायम ॥

तमहीद——इस ज़मीमे का इबारत मुंदर्जे ख़ाना २ मानूं ब "जुर्म" और ख़ाने ७ मानूं ब "सजा हस्ब मजमूये ताजीरातहिन्द" से यह मुराद नहीं है कि वह बतौर तारीफ़ात जरायम वसज़ाहायमुसर्रह दफ़आत मुनासिबा मजमूये ताजीरातहिन्द या बमंजिले खुलासा दफ़आत मज़कूराकेहैं बल्कि सिर्फ बतौर हवाला उसदफ़ा के मज़मून केहैं जिनका नम्बर शुमार पहिले ख़ानेमेंहै——

ख़ाना ३ इस ज़मीमेका बलाद कलकत्ता और बम्बई की पुलिस से मुतअल्लिक़ है ॥

बाब पंजुम ॥

अआनत के बयानमें ॥

१	२	३	४	५	६	७	८
दफ़ा	जुर्म	आया अहल पुलिस बे वारंट गिरफ़्तार कर सक्ताहै या नहीं	आया हस्ब मामूल इब्तिदाअन् वारंट जारी होग। या सम्मन	आया काबिल जमानत है या नहीं	आया राजीनामा होसक्ताहै या नहीं	सजा हस्ब मजमूये ताजीरातहिन्द	किस अदालत से जुर्म की तजवीज होगी
१०९ [illegible]	किसी जुर्म की अआनत अगर वह जुर्म जिस में अआनत की गई है उस अआनत के सबब से हुआ	बिला वारंट गिरफ़्तार कर सक्ता है अगर उस जुर्म के	अगर वह जुर्म जिसमें अआनत की गई हो क़ाबिल	अगर वह जुर्म जिस में अआनत की गई हो काबिल	अगर वह जुर्म जिसमें अआनत की गईहो काबिल	वही सजा जो उस जुर्म के लिये जिसमें अआनत की गई हो मुकर्रर है	उसी अदालतसे जिस में वह जुर्म जिस में अआनत की गई हो तजवीज कियेजाने के

	हो और उसकी सजाकेवास्ते कोई सरीह हुक्म नहो	लिये जिसमें अआनतकीगई है गिरफ़तारी बग़ैर वारंटके होसक्तीहै मगर और किसी सूरत में नहीं	इजराय वारंट हो तो वारंट जारीहोगा वर्ना सम्मन	जमानतहो तो मुअय्यन को जमानतपररिहाई दी जायगी व इल्लाफ़ला	राज़ीनामा हो तो राज़ीनामे पर तैहोसक्ता है व इल्लाफला		लायक है ॥
११०	किसी जुर्मकी अआनत अगर शख्स मुआन नियत मुग़ायर नियत मुअय्यनसे जुर्म मजकूर का मुर्तकिब हो	बिला वारंट गिरफ्तारकरसक्ताहै अगरउस जुर्मकेलियेजिसमें अआनत कीगई है गिरफ्तारीबग़ैरवारंटके होसक्ती होमगरऔरकिसीसूरतमेंनहीं	अगर वहजुर्म जिसमें अआनत कीगईहो काबिलइजराय वारंटहोतो वारंट जारी होगा वर्ना सम्मन	अगर वहजुर्म जिसमें अआनत कीगईहो काबिल जमानतहोतो मुअय्यनकोजमानतपररिहाईदी जायगी वइल्लाफ़ला	अगर वह जुर्म जिसमें अआनत कीगई हो काबिल राज़ीनामा हो तो राज़ीनामापर तै होसक्ता है व इल्ला फला	वही सज़ा जो उस जुर्मके लिये जिसमें अआनत की गई हो मुकर्रर है ॥	उसी अदालतसे जिसमें वह जुर्म जिसमें अआनत कीगई हो तजवीज किये जानेके लायकहै ॥
१११	किसीजुर्मकी अआनत जबकि अआनत एक फेलमेंहो और कोईफेलमुगायरकिया जाय मगरशर्त्तका लिहाजरहै	ऐज़न	ऐज़न ...	ऐज़न ..	ऐज़न ..	वही सज़ा होगी जो उस जुर्म की पादाश में होती जिसमें अआनत करने का कसद किया गया ॥	ऐज़न .. ..

१	२	३	४	५	६	७	८
११३	किसी जुर्म की अआनत जब कि कोई नतीजा उस फ़ेलसे पैदाहो जिसमें अआनतकीगई है और वह नतीजा मक़सूद मुअय्यनसे मुगायर हो	बिलावारंटगिरफ़्तार करसक्ताहै अगर उसजुर्मके लिये जिसमेंअआनतकीगईहैगिरफ़्तारी बग़ैर वारंट के होसक्ती हो मगर और किसीसूरतमें नहीं	अगर वह जुर्म जिसमें अआनत कीगईहो काबिल इजराय वारंटहो तोवारंट जारीहोगा वरना सम्मन	अगरवहजुर्म जिसमेंअआनतकीगईहोका बिल जमानत होतामुअय्यन को जमानतपर रिहाईदीजायेगी व इल्ला फ़ला	अगरवह जुर्म जिसमेंअआनतकीगईहोका बिल राजीनामाहोताराजीनामापर तैहोसक्ताहै वइल्ला फ़ला	वही सजा होगी जो उसजुर्म के लियेमुकर्रर है जिसका इर्तिकाब हुआ	उसी अदालतसे जिसमें वह जुर्मजिसमें अआनत कीगईहो तजवीज किये जाने के लायक़ है
११४	किसी जुर्मकीअआनतअगर मुअय्यन इर्तिकाब जुर्मके वक्त मौजूद हो	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न	ऐज़न .. ..
११५	उसजुर्ममें अआनतकरनी जिसकीसज़ामौतयाहब्स दवामबउबूरदरियायशोर है अगरजुर्मकाइर्तिकाबअआनतकेसबबसेनहुआ हो,	ऐज़न	ऐज़न	काबिल जमानतनहीं है ॥	ऐज़न . .	दोनोंकिस्मोंमेसेएककिस्म की क़ैद हफ़्तसाला और जुर्माना ॥	ऐज़न
	अगरएकफ़ेल जो इंज़ाका	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न ...	ऐज़न	दोनोंकिस्मों मे से एक	ऐज़न .. ...

	मूजिबहै अज्ञानतके सबब कियाजाय ॥					किस्म की कैद चहारद हसाला और जुर्माना ॥	
११६	इसजुर्म में अज्ञानतकरना जिसकी सजाकैदहै अगर जुर्मका इर्त्तिकाब अज्ञानतके सबबसे न हुआ हो ॥	ऐजन्	ऐजन्	बलिहाज़ उसके कि जुर्म जिसकी अज्ञानतकी गई काबिल ज़मानतहै या नहीं ॥	ऐजन् . .	दोनोकिस्मों मेंसे किसीकिस्मकीकैद जो उसजुर्म की पादाशमें मुकर्रर है और उसकीमीआदउस कैदकी बडीसेबडीमीआदकी एक चौथाईतक होसक्तीहै या जुर्माना या दोनो ॥	ऐजन् . .
	अगर मुअय्यन या मुलाज़िमसरकारीहो जिसपर उसजुर्मका इन्सिदाद करना लाजिमहै ॥	बिलावारंटगिरफ्तारकरसक्ताहै अगरउसजुर्मकेलियेजिसमें अज्ञानत कीगई है गिरफ्तारी बग़ैर वारंटके होसक्तीहोमगरऔर किसीसूरत में नहीं ॥	अगर वहजुर्म जिसमेंअज्ञानतकीगईहोकाबिल इजराय वारंट होतो वारंट जारी होगा वर्ना सम्मन	बलिहाज़ इसकेकि जुर्मजिसकीअज्ञानतकी गईकाबिल ज़मानत है या नहीं	अगर वहजुर्म जिसमेंअज्ञानतकीगईहोकाबिल राज़ीनामा हो तो राज़ीनामे पर तै होसक्ताहैब इज्लाफ़ला	दोनोक़िस्मोंमेंसे किसीकिस्मकीक़ैदकीसज़ा जोउस जुर्मकीपादाशमे मुकर्ररहै और उसकीमीआदउसकैद की बडीसे बड़ी मीआदके एकनिस्फतक हेसक्ती है या जुर्माना या दोनो ॥	उसअदालतसे जिसमें वहजुर्म जिसमें अज्ञानत कीगईहो तजवीज़ कियेजानेकेलायक है॥

१	२	३	४	५	६	७	८
११७	उसजुर्म के इर्तिकाबमें अआनतकरना जिसको आमाख़लायक या दशसेंजियादाअशखास करें ॥	एजन् ..	एजन् ..	एजन् ..	एजन् ..	दोनोकिस्मोंमें सेएकक़िस्म की क़ैद सेहसालायाजुर्माना यादोनो ॥	एजन् .. ..
११८	उसजुर्मके इर्तिकाबकीतदबीरकाछिपानाजिसकी सजामौतयाहब्सदवामबउबूरदरियाय शोरहै अगर जुर्मका इर्तिकाब हुआहो	एजन् ..	एजन् ..	काबिलजमानत नहीं है	एजन् ..	क़ैद हफ़्तसालह दोनोकिस्मोंमेंसे एककिस्मकीऔर जुर्माना	एजन् .. ..
	अगर जुर्मका इर्तिकाबन हुआ हो ॥	एजन्	एजन्	एजन्	एजन्	क़ैद सेहसालह दोनों क़िस्मोंमेंसे एककिस्म की और जुर्माना ॥	एजन् ..
११९	सरकारीमुलाजिम जो किसी ऐसे जुर्म के इर्तिकाब की तदबीर को मख़फ़ीकरे जिसका इन्सदाद उसपर वाजिबहै अगर जुर्म मजकूर काइर्तिकाब हुआहो—	एजन्	एजन्	अगर वहजुर्म जिसमें अआनत कीगईहो काबिल जमानतहो तो मुअय्यनके जमानतपर रिहाईदी जायेगीवइल्ला फ़ला ॥	एजन्	दोनों किस्मों में से किसी किस्मकी क़ैद जो उसजुर्म की पादाश में मुकर्रहै और उसकी मीआद उस क़ैदको बड़ीसे बड़ी मीआदके एक निस्फतक होसक्ती है या जुर्माना या दोनो सज़ायें ॥	एजन्

	अगर उसजुर्म की सजामौत या हब्स दवामी बउबूरदरियायशोर हो ॥ अगर जुर्म का इर्तिकाब न हुआ हो ॥	ऐजन् .. बिलावारंटगिरफ्तारकरसक्ता है अगर उस जुर्मकेलिये जिसमें अआनत कीगई है गिरफ्तारीबग़ैर वारंटकेहोसक्तीहो मगरऔरकिसी सूरत में नहीं	ऐजन .. अगर वहजुर्म जिसमें अआनत तकीगईहो काबिल इजराय वारंटहो तो वारंट जारी होगा वर्ना सम्मन ॥	काबिल जमानत नहीं है अगर वहजुर्म जिसमें अआनतकीगईहो काबिल जमानत होतो मुअय्यन को जमानत पर रिहाई दी जायगी व इल्लाफ़ला ॥	ऐजन .... अगरवह जुर्म जिसमें अआनत तकीगईहो काबिल राजी नामाहो तो राजी नामापर ते हो सक्ता है व इल्ला फला ॥	कैद दहसालह दोनों किस्मों मेंसे एक किस्म की॥ दोनोंकिस्मोंमेंसे किसीकिस्म की कैद जो उस जुर्म की पादाश में मुकर्रर है और उसकी मीआद उस कैद की बड़ी से बड़ी मीआदकी एक चौथाईतक होसक्तीहै या जुर्माना या दोनों सज़ायें ॥	ऐजन् उसी अदालतसे जिसमें वहजुर्म जिसमें अआनत कीगईहो तजवीजकियेजाने के लायक है ॥
१२०	उस जुर्मके इर्तिकाब की तदबीर का मख़्फ़ी करना जिसकी सजा कैदहै अगर जुर्म मज़कूर का इर्तिकाब हुआ हो ॥	ऐजन	ऐजन	ऐजन	ऐजन	ऐज़न्	ऐजन् ... .
	अगर जुर्म का इर्तिकाब न हुआ हो ॥	ऐजन ...	ऐजन	ऐजन	ऐज़न्	दोनोंकिस्मोंमेंसे किसी किस्मकीकैद जो उसजुर्मकी पादाश में मुकर्रहै और उसकी मीआद उसकैद	ऐज़न् ....

१	२	३	४	५	६	७	८
१२६	उसवालीकेमुल्कमें ग़ारतगरीकरनी जो मलिकामुअज्जिमासे इत्तहाद या सुलह रखता हो ॥	बिला वारंट गिरफ़्तार नहीं करसक्ता ॥	वारट	काबिल जमानत नहीं है ॥	काबिल राज़ीनामा नहीं है ॥	क़ैद हफ़्तसाला दोनोंकिस्मोंमेंसे एककिस्मकीऔर जुर्माना और बाजजायदाद की ज़ब्ती ॥	अदालत सिशन
१२७	ऐसे माल को अपने तहवील में रखना जो जंग या गारतगरी मज़कूरह दफ़ात १२५ व १२६के ज़रिये से हासिल कियागया हो ॥	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ....
१२८	सरकारी मुलाज़िम असीर सुल्तानी या असीर जंग को जो उसकी हिरासत में हो बिलइरादा भागजानेदे ॥	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन् ..	ऐजन्	हब्सदवाम बउबूर दरियाय शोर या क़ैददहसाला दोनो किस्मोंमें से एक किस्म की और जुर्माना ॥	ऐजन् ..
१२९	सरकारी मुलाज़िम असीर सुल्तानी या असीर जंगको जो उसकी हिरासत में हो ग़फ़लत से भाग जानेदे ॥	ऐजन्	ऐजन्	काबिल जमानत है ॥	ऐजन् ..	क़ैद महज़ सेहसाला और जुर्माना ॥	ऐजन्या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल ॥
१३०	असीर मज़कूरके भागजाने या छुड़ाने या पनाह देनेमें मदद करनी या उसकेमुकर्रर गिरफ़्तार कियेजानेमें तअर्रुज़करना	ऐजन् ..	ऐजन् ..	काबिल जमानत नहीं है ॥	ऐजन् ..	हब्स दवाम बउबूर दरियाय शोर या क़ैददहसाला दोनो किस्मोंमें से एक किस्मकी और जुर्माना ॥	अदालत सिशन

बाबहफ्तुम ॥

जरायम मुतअल्लिक़ै अफ़्वाज बहरी व बर्रीके बयानमें ॥

१३१	बग़ावतमें अआनत करनी या किसी अफसर यासिपाही याख़लासीजहाज़ी को इत्ताअत या ख़िदमतमन्सबी न करने के अग़वा का इक़दाम करना ॥	बे वारट गिरफ़्तार करसक्ताहै ॥	वारट	काबिल जमानत नहीं है ॥	काबिल राजीनामा नहीं है ॥	हब्स दवाम बउबूर दरियायशोर या क़ैदद्हसाला दोनोंकिस्मोंमेंसेएककिस्म की और जुर्माना ॥	अदालतसिशन
१३२	अआनत बग़ावत अगर बग़ावतका इर्त्तिकाब उसअआनतके सबबसेकियाजाय	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	मौतयाहब्सदवाम बउबूर दरियायशोर या क़ैद दहसाला दोनोंकिस्मोंमेंसेएक किस्मकी और जुर्माना ॥	अदालतसिशन
१३३	उस हमलेकी अआनतजो कोई अफ़सर या सिपाही याख़लासी जहाज़ीअपनेअफ़सर बालादस्तपर जबकि वह अपने ओहदेका काम अंजामदेरहाहो करे—	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	क़ैदसेहसाला दोनोंकिस्मोंमेंसे एक किस्म की और जुर्माना ॥	ऐज़न् या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल ॥
१३४	हम्ला मज़कूरकीअआनत अगर हम्लेका इर्तिकाबहो ॥	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	क़ैद हफ़्तसालहदोनों किस्मोंमेंसे एक किस्मकीऔर जुर्माना	अदालत सिशन

१	२	३	४	५	६	७	८
१३५	किसी अफ़सरयासिपाही याखलासीजहाज़ोंकीनौकरी पर से भागजानेमेंअआनत करनी ॥	बेवारंटगिरफ तारकरसक्ताहै॥	वारंट	काबिल जमा नत नहीं है॥	काबिल राज़ी नामा नहीं है	कैददोसालह दोनोंकिस्मों में से एक किसम को या जुर्माना या दोनों ॥	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जैअव्वल या दर्जै दोम ॥
१३६	फ़रारीअफ़सर या सिपाही या खलासी जहाजोंको प नाह देना॥	ऐजन्	ऐज़न्	ऐज़न् ...	ऐज़न्	ऐजन् ..	ऐजन् ..
१३७	फ़रारी नौकरका किसीसौदागरीमर्कबनरीमें नाखुदा या मोहतमिमकी ग़फ़लत से छिपाहोना ॥	बिलवारंटगिरफ़तार नहीं करसक्ता॥	सम्मन	ऐजन्	ऐजन् ..	पांचसौरुपये जुर्माना	ऐजन् ..
१३८	अदूल हुकुमीमें किसीअफ़सर या सिपाही या खलसी जहाजों की अआनत करनीअगरजुर्म उसअआनत केसबबसे वकूअ में आये ॥	बिला वारंटगिरफ़तार करसक्ताहै	वारंट	ऐज़न्	ऐज़न् ...	कैद शशमाहा दोनों किसमोंमेंसेएककिसमकी या जुर्माना या दोनों ॥	ऐजन् ..
१४०	वह लिबास पहिनना या वहनिशानलियेफिरनाजिसकोकोईसिपाही इस्तेमालकरताहोइसनीयतसे किलोग उसकोऐसासिपाही समझें॥	ऐजन्	सम्मन	ऐजन्	ऐजन्	कैदसेहमाहा दोनोंकिसमोंमेंसे एक किसमकीयापाचसौरुपया जुर्माना यादोनों॥	हरमजिस्ट्रेट

बाब हश्तुम ॥

उन जरायमके बयानमें जो असूदगी आम्मै ख़लायक़के मुख़ालिफ़ हैं ॥

१४३	किसी मजमै खिलाफकानून में शरीक होना ॥	बिला वारट गिरफ्तार कर सक्ता है ॥	सम्मन	काबिल जमानत है	काबिल राजीनामा नहीं है	कैदश्शमाहादोनो किस्मों मेंसेएककिस्मकीयाजुर्माना या दोनों	हर मजिस्टे ट
१४४	इसलहमोहलिक सेमुसल्ला होकर किसी मजमै खिलाफ कानूनमें शरीक होना	ऐजन् ..	वारंट	ऐजन् ..	ऐजन् ..	कैददोसाला दोनोंकिस्मों मेंसेएककिस्मकी याजुर्माना या दोनों	ऐजन् ..
१४५	किसीमजमै खिलाफ कानूनमेंयह जानकर कि उसको मुतफर्रिक होजाने का हुक्म होचुकाहै दाखिलहोना या दाखिलरहना	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..
१४७	बलवहकरना	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ...	ऐजन् ....
१४८	सलाहमोहलिकसेमुसल्लह होकर बलवहकरना	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	कैदसेहसाला दोनोंकिस्मों मेंसे एककिस्मकीया जुर्माना या दोनों	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल
१४९	अगरकोईजुर्म किसीमजमै खिलाफ़ क़ानून किसीएक शरीकसेसरज़द होतो उस	अगरउस जुर्मकेलियेगिरफ्तारीबगैरवारंट	अगरअसलजुर्मकेलिये दूजराय वारंट	अगरअसलमुजरिम जमानतपररिहा हो	ऐजन् ..	जोसज़ा असल मुजरिमकी होगी वही सज़ाहोगी	तजवीज़ मुजरिम की उस अदालतसे होगी जहांअसलजुर्म मज़कूर

१	२	३	४	५	६	७	८
	मजमैकाहर दूसरा शरीक उसजुर्मका मुजरिम मुतसव्विर होगा ॥	होसक्ती हो तोहरशरीकमजमैकी गिरफ्तारी बगैरवारट होसकेगी	जायज़होतोवारंटऔर अगर सम्मनजायज़होतो सम्मन जारी होगा	सक्ता हो तो हर शरीक मजमाभी ज़मानतपररिहा होसकेगा वर नानहीं			लायक तजवीज़हो
१५०	किसीमजमै खिलाफ़कानूनमें शामिल होनेकेलिये अशखासको उजरतपर रखना या उनसेकरारदाद करना या नौकर रखना॥	व इल्लफ़ला बिला वारंट गिरफ्तारकर सक्ताहै	उसजुर्मकेमुताबिक जिसका इर्त्तिकाब उस शख्सनेकिया होजो उजरत पररक्खागया याजिससे करारदादकिया गयाया जोनौकररक्खागया	ऐजन्	ऐज़न्	वहीसज़ा जो उस मजमै नाजायजके किसी शरीक को और उस जुर्म की पादाश में होसक्ती है जिसका इर्त्तिकाब मजमै मज़कूरकाकोईशरीक करे	ऐजन् ....
१५१	पांचयाज़ियादह शख्सोंके मजमैमें बाद इसके कि उसको मुतफ़र्रिक होनेका हुक्महोचुकाहो जानबूझकर दाखिलहोना यारहना	ऐजन् ...	सम्मन	काबिल जमानतहै	काबिल राज़ीनामानहीं है	कैदशशमाहादोनोंकिस्मोंमेंसे एककिस्म की या जुर्माना या दोनों	हरमजिस्ट्रेट

१५२	किसी सरकारी मुलाज़िम पर उसवक्त हमलाकरना याउसका मुज़ाहिम होना जबकिवह बलवह वग़ैरह को फ़रो कररहाहो	एजन् ..	वारंट	एजन् ..	एजन्	कैद सेहसाला दोनों किस्मोंमेंसे एककिस्मकी या जुर्माना या दोनो	अदालतसिशन या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल
१५३	बलवहकराने की नीयतसे किसीकी तबीअतको बदी केसाथ मुश्तअलकरना अगरबलवे का इर्त्तिकाबहो	एजन् ..	एजन् ..	एजन् ..	एजन् ..	कैदयकसालादोनों किस्मोंमेंसे एककिस्मकी य.जुर्माना या दोनों	हरमजिस्ट्रेट
	अगर बलवेकाइर्त्तिकाब न हुआहो	एजन् ..	सम्मन	एजन् ..	एजन् ..	कैदषशमाहादोनोंकिस्मोंमेंसे एककिस्मकी याजुर्माना या दोनों	एजन् ..
१५४	जमीनका मालिक यादख़ील जो बलवह वग़ैरह की ख़बर नदे	बिलावारंटगिरफ्तार नहीं करसक्ता	एजन् ..	एजन् ..	एजन् ..	एकहज़ार रुपया जुर्माना	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसीया मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल या दर्जै दोम
१५५	वहशख्स जिसके नफेकेलिये या जिसकी तरफ़से बलवह वाके हुआहो तमामत दाबीर जायज उसके रोकनेकेलिये अमलमें न लाये	एजन् ..	एजन् ..	एजन् ..	एजन् ..	जुर्माना ..	एजन् ..
१५६	उसमालिक या दख़ीलका	एजन् ..	एजन् ..	एजन् ..	एजन् ..	एजन् ..	एजन् ..

१	२	३	४	५	६	७	८
	कारिन्दा जिसके नफ़ेकेलिये बलवेका इर्त्तिकाब हुआ हो तमाम तदाबीर जायज उसके रोकनेकेलिये अमल में नलाये						
१५७	उनशख्सोंकापनाहदेना जो मजमैनाजायजके लिये उजरतपर नौकररक्खेगयेहों	बिला वारंट गिरफ्तार करसक्ताहै	सम्मन ..	काबिल जमानतहै	क़ाबिल राजीनामानहीं है	कैदयशमाहादोनोंकिस्मोंमेंसे एकक़िस्मकीया जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसीया मजिस्ट्रेटदर्जै अव्वल यादर्जै दोम
१५८ ऐक्ट ४५ सन्१८६०ई०	किसीमजमै ख़िलाफकानूनयाबलवेमें शामिल होने के लिये उजरतपर रक्खा जाना	ऐजन् ..	ऐजन्	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ....
	यामुसल्लाहोकर फिरना	ऐजन् ..	वारंट	ऐजन् ..	ऐजन् ..	कैद दोसाला दोनोंकिस्मोंमेंसे एकक़िस्मकीयाजुर्माना या दोनों	ऐजन् ..
१६०	इर्त्तिकाबहंगामा	बेवारंट गिरफ्तार नहीं करसक्ता	सम्मन	ऐजन् ..	ऐजन् ..	कैद यकमाहा दोनों किस्मोंमेंसे एक किस्मकी या सौरुपयाजुर्माना या दोनों	हरमजिस्ट्रेट

बावनहुम ॥

उन जुर्मों के बयान में जो सरकारी मुलाजिमों से सरजद या उनसे मुतअल्लिकहों ॥

१६१	सरकारी मुलाजिम यासरकारीमुलाजिमोंका उम्मैदवारहोकर किसी अमलमसबी की बाबत अम्र जायज के सिवा कोई और माबउल् एहतिज़ाज़ लेना	बेवारट गिरफ़तार नहीं करसक्ता	सम्मन	काबिल जमानतहै	काबिलराजीनामानहीं है	कैदसेहसालादोनो किस्मो में से एक किस्मकी या जुर्माना या दोनों	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेजीडसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
१६२	फ़ासिद या नाजायजवसीलोंसे सरकारी मुलाजिम पर दबावडालनेकेलियेमाबउल् एहतिजाज लेना	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..
१६३	सरकारी मुलाजिमकेसाथ रसूखजाती अमलमें लानेकेलिये माबउल् एहतिजाज लेना	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐजन् ..	कैदमहज यकसाला या जुर्माना या दोनो	मजिस्ट्रेट प्रेजीडन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
१६४	सरकारीमुलाजिमका उन जुर्मोंमें अआनत करनाजिनकीतारीफ़ पिछली मुलहकुज्जिअ्क दो दफ़ों।में मुन्द	ऐज़न् ..	ऐजन् ..	ऐज़न् ..	ऐजन् ..	कैदसेहसालादोनोंकिस्मों में से एककिस्म की या जुर्माना या दोनों	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेजीडन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जेअव्वल

१	२	३	४	५	६	७	८
	नहीं और जाखुद उसकी निस्बत वकूअमें आयें						
१६५ ऐक्ट ४५ सन १८६० ई०	सरकारीमुलाजिमकाकिसी शख्ससेजोकिसीऐसेमुआमले यामुकद्दमेमें तअल्लुकर खताहोजिसकोउससरकारी मुलाजिमनेअंजामदियाहो कोई कीमती शै बिला बदल हासिल करनी	बेवारंट गिरफ़तार नहीं करसक्ता	सम्मन ..	काबिल जमानत है	काबिल राजीनामा नहीं है	क़ैदमहज दोसाला याजुर्माना या दोनो	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल या दोम
१६६	सरकारी मुलाजिम का किसी शख्स को नुक़सान पहुंचाने की नीयत से हिदायत क़ानून से इन्हराफ़करना	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	क़ैदमहज यकसाला या जुर्माना या दोनो	ऐज़न्
१६७	सरकारी मुलाजिम का किसी शख्सको नुक़सान पहुंचानेकी नीयतसे ग़लत दस्तावेज मुरत्तब करना	ऐज़न्	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	क़ैदसेहसालादोनोंकिस्मोंमेंसेएककिस्मकीया जुर्माना या दोनों	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल
१६८	सरकारी मुलाजिमका नाजायज तौरपर तिजारत में मसरूफहोना	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	क़ैदमहज यकसाला या जुर्माना या दोनो	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जै [illegible]

१६९	सरकारीमुलाजिमकानाजायजतौरपर कोईमालख़रीदकरना या उसके लिये नीलाम में बोली बोलना	ऐजन् ..	ऐजन् :	ऐजन् ..	ऐजन् ..	क़ैदमहज़ दोसाला या जुर्माना या दोनों और ज़ब्तीमालअगरख़रीदागयाहो	ऐजन् ....
१७०	सरकारीमुलाजिम बनना	बेवारंटगिरफ़्तारकरसक्ताहै	वारंट	ऐजन् ..	ऐजन् ..	क़ैदसेह्सालादोनो क़िस्मों मेंसेएकक़िस्मकी या जुर्माना या दोनो	हरमजिस्ट्रेट
१७१	फ़रेबकीनीयत से वहलिबासपहिननाया वह निशानलिये फिरना जिसको सरकारी मुलाजिमइस्तैमालकरताहो	ऐजन् ..	सम्मन	ऐजन् ..	ऐजन् ..	क़ैददोसाला दोनोंक़िस्मों मेंसेएकक़िस्मकीया दोसौ रुपयेजुर्माना या दोनो	ऐजन् ..

बाब दहुम ॥

सरकारी मुलाजिमोंके अख्तियारात जायज़ की तहक़ीरके बयानमें ॥

१७२ सा० ४५ सन् १८६० ई०	सरकारीमुलाजिमका सम्मनयाऔर इत्तिलानामाका अपनेपासतकपहुंचनाटालदेनेकेलिये रूपोशहोजाना	बेवारंट गिरफ़्तारनहींकरसक्ता	सम्मन	काबिल जमानतहै	काबिल राज़ीनामानहीं है	क़ैदमहज़ यकमाहा या पांचसौरुपयाजुर्मानाया दोनो	हर मजिस्ट्रेट
	अगर सम्मन या इत्तिला	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	क़ैद महज़ शशमाहा या	ऐजन् ..

१	२	३	४	५	६	७	८
	नामेमे कोर्टआफ़जसटिस में असालतन् हाजिरहोने वगैरहका हुक्महो					एक हजार रुपया जुर्माना या दोनों	
१७३	सम्मनया इत्तिलानामे की तामील या उसके चस्पां कियेजाने को रोकना या जबकि वह चस्पां करदियागयाहै उसकोउखाड़ना या किसी इश्तिहारके मुश्तहरकियेजानेको रोकना	बे वारट गिरफ्तार नहीं करसक्ता	सम्मन	काबिलजमानतहै	काबिलराजीनामानहीहै	कैद महज यकमाहा या पांचसौ रुपया जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेजीडन्सी यामजिस्ट्रेटदर्जेअव्वल या दर्जेदोम
	अगर सम्मनवगैरह में कोर्टआफ़जसटिस में असालतन् हाजिर होने वगैरहका हुक्महो	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	कैद महज शशमाहा या हजार रुपया जुर्माना या दोनों	ऐजन् ..
१७४	किसीख़ासमुक़ाम में असालतन् यामुख्तारतन्हाजिरहोनेकेहुक्मजायजसे उदूल करना या वहां से बिला इजाजत चलाजाना	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन्	कैद महज यकमाहा या पांचसौ रुपये जुर्माना या दोनों	हरमजिस्ट्रेट
	अगर हुक्ममजकूरमें किसी कोर्ट आफ जसटिस में	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	कैद महज शशमाहा या एक हजार रुपया जुर्माना	ऐजन् ..

	असालतन् हाजिर होने की हिदायत हो					या दोनों	
१७५	ऐसे शख़्सका किसी सरकारी मुलाज़िम के हुज़ूरमें किसी दस्तावेज़के पेश करनेसे अमदन् बाज़रहना जिस पर उस दस्तावेजका पेश करना या हवाले करना कानूनन् वाजिबहै	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	कैदमहज़ यकमाहा या पाचसौ रुपया जुर्माना या दोनों	बरिआयत अहकाम बाब ३५ उसअदालतमें जुर्मकी तजवीज होगी जहां जुर्म का इर्तिकाब हो और अगर जुर्म मज़कूर का इर्तिकाब किसी अदालतमें नहुआ हो तो जुर्मकी तजवीज मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोमकरेगा
ऐक्ट ४५ सन् १८६० ई०	अगर दस्तावेज मज़कूरको किसी कोर्टआफ जस्टिसमें पेशकरना या हवाले करना जरूर हो	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	कैदमहज़ शशमाहा या एक हज़ार रुपया जुर्माना या दोनों	ऐज़न्
१७६	ऐसे शख़्सका अमदन्सरकारी मुलाज़िम को इत्तिला या ख़बरदेने को तर्क करना जिसपर इत्तिला या ख़बरदेनी क़ानूनन् वाजिबहै	ऐज़न्	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	कैदमहज़यकमाहा या पांच सौरुपये जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम

१	२	३	४	५	६	७	८
	अगर इत्तिलाया ख़बरमतलूबा किसीजुर्मके इर्तिकाबसे मुतअ़ल्लिकहो	बेवारट गिरफ़्तारनहीं करसक्ता	सम्मन	काबिल ज़मानत है	काबिल राज़ीनामा नहीं है	क़ैदमहज़षषमाहा या एक हज़ार रुपया जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेटप्रेज़ीडन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
१७७	जानबूझकरकिसीसरकारी मुलाज़िमको झूठी ख़बर देनी	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..
	अगर ख़बरमतलूबा किसी जुर्मवग़ैरह के इर्तिकाब से मुतअ़ल्लिकहो	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..	क़ैद दोसाला दोनोंकिस्मोंमेंसे एक किस्मकी या जुर्माना या दोनों	ऐज़न ..
१७८	हलफ़उठानेसे इन्कार करना जब कोई सरकारी मुलाज़िम हलफ़ उठानेका बाज़ाबते हुक्मदे	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..	क़ैदमहज़ षषमाहा या एक हज़ार रुपये जुर्माना या दोनों	बरिआ़यत अहकाम बाब ३५ जुर्मकी तजवीज़ उसी अदालतमें होगी जहां जुर्म मज़कूर का इर्तिकाब हुआ हो या अगर जुर्मका इर्तिकाब किसी अदालत में न हुआ हो तो जुर्म की तजवीज मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोमकरेगा

१७९ ऐक्ट ४५ सन् १८६० ई०	बावस्फ़ इसके कि सच बयान करना एकशख़्सपर क़ानूनन् वाजिबहै उसका सवालातके जवाब देनेसे इनकार करना	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..
१८०	बयानपरजो किसी सरकारीमुलाज़िमके रूबरू किया गयाहो दस्तख़तकरने से इनकार करना जबकिबत रीक़जायज़ दस्तख़त करने का हुक्मदियाजाय	"	"	"	"	कैदमहज़ छेहमाहा या पांचसौरुपया जुर्माना या दोनो	ऐज़न्
१८१	सरकारी मुलाज़िमके रूबरू अमदन् बहलफ़ झूठ को सचबयान करना	"	"	"	"	कैदसेहसालादोनोंक़िस्मो मेंसे एक क़िस्म की या जुर्माना या दोनो	अदालत सिशन या मजिस्टेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
१८२	किसीसरकारीमुलाज़िमको इसग़रज़्सेझूठी ख़बरदेनी कि वह अपना अख़्तियार जायज़ किसी और शख़्स को नुक़सान या रंज पहुंचाने के लिये नाफ़िज़् करे	सम्मन	"	"	"	कैदशशमाहादोनो क़िस्मो मे से एकक़िस्मकी या एक हज़ार रुपया जुर्माना या दोनो	मजिस्टेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दोम

१	२	३	४	५	६	७	८
१८३	किसी मालके लिये जाने में जो किसी सरकारी मुलाजिम के अख़्तियार जायज़ की रूसे लियाजाता हो तअर्रुज़ करना	बेवारंट गिरफ़्तारनहीं करसक्ता	सम्मन	काबिल,जमानत है	काबिल राज़ीनामा नहीं है	कैद छःमाहा दोनों किस्मों मेंसे एककिस्मकी या एक हज़ार रुपया जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दोम
१८४	किसी मालके नीलाम में जो किसी सरकारी मुलाज़िमके अख़्तियार जायज़की रूसे नीलामपर चढ़ाया गया हो मुज़ाहिम होना	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न	कैद यकमाहा दोनों किस्मोंमेंसे एककिस्मकी या पांचसौ रुपया जुर्माना या दोनों	ऐज़न
१८५ ऐक्ट४५सन्१८६०ई०	ऐसेमालकेलिये जो अख़्तियार जायज की रूसे नीलामपर चढ़ाया गयाहो उस शख़्स का बोलीबोलना जो उसके ख़रीदने से कानूनन माज़ूरहै या बिला कस्द तामील उन शरायत के जोउस बोली बो	"	"	"	"	कैदयक माहा दोनों किस्मों मेंसे एककिस्मकीयादोसौ रुपया जुर्माना या दोनों	"

	लने से उस पर वाजिबुल तामील होंगी बोलीबोलना						
१८६	लवाज़िम मन्सबी की अंजामदिही में सरकारी मुलाजिम को मज़ाहिमत करनी	ऐजन् ..	ऐजन् .	ऐजन् ..	ऐजन् .	कैद सेहमाहादोनोंक़िस्मो में से एककिस्मकीयापाच सौ रुपयाजुर्माना या दोनो	ऐजन् ..
१८७	सरकारी मुलाज़िम के मदद देनेको तर्क करना जब कि कानून की रूसे मदद देनी वाजिब हो ॥	"	"	"	"	कैद महज़ यकमाहा या दोसौरुपयेजुर्माना या दोनो	"
१८८	सरकारी मुलाज़िमको जो तामील हुक्मनामे या इन्सदाद जरायम वग़ैरह में मदद तलबकरे मदद देने में अमदन ग़फ़लत करनी	"	"	"	"	कैदमहजशशमाहा या पचसौरुपयाजुर्माना यादोनों	"
१८९	सरकारी मुलाजिम के बाज़ाब्ता मशहूर कराये हुये हुकमसे उदूल करना अगर ऐसी उदूलहुकमी उन अशखासकी जोकिसीकार जायज में मसरूफ हों	"	"	"	"	कैदमहज़ यकमाहा या दोसौ रुपयः जुर्माना या दोनो	"

१	२	३	४	५	६	७	८
	मज़ाहिमत या रजयानुक्सान पहुंचाये अगर ऐसी अदूल हुक्मी इन्सानकी जान यातन्दुरुस्ती या अमन वग़ैरह को ख़तरा पहुंचाये	बिलावारंटगिरफ्तार नहीं करसक्ता	सम्मन	काबिल लकमानत है	काबिल राजीनामा नहीं है ॥	कैद शशमाहा दोनों किस्मों में से एकक़िस्मकी या एक हज़ार रुपये जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
१८९	सरकारी मुलाज़िम को कोई मंसबीअमल करने या उसके करने से बाजरहने की तरग़ीब देने के लिये खुद उसको या किसी दूसरे शख्सको जिससे वह सरकारी मुलाज़िम तअल्लुक रखता हो नुक्सान पहुंचनेकी धमकी देनी	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न .	कैद दो साला दोनों किस्मों में से एक किस्मकी या जुर्माना या दोनों	″
१९० ऐक्ट४५सन्१८६०ई०	किसी शख्सको इसनीयत से धमकी देनी कि वह किसी नुक्सानसे महफूज रहनेकी दरख्वास्त नायज़के गुज़राने से बाज़ रहे	″	″	″	″	कैद यकसाला दोनों किस्मोंमेंसे एक किस्मकी या जुर्माना या दोनों .	″

बाबयाज़दहुम
झूठी गवाही और जरायम मुख़ालिफ़ मादिलत आम्मैके बयान में

१९३	अदालतकी किसी काररवाईमें झूठी गवाही देनी या बनानी	बिलावारंट गिरफ़्तार नहीं करसक्ता	वारंट	काबिल जमानत है	काबिल राजीनामा नहीं है	कैद हफ्त साला दोनों किस्मोंमेंसे एक किस्मकी और जुर्माना	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेसीडेंसीया मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
	किसी और हालतमेंझूठी गवाहीदेनी या बनानी	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	कैदसेहसालादोनों किस्मोंमें से एक किस्मकी और जुर्माना	ऐज़न्
१९४	किसी शख़्सको जुर्मकाबिल सजाय मौतका मुजरिमसाबित कराने की नीयत से झूठी गवाहीदेनीया बनानी	=	=	काबिल जमानत नहीं है	=	हब्स दवाम बउबूर दरियायशोर या कैद सख्त [illegible] साला और जुर्माना।	अदालत सिशन
	अगर इसझूठी गवाहीदेने या बनाने के सबब शख़्स बेगुनाह मुजरिम साबित होकर सजाय मौत पाजाय	=	=	=	=	मौत या सजाय म[illegible] [illegible]	ऐज़न् ..
१९५	जुर्म काबिलसजाय हब्स दवामी बउबूर दरियाय शोर या कैद जायद अज हफ़्तसाला के साबितक	=	=	=	=	वहीसजाजो उसजुर्म के लिये मुकर्रर है	=

१	२	३	४	५	६	७	८
	रानेकी नीयत से झूठी गवाही देनी या बनानी						
१९६ ऐक्ट ४५ सन् १८६० ई०	अदालत की किसी कारर्वाई में ऐसी वजहसबूत को काम में लाना जिसके झूठ या बनाई हुई होने का इल्म हो	बिलावारंटगिरफ्ता नहीं करसक्ता	वारंट	अगर उसगवाही देनेका जुर्म जमानतके काबिलहो तो ऐसी वजहसबूत काममें लाने वाला जमानतपर रिहा किया जायेगा व इल्ला फला	काबिल राजी नामा नहीं है	वही सजा जो झूठी गवाही देने या बनानेकी पादाशमें मुक़र्रर हुई है	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
१९७	जानबूझकर ऐसा झूठा सार्टीफ़िकट जारी करना या उसपर दस्तख़त करना जो किसी ऐसे अम्र वाकई से मुतअल्लिक हो जिसकी वजह सबूतमें वह सार्टीफ़िकट कानूनन् लेलिये जानेके लायक़ है	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	काबिल जमानत है	ऐज़न् ..	ऐज़न्	ऐज़न् ..

१९८	ऐसेसार्टीफ़िकटको जिस का किसी अम्र अहम की बाबत झूठहोना मालूम हो सच्चेसार्टीफ़िकटकीहैसियत से काममें लाना	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्
१९९	किसी इजहार में जो कानूनकी रूसे वजह सबूत कीतौरपर लिये जाने के लायकहै झूठ बयानकरना	"	"	"	"	"	"
२००	झूठजाने हुये किसी ऐसे इजहार को सच्चेइजहार कीहैसियतसेकाममें लाना	"	"	"	"	"	"
२०१	मुजरिम को बचाने के लिये इर्त्तिकाब कियेहुये किसीजुर्मकी वजह सबूत को ग़ायबकरादेना या उस की निस्बतझूठी खबरदेनी जबकि जुर्म मजकूर काबिलसजाय मौतहो	"	"	"	"	कैदहफ़्तसाला दोनो क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्म की और जुर्माना	अदालत सिशन
	जबकि मुस्तौजिब हब्स दवामी बउबूरदरियायशोर	"	"	"	"	कैदसेहसालादोनोंक़िस्मोंमें सेएकक़िस्मकीऔरजुर्माना	ऐजन् या मजिस्ट्रेट प्रेजीडेन्सीया मजिस्ट्रेट

१	२	३	४	५	६	७	८
सेक्ट ४५ सन् १८६० ई०	याकैदइहसालाहो जबकि मुस्तैजिब कैद कम अज़दह साला हो	बे वारंट गिरफ्तार नहीं करसक्ता	वारंट	काबिल जमानतहै	काबिल राज़ीनामा नहीं है	उस क़िस्मकी कैदकीसजा जोउस जुर्मकी पादाश में मुकर्ररहै और उसकी मीआद उसकैद की बड़ी से बडी मीआद की एक चौथाई होगी या जुर्माना यादोनों	दर्जै अव्वल मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल यावह अदालत जो उस जुर्मकी तजवीज करनेकी मजाज़ है
२०२	ऐसेशख़सका कसदन्किसी जुर्मकी ख़बर देनेसे बाज रहनाजिसपर ख़बर देनी कानूनन् वाजिबहो	ऐज़न् ..	सम्मन	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	कैदशशमाहा दोनोंकिस्मों मेंसे एककिस्मकी या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेन्सी यामजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल या दर्जै दोम
२०३	किसीजुर्मसरज़दहोनेकीनिस्बत झूठी खबर देनी	"	वारंट	"	"	कैददोसाला दोनों किस्मों मेंसेएककिस्मकी या जुर्माना दोनों	ऐज़न्
२०४	वजह सबूतके तौरपर किसी दस्तावेज के पेशकिये जानेको रोकदेने के लिये उसमख़फ़ीया जाया करना	"	ऐज़न् ..	"	"	ऐज़न् ..	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल
२०५	किसीमुक़द्दमे दीवानी या फ़ौजदारीमें किसी अम्रया	"	"	"	"	कैदसेहसालादोनोंकिस्मों मेंसेएककिस्मकी या जुर्मा	अदालत सिशन या मजिस्टेट प्रेज़ीडेन्सी या

						ना या दोनों	मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
२०६	अमलदरामद के लिये या हाज़िरज़ामिन या मालजामिनहोंजानेके लिये झूठ मूठकोई और शख़्सबनना किसीमालका फ़रेबन्लेजाना यामख़फ़ीकरना वग़ैरह ताकिजब्ती के तौरपर या किसी हुकम सजाके मुताबिक जुर्मानेके एवज़में या किसी डिकरीकी तामीलमें उसका कुर्क कियाजाना रुकजाय	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	कैददोसालादोनोंकिस्मों मेंसेएककिस्म कीयाजुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी यामजिस्ट्रेटदर्जे अव्वल या दर्जे दोम
२०७ ऐक्ट ४५ सन् १८६० ई०	बदनीयतसे किसी मालका बिला इस्तेहकाकदावीदार होना या उसके किसीहक़ की निस्बत मुग़ालता दिही अमलमें लाना कि जबकि तौरपर या किसीहुकमसजा के मुताबिकजुर्मानेके एवज़ मेंया किसीडिकरीकी तामीलमें उसकाकुर्क कियाजाना रुकजाय	"	"	"	"	"	"

१	२	३	४	५	६	७	८
२०८	गैरवाजिब रुपयेके लिये फरेबन् डिक्री सादिर होने देना या बादवसूलहोजाने मतालिबेके डिक्री का इज राय होनेदेना	बेवारंटगिरफ़्तारनहीं करसक्ता	वारंट	काबिल जमानत है	काबिलराजीनामा नहींहै	कैददोसाला दोनों किस्मों मेंसे एककिस्मकी या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी यामजिस्ट्रेट दर्जेअव्वल
२०९	किसीकोर्ट आफजस्टिसमें झूठदावा करना	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	कैद दोसाला दोनोकिस्मो मेंसे एक किस्म की और जुर्माना	ऐजन् ..
२१०	गैरवाजिब रुपयेके लियेफरेबनडिगरी हासिलकरना या बाद वसूल मुतालिबे के डिगरी का इजराकरना	,,	,,	,,	,,	कैददोसाला दोनोंकिस्मो मेंसे एक किस्मकी या जुर्माना या दोनों	,,
२११	नुक़सान पहुंचाने की नीयत से जुर्म का झूठ इल्जाम लगाना	,,	,,	,,	,,	,,	,,
	× अगर वह जुर्म जिसका इल्जाम लगायाजाय ऐसा जुर्महो जो ७ सात बरसकी क़ैदकी सज़ाकेलायकहो	,,	,,	,,	,,	कैदहफ़्तसाला दोनों किस्मोंमें से एककिस्म की और जुर्माना	अदालत सिशन या प्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेट यामजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल ×

×—× यह हिस्सा दफ़ा २११ का ऐक्ट १० सन् १८९६ ई० की दफ़ा १७—की रूसे बढाया गया है—

	अगर वह जुर्म जिसका दावा कियाजाय काबिल सजाय मौत या हब्स दवाम बउबूर दरियाय शोर या कैद जायदअज़ हफ्तसाला हो	ऐजन् ..	ऐजन्	ऐजन् ...	ऐजन्	ऐजन् ..	अदालत सिशन
२१२ ऐक्ट ४५ सन १८६० ई०	पनाहदिही मुजरिम अगर जुर्म काबिल सजाय मौतहो	बेवारंटगिरफ्तारकरसक्ताहै	,,	,,	,,	कैद पंजसाला दोनो किस्मोंमेसे एक किस्मकीऔर जुर्माना	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
	अगर काबिल सजाय हब्स दवाम बउबूर दरियाय शोर या कैददहसालाहो	,,	,,	,,	,,	कैद सेहसाला दोनों किस्मों में से एक किस्म की और जुर्माना	ऐजन् ....
	अगर काबिल सजाय कैद यकसाला हो न कैददहसाला	,,	,,	,,	,,	उस किस्मकी कैदकी सजा जो उस जुर्म की पादाशमें मुकर्ररहै और उसकी मीआद उस कैदकी बड़ी से बड़ीमीआदकी एकचौथाई तक होसक्तीहै या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या वह अदालत जो उस जुर्म को तजवीज़ को मजाज है
२१३	मुजरिम को सज़ासे बचानेके लिये सुलह वग़ैरह का	बेवारंटगिरफ्तार नहींकरसक्ता	,,	,,	,,	कैद हफ्तसाला दोनों किस्मोंमेसे एककिस्मकी और	अदालत सिशन

१	२	३	४	५	६	७	८
	लेना अगर जुर्म काबिल सज़ाय मौतहो					जुर्माना	
	अगर काबिल सज़ायहब्सदवाम बउबूर दरियाय शोर या कैद दहसालाहो	बेवारंटगिरफ्तार नहींकर सक्ता	वारंट	काबिल जमानतहै	काबिल राजीनामा नहीं है	कैदसेहसालादोनों किस्मोंमेंसे एकक्रिस्म की और जुर्माना	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसीया मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल
	अगर काबिल सजाय कैद कम अजदहसालाहो	ऐजन ..	ऐजन ..	ऐजन ..	ऐजन ..	उसकिस्मकीकैदकी सजा जो उसजुर्मकी पादाश में मुकर्ररहै और उसकी मीआद उसकैद की बड़ी से बड़ीमीआदकी एकचौथाई तकहोसक्तीहै या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेटप्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल यावह अदालत जो उस जुर्म की तजवीज की मजाज़ है
२१४	कोई शख्स सुलहदेता-कि इस ज़रिये से मुजरिमके बचानेके एवज माल वापिस कियाजाय अगर जुर्मकाबिलसजाय मौतहो	,,	,,	,,	,,	कैद हफ्तसाला दोनों किस्मों में से एक किस्मकी और जुर्माना	अदालत सिशन
ऐक्ट ४५ सन् १८६०ई०	अगर काबिलसजाय हब्सदवाम बउबूर दरियाय शोर या कैददहसाला हो	,,	,,	,,	,,	कैदसेहसालादोनोंकिस्मोंमेसे एक किस्म की और जुर्माना	ऐजन या मजिस्ट्रेटप्रेजीडेन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जैअव्वल
	अगर काबिल सजाय कैद	,,	,,	,,	,,	उसकिस्मकी कैदकी सजा	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी

	कम अज़दहसालाहो					जो उस जुर्मकी पादाशमें मुकर्ररहै और उसकी मीआदउसकैद की बडी से बडीमीआद की एक चौथाई तक होसक्ती है या जुर्माना या दोनों	या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या वह अदालत जो जुर्मकी तजवीजकी मजाज़है
२१५	मुजरिम को बग़ैर गिरफ़्तारकराये माल मनकूला के बाजयाफ़्तमें मददकरनेकेलिये उसशख्स से सिलहलेना जोउसमालसे किसीजुर्मके सबब महरूम कियागयाहो	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	कैददो साला दोनोंकिस्मोंमें से एक किस्म की या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
२१६	ऐसेमुजरिमको पनाहदेनी जो हिरासत से भागाहो या जिसकी गिरफ्तारी काहुकम होचुकाहो अगर जुर्मकाबिलसजाय मौतहो	बेवारंटगिरफ़्तारकरसक्ताहै	”	”	”	कैद हफ्त साला दोनों किस्मोंमेंसे एक किस्मकी और जुर्माना	अदालतसिशन या मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
	अगर काबिल सजाय हब्स दवाम बउबूरदरियायशोर याकैद दहसालाहो	”	”	”	”	कैदसेहसाला दोनोंकिस्मोंमेंसे एक किस्मकी मैं या बिला जुर्माना	ऐजन्
	अगर काबिलसजाय कैद	“	”	”	”	उसकिस्मकी कैदकीसजा	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी

१	२	३	४	५	६	७	८
	यकसाला हो न कैद दह साला					दीजायगी जो उसजुर्म की पादाश में मुकर्रर है और उसकी मीत्र्याद उसकैदकी बड़ीसे बड़ी मीत्र्यादकोएक चौथाईतक होसक्तीहै या जुर्माना या दोनों	या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल य' वह अदालत जो तजवीज जुर्म की मजाज है
२१७	सरकारी मुलाजिम जोकिसी शख्स को सजा से या मालको जब्तीसेबचानेकी नीयत से हिदायत कानून से इनहराफकरे	बे वारंट गिरफ्तार नहीं करसक्ता	सम्मन	काबिलजमानत है	काबिल राजीनामानहीं है	कैददोसाला दोनों किस्मोंमेंसे एककिस्मकी या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसीया मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
२१८ ऐक्ट ४५ सन् १८६० ई०	सरकारीमुलाजिम जो किसी शख्सको सजा से या मालको जब्तीसे बचानेकी नीयतसे गलत कागज सरिश्तह या नविश्ता मुरत्तिबकरे	ऐज़न् ..	वारंट	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	कैद सेहसाला दोनों किस्मों मेंसे एक किसम की या जुर्माना या दोनों	अदालत सिशन
२१९	सरकारीमुलाजिम जो अदालतकी कार्रवाईमें ऐसा हुक्मदे और सुनाये या ऐसी कैफ़ियत या तजवीज़	"	"	"	"	कैद हफ्तसाला दोनो किस्मोंमें से एक किसम की या जुर्माना यादोनों	ऐज़न्

	या फैसला मुरत्तिब करे जिसेवह कानून के खिलाफ़ जानताहो						
२२०	शख्स मजाज का किसी को तजवीज जुर्म या कैद के लिये सिपुर्द करना दरहाले कि वह जानता हो कि मैं यहअम्र खिलाफ़ कानून करताहूं	ऐज़न् ..	ऐज़न्	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..
२२१	कसदन् तर्क गिरफ्तारी उस सरकारी मुलाजिम की तरफ़से जिसपर किसी मुलजिम का गिरफ्तारकरना कानूनन् वाजिब हो अगर वह जुर्म काबिल सजाय मौतहो	,,	,,	,,	,,	कैदहफ्तसाला दोनोंकिस्मोंमेंसे एककिस्मकी मैजुर्माना या बिलाजुर्माना	,,
	अगर काबिल हब्स दवाम बउबूर दरियाय शोर या कैददहसालाहो	,,	,,	,,	,,	कैदसेहसालादोनोंकिस्मोंमेसेएककिस्मकीमै जुर्माना या बिलाजुर्माना	ऐजनयामजिस्ट्रेटप्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
	अगर काबिल कैद कमअज़दहसालाहो	,,	,,	,,	,,	कैद दोसाला दोनो किस्मो मेंसे एककिस्मकी मै जुर्माना या बिलाजुर्माना	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम

१	२	३	४	५	६	७	८
२२२	क़सदन् तर्क गिरफ्तारी उससरकारी मुलाजिमकी तरफसे जिसपर क़ानूनन् किसी ऐसे शख्सका गिरफ्तारकरना वाजिबहै जिसकी निस्बत किसी कोर्ट आफजस्टिसने हुक्मसजा सादिर कियाहो अगरस जायमौतकाहुक्म सादिर होचुकाहो	बेवारट गिरफ्तार नहीं करसक्ता	वारट	क़ाबिल ज़मानत नहीं है	क़ाबिल राज़ीनामा नहीं है	हब्स दवाम बउबूर दरियायशोर याक़ैद चहारदह सालह दोनो क़िस्मोंमें से एकक़िस्म की मैजुर्माना या बिलाजुर्माना	अदालत सिशन
संकट४५सन्१८६०ई०	अगर सज़ाय हब्स दवाम बउबूर दरियाय शोर या मशक्कत ताजीरी दवामी या सज़ायहब्स बउबूर दरियायशोर या क़ैद या मशक्कत ताजीरी बहालत क़ैद तामीआद दहसाला या जायद अज़ दहसाल का हुक्म सादिर होचुकाहो	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	क़ैद हफ्तसाला दोनों किस्मोंमेंसे एक क़िस्म की मै.जुर्माना या बिलाजुर्माना	ऐज़न् ..

	अगर बजाय कैदकमअज़दहसालाका हुक्मसादिरहोचुकाहो यावहबतौरीकजाय ज़हिरासतमें कियागयाहो	ऐज़न ..	ऐज़न ..	काबिल जमानत है	ऐज़न ..	कैदसेदहसालादोनोंकिस्मोंमेंसे एककिस्मकीया जुर्माना या दोनो	ऐज़न या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जेअव्वल
२२३	सरकारी मुलाजिम का गफलतन किसीको हबससे भागजानेदेना	,,	सम्मन	,,	,,	कैदमहज दोसाला या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेटप्रेज़ीडेन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
२२४	किसी शख्सका अपनी गिरफ्तारी जायज़ में तअर्रुज़ या मज़ाहमत करना	बेवारंटगिरफ्तारकरसक्ताहै	वारंट	,,	,,	कैद दोसाला दोनोंकिस्ममेंसेएककिस्मकी या जुर्माना या दोनो	ऐज़न ..
२२५	दूसरे शख्स की गिरफ्तारी जायज़ में तअर्रुज़ या मज़ाहमतकरना या उसको हिरासत जायज़ से छुड़ा लेना	,,	,,	,,	,,	ऐज़न	,,
	अगर शख्समजकूरपर ऐसे जुर्मका इलज़ामलगायागयाहो जिसकी सज़ा हबस दवामबउबूर दरियायशोर या कैद दहसालाहो	,,	,,	काबिल जमानत नहीं है	,,	कैदसेदहसालादोनो किस्मोमेसे एक किस्म की और जुर्माना	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेटप्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेटदर्जेअव्वल
	अगर ऐसेजुर्मका इलज़ाम लगाया गयाहो जिसकी	,,	,,	,,	,,	कैदहफ्तसाला दोनों किस्मोंमेंसे एककिस्मकी या	अदालत सिशन

१	२	३	४	५	६	७	८
	सज़ा मौत है					जुर्माना	
	अगर उसकी निस्बत हुक्म सजाय हब्स दवाम बउबूर दरियायशोर या हब्स बउबूर दरियाय शोर यामअक़्क़ततालीरीबाहालत क़ैद या क़ैद दहसालह या जायद अज़दहसाल सादिर हुआ हो	बेवारंट गिरफ़्तारकरसक्ता है	वारंट	क़ाबिल ज़मानत नहीं है	क़ाबिल राज़ीनामा नहीं है	ऐज़न् ..	अदालतसिशन
	अगर उसकी निस्बत हुक्म सजायमौत सादिरहो चुकाहो	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	हब्स दवाम बउबूर दरियायशोर या क़ैददहसाला दोनोंकिस्मोंमेंसेएक किस्म की और जुर्माना	ऐज़न् ....
ऐक्ट४५सन्१८६०ई० X २२	ऐसी सूरतों में सरकारी मुलाज़िम की तरफ से तर्क गिरफ़्तारी या भागजानेदेना जिनकीनिस्बत किसीऔर तरहकाहुक्म नहो	,,	,,	,,	,,	ऐज़न् ..	,, ..
(अलिफ)	(अलिफ) कस्दन् तर्क गिरफ़्तारी या भागजानेदेने की सूरतमें	बिदून वारंट गिरफ़्तार नहीं करसक्ता है	,,	काबिल ज़मानत है	,,	दोनों किस्मोंमेंसेकिसीकिस्मकीक़ैदकी सजाजिसकी मीआद तीनबरसतक हो	अदालत सिशन या प्रेज़ीडेन्सी मजिस्ट्रेट यामजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल

	(बे) गफलतन तर्क गिरफ़्तारी या भागजानेदेने की सूरतमें	ऐजन ..	सम्मन	ऐजन ..	ऐजन ..	सक्तीयाजुर्मानाकी सज़ा या दोनोसजायें कैदमहज जिसकी मीआद दोबरसतक होसक्ती है या जुर्माना या दोनों	प्रेज़ीडेन्सी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जेदोम
× २२५ (अ)	ऐसी सूरतों में जवाजन गिरफ़्तार किये जाने में तअर्रुज या मजाहमत या भागजाना या छुड़ालेनाजिनकीनिस्बतकिसीऔरतरहकाहुक्मनहो	बिदून वारंट गिरफ्तार कर सक्ताहै	वारंट	,,	,,	दोनोंकिस्मोमेसे किसी किस्मकीकैदकीसजा जिसकी मीआद छ:महीनेतकहो सक्तीहै याजुर्मानायादोनो	ऐजन ..
२२६	हब्सबउबूर दरियाय शोर से ख़िलाफ़ क़ानूनमुआविदतकरना	,,	,,	काबिल जमानत नहीं है	,,	हब्सदवामबउबूर दरियायशोर औरजुर्माना और दरियायशोरकेपारउतारेजाने से पहिले कैद शदीद से हसाला	अदालतसिशन
२२७	मुखालिफतशर्त्तमुआफीसजा	ऐजन ..	ऐजन ..	ऐजन ..	ऐजन ..	वहीसजाजिसकाहुक्म उसकी निस्बत पहिलेसादिर हुआहो या अगरकोईजुज़वसजाभुगतचुकाहोतोबकीया	तजवीज उस महकमे में होगी जिसमें असलजुर्मकीतजवीजहुईहो
२२८	कसदन सरकारीमुलाजिम	बेवारंटगिरफ्	सम्मन	काबिल जमा	,,	कैद महज शशमाहा या	बतबैअत शरायत मु

× दाखिलजात दफ़ात २२५ (अलिफ) व २२५ (बे) ऐक्ट १० सन १८८६ ई० की दफा १८ की रूसे साबिक इबारतकी जगह क़ायम कियगये हैं—

१	२	३	४	५	६	७	८
ऐक्ट४५सन्१८६०ई०	की तौहीनकरनीयाउसका हारिज होना जबकि वह अदालतकी काररवाई की किसीनौबतमें इजलासकर रहाहो	तार नहीं कर सक्ता		नतहै		एक हजार रुपया जुर्माना या दोनों	न्दवीं बाब ३५ उस मह कमे में तजवीज होगी जहांवकूअ जुर्म हुआहो
२२९	अहलजूरी या असेसरबनना	ऐजन् ..	सम्मन	ऐजन् ..	काबिल राजी नामानहीं है	कैददोसाला दोनों किस्मों मेंसे एक किस्मकी या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेन्सी यामजिस्ट्रेटदर्जेअव्वल

बाबदुवाज़दहुम ॥

उनजुर्मों के बयान में जो सिक्का और गवर्नमेंटइस्टाम्प से मुतअल्लिक़हैं ॥

२३१	सिक्केकीतलबीसकरनीया उसकी तलबीस के अमल के किसी जुज्वको अंजाम देना	बे वारंट गिरफ्तार कर सक्ता है	वारंट	काबिल जमानत नहीं है	काबिल राजी नामानहीं है	कैद हफ्तसाला दोनों किस्मोंमेंसे एक किस्मकी और जुर्माना	अदालत सिशन
२३२	मलिकामुअज्जिमा के सिक्केकी तलबीसकरनी या उसकी तलबीस के अमल का कोईजुज्व अंजामदेना	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन्	ऐजन् ..	हब्सदवाम बउबूर दरियायशोर या कैददहसाला दोनों किस्मों मेंसे एक किस्म की और जर्माना	ऐजन्

२३३	सिक्के की तल्बीसकीगरज से औज़ारका बनाना या खरीदना याफ़रोख्तकरना	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	क़ैदसेहसालादोनोंकिस्मों मेंसे एक किस्म की और जुर्माना	ऐजन् या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल
२३४	तल्बीससिक्कामलिकामुअज्जिमाकी गरजसे औज़ार काबनाना या खरीदनाया फरोख्तकरना	,,	,,	,,	,,	क़ैदहफ्तसाला दोनोंकिस्मोंमेंसेएक किस्मकी और जुर्माना	अदालत सिशन
२३५ ऐक्ट४५सन्१८६०ई०	तल्बीस सिक्काके काम में लाने की गरजसे औज़ार या सामान का पासरखना	,,	,,	,,	,,	क़ैदसेहसालादोनों किस्मों में से एक किस्मकी और जुर्माना	ऐजन् या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी यामजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल
	अगर वहसिक्कामलिकामुअज्जिमाका सिक्काहो	,,	,,	,,	,,	क़ैद दहसाला दोनों किस्मों मेंसे एक किस्मकी और जुर्माना	अदालत सिशन
२३६	बृटिषइन्डियामें रहकर तल्बीससिक्कामें जोबृटिषइन्डियाके बाहर होती हो अआनत करना	,,	,,	,,	,,	वहीसजाजोतल्बीससिक्के मजकूर की ऐसी अआनत केलिये मुकर्रर है जो बृटिषइन्डियाकी हुदूद के अंदर हुई हो	ऐजन् ..
२३७	मुल्तबिससिक्काकोयहजानकर कि वह मुल्तबिसहै अंदरलाना याबाहरलेजाना	,,	,,	,,	,,	क़ैदसेहसाला दोनोंकिस्मों मेंसे एक किस्म की और जुर्माना	ऐजन्यामजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसीयामजिस्ट्रेटदर्जैअव्वल
२३८	मलिका मुअज्जिमा के सि	,,	,,	,,	,,	हब्सदवाम बउबूर दरिया	अदालत सिशन

१	२	३	४	५	६	७	८
	क्केसे मुलतबिससिक्कोंको यह जानकर कि वह मुलतबिसहै अंदरलाना या बाहर लेजाना					य थोरयाकैद दहसाला दोनोंकिस्मोंमेंसेएककिस्मकी और जुर्माना	
२३९	जिस मुलतबिस सिक्केको कबजेमेंलेतेवक्त जाना हो कि यह मुलतबिसहै उसे रखना या किसी और शखसके हवालेकरना वग़ैरह	बे वारंट गिरफ्तार कर सक्ता है	वारंट	काबिल जमानत नहीं है	क़ाबिलराजीनामानहीं है	कैद पनसाला दोनों किस्मोंमेंसे एककिस्म की और जुर्माना	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसीया मजिस्ट्रेट दर्जेअव्वल
२४०	वहीजुर्म बनिसबत सिक्के मलिकामुअ़ज्जिमाके	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..	कैद दहसाला दोनों किस्मोंमें से एक किस्म की और जुर्माना	ऐज़न ..
२४१	ऐसेसिक्केको असलीसिक्के की हैसियत से जानबूझ कर किसी और के हवाले करना जिसको हवालाकरनेवालेने पहिले कब्जेमें लेतेवक्त न जानाहो कि यह मुलतबिस है	"	"	"	"	कैददोसाला दोनोंकिस्मों मेंसे एककिस्मकी या जुर्माना बक़दर दहगुना कीमत सिक्केमुलतबिस के या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
२४२	उस शख्स का मुलतबिस सिक्केको पासरखना जिस	"	"	"	"	कैदसेहसाला दोनों किस्मों मेंसे एक किस्म	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेजीडेन्सी

	ने उसे कब्जे में लेतेवक्त जानलिया हो कि यह सिक्का मुल्तबिस है					की और जुर्माना	यामजिस्ट्रेटदर्जे अव्वल
२४३ ऐक्ट४५सन्१८६०ई०	उसशख्सका मलिका मुश्र ज्जिमाकेसिक्केसे मुल्तबि ससिक्के को पास रखना जिसने उसे कब्जेमें लेते वक्त जानलिया हो कि यह सिक्का मुल्तबिस है	ऐजन ..	ऐजन ..	ऐजन ..	ऐजन ..	कैदहफ्तसाला दोनों किस्मों में से एक किस्मकी और जुर्माना	ऐजन ..
२४४	जो लोगकिसी टकसाल में मामूर होकर सिक्केकेवज़न व तरकीबमुश्रय्यना कानूनसे मुख्तलिफ़ वज़न या तरकीब का होजाने के बाअसहों	”	”	”	”	ऐजन ...	अदालत सिशन
२४५	जरबसिक्काकेऔज़ारको नाजायज़तौरपर किसी टकसाल से लेजाना	”	”	”	”	”	ऐजन ..
२४६	फ़रेबसेकिसीसिक्केकावजन घटाना या उसकी तरकीब बदलनी	”	”	”	”	कैदसेहसाला दोनो किस्मों मेंसे एक किस्म की और जुर्माना	ऐजन या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल

१	२	३	४	५	६	७	८
२४७	फरेबसे मलिकामुअज्जिमाके सिक्केका वज़न घटाना याउसकी तरकी बबदलनी	बेवारंट गिरफ्तार करसक्ता है	वारट	काबिलजमानतनहीं है	काबिलराज़ीनामानहीं है	कैद हफ़्तसाला दोनों किसमेंमें से एककिस्मकीऔर जुर्माना	अदालतसिशन या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जेअव्वल
२४८	किसीसिक्केकीसूरतकोइसनीयतसे बदलना कि वह किसी औरकिस्मकेसिक्केकी हैसियत से चलजाय	एजन् ..	एजन ..	एजन् ..	एजन् ..	कैद सेहसाला दोनो किसमों मेसे एक क़िस्म की और जुर्माना	एजन्
२४९	मलिकामुअज्जिमाकेसिक्केकी सूरतकोइसनीयतसे बदलना कि वह किसीऔर क़िस्मकेसिक्केकीहैसियत से चलजाय	〃	〃	〃	〃	कैद हफ़्तसाला दोनोंकिसमों मेंसे एक किस्मकी और जुर्माना	एजन् ..
२५०	उस सिक्केका दूसरेशख्स को हवालेकरना जिसकोहवालेकरनेवालाकब्जेमें लेते वक्त जानचुकाहो कि यह मुबद्दिलहै	〃	〃	〃	〃	कैदपंजसालादोनों क़िस्मों में से एक किस्मकी और जुर्माना	एजन् ..
२५१	मलिकामुअज्जिमाकेसिक्केकादूसरेशख्सको हवालेकरनाजिसको हवालहकरनेवालाकब्जेमें लेतेवक्तजान	〃	〃	〃	〃	कैददहसाला दोनोंक़िसमोमें से एक क़िस्म की और जुर्माना	〃

	चुकाहो कि यह मुबद्दिलहै						
२५२ एक्ट४५सन् १८६० ई०	उसशख्स का मुबद्दिल सिक्केको पासरखनाजिसनेक ब्ज़ेमें लेते वक्तजानलिया हो कि यह मुबद्दिल है	ऐजन् ..	ऐजन्	ऐजन् ..	ऐजन् ..	क़ैद सेहसालादोनोंकिस्मों मेंसे एक किस्म की और जुर्माना	ऐजन् ..
२५३	उसशख्सका मलिकामुअज्ज़िमाकेसिक्केको पासरखना जिसने उसे कब्ज़ेमें लेतेवक्त जानलियाहोकियह मुबद्दिलहै	=	=	=	=	क़ैद पंजसाला दोनों किस्मों में से एककिस्मकी और जुर्माना	=
२५४	ऐसेसिक्काकोअसलीसिक्केकीहैसियतसे किसीऔरके हवाले करना जिसको हवाला करनेवालेने पहिले कब्ज़े में लेतेवक्त मुबद्दिल न जानाहो	=	=	=	=	क़ैददोसालादोनोंकिस्मोंमें से एककिस्म की या उस सिक्के की क़ीमतका दह गुना जुर्माना	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या, मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल यादर्जे दोम
२५५	तलबीसगवर्न्मेंटइस्टाम्प	=	=	क़ाबिल जमानत है	=	हब्सदवामबउबूरदरियाय शोर याक़ैददहसालादोनों किस्मोंमेंसे एककिस्मकी और जुर्माना	अदालतसिशन
२५६	तलबीसगवर्न्मेंटइस्टाम्प की ग़रज़से कोईऔज़ार या	=	=	=	=	क़ैदहफ़्तसाला दोनोंकिस्मोंमें से एक किस्म की	ऐजन्

१	२	३	४	५	६	७	८
	सामान पासरखना					और जुर्माना	
२५७	तल्बीस गवर्न्नमेंटइस्टाम्प कीग़रज़से कोई औजार बनाना या ख़रीदनाया फ़रोख़्तकरना	बे वारंट गिरफ़्तार करसक्ता है	वारंट	काबिल जमानतहै	काबिल राजीनामा नहीं है	कैदहफ़्तसाला दोनोकिस्मों मेंसेएक किस्मको और जुर्माना	अदालत सिशन
२५८	मुलतबिस गवर्न्नमेंटइस्टाम्पकाबेचना	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न	ऐज़न
२५९	मुलतबिसगवर्न्नमेंटइस्टाम्पको पासरखना	"	"	"	"	"	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेन्सी यामजिस्ट्रेटदर्जेअव्वल
२६०	मुलतबिस जानेहुये गवर्न्नमेंट इस्टाम्प को असलीइस्टाम्प की हैसियतसे काममेंलाना	"	"	"	"	कैदहफ़्तसाला दोनोंकिस्मोंमेंसे एक किस्म की या जुर्माना या दोनों	"
२६१	किसीमाद्दे से जिसपर गवर्न्नमेंट इस्टाम्पहो किसी तहरीरका मिटाना या किसीदस्तावेजसे वहइस्टाम्प	"	"	"	"	कैदसेहसाला दोनोंकिस्मोंमेंसे एक किस्मको या जुर्माना या दोनों	"

संवत ४५ सन् १८९० ई०

२६२	जो उसकेलिये काममें लायागयाहो दूरकरना इसनियतसे कि गवर्नमेंट को नुकसाननाजायजपहुंचे मुस्तैमिल जानेहुयेगवर्नमेंटइस्टाम्पकोकाममेंलाना	ऐजन ..	ऐजन ..	ऐजन ..	ऐजन ..	कैददोसाला दोनोंकिस्मों में से एक किस्म की या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
२६३	ऐसेनिशानका छीलना जिससे जाहिर होता हो कि वह इस्टाम्प काम में आचुका है	"	"	"	"	कैद सेहसाला दोनों किस्मों में से एक किस्म की या जुर्माना या दोनों	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेजीडेन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल

बाब सेज़दहुम ॥

उनजुर्मोंके बयानमें जो बांटों और पैमानोंसे मुतअल्लिक़हैं ॥

२६४	तौलनेके झूठे आलेको फ़रेबन इस्तेमाल करना	बे वारंटगिरफ़्तार नहीं करसक्ता	सम्मन	काबिल जमानत है	काबिल राजीनामा नहीं है	कैदयकसाला दोनोंकिस्मोंमेंसे एककिस्म की या जुर्माना या दोनो	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
२६५	झूठबांट या पैमानेको फ़रेबन इस्तेमाल करना	ऐजन	ऐजन	ऐजन	ऐजन	ऐजन ..	ऐजन ..
२६६	झूठबांटों या पैमानों को	"	"	"	"	"	"

१	२	३	४	५	६	७	८
२६७	फ़रेबन् इस्तेमाल करने के लिये पास रखना इस्तेमाल फ़रेबानाके लिये झूठेबांट या पैमाने बनाना या बेचना	बेवारंट गिरफ़्तारनहीं करसक्ता	सम्मन	काबिल जमानत है	काबिल राज़ीनामा नहीं है	क़ैद यकसालादोनोंक़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेन्सी यामजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम

बाब चहारदहुम ॥

उन जुर्मोंके बयान में जो आम्मै खलायक़ की आफ़ियत और अमन और आसायश और हया और आदादपर मुअस्सिर हैं ॥

२६९ ऐक्ट४५ सन्१८६०ई०	ग़फ़लतन् वहकाम करना जिसको मुर्त्तकिब जानता हो कि उससेजानको ख़तरहपहुंचानेवालेकिसीमर्जकी अफ़ूनतफैलने का एहतिमाल है	बे वारंट गिरफ़्तार कर सक्ता है	सम्मन	काबिलजमानत है	काबिल राज़ीनामानहीं है	क़ैदशशमाहादोनोंकिस्मोंमेंसे एककिस्मकीयाजुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेटप्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेटदर्जे अव्वल या दर्जे दोम
२७०	ख़यानतन् वहकाम करना जिसको मुर्त्तकिब जानता हो कि उससेजानको ख़तरापहुंचानेवालेकिसी मर्ज	ऐज़न्	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न्	क़ैददोसाला दोनोंकिस्मों मेंसे एक किस्मकी या जुर्माना या दोनों	ऐज़न्

	की अफूनत फैलने का एहतिमालहै ।							
२७१	क़ायदे क़ारनटीनसे दीदह व दानिस्तह इनहराफ करना	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	कैद छःमाहा दोनों किस्में मेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों	ऐजन्	..
२७२	आदमीके खाने या पीनेकी चीजमें जिसका बेचना मकसूद हो इसतरह की आमेजिश करनी कि जिससे वह मुजिर होजाय	,,	,,	,,	,,	कैद छःमाहा दोनों किस्मों मेंसे एककिस्मकी या एक हज़ार रुपया जुर्माना या दोनों	,,	
२७३	खाने या पीनेकी चीजको आदमीके खाने या पीनेकी चीजकी हैसियतसे यह जानकर बेचनाकिवहमुजिरहै	,,	,,	,,	,,	ऐजन्	,,	
२७४	दवाय मुफरिद या मुरक्कबमें जिसका बेचनामकसूदहो इसतरहकी आमेजिशकरनी कि जिससेउसका असर कमहोजाय या उसका अमल बदलजाय या वह मुजिर होजाय	,,	,,	,,	,,	,,	,,	
२७५	डाक्टरखानेसे किसीदवाय	,,	,,	,,	,,	,,	,,	

१	२	३	४	५	६	७	८
	मुफ़रिद या मुरक्कबका जारीकरना या उस को मुश्त्रिलबे में रखना जिसको वह शख्स जानता हो कि उसमें आमेजिश कीगईहै						
२७६ एक्ट४५ सन१८६०ई०	किसी दवाय मुफ़रिद या मुरक्कबको किसी और दवायमुफ़रिदयामुरक्कबकी हैसियतसे जानबूझकर बेचना या डाक्टरखानेसे जारीकरना	बे वारंट गिरफ़्तारनहीं करसक्ता	सम्मन	काबिल जमानत है	काबिल राजीनामा नहीं है	कैद्यश्माहादोनों किस्मों मेंसे एककिस्मकी या एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
२७७	किसी आमचश्मा या हौज के पानीको गदलाकरना	बे वारंटगिरफ़्तारकरसक्ताहै	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	कैदसेहमाहा दोनोंकिस्मों मेंसे एककिस्मकी यापाच सौरुपयाजुर्माना या दोनों	हरमजिस्ट्रेट
२७८	हवाको मुजिर सेहतकरना	बेवारंटगिरफ़्तार नहीं करसक्ता	,,	,,	,,	पांचसौरुपया जुर्माना	ऐजन्
२७९	किसीशारय आमपर ऐसी बेएहतियाती यागफ़लतसे गाड़ीचलानी या सवार होकर निकलना जिससे	बेवारंटगिरफ़्तारकरसक्ताहै	,,	,,	,,	कैद्यश्माहादोनों किस्मों मेंसे एककिस्मकी या एक हजार रुपया जुर्माना या दोनों	,,

	आदमीकी जानवगैरह को खतरहहो						
२८०	ऐसी बेएहतियाती या गफ़लत से मरकबतरीको चलाना जिससे आदमी की जानवग़ैरह को खतरह हो	ऐजन	ऐजन	ऐजन ..	ऐजन	ऐजन	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
२८१	झूठीरोशनी या झूठे निशान या पानीपर तैरनेवाले निशानका दिखाना	〃	〃	〃	〃	कैदहफ्तसाला दोनोंकिस्मोंमेंसे एककिस्मको या जुर्माना या दोनों	अदालतसिशन
२८२	किसीशख्सको पानीकीराह अजूरहपर ऐसे मरकबतरी में लेजाना जो ऐसी हालतमें हो या इसकदर लदा हुआहो कि उससे उस शख्सकीजानकोखतरहहो॥	〃	〃	〃	〃	कैदशशमाहादोनोंकिस्मों मेंसे एककिस्म की या एक हजार रुपया जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल यादर्जैदोम
२८३ [ऐक्ट ४५ सन् १८६० ई०]	खुश्की या तरीकी आम राहपर खतरह या मज़ाहमत या नुक़सान पहुंचाना	〃	〃	〃	〃	दोसौ रुपयाजुर्माना	ऐजन
२८४	किसीज़हरीलेमाद्दे की ऐसे तौरपर निगाहदाश्त तर्क करनी जिससे आदमी की	बेवारंटगिरफ़्तार नहीं करसका	〃	〃	〃	कैदशशमाहादोनोंकिस्मों मेंसे एककिस्म को या एक हजाररुपया जुर्माना	〃

१	२	३	४	५	६	७	८
२८५	जानवगैरह को खतरा हो आग या किसी आतशगीर माद्दे को ऐसे तौर पर निगहदाश्त तर्क करनी जिससे आदमी की जान वगैरहको खतराहो	बेवारंट गिरफ्तारकरसक्ताहै	सम्मन	काबिल जमानत है	काबिल राजीनामा नहीं है	या दोनों ऐज़न्	हर मजिस्ट्रेट
२८६	किसीभकसे उडजानेवाले माद्दे की वैसेतौरपर निगहदाश्त तर्ककरनी	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	,,	ऐज़न् ..
२८७	किसीकल की तर्ज मज़कूर पर निगहदाश्त तर्ककरनी	बेवारंट गिरफ्तार नहीं करसक्ता	,,	,,	,,	,,	मजिस्ट्रेटप्रेज़ीडेन्सीया मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जेदोम
२८८	किसीशख्स का ऐसे खतरे केदफीये के लिये तर्क एहतियातकरना जिसके पहुचनेका एह्तिमाल नुकसान की जानको किसी ऐसी इमारत के गिरनेसे हो जिसके मिस्मार करने या मरम्मत करने का वह शख्स मुस्तहक है	,,	,,	,,	,,	,,	ऐज़न

२८९	कोई शख्स किसी जानवर का जो उसके कबजे में हो ऐसा एहतिमाम करना तर्क करे जो खतराजान इन्सान या जररशदीदके दफ़्येके लिये जो उस जानवर से पहुंचसक्ता है काफ़ीहो	बेवारंट गिरफ्तारकरसक्ताहै	ऐजन् ..	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	हरमजिस्ट्रेट
२९०	अम्रबाअस तकलीफ़ आमका इर्तिकाब	बे वारंट गिरफ़्तार नहीं करसक्ता	"	"	"	दोसौ रुपया जुर्माना	ऐजन्
२९१ (स. ४५ सन् १८६०ई०)	अम्रबाअस तकलीफ़ आमके न करते रहनेकी हिदायत पाकर उसेकरते रहना	बे वारंट गिरफ्तारकर सक्ता है	"	"	"	कैदमहज छमाहा या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसीया मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जेदोम
२९२	फ़हशकिताबों का बेचना वग़ैरह	ऐजन् ..	वारंट	"	"	कैदसेहमाहादोनोंकिस्मों मेंसे एक किस्म की या जुर्मानायादोनों	ऐजन्
२९३	फहश किताबों वग़ैरह को बेचने या दिखाने के लिये पास रखना	"	"	"	"	ऐजन्	"
२९४	फहशगीत	"	"	"	"	"	"
२९४ (अलिफ़)	चिट्ठी डालनेके लिये दफ्तररखना	बेवारंटगिरफ्तार नहीं कर सक्ता	सम्मन	"	"	कैदछमाहा दोनोंकिस्मों मेंसे एक किस्म की याजुर्माना या दोनों सजायें	हरमजिस्ट्रेट

१	२	३	४	५	६	७	८
	चिट्ठी डालने की बाबत तजवीजोंको मुश्तहर करना	बेवारंटगिरफ़्तार नहीं करसक्ता	सम्मन	काबिल जमानत है	काबिल राजीनामा नहीं है	एकहज़ार रुपया जुर्माना	हरमजिस्ट्रेट

बाबपांज़दहुम् ॥
उन जुर्मोंके बयानमें जोमजहब से मुतअल्लिक़ हैं ॥

२९५	किसी फिरके अशखासके मजहबकी तौहीन करने की नीयतसे किसी इबादतगाह या शै मुतबर्रिक को खराब करना या नुकसान पहुंचाना या नजिस करना	बे वारंटगिरफ़्तार करसक्ता है	सम्मन	काबिल जमानत है	काबिल राजीनामा नहीं है	कैद दोसाला दोनोंकिस्मों में से एक क़िस्म की या जुर्माना या दोनों	माजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
२९६	किसी मजमे को ईजा पहुंचाना दरहाले कि वहम जमाइबादत मज़हबी में मसरूफ़ हो	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	कैद यकसाला दोनो किस्मोंमेंसे एक क़िस्म की या जुर्माना या दोनों	ऐज़न् ..
२९७	किसी इबादतगाह याक़बरिस्तान में मदाखिलत बेजा करनी या किसीका दिलदुखाने या मज़हबकी	,,	,,	,,	,,	ऐज़न् ..	,,

२९८ संक़ट४५सन्१८६०ई०	तौहीन करनेकी नीयतसे दफ़न में ख़ललअंदाज़होना या किसीलाश इंसानीकी तज़लील करनी इस नीयत से कोईबातकहनी या मुंहसे कोईआवाज निकालनी इसतरह किजिसको कोई शख्स सुनसके या कोईहरकत करनी या किसीशख्सके रूबरूकोईशैरखना कि मजहबकी बाबत उसका दिलदुखे	बेवारंटगिरफ़्तारनहीं करसक्ता।	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्

बाब शांज़दहुम ॥

उन जुर्मोंके बयानमें जो इन्सानके जिस्म व जान पर मुअस्सिर हैं ॥

जरायम मुअस्सिर जानके बयानमें ॥

३०२	कत्ल अमद	बेवारट गिरफ़्तार करसक्ता है	वारट	क़ाबिल जमानत नहीं है	क़ाबल राज़ीनामा नहीं है	मौत याहब्स दवाम बउबूर दरियाय शोर और जुर्माना।	अदालत सेशन
३०३	कत्ल अमदमुर्त्तकिबे मुजरिम जिसकी निसबत हब्सदवाम बउबूरदरियाय	ऐज़न् ..	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्

१	२	३	४	५	६	७	८
३०४	घोर का हुक्म होचुकाहो कत्ल इन्सान मुस्तल्जिम सजा जो हद कत्ल अ मदतक न पहुंचता हो अगर फ़ेल जो हलाकत का बाअस हुआ हलाकत वग़ैरह का बाअस होनेकी नीयतसे कियागयाहो	बेवारंटगिरफ़् तारकरसक्ताहै	वारंट	काबिल जमा नत नहीं है	काबिल राज़ीना मा नहीं है	हब्सदवाम बउबूर दरिया य शोर या कैद दहसाला दोनों किस्मों मेंसे एककि समकी और जुर्माना	अदालत सिशन
	अगरफेलमज़कूर इस इल्म सेकियागया हो कि उससे वकूअ हलाकत का एहति मालहै लेकिन कुछ यहनी यत नहीं कि उससे हला कतवगैरह वाकैहो	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	कैददहसाला दोनो किस्मों मेंसेएक किसमकी या जुर्मा ना या दोनो	ऐजन्
३०४ (अलिफ)	बेएहतियाती या गफ़लत के किसीफेलसे हलाकतका बाअसहोना	”	”	काबिल जमा नत है	”	दोसालकीकैददोनों किस्मों मेंसे एककिस्म की या जु र्माना यादोनोंसजायें	अदालत सिशन या मजि स्ट्रेट प्रेज़िडेंसी या मजि स्ट्रेट दर्जेअव्वल
३०५ सं.४५	उस खुदकुशीमेंमुअय्यनहो नाजिसका इर्त्तिकाबकिसी लड़के या शख्स मजनूनया	”	”	काबिल जमा नतनहीं है	”	मौत या हब्सदवामबउबूर दरियायशोर याकैददहसा ला और जुर्माना	अदालत सिशन

सन्१८६०ई० ३०६	मसल्बुल्हवासयामुखल्लफितर याघल्सबदमस्तने कियाहो खुद कुशीके दर्तिकाब में अआनतकरनी	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	क़ैद दहसाला दोनोंकिस्मों मेंसेएकक़िस्मकी औरजुर्माना	अदालतसिशन
	कत्ल अमद का इक़दाम	,,	,,	,,	,,	ऐजन्	ऐजन् ....
३०७	अगर ऐसे फेलसे किसी शख्सकी ज़ररपहुंचे	,,	,,	,,	,,	हब्सदवाम बउबूर दरिया यशोर या वह सजा जो ऊपरमजकूरहै	,,
	जनमक़ैदी की तरफ से इक़दामकत्ल अमदका अगर उस से ज़रर पहुंचे	,,	,,	,,	,,	मौत यावहसजा जो ऊपर मजकूरहै	,,
३०८	कत्लइन्सान मुस्तल्जिम सजाकेइर्तिकाबकाइक़दाम	,,	,,	काबिल जमानतहै	,,	क़ैद सेह साला दोनों किस्मों मेंसे एक किस्म की या जुर्माना या दोनों	,,
	अगर वैसे फेल से किसी शख्सको जररपहुंचे	,,	,,	,,	,,	क़ैद हफ़तसाला दोनों किस्मों मेंसे एक किस्मकी या जुर्माना या दोनों	,,
३०९	खुद कुशी के इर्तिकाब का इक़दाम	,,	,,	,,	,,	क़ैद महजयकसाला और जुर्माना या दोनों सजायें	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
३११	ठगहोना	,,	,,	काबिल जमानत नहीं है	,,	हब्सदवाम बउबूर दरिया यशोर और जुर्माना	अदालत सिशन

इस्कात हमलकराने और जनीनको ज़रर पहुंचाने और बच्चोंको बाहरडालदेने और इख़फाय तवल्लुदकेबयानमें॥

१	२	३	४	५	६	७	८
३१२ ऐक्ट४५सन्१८६०ई०	इस्कात हमल करना	बेवारंटगिरफ़्तार नहीं कर सक्ता	वारंट	काबिलज़मानत है	काबिल राज़ीनामा नहीं है	कैदसेहसाला दोनोंकिस्मोंमेंसे एक किस्मकीयाजुर्माना या दोनों	अदालत सिशन
	अगर उसऔरतके जनीन में जानपड़गई हो	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न	कैदहफ़्तसाला दोनों किस्मोंमेंसे एककिस्मकीऔर जुर्माना	ऐज़न ....
३१३	औरत के बिला रज़ामन्दी इस्कात हमलकराना	"	"	काबिल ज़मानत नहीं है	"	हब्सदवाम बउबूर दरियायशोर या कैददहसाला दोनों किस्मोंमेंसे एक किस्मकी और जुर्माना	"
३१४	हलाकत जिसका बाअस वह फेलहो जो इस्कातहमल करानेकी नीयतसे कियागयाहो	"	"	ऐज़न	"	कैददहसाला दोनोंकिस्मोंमें से एककिस्म की और जुर्माना	"
	अगर वह फेल औरत के बिला रज़ामन्दी किया गया हो	"	"	"	"	हब्सदवाम बउबूर दरियायशोर या वहसज़ा जो ऊपर मज़कूरहै	"
३१५	वह फेल जो बच्चेको ज़िन्दह नपैदाहोनेदेनेयापैदा	"	"	"	"	कैददहसाला दोनों किस्मोंमेंसे एककिस्मकी या जु	"

	होनेकेबाद उसकी हलाकत का बाअस होनेकी नीयतसे किया गया हो					मौना या दोनों	
३१६	किसी ऐसे फ़ेलसे हलाक तजनीन जानदारका बाअस होना जो हद्द नुर्मकुतल इन्सान मुस्तलजिम सजाको पहुंचताहो	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न	कैदद्दहसाला दोनोंकिस्मोंमेंसे एक किस्म की और जुर्माना	ऐज़न
३१७	मा बाप या किसी शख्स मुहाफिज़का बारहबरससे कम उम्रके बच्चेको डाल देना इस गरज़से कि कुल्यतन् उससे कता तअल्लुक् होजाय	बेवारंट गिरफ़्तारकरसक्ताहै	,,	काबिल ज़मानतहै	,,	कैदहफ़्तसाला दोनों किस्मोंमेंसे एक किस्म की या जुर्माना या दोनों	,,
३१८	लाशको चुपकेसेरखदेने से इख़फ़ाय विलादत	,,	,,	,,	,,	कैददोसालादोनोंकिस्मोंमेंसेएककिस्मकी या जुर्माना या दोनों	अदालत सिषन या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
३२३ (एक्ट ४५ सन १८६० ई०)	बिलइरादह्ज़रपहुंचाना	बेवारंटगिरफ़्तारनहीं करसक्ता	सम्मन	,,	काबिल राज़ीनामाहै	कैदयकसाला दोनोंकिस्मोंमें से एककिस्म की या एकहज़ार रुपया जुर्माना या दोनों	हर मजिस्ट्रेट

१	२	३	४	५	६	७	८
३२४	ख़तरनाकहरबों या वसीलोंसे बिलइरादह जरर पहुंचाना	बेवारंट गिरफ़तार करसक्ताहै	सम्मन	काबिल जमानत है	काबिल रज़ानामा है जबकि इजाजत उस अदालतकी हासिल हो जिस के रूबरू नालिश दायर हो	क़ैदसेहसाला दोनोंकिसमों मेंसे एक किसम की या जुर्माना या दोनों	अदालत सिषन या मजिसट्रेट प्रेज़ीडेंसीया मजिसट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
३२५	बिलइरादह जरर शदीद पहुंचाना	ऐज़न,	ऐज़न	ऐज़न	काबिल राज़ीनामा नहीं है	क़ैद हफ्तसाला दोनों किस्मोंमेंसेएक किसमकी और जुर्माना	ऐज़न
३२६	ख़तरनाक हरबोंयावसीलों से बिलइरादह जररशदीद पहुचाना	,,	,,	काबिल जमानत नहीं है	ऐज़न	हबसदवाम बउबूर दरियाय शोर या क़ैद दहसाला दोनोंकिस्मोंमेंसेएककिस्म की और जुर्माना	अदालत सिषन या म मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
३२७	माल या कफालतुलमाल का इस्तेहसाल बिलजब्र करनेकेलिये या किसी शख्सको किसी ऐसे फ़ेल के इर्तिकाब पर मजबूर करनेके लिये जो खिलाफ़ कानून है और जिससे	,,	वारंट	ऐज़न	,,	क़ैद दहसालादोनोंकिस्मों मेंसे एक किस्म की और जुर्माना	अदालत सिषन

	किसी जुर्मका इर्तिकाब सहल होजाय बिलइरादह ज़रर पहुंचाना						
३२८	ज़रर पहुंचानेकी नीयतसे बेहोश करनेवाली दवा खिलानी	ऐज़न् ..	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न् ..	क़ैदइहसाला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना	ऐज़न्
३२९ ऐक्ट४५सन्१८६०ई०	माल या कफालतुल् माल का इस्तहसाल बिल्जब्र करनेकेलिये याकिसीशख्स को किसीऐसे फ़ेलके इर्तिकाबपर मजबूर करने के लिये जो खिलाफ़ कानून है और जिससे किसी जुर्म का इर्तिकाबसहलहोजाय बिलइरादह ज़ररशदीद पहुंचाना	„	„	„	„	हब्स दवाम बउबूर दरियायशोर या क़ैदइहसाला दोनों क़िस्मोंमें से एक क़िस्मकी और जुर्माना	„
३३०	इक़रार या खबरका इस्तहसाल बिलजब्र करने या मालवग़ैरहके वापसकरने पर मजबूर करने के लिये बिलइरादह ज़रर पहुंचाना	„	„	क़ाबिल ज़मानत है	„	क़ैद हफ्तसाला दोनोंक़िस्मों में से एक क़िस्मकी औरजुर्माना	„

१	२	३	४	५	६	७	८
३३१	इकरार या खबरका इस्तेह साल बिलजबकरने या माल वग़ैरहके वापस करनेपर मजबूरकरनेके लिये बिल् इर दह जरर यदीद पहुंचाना	बेवारंटगिरफ्तारकरसक्ताहै	वारट	क़ाबिल जमानत नहीं है	काबिल राजीनामा नहीं है	कैददहसाला दोनों किस्मो मेंसे एक किस्मकी और जुर्माना	अदालत सिशन
३३२	सरकारी मुलाजिम को अदाय खिदमत से डराकर बाजरखनेकेलिये बिल्इरादह जरर पहुंचाना	ऐज़न्	ऐज़न्	काबिल जमानत है	ऐज़न्	कैद सेहसाला दोनों किस्मों में से एक किस्म की या जुर्माना या दोनों	अदालतसिशनयामजिस्ट्रेटप्रेजीडेन्सी यामजिस्ट्रेटदर्जेअव्वल
३३३	सरकारी मुलाजिमकोअदायखिदमतसेडराकरबाजरखनेकेलिये बिल्इरादह जरर यदीदपहुंचाना	,,	,,	काबिल जमानत नहीं है	,,	कैद दहसाला दोनोंकिस्मोंमें से एक क़िस्म की और जुर्माना	अदालत सिशन
३३४	सख्त और नागहानीबाअस्ट्राश्तआल तबाके वाके होनेपर बिल्इरादह जरर पहुंचाना दरहाले कि जरर पहुंचानेवालेकी नीयत में सिवाय उसशख्सके जिसने इश्तिआल तबादिलाया हो	बेवारंट गिरफ्तार नहीं कर सक्ता	सम्मन	काबिल जमानत है	,,	कैद यकमाहा दोनों किस्मों मे से एक क़िस्म की या पांचसौ रुपया जुर्माना या दोनों	हर मजिस्ट्रेट

३३५ ऐक्ट४५सन१८६०ई०	किसी और को ज़रर पहुंचाना मकसूद न था सख्त और नागहानी बा असद्दश्तिआलतबाके वाके होनेपर बिल् इरादहज़रर शदीद पहुंचाना दरहाले कि ज़ररपहुंचानेवाले की नीयतमें सिवाय उसशख्स के जिसने इश्तिआल तबा दिलायाहो किसीऔरकोजररपहुंचाना मकसूदनथा	बेवारंटगिरफ्तारकरसक्ताहै	ऐज़न् ..	ऐज़न ..	काबिल राज़ीनामा है जब कि इजाजत उस अदालत से हासिलकी जाय जिसके रूबरूमुकद्दमा दायरहो	कैदचहारसाला दोनों किस्मोंमेंसे एक किस्मकी या दो हज़ार रुपया जुर्माना यादोनों	अदालतसिशन या मजिस्ट्रेटप्रेसीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल या दर्जैदोम
३३६	किसी ऐसे फेलका इर्त्तिकाब जो जान इन्सान या औरों की आफियत जाती को खतरमें डाले	ऐज़न	ऐज़न ..	ऐज़न ..	काबिल राज़ीनामा नहीं है	कैदसेहमाहा दोनों किस्मोमें से एक किस्मकी या ढाई सौ रुपया जुर्माना या दोनों	हरमजिस्ट्रेट
३३७	ऐसे फेलसे ज़ररपहुंचाना जो इन्सानकी जान वगैरहको खतरमे डाले	"	"	"	काबिल राज़ीनामाहैजबकि इजाजत उस अदालत सेहासिलकीजायजिसकेरूबरूमुकद्दमा दायरहो	कैदशशमाहा दोनों किस्मोंमेंसेएककिस्म की यापांच सौ रुपया जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेटप्रेसीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल या दर्जै दोम

१	२	३	४	५	६	७	८
३३८	ऐसे फेलसे जरर शदीद पहुंचाना जो इन्सान की जान वगैरह को खतर में डाले	बे वारंट गिरफतार करसक्ता है	सम्मन	काबिल जमानत है	काबिल राजीनामा है जबकि इजाजतउसअदालतसेहासिलकीजायजिसके रूबरू मुकद्दमा दायरहो	कैद दो साला दोनों किसमोंमेसे एककिसम की या एकहजार रुपया जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम

मजाहमत बेजा और हब्सबेजा के बयान में ॥

१	२	३	४	५	६	७	८
३४१	बेजातौर पर किसीशख्स की मजाहमत करनी	बेवारंटगिरफतारकरसक्ताहै	सम्मन	काबिल जमानत है	काबिल राजीनामा है	कैद महज यकमाहा या पांचसौ रुपया जुर्माना या दोनों	हर मजिस्ट्रेट
३४२	बेजा तौर पर किसी शख्सको हब्समेंरखना	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	कैद यकसाला दोनों किसमोंमें से एक किसम की याएकहजार रुपया जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेटप्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेटदर्जे अव्वल या दर्जे दोम
३४३ स० ४५ सन् १८६० ई०	तीन या जियादह दिनतक बेजातौरपर हब्समें रखना	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	काबिल राजीनामा नहीं है	कैद दोसाला दोनोंकिस्मोंमें से एक किस्मकी और जुर्माना	ऐज़न्
३४४	दस या जियादह दिन तक	”	”	”	”	कैद सेहसाला दोनों कि	अदालत सिशन या म

	बेजातौरपर हब्समें रखना					रुमोंमेंसेएककिस्मकी और जुर्माना	जिस्ट्रेट प्रेज़ीडेन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
३४५	उसशख़्सको हब्सबेजामें रखना जिसकी निस्बत यह इल्म हो कि उसकी रिहाई का हुक्मनामा सादिर होचुकाहै	बे वारंट गिरफ़्तार नहीं कर सक्ता	ऐज़न ..	ऐज़न	ऐज़न ..	उसकैदके अलावा जो उस जुर्म के वास्ते इसमजमूये की किसीदूसरीदफाकी रूसे मुकर्रर है दोनों किस्मों में से किसीकिस्मकी कैद दोसाला	ऐज़न ..
३४६	खुफिया हब्स बेजा में रखना	बेवारंट गिरफ़्तारकरसक्ताहै	"	"	"	ऐज़न	" ....
३४७	मालका इस्तहसाल बिलजब्र करने या किसी फेल नाजायज़पर मजबूर करने की ग़रज़से हब्सबेजा में रखना	"	"	"	"	कैदसेहसालादोनोंकिस्मों मेंसे एक किस्म की और जुर्माना	"
३४८	इक़रार या खबरका इस्तहसाल बिलजब्र करने या माल वग़ैरहके वापिसकरदेने पर मजबूर करनेकी ग़रज़ से हब्स बेजा में रखना	"	"	"	"	ऐज़न ..	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल

जब्रमुजरिमाना और हमले के बयानमें ॥

१	२	३	४	५	६	७	८
३५२	सख्त इश्तिआल तबाके अलावादूसरे तौरपर हमलाकरना या जब्र मुजरिमाना का अमल में लाना	बे वारट गिरफ़तार नहीं करसक्ता	सम्मन	काबिल जमानतहै	काबिल राजीनामाहै	कैदसेहमाहादोनोंकिस्मोंमेंसेएकक़िस्मको या पांच सौरुपयाजुर्माना यादोनों	हरमजिस्ट्रेट
३५३ ऐक्ट४५सन् १८६० ई०	किसी सरकारी मुलाज़िम कोअपनीख़िदमत अदाकरनेसे डराकर बाज़रखनेके लिये हमलाकरना या जब्र मुजरिमाना काममें लाना	बेवारंट गिरफ़तारकरसक्ताहै	वारंट ..	एजन् ..	काबिल राजीनामा नहीं है	कैददोसाला दोनोंकिस्मोंमेंसे एकक़िस्मकीया जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेजिडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वलयादर्जेदोम
३५४	किसी औरत की इफ़्फ़त में ख़ललडालने की नीयत से हमलाकरना या जब्र मुजरिमाना अमलमेंलाना	”	”	”	”	एजन्	एजन्
३५५	सख्तऔरनागहानी इश्तिआल तबाके अलावह दूसरीहालतमें किसी शख्स पर उसको बेहुर्मत करने की नीयतसे हमला करना या जब्रमुजरिमाना अमल मेंलाना	बेवारंट गिरफ़तार नहीं करसक्ता	सम्मन	”	काबिल राजीनामा है	”	”

३५६	किसी ऐसेमालके सर्के के इर्त्तिकाबके इकदाममें ह मलाकरना या जब्रमुजरिमाना अमलमें लाना जिसको कोई शख्स पहिने या लिये हुये हो	बे वारंटगिरफ्तार कर सक्ता है	वारंट	काबिल जमानत नहीं है	काबिलराजीनामानहीं है	ऐजन् ..	हरमजिस्ट्रेट
३५७	किसी शख्स को बेजातौर पर हब्स करने के इकदाममें हमलाकरना या जब्र मुजरिमाना काममें लाना	ऐजन्	ऐजन्	काबिल जमानतहै	,,	कैद यकसाला दोनों किस्मोंमें से एक किस्मकी याएकहजाररुपयाजुर्माना या दोनों	ऐजन् ..
३५८	सख्त और नागहानीइश्तिआल तबाकी हालत में हमला करना या जब्र मुजरिमाना अमलमें लाना	बेवारंटगिरफ़्तारनहीं कर सक्ता	सम्मन	ऐजन्	काबिल राजीनामाहै	कैद महज यकमाहा या दोसौ रुपया जुर्माना या दोनों	,,

इन्सान को ले भागने या जबरन् भगालेजाने और गुलाम बनाने औरबजब्र मेहनत लेने के बयान में ॥

३६३	इंसान को लेभागना	बे वारंटगिरफ्तारकरसक्ता है	वारंट	काबिल जमानत नहींहै	काबिल राजीनामानहीं है	कैद हफ्तसाला दोनों किस्मोंमेंसे एक किस्म की और जुर्माना	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेजीडेन्सी यामजिस्ट्रेटदर्जेअव्वल
३६४ ए.४५स.	कत्ल अमदकेलिये इन्सानको लेभागना या भगा	ऐजन् ..	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन् ..	हब्स दवाम बउबूर दरियायशोर या कैदसख्त दह	अदालत सिशन

१	२	३	४	५	६	७	८
१८६० ई.	लेजाना					साला और जुर्माना	
३६५	किसीशख्सकोमख़फी और बेजातौर पर हब्स करने की नीयत से ले भागना या भगा लेजाना	बे वारंट गिरफ्तार कर सक्ता है	वारंट	काबिलजमानत नहीं है	काबिल राजीनामा नहीं है	क़ैदहफ़त साला दोनों किस्मोंमें से एक किस्मकी और जुर्माना	अदालत सिशन
३६६	किसी औरत को अजद वा न पर मजबूर करने या उसको खराब वगैरह कराने के लियेलेभागना या भगा लेजाना	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न	क़ैददहसाला दोनों किस्मों में से एक किसूम की और जुर्माना	ऐज़न
३६७	किसी शख्सको ज़रर शदीद पहुंचाने या गुलाम वगैरह बनानेके लिये लेभागना या भगा लेजाना	"	"	"	"	ऐज़न	"
३६८	ले भागेहुये शख्स को छिपाना या हब्स में रखना	"	"	"	"	वही सज़ा जो इंसानको लेभागने या भगाले जाने के लिये मुकर्रर है	"
३६९	किसीतिफ़्लको उसकेबदनपरसे माल मनकूला लेलेनेकी नीयत से लेभागना या भगालेजाना	"	"	"	"	क़ैदहफ़त साला दोनों किस्मों मेंसे एक किस्म की औरजुर्माना	"

३७०	किसी शख़्स को गुलाम के तौर पर ख़रीद करना या उसको अपने कब्जे से अलाहिदा करना	बे वारंट गिरफ्तार नहीं करसक्ता	ऐजन् ..	काबिल जमानत है	ऐजन् ...	ऐजन् ..	ऐजन् .
३७१	आदतन् गुलामों का कारोबार करना	बे वारंट गिरफ्तार कर सक्ता है	"	काबिल जमानत नहीं है	"	हब्स दवाम बउबूर दरियायशोर या कैद दहसाला दोनो किस्मों मेंसे एक किस्म की और जुर्माना	,,
३७२	नाबालिग़ को फ़ेल शनीआ की गरज़ से बेचना या उजरतपर भेजना	ऐजन् ..	"	ऐजन् .	,,	कैददहसाला दोनो किस्मों मेंसे एक किस्म की और जुर्माना	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेसीडेंसीया मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
३७३	नाबालिग को फेलशनीआ की गरज़से खरीदना या कब्जे में लाना	"	"	"	,,	ऐजन्	ऐजन् ..
३७४	बतौर नाजायज़ मेहनत करने पर मजबूर करना	"	"	काबिल जमानत है	काबिल राजी नामा है	कैदयकसाला दोनों किस्मोंमेंसेएककिस्मकी और जुर्माना यादोनों	हरमजिस्ट्रेट

जिनाबिलजब्र ॥

१	२	३	४	५	६	७	८
३७६ सक्रट४५ सन्१८६०ई०	जिनाबिलजब्र	बेवारंटगिरफ्तार कर सक्ता है	वारंट	काबिलजमानत नहीं है	काबिल राजीनामा नहीं है	हब्स दवाम बउबूर दरियायशोर या कैद दहसाला दोनों किस्मोंमें से एक किस्म की और जुर्माना	अदालतसिशन

उन जुर्मोंके बयानमें जो खिलाफ वजा फितरी हैं ॥

३७७	जरायम ख़िलाफ़ वजा फ़ितरी	बेवारंटगिरफ्तारकरसक्ता है	वारंट	काबिलजमानत नहीं है	काबिल राजीनामा नहीं है	हब्स दवाम बउबूर दरियायशोर या कैददहसाला दोनोंकिस्मोंमेंसे एक किस्मकी औरजुर्माना	अदालतसिशन

बाबहफ्तदहुम ॥

उन जुर्मोंके बयानमें जो मालसे मुतअल्लिक हैं ॥

सर्केकाबयान ॥

३७९	सर्क़ा	बेवारंटगिरफ्तारकरसक्ता है	वारंट	काबिलजमानत नहीं है	काबिल राजीनामा नहीं है	कैद सेहसाला दोनों किस्मों में से एक किस्म की या जुर्माना या दोनों	हर मजिस्ट्रेट
३८०	इमारत या खीमा या मर	"	"	"	"	कैद हफ्तसाला दोनों	ऐजन

	कबतरोंमें सर्का					किस्मों मेंसे एक किस्म की और जुर्माना	
३८१	मुतसद्दी या नौकरका उस माल को सर्का करना जो आका या आमरके कब्जे मेंहै	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
३८२	दूर्तिकाब सर्काके लिये या उसके दूर्तिकाब के बाद भागजाने या उस मालको जो उससर्का के ज़रिये से लिया गया हो रोकरखने की ग़रज़से हलाकत या जरर या मज़ाहमत या हलाकत या जरर यामज़ाहमत की तख़वीफ़ का बाअस होने की तय्यारी करके सर्का करना	"	"	"	"	कैद सख्त दहसाला और जुर्माना	अदालत सिशन

इस्तहसाल बिलजब्र के बयान में ॥

३८४ (ए/ १८६०ई० ४५ स/ धा०)	इस्तहसाल बिलजब्र	बे वारट गिरफ़तार नहीं करसक्ता	वारट	काबिल ज़मानत है	काबिल राजीनामा नहीं है	कैदसेहसालादोनोंकिस्मों मेंसे एकक़िस्मकी या जुर्माना या दोनों	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल

१	२	३	४	५	६	७	८
							या दर्जे दोम
३८५	दूस्तहसाल बिलजब्र के दूर्तिकाबके लिये किसीश खसको नुक़सान पहुंचानेका खौफ़ दिलाना या ऐसे ख़ौफ़ दिलानेकाइकदामकरना	बेवारंट गिरफ्तार नहींकर सक्ता	वारंट	काबिल जमानत है	काबिल राज़ीनामा नहीं है	क़ैददो साला दोनोंकिस्मों मेसे एककिसम की या जुर्माना या दोनो	ऐज़न्
३८६	किसी शख्ससे हलाकत या जरर शदीद की तख़्वीफ़ के ज़रिये से दूस्तहसाल बिलजब्र	ऐज़न्	ऐज़न्	काबिल जमानतनहीं है	ऐज़न्	क़ैद दहसाला दोनों किस्मोंमेसेएककिस्मकीऔर जुर्माना	अदालत सिशन
३८७	दूस्तहसाल बिलजब्र केइर्तिकाबके लिये किसी शख़सको हलाकत या जरर शदीदकी तख़्वीफ़ या उस तख़्वीफ़का इकदाम	”	”	”	”	क़ैद हफ़्तसाला दोनों किस्मोंमेंसे एककिस्मकी और जुर्माना	ऐज़न्
३८८	ऐसे जुर्मकीतोहमतलगाने की धमकीसे दूस्तहसाल बिलजब्र करना जिसकी सजा मौत या हब्स दवाम बउबूर दरियायशोर या क़ैद दहसाला मुकर्ररहो	”	”	”	”	क़ैद दहसाला दोनों किस्मों मेंसे एक किसम की और जुर्माना	”

३८९	अगर ऐसे जुर्मके इर्तिहामकी तख़वीफ दीजाय जो खिलफ़ वज़ाफ़ितरी हो	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	हब्स दवाम बउबूर दरियायशोर	ऐज़न्
	इस्तहसाल बिलजब्रकेइर्तिकाबकी गर्ज से किसी शख्स को ऐसे जुर्म के इर्तिहाम की तख़वीफ देना जिस की सजा मौत या हब्सदवामबउबूर दरियायशोर याक़ैददहसाला हो	,,	,,	,,	,,	क़ैद दहसाला दोनों किस्मों में से एक किस्म की और जुर्माना	,,
	अगर वह जुर्म खिलाफ वज़ाफितरीहो—	,,	,,	,,	,,	हब्सदवाम बउबूर दरियायशोर	,,

सका बिलजब्र व डकैती के बयान में ॥

३९२	सरका बिलजब्र	बे वारंट गिरफ्तारकर सक्ते हैं	वारंट	काबिल जमानत नहीं है	काबिल राजीनामानहीं है	क़ैद सख्त दहसाला और जुर्माना	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
ऐक्ट४५सन्१८६०ई०	अगर सर्कबिलजब्र का इर्तिकाब माबैनगुरूब व तुलूअआफताब किसी शारये आमपर कियाजाय	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	क़ैदसख्त चहारदहसाला और जुर्माना	ऐज़न्

१	२	३	४	५	६	७	८
३९३	सर्का बिलजब्र के इर्त्तिकाब का इकदाम	बे वारंट गिरफ़्तार करसक्ता है	वारंट	काबिल जमानत नहीं है	काबिल राजीनामा नहीं है	क़ैद सख़्त हफ़्तसाला और जुर्माना	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
३९४	वह शख्स जो सर्का बिलजब्र के इर्त्तिकाब या इर्त्तिकाबके इकदाममें बिलइरादह किसी को जररपहुंचाये या कोई दूसरा शख्स जो उस सर्के बिलजब्र में बिलउमूम तअल्लुक रखे	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न	हब्स दवाम बउबूर दरियाय शोर या क़ैद सख़्त दहसाला और जुर्माना	ऐज़न ....
३९५	डकैती	,,	,,	,,	,,	ऐज़न	अदालत सिशन
३९६	डकैती में क़त्ल अमद	,,	,,	,,	,,	मौत या हब्स दवाम बउबूर दरियाय शोर या क़ैद सख़्त दहसाला और जुर्माना	ऐज़न
३९७	बाअस हलाकत होने या जररशदीद पहुंचानेके इकदामके साथ सर्का बिलजब्र या डकैती	,,	,,	,,	,,	क़ैद सख़्त जिसकी मीआद सात बरस से कम न हो	,,
३९८	हर्बेमोहलक से मुसल्लह होनेकी हालतमें सर्काबिल	,,	,,	,,	,,	ऐज़न	,,

	जब्र या डकैती के इर्त्तिकाब का इक्दाम						
३९९	डकैतीके इर्त्तिकाबके लिये तय्यारीकरनी	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	कैद सख्त दहसाला और जुर्माना	ऐज़न्
४००	ऐसे अशखास की जमाअत से तअल्लुक रखना जो आदतन् इर्त्तिकाब डकैती के वास्ते बाहम इत्तिहाद रखते हैं	॥	॥	॥	॥	हब्सदवाम बउबूरदरियाय शोर या कैद सख्त दह साला और जुर्माना	॥
४०१	ऐसे अशखासकी आवारह जमाअत का शरीक होना जो आदतन इर्त्तिकाब सर्क़ेकेलिये मिलापरखते हैं	॥	॥	॥	॥	कैद सख्त हफ्तसाल और जुर्माना	॥
४०२ ऐक्ट ४५ सन १८६० ई०	मिनजुमला उन पांच या जियादा आदमियों के होना जो डकैतीके इर्त्तिकाब के लिये मुजतमा हुयेहों	॥	॥	॥	॥	॥	॥

माल के तसर्रुफ़ बेजा मुजरिमाना के बयान में ॥

४०३	बदयानती से माल मन्कूला का तसर्रुफ़ बेजा	बिला वारंट गिरफ्तार नहीं करसक्ता	वारंट	काबिल जमानत है	काबिलराजी नामा नहीं है	कैद दोसाला दोनों किस्मों में से एक किस्म की या जुर्माना	हर मजिस्ट्रेट

१	२	३	४	५	६	७	८
	करना या उस को अपने काममें लाना					या दोनों	
४०४	बद दियानती से यह जानकर किसीमाल का तसर्रुफ बेजा करना कि वहमाल किसी मुतवफ़्फ़ा की वफात के वक्त उसके कब्जे में था और उसके बाद किसी ऐसे शख्स के कब्जे में नहीं रहा जो कानूनन् उसके लेने का मुस्तहक़ हो--	बे वारंट गिरफ़्तार नहीं कर सक्ता	वारंट	काबिल जमानत है	काबिल राजीनामा नहीं है	क़ैदसेहसाला दोनोंकिस्मों में से एक किस्म की और जुर्माना	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल या दर्जै दोम
४०५	अगर जुर्म मजकूर शख्स मुतवफ़्फ़ाके किसीमुतसद्दी या मुलाजिमसे सरजद हो	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	क़ैदहफ़्तसाला दोनों किस्मोंमेंसे एककिस्मकी और जुर्माना	ऐजन्

ख़यानत मुजरिमानाके बयान में ॥

४०६	ख़यानत मुजरिमाना	बेवारंट गिरफ़्तारकरसक्ताहै	वारंट	काबिल जमानत नहीं है	काबिल राजीनामा नहीं है	क़ैदसेहसाला दोनोंकिस्मों मेंसेएककिस्मकीयाजुर्माना	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी

						या दोनों	या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
४०७ ऐक्ट४५सन १८६०ई०	किसी बुरिन्दे माल या घाटवाल वगैरह की तरफ़ से ख़यानत मुजरिमाना	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	कैदहफ़तसाला दोनों किस्मों मेंसे एक किस्म की और जुर्माना	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
४०८	किसी मुतसद्दी या मुलाजिमकी तरफ़से ख़यानत मुजरिमाना	"	"	"	"	ऐज़न्	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
४०९	किसी मुलाजिम सरकारी या महाजन या सौदागर या कारिन्दह वगैरहकी तरफसे ख़यानतमुजरिमाना	बे वारंट गिरफ़तार नहीं करसक्ता	"	"	"	हब्सदवाम बउबूर दरियायशोर या कैददहसाला दोनों किस्मों मेंसे एक किस्म की और जुर्माना	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल

माल मसरूका लेने के बयान में ॥

४११	मालमसरूकाको मसरूका जानकर बदद़ियानती से लेना	बेवारंट गिरफ़तार करसक्ता है	वारंट	काबिल जमानतनहीं है	काबिल राज़ीनामानहीं है	कैद सेहसाला दोनों किस्मोंमेंसे एक किस्मकी या जुर्माना या दोनों	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम

१	२	३	४	५	६	७	८
४१२	बदर्दियानती से मालमसरूकाको यहजानकर लेना कि वह डकैतीसे हासिल कियागया है	बेवारंट गिरफ्तार करसक्ता है	वारंट	काबिल जमानत नहीं है	काबिल राजीनामानहीं है	हब्सदवाम बउबूर दरियायशोरया कैदसख्त दहसाला और जुर्माना	अदालतसिशन
४१३	आदतन माल मसरूकाका लेनदेन करना	ऐजन्	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	हब्सदवाम बउबूर दरियायशोरयाकैददहसालादोनों किस्मोंमेंसे एक किस्मकी और जुर्माना	ऐजन्
४१४	माल मसरूका के छिपाने या अलाहिदा करनेमें यह जानकर कि वह मसरूका है मदददेना	”	”	”	”	कैद सेहसाला दोनों किस्मोंमेंसे एक किस्म की या जुर्माना यादोनों	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जेदोम

दगा के बयान में ॥

४१७ ऐ० ४५ सा/ १८६० ई०	दगादिही	बेवारंट गिरफ़्तार नहीं करसक्ता	वारंट	काबिल जमानतहै	काबिल राजीनामा नहीं है	कैद यकसाला दोनों किस्मोंमें से एक किस्म की या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसीया मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जेदोम
४१८	उस शख्सको दगादेना जिसके हकूक की हिफाजत	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	कैद सेहसाला दोनों किस्मोंमें से एककिस्म की या	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी

	कानूनन् या अनरूय मुआहिदा कानूनी मुजरिम पर वाजिबहो					जुर्माना या दोनों	यामजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल या दर्जै दोम
४१९	दूसरा शख्स बनकर दगा करना	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्
४२०	दगाके ज़रियेसे किसी शख्सको बराहबददियानती माल हवालेकरने या किस कफालतुलमाल को तब्दील या तलफ करने की तरगीबदेनी	"	"	"	"	क़ैदहफ़तसाला दोनों किस्मों मेंसे एक किस्म की और जुर्माना	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल

फरेब आमेज़ वसीकों और मालको अलाहिदा कब्जेसे फरेबकरने के बयानमें ॥

४२१	मालवग़ैरह को करज़ख्वाहोंमें तक़सीमहोनेसे रोकनेकेलिये फरेबन्मुन्तकिल या मख़फी वग़ैरह करना	बेवारंट गिरफ़तारनहीं करसक्ता	वारंट	काबिल जमानतहै	काबिल राज़ीनामा नहीं है	क़ैददोसाला दोनोकिस्मों मेंसे एककिस्मको या जुर्माना यादोनों	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जैअव्वल या दर्जै दोम
४२२	ऐसे देन या मतालिबे का	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्

१	२	३	४	५	६	७	८
४२३	फरेबन् करजख्वाहोंको मयस्सरआने से रोकना जो मुजरिमका याफ़तनी हो फ़रेबन् ऐसे वसीके इन्तकालका मुकम्मिल करना जिसमें मुआविजेका झूठ बयान मुन्दर्ज हो	बेवारंट गिरफ़्तार नहीं कर सक्ता	वारंट	काबिल जमानत है	काबिल राजीनामा नहीं है	कैददोसाला दोनों किस्मों में से एक किस्मकी या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेटप्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
४२४	फरेबसे अपनी या शख्सगैर की जायदाद को मुन्तकिल या मख़फ़ी करना या उसमें मददेना या बराह बददियानती किसी मतालिबे या दावेसे जो मुजरिम का याफ़तनी हो दस्तकश होना	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्

नुक्सान रसानी के बयानमें ॥

४२६ एक्ट४५सन् १८६०ई०	नुक़सानरसानी	बेवारंट गिरफ़्तार नहीं करसक्ता	सम्मन	काबिल जमानत है	काबिल राजीनामा है जब	कैदसेहमाहा दोनोंकिस्मों मेसे एककिस्मकी या जुर्मा	हरमजिस्ट्रेट

					किनुकसान या हर्जा जो पहुंचायागया हो सिर्फ किसी शख्स ख़ानगी का नुकसान या हर्जा हो	ना या दोनों	
४२७	नुकसानरसानी के ज़रिये से पचासरुपये तक या उससे जियादह नुकसान पहुंचाना	ऐज़न्	वारंट	ऐज़न्	ऐज़न्	कैददोसाला दोनों किस्मों मेंसे एक किस्म की या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
४२८	१०) रु० या जियादहकी मालियतके लिये किसी हैवानके मारडालने या जहरदेने या उसको या उसके किसी अज़ोको बेकार करनेसे नुकसान रसानी	बेवारंटगिरफ़्तारकरसक्ताहै×	ऐज़न्	"	काबिल राज़ीनामा नहीं है	ऐज़न्	ऐज़न्
४२९	किसी हाथी या ऊंट या घोड़े वगैरहको कितनीहो मालियतका हो या किसी	ऐज़न्	"	.... "	ऐज़न	कैदपंजसाला दोनों किस्मों मेंसे एक किस्म की या जुर्माना या दोनों	अदालतसिशन या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अ

×ऐक्ट११सन्१८७४ई०कीदफ़ा४देखो--

१	२	३	४	५	६	७	८
	और हैवान को जिस की मालियत ५०) रु० या उससे जियादह हो मार डालने या जहर देने या उसको या उसके किसी अजोको बेकार करने से नुक़सान रसानी						व्वल या दर्जे दोम
४३०	उसपानीका जखीरह कम करदेनेसे नुक़सान रसानी जो जराअत वगैरह के कामों के लिये हो	बे वारंटगिरफ़्तारकरसक्ताहै	वारंट	काबिल जमानत है	काबिल राजीनामानहीं है	कैद पंजसालादोनोंकिस्मों में से एक किस्मकी या जुर्माना या दोनों	ऐजन् ....
४३१ ऐक्ट ४५ सन् १८६० ई०	किसीधारेआम या पुल या दरिया या नदी लायक रवानगीकिश्ती को नुक़सान पहुंचानेऔरउसकोऐसा करदेनेसे नुक़्सान रसानी कि वह सफ़र करने या माल लेजाने के लिये गुजरके काबिल न रहे या कम मामूनहोजाय	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	"
४३२	सैलाब का बाअसहोनेया	"	"	"	"	"	"

	किसी बदररौआमकापानी रोक देनेसे जिससे खिसा रह पहुंचता हो नुक़सान रसानी						
४३३	किशीलादूट हौस या लिश्रा नसमुद्रौकी तबाहकरने या उसकामौकाबदलनेया उस को किसीकदर बेकारकरदे नेयाझूठीरोशनीदिखानेके ज़रियेसे नुक़सान रसानी	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न	क़ैदहफ़्तसाला दोनोंक़िस्मोंमेंसेएकक़िस्मकी या जुर्माना या दोनों	अदालतसिशन
४३४	ज़मीनके निशान को जो सरकारी हुक़्म से क़ायम हूआहो बरबाद करने या उसका मौक़ा वग़ैरह बदलने के ज़रियेसे नुक़सान रसानी	बेवारंटगिरफ़्तार नहीं कर सक्ता	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न	क़ैदयकसालादोनोंक़िस्मों में से एक क़िस्म की या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल या दर्जै दोम
४३५	बज़रिये आग या भकसे उड़जाने वाली शैके १०० रु० या उससे ज़ियादह का नुक़सानकरनेकी नीयत से नुक़सान रसानी	बेवारंटगिरफ़्तारकरसक्ताहै	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न	क़ैद हफ़्तसला दोनों क़िस्मोंमेंसे एकक़िस्मकी और जुर्माना	अदालतसिशन

१	२	३	४	५	६	७	८
	करना या दरसूरत दावार जराअतके १०) रु०याउस से जियादह का नुक़सान करना						
४३६	बजरिये आग या भक से उड़जानेवाली शैके मकान वग़ैरह तबाह करने की नीयतसे नुक़सान रसानी	बेवारंटगिरफ़्तारकरसक्ता है	वारंट	काबिल ज़मानत नहीं है	काबिल राज़ीनामा नहीं है	हब्सदवाम बउबूरदरियाय शोरया कैददहसाला दोनों किस्मोंमें से एक किस्मकी और जुर्माना	अदालत सिशन
४३७ ऐक्ट ४५ सन् १८६० ई०	नुक़सानरसानी इस नीयत से कि कोई पटाहुआ मर्कबतरी या ऐसा मर्कबतरी जो २०मन बोझ उठाता हो तबाह या कम मामून होजाय	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	कैददहसाला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्म की और जुर्माना	ऐजन्
४३८	नुक़सान मुतज़क्किरे दफ़े मुलहक़ैबाला जबकि उस का इर्तिकाब आगया किसी भक से उड़जानेवाले मादहके ज़रिये से कियाजाय	"	"	"	"	हब्सदवाम बउबूर दरियायशोर या कैददहसाला दोनों किस्मों मेंसे एककिस्मकी और जुर्माना	"
४३९	सर्का वग़ैरह के इर्तिकाब	"	"	"	"	कैददहसाला दोनोंकिस्मों	

४४०	के नियतसे मर्कबतरी को कनारेपर टकराना हलाक करने या जररवगैरहपहुंचाने की तय्यारी के बाद नुकसान रसानी	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन् ..	मेंसे एक किसमकी और जुर्माना कैद पंजसालादोनोंकिसमो मेंसे एक किसम की और जुर्माना	ऐजन्

मदाखिलतबेजा मुजरिमाना केबयानमें ॥

४४७	मदाखिलत बेजा मुजरिमाना	बेवारट गिरफ़तार कर सक्ता है	सम्मन	काबिल जमानतहै	काबिल राजीनामा नामाहै	कैदसेहमाहादोनो किसमो मेसे एक किसमकी यापांचसौरुपया जुर्मानाया दोनों	हरमाजस्ट्रेट
४४८	मदाखिलत बेजा बखाना	ऐजन्	वारंट	ऐजन्	ऐजन्	कैदएकसालादोनों किसमों में एक किसम की याएक हजार रुपया जुर्मानाया दोनों	ऐजन्
४४९	उसजुर्मके दुर्त्तिकाब के लिये जिसकीसज़ा मौतहै मदाखिलत बेजा बखाना	ऐजन्	ऐजन्	काबिल जमानत नहीं है	काबिल राजीनामा नहीं है	हब्सदवामबउबूर दरिया यशोर या कैद सख्त दहसाला और जुर्माना	अदालतसिशन
	उसजुर्मकेदुर्त्तिकाबकेलिये जिसकीसजा हब्सदवाम बउबूर दरियाय शोर है मदाखिलत बेजा बखाना	ऐजन् ..	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	कैददहसाला दोनों किसमोंमेंसे एक किसम की और जुर्माना	ऐजन्

१	२	३	४	५	६	७	८
४५१ ऐक्ट ४५ सन् १८६० ई०	उस जुर्म के इर्तिकाब के लिये जिसकी सजा कैद है मदाखिल बेजा बखाना	बेवारंटगिरफ़्तारकरसक्ताहै	वारंट	काबिल जमानत है	काबिल राज़ीनामा नहीं है	कैद दोसाला दोनो किस्मों में से एक किस्म की और जुर्माना	हर मजिस्ट्रेट
	अगर वह जुर्म सर्का हो	ऐज़न्	ऐज़न्	काबिल जमानत नहीं है	ऐज़न्	कैद हफ़्तसाला दोनों किस्मों में से एक किस्मकी और जुर्माना	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसीया मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल या दर्जै दोम
४५२	ज़रर पहुंचाने या हमला करनेकी तय्यारीकरके मदाखिलत बेजा बख़ाना	”	”	”	”	ऐज़न्	ऐज़न्
४५३	मख़फ़ी मदाख़िलत बेजा बख़ाना या नकबज़नी	”	”	”	”	कैद दो साला दोनों किस्मों मेंसे एक किस्मकी और जुर्माना	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल या दर्जै दोम
४५४	उसजुर्म के इर्तिकाबके लिये जिसकी सजा कैद हो मख़फ़ी मदाख़िलत बेजा बख़ाना या नक्बज़नी	”	”	”	”	कैद सेहसाला दोनोंकिस्मों मेसे एक किस्म की और जुर्माना	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल या दर्जै दोम
	अगर वह जुर्मसर्काहो	”	”	”	”	कैददहसाला दोनोंक़िस्मों में से एककिस्म की और जुर्माना	ऐज़न्

४५५	ज़ररसानी या हमला व ग़ैरह की तय्यारी करके मख़फ़ी मदाख़िलत बेजाब ख़ाना या नकबजनी	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न् ••	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
४५६	मख़फ़ी मदाख़िलत बेजा बख़ाना या नकबजनी वक्त शब	,,	,,	,,	,,	क़ैदसिहसाला दोनों किस्मों में से एक किस्मकी और जुर्माना	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
४५७	उस जुर्मके इर्तिकाबके लिये जिसकी सज़ा क़ैदहै मख़फ़ीमदाख़िलतबेजाबख़ाना या नकबजनी वक्त शब अगर वह जुर्म सर्का हो	,,	,,	,,	,,	क़ैद पंजसाला दोनों किस्मों मेंसे एक किस्मकी और जुर्माना	ऐज़न्
		,,	,,	,,	,,	चहार दहसाला दोनों किस्मों मेंसे एक किस्म की और जुर्माना	ऐज़न्
४५८	ज़ररसानी वग़ैरह की तैयारीकरके मख़फ़ीमदाख़िलत बेजा बख़ानाया नकबजनी वक्त शब	,,	,,	,,	,,	ऐज़न्	अदालत सिशनया मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेटदर्जे अव्वल
४५९	मख़फ़ी मदाख़िलत बेजा बख़ाना या नकबजनी के इर्तिकाब की हालत में	,,	,,	,,	,,	हब्सदवामबउबूर दरिया यशोर या क़ैद दह साला दोनों किस्मों मेंसे एक	अदालतसिशन

ऐक्ट ४५ सन् १८६० ई०

१	२	३	४	५	६	७	८
	जरर शदीद पहुंचाना					किस्म की और जुर्माना	
४६०	जो लोग कि नकब जनी वक्त शब वगैरहमें शरीक हों उनमें से किसी एकके हाथसे हलाकत या जरर शदीदका सरजद होना	बेवारंट गिरफ्तारकरसक्ता है	वारंट	काबिल जमानत नहीं है	काबिल राजीनामा नहीं है	ऐजन्	अदालत सिशन
४६१	किसी बन्दकिये हुये जर्फ को जिसमें माल हो या मालहोनेका गुमान होब राह बददियानती तोडकर खोलना या उसका बन्द खोलना	ऐजन्	ऐजन्	काबिल जमानत है	ऐजन्	कैद दोसाला दोनों क़िस्मों में से एक किस्म की या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसीया मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
४६२	किसी बन्दकिये हुये जर्फ को जिसमें माल हो या मालहोने का गुमान हो और वह उसके पास अमानतन् रक्खा गया हो फरेबन्खोल डालना	,,	,,	काबिल जमानत नहीं है	,,	कैदसेहसाला दोनो किस्मो मेंसे एक किस्म की या जुर्माना या दोनों	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल यादर्जेदोम

बाब हेजदहुम ॥

उनजुर्मोंके बयानमें जो दस्तावेजों से और हर्फी या मिल्कियतके निशानोंसे मुतअल्लिकहैं ॥

४६५ ऐ.४५सन १८६०ई०	जालसाजी	बेवारंटगिरफ्तारनहीं कर सक्ता	वारंट	काबल ज़मानत है	काबिल राजीनामानहींहै	क़ैद दो साला दोनो किस्मों में से एक किस्म की या जुर्माना या दोनों	अदालत सिशन	
४६६	कोर्ट आफजसटिसके किसी कागज सरिश्ते या विलादत के रजिस्टर वगैरह मुरत्तिबा मुलाजिम सरकारी को जाली बनाना	ऐज़न	ऐज़न	काबिल जमानत नहीं है	ऐज़न	क़ैद हफ्तसाला दोनों किस्मों में से एक किस्म की औरजुर्माना	ऐज़न	
४६७	किसी किफालतुलमाल या वसीअतनामायाऐसे दस्तावेजको जो किफालतनामा सरकारी बनानेयामुन्तकिलकरने या रुपया वगैरह हासिल करनेकोइजाजतनामा हो जाली बनाना	”	”	ऐज़न	”	हबस दवाम बउबूर दरियायशोर या क़ैददहसाला दोनों किस्मोंमें से एक किस्मकी और जुर्माना	”	
	जबकि किफालतुलमालगवर्नमेंट हिंदकाप्रामेसरी नोट हो	बेवारंट गिरफ्तारकरसक्ताहै	”	”	”	ऐज़न	”	
४६८	दगादिहीकी गरजसे जाल	बे वारंट गिर	”	”	”	क़ैद हफ्तसाला दोनों कि	”	

१	२	३	४	५	६	७	८
	साजी	फ़तार नहीं करसक्ता				इनोंमेंसेएकक़िस्म की और जुर्माना	
४६९	किसी शख़्सकीनेकनामीमें ख़ललडालने की ग़रज़से जालीदस्तावेज बनानाया यह जानकरजाली दस्तावेजबनाना किवहदस्तावेज़ उसकीनेकनामीमें ख़ललडालनेकेलियेमुस्तैमिल होगी	बे वारंट गिरफ़तार नहीं करसक्ता	वारंट	काबिल जमानत है	काबिल राज़ीनामा नहींहै	क़ैदसहसाला दोनोंक़िस्मों मेंसे एक क़िस्म की और जुर्माना	अदालतसिशन
४७१ ऐक्ट४५सन्१८६०ई०	जालीदस्तावेज़को जाली जानकर सही दस्तावेज की हैसियतसे काममेंलाना	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	वही सजा जो जालसाजी के लिये मुकर्रर है	ऐजन्
	जब कि जाली दस्तावेज गवर्नमेंट हिन्द का प्रामेसरी नोटहो	बेवारंटगिरफ़्तारकरसक्ताहै	,,	काबिल जमानत नहीं है	,,	ऐजन्	,,
४७२	जालसाज़ी मुस्तौजिब सज़ाय मुकर्ररा दफ़ा ४६७ मजमूये ताजीरात हिन्द की किसीमुहर या धातुकी कंदह की हुई तख्ती वग़ैरहका बनाना या उस	बेवारंटगिरफ़्तार नहीं कर सक्ता	,,	ऐजन्	,,	हबसदवाम बउबूर दरियायशोर या क़ैद हफ्तसाला या दोनोंक़िस्मों मेंसे एक क़िस्म की और जुर्माना	,,

	की तलबीसकरना या ऐसी मुहर या कन्दहकी हुई तख्ती वगैरहकोमुलतबिस जानकर उसी नियत से अपने पासरखना						
४७३	उस जालके इर्त्तिकाब की नियतसे जिसको सजामजमूये ताजीरातहिन्द की दफ़ा ४६७ के अलावहकिसी और दफ़ामें मुकर्रर है किसी मोहर या धातु की कन्दा की हुई तख्ती वगैरहका बनाना या उसकी तलबीस करनी या ऐसी मोहरया तख्ती वग़ैरहको यह जानकर कि वह मुलतबिस है उसी नियत से अपने पासरखना	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	कैद हफ्तसाला दोनों किस्मोंमेंसेएक किस्मकी और जुर्माना	अदालत सिशन
४७४	किसी दस्तावेज काजाली होनाजानकर उसको सही ह दस्तावेज की हैसियत से काममें लानेकी नीयत	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्

१	२	३	४	५	६	७	८
	से अपनेपासरखना बयत्तें किदस्तावेजउस किस्ममेंसे होजो मजमूये ताजीरातहिन्दकी दफा४६६में मजकूरहै अगर वह दस्तावेज उस किस्ममेंसे हो जो मजमूये ताजीरातहिन्द की दफा ४६७ में मजकूरहै—	बे वारंट गिरफ्तार नहीं कर सक्ता	वारंट	काबिलजमानत नहीं है	काबिल राजीनामा नहींहै	हब्स दवाम बउबूर दरियायशोर या क़ैद हफ्तसाला दोनों किस्मोंमेंसेएकक़िस्म की औरजुर्माना	अदालतसिशन
४७५ एक्ट४५सन्१८६०ई०	किसीअलामतयानिशानकी तलबीस करनी जो दस्तावेज़ातमुफस्सिलै दफा४६७ मजमूये ताजीरातहिन्द की तसदीक़ के लिये मुस्तैमिल होताहो या ऐसे माद्दे को पासरखना जिसपर अलामत या निशानमुलतबिस सब्तहो	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन् ••	ऐजन्
४७६	किसीअलामत या निशान की तलबीस करनी जो सिवाय दस्तावेज़ात मुफस्सिलैदफा ४६७ मजमूये	"	"	"	"	क़ैदहफ्तसालादोनोंकिस्मों में से एक किस्म की और जुर्माना	

	ताजीरात हिन्दके और २ दस्तावेजात की तसदीक के लिये मुस्तैमिल होता हो या ऐसे माद्दे को पास रखना जिस पर अलामत या निशान मुत्तबिस सब्तहो						
४७७	फरेब से वसीयतनामा वगैरह को तलफ करना या बिगाड़ना या तलफ करने याबिगाड़नेका इक दामकरनायामख़फ़ीकरना	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	हब्स दवाम बउबूर दरियायशोर याकैदहफ़्तसाला दोनों क़िस्मोंमें से एक क़िस्म की और जुर्माना	ऐज़न्

हर्फों और मिल्कियतके निशानात ॥

४८२	किसी शख़्सको धोकादेने या नुकसान पहुंचाने की नीयत से हर्फा या मिल्कियतके झूठे निशानको काममें लाना	बेवारट गिरफ्तार नहीं कर सक्ता	वारंट	काबिल ज़मानत है	काबिल राज़ीनामा नहीं है	कैदयकसाला दोनों क़िस्मोंमेंसेएकक़िस्मकी या जुर्माना यादोनों	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसीया मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल या दर्जै दोम
४८३	किसी शख़्सकोनुकसानया खिसारह पहुंचानेकीनीयतसे हर्फा या मिल्कियतके ऐसेनिशानकी तलबीस	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	कैददोसाला दोनोंक़िस्मों मेंसेएकक़िस्मकीयाजुर्माना या दोनों	ऐज़न्

१	२	३	४	५	६	७	८
४८४ संक्टट४५सन्१८६०ई०	करनी जिसको कोई और शख्स काममें लाता हो मिल्कियतके ऐसे निशान की तलबीस करनी जिस कोकोई सरकारी मुलाजिम काममें लाताहो या ऐसे निशानकीतलबीस करनी जिसको मुलाजिममजकूर मालकी जायसाख्त और दर्जावगैरहके ज़ाहिर करने के लिये काममें लाताहो	बेवारंट गिरफ़्तारनहींकरसक्ता	सम्मन	काबिल ज़मानत है	काबिल राजीनामा नहीं है	कैदसेहसालादोनोंकिस्मों मेंसे एक किस्म की और जुर्माना	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेजीडेन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
४८५	मिल्कियत या हर्फे के किसीआम या ख़ास निशान कीतल्बीसके लिये ठप्पा याधातु की कंदहकी हुई तख्ती या आला फरेबन् बनाना या पासरखना	ऐज़न्	ऐजन्	ऐज़न्	ऐजन्	कैदसेहसालादोनोंकिस्मो मेंसे एकक्रिस्मकी या जुर्माना या दोनों	ऐज़न् ....
४८६	दोदह वदानिस्ता ऐसेअस बाबकाफरोख्त करनाजिस पर मिल्कियत या हिर्फेका मुल्तबिस निशानसबत हो	”	”	”	”	कैदयकसाला दोनोंकिस्मों मेंसे एक किस्मकी या जुर्माना यादोनो	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम

४८७	किसीगठरीया जर्फपरजिस मेंमालहोफरेबन् दूसरीयत सेझूठानिशान बनाना कि उसमें उसमालकाहोनाबा वरकियाजाय जोउसमेंनहो	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	कैदसेहसाला दोनों किस्मों मेंसेएक किस्मकी या जुर्माना या दोनों	अदालत सिशन या मजिस्टेट प्रेजीडेंसी यामजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जेदोम
४८८	किस्ममज़कूरके झूठे निशान का काम में लाना	”	”	”	”	ऐजन्	ऐजन्
४८९	खिसारह पहुचाने कीनीयतसे किसीनिशानमिल्कियतका दूरकरना या उसे मादूमकरना याबिगाडना	”		”	”	कैदयकसाला दोनों किस्मोंमें से एक किस्मकी या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जेदोम

बाब नौजदहुम ॥

खिदमतके मुआहिदों के नुक्ज मुजरिमाना के बयान में ॥

४९० ऐक्ट ४५ सन् १८६० ई०	जिस शख्सपर मुआहिदेकी रूसे किसी सफरतरीयाखुश्की में बजातखिदमतकरना या किसी माल या शख्स का पहुंचाना याहिफाजत करना वाजिबहोवह बिल इरादाऐसा करना तर्ककरे	बेवारंट गिरफ्तार नहीं कर सक्ता	सम्मन	काबिल जमानत है	काबिल राज़ीनामा है	कैदयकमाहा दोनोंकिस्मोंमें से एक किस्म की या एक सौ रुपया जुर्माना या दोनो	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम

१	२	३	४	५	६	७	८
४९१	जिस शख्सपर किसी ऐसे शख्स की बज़ात खिदमत गुज़ारी करना या उस की ज़रूरियात का बहम पहुंचाना वाजिबहो जो सगीरसिनी या फितरअक्ल या मर्ज के बाअस लाचार हो वह बिल इरादह ऐसा करना तर्ककरे	बेवारंट गिरफ्तार नहीं कर सक्ता	सम्मन	काबिल जमानत है	काबिल राज़ीनामा है	कैद सेहमाहा दोनो किस्मों मेंसे एक किस्म की या दोसौ रुपया जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
४९२	जिसशख्सपर किसी मुआहिदा की रूसे किसी ऐसे मुकाम दूर व दराज़ पर जहां खिदमत करनेवाला खिदमतलेनेवालेके खर्च से पहुंचाया गया हो किसी खासमुद्दततक अपनीजात से खिदमतकरना वाजिब हो उसका मुकाम मज़कूर से कसदन नौकरी छोड करभागजाना या कामकीअंजामदिहीसे इन्कारकरना	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	कैदयकमाहा दोनों किस्मों में से एक क़िस्म की या खर्च से दो गुना जुर्माना या दोनों	ऐजन्

बाबबिस्तुम् ॥
उनजुर्मोंके बयानमें जो अज़दवाजसे तअल्लुक़ रखतेहैं ॥

४९३	कोई मर्द धोके से किसी औरत को जिसका अजदवाज जायज उसकेसाथ न हुआहो यहबावर कराये कि उसका अजदवाज जायज उसकेसाथहुआ है औरउसयक़ीनकी हालतमें उससे अपने साथ हम खानगीकराये	बे वारट गिरफ्तार नहीं करसक्ता	वारट	काबिल जमानत नहीं है	काबल राज़ीनामानहीं है	कैद दहसाला दोनों किसमोंमेंसेएक किस्म की और जुर्माना	अदालत सिशन
४९४	शौहर या जौजाके हीनहयात मुकर्रर अजदवाज करना (ऐ० ४५ सन् १८६० ई०)	ऐज़न्	ऐज़न्	काबिल जमानत है	ऐज़न्	कैदहफ्तसालादोनोंकिस्मोंमेंसेएक किस्मकीऔर जुर्माना	ऐज़न्
४९५	वही जुर्मसाथ छिपाने अजदवाज साबिक के उस शख्ससे जिसके साथपिछला अज़दवाजहुआहो	,,	,,	काबिल जमानत नहीं है	,,	कैद दहसाला दोनोंकिस्मों मेसेएककिसमकी और जुर्माना	,,
४९६	फ़रेबकी नीयतसे रस्मनिकाह	,,	,,	ऐज़न्	,,	कैदहफ्तसालादोनोंकिस्मे	,,

१	२	३	४	५	६	७	८
	न अजदवाज का अदा करना यह जानकर कि इनमरासिमके अदाकरने से उसका अजदवाज जायज नहीं होता					मेंस एक किस्म की और जुर्माना	
४९७	जिना	बेवारंट गिरफ्तार नहीं कर सक्ता	वारंट	काबिल जमानत है	काबिल राजीनामा है	कैदपंजसालादोनोंकिस्मों में सेएककिस्मकी याजुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेटप्रेजीडेंसीयामजिस्ट्रेटदर्जेअव्वल
४९८	नीयत मुजरिमानाके साथ किसी औरत मनकूहा को फुसलालेजाना याले उडना या रोकरखना	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	कैददोसालादोनोंकिस्मों मेसेएक किस्मकीयाजुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जेदोम

बाब बिस्तवयकुम ॥

इजालेहैसियत उर्फी के बयान में ॥

५००	इजाले हैसियत उर्फी	बेवारंट गिरफ्तार नहीं करसक्ता	वारंट	काबिल जमानत है	काबिल राजीनामाहै	कैदमहज दो साला या जुर्माना या दोनों	अदालतसिशन या मजिस्ट्रेटप्रेजीडेंसी यामजिस्ट्रेट दर्जेअव्वल

५०१	किसी मज़्मून को यह जान कर कि वह मुज़य्यल हैसियत उर्फी है छापना या कंदह करना	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्
५०२	किसी छपे हुये या कंदा किये हुये माद्दे को जिस में कोई मज़मून मुज़य्यल हैसियत उर्फी हो यह जान कर कि उसमें ऐसा मज़मून है फ़रोख़्त करना	”	”	”		”	”

बाब बिस्तवदोम ॥

तख़वीफ़ मुजरिमाना व तौहीन मुजरिमाना व रंजदिही ॥

५०४ (ऐ० ४५ सन १८६० ई०)	नुक़्ज़ अमन कराने की निय्यत से तौहीन करनी	बेवारंट गिरफ़्तार नहीं कर सक्ता है	वारंट	क़ाबिल ज़मानत है	क़ाबिल राज़ीनामा है	क़ैद दो साला दोनों किस्मों में से एक किस्म की या जुर्माना या दोनों	हर मजिस्ट्रेट
५०५	बगावत या जरायम मुख़ालिफ़ अमन ख़लायक़ करने की निय्यत से झूठा बयान या झूठी अफ़वाह वगैरह फैलाना	ऐज़न्	ऐज़न्	क़ाबिल ज़मानत नहीं है	क़ाबिल राज़ीनामा नहीं है	ऐज़न्	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेन्सी मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
५०६	तख़वीफ़ मुजरिमाना	”	”	क़ाबिल ज़मानत	क़ाबिल राज़ी	ऐज़न्	ऐज़न्

जरायम खिलाफ वर्ज़ी कवानिनदीगर ॥

१	२	३	४	५	६	७	८
ऐक्ट११सन१८७८ई०	अगर सजाय मौत याहब्स ब उबूर दरियाय शोरया कैदहफ्तसाला या उससे जियादह के लायक हो	बे वारंट गिरफ़्तार करसक्ता है	वारंट	काबिल जमानत नहीं है	क़ाबिल राजीनामा नहीं है		अहकाम दफा २९ मजमूये हाजा के मुताबिक
	अगरतीनसाल और उससे जियादहऔर सातबरससे कम कैद की सजा के लायकहो	ऐजन्	ऐजन्	काबिल जमानत नहीं है बजुज मुकद्दमात मुतअल्लिके. ऐक्ट दूसला हिन्द मुसद्दिरहसन १८५८ ई० कीदफा १६ के कि उससूरतमें काबिल जमानतहै	ऐजन्		
	अगर तीनबरससे कमकैद की सजा के लायक़ हो	बिलावारंटगिरफ़्तार नहीं कर सक्ता	सम्मन सम्मन	काबिल ज़मानत है	ऐजन्		
	अगर सिर्फ जुर्मानेकी सजा के लायक हो	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	״		

जमीमा सोम ॥

अख्तियारात मामूली साहिबान मजिस्ट्रेट मुफ़स्सिल ॥

१–अख्तियारात मामूली साहिबान मजिस्ट्रेट दर्जै सोम ॥

(१) अख्तियार गिरिफ्तारी या इसदार हुकुम गिरिफ्तारी मुजरिम बमवाजह मजिस्ट्रेट दफा ६५ ॥

(२) अख्तियार इस्काम इबारत जोहरी का ऊपर वारंट के या इस हुक्मका कि शख्स मुल्जिम जो वारंट के बमूजिब गिरफ्तारहुआहो मुन्तकिल कियाजायदफआत ८३ व ८४ व ८६ ॥

(३) अख्तियार इजराय इश्तिहार उन मुक़द्दमात में जो मजिस्ट्रेट के रूबरू अदालतानादायरहों दफा ८७ ॥

(४) अख्तियार कुर्की और नीलाम मालका उनमुकद्दमात में जो मजिस्ट्रेट के रूबरू अदालताना दायर हों दफा ८८ ॥

(५) अख्तियार वापिस करने जायदाद मकरूकेका दफा८९॥

(६) अख्तियार इजराय वारंट तलाशी दफा ९६ ॥

(७) अख्तियार इस्काम इबारत जोहरीका ऊपर वारंट तलाशीके और सिदूरहुकुमहवालगी शैदास्तियाबशुदहकादफा९९॥

(८) अख्तियार कलमबंदी इकबाल जुर्म या बयानात का अस्नाय तफ्तीश पुलिसमें दफा १६४ ॥

(९) अख्तियार इसदार हुकुम नजरबंदी किसी शख्सका अस्नाय तफ्तीश पुलिस में दफा १६७ ॥

(१०) अख्तियार नजरबंदी किसी शख्स मुलजिम का जो अदालतमें पायाजाय दफा ३५१ ॥

(११) अख्तियार फरोख्त अशियाय अजकिस्म मुश्तबहका जो जल्द खराब होजाने के लायकहों दफा ५२५ ॥

२—अख्तियारात मामूली साहिबान मजिस्ट्रेट दर्जै दोम ॥

(१) अख्तियार मामूली मजिस्ट्रेट दर्जै सोम ॥

(२) अख्तियार इसदार हुक्म बनाम पुलिस वास्ते तफ्तीश जुर्मके उन मुकद्दमातमें जिनमें मजिस्ट्रेट तजवीज करने या तजवीज के लिये सिपुर्द करनेका अख्तियार रखताहो दफा १५५ ॥

३—अख्तियारात मामूली साहिबान मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल ॥

(१) अख्तियारात मामूली मजिस्ट्रेट दर्जै दोम ॥

(२) अख्तियार इजराय वारंट तलाशी और और वक्तपर सिवाय दौरान तहकीकातके दफा ९८ ॥

(३) अख्तियार सादिर करने वारंट तलाशीका निस्बत उन अशखासके जो बतौर नाजायज कैद कियेगयेहों दफा १०० ॥

(४) अख्तियार तलबी जमानत हिफ्ज अमन खलायक दफा १०७ ॥

(५) अख्तियार तलबी जमानत नेकचलनीदफा १०९ ॥

(६) अख्तियार इसदार अहकाम वगैरह कब्जे के मुकद्दमात में दफआत १४५ व १४६ व १४७ ॥

(७) अख्तियार सिपुर्दगी वास्ते तजवीज के दफा २०६ ॥

(८) अख्तियार खतम करने कार्रवाई का उसवक्त जबकोई इस्तगासा न हो दफा २४९ ॥

(९) अख्तियार इसदार अहकाम बाबत नान व नुफ़्का दफ़आत ४८८ व ४८९ ॥

४—अख्तियारात मामूली साहिबान मजिस्ट्रेट जिले जिला ॥

(१) मामूली अख्तियारात मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल ॥

(२) अख्तियार भेजने वारंटका जमींदारोंके नामदफा७८ ॥

२--(अलिफ) ×--अख्तियार नेकचलनी की जमानत तलब करने का दफा ११० ॥

(३) अख्तियार इसदार अहकाम बाबत उमूर तकलीफ देह मौका दफा १३३ ॥

(४) अख्तियार इसदार अहकाम बइम्तनाअ तकरार अशियाय तकलीफदेह खलायक़ दफा १४३ ॥

(५) अख्तियार इसदार अहकाम महकूमै दफा १४४ ॥

(६) अख्तियार करने तहकीकातवजह मर्गकादफा १७४ ॥

× आरटीकल(२—अलिफ)—ऐक्ट१० सन्१८८६ई०की दफ़ा१८कीरूसेमुंदर्जकियागयाहै—

(७) अख्तियार इजराय हुक्मनामा बनाम शख्स मौजूद-ह इलाके अरजी जिससे जुर्म बेरूं इलाक़े अरजी के सरजद हुआ हो दफा १८६ ॥

(८) अख्तियार समाअत इस्तगासै दफा १९१ ॥

(९) अख्तियार लेने पुलिस रिपोर्ट का दफा १९१ ॥

(१०) अख्तियार समाअत मुकद्दमात बिदून इस्तगासा दफा १९१ ॥

(११) अख्तियार इन्तकाल मुकद्दमातका पास मजिस्ट्रेट मातहतके दफा १९२ ॥

(१२) अख्तियार इसदार हुक्मसजा बरबिनाय मिसल मुरत्तिबै मजिस्ट्रेट मातहत दफा ३४९ ॥

(१३) अख्तियार फरोख्त मालकाजो मसरूका करार दियागया या गुमान कियागयाहो दफा ५२४ ॥

(१४) अख्तियार उठादेने मुकद्दमात का सिवाय मुक़द्दमात अपीलके और उनकी तजवीज़ करने या तजवीज़के लिये सुपुर्द करने का दफ़ा ५२८ ॥

५— अख्तियारात मामूली मजिस्ट्रेट जिला ॥

(१) अख्तियारात मामूली मजिस्ट्रेट हिस्साज़िला जो माजिस्ट्रेटदर्जा अव्वल भीहो ॥

(२) अख्तियार इजराय वारंट तलाशी निस्बतदस्तावेजातजो मुन्तजिमान डाकखाना या टेलीग्राफ़की तहवीलमें हों दफ़ा ९६ ॥

(३) अख्तियार रुख्सतकरने अशखासका जिन्हों ने हिफ्ज़ अमन या नेकचलनीका मुचलकह दियाहो दफा १२४ ॥

(४) अख्तियार मंसूख करने मुचलकह हिफ्ज़ अमन का दफ़ा १२५ ॥

(५) अख्तियार तजवीज़ सरसरी दफ़ा २६० ॥

(६) अख्तियार मन्सूखी हुक्म इसबात जुर्म का बाज़ सूरतों में दफा ३५० ॥

३—अख्तियारात मामूली साहिबान मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल ॥

(१) अख्तियारात मामूली मजिस्ट्रेट दर्जै दोम ॥

(२) अख्तियार इजराय वारंट तलाशी और और वक्तपर सिवाय दौरान तहक़ीक़ातके दफ़ा ९८ ॥

(३) अख्तियार सादिर करने वारंट तलाशीका निस्बत उन अशखासके जो बतौर नाजायज क़ैद कियेगयेहों दफ़ा १०० ॥

(४) अख्तियार तलबी जमानत हिफ्ज अमन खलायक़ दफ़ा १०७ ॥

(५) अख्तियार तलबी जमानत नेकचलनी दफ़ा १०९ ॥

(६) अख्तियार इसदार अहकाम वगैरह क़ब्जे के मुक़द्दमात में दफ़आत १४५ व १४६ व १४७ ॥

(७) अख्तियार सिपुर्दगी वास्ते तजवीज के दफ़ा २०६ ॥

(८) अख्तियार खतम करने कार्रवाई का उसवक़ जबकोई इस्तगासा न हो दफ़ा २४९ ॥

(९) अख्तियार इसदार अहकाम बाबत नान व नुफ़क़ा दफ़आत ४८८ व ४८९ ॥

४—अख्तियारात मामूली साहिबान मजिस्ट्रेट जिला ॥

(१) मामूली अख्तियारात मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल ॥

(२) अख्तियार भेजने वारंटका जमींदारोंके नामदफ़ा ७८ ॥

२-(अलिफ) ×-अख्तियार नेकचलनी की जमानत तलब करने का दफ़ा ११० ॥

(३) अख्तियार इसदार अहकाम बाबत उमूर तकलीफ़ देह मौका दफ़ा १३३ ॥

(४) अख्तियार इसदार अहकाम बइम्तनाअ तकरार अशियाय तकलीफ़देह खलायक़ दफ़ा १४३ ॥

(५) अख्तियार इसदार अहकाम महकूमै दफ़ा १४४ ॥

(६) अख्तियार करने तहक़ीक़ातवजह मर्गकादफ़ा १७४ ॥

× आरटीकल (२—अलिफ)—ऐक्ट १० सन् १८८६ ई० की दफ़ा १८ कीरूसेमुं दर्जकियागयाहै—

(७) अख्तियार इजराय हुक्मनामा बनाम शख्स मौजूद-ह इलाके अरजी जिससे जुर्म बेरूं इलाक़ै अरजी के सरजद हुआ हो दफ़ा १८६ ॥

(८) अख्तियार समाअत इस्तग़ासै दफ़ा १९१ ॥

(९) अख्तियार लेने पुलिस रिपोर्ट का दफ़ा १९१ ॥

(१०) अख्तियार समाअत मुक़द्दमात बिदून इस्तग़ासा दफ़ा १९१ ॥

(११) अख्तियार इन्तकाल मुक़द्दमातका पास मजिस्ट्रेट मातहतके दफ़ा १९२ ॥

(१२) अख्तियार इसदार हुक्मसजा बरबिनाय मिसल मुरत्तिबै मजिस्ट्रेट मातहत दफ़ा ३४९ ॥

(१३) अख्तियार फ़रोख्त मालकाजो मसरूका करार दियागया या गुमान कियागयाहो दफ़ा ५२४ ॥

(१४) अख्तियार उठादेने मुक़द्दमात का सिवाय मुक़द्दमात अपीलके और उनकी तजवीज़ करने या तजवीज़के लिये सुपुर्द करने का दफ़ा ५२८ ॥

५— अख्तियारात मामूली मजिस्ट्रेट जिला ॥

(१) अख्तियारात मामूली मजिस्ट्रेट हिस्साज़िला जो माजिस्ट्रेटदर्जा अव्वल भीहो ॥

(२) अख्तियार इजराय वारंट तलाशी निस्बतदस्तावेजातजो मुन्तजिमान डाकखाना या टेलीग्राफ़की तहवीलमें हों दफ़ा९६॥

(३) अख्तियार रुख्सतकरने अशखासका जिन्हों ने हिफ्ज़ अमन या नेकचलनीका मुचलकह दियाहो दफ़ा १२४ ॥

(४) अख्तियार मंसूख करने मुचलकह हिफ्ज़ अमन का दफ़ा १२५ ॥

(५) अख्तियार तजवीज़ सरसरी दफ़ा २६० ॥

(६) अख्तियार मन्सूखी हुक्म इसबात जुर्म का बाज़ सूरतों में दफ़ा ३५० ॥

(७) अख्तियार समाअतअपील काबनाराजी अहकाम मुतजम्मिनतलब जमानतनेकचलनी दफा ४०६ ॥

(८)अख्तियार समाअत यासिपुर्द करने अपील का बनाराजी अहकाम इसबात जुर्म मुसद्दिरै साहिबान मजिस्ट्रेटदर्जै दोम और दर्जै सोमकेदफा ४०७॥

(९) अख्तियार तलबी मिसलदफा ४३५॥

(१०) अख्तियार तरमीम अहकाम जो दफा ५१४ केमुताबिक सादिर हुयेहों दफा ५१५॥

ज़मीमै चहारुम ॥

अख़्तियारात ज़ायद जो साहिबानमजिस्ट्रेट मुफ़स्सिल को अता होसक्ते हैं ॥

अख़्तियारात जो मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल को अता होसक्ते हैं ॥

बहुक्म लोकलगवर्नमेंट ॥

१ अख़्तियार तलब करने ज़मानत नेकचलनी का दफ़ा ११० ॥

२ अख़्तियार इसदार अहकाम बाबत उमूर तकलीफ़देह मौक़ा दफ़ा १३३ ॥

३ अख़्तियार इसदार अहकाम इम्तनाअ़त क़रीर उमूर तकलीफ़देह ख़लायक़ दफ़ा १४३ ॥

४ अख़्तियार इसदारअहकामहस्बदफ़ा १४४॥

५ अख़्तियार तहक़ीक़ातवजहमर्गदफ़ा१७४ ॥

६ अख़्तियार इजराय हुक्मनामा बनाम शख़्स मौजूदह इलाके अर्ज़ी जिससे बेरूं इलाक़े अर्ज़ी जुर्म सरज़द हुआ हो दफ़ा १८६ ॥

७ अख़्तियार समाअ़त जरायम वक्त इस्तग़ासे दफ़ा १९१ ॥

बहुक्म लोकलगवर्नमेंट ॥

८ अख़्तियार समाअ़त जरायम वक्त हुसूल रिपोर्ट पुलिस दफ़ा १९१ ॥

९ अख़्तियार समाअ़त जरायम मुख़बरी पर दफ़ा १९१ ॥

१० अख़्तियार तजवीज़ सरसरी दफ़ा २६० ॥

११ अख़्तियार समाअ़त अपील बनाराज़ी हुक्म इसबात जुर्म मुसद्दिरे मजिस्ट्रेटान् दर्जै दोम व सोम दफ़ा ४०७ ॥

१२ अख़्तियार फ़रोख़्तमालकाजिसकी बाबत चोरीजाने का बयान या गुमान हो दफ़ा ५२४ ॥

अख़्तियारात जो मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल को अता हो सक्ते है ॥

१ अख़्तियार इसदार अहकाम मशअ़र इम्तनाअ़ तकरार उमूर तकलीफ़देह ख़लायक़ दफ़ा १४३ ॥

बहुक्म मजिस्ट्रेट ज़िला ॥

२ अख़्तियारअसदार अहकाममहकूमे दफ़ा १४४ ॥
३ अख़्तियार तहक़ीक़ात वजहमर्ग दफ़ा १७४ ॥
४ अख़्तियार समाअत जरायम वक्त इस्तगासा दफ़ा १९१ ॥
५ अख़्तियार समाअत जरायम वक्त हुसूल रिपोर्ट पुलिस दफ़ा १९१ ॥
६ अख़्तियार मुन्तक़िल करने मुक़द्दमात का हस्ब दफ़ा १९२ ॥

अख़्तियारातजोमजिस्ट्रेट दर्जै दोम को अता होसक्ते हैं — बहुक्मलोकलगवर्नमेंट

१ अख़्तियार असदारहुक्म सज़ायबेत दफ़ा३२ ॥
२ अख़्तियार असदार अहकाम मुतज़म्मिन इम्तनाअ तकरार उमूर तकलीफ़देह ख़लायक़ दफ़ा १४३ ॥
३ अख़्तियार असदार अहकाम हस्बदफ़ा १४४ ॥
४ अख़्तियार तहक़ीक़ात वजह मर्ग दफ़ा १७४ ॥
५ अख़्तियार समाअत जरायम वक्त इस्तग़ासा दफ़ा १९१ ॥
६ अख़्तियार समाअत जरायम वक्त हुसूल रिपोर्ट हाय पुलिस दफ़ा १९१ ॥
७ अख़्तियार समाअत जरायम मुख़बरी पर दफ़ा १९१ ॥
८ अख़्तियार सिपुर्दगी मुक़द्दमा वास्ते तजवीज़ के दफ़ा २०६ ॥

अख़्तियारातजोमजिस्ट्रेट दर्जै दोम को अता होसक्तेहैं — बहुक्म मजिस्ट्रेट ज़िला ॥

१ अख़्तियार इसदार अहकाम मशअर इम्तनाअ तकरार उमूर तकलीफ़देह ख़लायक़ दफ़ा १४२ ॥
२ अख़्तियार असदारअहकाम हस्ब दफ़ा १४४ ॥
३ अख़्तियार तहक़ीक़ात वजह मर्ग दफ़ा १७४ ॥
४ अख़्तियार समाअत जरायम वक्त इस्तग़ासा दफ़ा १९१ ॥
५ अख़्तियार समाअत जरायम वक्त हुसूल रिपोर्ट हायपुलिस दफ़ा १९१ ॥

<table>
<tr><td>अख़्तियारात जो मजिस्ट्रेट दर्जै सोम को अता होसक्ते हैं</td><td>बहुक्मलोकलगवर्नमेंट</td><td>१ अख़्तियार असदार अहकाम मशअर इम्तनाअ तकरार उमूर तकलीफ़ देह खलायक़ दफ़ा १४३ ॥
२ अख़्तियार असदार अहकाम हस्ब दफ़ा १४४ ॥
३ अख़्तियार तहक़ीक़ात वजह मर्ग दफ़ा १७४ ॥
४ अख़्तियार समाअत जरायम वक़्त इस्तग़ासा दफ़ा १९१ ॥
५ अख़्तियार समाअत जरायम वक़्त हुसूल रिपोर्ट हाय पुलिस दफ़ा १९१ ॥
६ अख़्तियार सिपुर्दगी मुक़द्दमा वास्ते तजवीज़ के दफ़ा २०६ ॥</td></tr>
<tr><td>अख़्तियारात जो मजिस्ट्रेट दर्जै सोम को अता होसक्ते हैं</td><td>बहुक्म मजिस्ट्रेट ज़िला</td><td>१ अख़्तियार असदार अहकाम मशअर इम्तनाअ तकरार उमूर तकलीफ़देह खलायक़ हस्ब दफ़ा १४३ ॥
२ अख़्तियार असदार अहकाम हस्ब दफ़ा १४४ ॥
३ अख़्तियार तहक़ीक़ात वजह मर्ग हस्ब दफ़ा १७४ ॥
४ अख़्तियार समाअत जरायम वक़्त इस्तग़ासा हस्ब दफ़ा १९१ ॥
५ अख़्तियार समाअत जरायम वक़्त हुसूल रिपोर्ट हाय पुलिस दफ़ा १९१ ॥</td></tr>
<tr><td>अख़्तियारात जो मजिस्ट्रेट हिस्से ज़िले को अता हो सक्ते हैं ॥</td><td>बहुक्मलोकलगवर्नमेंट</td><td>१ अख़्तियार तलबी मिस्ल हस्ब दफ़ा ४३५ ॥</td></tr>
</table>

जमीमै पंजुम ॥

नमूनैजात ॥

१ (सम्मन बनाम शख्स मुल्जिम)

(देखो दफा ६८)

बनाम——साकिन——

हरगाह हाजिरहोना तुम्हारा बगरज जवाबदिही इल्जाम (यहां उस जुर्मका मुख्तसिरहाल लिखाजायेगा जिसका इल्जाम लगाया गयाहो) जरूरहै इसलिये इस तहररिकी रूसे तुमको हुक्म दिया जाता है कि तारीख–माह——को असालतन् (या वकालतन् जैसी कि सूरत हो) मुकाम–के (मजिस्ट्रेट)–के हुजूरमें हाजिर हो——इस बाबमें ताकीद जानो ॥

मवर्रुखै–माह–सन् १८ ई० ॥

(मोहर) (दस्तखत)

२——वारंट गिरफ्तारी ॥

(देखो दफा ७५)

बनाम (नाम और ओहदा उसशख्स या उन अशखास का जिसको या जिनको वारंट की तामिल सिपुर्द हो) ॥

हरगाह मुसम्मा–साकिन–परजुर्म (यहां जुर्मलिखाजायेगा) का इल्जाम लगायागया है लिहाजा इसतहरीर की रूसे तुमको हुक्महोता है कि मुसम्मा–मजकूरको गिरफ्तार करके हमारे रूबरू हाजिरकरो इसबाब में ताकीद जानो ॥

मवर्रुखैमाह—सन १८ ई० ॥

(मोहर) (दस्तखत)

(देखो दफा ७६)

जायज है कि इस वारंट पर इबारत जोहरी हस्बजैल लिखीजाय ॥

अगर मुसम्मा—मजकूरअपनी तरफसे मुचलकह तादादी—मैजमानत एककसतादादी रुपया (या जमानत—दोकस तादादी फीकस–रुपया) इस इकरार से लिखदे कि वह हमारे रूबरू

तारीख—माह—सन्—को हाज़िर हो और जबतक हम दूसरी नेहज का हुक्म न दें उसी तौरपर हाज़िर रहेगा तो उसको रिहाई देना जायज है ॥

मवर्रुखे–माह—सन् १८ ई० ॥

(दस्तखत)

३-——मुचलकह हाज़िरी और जमानतनामा बाद गिरफ्तार बमूजिब वारंट ॥

(देखो दफा ८६)

मैं (नाम) साकिन—जो रूबरू मजिस्ट्रेट जिलाके— (या जैसी सूरत हो) मुताबिक उस वारंट के हाज़िर कियागया हूं जिसमें मेरे नाम हुक्म हुआ है कि वास्ते जवाबदिही इल्जाम—के मैं जबरन हाज़िर कियाजाऊं इस तहरीर की रूसे वादह करताहूं कि तारीख—माह—सन्—आयन्देको अदालत में हाज़िरहोकर इल्जाम मजकूरकी जवाबदिही करूंगा और जब तक कि अदालत से दूसरी नेहजका हुक्म न हो उसी तौरपर हाज़िर रहूंगा—और अगर इसमें कुसूर करूं तो जिम्मेदार इसबातकाहूंगा कि मलकामुअज्जिमा कैसरहिन्द दामइकबालहा को मुबलिग़— बतौर तावान अदाकरूं ॥

मवर्रुखे—माह—सन१८ ई० ॥

(दस्तखत)

मैं मुकिर मुसम्मा—साकिन—मज़कूरकी तरफ़से ज़ामिनहोकर बजरियेइसके इकरारकरताहूं कि मुसम्मा—मज़कूर तारीख—माह— सन्१८ ई० आयंदाकोवास्ते जवाबदिही उस इल्जामके जिस में वह गिरफ्तारहुआहै अदालतवाक़ै — मेंरूबरू—केहाज़िरहोगा औरजबतक कि अदालतसे दूसरीनेहजका हुक्मनहो हाज़िररहेगा— और अगर मुसम्मा — हाज़िर होनेमें कुसूर करेतो मैं वादह करता हूं किमुबलिग— मलकामुअज्जिमा कैसरहिंदकोबतौर तावानअदा करूंगा ॥

मवर्रुखे—माह—सन् १८ ई० ॥

(दस्तखत)

४—इश्तिहार बहुक्म अह्जार शख्स मुल्जिम ॥

(देखो दफा८७)

हरगाह हमारे रूबरू इसअम्रकी नालिश पेशहुईहै कि मुसम्मा (नामऔर तफसील यानी वल्दियत व कौमियतऔरसकूनत) जुर्म—का जिसकी सजा मजमुये ताजीरातहिन्द की दफा——में मुकर्रर है ऐक्ट ४५ सन् १८६० ई० मुर्त्तकिबहुआहै(याउसके इर्त्तिकाबका उसपर शुभाकियागयाहै) और अजरूयरीटर्न यानी कैफियत तामिल वारंट गिरफ्तारी के जो बरतबक उसनालिशके जारीहुआथा मालूमहुआ कि मुसम्मा (नाम)मजकूर दस्तयाबनहींहोसक्ता और हरगाह हस्ब इतमीनान हमारे साबितहुआहै कि (नाम) मजकूर फरार होगया है (या उसने वारंट की तामील से गुरेज करनेके लिये अपने तईं रूपोश कियाहै) ॥

लिहाजा इस इश्तिहारकीरूसे हुक्मदियाजाताहै कि मुसम्मा—साकिन——को लाजिमहै किअंदरमीआद——रोजके तारीखइमरोजासे बमुकाम(नाममुकाम)इसअदालतमें(याहमारेरूबरू) नालिश मजकूरकी जवाबदिहीके लिये हाजिरहो ॥

मवर्रुखै——माह——सन् १८ ई० ॥

(मोहर) (दस्तखत)

५—इश्तिहार मशअर हुक्म हाजिरी गवाह के ॥

(देखो दफा ८७)

हरगाह हमारे रूबरू यहनालिशकीगईहै कि (नाम और तफसील यानी वल्दियत व कौमियत और सकूनत) जुर्म (बयानजुर्मबइबारत मुख्तसिर)का मुर्त्तकिब हुआ है (याउसके इर्त्तिकाब का उसपरशुभा कियागया है) और वारंट वास्ते जबरन् हाजिर करने (नामऔर तफ्सील याने वल्दियत व कौमियत औरसकूनतगवाह) रूबरू अदालतहाजा इसगरजसे कि निस्बतमरातिब नालिश मजकूर के उससे इस्तफ्सार कियाजाय सादिर हुआहै--और हरगाह अजरूय रीटर्न यानी कैफियत तामील वारंट मजकूरके दरियाफ्त हुआ कि (नाम) मजकूरपर वारंटकी तामील नहीं होसक्तीहै और

हस्बइतमीनान हमारे साबितहुआहै कि वहफरार होगया है (या वारंटके इजराय से गुरेज करने केलिये रूपोशरहताहै) ॥

लिहाजा इस इश्तिहार की रूसे हुक्म दियाजाताहै कि(नाम) मजकूर तारीख——माह——सन् १८ ई० आयंदाको ब-वक्तनवाख्त——घंटारोजके बमुकाम (नाममुकाम) अदालत—— में हाजिर होकर जुर्म मुन्दर्जै नालिशकी बाबत इजहार लिखाये॥

मवर्रुखै——माह——सन् १८ ई० ॥

(मोहर) (दस्तखत)

६——हुक्म कुर्की बाबत जबरन् हाजिरकराने गवाहके ॥

(देखो दफा८८)

बनाम अफ्सर पुलिस मोहतमिम इस्टेशन पुलिस मुकाम——

हरगाह वारंट वास्ते अहजार बिलजब्र (नाम और तफ्सील यानी वल्दियत व कौमियत और सकूनत) वास्ते देने शहादत निस्बतनालिश मुतदायरा अदालतहाजाके हस्बजाबितै जारीहुआ था और उसवारंटकीकैफियत तामीलसे दरियाफ्तहुआ कि उसकी तामीलनहींहोसक्तीहै—और हरगाह हस्बइतमीनान हमारे साबित हुआहैकि मुसम्मा——मजकूर फरारहोगयाहै (या वारंटकीतामील से गुरेजकरनेके लिये अपनेतईं रूपोश रखताहै) और उसके बाद इश्तिहार बाजाबितै उसकेनाम इस हुक्मसे जारी और मुश्तहिर कियागयाथा कि मुसम्मा——मजकूर वक्त और मौकामुंदर्जै इश्तिहारपर हाजिरहोकर शहादतदे और वह हाजिरनहींहुआहै ॥

लिहाजा तुमको अख्तियार और हुक्म दियाजाता है कि मा-लमन्कूला मुसम्मा——मजकूरका तामालियत——रुपये के जो जिला——में तुमको दस्तयाब हो बजरिये अपने कब्जे में लानेके कुर्क करो और तासुदूर हुक्म मजीद इस अदालत के कुर्क रक्खो और इस हुक्मनामे को मे इबारत जोहरी मुशअर तसदीक तरी-के तामील उसके के इस अदालत में वापिस भेजो ॥

मवर्रुखै——माह——सन् १८ ई० ॥

(मोहर) (दस्तखत)

हुक्मकुर्की बगरज अहजार बिलजब्रशख्स मुलजिम के॥

(देखो दफा ८८)

बनाम (नाम और ओहदा उस शख्स या उन अशखास का जिसको या जिनको वारंटकी तामील सिपुर्दहो)

हरगाह हमारेरूबरू नालिश पेशहुई है कि (नाम और तफ्सील यानी वल्दियत व कौमियत और सकूनत) जुर्म--का मुर्त्तकिब हुआहै (या उसके इर्त्तिकाबका उसपर शुभा कियागयाहै) जिसकी सजा मजमूये ताजीरातहिन्दकीदफा--में मुकर्ररहै और कैफियत तामील ऐक्ट ४५ सन् १८६० ई०, वारंटसे जो बरतबक नालिश मजकूरके जारी हुआथा यह दरियाफ्त हुआ कि मुसम्मा--मजकूर दस्तयाब नहीं होसकाहै और हरगाह हस्बइतमीनान हमारे साबित हुआहै कि मुसम्मा--मजकूर फरारहोगयाहै(या वारंट मजकूरकी तामिलसेगुरेज करने के लिये रूपोश होगयाहै) और बादहू इश्तिहारहस्ब जाबितै इस हुक्म से जारी और मुश्तहर कियागया था कि मुसम्मा--मजकूर मीआद —रोजके अन्दर हाजिर होकर इल्जाम मजकूर की जवाबदिही करे—और हरगाह मुसम्मा—मजकूर के कब्जे में जायदाद मुफस्सिलै जैल अलावह अराजी मालगुजार सर्कार मौजा (या कस्बा)—जिला—में यानी—मौजूदहै औरउसकी कुर्की का हुक्म होचुका है॥

लिहाजा बजरिये इस तहरीरके तुमको हुक्म दियाजाता है कि जायदाद मजकूर को बजरिये अपने कब्जे में लानेके कुर्ककरो और तासिदूर हुक्मसानी इस अदालत के जेरकुर्की रक्खो और इस वारंट को मैइबारत जोहरी मशअर तसदीक तरीकै तामील वारंट के वापिस करो॥

मवर्रखै—माह—सन १८ ई०॥

(मोहर) (दस्तखत)

हुक्म जिसकी रूसे साहब डिपुटी कमिश्नर को मिस्लसाहब कलक्टर के कुर्ककरनेका अखतियार दियाजाता है ॥

(देखो दफा ८८)

बनाम साहब डिपुटीकमिश्नर जिला——

हरगाह हमारे रूबरू इस अम्रकी नालिश की गई है कि (नाम और तफ्सील यानी वल्दियत और कौमियत व सकूनत) जुर्म का मुर्तकिबहुआ है (या उसके इर्तिकाब का उसपर शुभा किया गया है) जिसकी सजा मजमूये ताज़ीरातहिन्दकी दफा——में मुकर्रर है और अजरूय कैफियत तामील उसवारंट गिरफ्तारी के जो बरतबक उस नालिश के जारीहुआ था यह दरियाफ्तहुआ कि मुसम्मा——मजकूर दस्तयाब नहीं होसक्ता है और हरगाह हस्ब इतमीनान हमारे साबित हुआ है कि मुसम्मा——मजकूर फरार होगया है (या वारंट के इजरायसे गुरेज करनेके लिये रूपोश रहता है) और बरतबक इसके इश्तिहार हस्ब जाबिते इस हुक्म से सादिर व मुश्तहर कियागया था कि मुसम्मा——मजकूर मीआद——रोजके अन्दर हाजिरहोकर इल्ज़ाम मजकूरकी जवाबदिहीकरे----मगर वह हाजिर नहींहुआहै और हरगाह मुसम्मा——केपास बाज़अराजी मालगुजार सर्कार अन्दर मौज़ा (या कस्बा)--वाकै जिला——के मौजूद है ॥

लिहाजा आपको इजाजत दीजाती है और हुक्म होताहै कि अराजी मजकूर को कुर्क कराके तासुदूरहुक्मसानी इस अदालत के जेर कुर्की रखिये और बिला तवक्कुफ सार्टीफिकट इसबात का कि इस हुक्म के मुताबिक आपने क्या अमल किया है इबलाग फरमाइये ॥

मवर्रुखे——माह——सन् १८ ई० ॥

(मोहर) (दस्तखत)

७—वारंट जो दूब्तिदाअल् वास्ते हाजिरकराने गवाह के जारीकियाजाय ॥

(देखो दफा ९०)

बनाम (नाम और ओह्दा उस अफ्सर पुलिस या और शख्स या अशखास का जिसको या जिनको वारट की तामील सिपुर्दहो) ॥

हरगाह हमारे रूबरू यह नालिश की गई है कि मुसम्मा—साकिन—जुर्म—(यहांजुर्मका मुख्तसिर हाल लिखाजायेगा) का मुर्त्तकिब हुआ है (या उसपर उसके इर्त्तिकाब का शुभाकिया गया है) और करीन कयास है कि (नाम और तफ्सील यानी वल्दियत व कौमियत गवाह) नालिश मजकूर की बाबत शहादत देसक्ता है और हरगाह हमको इसगुमानकी वजहमाक़ूल व काफी हासिलहै कि जबतक वह जबरन हाजिर न कियाजाये वक्तसमाअत नालिश मजकूर के बतौर गवाह के हाजिर न होगा ॥

लिहाजा तुमको इजाजतदीजातीहै और हुक्महोताहै कि मुसम्मा—मजकूर को गिरफ्तार करके तारीख—माह—सन १८ ई० को इसअदालत के रूबरू हाजिर करो ताकि जुर्म मुन्दर्जै नालिशकी बाबत उससे इस्तफ्सार कियाजाय ॥

आजतारीख—माह—सन् १८ ई० को हमारे दस्तखत और अदालत की मोहर से जारी कियागया ॥

(मोहर) (दस्तखत)

८—वारट बगरज तलाश बाद इत्तिलारसानी किसीखास जुर्मके ॥

(देखो दफा ९६)

बनाम (नाम और ओह्दा उस अफ्सरपुलिस या और शख्स या अशखासका जिसको या जिनको वारटकी तामील सिपुर्दहो),

हरगाह हमारे पास इत्तिला पहुंचाईगईहै (याहमारे रूबरूनालिश हुईहै) किजुर्म—(यहां जुर्मकामुख्तसिरहाल लिखाजायेगा) सरजद हुआहै (याउसके सरजद होनेका इश्तिबाह कियागया है) और हमकोमालूम हुआहै कि वास्ते हुसूल अगराजतहकीकातमुत-

दायरा हाल निस्बत जुर्म मजकूर (याजुर्ममुश्तबह के याजोआ-यन्दा अमलमें आये) हाजिरकरना (यहां शैमतलूबाकीसराहत लिखी जायेगी) काजरूरी और लाबदहै ॥

लिहाजा बजरिये इसतहरीर के तुमको इजाजत दीजातीहै और हुकूम होताहै कि(शै जिसकीसराहतकीगईहै)मजकूरको मुकाम-(यहांसराहतउसमकानयामुकाम याजुज्व मुकामकीलिखीजायेगी किसिर्फजिसमें तलाश कीजायगी)मेंतलाशकरो और अगर वहद-स्तयाबहो तो उसको फौरन्इस अदालतमें हाजिरकरो और बफौर तामीलइसवारंटकेवारंटको बादसब्तइबारत जोहरी बतसदीकइस अम्रकेकितुमने उसके मुताबिकक्या २ अमलकिया वापिसभेजो ॥

आज बतारीख—माह—सन १८ ई० मेरेदस्तखत और अदालतकी मोहर से जारी कियागया ॥

(मोहर) (दस्तखत)

९--वारट वास्तेतलाशी मालरखनेकेमुश्तबहमुकामके ॥

(देखो दफा ९८)

बनाम(नामऔर ओहदा उस अहलकार पुलिसका
जो कानिस्टबिलसे जियादहरुतबारखता हो) ॥

हरगाह मुझकोइत्तिला दीगई है और उसकीतहकीकात बा-जाबिताकेबादमुझ कोयहबावरकरायागयाहैकि (मकानयादीगरमु कामकाबयान)मालमसरूकारखने (याफरोख्त)केलिये मुस्तअमि-लहोताहै (याअगरउनदो अगराजमेंसे किसीएककेवास्ते मुस्तअ-मिलहोताहो जिनकातजकिरह दफा ९८ में है तो बइबारत दफा मजकूर उस गरज को तहरीर करो ॥

लिहाजा इस तहरीरकी रूसे तुमको अख्तियार दिया जाता है कि तुम मकान मजकूर में (या और मुकाम में) मये उसकदर मदद के जो जरूर हो दाखिल हो और दखल करने के लिये अगर जरूरत हो जब्र मुनासिब अमलमें लाओ और मकान मजकूर (या और मुकाम) के हर जुज्व की तलाशीलो (या अगर मकानके किसी खास जुज्व की तलाशी लेनी हो तो उस जुज्व

की बखूबी सराहत कीजाय) और हर किस्म के मालको (या द-स्तावेजात या कागजात इस्टाम्प या मवाहीर या सिक्केजात को जैसी सूरत हो और) (जब ऐसी सूरत पेशआये) यहभी लिखो कि तमाम आलात और सामान जिसकी बाबत करीना माकूल से तुमको गुमान हो कि वह वास्ते तय्यारी दस्तावेजात मस्नुई या इस्टाम्पहाय लिबासी या मवाहीर जाली या सिक्केजात तकलीदी के (जैसी कि सूरत हो) (वहां रक्खेगये हैं) गिरफ्तार कराके अपने कब्जे में लाओ और उनमेंसे उसक़दर अशियाय को जो कब्जेमें आजायँ फौरन इस अदालत के रूबरू हाजिर करो--और बफौर तामील इस वारंट के इस वारंट को बाद तहरीर इबारत जोहरी मशअर तसदीक इस अम्र के कि तुमने बतामील वारंट के क्या कार्रवाई की इस अदालतमें वापिस भेजो ॥

आज बतारीख——माह——सन् १८ ई० मेरे दस्तखत और अदालत की मोहर से जारी कियागया ॥

(मोहर) (दस्तखत)

१०—मुचल्का हिफ्ज अमन ॥

(देखो दफा १०६)

हरगाह मुझ (नाम) साकिन (मुकाम) को मुचल्का हिफ्ज अमन मीआदी———लिखने का हुक्म हुआहै लिहाजा मैं इस तहरीर की रूसे इकरार करताहूं कि मीआद मजकूर के अन्दर नुक्जअमन या कोई फेल जिससे नुक्ज अमनका एहतमाल हो न करूंगा और अगर मैं इसमें कुसूर करूं तो मैं बजरिये इस तहरीर के इकरार करताहूं कि मुबालिग—मलिकामुअज्जिमा कैसरहिंद दामइकबालहा को तावान दूं ॥

मवर्रुखे———माह———सन् १८ ई० ॥

(दस्तखत)

११—नेकचलनी का मुचल्का ॥

(देखो दफात १०९ व ११०)

हरगाह मुझ (नाम) साकिन (मुकाम) को इस मजमून से

मुचल्का लिखनेका हुक्म हुआहै कि मैं बमुकाबिले मलिकामुअज्जिमा क़ैसरहिन्द दामइकबालहा और मलिकाममदूहा की जुमलै रिआयाके साथ मीआद---तक [यहां मीआद लिखनीचाहिये] नेकचलन रहूं लिहाजा इस तहरीरकी रूसे इकरार करताहूं कि मैं मीआद मज़कूरतक बमुकाबिले मलिकामुअज्जिमा दाम इकबालहा और मलिकाममदूहाकी जुमलै रिआयाके साथ नेकचलन रहूंगा अगर मैं इसमें कसूरकरूं तो मुबलिग--- मलिकाममदूहाको तावानदूं ॥

मवर्रुखै--- माह--- सन् १८ ई० ॥

(दस्तखत)

जब मुचल्केके अलावह जमानतनामा भी लिखनाजरूर हो तो यह इबारत जायद लिखी जायेगी ॥

हमलोग बजरिये इस तहरीर के इकरार करतेहैं कि हम मुसम्मा——मजकूरुल् सदरके जामिन इसबात केहैं कि मुसम्मा——मजकूर मीआद मस्तूर के अन्दर मलिकामुअज्जिमा कैसर हिन्द और मलिका मौसूफा की कुलरिआयाके मुकाबिले में नेकचलन रहेगा और अगर नाम्बुरदा उसमें कुसूर करे तो हममुस्तरकन् और मुन्फरदन् जिम्मेदार होते हैं कि मलिका ममदूहाके हुजूर में मुबालिग——रुपया तावानदें ॥

वाकै तारीख——माह——सन् १८ ई० (दस्तखत)

१२——सम्मनबवक्त इत्तिलायाबोएहतिमाल नुकज़्अमनके ॥

[देखो दफा ११४]

बनाम——साकिन——

हरगाह इत्तिलाअ मोतबिरसे हमको दरियाफ्त हुआ है कि [यहां मजमून इत्तिलाअ का लिखा जायेगा] और एहतिमाल है कि तुम नुकज अमन करने वाले हो [या ऐसा फेल करनेवाले हो जिससे गालिबन् नुकज अमन होगा] लिहाजा बजरिये इसके तुम को हुक्म होता है कि तारीख——माह——सन्१८ ई० को

बवक्तदशबजे क़ब्ल दोपहर के साहब मजिस्ट्रेट मुकाम——की कचहरी—— में असालतन् [याबजरिये मुख्तार मजाज हस्ब जाबितैके] हाजिर होकर वजह इस अम्रकी जाहिर करो कि क्यों तुमसे मुचल्का तादादी——रुपया तावान बइक़रार हिफ्ज अमन खलायक तामीआद——के न लिखायाजाय]जब जामिनानभी जरूरहों तो यहइबारत बढ़ाई जायेगी और जमाननामा नविश्तह एक जामिन[यादो जामिनोंका जैसा मौक़ाहो] बक़ैद मुबालिग—— ज़िम्मगी हरज़ामिन [दरहालेकि एक से जियादह जामिनहों] बतौर तावानके दाखिल न करायाजाय] ॥

आजतारीख——माह——सन् १८ ई० को हमारे दस्तखत और अदालतकी मोहरसे जारी कियागया——

[मोहर] [दस्तखत]

१३——वारट हवालगी जब मुलज़िम हिफ्ज अमनकी जमानत देनेमें क़ासिररहे ॥

[देखोदफा १२३]

बनाम सिपुरिंटंडंट [यामुहाफिज] जेलखाने मुकाम——

हरगाहमुसम्मा——[नामऔरसकूनत] तारीख——माह——को मुताबिकहुक्म सम्मनके हमारेरूबरू असालतन्[या मारफत अपने मुख्तार मजाजके] हाजिर हुआ जिसमें उसके नाम इस अम्रकी वजह जाहिर करनेका हुक्म हुआथा कि उससे मुचल्का बतादाद मुबलिग——केबशमूल एक जामिन [या मुचल्का बशमूल दो जामिनोंके बइकरार अदाय मुबालिग——रुपया फी जामिन] इस इकरार के साथ क्यों न लिखायाजाये कि मुसम्मा——मजकूरमीआद——महीने तक हिफ्ज अमन क़ायम रक्खेगा और हरगाह उसवक्तहुक्म इसमजमूनसे तहरीरपायाथा कि मुसम्मा——मजकूरऐसा मुचल्कालिखे और ऐसाजामिन हाजिरकरे [अगरजमानत मतलूबा उससे मुख्तलिफ़हो जो सम्मनमें तलबहुई हो तो उसका ज़िक्र यहां लिखाजाये] और नाम्बुरदा हुक्म मजकूर की तामील में क़ासिर रहाहै ॥

लिहाजा आपसिपुरिंटेंडंट [या मुहाफिज़] जेलखाने को अ-ख्तियार दिया जाताहै और हुक्म होताहै कि मुसम्मा——मज-कूरको इसवारंटकेसाथ अपनी हवालगीमें लेलो— और मीआद मजकूरकेलिये [यहां मीआद कैदकी मुन्दर्जहोगी] जेलखाने म-जकूरमें हिफ़ाजतसेरक्खो-इल्ला उससूरतमें कि वह मीआदमजकूर के अंदरहुक्म मजकूरकी तामील इसतरहसे करे कि मुचल्का मतलूबा खुद्वशमूल अपने जामिन [याजामिनों] के लिखदे कि उससूरतमें वहमुचल्का और जमानतनामा मकबूल कियाजायेगा और मुसम्मा -- मजकूरको रिहाईदीजायेगी और इसवारंटको बाद तहरीर इबारत जोहरी मुशअर तसदीक इसअम्र के कि उसकी ता-मील किसतौरसे कीगई वापिसभेजो ॥

आजबतारीख---- माह --- सन् १८ ई० हमारेदस्तखत और अदालतकी मोहरसे जारी कियागया ॥

[मोहर] [दस्तखत]

१४—वारंटहवालगी जबकि मुलजिमनेकचलनीकीजमानत देनेमेकासिररहै ॥

[देखोदफा १२३]

बनाम सिपुरिंटेंडंट [यामुहाफिज] जेलखाने मुकाम——

हरगाहमेरे रूबरू यहबातजाहिरकीगईहै किमुसम्मा [नामऔर तफ्सील यानेवल्दियत व कौमियत]जिले—केअंदरआवारहखुफिया फिरतारहाहै और अबभी फिरताहैऔर कोई सबीलजाहिरीमुआश की नहीं रखताहै [और अपनाकुछहालजो लायकइतमिनानके हो बयान नहीं करसक्ताहै] या

हरगाह शहादत निस्बत रवय्यै आम [नाम और तफ्सीलया-ने वल्दियतवकौमियत के] हमारे रूबरू गुजरकरजब्त तहरीरमें आईहैजिससे वाजेहोता है किवहआदतन् रहजनहै [यानकबजन् वगैरहहै जैसीसूरतहो]॥

और हरगाह यहमरातबकलम्बंदहोकर उसकेनाम हुक्म सादिर हुआहै कि मुसम्मा --- मीआद--- के लिये [यहां मीआद लिखी जायेगी] नेकचलन रहनेकीजमानत इसतरह दाखिलकरे

किकितामुचल्का बशमूल एक जामिन [यादोया जियादह जा-
मिनों के जैसी सूरतहो] बकैदमुबलिग ---- रुपया जिम्मगीखुद
वमुबलिग ---रुपया जिम्मगी जामिन [या जिम्मगी हरजामिन
मिन्जुमले जामिनानमजकूर] हरजामिनके लिखदे औरमुसम्मा-
मजकूर ने उसहुकूमकी तामीलनहीं की और बएवज उसकुसूरके
उसकेलिये मीआद [यहांमीआदलिखीजाय] की कैदतजवीज़
हुई है--इल्ला उससूरत में कि वह उसमीआद के अन्दर जमानत
दाखिलकरदे ॥

लिहाजा आप सुपुरिंटेंडंट [यामुहाफिज] को अख्ति-
यार दियाजाता है और हुकूम होता है कि मुसम्मा——
मजकूर को मैवारंट हाजाके अपनी हिरासतमें लीजिये और
मीआद [मीआद कैद] के लिये जेलखाने मजकूर में उसको
हिफाजत से रखिये इल्ला उस सूरतमें कि वह दौरान मीआद में
हुकूम मजकूर की तामील इसतरह करे कि खुद मुचल्का लिखदे
और जामिन [या जामिनों] से जमानतनामा लिखवादे और
अगर ऐसा करे तो मुचल्का और जमानतनामा लेलियाजायगा
और मुसम्मा——मजकूरको रिहाई दीजायगी——और इस वारंट
को बाद तहरीर इबारत जोहरी मुशअर तसदीक इस अम्रके कि
उसकी तामील क्योंकर कीगई वापिस भेजिये ॥

आज बतारीख ——माह——सन १८ ई० हमारे दस्तखत
और अदालत की मोहर से जारी कियागया ॥

[मोहर] [दस्तखत]

१५——वारंट वास्ते रिहाई किसी शख्सके जो बवजह
अदमअदखाल जमानत के कैदहुआहो ॥

[देखो दफआत १२३ व १२४]

बनाम सुपुरिंटेंडंट [या मुहाफिज] जेलखाने मुकाम——
[या बनाम किसी और ओहदेदार के जिसकी हिरासत में वह
शख्स हो] ॥

हरगाह [नाम और तफ्सील याने वल्दियत व कौमियत]

बमूजिब वारंट अदालतहाजा मवर्रुखे—माह—तुम्हारी हिरासतमें सिपुर्द कियागयाथा और उसके माबाद उसने मजमूये जाबितै फौजदारीकी दफा—के मुताबिक हस्बजाबितै जमानतदीहै॥

या

और हमको वजूह काफी बताईद इसरायके मालूम हुई हैं कि नाम्बुरदा बिलाअन्देशा जरर खलायकके रिहा किया जासक्ताहै ॥

पस तुमको अख्तियार दियाजाता है और हुकूम होताहै–कि फौरन् मुसम्मा —मजकूरको अपनी हिरासत से रिहा करदो–इल्ला उस सूरतमें कि वह किसी और वजह से हवालातमें रखने के लायक हो ॥

आज बतारीख—माह —सन् १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालत की मोहर से जारी कियागया ॥

[मोहर] [दस्तखत]

१६—हुक्म बाबत इन्दफाअ उमूर तकलीफ देह खलायक के ॥

(देखो दफा १३३)

बनाम (नाम और तफसील याने वल्दियत और कौमियत और सकूनत) ॥

हरगाह हमारे रूबरू जाहिर कियागया है—कि तुमने उन अशखासके लिये जो किसी शारैआम (यादीगर मुकाम आम) को इस्तैमाल करतेहों सद्दराह (याशै मूजिब तकलीफ) कायमकी है जो अला आखिरा (यहां सडक या मुकामआम लिखना चाहिये) बवजह अला आखिरा (यहां उस शैकी सराहत लिखीजायेगी जिसकी वजहसे सद्दराह या शैमूजिब तकलीफ खलायक पैदा होती हो) और वह सद्दराह [या शैमूजिब] अबतक मौजूद है ॥

या

हरगाह हमारे रूबरू जाहिर हुआ है कि तुम बतौर मालिक या सरबराहकार के कारोबार या पेशा (इस जगह सराहत कारोबार या पेशे की और मौक़े की जहां वह जारी है लिखी

जायेगी) अमलमें लाते हो और वह खलायककी तन्दुरुस्ती (या आसायश) में इस वजहसे मुजिरहै (यहां मुफ़स्सिलन् लिखाजायेगा कि नतायज मुजिर किसतरह पैदाहोते हैं) और चाहिये कि वह मसदूदकरदिया जाय या दूसरी जगहपर उठादियाजाय ॥

या

हरगाह हमारे रूबरू जाहिर कियागया है-कि तुम मालिक (या क़ाबिज या मोहतमिम) फलां तालाब (या चाह या खंदक) के हो जो शारेआम (यहां शारेआम लिखाजायेगा) के मुत्तसिलहै-- और बवजहइसके कि उस तालाब (या चाह या खंदक) के गिर्द कोई जंगलानहीं है (याजंगला हिफाजतकेलिये गैरकाफीहै) खलायककी आफियत को उससे खतरा है ॥

या

हरगाह अलाआखिरा (जैसीसूरतहो)

लिहाजा बजरिये इसतहरीर के तुमको हिदायतकी जाती है-और हुक्म होताहै कि अरसा [यहांमीआद लिखीजायेगी)के अंदर (यहां सराहतकीजायेगी कि अम्र तकलीफदेह के दफाकरनेकेलिये क्या करना चाहिये) करो या बवक्त——मुकाम——की अदालतमें तारीख——माह——सन्१८ ई० आयन्दाको हाजिरहोकर इस बातकीवजहजाहिरकरो कि इसहुक्मकीतामील क्योंनकराईजाय॥

या

बजरिये इसतजवीज के तुमको हिदायत कीजाती है और हुक्म होता है कि अरसा (यहां मीआद लिखीजायेगी) के अंदर मुकाम मजकूर पर ऐसा कारोबार या पेशा मौकूफ करदो और उसको फिर जारी न करो या यह कि कारोवार मजकूरको उसजगहसे जहां वह अब होता है उठाकर लेजावो या बवक्त——अदालत फलां में तारीख——(हस्ब इबारत सदर) हाजिरहो वग़ैरह ॥

या

बजरिये इस तहरीरके तुमको हिदायत कीजाती है और हुक्म

होताहै कि अरसा (यहां मीआद लिखीजायेगी) के अन्दर एक जँगला काफी (यहां किस्म जँगला और सराहत मुकाम की जहां जँगला लगेगा लिखीजायेगी) कायम करो या बवक्त——अदालत——में (हस्ब इबारत सदर) हाजिरहो॥

या

बजरिये इसके मैं तुमको हुक्म देताहूं और हिदायत करताहूं वगैरह वगैरह (जैसीसूरत हो)॥

आज बतारीख——माह——सन् १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालत की मोहर से जारी कियागया॥

(मोहर) (दस्तखत)

१७—हुक्म मजिस्ट्रेट मुश्अर तकर्रुर जूरी॥

(देखो दफा १३८)

हरगाह तारीख——माह——सन् १८ ई० को हुक्म बनाम मुसम्मा——इस हिदायत के साथ जारी हुआथा (यहां खुलासा हुक्मका दर्जकिया जायेगा) और हरगाह मुसम्मा——मजकूरने दरख्वास्त मवर्रुखै——माह——सन् १८ ई० बदींइस्तदुआय मेरे रूबरू गुजरानी है कि हुक्म वास्ते तकर्रुरजूरी के बनजरतन्कीह इस अम्रके सादिर कियाजाय कि आया हुक्म मुतजक्किरै सदर माकूल और मुनासिबथा या नहीं बजरिये इस तहरीरके मैं मुसम्मियान [यहांनामवगैरहपांच या जियादहअहलजूरीके लिखे जायेंगे] कोअहालीजूरी वास्तेतजवीज और इन्फिसाल अम्रमजकूर के मुकर्रर करताहूं—और अहाली जूरीको हुक्मदेताहूं कि अपनेफैसले की रिपोर्ट इस हुक्मकी तारीखसे—रोज के अंदर हमारी कचहरी वाकै——में दाखिल करें॥

आज तारीख——माह——सन् १८ ई० को हमारे दस्तखत और अदालत की मोहर से जारी कियागया॥

(मोहर) (दस्तखत)

१८—मजिस्ट्रेटका इत्तिलाअनामा और हुक्म ताकीदी
बाद जाहिरहोने राय जूरी के ॥

(देखो दफा १४०)

बनाम (नाम और तफसील याने वल्दियत व कौमियत और सकूनत)

इस तहरीर की रूसे तुमको इत्तिलाअदीजातीहै--कि तुम्हारी दरख्वास्त के बमूजिब जो तारीख -----माह-----सन् १८ ई० को गुजरीथी जो अशखास जूरी हस्ब जाबिता मुकर्रर हुये थे उनकी यह राय कायमहुई कि वह हुक्म जो तारिख–माह–सन् १८ ई० को तुम्हारेनाम इसहिदायत से सादिर हुआथा (यहां हुक्म की हिदायतका खुलासा लिखा जायेगा) माकूल और मुनासिब है पसहुक्म मजकूर कतई करदियागया है–और बजरिये इसतह-रीर के तुमको हिदायत कीजाती है और हुक्म दियाजाता है कि हुक्म मजकूर की तामील–रोज (यहां मीआद मोहलत लिखी जायेगी) के अंदर करो अगर न करोगे तो उसतावान के मुस्तौ-जिबहोगे जो मजमूये ताजीरात हिन्दमें अदूल हुक्मी के लिये ऐक्ट ४५ सन् १८६०ई० मुकर्रर है ॥

आज बतारीख----माह --- सन् १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालत की मोहरसेजारी कियागया ॥

(मोहर) (दस्तखत)

१९—हुक्मनामाबदीं मजमूनकिदौरान् तहकीकातजूरीमें किसी खतराकरी बुलवकूअके रोकनेकी तदबीरकीजाय ॥

(देखो दफा १४२)

बनाम (नामऔर तफसील याने वल्दियत व कौमियत और सकूनत) ॥

हरगाह तहकीकात मारफत अहाली जूरी के जो वास्ते तजवीज इसअम्रके मुकर्रर हुयेथे किआयामेरा हुक्म मुसद्दिरै तारीख–मा-ह---सन् १८ ई० माकूल व मुनासिबहै यानहीं हिनोज जारी है और मेरे रूबरू यहबात जाहिर कीगई है किवह शै तकलीफदेह

खलायक जोउसहुकुममें मजकूर है इसकदर करीबुल वकूअ खतरै अजीमखलायक का बाअस है किउसके इन्दफाअके लिये फौरन् तदबीर मुनासिब करनी जरूर है लिहाजा इस तहरीरकी रूसे हस्ब एहकाम दफा १४२ मजमूये जाबितै फौजदारीके तुमको हिदायत कीजाती है और हुक्म ताकीदी दियाजाता है कि फौरन् ताजहूरनतीजे तहकीकात मौके मारफतजूरीके फलां तदबीर [यहां साफ २ लिखाजायेगा कि खतरै मजकूरके इन्दफाअचंदरोजाके लिये क्या करना जरूर है] अमलमेंलाओ ॥

आज बतारीख —माह —सन १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालत की मोहरसे जारीकियागया ॥

[मोहर] [दस्तखत]

२०——हुक्म मजिस्ट्रेट मुमानअत इस्तनाअ इर्तिकाब मुकर्रर वगैरह किसी अम्र तकलीफ दहके ॥

[देखो दफा १४३]

बनाम [नामऔर तफ्सील याने वल्दियत व कौमियत और सकूनत]

हरगाह हमारे रूबरू जाहिर कियगयाहै कि [यहां अल्फाज मुनासिब बइतबाअ अल्फाज मुन्दर्जै नमूनै नंबर १६ या नम्बर २१ जैसी सूरत हो लिखे जायेंगे]

लिहाजा तुमको इसतहरीर की रूसे हुकुमताकीदी और कतई होताहै कि फिर बजरियेरखने या रखवाने या रखने की इजाजत देने वगैरहके [जैसी सूरतहो] मुकर्रर उसअम्र तकलीफदह खलायक के मुर्त्तकिब न हो ॥

आज बतारीख — माह — सन् १८ई० हमारे दस्तखत और अदालत की मोहरसे जारी कियागया ॥

[मोहर] [दस्तखत]

२१——हुक्ममजिस्ट्रेट मुश्अर दफ्‌तेनाअम्नआम्मतयाबलवहवगैरह॥

[देखो दफ़ा १४४]

बनाम [नाम और तफ्सील याने वल्दियत व कौमियत और सकूनत] ॥

हरगाह हमारे रूबरू जाहिर कियागया है कि तुम [इसजगह जायदादकी बखूबी सराहत की जायेगी] परकब्जारखते हो [या उसकाइन्तिजामकरतेहो) और उस अराजी में नाली खोदने के वक्त तुम्हारा इरादा है कि कोई जुज्व उसमिट्टी और पत्थरोंका जो नालीसे निकलें एकशारैआम पर जो अराजीके मुत्तसिल है डालदो या रखवादो जिससे उनलोगों को मजाहमत पहुंचनेका खतराहै जो सड़कको इस्तैमाल में लायें ॥

या

हरगाह हमारे रूबरू जाहिर कियागयाहै कि तुम और तुम्हारे साथऔर बहुतसे अशखास [यहां अशखास की किस्मकी सराहत जायेगी] इसबातपर आमादा हैं कि जमाहोकर शारैआम–परसे [या जैसी सूरतहो] बतौर एकमजमामजहबीके गुजरकरें और ऐसे मजमामजहबी के वहांहोकरजानेसे एहतिमाल बलवह या हंगामेका है ॥

या

हरगाह हमारेरूबरू जाहिर कियागया है अलाआखिरह [जैसी सूरतहो] ॥

लिहाजा इसतहरीर की रूसेतुमको हुक्महोताहै किकिसीकदरमिट्टी यापत्थर जो तुम्हारी अराजी से बरामदहो शारैआम मजकूरके किसी मुकामपर न रक्खो या रक्खे जानेकी इजाजतनदो ॥

या

इसतहरीरकी रूसे तुमको मुमानियत कीजाती है कि मजमा मजहबीको शारैआम मजकूरपर गुजरने नदो और तुमको ताकीदन् हिदायत कीजातीहै और हुक्म दियाजाता है कि ऐसे मजमा मजहबीमें किसीतरह शरीक नहो [या जो ताकीद बलिहाजसूरत मुबय्यनाके लिखनी जरूरहो]

आज बतारीख—माह—सन् १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालतकी मोहरसे जारी कियागया ॥

[मोहर]   [दस्तखत]

२२——हुक्म मजिस्ट्रेट मुश्तहर इजहार इसअम्रके कि कौन फरीक आराजी वगैरह मुतनाजापर काबिज रहनेका मुस्तहक है ॥

[देखो दफा १४५]

जो कि बएतबार उनवजूहके जो हस्बजाबितै कलम्बन्द हुई हैं हमको मालूमहुआ कि एकतनाजा जिससे नुक्ज अमन् पैदाहोने का एहतमालहै माबैन [यहां फरीकैनके नाम व सकूनत लिखी जायेगी या अगर निजाअमाबैन जमाअत साकिनान देहके होतो उनकी सिर्फसकूनत लिखनी काफी है] निस्बत [यहां शैमुतनाजअकाहाल मुख्तसिर लिखाजायेगा] जो हमारे इलाकै हुकूमत की हुदूद अरजीमें वाकैहै बरपा हुआथा उसपर जुमलै फरीकैन मजकूरके नाम हुक्महुआथा कि अपने २ दावाके बयानात तहरीरी खसूस निस्बत अम्रकब्जे वाकई [शैमुतनाजा] मजकूरके पेश करें और उसकी निस्बत तहकीकात बाजाब्ता करके हमको इतमीनान हुआ कि बिलालिहाज सेहत व गैर सेहतदावा हरफरीक के निस्बत कानूनी इस्तहकाक कब्जेके दावा काबिज वाकई होने का जो तरफसे [यहां नाम या इस्माय और तफ्सील याने वल्दियत व कौमियत और सकूनत लिखी जायगी] के पेशहुआ है सहीह व दुरुस्तहै ॥

पस हम अपना फैसला इसतरह जाहिर करते हैं कि वहशख्स या अशखास [शैमुतनाजा] मजकूरपर काबिज हैं और कब्जा मजकूर कायमरखने के मुस्तहक हैं उसवक्त तक कि वह जाबिता कानूनीके बमूजिब बेदखल कियेजायें और हम ताकीदन् मुमानियत करते हैं कि इस दर्मियानमें कोईशख्स उसके या उनकेकब्जे में मुजाहिम न हो ॥

आज बतारीख—माह—सन् १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालतकी मोहरसे जारी कियागया॥

[मोहर] [दस्तखत]

२३—वारंट कुर्की वक्त तनाजा बाबत कब्जे अराजी वगैरह॥

[देखो दफा १४६]

बनाम अहल्कार मोहतमिम स्टेशन पुलिस मुकाम--

[या बनाम कलक्टर मुकाम--]

हरगाह हमारे रूबरू यह जाहिर कियागयाहै कि एक तनाजा जिससे नुकूजअमन होनेका एहतमाल है माबैन [यहां उनअश-खासकेनाम व सकूनत लिखीजायेगी जिनमें निजाअहो या सिर्फ सकूनत जबकि निजाअ माबैन जमाअत सिकनाय देहकेहो] निस्बत [यहां मुख्तसिर हाल शै मुतनाजाका लिखाजायेगा] जोहमारे इलाक़ेकी हुदूदकेअन्दर वाकै है बरपाहुआ है और उसपर फरीकैन मजकूरको हस्बजाबितै हुक्म हुआथा कि अपना दावा निस्बत अम्रकब्जैवाकई [शै निजाई] मजकूरकेतहरीरन् पेशकरें और हरगाह दुआवी मजकूरकी तहकीकात बाजाबितह अमलमें लाकर हमारी यहतजवीज करारपाई है कि फरीकैनमेंसे कोई फरीक [शै मुतनाजअ] मजकूरपर काबिज नथा या हमअपना इतमीनान नहीं करसक्ते हैं कि फरीकैनमें से कौन फरीक हस्ब-मुतजक्किरैबाला काबिज था॥

लिहाजा इसतहरीरकीरूसे तुमकोअख्तियार और हुकुम दिया जाताहै कि [शैमुतनाजअ] मजकूरको इसतौरसे कुर्ककरो कि उस को लेकर अपने कब्जे में रक्खो और जबतक कि डिकरी या हुक्म किसी अदालत मजाज़का मुशअर तस्फिये हुकूक फरीकैन या दावी मुकाबिजतके सादिर और हासिल न होले उसको कुर्क रक्खो और इस वारंटको बाद लिखनेइबारत जोहरी बतसदीक इसअम्र के कि उसकी तामील क्योंकर कीगई वापिस भेजो॥

आज बतारीख—माह—सन् १८ ई०

हमारेदस्तखत और अदालतकी मोहरसे जारीकियागया ॥

[मोहर] [दस्तखत]

२४--हुकम इम्तनाई मजिस्ट्रेट निस्बत
इस्तैमाल जमीन या पानीके ॥

[देखो दफा १४७]

जोकि तनाजा निस्बत हक इस्तैमाल [यहां मुख्तसिर बयान शै मुतनाजेका लिखाजायेगा] के जो हमारे इलाकेकी हुदूदके अन्दर वाकैहै और जिसअराजी [या पानी] परतनहा काबिज होनेका दावा तरफसे [यहां शख्स या अशखासकेनाम लिखेजायेंगे] के पेशहुआहै और उसकी निस्बत बाद करने तहकीकात बाजाबिताके हमको साबित हुआहै कि उसअराजी[या पानी]के इस्तैमाल और तसर्रुफ का हकखलायकको [या अगर किसी एकशख्स या किस्म अशखासको ऐसाहक हासिलरहाहै तो उनका नाम और पता लिखा जायेगा] हासिलरहाहै और यहकि [अगर उसका इस्तैमाल तमामसालमें होसक्काहो] अराजी या पानीमजकूरका इस्तैमाल तहकीकात मजकूरके शुरूअहोनेसे तीनमहीने पहिले हासिलहोता रहाहै]या अगर उसका इस्तैमाल सिर्फबाज खास औकातपर होसक्काहो तो यह लिखाजायेगा कि उसका इस्तैमाल उन औकात में से सब से पिछले औकातमें हासिल रहाहै जिनमें उसका इस्तैमाल करना मुमकिनहै ॥

पसमैं हुक्मदेताहूं कि मुसम्मा--[जो दावेदार या दावेदारान् कब्जाहैं]याकोई और शख्स उनका वास्तादार अराजी [या पानी] मजकूरपर बइखराज हक इस्तफादे व इस्तैमाल मुतहस्सिलै खल्कुल्लाके तनहा कब्जा न करे और कब्जा न रक्खे तावक्ते कि वहशख्स [या अशखास] किसीअदालत मजाजसे ऐसीडिकरी या हुकूम हासिल न करे [या न करें] जिसमें उसको [या उनको] कब्जा तनहा दिलाया गयाहो ॥

आज बतारीख--माह--सन् १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालत की मोहर से जारी किया गया॥

[मोहर] [दस्तखत]

२५--मुचल्का और जमानतनामा जो वक्ततहक़ीकात इब्तिदाई रूबरू अह्लकार पुलिसके लिखा जायगा॥

[देखोदफा १६९]

जोकि मुझ (नाम) पर इल्जाम इर्तिकाबजुर्म——का लगाया गया है और बाद तहकीकातके मुझको हुक्म हुआ है कि रूबरू साहब मजिस्ट्रेट मुकाम——के हाजिर हों॥

या

और बाद तहकीकात के मेरे नाम हुकूम हुआ है कि मुचल्का इस इकरार के साथ मैं खुदलिखदूं कि जब कभी मेरी तलबी होगी मैं हाजिर हूंगा॥

इस तहरीरकी रूसे अपने तईं पाबंद करताहूं कि मुकाम——पर बीचअदालत——बतारीख——माह——आयन्दा[या किसी और रोजपर जो मेरी हाजिरी के लिये मुकर्रर किया जाये] हाजिर होकर जुर्म करारदादह की जवाबदिही मजीद करूंगा और अगर इस इकरार के बजालाने में कुसूर करूं तो मुबलिग——बतौर तावान मलिका मुअज्जिमा कैसरहिंद के हुजूर अदाकरूंगा॥

मवर्रुखे——माह——सन् १८ ई०॥

[दस्तखत]

मैं--[या हम मुश्तरकन् और मुन्फरदन् अपनी २ तरफ से इकरार करते हैं] इकरार करताहूं कि मैं [या हम] मुसम्मा——की तरफसे इसबात का जामिन हूं [या हैं] कि मुसम्मा——मजकूर तारीख——माह——आयन्दाको [या किसी और तारीखपर जो बादअर्जी उसकी हाजिरी के लिये मुकर्रर कीजाय] अदालत——वाकैमुकाम——में इसगरजसे हाजिरहोगा कि जुर्म करारदादह जिम्मे अपनेकी जवाबदिही मजीदकरे और अगर वह हाजिरहोने में कुसूरकरे तो मैं या हम अपने तईं पाबंद करताहूं

[या करतेहैं] कि मुबलिग—बतौर तावान मलिकामुअज्जिमा कैसरहिन्दके हुजूरमें अदाकरूंगा [या करेंगे] ॥

मवर्रुखे—माह—सन् १८ ई० ॥

[दस्तखत]

२६—मुचलका पैरवी नालिश या अदाय शहादत ॥

[देखो दफा १७०]

मैं [नाम] साकिन [मुकाम] इसतहरीरकी रूसे इकरार करताहूं कि मैं तारीख—माह—आयन्दाको बवक्तनवाख्त—घंटारोज बमुकाम--बअदालत—बमुकदमे इल्जाम--बनाम—हाजिर होकर वहां नालिशकी पैरवी [या नालिशकी पैरवी और अदाय शहादता या अदाय शहादत] करूंगा और अगर इस में कुसूर करूं तो मैं इकरार करताहूं कि मुबलिग—रुपया मलिका मुअज्जिमा कैसरहिंद दाम अकबालहाको बतौर तावान अदाकरूं॥

मवर्रुखे—माह—सन् १८ ई० ॥

[दस्तखत]

२७—इत्तिलाअसिपुर्दगीमुकद्दमामिन्जानिबमजिस्टेटबनाम वकील सर्कार ॥

[देखोदफा २१८]

मजिस्ट्रेट मुकाम-इस तहरीरकी रूसे इत्तिलाअ देता है कि उसने मुसम्मा—को इजलास सिशन आयन्दामें तजवीज के लिये सिपुर्द कियाहै पस मजिस्ट्रेट मजकूर इस तहरीरकी रूसे वकील सर्कारको हिदायत करताहै किमुकद्दमा मजकूरकी पैरवीकरे॥

इल्जाम जो बनाम मुल्जिमके लगायागयाहै यह है कि अलख (यहां इल्जाम हस्ब मुन्दर्जे फर्द करारदाद जुर्मके लिखाजायेगा)

मवर्रुखे—माह—सन् १८ ई० ॥

[दस्तखत]

२८—फर्द करारदादजुर्म ॥

[देखोदफआत २२१व २२२ व २२३]

(१)—फर्दकरारदादजुर्म जिसमें एकइल्जामहो ॥

[अलिफ]-मैं [मजिस्ट्रेट वगैरहका नाम और ओहदा] इस

तहरीरकी रूसे तुम [शख्स मुल्ज़िमका नाम] पर हस्बतफ्सील जैल इल्ज़ाम कायम करताहूं ॥

[बे]–कि तुमने तारीख——माह——को या उसके करीबमौके——परहजरत मलिकामुअज्जिमा कैसरहिंदके मुकाबिले में जंगकी लिहाजा तुमउसजुर्मके मुर्तकिबहुये जिसकी सजा मजमूये ताजीरातहिंदकी दफा १२१ में मुकर्रर है और जोअदालत सिशनकी समाअतके लाय कहै [जबफर्दकरारदाद जुर्मको प्रेजीडंसीका मजिस्ट्रेट तरतीबदे तोबजाय अदालत सिशनके अदालतहाईकोर्ट कायमकी जायगी ॥

ऐक्ट४५सन्१८६०ई०— बरबिनाय मजमूआ ताजीरात दफा १२१

[जीम] औरमैं इसतहरीरके जरियेसे हुक्म देताहूं कि तुम्हारी तजवीज बरबिनायइल्ज़ाम मजकूरअदालत मौसूफा के रूबरूअमल में आये ॥

[मजिस्ट्रेट के दस्तखत और मोहर]

फिकरै [बे]के एवज यह इबारत कायम होसक्ती है ॥

[२]–कि तुमने तारीख——माह——को या उसके करीब मुकाम——पर आनरेबिल——साहब मेम्बरकौंसल जनाब नव्वाबगवर्नर जनरल बहादुर हिंदको यह नतीजा पैदा करनेकेलिये कि साहब मौसूफ अपने मन्सब मेम्बरीके अख्तियारातजायजकी तामील से बाजरहैं उनपरहमला किया लिहाजा तुमउस जुर्मके मुर्तकिबहुये जिसकीसजा मजमूये ताजीरात हिंदकीदफा १२४-मेंमुन्दर्ज है और जो अदालत सिशन [या अदालत हाईकोर्ट] की समाअतके लायकहै ॥

दफा१२४कीबिनापर

ऐक्ट४५सन्१८६०ई०

[३]–तुमने सीगै——में सर्कारी मुलाजिम होकर मुसम्मा——सेमिन्जानिब मुसम्मा–किसी मंसबी अमलकेकरनेसे बाज रहनेके लिये अज़्ज़ायज के सिवा माबउल् एहतिजाज बतौर वजह तहरीक सरीहन् कबूलकिया लिहाजा तुमउस जुर्मके मुर्तकिबहुये जिसकी सजा मजमूये ताजीरात हिंदकी दफा

दफा१६१कीबिनापर

१६१ में मुन्दर्ज है और जो काबिल समाअत अदालत सिशन [या अदालत हाईकोर्ट] के है ॥

[४] तुम तारीख —— माह —— को या उसके करीब मुकाम —— पर [फेल या तर्कफेलके मुर्त्तकिब हुये जैसी सूरतहो]
दफा १६६ की बिनापर और वहफेल खिलाफ मंशाय दफा —— ऐक्ट- केहै और तुमजानतेथे कि उस फेलसे —— को जरर पहुँचेगा —— और इसवजहसे तुम ऐसे जुर्मके मुर्त्तकिब हुयेहो जिसकी सजा मजमूये ताजीरात हिन्दकी दफा १६६ में मुंदर्ज है और जोलायक समाअत अदालतसिशन [या हाईकोर्ट] के है ॥

[५] तुमने तारीख —— माह —— को या उसके करीब मुकाम
दफा १९३ की बिनापर —— पर जबकि —— शख्सकी तजवीज दरपेश थी रूबरू —— के अपनी शहादतमें यहबयान किया कि —— और तुम इस बयानको जानतेथे या बावरकरतेथे कि झूठहै या तुमइसको सच बावर नहीं करतेथे और उस वजहसे तुमने ऐसेजुर्मका इर्तिकाब किया जिसकी सजा मजमूयेताजीरातहिंदकी दफा १९३-में मुन्दर्ज है और वह लायक समाअत अदालत सिशन [या हाई-कोर्ट] केहै ॥

[६] तुम तारीख —— माह —— को या उसके करीब मुकाम-
दफा ३०४ की बिनापर पर मुसम्मा —— की हलाकतके बाअस होकर जुर्म कत्ल इन्सान मुस्तल्जिम सजाके मुर्त्तकिबहुये जो कत्लअमद की हद्दतक नहीं पहुंचता पस तुम उस जुर्मके मुर्त्तकिबहुये जिसकी सजा मजमूये ताजीरातहिन्दकी दफा ३०४-में मुन्दर्ज है और जो लायक समाअत अदालत सिशन [या अदालत हाईकोर्ट] केहै ॥

[७] तुमने तारीख —— माह —— को या उसके करीबमुकाम ——
दफा ३०६ की बिनापर पर मुसम्मा —— की खुदकुशीमें जब उसनेनशे की हालतमें अपने तईं हलाक किया अआनतकी लिहाजा तुम उसजुर्मके मुर्त्तकिबहुये जिसकी सजा मजमूये ताजीरातहिन्दकी दफा ३०६-में मुन्दर्ज है और जो काबिल समाअत अदालत सिशन [या अदालत हाईकोर्ट] के है ॥

[८]-तुमने तारीख——माह——को या उसके करीब बमुकाम
दफा ३२५ की बिनापर ——बिल्इरादह——को जररशदीद पहुँचाया-लिहाजा तुम उस जुर्मके मुर्त्तकिबहुये जिसकी सजा मजमूये ताजीरातहिन्दकी दफा ३२५——में मुकर्रर है और जो काबिल समाअत अदालत सिशन [या अदालत हाईकोर्ट] के है ॥

[९]-तुमने तारीख——माह——को या उसके करीब बमुकाम--
दफा३९२कीबिनापर सरकैबिलजब्र निस्बत [यहां नाम लिखाजायगा] केकिया और इसवजहसे ऐसे जुर्मका इर्तिकाब किया जिसकी सजा मजमूये ताजीरातहिन्द की दफा ३९२—में मुन्दर्जहै और जो काबिल समाअत अदालत सिशन [या अदालत हाईकोर्ट]केहै॥

[१०]-तुमने तारीख——माह——को या उसके करीब बमु-
दफा३९५कीबिनापर काम——डकैती यानी ऐसे जुर्मका इर्तिकाब किया जिसकी सजा मजमूये ताजीरातहिन्दकी दफा ३९५—में मुन्दर्जहै और जो काबिल समाअत अदालत सिशन (या अदालत हाईकोर्ट) के है ॥

जिन मुकद्दमातकी तजवीज मजिस्ट्रेट करे उनमें बजाय इस इबारत के "काबिल समाअत अदालत सिशनके है" यह इबारत लिखनी चाहिये "काबिल मेरी समाअत के है" और [जीम] में लफ्ज "अदालत मौसूफा" मतरूक करना चाहिये ॥

(२)—फर्दकरारदाद जुर्मजिसमें दो
या जियादह इल्जामहों ॥

[अलिफ]—में [मजिस्ट्रेट वगैरहका नाम और ओहदा] इस तहरीर की रूसे तुम [शख्स मुल्जिम का नाम] पर इल्ज़ाम हस्ब तफ्सील जैल कायम करताहूं ॥

[बे]—अव्वलन् यह कि तुमने तारीख——माह——को या उसके
दफा २४१ की बिनापर करीब बमुकाम——एक सिक्केको मुल्तबिस जानकर दूसरे शख्स मुसम्मा——को मिसल सिक्काअसलीकेहवाले किया लिहाज़ा तुम उसजुर्मके मुर्त्तकिबहुये जिसकी सज़ा मजमूये ताजीरात हिन्दकी दफा२४१--में मुन्दर्ज है और जो लायक समा-

ऐक्ट ४५ सन १८६० ई० अत अदालतसिशन[याअदालतहाईकोर्ट]केहै॥

सानियन्—यह कि तुमने तारीख——माह——को या उसके करीब बमुकाम——एक सिक्केका मुल्तबिस होना जानकर एक और शख्स मुसम्मा——को इसबातपर आमादा करनेका इक़दाम किया कि वह असली सिक्केकी हैसियतसे उसको ले लिहाज़ा तुम उस जुर्मके मुर्त्तकिबहुये जिसकी सज़ा मजमूये ताज़ीरातहिन्दकी दफा २४१--में मुन्दर्ज है और जो काबिल समाअत अदालत सिशन [या अदालत हाईकोर्ट] के है॥

[जीम] और मैं इसतहरीर के जरिये से हुक्मदेताहूं कि तुम्हारी तजवीज बरबिनाय इल्ज़ाम मजकूर अदालत मौसूफा से अमल में आये॥

[मजिस्ट्रेट के दस्तखत और मोहर]

बजाय फिकरे [बे] के यह इबारत कायम होसक्ती है॥

[२] अव्वलन्—यह कि तुमतारीख——माह——को या उसके करीब बमुकाम——मुसम्मा——की हलाकत का बाअस होनेसे कत्ल अमदके मुर्त्तकिबहुये लिहाजा तुमने उसजुर्मका इर्तिकाबकिया जिसकी सजा मजमूये ताजीरातहिन्दकी दफा ३०२- में मुन्दर्ज है और जो लायक समाअत अदालत सिशन [या अदालत हाईकोर्ट] के है॥

दफात ३०२ व ३०४ की बिनापर

सानियन्-यह कि तुम तारीख——माह——को या उसके करीब बमुकाम——मुसम्मा——की हलाकतका बाअस होनेसे ऐसे कत्ल इन्सान मुस्तल्जिम सजाके मुर्त्तकिब हुये जो हदकत्ल अमदतक न पहुँचा लिहाजा तुमने उसजुर्मका इर्तिकाबकिया जिसकी सजा मजमूये ताजीरातहिन्दकी दफा ३०४--में मुन्दर्ज है और जो लायक समाअत अदालत सिशन [या अदालत हाईकोर्ट] के है॥

[३] अव्वलन्—यह कि तुमनेतारीख——माह——को या उसके करीब बमुकाम——सिरकेका इर्तिकाब किया लिहाजा तुम उस जुर्मके मुर्त्तकिब हुये जिसकी सजा मजमूये ता-

दफ़ात३७९व३८२कीबिनापर

जीरातहिन्द की दफा २७६--में मुन्दर्ज है और जो लायक समाअ़त अदालत सिशन [या अदालत हाईकोर्ट] के है ॥

सानियन-यह कि तुमनेतारीख़——माह——को याउसके क़रीबबमुक़ाम——बग़रज़इर्त्तिकाबसर्क़ा किसी शख़्सकी हलाकतका बाअ़स होनेकीतय्यारी करकेसरक़ेका इर्त्तिकाब किया लिहाज़ातुम उसजुर्मके मुर्तकिबहुये जिसकीसज़ा मजमूयेताज़ीरातहिंदकी दफा ३८२ में मुन्दर्ज है और जोलायक़ समाअ़तअदालत सिशन [या अदालत हाईकोर्ट] के है ॥

सालिसन्-यहकि तुमने तारीख़——माह——को या उसकेक़रीब बमुक़ाम--एकशख़्सके मुज़ाहिम होनेकी तय्यारी इसग़रज़ से करके सरक़े का इर्त्तिकाब किया कि सरक़ाकरके तुमको भाग जानेका मौक़ामिले लिहाज़ा तुम उस जुर्मके मुर्तकिब हुये जिसकी सज़ा मजमूये ताजीरातहिन्द की दफा ३८२--में मुन्दर्ज है और जो लायक़ समाअ़त अदालत सिशन (या अदालत हाईकोर्ट) के है ॥

राबअन् यह कि तुमने तारीख——माह——को या उसकेकरीब बमुक़ाम——उसमालको बचारखनेकी ग़रज़से जो तुमने सरके से हासिल किया किसिशख़्सको जररपहुंचानेकी तखवीफकी तय्यारी करके सरक़े का इर्त्तिकाबकिया लिहाजा तुम उसजुर्म के मुर्त्तकिब हुये जिसकीसज़ा मजमूये ताजीरातहिन्दकी दफा ३८२--मेंमुन्दर्ज है और जो लायक़ समाअ़त अदालत सिशन (या अदालतहाईकोर्ट)के है ॥

(४)-तुमने तारीख——माह——को या उसकेक़रीब बमुक़ाम

दूरुज़ामात अलातरीक़ुलब दलदफ़ात१९ रकीबन पर

——जबकि——कीनिस्बत तहक़ीक़ात दरपेश थी——के रूबरू अदाय शहादत में यह बयान किया कि——और तुमने बतारीख——माह——या उसके क़रीब बमुक़ाम——जबकि——शख़्सकी तजवीज़ दरपेशथी——के रूबरू अदाय शहादतमें यह बयान किया कि——और उन बयानातमेंसे एक को तुमझूठजानतेथे या बावर करतेथे या सचबावर नहींकरते थे लिहाजा तुमने उस जुर्मका इर्त्तिकाब किया जो हस्बदफा १९३--

मजमूये ताजीरात हिन्दके क़ाबिलसजा और लायक़ समाअत अदालत सिशन (याअदालतहाईकोर्ट) के है ॥

(जोतजवीज कि मजिस्ट्रेटके रूबरू हो उसमें बजाय इबारत "काबिल समाअत अदालत सिशनके" यह लिखना चाहिये "लायक़मेरी समाअत के" और (जीम) में इबारत " अदालत मौसूफा " मतरूक करनी चाहिये)॥

(३)-फ़र्द क़रारदाद जुर्म सरके जब मुल्ज़िमपर साबिक़ में कोई जुर्म साबित क़रार पाचुकाहो ॥

मैं (नाम और ओहदै मजिस्ट्रेटवग़ैरह) बजरिये इसतहरीरके तुम (नामशख्समुल्जिम) पर हस्ब तफ़सील जैल इल्जाम कायम करताहूं ॥

कि तुमने तारीख——माह——को या उसके क़रीबबमुकाम——सरकेका इर्त्तिकाबाकिया और इसवजहसे उसजुर्मके मुर्त्तकिबहुये जिसकी सज़ा मजमूये ताजीरातहिन्दकी दफा ३७९——मेंमुन्दर्ज है और जो लायक समाअत अदालत सिशन (या हाईकोर्ट या मजिस्ट्रेट जैसी सूरतहो) केहै ॥

ऐक्ट ४५ सन् १८६०ई०

और तुम [यहां नाम मुल्जिमका लिखा जायेगा] मजकूरपर यह इल्जामभी कायम हुआहै कि क़ब्लइर्त्तिकाब जुर्म मजकूर के यानी तारीख——माह——के रूबरू (यहां नाम उस अदालत का लिखाजायेगा जिसकी तजवीजसे जुर्म साबित क़रारपायाहो) मुक़ाम——परतुम्हारे जिम्मे ऐसा जुर्म साबित क़रार पाया जिसकीसजा हस्ब मुन्दर्जे बाब १७——मजमूये ताजीरातहिंद क़ैदतामीआदतीनबरसकेमुक़र्ररहै यानीजुर्म नक़बजनी बवक्तशब (इस जगह जुर्मकी तारीफ उन्हीं अलफाजसे लिखीजायेगी जोउसदफामें हों जिसके बमूजिब शख्समुल्जिमपर जुर्म साबित क़रार पायाहो) और वह हुक्म जिसकी रूसे वह जुर्म साबित करारपाया था अबतक नाफिज व मवस्सरहै और तुमइस वजहसे हस्ब मन्शाय दफा ७५——मजमूये ताजीरातहिंदके सजाय इजाफा शुदह पाने के लायक़ हो ॥

और मैं बज़रिये तहरीरहाज़ाहुक्मदेताहूं कि तुम्हारे मुकद्दमे की तजवीज़ अमल में आवे अलख ॥

२९—वारंट हवालगी बरबिनाय हुक्म कैद या जर्माना मुसद्दिरे मजिस्ट्रेट ॥

[देखोदफ़आत २४५ व २५८]

बनाम सुपुरिंटंडंट (या मुहाफ़िज़) जेलखानेमुक़ाम——

हरगाह तारीख——माह——सन् १८ई०को मुसम्मा——(क़ैदी कानाम [क़ैदीअव्वल–दोम–सोम——जैसीसूरतहो]हमबमुक़द्दमहनंबर——मुन्दर्जै कलन्दरै सन् १८ ई रूबरूमुझ [नामऔर ओहदा हाकिम मुजव्विज़] बइल्लत जुर्म [यहां जुर्म या जरायम की तफ्सील मुख्तासिर लिखी जायेगी) हस्ब मन्शायदफ़ा (यादफ़आत)—— मजमूये ताज़ीरातहिंद (याऐक्टके) मुजरिम क़रारपाया और उसपर हुक्मसज़ाय—— (यहां सराहत मुकम्मिल और मुशर्रह सज़ाकी लिखी जायेगी) सादिरहुआथा ॥

लिहाज़ा आप सुपुरिंटंडंट (या मुहाफ़िज़) को अख्तियार और हुक्म दियाजाताहै कि मुसम्मा——(क़ैदीकानाम)को मैवारंट हाज़ा जेलखाने के अंदर अपनी हिरासतमें लेकर वहां हुक्मसज़ाय मुतज़क्किरह सदरकी तामील क़ानूनके मुताबिक़ कीजिये ॥

आज बतारीख——माह——सन् १८ ई०हमारे दस्तखत और अदालत की मोहरसे जारी कियागया ॥

(मोहर) (दस्तखत)

३०—वारटकैद जब जर मुआविज़ा बज़रिये कुर्की वसूल न होसके ॥

[देखो दफ़ा २५०]

बनामसुपुरिंटंडंट [यामुहाफ़िज़] जेलखाना मुक़ाम——जो कि मुसम्मा——[नाम और तफ्सील यानी वल्दियत वक़ौमियत]ने बनाम मुसम्मा-[नाम और तफ्सील यानी वल्दियत व कौमियत शख्स मुल्ज़िम] यह नालिशकी है कि [मुख्तासिरहाल नालिश का बयान कियाजाये] और नालिश मज़कूर बे असल या बराह

ईज़ारसानी क़रारपाकरखारिज़ की गईहै और हुक्म इखराज में मुबलिग़—रुपयाबतौर मुआविज़ामुसम्मा—[नाममुद्दई] के ज़िम्मेआयदकिया गयाहै और हरगाहमुबलिग़मज़कूर हिनोज़ अदा नहींहुआहै और मुसम्मा [नाम मुद्दई] की जायदाद मन्क़ूलाकी क़ुर्की से वसूल नहीं होसक्ताहै और उसकी निस्बत हुक्म सादिर हुआ है कि वह मीआद—केलिये जेलखाने में क़ैद महज़में रहै इल्ला उसहालतमें कि ज़र मुआविज़ामज़कूर मीआद के इन्क़िज़ा से पहिले अदा होजाये॥

पस इस तहरीर की रूसे आप सुपुरिंटंडंट (या मुहाफ़िज़) मज़कूर को अख्तियार दियाजाताहै और हुक्म होताहै कि मुसम्मा—मज़कूर को मैवारंट हाज़ा अपनी हिरासतमें लेकर मीआद—(यहां मीआद क़ैद लिखी जायेगी) मज़कूरके लिये जेलखाने मज़कूरमें अपने पास हिफ़ाज़तसे बक़ैद शरायत दफ़ा ६९—मजमये ताज़ीरात हिंदके रक्खे इल्ला उस सूरतमें कि ज़र मुआविज़ा मीआद के इन्क़िज़ा से पहिले अदाहोजाय और बफ़ौर अदाहोने ज़र मुआविज़ा के उसको रिहा करदीजिये और इसवारण्टको बाद तहरीर इबारत जोहरी मुशअर तसदीक़ तरीक़े तामील उसके वापिस भेजिये॥

आजबतारीख—माह—सन् १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालत की मोहर से जारी कियागया॥

[मोहर] [दस्तखत]

३१—सम्मन बनाम गवाह॥

[देखो दफ़आत ६८ व २५२]

बनाम मुसम्मा—साकिन—

हरगाह हमारे रूबरू नालिश हुई है कि मुसम्मा—साकिन—से जुर्म—[यहा जुर्मका मुख्तसिरहाल बक़ैद वक्त और मौक़ाके लिखाजायगा] का मुर्त्तकिब हुआहै [या उसके इर्त्तिकाबका उस पर शुभाकियागयाहै] और हमको मालूम होताहैं कि तुम मुस्तग़ीसकी तरफ़ से शहादत मुतअल्लिक़े उमूर अहम देसकोगे॥

लिहाजा तुम्हारे नाम सम्मन भेजाजाताहै कि तारीख—माह —आयन्दाको दोपहरसे पहिलेवक्त१०-दशबजेके इसअदालतमें इस ग़रजसे हाज़िरहो कि नालिश मजकूरकी बाबत जो कुछ तुम को मालूमहो उसकी निस्बत शहादतदो और बिला इजाजत अदालतके वहां से चले न जाओ और तुमको बजरिये इसके मुतनब्बा किया जाताहै कि अगर तुम बिलावजह जायज तारीख मजकूर पर हाजिर होनेसे ग़फ्लत या इन्कार करोगे तो तुम्हारी हाजिरीबिलजब्र के लिये वारण्टजारी कियाजायगा ॥

आजबतारीख—माह—सन् १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालतकी मोहर से जारी कियागया ॥

[मोहर] [दस्तखत]

३२—प्रैसपट बनाममजिस्ट्रेट जिला बगरज
तलबी अहालीजूरी व असेसरान् ॥

[देखो दफा ३२६]

बनामसाहब मजिस्ट्रेट जिला—मुक़ाम—

हरगाह यह अम्र क़रार पाया है कि जलसै सिशन सीग़ै फौजदारी तारीख—माह—आयन्दाको बकचहरी मुक़ाम—इनअक़ाद पाये और नाम अशखास मौसूमा प्रैसपट हाजाके उनअहालीजूरी और असेसरों की फेहरिस्त मुसहे से जो इस अदालत में भेजीगईथी हस्ब जाबितै बजरिये चिट्ठीडालनेके मुन्तखिबकिये गये हैं लिहाजा आपको हुक्महोता है कि आप अशखास मजकूर के नाम सम्मन इसहुक्म से जारी करें कि वह तारीख मजकूर पर १० दशबजे कब्लदोपहर के जलसै सिशन मजकूरमें हाजिरहों और आपको चाहिये कि तारीख मजकूरसे पहिले इसअम्रकी तसदीक लिखभेजें कि आपने इस प्रैसपट के मुताबिक अमल किया है ॥

(इसजगह नाम अहालीजूरी और असेसरों के लिखे जायेंगे]

आज बतारीख——माह——सन् १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालत की मोहरसे जारी किया गया॥

(मोहर) (दस्तखत)

३३—सम्मन बनाम असेसर या अहलजूरी॥

[देखोदफ़ा ३२८]

बनाम मुसम्मा——साकिन——

बमुताबिक़त हुक्मक़तै प्रैसपट जोमुक़ाम——की अदालतसिशन से मेरे नाम पहुंचाहै और जिसमें तुम्हारेनाम हिदायत हुईहै कि जलसे सिशन आयन्दा सीगे फौजदारी में बतौर असेसर [या अहलजूरीके] हाज़िर हो लिहाज़ा तुम्हारेनाम सम्मनजारीहोता कि तारीख——माह——सन् १८ ई०को बवक्तनवाख्तदशघंटे क़ब्लदोपहरके अदालत सिशन मज़कूर में हाज़िरहो॥

आज बतारीख——माह——सन् १८ ई० हमारेदस्तखत और अदालतकी मोहर से जारीकियागया॥

[मोहर] [दस्तखत]

३४—वारंट हवालगी बराय्तिनाय हुक्म सज़ायमौत॥

[देखोदफ़ा ३७४]

बनाम सिपुरिंटंडन्ट (यामुहाफ़िज़) जेलखानामुक़ाम——

हरगाह इजलास सिशनमें जो बतारीख——माह——सन् १८ ई० हमारेहुज़ूर हुआथा मुसम्मा (नामक़ैदी) (क़ैदी नम्बर अव्वल या दोम या सोम जैसीसूरतहो) बमुक़द्दमे नम्बर——मुन्दर्जेकलंदरै सिशन मज़कूर की निस्बत जुर्मक़त्ल इन्सान मुस्तल्ज़िम सज़ा जो क़त्लअमदकीहदको पहुंचताहै बमूजिबदफ़ा——मजमूयेताज़ीरातहिन्दके हस्बज़ाबितै करार पायाथा और उसकी निस्बत हुक्म सज़ाय ऐक्ट ४५ सन १८६०ई० मौत बशर्त बहाली हुक्म मज़कूर बतजवीज़ अदालत——सादिर हुआथा॥

पस इसतहरीर की रूसे आप सिपुरिटंडंट [यामुहाफ़िज़ जेलखानेकोअख्तियार दियाजाताहै और हुक्महोताहै कि मुसम्मा-

क़ैदीमज़कूरको मैवारंटहाज़ा जेलखाने मज़कूर के अंदर अपनी हवालगी में लेकर उसको वहां उसवक़्ततक हिफाज़तसेरक्खें कि वारंट या हुक्मसानी इस अदालतकामुशअर हिदायत तामील हुक्मअदालत मुतजक्किरै सदर आपके पासपहुंचे॥

आजतारीख——माह——सन् १८ ई० कोहमारे दस्तखत और अदालतकी मोहरसेजारी कियागया॥

[मोहर] [दस्तखत]

३५——वारंटबगरज तामील हुक्मसजायमौत॥

[देखो दफ़ा ३८१]

बनाम सिपुरिंटंडंट (या मुहाफ़िज़) जेलखाना मुक़ाम——

हरगाह बज़रिये वारंट अदालत हाज़ा मवर्रुखै——माह——सन् १८ ई० मुसम्मा [नामक़ैदी] [क़ैदीनम्बर अव्वल या दोम या सोम जैसी सूरतहो बमुक़द्दमै नम्बर——मुन्दर्जै कलंदरह] जो तारीख——माह——सन् १८ ई० किहमारे रूबरू हुआथा बमूजिबहुक्मसज़ाय मौत आपकी हिरासतमें सिपुर्द कियागया औरहरगाह हुक्म अदालत——मुकाम——मुशअरबहाली उसहुक्म सजाके इसअदालतमें पहुंचाहै॥

पस इसतहररिकी रूसे आप सिपुरिंटंडंट (या मुहाफ़िज़) जेलखानेको अख्तियार दियाजाताहै और हुक्म होताहै कि हुक्म मज़कूर की तामील इसतौरसे कीजिये कितामीलसजाकीनामूली वक्त और मुकामपर मुसम्मा-मजकूर गुलूबस्ता उसवक्त तकलटकाया जाय जबतक कि उसकी जान निकलजाय और इस वारंट को बाद तहरीर इबारतजोहरी बतसदीक इसअम्र के कि हुक्म की तामील होगई अदालतहाजाको वापिस भेजिये॥

आज बतारीख——माह——सन् १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालतकी मोहरसे जारी कियागया॥

[मोहर] [दस्तखत]

३६—वारंट जो बतब्दील हुक्म सजाके जारी किया जायगा ॥

[देखो दफआत ३८१ और ३८२]

बनाम सुपुरिंटेंडन्ट [यामुहाफिज] जेलखाने मुकाम—

हरगाह उस इजलास सिशनसे जो बतारीख—माह—सन् १८ ई० मुनअकिद हुआथा मुसम्मा (नाम कैदी) (कैदी नम्बर अव्वल या दोम या सोम जैसी सूरतहो [बमुकद्दमा नम्बर- मुन्दर्जा कलन्दरा सिशन मजकूर की निस्बत जुर्म——जिसकी सजा मजमूये ताजीरातहिन्द की दफा—में मुकर्रर है सा-करार पाकर उसकी निस्बत हुक्मसजाय——सादिरहुआ और उसकेबाद वह आपकी हिरासत में सिपुर्द कियागया और हरगाह मुताबिक हुक्मअदालत—मुकाम—(जिसका मुसन्ना शामिल वारण्टहाजा के है) वह सजा जो हुक्ममजकूरमें तजवीज हुई थी तब्दील होकर उसके एवजसजाय हस्बदवामबउबूर दरियायशोर (या जैसी सूरतहो) तजवीज कीगई है ॥

पस इसतहरीर की रूसे आप सुपुरिंटेंडेंट [या मुहाफिज] जेलखाने को अख्तियार दियाजाताहै और हुक्म होताहै कि मुस-म्मा [कैदीकानाम] को हस्ब मंशायकानून जेलखानै मजकूर में अपने जेरहिरासत उसवक़्तक रक्खे जब कि आपके नाम हुक्म आये कि क़ैदीमजकूरको हुक्ममजकूरके बमूजिब सजायहब्सबउबूर दरियायशोरके तैकरनेकेलिये दूसरे ओहदेदार मुनासिबकीहिरासत में सिपुर्द करदें ॥

या अगर सजाय तब्दीलशुदह सजायक़ैदहो बाद अल्फ़ाज़ "जे-लखानै मजकूरमें अपनी जेर हिरासत रक्खें" यह इबारत लिखी जायगी "और वहां हस्ब मंशाय कानून तामील सजाय कैदकी मुताबिक हुक्म मजकूरके करें" ॥

आज बतारीख—माह—सन् १८ ई० हमारे दस्तख़त और अदालतकी मोहरसे जारी कियागया ॥

[मोहर]		[दस्तखत]

३७—वारंट वसूल जुर्माना बज़रिये कुर्की व नीलाम के ॥

[देखो दफ़ा ३८६]

बनाम [नाम और ओहदा उसअहल्कार पुलिस या और शख़्स या अशख़ास का जिसको या जिनको वारंटकी तामील सिपुर्दहो]

हरगाहतारीख़—माह—सन् १८ ई० को हमारे रूबरू मुसम्मा—[यहां नाम और तफ़सील याने वल्दियत व क़ौमियत मुजरिम की दर्जहोगी] के जिम्मेजुर्म–[यहां जिक्र मुख़्तसिर जुर्मका लिखाजायगा] साबित करार पाकर उसकी निस्बत हुक्म अदाय जुर्माना तादादी–रुपया सादिर हुआथा और मुसम्मा—मज़कूरने बावस्फ़ इसके कि उससे जुर्माना मज़कूर तलबहुआ था जुर्माना मज़कूर या उसका कोई जुज्व अदा नहीं कियाहै ॥

लिहाज़ा तुमको अख़्तियार दियाजाता है कि कुर्क़ी बज़रिये क़ब्ज़ेमें लाने किसी माल मन्कूला ममलूका मुसम्मा–मज़कूरके जो ज़िले–के अंदर दस्तियाबहो करो और अगर अंदर मीआद–[यहां तादाद अय्याम या घंटोंकी जिस क़दर मोहलत दीजाय दर्ज होगी] बाद वकूअ कुर्क़ी मज़कूरके तादाद जुर्माना अदा न कीजाय [या फ़ौरन् अदा न हो] जायदाद मन्कूला कुर्क़ शुदहको या उस क़दर जुज्व उसका जो जुर्माना बेबाक़ करनेके लिये काफ़ीहो नीलामकरो और इस वारंटको बाद तहरीर इबारत ज़ोहरी बतसदीक़ इस अम्रके कि उसके मुताबिक़ तुमने क्या काररवाई की बफ़ौर इख़्तिताम तामील वारंटके वापिस भेजो ॥

आज बतारीख़—माह—सन् १८ ई० हमारे दस्तख़त और अदालत की मोहरसे जारीकिया गया ॥

[मोहर] [दस्तख़त]

३८—वारंटहवालगी मुतअल्लिक़े बाज़ मुक़द्दमात अहानत अदालत जबकि जुर्माना कियाजाय ॥

[देखो दफ़ा ४८०]

बनाम सुपरिंटेंडंट [या मुहाफ़िज़] जेलख़ाने मुक़ाम—

हरगाह अदालत के इजलास में जो आजके रोज़हुआ था मु-

सम्मा—[यहां नाम और तफ़सील याने वल्दियत व क़ौमियत मुजरिमकी लिखीजायगी] ने अदालतके रूबरू या उसके मवाजह में बिलअमद अदालतकी अहानतकी ॥

और हरगाह बपादाश ऐसी अहानतके अदालतसे यह हुक्म सादिर हुआहै कि मुसम्मा [मुजरिमकानाम] जुर्माना तादादी—अदाकरे या दरसूरत अदम अदाय जुर्माना मीआद—तक [यहां तादाद महीनों या रोज़ोंकी दर्जहोगी]॥

क़ैद महज़में रहे ॥

लिहाज़ा आप सुपुरिंटेंडंट [या मुहाफ़िज़] जेलख़ाने को इजाज़त और हुक्म दियाजाता है कि मुसम्मा [नाम मुजरिम] मज़कूरको मय वारंट हाज़ाके अपनी हिरासतमें लेलीजिये और मीआद मज़कूर [यहां मीआद क़ैद लिखी जायगी] के लिये जेलख़ाने मज़कूरमें उसको हिफ़ाज़त से रखिये इल्ला उस सूरतमें कि ज़र जुर्माना अंदर मीआदके अदा होजाय और जुर्माना वसूल होने पर उसको फ़ौरन् रिहा करदीजिये और इस वारंटको उसकी ज़ोहरपर इस अम्रकी तसदीक़ लिखकर कि उसकी तामील क्योंकरहुई वापिस कीजिये ॥

आज बतारीख़—माह—सन् १८ ई० हमारे दस्तख़त और अदालत की मोहरसे जारीकिया गया ॥

[मोहर] [दस्तख़त]

३९—मजिस्ट्रेट या जजका वारंट हवालगीजब गवाह जवाबदेनेसे इन्कारकरे॥

[देखो दफ़ा ४८५]

बनाम [नाम और ओहदा अदालत के अहल्कार का)

हरगाह मुसम्मा [नाम और तफ़सील याने वल्दियत और क़ौमियत] बतौर गवाह तलब होकर आया है [या अदालत के रूबरू हाज़िर कियागयाहै] और आज एक जुर्मक़रार दादहकी तहक़ीक़ातके वक्त उससे शहादत तलबकीगई और उसने किसी खास सवाल [या खास सवालात] किये जानेपर जो जुर्म क़रारदाद मजकूर से मुतअल्लिक़ थे और जो हस्ब जाबितह क़लम्बन्द

कियेगये बिलावजह जायज़ अपने इन्कारके उनके जवाबदेने से इन्कार किया औ उस अहानतकी पादाशमें उसके लिये सजाय हवालात मीआदी——रोज [मीआदहवालात तजवीज शुदह] तजवीजकीगई है ॥

लिहाजा तुमको इजाजत और हुक्म दियाजाता है कि मुसम्मा——मजकूरको अपनी हिरासत में लो और अरसा——रोजतक उसको हवालातमें हिफाजतसे रक्खो इल्ला उससूरत में कि वह इस अरसेमें इजहार लिखाने या सवालात मुस्तफ्सिरा के जवाब देनेपर राजीहो और मीआद मजकूरके आखिररोज या बफौर मालूम होजाने उसकी ऐसी रजामन्दी के इस अदालतके रूबरूकानूनके मुताबिक़ सलूक कियेजाने के लिये उसको हाजिरकरो और इसवारण्टको इसके जोहरपर इसअम्रकी तसदीक लिखकर कि इसकी तामिल क्योंकर हुई वापिसकरो ॥

आजबतारीख——माह——सन्——हमारे दस्तखत और अदालतकी मोहरसे जारीहुआ ॥

[मोहर] [दस्तखत]

४०——वारंट कैदका दरसूरत अदम अदाय नानवनफ़्का ॥

[देखो दफा ४८८]

बनाम सुपुरिंटेंडंट [या मुहाफिज] जेलखाना मुक़ाम——हरगाह हमारे रूबरू साबित हुआहै कि मुसम्मा [नाम और तफ्सील याने वल्दियत व क़ौमियत और सकूनत] इसक़दर सरमायाकाफी रखताहै कि अपनी जौजा [नाम] या अपने तिफ्ल [नाम] के जो बवजह (यहांवजह लिखीजायगी] खुद अपनीमुआश पैदा नहींकरसक्ती है या नहींकरसक्ता है परवरिशकरे और यह कि उन की परवरिश करनेमें उसने तसाहुल या उससे इन्कार किया है और उसपर हुक्म हस्बजाबिता सादिरहुआ है कि मुसम्मा——मजकूर अपनी जौजा या [तिफ्ल] को–रुपया माहवारी बतौर नानवनफ़्क़ाके अदाकरे और यहभी सुबूतको पहुंचाहै कि मुसम्मा–मजकूरने उसहुक्मसे उदूल बिलअमद करके मुबालिग——कि

वही तादादनानवनफ़्क़ा बाबत——माह [या माहहाय] --के अब वाजिबुल्अदा है अदा नहींकिया और वरतबक़इसके उसकीनिस्बतहुक्महुआ कि वह जेलखाने मजकूर में मीआद——केलिये क़ैद महज [या सख्त] तैकरे ॥

लिहाजा आप सुपुरिंटेंडंट [या मुहाफिज] जेलखाना——को इजाजत और हुक्म दिया जाता है कि मुसम्मा——मजकूर को जेलखाने मजकूरके अन्दर अपनी हिरासत में मय इसवारंट के लीजिये और वहां हुक्म मजकूरकी तामील मुताबिक कानून के कीजिये और इसवारण्टको उसके जोहरपर इसअम्रकी तसदीक लिखकर कि उसकी तामील क्योंकरहुई वापिस कीजिये ॥

आज बतारीख——माह——सन् १८ ई० हमारेदस्तखत और अदालत की मोहर से जारी किया गया ॥

(मोहर) (दस्तखत)

४१—वारंट वास्ते जबरन् अदाकरने नानवनफ़्क़ा बज़रिये कुर्की और नीलामके ॥

(देखो दफा ४८८)

बनाम (नाम और ओहदा अहल्कार पुलिस या और शख्सका जिसको वारंटकी तामील सिपुर्दकीजाय) ॥

हरगाह हुक्म हस्ब ज़ाबितै सादिरहुआ है कि मुसम्मे——मज़कूर अपनी ज़ौजा (या तिफ्ल] को बक़दर——रुपया माहवारी बतौर नानवनफ़्क़ा के अदाकरे और या कि मुसम्मा [मज़कूरने उस हुक्मसे अमदन् इन्हराफ़् करके मुबलिग़——कि वहतादाद नानवनफ़्क़ा बाबत माह [या माह हाय]——के अबवाजिबुल् अदाहै अदानहीं किया ॥

लिहाज़ा तुमकोअख्तियार दियाजाताहै और हुक्म होताहै कि मुसम्मे——मज़कूर की जायदाद मन्क़ूला को जोज़िले——केअंदर दस्तियाबहो बज़रिये क़ब्ज़ा करने के कुर्क करो और अगर कुर्की मजकूर के बाद——रोज [यहांतादाद रोजों या घंटोंकी लिखी जायगी] के अंदर [या फ़ौरन्] मुबलिग़ मजकूर अदा न किया-

जाय माल मन्कूला कुर्कशुदह या उसके उसकदर जुज्वको नी-लाम करो जो वास्ते बेबाकी मुबलिग़ मजकूरके काफ़ी हो और इस वारंटको उसकी जोहरपर इसअम्रकी तसदीक लिखकर कि तुमने बतबय्यत इसके क्या काररवाईकीहै बफौर तामील होजाने वारंटके वापिस भेजो ॥

आज बतारीख—माह—सन् १८ ई० हमारेदस्तखत और मोहर अदालतसे जारी किया गया ॥

[मोहर] [दस्तखत]

४२—मुचलका और ज़मानतनामा वक्त तहक़ीक़ात इब्तिदाई रूबरू मजिस्ट्रेट ॥

[देखो दफ़आत ४९६ व ४९९]

मैं मुसम्मे—साकिन मुक़ाम—कि जुर्म—में मंसूब होकर रूबरू साहबमजिस्ट्रेट मुक़ाम—के[जैसीसूरत हो] हाजिर आयाहूं और मुझसे जमानत वास्ते हाजिर होने बीच अदालत मजिस्ट्रेट और अदालत सिशन के अगर जरूरतहो तलब हुई है इसतहरीरकी रूसे इकरार करताहूं कि तहकीकात इब्तिदाईके हरदिनको जो उस जुर्मकी बाबत अमलमेंआये माजिस्ट्रेट मजकूर की अदालत में हाजिरहूंगा और अगर वह मुकदमा तजवीजके लिये अदालत सिशनमें सिपुर्द किया जाय तो अदालत मजकूर में भी वास्ते जवाबदिही इल्जामके जो मुझ पर लगाया गयाहै मौजूद और हाजिरहूंगा अगर हाजिर होनेमें कुसूर करूं तो मुबलिग़—रुपया बतौर तावान मलकामुअज्जिमा कैसरहिन्दको अदाकरूं

मवर्रुखे—माह— सन् १८ ई० ॥

[दस्तखत]

मैं इस तहरीरकी रूसे इकरार करताहूं [या हम मुन्फरदन् या मुश्तरकन् अपनी अपनी तरफसे इकरार करते हैं) कि मैं या हम मुसम्मे—कीतरफसे जामिन(या जामिनान) इसबातके हैं कि उस तहकीकात इब्तिदाई के हररोज जो इल्जाम क़रारदादह ऊपर नाम्बुर्दाकी बाबत अमलमेंआये मुसम्मे—मजकूरअदालत-मेंहाज़िर

होगा और अगर वह मुकद्दमा तजवीजके लिये अदालत सिशन में सिपुर्दहोजाय तो मुसम्मे-मजकूर अदालत सिशन में भी वास्ते जवाबदिही जुर्मकरारदादहके मौजूद और हाजिरहोगा और अगर वह हाजिर होनेमें कुसूर करे तो मुबलिग़-बतौर तावान मलका-मुअज्जिमा कैसरहिन्दको अदाकरूं. याकरें॥

मवर्रुखे-माह-सन् १८ ई०॥

(दस्तखत)

४३——वारंट वास्ते रिहाई किसी शख्सके जो बकुसूर अदम अदखाल जमानत के कैद हुआहो॥

[देखो दफा ५००]

बनाम-सुपरिंटेंडेंट[या मुहाफिज]जेलखानामुकाम-या[बनामदीगर अहल्कारके जिसकी हिरासतमें वहशख्सहो]॥

हरगाह इस अदालतके वारंट मवर्रुखे-माह-केबमूजिबमुसम्मे [नाम और तफ्सील याने वल्दियत व कौमियत कैदी]तुम्हारी हिरासतमें सिपुर्द कियागयाथा और उसने बादहू बशमूल अपने जामिन [या जामिनों]के मुचलका बमूजिब दफा ४९९ मजमूये जाबिते फौजदारी हस्ब जाबिते लिखदिया है॥

लिहाजा तुमको अख्तियार और हुक्म दियाजाताहै कि फौरन् मुसम्मे-मजकूरको अपनी हिरासतसे रिहाकरो इल्ला उससूरतमें कि वह किसी और वजहसे हिरासतमें रक्खे जानेके लायकहो॥

आज बतारीख——माह-सन १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालतकी मोहरसे जारी किया गया॥

[मोहर] [दस्तखत]

४४——वारंटकुर्की जेहत वसूलतावान मुचलका।

[देखो दफा ५१४]

बनाम अफ्सर पुलिस स्टेशन मोहतमिम मुकाम-

हरगाह मुसम्मा [यहां नाम और तफ्सील याने वल्दियत व कौमियत और सकूनत चाहिये]अपने मुचलकेके मुताबिक बवक्त-[यहांवक्त लिखाजायगा]हाजिरनहींहुआ है और ऐसेकुसूरसे मु-

बलिग— [जरतावान मुन्दर्जै मुचलका] मलकामुअज्जिमा कैसर हिन्दके हुजूर अदा करनेका जिम्मेदार होगयाहै ॥

और हरगाह मुसम्मे—मजकूरको इत्तिलाअबाजाबिता दीगईथी मगर बावजूद इसकेनाम्बुरदाने मुबलिग मजकूर अदा नहींकिया है और न इसकी कोई वजह काफी जाहिर कीहै कि उससे जरमजकूर जबरन्क्योंवसूल न कियाजाय ॥

लिहाजा तुमको अख्तियार और हुकूम दियाजाताहै कि जिसकदर मालमन्कूला ममलूका मुसम्मे—मजकूर जिले—के अन्दर मिले उसको बजरिये कब्जेमें लाने और रोक रखनेके कुर्क करो और अगर तावान मजकूर तीन रोजके अन्दर अदा न कियाजाय तो माल मकरूका मजकूर को या उसका उसकदर जुज्व जो बगरज वसूल तादाद मजकूरके काफी हो नीलामकरो और बफौर तामील होजाने वारण्टके कैफियत इसबातकी लिखभेजो कि वारण्टकी तामील क्योंकर हुई है ॥

आज बतारीख——माह——सन् १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालतकी मोहर से जारी किया गया ॥

(मोहर) (दस्तखत)

४५——इत्तिलाअनामा बनाम जामिन वक्त अदूल शर्त मुचलका हाजिर जामिनी॥

(देखो दफा ५१४)

बनाम——साकिन——

हरगाह तारीख——माह——सन् १८ ई० को तुम मुसम्मे——साकिन——की तरफसे बदीं इकरार जामिन हुयेथे कि मुसम्मे——मजकूर तारीख——को इस अदालतमें हाजिर होगा और यह कि अगर वह हाजिर न हो तो तुम मुबलिग——बतौर तावान मलकामुअज्जिमा कैसरहिन्दके हुजूर अदाकरोगे और हरगाह मुसम्मा—मजकूर अदालत हाजामें हाजिर नहीं हुआ है और उसकी गैरहाजिरीके बाअस तावान तादादी——तुम्हारे जिम्मे वाजिबुल्अदा होगया है ॥

लिहाजा तुमको हुक्म होताहै कि तावान मजकूर अदा करदो या तारीख इमरोजासे—रोजके अन्दर इसबातकी वजह जाहिर करो कि जरमजकूरह तुमसे क्यों जबरन् वसूल न कियाजाय॥

आज बतारीख—माह—सन् १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालत की मोहरसे जारी किया गया॥

[मोहर] [दस्तखत]

४६—इत्तिलाअनामा बनाम जामिन मुशअरबाजिबुल्अख्ज होजाने तावान मुचलका नेकचलनी॥

(देखो दफा ५१४)

बनाम—साकिन—

हरगाह तारीख—माह—सन् १८ ई० को तुम मुसम्मा—साकिन—की तरफसे इस इकरार के साथ जामिन हुयेथे कि नाम्बुरदा मीअद—तक नेकचलन रहेगा और अपनेतईं पाबन्द कियाथा कि अगर मुसम्मे इसके खिलाफ अमल करेगा तो तुम मुबलिग—बतौर तावान मलका मुअज्जिमा कैसरहिंदको अदा करोगे और हरगाह मुसम्मे—मजकूर के जिम्मे इर्तिकाब जुर्म—[यहां मुख्तसिर बयान जुर्मका लिखा जायगा] साबित हुआ है और वहजुर्म तुम्हारे ज़ामिन होनेकेबाद वकूअमें आया है और इस वजह से तुम्हारे जमानत नामेका तावान वाजिबुल्अख्ज होगयाहै॥

पस तुमको हुक्म दिया जाता है कि तावान तादादी—रुपया अदाकरदो या अरसा—रोजमें इसबातकी वजह जाहिर करो कि मुबलिग मजकूर क्यों न अदाकियाजाय॥

आज बतारीख—माह—सन् १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालत की मोहरसे जारी किया गया॥

(मोहर) (दस्तखत)

४७—वारटकुर्की बनाम ज़ामिन ॥

[देखो दफा ५१४]

बनाम——साकिन——

हरगाह मुसम्मा [नाम और तफ़सील याने वल्दियतवक़ौमियत और सकूनत] ज़ामिनवास्ते हाज़िरी [यहां शरायतज़मानतनामेकी लिखे जायँगे] के हुआ है और मुसम्मा——मज़कूर ने ज़मानतनामे की तामील में कुसूर किया है और उस वजहसेमुबलिग़——[तावानमुन्दर्जै ज़मानत] मलकामुअज़्ज़िमाक़ैसरहिन्द के हुजूर दाखिल करनेका ज़िम्मेदार होगयाहै ॥

लिहाजा तुमको अख्तियार और हुकुमदियाजाताहैकि मुसम्मेमज़कूरकी जिसक़दर जायदाद मन्कूला ज़िला——के अन्दरतुम को दस्तियाबहो उसको बज़रिये कब्ज़ेमें लाने और रोकरखने के कुर्ककरो—और अगर वहतीनरोज़के अन्दर अदानकीजायतोजायदाद मक़रूक़ा या उसका उसक़दर जुज्व जो तावान मज़कूर के वसूलकेलिये काफीहो नीलाम करदो और बफौर तामीलहोजाने इस वारंटके इसबातकी कैफियत लिखोकि तुमने बतबैयतइसके क्याकार्रवाई की है ॥

आजबतारीख——माह——सन्१८ ई०हमारेदस्तखत और अदालतकी मोहरसे जारी कियागया ॥

[मोहर] [दस्तखत]

४८—वारंट हवालगीजामिनशख्समुल्ज़िमके जो ज़मानतदेकर रिहाहुआहो ॥

[देखो दफा ५१४]

बनाम सुपुरिंटेंडेंट [यामुहाफिज़] जेलखाने दीवानीमुक़ाम-

हरगाह मुसम्मा [नाम और तफ्सील यानेवल्दियत वक़ौमियत ज़ामिन] ज़ामिनवास्ते हाज़िरी [यहांज़मानतनामाकी शरायतालिखी जायेंगी]के हुआहै और मुसम्मे——मज़कूरने खिलाफ शर्त्त ज़मानतनामेके अमलकियाहै और इसवजहसेतावानमुन्दर्जै ज़मानतनामा मलकामुअज़्ज़िमा क़ैसरहिन्द को वाजिबुल्अदा

होगयाहै और हरगाहमुसम्मे—मजकूरने [यहां जामिनकानाम लिखाजायगा] बावस्फजारीहोने इत्तिलानामा बाजाबितहबनाम उसके मुबालिग़ मज़कूर अदानहीं कियाहै और न वजह काफी इसबात की जाहिरकी है कि वह तादाद उससे जबरन् क्यों न वसूल कीजाय और वह तादाद उसकी जायदाद मन्कूला की कुर्की व नलिामसे वसूल नहीं होसक्तीहै और इसवजह से उसके नामहुक्महुआहै कि वह तामीआद [मीआदकीतसरीहकीजाय] जेलखाने दीवानी में क़ैदरक्खाजाय ॥

लिहाजा आप सुपुरिंटेंडेंट [थामहाफिज] को इजाजत और हुक्मदिया जाताहै कि इसवारंट के साथमुसम्मेको अपनी हिरासतमेंलायें और उसको मीआद [यहांमीआद क़ैदलिखीजायगी] मजकूरके लिये जेलखाने में हिफाजतसे रक्खें और इस वारंटको बादलिखने तसदीक निस्बततरीकै तामीलवारंटके वापिसभेजें ॥

आज बतारीख—माह—सन् १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालतकी मोहर से जारी कियागया ॥

[मोहर] [दस्तखत]

४९—इत्तिलाअनामा मुशअर वाजिबुल्अख्ज होजाने
तावान बनाम असल नवीसिंदा मुचल्का
हिफ्जअमन खलायक़के ॥

[देखो दफा ५१४]

बनाम [नाम और तफ्सील याने वल्दियत व कौमियत और सकूनत]

हरगाह तारीख—माह—सन् १८ ई० को तुमने एक मुचल्का बवादै अदमइर्त्तिकाब अलख [इबारत मुताबिक मुचल्का] लिख दियाथा और सुबूत वाजिबुल्अख्ज होने तावान का हमारेरूबरू गुजरकर हस्बजाबितै कलम्बंद किया गया है ॥

लिहाजा तुमको हुक्म दिया जाताहै कि तावान तादादी—रुपया अदाकरदो या इसबातकी वजह आजसे—रोजके अन्दर जाहिर करो कि वह तादाद तुमसे जबरन् क्यों न वसूल कीजाय ॥

मरक़ूमै——————माह——————सन् १८ ई० ॥

[मोहर] [दस्तखत]

५०—— वारंट बहुक्म कुर्की माल असल नवी
सिंदामुचल्का हिफ्ज अमन खयालक़
दरसूरत अहदशिकनी ॥

[देखो दफ़ा ५१४]

बानम [नाम और ओहदाअहल्कारपुलिस] पुलिसस्टेशन मुकाम——

हरगाह मुसम्मे [नाम और तफ्सील याने वल्दियत और कौमियत] ने तारीख——माह——सन् १८ ई० को मुचल्का बकैद तावान——रुपयेके इस इकरारके साथ लिखदियाथा कि वह कोई फेल दाखिल नुक्जअमन खलायक वग़ैरह न करेगा [जैसा मुचल्के में लिखाहो] और सुबूत वाजिबुल् अर्जहोजाने तावान मुचल्का मजकूरका मेरे रूबरू गुजरकर हस्बजाबिता कलम्बंद हुआहै और हरगाह इत्तिलाअनामा बनाम——मजकूर वास्ते जाहिर करने वजह इसअम्रके उसपर जारीहुआहै कि मुबलिग़ मजकूर क्यों न अदाकिया जाय इल्ला उसमें ऐसी वजह जाहिरनहीं की और न मुबलिग़ मजकूर अदाकिया है ॥

लिहाजा तुमको इजाजत और हुक्म दियाजाताहै कि जो माल मन्कूला अजां मुसम्मे——मजकूरज़िले——के अंदर बकदरमालियत——रुपयेके तुमको दस्तियाब हो उसको बजरिये कब्जेमें लाने के कुर्करक्खो और अगर मुबलिग़ मजकूर मीआद——के अंदरअदा न कियाजाय तो जायदाद मकरूका या उसका उसकदर जुज्व जो वास्ते वसूलकरने तावान मजकूरके काफी हो नीलाम करो और बफौर तामील पाने इस वारंटके कैफियत इस बातकी लिखभेजो कि तुमने बइतबाअ वारण्ट के क्यातामीलकी ॥

आज बतारीख——माह——सन् १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालतकी मोहरसे जारी कियागया ॥

[मोहर] [दस्तखत]

५१—वारंट क़ैददरसूरत खिलाफ़ वर्ज़ीशरायत
मुचलका हिफ़्ज़ अमन ख़लायक़ ॥

[देखो दफ़ा ५१४]

बनाम सुपुरिंटेंडेंट [या मुहाफिज] जेलखाना दीवानी मुक़ाम——

हरगाह सुबूत इसअम्रका हमारे रूबरू गुजरकर हस्ब जाबितै क़लमबन्द हुआहै कि मुसम्मा [नामऔर तफ़्सील याने वल्दियत वग़ैरह] ने उसमुचल के की शरायत से खिलाफ़ वर्ज़ी की है जिसमें उसने अनम ख़लायक़ के क़ायम रखने का वादा कियाथा और उस ख़िलाफ़ वर्ज़ी के बाअ़स वह मलका मुअ़ज़्ज़िमा क़ैसरहिंदके हुजूर मुबलिग़——रुपया बतौर तावान अदा करनेका मुस्तौजिब हुआहै और हरगाह मुसम्मे——मज़कूर ने मुबलिग़ मज़कूर अदा नहीं किया है और न इसबातकी वजह ज़ाहिरकी है कि ज़रमज़कूर क्योंनअदाकियाजाय गो उसको हस्ब ज़ाबिता ऐसा करनेकी हिदायत हुईथी और हरगाह उसकी जायदाद मन्क़ूला की क़ुर्क़ीके ज़रियेसे तावान मज़कूर वसूल नहीं हो सक्ताहै और मुसम्मे [नाम] मज़कूरको जेलख़ानै दीवानीमें अरसा——[यहां मीआद क़ैदकी लिखी जायगी] के वास्ते क़ैदरखने का हुक्म सादिर हुआ है ॥

लिहाजा आप सुपुरिंटेंडेंट [या मुहाफिज] जेलखाने दीवानीको अख्तियार दियाजाताहै और हुक्महोताहै कि मुसम्मे——मजकूरको साथ इसवारण्टके अपनी हिरासतमें लायें और अरसा [यहां मीआद कैदलिखीजायेगी] मजकूरतक उसको जेलखानेमजकूरमेंहिफाजतसेरक्खें और इसवारण्टको उसकी जोहरपरइसअम्र की तसदीकलिखकर कि उसकीतामील क्योंकरहुई वापसभेजें ॥

आज बतारीख——माह——सन् १८　ई० हमारेदस्तखत और अदालत की मोहर से जारी कियागया ॥

[मोहर]　　　　[दस्तखत]

५० —वारंटकुर्की व नीलाम जब तावान मुचल्का
नेकचलनी काबिल जबती होजाय ॥

[देखो दफा ५१४]

बनाम अहल्कार पुलिस मोहतमिम पुलिस स्टेशन मुक़ाम—

हरगाह मुसम्मे [नाम और तफ़्सील याने वल्दियत व क़ौमियत व सकूनत] ने तारीख़—माह—सन् १८ ई० को ज़मानतनामा बक़ैद मुचलिग़—के बवादै नेकचलनरहने [नाम वग़ैरह असल फ़रीक़] के लिखदिया था और सुबूत इत्तिका बजुर्मका मिन्जानिब—मज़कूरके हमारे रूबरू गुज़रकर हस्ब ज़ाबिता क़लम्बन्दहुआ है और उस वजहसे तादाद मुन्दर्जै ज़मानतनामा क़ाबिलज़ब्तीके होगईहै और हरगाह मुसम्मे—मज़कूरके नाम इत्तिलाअनामा इस हुक्म से जारीहुआहै कि वह वजह इसबातकी ज़ाहिरकरे कि वह तावान क्यों न अदा कियाजाय—

औरउसने ऐसीवजह जाहिर नहींकीऔर नजरमजकूर अदाकिया॥

लिहाजा तुमको अख्तियार और हुक्मदियाजाताहै कि माल मन्कूला ममलूका मुसम्मा—मजकूर को बक़दर मालियत—रुपयेकेजोज़िले—के अन्दर दस्तियाबहो बजरिये कब्जेमें लाने के कुर्क करो और अगर वहतादाद अरसा—रोजके अन्दर अदा न की जाय तो जायदाद मक़रूका या उस क़दर जुज्व उसका जो वास्ते वसूल जर तावानके काफीहो नीलामकरो औरबफौरतामीलइस वारंटके इस अम्रकीकैफियतलिखभेजो कि तुमने बतवैयत वारंटके क्याअमलकिया ॥

आजबतारीख़—माह—सन्१८ ई० हमारेदस्तखत और अदालत की मोहरसे जारी किया गया ॥

[मोहर] [दस्तखत]

५१—वारंटकैद जबतावानमुचल्कानेक
चलनी काबिल अख्ज होजाय ॥

[देखोदफा ५१४]

बनाम सुपरिंटेंडेंट [या मुहाफिज] जेलखानै दीवानी मुकाम—

हरगाह मुसम्मा [नाम औरतफ्सील याने वल्दियत व कौमियत और सकूनत] ने तारीख–माह–सन् १८ ई० को क़िते जमानतनामा बकैद—जर तावानके बवादे नेकचलनी मुसम्मे [नामवग़ैरह असल शख्स] दिखदिया था और सुबूतइन्हराफ़शरायतजमानतनामा हमारे रूबरू गुज़रकर हस्बजाविते कलम्बंद हुआहै और उसवजहसे मुसम्मे—मजकूर जरतावान तादादी–मलका मुअज्जिमाकैसरहिंदके हुजूर अदाकरनेका मुस्तौजिब हो गयाहै औरहरगाह मुसम्मे—मजकूरने मुबलिग़मजकूर अदानहीं किया और नवजह इसबातकी कि वह मुबलिग़ क्यों न अदाकिया जायजाहिरकी गो उसको ऐसाकरनेका हस्बजाबिता हुक्म हुआथा और हरगाह तावान मजकूर उसकी जायदादमन्कूलाकी कुर्कीसे वसूल नहीं होसक्ताहै और हुक्म वास्ते कैदरक्खे जाने मुसम्मे–मजकूर केजेलखानै दीवानी में वास्ते [अरसा] यहांमीआद कैद की लिखी जायेगी] सादिर हुआहै ॥

लिहाजा आप सुपुरिंटेंडेंट [या महाफिज]को अख्तियार दियाजाताहै औरहुक्महोताहै कि मुसम्मे–मजकूरको मै इसवारंटके अपनी हिरासतमें लायें और मीआद मजकूर तक [यहां मीआद कैद लिखीजायेगी] उसको जेलखानेके अन्दर हिफाजतसेरक्खें और इसवारंटको उसकी ज़ोहरपरयह तसदीक लिखकरकिवारंट की तामील क्योंकर हुई वापिस भेजें ॥

आज बतारीख—माह—सन् १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालतकी मोहरसे जारी कियागया ॥

[मोहर]　　[दस्तखत]

आर. जे. क्रास्थवेट

कायममुकामसेक्रेटरीगवर्नमेण्टहिन्द